राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पचासवां दिवस [संख्या : 17

सोमवार,

16 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओम बिरलाजी।

फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत व्यय राशि

361. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) एवं **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला): क्या ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की बिजली कम्पनियां घाटे में चल रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? एवं नहीं, तो कौन-कौनसी कम्पनी कितने-कितने फायदे में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बिजली कम्पनियों ने ऋण लिया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस कम्पनी ने, किस-किस संस्था से, कितनी-कितनी राशि ऋण के रूप में ली हुई है एवं उसके पेटे क्या गारंटी दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बिजली कम्पनियों ने कर्जे का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्जा लिया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस कम्पनी ने कितनी-कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम के तहत गत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है एवं उससे बिजली की छीजत में कमी होने से कितनी राशि की बचत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) जी हां। वर्ष 2010-11 तक संचयी घाटा लगभग जयपुर डिस्काम का 11,878.23 करोड़ रुपये, अजमेर डिस्काम का लगभग 12,735.45 करोड़ रुपये, जोधपुर डिस्काम का 11,446.71 करोड़ रुपये, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 1,634.57 करोड़

(डा. जितेन्द्र सिंह)

रुपये एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 553.66 करोड़ रुपये है।

(2) जी हां। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा लिये हुए ऋण का संस्थावार विवरण प्रपत्र 'अ' (पृष्ठ 1 से 4) पर उपलब्ध है। उक्त कर्ज राज्य सरकार की गारंटी एवं डिफाल्ट एस्क्रो के प्रावधान पर लिया गया है।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा लिये गये ऋण के शेष का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा लिये गये दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋणों की दिनांक 31.3.2012 को बकाया राशि का संस्थावार विवरण तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पेटे दी गई गारंटी का विवरण प्रपत्र 'स' एवं 'द' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विद्युत निगमों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिये गये अल्पकालीन ऋणों में ब्याज के लिये भी ली गई राशि शामिल है जिसके अन्तर्गत कार्यशील पूंजी व अन्य खर्चे, जिसमें कर्जे की राशि पर चुकाये जाने वाले ब्याज की राशि भी सम्मिलित होती है।

(4) फीडर सुधार प्रोग्राम के तहत गत तीन वर्षों में निम्न राशि व्यय की गयी है:-

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11 (लगभग)
कुल खर्च राशि	933.62	576.66	191.20

बिजली की छीजत में कमी लाने में एफ.आर.पी. का महत्वपूर्ण योगदान है। बिजली छीजत में कमी लाने में अन्य कार्यक्रमों का भी प्रभाव है। सभी प्रयासों से बिजली छीजत में गत तीन वर्षों में 1074.68 करोड़ रुपये की बचत आकलित की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरला जी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें, उन्होंने जो फिगर दिया है वह 2010-11 का दिया है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि 31.3.12 तक, प्रोविजनल, आप आडिटेड नहीं बतायें, प्रोविजनल घाटा कितना हुआ?

(श्री ओम बिरला)

दूसरा प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि 2008 तक कितना घाटा था? और उसके बाद जो घाटा हुआ, उस घाटे के क्या-क्या कारण रहे? आपने उस घाटे को रोकने के लिये क्या-क्या इन्तजाम किये?

अब आगे जब एक जवाब दे देंगे तो मैं पूछ लूंगा। एक साथ मैं सारे पूछूंगा तो ठीक नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, एक और पूछ सकते हो। बाद में फिर इतना ही मौका मिलेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक यह भी बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम 8 घंटे थ्री फेज बिजली देंगे, 24 घंटे सिंगल फेज बिजली देंगे, आपने इस अनुमान के अनुसार कितनी-कितनी बिजली के दीर्घकालीन एग्रीमेंट किये? और दीर्घकालीन एग्रीमेंट नहीं किये तो यू.आई., जो तुरन्त बिजली खरीदने के लिये आपने एग्रीमेंट किया, दीर्घकालीन और लघुकालीन के अन्दर रेट का डिफरेंस कितना है? और इसके कारण राज्य को कितना लास हुआ? एक और पूछ लूं?

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, नहीं बाद में पूछना। तीन मैक्सिमम हो गये। माननीय मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे पास बैलेंस शीट आई है, उसमें 2010-11 तक का ही घाटा बताया गया है और 2011-12 तक के घाटे के लिये अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बैलेंस शीट नहीं आई है।

नम्बर दो, 2008 तक का जो घाटा था और उसके बाद जो निरन्तर रहा, मैं बताना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2008, ये फाइनेंशल यीअर 2009 तक होता है, इसमें 15,643.04 करोड़ रुपये है। उसमें तीन माह का अगर हम डिलीट कर दें तो करीबन 15 हजार करोड़ का घाटा दिसम्बर, 2008 तक था। उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2009-10 में 26,406.09 रहा और 2010-11 में 36,060 रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कोटा साउथ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि घाटा बढ़ने के रीजन क्या हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का टेरेन, राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में और अकेला जैसलमेर तकरीबन केरल के बराबर है। माननीय उपाध्यक्ष

(डा. जितेन्द्र सिंह)

महोदय, जो हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे ट्रांसमिशन में हों, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हों, उनके कम्पेरेटिव जो एक्सपेंसेज हैं, वे अन्य राज्यों से ज्यादा हैं। फोर एग्जाम्पल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक एग्रीकल्चर कनेक्शन, वह हम 2500 रुपये पर-हार्स पावर किसान से लेते हैं, जबकि करीबन 1,25,000 से 1,50,000 तक हमारा खर्चा आता है। उसी तरह से डोमेस्टिक कनेक्शन तकरीबन 50,000, ..(व्यवधान) नो-नो सर, एक हार्स पावर तो एग्जाम्पल है। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज, बाद में पूछ लेना। आप बोलें, मंत्रीजी। बाद में पूछ लेना।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जैसे हमारे 'मुख्य मंत्री सबके लिये' योजना थी, उसमें 100 से नीचे कनेक्शन थे, ढाई लाख एक के लिये, पांच के ग्रुप या सात के लिये आता था। फार एग्जाम्पल उसमें तकरीबन 40 से 50 हजार रुपया एक कनेक्शन पर लगता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य कारण था, वे एक तो हमारे पूरे राजस्थान का जो सिस्टम है, दूसरा, हमारे अनबंडलिंग के टाइम, जब जुलाई, 2000 में हमारी कम्पनियां बनीं, उस वक्त हमारे पास 55 लाख कनेक्शन थे; आज हमारे जो टोटल कनेक्शन हैं, तकरीबन 99 लाख हैं; यानी करीबन ये कम्पनियां बनने के बाद उनके अन्दर कनेक्शन एकदम में बढ़े। उस वजह से जो कंजम्प्शन आफ द इलैक्ट्रिसिटी है, वे बढ़ गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये विशेष तौर से आप जान रहे हैं, जिस तरह से बार-बार परिस्थिति है, इस समय एग्रीकल्चर बहुत फायदे का कार्य नहीं रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़ा सुन लें। आप तो बोलिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): छोटे किसान के लिये, कोटा से आने वाले हमारे माननीय मिनिस्टर बैठे हैं, आप बैठे हैं, या अन्य हमारे बीकानेर से आये हुए बैठे हैं, उसके अलावा छोटा काश्तकार जो है, उसके लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका हमने 90 पैसे प्रति यूनिट्स एक्सपेंसेज रखा। राज्य सरकार को इसके लिये पहले 500 करोड़ रुपये देनी पड़ती थी सब्सिडी, अब राज्य सरकार ने उसको बढ़ाकर करीबन 1,100-1,200 करोड़ रुपये सब्सिडी कर दी है। एग्रीकल्चर फार्मर्स और जो बी.पी.एल हैं, उनके लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान से 90 पैसे प्रति यूनिट्स लिया जा रहा है, बी.पी.एल. से 85 पैसे यूनिट लिया जा रहा है और जिनका 50 यूनिट से कम कंजम्प्शन होता

(डा. जितेन्द्र सिंह)

है, उपाध्यक्ष महोदय, उनको भी सब्सिडी है। इस तरह से 99 लाख जितने कंजूमर्स हैं, उसमें तकरीबन मोर दैन फिफ्टी लैख, उपाध्यक्ष महोदय, उनको सब्सिडी सरकार दे रही है। ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, इसको पूरा करिये। एक मिनट बिराजिये, बिरलाजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): स्पेसिफिक जवाब दे दो। यह भौगोलिक स्थिति तो हमारे टाइम भी वही थी, आपके टाइम भी वही है। भौगोलिक स्थिति चेंज थोड़े ही हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष: बिरलाजी, एक मिनट पूरा जवाब सुन लो। पूरा जवाब सुन लो, हो सकता है, आपका जवाब दे दें ये। पूरा सुन लो, फिर आप पूछना।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मैंने विशेष तौर से जो मुख्य-मुख्य बिन्दु थे, जिनके कारण हमारे डिस्काम का घाटा बढ़ता रहा। जैसा मैंने बताया, भौगोलिक स्थिति के लिये कोटा साउथ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 15 हजार करोड़ बढ़ा, वह उसमें सब सम्मिलित है। हालांकि हमने प्रयास किये हैं कि जो हमारा बाड़मेर, जैसलमेर का क्षेत्र है, उसमें हम सौर ऊर्जा के प्लांट लगा रहे हैं और सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको हम अलग-अलग से, मोर दैन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कनेक्शन दिये हैं। जहां किलोमीटरों लम्बी लाइन है, उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में, उसमें सौर ऊर्जा प्लांट से हम दे रहे हैं उनको यूनिट्स जिसमें एक लाइट है और उसके अन्दर एक फैन चल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। माननीय बिरलाजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा, माननीय मंत्रीजी उसका जवाब दें। भौगोलिक स्थिति आज भी वो ही है, कल भी वह ही थी। आपके हर वर्ष, 08-09 तक आपने बताये 15 हजार करोड़ रुपये, आपके हर वर्ष, जो आपके आंकड़े बता रहे हैं वे 15 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष के लास बता रहे हैं, जबकि पांच साल के लासेज ये हैं आपके। इसमें एफ.आर.पी. का बहुत बड़ा पैसा भी बी.जे.पी. के शासन में, मैं कोई शासन की तरफ नहीं जा रहा, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने इन लासेज को कम करने के लिए, भौगोलिक स्थितियां हैं, ये सब चीजें तो आज नहीं पलटीं, इन लासेज को कम करने के लिए आपने क्या-क्या प्रयत्न किये? क्या उन लासेज को आप कम कर पाएं? और कम कर पाएं तो ये लास क्यों हुआ?

(श्री ओम बिरला)

दूसरा प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें पूंजीगत व्यय, आपने कहा कि ये सब, साहब, हमारा प्लान में खर्च हुआ; पूंजीगत और नान-पूंजीगत प्लान में कितना-कितना पैसा खर्च हुआ, ये बता दें मंत्री महोदय। मंत्री महोदय यह भी बता दें कि आपने जो प्लानिंग की थी, वह आपकी घोषणा के अनुसार आठ घंटे थ्री फेज बिजली की प्लानिंग की थी आपने, उस प्लानिंग के अनुसार जो बिजली खरीद की गयी, उस बिजली खरीद के एग्रीमेंट दीर्घकालीन और सबसे जो शार्ट में करते हैं जिसको, उसके लिए कितनी रेट का डिफरेंस है परचेज में? दीर्घकालीन रेट पर क्या यूनिट पैसे पर खरीदते हैं? और जो मैंने अब आपको बताया कि सबसे लघु इमरजेंसी के अन्दर बिजली खरीदते हैं, वे क्या कारण रहे?

माननीय मंत्री महोदय, आपकी सरकार किसानों को जिस तरीके से मीटर खराब, आपका ट्रांसमिशन खराब, आपके एफ.आर.पी. में मीटर लगाने का प्रश्न, ये प्रश्न मैं आपके सामने पैदा करूंगा, पहले ये बता दें आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली में सबसे महत्वपूर्ण, 2006 में हमारे टी एण्ड डी लासेज 41 परसेंट थे। टी एण्ड डी लासेज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें बिजली आती है और वह मीटर्ड है और जिस तरह से बिजली का बिल आता है, वह मीटर्ड है; जो बीच का डिफरेंस है वो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छीजत कहलाता है, टी एण्ड डी लासेज कहलाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो 2006 में 41 परसेंट टी एण्ड डी लासेज थे, उनको फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम में, फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम मैं हमने सिंगल फेज, थ्री फेज को अलग-अलग किया। जो हमारे किसानों के बड़े ट्रांसफामर्स लगे हुए थे ...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मंत्री महोदय, आप तो इसके बाद लासेज बताएं न। आपने सब कुछ किया, इसके बाद लासेज बढ़ने का कारण बता दें आप। मैं और कुछ नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं। आपने यह भी किया, आपने छीजत कम कर दी होगी, वह भी मैं एग्जाम्पल कोट कर दूंगा आपकी जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट में है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इस सब के बाद चूंकि घाटा कम होना चाहिए, आपने कहा छीजत कम करी है, तो घाटा कम होना चाहिए, घाटा बढ़ने का क्या कारण है? वह सदन को बता दें बस, कि घाटा बढ़ने का कारण यह है। मैं पाजिटिव या नेगेटिव में नहीं जा रहा, घाटा बढ़ने का कारण तो पता चले न सदन को।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घाटा बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। घाटा बढ़ने में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे कनेक्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको कनेक्शन बढ़ाने पड़े ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रश्न को 12 मिनट हो गये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, घाटा बढ़ने के अन्दर हमारे ...

एक माननीय सदस्य: तैयारी नहीं है।...(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): ना, ना, तैयारी पूरी है, सर। जस्ट ए मिनट, सर।

घाटा बढ़ने के लिए हमारा नम्बर वन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैरिफ रिविजन। टेरिफ रिविजन समय-समय पर करते रहना चाहिए क्योंकि जो बिजली, अभी कम्पेरेटिव जो बिजली की दर है, वह समय-समय पर टैरिफ रिविजन होना अत्यन्त आवश्यक है। राजस्थान वह राज्य है जिसमें 2001 के बाद मुश्किल से तीन बार टैरिफ रिविजन हुआ, जबकि अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में सात बार टैरिफ रिविजन हो गया; अन्य राज्यों में टैरिफ रिविजन है। तो टैरिफ रिविजन समय पर नहीं होने के कारण वैरिएशन हुआ, घाटा बढ़ा उसमें। और महंगी बिजली खरीदी गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। महंगी बिजली आपके समय भी खरीदी गयी थी, मेरे पास उसके सारे चार्ट हैं। किसानों को 2009-10 में, 2009-10 में अकाल पडा था, किसानों के गम्भीर समस्या थी, उस समय हमको महंगी खरीद कर किसानों को 6 घंटे बिजली देनी पड़ी क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है उनको देने के लिए।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब तो हो गया होगा?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2006 से, मेरे पास सी.ए.जी. के आंकड़े हैं, लगातार विक्रय और क्रय दोनों का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जब आपकी सरकार ने घोषणा कर दी थी कि हम 24 घंटे सिंगल फेज बिजली देंगे और थ्री फेज बिजली देंगे, या तो आपने घोषणा करने के पहले राजस्थान की तीनों बिजली कम्पनियों का घाटा नहीं देखा होगा, या आपने प्लान नहीं किया होगा, या आप जनता के साथ धोखा करते हैं घोषणा पत्रों के आधार पर, जो आपका एजेण्डा है मंत्रिमण्डल का।

श्री उपाध्यक्ष: बिरलाजी, थोड़ा शोर्ट करें, 15 मिनट हो गये हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं सवाल ही पूछ रहा हूं न। जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो, यह सवाल सदन नहीं उठायेगा क्या?

उसके बाद, आपने लोक सभा चुनाव तक तो कितनी बिजली दी और लोक सभा चुनाव के मई, 2009 के बाद आपने किसानों को कितनी बिजली दी, यह भी आप बता दें। और जो सिंगल फेज बिजली 2008 के कार्यकाल में मिलती थी, वह सिंगल फेज बिजली मई, 2009 से आपने कितने गांवों के अन्दर दी?

एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: अब लम्बा नहीं, आप पाइंटेड पूछो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिन पाइंटेड सवाल पूछ रहा हूं मैं, एक भी सवाल मेरा भाषण का नहीं है।

आप यह भी बता दें कि आपके किसानों के कितने मीटर खराब रहे? और जो मीटर खराब होते हैं, उस मीटर खराब में पांच परसेंट विद्युत शुल्क के अलावा आप छूट देते हैं। सी.ए.जी. की रिपोर्ट क्या कहती है? एक कोटा सम्भाग में ही कितने मीटर लगे, उसके कितने मीटर खराब थे और राजस्थान में ...(व्यवधान) कितने मीटर खराब थे?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कोटा साउथ से आने वाले सदस्य ने कहा कि सरकार ने घोषणा में कहा कि सरकार आठ घंटे बिजली देगी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने साढ़े छह से सात घंटे तक 2009-10 में महंगी बिजली खरीद कर किसानों को दी थी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते? जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह भाजपा के शासन का ... (व्यवधान) मैं आपके सामने टेबल कर देता हूं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आपके रिकार्ड भी हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): और पांच घंटे भी नहीं दी इन्होंने तो। मैं दोनों टेबल कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना चाहते हो कि नहीं? जवाब नहीं सुनना चाहते क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): दोनों टेबल कर दूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय देना।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आप विराजें। माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान) उन्होंने पहले किया है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दें मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: वे साथ ही दे देंगे, अब आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह उनके आर्डर, 6.07 के आर्डर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, आप प्रश्नकर्ता हैं। माननीय राव साहब, प्रश्नकर्ता हैं ये। माननीय बंशीधरजी। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 13 अप्रैल, 2012 को निकला ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बंशीधरजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): दोनों आर्डर मैं टेबल कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप बंशीधरजी का भी आने दो, साथ-साथ आ जायेगा बंशीधरजी का।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): कर लो, कर लो आपका। आप इनका पूरा कर दो न। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना नम्बर इनको दे रहे हो क्या?

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मैं कहां दे रहा हूं? इनका पूरा नहीं हुआ तो।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा। दे रहे हैं बंशीधर जी का। ...(व्यवधान) दे रहे हैं, एक मिनट, वे। बंशीधर जी पूछ लें, एक साथ दे देना।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय मंत्री महोदय, 1999 में 25 दिसम्बर, 1999 को यह इसी सदन में पांच कम्पनियों का निर्माण हुआ था कांग्रेस सरकार के समय, उस समय मात्र 1500 करोड़ का घाटा था, वह घाटा

(श्री बंशीधर खण्डेला)

आज बढ़कर 38,248 करोड़ का हो गया। तो इतने स्पीड से बढ़ा उसका आज तक क्या-क्या उपाय किया? नम्बर एक।

फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्दर, यदि आपने फीडर सुधार कार्य किया तो उसके बाद जो सामान उतरा उसकी फीजिकली बड़े अधिकारी से कभी जांच करायी क्या? उसकी क्या रिपोर्ट है? फीडर सुधार के बाद में वर्षवार आपकी कितनी छीजत कम हुई और कितनी बढ़ी? फीडर सुधार भी हो रहा है और छीजत बढ़ भी रही है या घट रही है, ये तो बताइये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह कैग की रिपोर्ट मेरे पास है और कैग की रिपोर्ट क्योंकि तीन दिन, चार दिन पहले ही आयी है, उसमें उन्होंने वह ही चिंता प्रकट की है, कैग ने वह ही एनेलासिस डिस्काम-वाइज किया है जिसके ऊपर आज चर्चा हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि घाटा कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनरेशन इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिजली देने के लिए, जनरेशन हम नहीं करेंगे तो फिर यह व्यवस्था ठीक नहीं चल पायेगी। हमने करीबन 3600 मेगावाट का जनरेशन इन तीन वर्ष में किया है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012 तक हमारा लक्ष्य साढ़े पांच हजार मेगावाट जनरेशन का है। जो आलरैडी हमारा आ रहा है, कालीसिंध 600x2 हमारा आ रहा है, छबड़ा थ्री-इन-फोर...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप जवाब तो सुनिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): घाटा नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) आप जवाब सुनिए। जवाब सुनना ही नहीं है क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं वितरण का घाटा पूछ रहा हूं। जनरेशन का घाटा, आप तो वितरण का घाटा बताओ ना कम करने के लिए .. ...(व्यवधान)...

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं इनका जवाब दे दूं एक बार।

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) आप खण्डेला साहब का।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय खण्डेला साहब ने पूछा है कि घाटा कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, एक तो जनरेशन बढ़ा रहे हैं ताकि हमें महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़े।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, विराजें। माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया अभी तक।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए, राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं दो बात बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं। ये घाटा आपकी कम्पनी का है या सरकार का? आपकी कम्पनीज एक्ट से कम्पनियां बनी हुई है। आपकी कम्पनियों की अपनी आडिट भी होती है जो आपके सी ए करते हैं। कौनसी रिपोर्ट के अन्दर सी ए ने घाटा बताया है? और अगर घाटा बताया है तो इस घाटे का पुनर्भरण उन्होंने किस हैड से किया है और अगर उस हैड से किया है, राजस्थान की सरकार के द्वारा बताया है तो राजस्थान का वित्त विभाग इस घाटे को अपने लेखे जोखों में क्यों नहीं बताता? पहले तो यह करें कि आखिर यह घाटा किसका है, कम्पनी का है या सरकार का है। सरकार भी है, सरकार का है तो सरकार मानें, पर घाटा तो आप मान रहे हैं।

दूसरा आप यह बताएं, बी के चतुर्वेदी की एक कमेटी पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए बनी हुई है, ये भिन्न-भिन्न स्टेट्स के डिस्काम्स के बारे में कर रही है, आप उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? उसकी रिपोर्ट अगर आ जाएगी तो रिपोर्ट के अनुसार आपको कुछ वित्तीय सहायता मिलेगी? कहीं इसका डिवोल्एशन आफ फण्ड्स होगा? कोई कंसेशंस मिलेंगे क्या? लेकिन यह बात आप जरूर करें क्योंकि आपकी सारी आडिट रिपोर्ट्स और जो आप सी ए जी की बात कर रहे हैं ना, आपकी आडिट रिपार्ट् तो अभी तीन साल पीछे चल रही है सी ए की, सी ए जी की आडिट की बात नहीं कर रहे, आपकी आडिट की आडिट जब सी ए जी करेगी तब हम बात करेंगे। वह यह बात कहती है कि आपके मैनेजमेंट को बार बार कहने के उपरान्त भी जिस फिस्कल प्रूडेंस से और जो अकाउंट्स के रूल्स के माध्यम से आडिट के अकाउण्ट्स होने चाहिए, आपकी एक भी डिस्काम यह काम नहीं कर रही है। जिसमें जयपुर डिस्काम पर तो बहुत भारी टिप्पणियां उन्होंने की हैं। कृपा करके बताएं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक चिन्ता प्रकट की है कि यह घाटा किसका है, ये घाटा व्यक्तिश: इन तीनों कम्पनियों का घाटा है, सरकार का

(डा. जितेन्द्र सिंह)

घाटा नहीं है। लेकिन सरकार की मोरल रेस्पांसिबिलिटी है। क्योंकि जो भी सिस्टम है, यह बिजली सिर्फ कम्पनियों की नहीं है, यह बिजली सब हमारे आम जन की है, आम किसान की है, गरीब, उसकी है। जो चतुर्वेदी कमेटी भारत सरकार ने बनाई है, इन्होंने घाटे से उबारने के लिए राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व अन्य राज्यों में जो घाटा हो रहा है, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट से रिपोर्ट काल की है। हमने रिपोर्ट भेज दी है चतुर्वेदी कमेटी को और चतुर्वेदी कमेटी को निर्णय करना है। फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, कम्पनियों को मदद करने के लिए अपनी ओर से, सरकार की ओर से 2,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मदद की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। माननीय मंगलारामजी। ...(व्यवधान)... 23 मिनट हो गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष: अब अगला प्रश्न ले लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, हां, अगला ही आएगा।

श्री उपाध्यक्ष: 23 मिनट हो गये एक ही क्वेश्चन में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह नहीं पूछ रहा। मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसका समाधान नहीं होगा। इसलिए कृपा करके चर्चा के लिए रखा जाए, इस पर पूरे दिन चर्चा हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष: 2 बजे रखें। माननीय मंगलारामजी गोदारा। (व्यवधान)

लूणकरणसर-सरदारशहर मेगा हाइवे सड़क निर्माण कार्य

362. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 250 की आबादी वाले गांव व ढाणियों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में 250 की आबादी वाले कितने गांव व ढाणियां हैं व सरकार द्वारा उक्त गांवों व ढाणियों को कब तक सड़कों से जोड़ा जाएगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के 500 की आबादी वाले गांव भी अभी तक सड़कों से नहीं जोड़े गये हैं? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौनसे गांव हैं जिनको सड़कों से नहीं जोड़ा गया है?

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(3) क्या यह सही है कि लूणकरणसर वाया श्रीडूंगरगढ़ सरदारशहर सड़क को मेगा हाइवे में लिया गया है? यदि हां, तो उक्त रोड को कब तक चालू किया जाएगा? और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय एक बात बता रहे हैं, आप तो बता दें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरलाजी, आप जवाब आने दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब दें, सिंगल फेज बिजली 24 घंटे कब से देंगे? बता दें आप। नहीं देंगे तो आप मना कर दें, नहीं देंगे। आप बता दें। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का रिकार्ड होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री मुरारीलाल मीणा): (1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित 250 व इससे अधिक आबादी वाले सभी राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है तथा 250 व इससे अधिक आबादी की कुल 9 ढाणियों को अभी तक डामर सड़क से नहीं जोड़ा गया है, जिनमें से दो ढाणियों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिनको वर्ष 2012-13 में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। जब मरुस्थलीय एवं जनजाति क्षेत्रों के 250-499 आबादी वाली ढाणियों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जायेंगे, तब शेष सात ढाणियों के प्रस्तावों को भी शामिल कर भारत सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। जनगणना वर्ष 2001 पर आधारित 500 व इससे अधिक आबादी वाले सभी गांव सड़क से जोड़े जा चुके हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि लूणकरणसर वाया कालू श्रीडूंगरगढ़-सरदारशहर सड़क को 16 मेगा हाइवे योजना में शामिल किया जाकर बी ओ टी योजनान्तर्गत निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस सड़क के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है जो दिनांक 18.4.2012 को प्राप्त कर इसकी वित्तीय बिड दिनांक 25.4.2012 को खोली जानी है। इस सड़क का निर्माण माह सितम्बर 2012 तक शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया कि 250 से ऊपर वाली 9 ढाणियां जिसमें दो ढाणियों का काम प्रगति पर है, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो ठुकरिया से चुरलई ढाणी, जो आपने प्रगति पर बताई, इस ढाणी का कार्य किस एजेन्सी को दिया हुआ है और कब दिया हुआ है? क्या यह काम चालू हुआ या नहीं हुआ? पहले तो ये बताएं।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, यह टी एस पी डेजर्ट क्षेत्र में 500 से ऊपर की जो ढाणियां हैं, उनकी पी एम जी एस वाई के अन्दर स्वीकृति मिली है, इसमें आपके क्षेत्र की दो ढाणियां, चुरलाई और हथाना, इन दोनों के कार्य आदेश दे दिये गये हैं और कार्य प्रगति पर है।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): किस एजेन्सी को दिया है? कार्य कब चालू होगा?

श्री उपाध्यक्ष: किस तारीख को चालू हुआ?...(व्यवधान)...यह क्या? बीच में मांग नहीं सकते हो आप। ...(व्यवधान)...

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): दोनों कार्य प्रगति पर हैं। डेट आफ आर्डर है, अभी उपलब्ध करवा देंगे। दोनों कार्यों पर प्रगति चल रही है और जिस डेट को आर्डर दिया है, उपलब्ध करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आप इसकी जांच करवा लीजिए, जवाब सही है या गलत है; उनको संतुष्ट कर दीजिए।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): बिलकुल, दोनों का कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है; जिस डेट को आर्डर दिया, वह डेट आपको बता देंगे।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: मंगलारामजी सदस्य हैं, यह केवल उनके क्षेत्र से सम्बन्धित है। डूंगरगढ़, ओनली डूंगरगढ़।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): मंत्रीजी ने बताया कि 500 की आबादी वाली सारी ढाणियां जोड़ दी गयी हैं, तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे ग्राम केऊ, एक पुरानी केऊ है, एक नई केऊ है, उस गांव की आबादी कितनी है? क्या उस गांव की 500 से ऊपर आबादी है? आपने जवाब में कहा कि जोड़ दिया गया है, तो केऊ गांव को क्यों नहीं जोड़ा गया?

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, डेजर्ट एरिया के सभी 250 से ऊपर की आबादी के गांव ...

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने पर्टिकुलर गांव के लिए पूछा है, उसका बता दें। काहे को लम्बा करते हो आप?

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): जो गांव है, सबकी उनकी स्वीकृति जारी हो गयी है, उनका काम प्रगति पर है, 500 से ऊपर की। इनकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है जिसमें मात्र दो ढाणियां हैं। इसके अलावा, 250 से लेकर 500 तक की आबादी में आपके क्षेत्र की मात्र सात ढाणियां हैं जिनके नाम मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, बनिया जोड़ा ढाणी, सांखलाई ढाणी, बृजलाना...

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ये तो पढ़ लिया मैंने, मैं केऊ का पूछ रहा हूं, केऊ नई।

श्री उपाध्यक्ष: केवल उसी का बताओ, मंत्रीजी, उसी का।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): जो ढाणी का नाम आप बता रहे हैं, क्योंकि जो ढाणियां हमने संख्या में ली हैं वे 2003 पी एच ई डी सर्वे से ली हैं, उसमें इसका नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं है, तो उसका क्या करोगे? सीधा-सा सवाल है? एम एल ए साहब अपनी संतुष्टि चाहते हैं, आप तो उनको संतुष्ट कीजिए।... (व्यवधान)... आश्वासन दीजिए।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ग्राम केऊ नई, क्या सरकार उसको जोड़ने का विचार रखती है। 500 से ऊपर आबादी है, हजार के लगभग आबादी है।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): अपनी जो सेन्सस है उसमें इसका नाम नहीं है। केवल 2003 में जो पी एच ई डी की ढाणियां ...(व्यवधान)... उसका नहीं है अभी विचार। जिनका विचार है, मैंने बोल दीं। केवल आपकी दस ढाणियां हैं, एक ढाणी आलरैडी सड़क पर है, दो ढाणियां स्वीकृत हो गयीं और सात ढाणियों के प्रस्ताव भिजवायेंगे। इसका नाम इनमें नहीं है।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): नाम तो नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। मंत्री जी ग्राम केऊ नई का नाम नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ग्राम केऊ क्या जोड़ने का विचार रखते हैं? क्या उसकी आबादी 500 से ऊपर है?

श्री उपाध्यक्ष: केऊ आपका रेवेन्यू विलेज है क्या?

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): हमारी जो लिस्ट है उसके अन्दर उसका नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: रेवेन्यू विलेज है क्या आपका?

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): रेवेन्यू विलेज पुरानी केऊ पुरानी है और केऊ नई के अन्दर स्कूल है, पी एच ई डी की स्कीम है; ग्राम अलग है, पुरानी केऊ से दो किलोमीटर दूर है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, यदि नियम में आता हो आप बैठकर, बात करके इनकी जांच करा लीजिये। बस, ठीक है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके प्रश्न का जवाब दे दिया मंत्रीजी ने।..(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): लूणकरणसर वाला बाकी रह गया, मेरा बीच में ही रह गया यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है। हां, माननीय मंत्रीजी।..(व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उपाध्यक्ष महोदय, नोहरसर फाटक से..(व्यवधान) तक बहुत सड़कों की हालत खराब है। मंत्रीजी, बताएं, कब तक काम चालू करायेंगे उनका? 3-3 साल से सड़कें खराब हो रही हैं।..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

खादी ग्रामोद्योग इकाइयों में व्याप्त अनियमितताएं

363. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में किस-किस फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर सिल्क की साड़ियां क्रय की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा खादी इकाइयों द्वारा निर्मित किस-किस वस्तु पर अनुदान दिया जाता है व अनुदान दिये जाने का आधार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(3) क्या ये भी सही है कि खादी एवं ग्रामोद्योग के नाम पर चल रही इकाइयां आधुनिक मशीनों से वस्तुएं निर्मित कर रही हैं? क्या सरकार इस प्रकार की इकाइयों को चिह्नित कर उन्हें कर में दी जाने वाली छूट को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री बाबूलाल नागर): (1) जी नहीं, खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में किसी फर्म से कोई सिल्क साड़ियां क्रय नहीं की गयी हैं।

(2) खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिवसों के लिये खादी संस्था/समितियों को फुटकर बिक्री पर सूती व ऊनी खादी पर 10 प्रतिशत, रेशमी एवं पालीवस्त्र पर 5 प्रतिशत की छूट (रिबेट) खादी वस्त्रों/नगों के लिये पुनर्भरण के रूप में दी जाती है। ग्रामोद्योग इकाइयों की किसी भी वस्तु पर कोई सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है।

(3) ग्रामोद्योग इकाइयों में आधुनिक मशीनों से उत्पाद निर्मित करने पर प्रतिबन्ध नहीं है। ग्रामोद्योग इकाइयों को कर में दी जाने वाली छूट राज्य सरकार के स्वीकृति अनुरूप देय है जो ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक है।

खादी उत्पादन में काम आने वाली मशीनें जैसे चर्खा, कर्घा, बटाई मशीन आदि पर कोई कर नहीं लगता है। खादी वस्त्र/नगों पर कोई कर देय नहीं है।

ग्रामोद्योग इकाइयों में ईंट भट्टा, मार्बल, कोटा स्टोन, साबुन, सैंड स्टोन, लुहारी-सुथारी फर्नीचर के उत्पाद पर कर देय है। शेष उद्योगों में व्यक्तिगत इकाई को 50 लाख रुपये तक एवं संस्था/समिति को 2 करोड़ के प्रति वर्ष टर्नओवर पर वैट कर से मुक्ति है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से ये जानना चाहता हूं कि 5 वर्षों में तो नहीं खरीदी, क्या पिछले 10 वर्षों में कोई सिल्क की साड़ियां खरीदी हैं? 10 साल में अगर नयी साड़ियां नहीं खरीदी हैं तो किस-किस वैरायटी की साड़ियां खरीदीं ग्रामोद्योग बोर्ड ने? केवल यह पिछले 2 वर्ष का बता दें आप।

दूसरा, खादी की दरियों की लोकप्रियता पहले बहुत ज्यादा थी, आजकल ये घट रही है लोकप्रियता। इसके घटने के क्या कारण हैं? लोकप्रियता बढ़ाने के लिये आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तीसरा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जो सामान ज्यादा बिकता है उसका ज्यादा उत्पादन और कम बिकने वाले सामान का कम उत्पादन, इस मामले में आप अगर मार्केटिंग आडिटिंग कराते हैं तो किसी एक साल की बता दें कि मार्केटिंग आडिटिंग क्या रही है।

एक आपने ये बताया है कि..

श्री उपाध्यक्ष: इनको यह याद ही नहीं रहेगा।...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): निर्धारित दिवस पर हम छूट देते हैं, तो निर्धारित दिवस तय करने का मापदण्ड क्या है और कौन-कौनसे निर्धारित दिवस हैं जब आप खादी पर छूट देते हैं?

पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने कितनी इकाइयां पर कितना अनुदान दिया? यह सब बताएं आप।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): उपाध्यक्ष महोदय, सिल्क साड़ियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है। सिल्क की साड़ियां, खादी ग्रामोद्योग के व्यावसायिक केन्द्र हैं, खादी ग्रामोद्योग स्वतन्त्र विभाग है, उसका अपना संविधान है, उसके प्रावधानों के तहत व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना प्रदेश में की हुई है। प्रदेश में वर्तमान में 4 व्यावसायिक केन्द्र हैं। व्यावसायिक केन्द्रों को पूर्णतया स्वतन्त्रता प्रदान की हुई है कि भारत सरकार के खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित चाहे राजस्थान राज्य में कोई संस्था/समिति हो, या हिन्दुस्तान में, पूरे देश भर में कोई संस्था/समिति हो जिसको प्रमाण पत्र खादी ग्रामोद्योग आयोग की समिति द्वारा दिया हुआ है, अनुमोदित है, तो वहां पर व्यावसायिक केन्द्र साड़ियां क्रय कर सकते हैं, या खादी ग्रामोद्योग खादी सम्बन्धी, ग्रामोद्योग सम्बन्धी कोई भी सामग्री क्रय कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें समिति बनायी हुई है। लेखाधिकारी, वहां का जो केन्द्र का व्यवस्थापक, विकास अधिकारी..

माननीय सदस्य ने 5 वर्षों की चर्चा की है। उपाध्यक्ष महोदय, सिल्क साड़ियां 2006-07 में 6 लाख 47 हजार की व्यावसायिक केन्द्रों ने खरीद की है; 2007-08 में 5 लाख 98 हजार की साड़ियां क्रय की गयी हैं; 2008-09 में 2 लाख 33 हजार की सिल्क साड़ियां क्रय की गयी हैं, 2009-10 में 1 लाख 3 हजार की सिल्क साड़ियां क्रय की गयी हैं; 2010-11 में 1 लाख 53 हजार की सिल्क साड़ियां क्रय की गयी हैं।

(श्री बाबूलाल नागर)

उपाध्यक्ष महोदय, व्यावसायिक केन्द्र जो विभिन्न खादी ग्रामोद्योग की संस्थाएं हैं उनसे अगर डिमाण्ड मिलती है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, मंत्री महोदय, कौनसा आंकड़ा पढ़ रहे हैं आप? इसमें तो जवाब दिया कि कोई साड़ियां खरीदीं नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी..(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।...

श्री उपाध्यक्ष: आपको एक मौका और मिलेगा, इनको बोलने दें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, निवेदन सुनें। आप कह रहे हैं कि सिल्क की साड़ियां नहीं खरीदीं। आप कह रहे हैं 2006-07 में इतने की खरीदीं, 2007-08 में इतने कीं; ये कहां से आ गयीं फिर?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): मैंने आपसे कहा व्यावसायिक केन्द्रों का खादी ग्रामोद्योग में अलग से प्रावधान दिया हुआ है कि व्यावसायिक केन्द्र को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। उनको मार्गदर्शन दे रखे हैं, उनको मार्गदर्शन भारत सरकार का जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है उस आयोग से प्रमाणित हिन्दुस्तान में कहीं कोई समितियां/संस्थाएं हों, उनकी फिक्स दर है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं करना पड़ता, उस दर के अनुसार जहां पर अगर डिमाण्ड मिलती है, व्यावसायिक केन्द्र उसको क्रय करते हैं।

माननीय सदस्य अगर यह जानना चाहते हैं कि कहां-कहां से सिल्क साड़ियां खरीदी और कौन-कौनसे स्टेट्स से खरीदीं, कितने-कितने रुपये में खरीदीं? तो मैं 2006 से लेकर 2011-12 तक जितनी सिल्क साड़ियां खरीदी हैं, सबकी सूचियां, पैसे बता सकता हूं तथा हिन्दुस्तान में कहां से खरीदीं, सब बता सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, मंत्रीजी, विराजिये। आपका क्या कोई...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक साथ ही सारे पूछे थे, अभी एक का ही जवाब आया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप ज्यादा सवाल पूछ लेते हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, ज्यादा कहां पूछता हूं, साहब..

श्री उपाध्यक्ष: एक या दो पूछिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): उपाध्यक्ष महोदय, छूट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा है, राज्य सरकार के आयोजना बजट से छूट प्रदान की जाती है जो चाहे खादी की साड़ियां हो, नग हो, या खादी के कपड़े हों उसमें राज्य सरकार तय करती है सामान्यत: महात्मा गांधीजी की जयन्ती के समय छूट की शुरूआत करते हैं। 2007-08 में 81 दिन की छूट प्रदान की थी, इसके बाद 2008-09 में 60 दिन की छूट थी। राजस्थान में कहीं भी आप खादी के कपड़े, खादी के नग खरीदें। इसी तरह 2009-10 में 90 दिन करी, 2010-11 में 90 दिन की; और 2011-12 में 108 दिन की की।

मैं यह भी बता दूं, इसमें टोटल 5 वर्ष में 14 करोड़ 47 लाख 86 हजार की राज्य सरकार ने अपने आयोजना बजट में छूट दी। समय-समय पर यह राज्य सरकार तय करती हैं। इसके कोई मापदण्ड नहीं हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी का खादी के प्रति और पूरे देश में एक भावना है, तो सामान्यत: राज्य सरकारें 2 अक्टूबर से यह छूट का प्रावधान शुरू करती हैं। फिर भी कोई ऐसे दिशा-निर्देश तय नहीं हैं, उसमें मापदण्ड नहीं हैं।..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा जवाब तो आने दीजिये। मेरा लास्ट बस।

श्री उपाध्यक्ष: एक प्रश्न पूछोगे, बस।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, एक ही। एक में ही दो पूछ लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, दो नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक तो जैसे महिलाओं के साड़ी के अलावा और भी वस्त्र आप खरीदते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, एक मिनट। दूसरा, एक मिनट, दूसरा यह है कि पिछले 3 वर्षों में कितना अनुदान जो नये उद्योग लगे हैं, उन औद्योगिक इकाइयों को पिछले 3 वर्षों में कितना अनुदान खादी बोर्ड ने दिया? और कितनी औद्योगिक इकाइयों ने अनुदान लेने के पश्चात् औद्योगिक इकाइयां बंद कर दीं? बतायें आप।

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के आयोजना बजट में खादी, एक नई पहल 2011-12 में शुरू की थी, इसमें 2 करोड़ 77 लाख 20 हजार का बजट प्रावधान रखा गया था, इसमें 2 करोड़ 25 लाख 23 हजार रुपये खर्च हो गये। इसी तरह, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह अलग प्रश्न है लेकिन ये जानना चाहें तो मैं बता सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप तो यही बता दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अलग प्रश्न है, इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराजिये। माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी।

प्रश्न संख्या-364

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

श्री अब्दुल सगीर खां।

धौलपुर जिला परिषद में ग्राम सेवकों का नियुक्ति प्रकरण

365. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिला परिषद में कुछ ग्राम सेवकों को वर्ष 2011 में नियुक्ति दी गयी हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा उक्त नियुक्तियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अनुपस्थिति में की गयी है?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की जानकारी मिलते ही सरकार को वस्तुस्थिति की जानकारी दी गयी है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नियुक्तियों का अनुमोदन भी जिला परिषद की बैठक में हुआ है?

(5) क्या सरकार इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

पंचायतीराज मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) जी हां।

(2) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जानकारी में लाये बिना प्रतीक्षा सूची में से नियुक्तियां प्रदान कर दी गयीं।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। प्रकरण का परीक्षण करने के बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप सम्बन्धी दस्तावेज भाग को भिजवाये जाने हेतु पत्रांक 709 दिनांक 19.03.2012 के द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं एवं दोनों नियम विरुद्ध की गयी नियुक्तियां निरस्त कर दी गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है मंत्रीजी से कि जिन दो अधिकारियों ने, ए.सी.ई.ओ. और वरिष्ठ लिपिक, जो इर्रेगुलेरिटी आफ अपाइंटमेंट हुए, उसके अन्दर आपने यह तो निर्णय ले लिया कि ये निरस्त कर दिये। लेकिन जो दोषी अधिकारी हैं, ए.सी.ई.ओ., उसको आपने ना तो ए पी ओ किया, ना सस्पेंड किया, आपने 16 सीसीए का नोटिस जरूर दिया है। लेकिन उस व्यक्ति को आपने रिवार्ड भी कर दिया, उसको चार्ज भी दे दिया सी.ई.ओ. का। Now today he is holding the charge of C.E.O. And the gentleman is interfering in the inquiry. So why don’t you either suspend him or keep him in A.P.O.? What is happening? The money has been exchanged. There is a corruption charge against these two guys who were involved in this. Why are you not suspending these guys? And why are you not taking any stern action?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एक बाबू का सवाल है, उनका रिटायरमेंट हो चुका है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ठीक है, सही है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): रिटायरमेंट होने के बाद भी, इनके खिलाफ हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। जहां तक ए.सी.ई.ओ. का सवाल है, यह एक प्रशासनिक अधिकारी है, हमने इनकी पूरी इन्क्वायरी करा दी और इन्क्वायरी करने के बाद बहुत जल्दी हम डी ओ पी को प्रकरण भिजवा देंगे। डी ओ पी को ही आगे उसके खिलाफ निर्णय लेना है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि आज भी वे वहां पर तशरीफ रख रहे हैं, डेढ़-दो महीने हो गये। इन्क्वायरी में इंटरफीयर कर रहे हैं। कब आप ए पी ओ करेंगे। और कौन-कौनसे अधिकारी, किसके द्वारा

(श्री अब्दुल सगीर खां)

यह इन्क्वायरी कंडक्ट की जा रही है? उनका नाम बताइये। Who is doing this inquiry?

श्री उपाध्यक्ष: आप उनका आने दो, एक और ले लूं। मंत्रीजी, साथ जवाब दे देना।

श्री सुखराम (बसेड़ी): डी ओ पी के नियमानुसार, किसी भी अधिकारी के विरूद्ध, प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध में अगर जांच पेंडिंग है तो उसको लाभ के पद पर क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता। धौलपुर जिले में जो ए.सी.ई.ओ. है, उसके विरुद्ध जांच है और जो तत्कालीन सी.ई.ओ. थे, वे उनकी जांच कर रहे थे। तत्कालीन सी.ई.ओ. का ट्रांसफर हो गया। तो आप मुझे यह बताये मंत्री महोदय, जिस अधिकारी के विरुद्ध जांच है, क्या वह अधिकारी अपनी जांच स्वयं करेगा? या आप किसी सक्षम अधिकारी से करायेंगे?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): लीपापोती हो रही है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सी.ई.ओ. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने की वजह से ए.सी.ई.ओ. को सी.ई.ओ. का चार्ज दिया है। जहां तक जांच का सवाल है, जांच हम इससे करा ही नहीं सकते। हम आगे इसकी जांच जिला कलक्टर से करायेंगे या विभाग से अलग से अधिकारी नियुक्त करके हम जांच करायेंगे।

जहां तक ए पी ओ करने का सवाल है, अभी-अभी स्थानान्तरण हुआ है, अगर हमको ए पी ओ भी करना पड़ेगा तो हम बहुत जल्दी ए पी ओ कर देंगे। जिसने भी गलती की है, उस गलती के लिए उसको सज़ा मिलेगी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): इसमें जो पैसे का लेन-देन हुआ है, उसके खिलाफ क्या करेंगे, मंत्री जी? ...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): किसी भी अधिकारी के विरुद्ध में अगर जांच पैंडिंग है तो ...(व्यवधान)...

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप उन्हें ए पी ओ कीजिये और समय निर्धारित कीजिये कि कब भेजेंगे उन्हें आप।...(व्यवधान)...कब भेजेंगे आप उन्हें?...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: उनकी बात तो सुनिये ...(व्यवधान)...

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): जांच पूरी नहीं होगी, तब तक उन्हें कैसे घर बिठा दिया जाये? सस्पेंड किया जाये ...(व्यवधान) अभी तो जांच पूरी होने दो। ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मंत्रीजी, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। यहां आप कहीं लीपापोती ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): इनके कहने से ही हो जायेगा क्या सारा काम ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): गवर्नमेंट के अधिकारियों की वजह से आप गवर्नमेंट की क्यों बदनामी करा रहे हैं?

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): ये तो सबकी छुट्टी करना चाहते हैं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): गवर्नमेंट की क्यों बदनामी करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह धौलपुर का मामला है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): जब एक चीज बिलकुल साफ है कि मुझको यह अधिकार नहीं था कि मैं कोई अपाइंटमेंट कर सकूं तो उसके बाद अपाइंटमेंट कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): क्या कारण है कि आप उनको सी.ई.ओ. रखें? दूसरी जगह हटा दीजिये और इन्क्वायरी करा दीजिये। हमें कोई वैमनस्यता नहीं है लेकिन हमारा यह कहना है कि यह सरकार हमारी है। हमारी आपकी लड़ाई हो सकती है लेकिन सरकारें हमारी हैं। हमारी सरकार की बदनामी हो अधिकारियों की वजह से, गलती वह करें और बदनामी आपकी हो। उसके बाद भी आप सहो तो आपकी मर्जी है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ट्रांसपेरेंसी क्या है, मंत्री जी, ट्रांसपेरेंसी? (व्यवधान) क्या अकाउंटेबिलिटी है?...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये।

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): बिना जांच के ही किसी को कैसे भेज देंगे आप?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न कर्ता, हमारे सदस्य लेन-देन के बारे में कह रहे हैं, मैं इतनी सी बात कह सकता हूं कि आपको मिला कि नहीं मिला?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मुझे तो मिला या नहीं मिला, आप तो यह बता दीजिये कि उसमें मेरा क्या रोल है?...(व्यवधान) आप मंत्री हैं

(श्री अब्दुल सगीर खां)

विभाग के,जिम्मेदारी है, आप इसका जवाब दीजिये।...(व्यवधान) मिला या नहीं मिला, मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): कोई प्रूफ हो तो बताइये।...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप मंत्री हैं, आप जिम्मेदार हैं।...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र राठौड़ के खिलाफ 2006 का मुकदमा था। (व्यवधान) जांच पूरी होने के बाद ही तो...(व्यवधान)...जांच होने दो, जांच बकाया है अभी। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): पहले आप उनको सस्पेंड ही कर...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मंत्रीजी ने कहा है कि आपको हिस्सा मिला या नहीं मिला...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भ्रष्ट सरकार है यह। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मंत्रीजी ने सगीर मोहम्मद जी को सीधा कहा है कि ...(व्यवधान) आपको हिस्सा मिला या नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री ग्यारसा राम कोली। श्रीमती कमला कस्वां।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने इस प्रकार का चार्ज लगाया है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न पुकार लिया। (व्यवधान) आप रिटन में आइये ना। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): हर बार आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? आपको मिला या नहीं मिला, चार्ज लगा दें और आप उसको एक्सपंज नहीं करें। हम ऐसे सुनते रहेंगे? (व्यवधान) सहन नहीं करेंगे इस बात को। इसको एक्सपंज करायें उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कमला कस्वां। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): एक्सपंज करो नहीं तो केस आफ डिविजन...(व्यवधान) आप जिम्मेदार हैं, मंत्रीजी (व्यवधान) आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं आरोप कि आपको मिला कि नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका है, मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप तो मंत्री हैं, आप तो ए.सी.ई.ओ. को वहां रखे हुए हैं। (व्यवधान) उसका ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। आप लिये जा रहे हैं उससे पैसे। आपने खाये हैं, मैं आरोप लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या है 368, किसका है?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): किसने पैसे खाये...(व्यवधान)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): पी एच ई डी मंत्री जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। 368, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमारा नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मेरे से पहले ये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त...

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बयाना, बयाना का है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, जिसका भी हो, आप जवाब दीजिये ना।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ऐसे कैसे देंगे?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): जम्प हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, एक।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मूल प्रश्नकर्ता को पुकारना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कमला कस्वां को पुकारा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 367 का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष: 367 का मैंने पुकार लिया नाम।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आपने बीच में एक छोड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा होगा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): मेरा नाम अगर आपने लिया है तो 368 मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष: कमलाजी, एक मिनट।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ग्यारसा राम जी कहां हैं?

श्री उपाध्यक्ष: श्री ग्यारसा राम कोली। आप आवाज सुन लिया कीजिये।

बयाना में अम्बेड़कर छात्रावास की स्थापना

367. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना की महावर कालोनी, भीमनगर (बयाना) के आसपास अनुसूचित जाति का छात्रावास नहीं है?

(2) क्या महावर कालोनी के पास कस्बा बयाना की आराजी खसरा नम्बर 327, रकबा 2.23 हैक्टेयर भूमि सिवाय चक सरकारी (चरागाह) गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है?

(3) क्या ग्राम पंचायत विड्यारी द्वारा प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में दिनांक 15 नवम्बर, 2010 को प्रस्ताव संख्या 2 पारित किया जा चुका है और तहसील से प्रस्ताव 639/8 मार्च, 2011 भेजा गया है?

(4) क्या सरकार महावर कालोनी, बयाना में अनुसूचित जाति के छात्रावास हेतु भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उन्होंने सुना नहीं था। आपने पुकारा नहीं।

एक माननीय सदस्य: आपने सुना नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने पुकारा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। भूल गये आप।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा **'**खण्डार**'**): (1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र बयान की महावर कालोनी, भीमनगर (बयाना) के आसपास अनुसूचित जाति का छात्रावास संचालित नहीं है किन्तु महावर कालोनी, भीमनगर, बयाना के आसपास कस्बा बयाना के दक्षिण में महावर कालोनी से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय अम्बेडकर (स्वच्छकार) छात्रावास, बयाना जिसकी स्वीकृति क्षमता 35 छात्रों की है, राजकीय भवन में संचालित किया जा रहा है।

(2) हां, आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 2.23 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है।

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

(3) जी हां। ग्राम पंचायत विड्यारी द्वारा प्रशासन-गांव-के-संग अभियान दिनांक 15.11.2010 में प्रस्ताव संख्या 2 पारित किया गया है। तहसीलदार, बयाना द्वारा प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक 639 दिनांक 18.03.2011 द्वारा उप खण्ड अधिकारी कार्यालय, बयाना को भिजवाये गये जो मुताबिक उप खण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा पत्रांक 1958 दिनांक 06.09.2011 को राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट, भरतपुर को भिजवाना बतलाया गया है परन्तु कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। इस प्रस्तावित स्थल के लिये रास्ता स्पष्ट नहीं है। इसी भूमि में श्मशान और छात्रावास की भूमियों की स्थिति एक दूसरे की तुलना में स्पष्ट नहीं की गई है। आबंटन प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उपरोक्त बिन्दु को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा महावर कालोनी, बयाना में अनुसूचित जाति का छात्रावास स्वीकृत नहीं होने के कारण छात्रावास भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगा, एक बात तो यह कही है कि बयाना के दक्षिण में छात्रावास है लेकिन इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर बताई गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बयाना कस्बे का छात्रावास है और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं महावर कालोनी का, यह पंचायत क्षेत्र के छात्रावास के लिये मैंने प्रश्न किया है। मैं सबसे पहले यह जानना चाह रहा हूं कि सरकार दूसरा छात्रावास बनाने का विचार रखती है या नहीं?

माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि खसरा नम्बर 327, रकबा 2.23 हैक्टेयर है। एक तरफ इसमें ये प्रस्तावित है तहसीलदार द्वारा कि छात्रावास के लिये यह उपयुक्त जगह है, दूसरी तरफ यह बताया गया है कि वहां श्मशान के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। एक बड़े खसरा नम्बर मे अगर दोनों चीजें बन जाएं तो कोई बुरी बात है क्या? श्मशान और छात्रावास, दोनों ही बन सकते हैं, पहले तो मेरे इस प्रश्न का जवाब दें, फिर मैं दूसरा पूछूंगा।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य ने महावर कालोनी में छात्रावास खोलने के लिये जो जिक्र किया है, चूंकि राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

विद्यार्थियों के लिये 721 छात्रावास संचालित हैं जिनकी क्षमता लगभग 28 हजार है, इस क्षमता को चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा तथा आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में छात्रावासों की क्षमता 25 से 50 बढ़ाकर की जाएगी। अब यह जो महावर कालोनी, ग्राम पंचायत बयाना में छात्रावास खुलवाना चाहते हैं, तो अभी वर्तमान में ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। राज्य के 33 तहसील मुख्यालयों पर अभी तक छात्रावास उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर चरणबद्ध रूप से छात्रावास खोलेंगे। इसलिए आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आधार पर 11 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास निर्माण किये जायेंगे। अब बयाना की महावर कालोनी में ये बनाना चाहते हैं तो अपने कोटे से यह कोई सामुदायिक भवन बनवा लें, बच्चों की व्यवस्था हम करेंगे और क्षमता हम बढ़ा देंगे।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह भ्रम है कि 1 छोटा सा छात्रावास कस्बे में बना रखा है। बयाना सब-डिविजनल हैडक्वार्टर है, छात्र और छात्राओं की संख्या बहुतायत में है। यह सोच समझ कर करें तो यह प्रस्ताव नहीं है क्या? इससे बड़ा प्रस्ताव और क्या हो सकता है? क्षेत्र का विधायक जो जन-प्रतिनिधि है और 2 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वे अपना प्रस्ताव यहां रख दे, इससे बड़ा और क्या प्रस्ताव होगा?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजिये। बाद में पूछ लीजिये पूरक प्रश्न। ये चाहते हैं कि उस छात्रावास की जमीन बढ़ायी जा सकती है क्या? आप तो नहीं बढ़ायेंगे, आपका डिपार्टमेंट यदि रिकमंड कर दे गवर्नमेंट से, तो बढ़ सकती है। क्या दिक्कत है?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनको सीधा सा जवाब दिया है कि तहसील मुख्यालय पर छात्रावास खोल रहे हैं। ये महावर कालोनी में पंचायत के अन्दर ले जाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत ने वहां प्रस्ताव ले लिया छात्रावास खोलने का, वहां और प्रस्ताव भी आया श्मशान भूमि आबंटन के लिये। तो ये प्रस्ताव तो कुछ भी ला सकते हैं लेकिन छात्रावास संचालन के लिये आपने जो सवाल किया है, वह अभी प्रस्तावित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: इनका इतना सा कहना है कि आपके अधिकारी रेवेन्यू आफिसर से बात कर लें, यदि हो सकता है तो हो जाएगा। क्या दिक्कत है?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इतना आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य को कि अगर छात्र ज्यादा हैं तो वहां छात्र संख्या बढ़ाने का विचार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कमला कस्वां।

सादुलपुर के क्षतिग्रस्त सी डब्ल्यू आर जलाशय

368. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु कितनी सी डब्ल्यू आर बनी हुई हैं? ग्रामवार व नगरपालिका क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सी डब्ल्यू आर क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सी डब्ल्यू आर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में बूड़ावास कालोडी जल प्रदाय योजना अन्तर्गत सांखू गांव में निर्मित सी डब्ल्यू आर का ऊपरी डोम सी डब्ल्यू आर के अन्दर गिर गया है व उक्त सी डब्ल्यू आर से 14 गांवों को दूषित जलापूर्ति हो रही है? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त सी डब्ल्यू आर की छत की मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त सी डब्ल्यू आर व अन्य क्षतिग्रस्त सी डब्ल्यू आर की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र, राजगढ़ में विभिन्न विभागीय पेयजल योजनाओं अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल संग्रहण हेतु निर्मित क्रमश: 414 एवं 26 भू-तल व स्वच्छ जलाशयों के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र की ग्रामीण जल योजनाओं अन्तर्गत 19 भू-तल एवं 4 स्वच्छ जलाशय वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं तथा इनसे वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वांछित सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

(3) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, बुधावास-कालोड़ी से लाभान्वित ग्राम सांखू (इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन पर) में निर्मित स्वच्छ जलाशय का ऊपरी डोम माह फरवरी, 2012 में स्वच्छ जलाशय के अन्दर गिर गया है परन्तु इस जलाशय से नियमित रूप से जल के क्लोरिनेशन के उपरान्त ग्राम सांखू एवं अन्य ग्रामों में उक्त योजना से वर्तमान में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उक्त जलाशय सहित क्षेत्र के अन्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जलाशयों के मरम्मत के प्रस्ताव वर्तमान में बनाये जा रहे हैं।

(4) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराया जावेगा।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि खण्ड 2 में आपने जवाब दिया है कि 14 जी एल आर और 4 सी डब्ल्यू आर मरम्मत योग्य है। ये 14 जी एल आर और 4 सी डब्ल्यू आर कितने समय से मरम्मत योग्य हैं और इनकी मरम्मत के प्रस्ताव कब तैयार किये गये हैं, कब इनकी मरम्मत होगी? और इनके वित्तीय संसाधन, सारा एक साथ ही पूछ लेती हूं, कब आपके पास इनकी मरम्मत के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे? यह बताने का कष्ट करें। इसके साथ ही एक और मैं पूछ रही हूं कि क्या यह सम्भव है कि किसी सी डब्ल्यू आर का डोम उसके अन्दर गिर जाए, उस सी डब्ल्यू आर की छत क्षतिग्रस्त होकर टूट जाए और उसमें कचरा पड़ता रहे, कबूतर बींट करते रहें और फिर भी वह पानी स्वच्छ रहे? क्या यह सम्भव है? यह जवाब दे दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो चिंता प्रकट की, वहां करीबन 19 भूतल और 4 स्वच्छ जलाशय हैं। उनमें कलाल कोटड़ा, ढढाल खेता, थान मठूई, खारीया, सांखू, ढाणी जीवनगिरी, बैरासर छोटा, बैरासर बुड्ढ, बालान, सरदारपुरा, जनाउ मीठी, रावतरसर कुन्जला, सांखल तुमली, सुलखनिया बड़ा, बूधावास, ठीमाउ छोटी; ये क्षतिग्रस्त जी एल आर 19 के करीब हैं, सी डब्ल्यू आर 4 हैं। वहां करीबन टोटल हैं, वे मिलाकर 409 भूतल जलाशय हैं और 22 स्वच्छ

(12.00 बजे)

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जलाशय हैं जो काफी समय से बने हुए हैं क्योंकि वहां पर 'आपणी योजना' चल रही है। अन्य कई योजनाओं के माध्यम से वहां पानी सप्लाई किया जा रहा है, सादुलपुर में। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैंने मेरे अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं, अतिशीघ्र वे इन सब जलाशयों का, कहीं बजट की कोई कमी नहीं है पर सभी जलाशयों में जो डैमेज है, उसको ठीक करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, मंत्रीजी। प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री सुखराम एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से बसेड़ी के उपखण्डाधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से मेवाड़ काम्प्लेक्स सर्किट में महाराणा प्रताप-अकबर युद्ध स्थली को शामिल करते हुए उन स्थानों का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती अनीता सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2011 में एस बी सी कोटे की सीटों को भरने में हुई विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में।
4. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राज्य में प्याज की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के सागवाड़ा उप खण्ड के बाबा की वार बांध में नाव उलट जाने से ईंट भट्टे में काम करने वाले सात बच्चों की मौत होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य हरिसिंह रावत, श्रीमती अनीता सिंह, श्री पेमाराम एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। मा. सदस्य श्री सुखराम आज इसी विषय पर पर्ची के माध्यम से अपने विचार रखेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के कस्बा उच्चैन को तहसील एवं रूदावल को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्या की ओर से कृषि कनेक्शन नीति की विसंगतियों को दूर कर आवेदकों को कृषि बिजली कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से सांचोर तहसील मुख्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।
5. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम पंचायत मुख्यालय नाणा पर उप-तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती गोलमा, सदस्या की ओर से जिला दौसा को चम्बल नदी का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
7. श्री भगवानसहाय सैनी, सदस्य की ओर से चौमूं कस्बे की जल योजना को बीसलपुर जयपुर जल योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।
8. श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की महत्वपूर्ण सड़कों को सुधारने के सम्बन्ध में।
9. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग 8 को 6 लेन का तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 को 4 लेन का बनाने हेतु अधिग्रहित भूमि का भू-धारियों को उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में।
10. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर में अपैरल पार्क योजना के लिए रीको द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के उपरान्त भी अभी तक पार्क योजना का क्रियान्वयन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
11. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की 125 से अधिक कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करने एवं नियमन प्रक्रिया पूर्ण कर पट्टे जारी करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

12. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी (कोटा) के राष्ट्रीय राजमार्ग-12 स्थित 7 बड़े कस्बों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्थायी बस स्टैंड बनाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

काहे पर बोलना चाहते हो? आप चिट भेज दीजिए, वह स्वीकार होगा तो आपको बता दिया जाएगा। (व्यवधान) इसके बाद में जो समय आएगा तब। (व्यवधान) आप समय आएगा, चिट पर लिखकर दो लाइन का भेज दीजिए।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): हां, हां, मैं दो लाइन में ही पूरा कर दूं तो?

श्री उपाध्यक्ष: बोलना नहीं है। यह जीरो आवर में नहीं है। जीरो आवर ज्यों ही समाप्त होगा, आपको मौका मिल जाएगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: गम्भीर विषय है, इसलिए आपको मौका मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मेवाड़ काम्प्लेक्स सर्किट में महाराणा प्रताप-अकबर युद्ध स्थली को शामिल किया जाना एवं सम्मिलित स्थलों का जीर्णोद्धार

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दवेर एक ऐसा स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध स्थली पर 2005 में श्रीमती वसुंधराजी जब मुख्य मंत्री थी, उन्होंने मेरे एक प्रस्ताव पर, जो मैंने उनको अवगत कराया था कि पूर्व में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, वह युद्ध अनिर्णित युद्ध था लेकिन दवेर में जो युद्ध हुआ था, वह निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। उसी के अन्तर्गत पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधियाजी को जब मैंने उनको अवगत कराया तो उन्होंने 2005 में साढ़े छह करोड़ रुपये स्वीकृत किये और मेवाड़ काम्प्लेक्स के अन्तर्गत इसको जोड़ा और उसी के अनुरूप उन्होंने

(श्री हरिसिंह रावत)

वहां पर महाराणा प्रताप की अश्व पर बैठी हुई मूर्ति का उन्होंने प्रोग्राम बनाया और उसी के अनुरूप महाराणा प्रताप के युद्ध सम्बन्धी जितने भी वहां रिलेटेड स्थान थे, उनका जीर्णोद्धार कराया गया। जहां पर युद्ध हुआ था, उसे रातानाड़ा कहा जाता है, वहां युद्ध स्थली का निर्माण हुआ।

लेकिन अफसोस है, अभी 2012 में तीन महीने पहले मुख्य मंत्रीजी ने राष्ट्रपति माननीय श्रीमती प्रतिभाजी पाटिल को वहां बुलाया और उसका उद्‌घाटन करवाया और उद्‌घाटन करवाते समय उन्होंने एक असत्य बोला कि राष्ट्रपति महोदया, ये जो आप आज मूर्ति का अनावरण कर रही हैं, यह मैंने 2009 में बनवायी और मैं आज आपके हाथों इसका उद्‌घाटन करवा रहा हूं। एक मुख्य मंत्री ऐसी बात बोलें यह उचित नहीं लगती। उसके बावजूद, मुझे बड़ा अफसोस है कि वे एक पट्टिका पर उद्‌घाटन करके चले गये लेकिन उन्होंने एक फूटी कौड़ी की भी कोई घोषणा नहीं की। मैंने उनसे निवेदन किया था कि मुख्य मंत्रीजी, आप यहां आए हैं तो कम से कम असत्य तो मत बोलिए और असत्य बोल ही रहे हो तो कोई बात नहीं, आप भी कम से कम आए हैं तो 5-6 करोड़ की वहां जो इससे रिलेटेड हैं, महाराणा प्रताप और अकबर से रिलेटेड जो भी जगह हैं, उनका भी जीर्णोद्धार कराइए। जैसे वहां पर एक मनक्यावास है, मनक्यावास जहां पर महाराणा प्रताप रहा करते थे, 'अरे, घास की रोटी, जहां मन बिलावड़ो ले भाग्यो' की वहां किंवदंती भी है, उसका भी जीर्णोद्धार कराने के लिए बोला, वह नहीं हुआ, उसके साथ ही एक धमधमरोड़ी है, महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे, उनका एक सामूहिक वहां पर दाह संस्कार हुआ था। तो वह आज धमधमरोड़ी के नाम से, एक दाह संस्कार करने की वजह से वहां पूरी मिट्टी पोली हो गई। वहां पर अगर मारेंगे तो धमधम आवाज आती है, उसका भी जीर्णोद्धार कराना था। दूसरा, एक जो अकबर की सेना थी, उसकी भी सामूहिक वहां पर एक कब्र बनाई थी, उसको भी घोर कहते हैं, तो उसका भी जीर्णोद्धार करवाना था। साथ-साथ ही, एक हाथीकड़ा, हाथीकड़ा मतलब अकबर की सेना के हाथी बंधते थे, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाए।

तो मेरे कहने का मतलब है, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी युद्ध सम्बन्धी अवशेष बचे हैं, उनका वहां पर जीर्णोद्धार करवाया जाए। उसके अलावा 56 चौकियां थीं, उपाध्यक्ष महोदय, उन 56 चौकियों को वहां अकबर को युद्ध में हराकर महाराणा प्रताप ने विजय हासिल की, उन्हीं चौकियों पर भी वहां पर

(श्री हरिसिंह रावत)

जीर्णोद्धार करवाया जाए। उसके साथ-साथ ही, वहां एक गोकुलगढ़ है, राताखेत, मनक्यावास और वहां एक उड़ेसर महादेव है, उड़ेसर महादेव की नाल है, तो नाल के ऊपर अगर 50 मीटर का एनिकट बना दिया जाए तो उस मेवाड़ काम्प्लेक्स में चार चांद लग जाएंगे और वह 50 मीटर का एनिकट अगर बन जाता है तो वहां बोटिंग की भी व्यवस्था हो सकती है जिससे पर्यटकों को भी आने-जाने का फायदा मिलेगा और वहां काफी लोग भी आएंगे।

दूसरा, उसी के सम्बन्धित एक चावंड मंदिर है, जहां राणा कुम्भा की जन्म स्थली है तो मेरा निवेदन है कि उससे भी इसको जोड़ा जाए। दूसरा, एक पन्नाधाय जो आपको विदित होगा, चित्तौड़ में पन्नाधाय का नाम बड़ा फेमस हुआ है, उसने अपने बेटे की कुर्बानी देकर, अपने देश के हित में अपने बच्चे की कुर्बानी दी। उसका भी वहां पर ससुराल है, जीन की कमेड़ी, उसको भी उसके अन्तर्गत जोड़ा जाए तो मैं ये सोचता हूं कि ये हमारे राजस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात होगी। इसके साथ-साथ ही, ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): यहां पर्यटन मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करके अगर कुछ जीर्णोद्धार कराएंगे तो इनका विकास होगा...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ...और विकास होगा तो हम सभी को फायदा मिलेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीया श्रीमती अनीता सिंह। शार्ट कर दीजिए।

द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा-2011 में एस बी सी कोटे की पूर्ति में घटित विसंगति का निराकरण

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): बिलकुल शार्ट करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हिन्दुस्तान के संविधान में लिखा है, पिछड़े, दबे हुए तबकों को ऊपर उठाने के लिए और मेनस्ट्रीम में जोड़ने के लिए आरक्षण का आधार बनाया हुआ है। राजस्थान के अन्दर एस बी सी के लिए गुर्जर समाज के लोगों ने जिस प्रकार का आंदोलन किया, जिस प्रकार से 70 लोग इसमें शहीद हुए, उस प्रकार जो आरक्षण मिलना चाहिए था वह आरक्षण नहीं मिला। 17 जुलाई, 2008 को वसुंधरा राजेजी ने इसी विधान सभा में बिल पास किया कि 5

(श्रीमती अनीता सिंह)

परसेंट आरक्षण एस बी सी के लोगों को मिलेगा जिसमें गुर्जर, रेबारी, देवासी समाज के लोगों को लाभ मिलेगा, पर उस समय राज्यपाल के दस्तख्त नहीं हुए राजनैतिक कारणों से। फिर सरकार बदली, फिर आंदोलन हुए और उसके बाद राज्यपाल ने उस पर दस्तख्त किये, 5 परसेंट के आरक्षण की बात हुई। लेकिन वह कोर्ट में अटक गया कि 50 परसेंट से ऊपर आरक्षण हमारे प्रदेश में नहीं मिल सकता। तो उसमें केवल एक परसेंट आरक्षण एस बी सी के लिए तय हुआ और एक परसेंट एस बी सी के लिए तय हुआ, उसमें भी अनेक तरीके लगाकर उसको कम से कम करने की कोशिश की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि वे इस बात को अच्छी तरह से सुनें कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2011 के परिणाम आर पी एस सी के द्वारा एस बी सी का जो आबंटित आरक्षण था उसके अनुसार इनको किया गया। इनमें जो विसंगति हुई है उसके विषय में मैं कहना चाहती हूं कि हर विषय, गणित का जो विषय था उसके अन्दर भी सैकण्ड ग्रेड के टीचर की भर्ती थी, उसमें 2,373 पदों की इन्होंने विज्ञप्ति निकाली और उतना ही उसमें इनका रिजल्ट भी निकाला। विज्ञान के लिए भी 2,373 थे, अंग्रेजी के सैकण्ड ग्रेड टीचर्स के पद 2,373 थे। इसी प्रकार हिन्दी में भी 2,373 और सामाजिक विज्ञान में भी 2,373 और 2,373 जो पद निकाले, उसका भी एक परसेंट, बिलकुल सादा सा गणित है कि 2,373 में, 100 के रोस्टर में भी एक है तो 23 पद एस बी सी से भरे जाने चाहिए थे। लेकिन उसके बावजूद आर पी एस सी ने 23 की जगह केवल 19 और एक महिला, कुल 20 पदों की भर्ती की। तीन पद हर विषय में, गणित में, विज्ञान में, अंग्रेजी में, हिन्दी में और सामाजिक विज्ञान में 3-3 पदों की कटौती की है जिससे एस बी सी के जो लोग हैं, उन एस बी सी के लोगों पर कुठाराघात हुआ है; उनको जिस प्रकार का आरक्षण मिलना चाहिए था और जिस प्रकार की उनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी, उसमें आर पी एस सी ने अनदेखी की है, विसंगति की है और उसके द्वारा हमारा जो हक था एस बी सी के अन्दर कोटे में, उसको कम किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आयोग द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक विषय में 2,373 पद निकाले गये जिनमें से एस बी सी की संख्या कोटे के अनुसार 23 होना चाहिए, जबकि आयोग द्वारा 19 पुरुष और एक महिला को दिया गया है। उक्त सीटों में से 3 सीटें प्रति विषय की कटौती की गयी है जो एस बी सी के अभ्यर्थियों पर कुठाराघात है।

(श्रीमती अनीता सिंह)

मेरा निवेदन है कि पांचों विषयों में एस बी सी की आयोग द्वारा दी गई 20 सीटों पर अधिकतर एक्स-सर्विसमेन की भर्ती की गयी है। एक्स-सर्विसमेन के लिए अलग से कोटा होता है, एक्स-सर्विसमेन के लिए कोटा 12.5 परसेंट अलग से तय होता है जबकि एस बी सी पुरुष की अधिकतर सीटें एक्स-सर्विसमेन के द्वारा भरी गयी हैं जो कि न्यायसंगत नहीं हैं। एस बी सी पुरुष की जो सीटें एक्स-सर्विसमेन से भरी गयी हैं उनका कट-आफ मार्क्स एस बी सी अभ्यर्थियों से भी बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य अध्ययन में जो वेटिंग लिस्ट निकाली है, उसमें भी एक्स-सर्विसमेन, एल डी, बी एल, आदि से भर दी गयी है। इसलिए एस बी सी अभ्यर्थियों की जो वेटिंग होनी चाहिए, वह भी नहीं आ रही है।

मेरा निवेदन है कि ये जो विसंगतियां हैं आर पी एस सी के द्वारा एस बी सी कोटे में सैकण्ड ग्रेड में नियुक्ति देने में, इसमें शिक्षा मंत्रीजी मुझे जवाब दें ताकि इनके साथ जो कुठाराघात हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, तो उनको न्याय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है, अगर शिक्षा मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप इनको लिखकर भिजवा दें ताकि मेरे पास बाद में जवाब आ जाए जिससे हमारे जो लोग हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह शिक्षा मंत्रीजी के ऊपर है, वे जवाब देते हैं या नहीं स्थगन पर। (व्यवधान) माननीय श्री पेमाराम।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): मेरा भी इसमें स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ रहा है। आप सुनना चाहते हैं क्या?

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): मेरा भी स्थगन लगा हुआ है। क्लीयर तो कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब नहीं सुनना चाहते क्या? जवाब आ रहा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाली माननीया विधायक द्वारा यह प्रश्न मेरे ध्यान में लाया गया है, मैं इसको दिखवा लूंगा और इनको मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री पेमाराम।

राज्य में प्याज की सरकारी खरीद का प्रारम्भ नहीं होना

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का और सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे इलाके में, चाहे सीकर जिला हो, चाहे झुंझुनूं जिले का नवलगढ़, उदयपुरवाटी हो, चाहे नागौर जिले का कुचामन क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में काश्तकार अपनी फसल में प्याज भी पैदा करते हैं। यहां पर जो प्याज पैदा होता है, वह प्याज न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत देश में और यहां तक कि विदेशों में भी निर्यात कर उस प्याज को भेजा जाता है, जिससे प्याज पैदा करके काश्तकार अपने परिवार का पालन-पोषण करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्याज पैदा करने वाला काश्तकार जब प्याज बोता है तो प्याज का बीज 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति किलो के भाव में खरीदना पड़ता है, जमीन की खूब तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन आज जब प्याज पैदा होकर तैयार हो गया, उस इलाके में सीकर मण्डी है, किसान अपने प्याज को लेकर मण्डी में आता है, चाहे नवलगढ़ का काश्तकार है, चाहे कुचामन का काश्तकार है, चाहे सीकर का काश्तकार है, तमाम काश्तकारों की केन्द्र बिन्दु सीकर कृषि उपज मण्डी है, वहां जब किसान अपने प्याज को लेकर आता है तो दो रुपये या 2.5 रुपये किलो के भाव मिल पाते हैं। इसकी वजह से किसान की न केवल मेहनत मटियामेट हो जाती है, बल्कि उस किसान को खुदाई या माल ढुलाई का पैसा भी ठीक से नहीं मिल पाता। इसलिए उस इलाके के जो किसान हैं, जो प्याज पैदा करते हैं, उनकी आर्थिक बदहाली, बरबादी की स्थिति है। दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार ने प्याज पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार भारत सरकार से पत्राचार करके लिखे कि विदेश में भेजने पर, जो निर्यात पर पाबंदी है, उस पाबंदी को हटाया जाय। जब तक पाबंदी नहीं हटती है, तब तक हमारी राजस्थान सरकार 'बाजार हस्तक्षेप योजना' एक स्कीम बनी हुई है, ये मेरा नया सुझाव नहीं है सरकार किसानों को बचाने के लिए 'बाजार हस्तक्षेप योजना' के अन्तर्गत प्याज खरीदना शुरू करे जिससे वहां के किसानों को बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री पेमाराम (धोद): इसी के साथ एक निवेदन और है। प्याज भण्डारण के लिए गत सेशन में हमारे माननीय मंत्री महोदय, जो हमारे बीच में विराजे हुए हैं, इन्होंने घोषणा की थी। हमारे सीकर जिले में वहां के सैकड़ों किसानों ने प्याज भण्डारण का आवेदन भी कर रखा है कृषि विभाग में और भण्डारण गृह भी बना लिये हैं लेकिन इनका जो नक्शा है, यह दूसरे प्रान्त से उठाकर लाये हैं जहां पर न भारी बरसात होती है और न भारी आंधी-तूफान आते हैं। हमारे यहां आंधी भी आती है, तूफान भी आते हैं, भारी बरसात भी होती है। इस वजह से उस मैप में तब्दीली कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें आप।

श्री पेमाराम (धोद): सीकर में सैकड़ों भण्डारण गृह के जो आवेदन हैं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा हमारे बीच में मंत्रीजी हैं, अभी एक-दो किसानों को ही दे पाये हैं, 12 महीने हो गये। मेरा निवेदन है राजस्थान की सरकार से कि यदि कोई किसान अपने प्याज को अपने भण्डारण गृह में रखना चाहे महीने भर तो सरकार इमदाद करे। जब सरकार ने घोषणा की है तो जो विचाराधीन पत्रावलियां हैं, उनके लिए तो मंत्रीजी यहां कहें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी को मैं रोकता नहीं हूं, विराजिए। अब मंत्रीजी भी उसी इलाके के हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय इसी सदन में इन्हीं माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया था, उसी समय मैंने यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार यदि किसान अपने खेत में प्याज भण्डारण का गोदाम बनायें तो उसमें सब्सिडी देगी। उससे पहले शुरुआत में सब्सिडी एक लाख में 50 हजार थी, बाद में 70 हजार कर दी गयी। बाकी सारे क्षेत्रों में ये प्याज के गोदाम बनें, लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्र में बनाने नहीं दिये कि यह तो नक्शा दूसरा है, हम हमारा नक्शा ही बनाएंगे, वह करेंगे, यह करेंगे। यों सैकड़ों काश्तकारों की, करीब 700 काश्तकारों की फाइलें सैंक्शन की हुई पड़ी हैं, इन्होंने बनाने ही नहीं दिया। दूसरी बात, प्याज गोदाम में, एक भी बने हुए किसी गोदाम की सब्सिडी का भुगतान आज की तारीख में बकाया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पेमारामजी, विराजिए आप। माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया।

बाबा की बार बांध, सागवाड़ा (डूंगरपुर) की नौका दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख एक मानवीय पहलू सदन के बीच में रखना चाह रहा हूं। यह घटना पिछली 10 तारीख है, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उप खण्ड में बार के बांध में एक नाव दुर्घटना हुई। इसमें जो बच्चे सारे के सारे जा रहे थे और जिनकी मृत्यु हुई है, उनमें सुनीता 14 वर्ष की है, सुशीला 17 वर्ष की है, सिंगा 12 वर्ष की है, अनिता 13 वर्ष की है, अल्पा 11 वर्ष की है, कपिला 18 वर्ष की है और एक लड़का कल्पेश 11 वर्ष का है। इस नाव दुर्घटना में कुल 7 बच्चों की मौत हुई जिनमें 6 बच्चियां थीं और 11 बच्चे तैरकर बाहर निकल गए। ये सारे बच्चे जा कहां रहे थे, ये ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जा रहे थे।

अब अगर सरकार और हम सब रोज इतनी चिंता करते हैं कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए, इतनी वहां वालंटरी इंस्टिट्यूशंस बनी हुई हैं जो बाहर के पैसों से वर्षों से अपना गुजारा कर रही हैं। उसके बाद ये बच्चे जाएं और नाव दुर्घटना हो जाए यह दु:ख की बात है। दु:ख तो इस बात का है कि नाव भी अगर व्यवस्थित नाव होती और उसमें दुर्घटना होती तो समझ में आ सकता है लेकिन यह नाव भी ऐसी नाव थी जो मछलियां पकड़ने की नाव होती है जिसकी कैपेसिटी 3 या 4 से ज्यादा की नहीं होती है। उसमें 18 बच्चों को बिठाकर भट्टे पर ले जाने का जो काम चल रहा था, उसके तहत इन बच्चों की मृत्यु हुई है। ये सारे के सारे बच्चे बंजारा जाति के लोग हैं। इसमें भी आपको आश्चर्य होगा कि इन सात में से छह बच्चियां हैं और ये निश्चित रूप से अपने परिवार को मदद करने की दृष्टि से इस प्रकार के काम में लगाई गईं जहां उनको मजदूरी मिलती थी और अपने परिवार को सहयोग करती थीं।

यहां केवल यह है कि हमारी सरकार की तरफ से 20-20 हजार रुपये दे दिये, यह समस्या का हल नहीं है। इसके हम पेंदे में नहीं जा रहे हैं कि यह हमारे क्षेत्र की तीसरी घटना है। एक घटना तो जिस समय हम स्वयं सरकार में थे और मैं स्वयं शिक्षा मंत्री था, उस समय 25 सितम्बर, 1997 की घटना है जो रामछोरा से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ आनंदपुरी की ओर खेलने जा रहे थे और उसमें 8 बच्चे एक ही समाज के डूबकर मर गए। उस समय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी यह विषय खड़ा हुआ था कि आखिर इस नाव का लाइसेंस है या नहीं है? और यह इल्लीगल नाव क्यों चल रही है? और अगर यह चल रही है तो परिवहन विभाग ने अपने मापदण्ड के अनुसार इसको सर्टिफाई कर रखा है या नहीं कर रखा है। उस समय भी जांच हुई, जांच होकर छोटा-मोटा दण्ड देना है, दे दिया; काम खतम हो गया। यह 1997 का मामला है। उसके बाद फिर देवला गांव में 12.6.2006 को फिर इसी प्रकार से उदयपुर के राठौड़ा गांव से सोमेश्वर मंदिर की ओर जाने वाले लोग हैं, इसमें भी 8 लोगों की मृत्यु हुई। पहली घटना में 8, दूसरी घटना में फिर 8 और तीसरी घटना में ये 7 बच्चे जिनमें से 6 बच्चियां थीं, उनकी मृत्यु हुई।

यह मेरा विषय उठाने का सवाल इस बात का है कि आखिर बाल श्रमिकों को यह भट्टे वाला कैसे मजदूरी दे रहा था? सरकार और प्रशासन को किसी को आंख से दिखता भी नहीं है क्या? पहली बात तो यह है कि जितने भट्टे चल रहे हैं इन तालाबों के किनारे, क्या वे अधिकृत भठ्टे हैं? क्या स्वीकृति लेकर के ये भट्टे चलाए जा रहे हैं? और अगर भट्टे चलाए जा रहे हैं तो आपके डिपार्टमेंट का व्यक्ति कभी जाकर के यह देखता तो है कि ये बाल श्रमिकों का दुरुपयोग करके एक तरह से कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है? इसके बारे में भी किसी ने देखने का प्रयास नहीं किया।

वहां सामान्यतया छोटे डिस्टेंस को पार करने के लिए नाव का प्रयोग होता है। लेकिन नाव का प्रयोग, गलियाकोट का हादसा होने के बाद वहां तो जरूर अधिकृत रूप से नाव चलती है, बाकी जगह पर आज भी अनाधिकृत रूप से नाव चल रही हैं। वो नाव भी जो मछलियां पकड़ने वाली नाव होती हैं जिनके अन्दर कैपेसिटी नहीं होती, उनमें बिठा-बिठा कर लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। सरकार का विभाग क्या सो रहा है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट सो रहा है? उसमें केवल आपने उनको पकड़ लिया, वे आज जेल में हैं, वह तो अपनी जगह है, वह अपना दंड अपनी जगह भुगतेंगे लेकिन उनको गिरफ्तार करने से जिनके परिवार के बच्चे गए हैं, उनकी खानापूर्ति हो जाएगी? विभाग क्या कर रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? वहां का पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आपका श्रम विभाग क्या कर रहा है? ये अनाधिकृत नावें अगर चल रही हैं तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? मरने वाला जिम्मेदार है या देखने वाला जिम्मेदार है? या विभाग का भी कोई नैतिक दायित्व है या नहीं है?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसमें आपने 20 हजार रुपये दे दिए, सरकार तो देती है क्योंकि एक्सीडेंट में तुरंत मरा है। 20 हजार आपने दे दिये, आपके एम पी साहब ने, सबने जाकर 20 हजार दे दिए। इससे उन लोगों को क्या तकलीफ हुई जो भट्टा लगाकर के उन मजदूरों को ला रहे हैं? उनसे पेमेंट कराओ। केवल जेल जाने से काम नहीं बनेगा।

निश्चित रूप से इसमें दोनों अधिकारी चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी व्यक्ति वहां हो, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। चाहे 2-2 हजार करें, 4-4 हजार ठहराओ पर यह नहीं हो सकता कि मरने वाला मर जाए और डिपार्टमेंट का कोई जिम्मा नहीं। हमने इसको पकड़ लिया, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया यह दिखाने के लिए हो सकता है लेकिन व्यवस्था सुधारने के लिए जब तक स्वयं को नुकसान नहीं होगा और जब तक उसको कष्ट नहीं होगा, तब तक यह व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मैं इस माध्यम से चाहता हूं कि उस गरीब परिवार को भट्टे के मालिक से भी आप हर्जाना वसूल करके चुकाओ।

वह सरकारी आपका जो परिवहन विभाग है, जो इसका लाइसेंस देता है, उसने निगरानी नहीं की। उसी एरिया में यह तीसरी घटना है जिसकी वजह से 23 लोग अब तक इन वर्षों में मर चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी एक जगह नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि गलियाकोट में तो एक स्थान मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा कि इधर से उधर पार करने के लिए ड्रम बांध रखे हैं और ड्रम पर एक रस्सी बंधी हुई है; जब लोगों को पार होना होता है तो अपने सारे कपड़े हाथ में लेकर के ऊंचा कर लेते हैं और उस रस्सी को पकड़-पकड़ कर इधर से उधर पार करते हैं। आपकी आंखें हैं क्या? अगर इतना होने के बाद भी इस व्यवस्था से वहां का जन-जीवन चल रहा है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम इसका क्या इलाज करें और क्या इलाज नहीं करें?

अगर आपके और मेरे परिवार से यह डैथ होती न, तो आपको और हमको इसका दुःख, अहसास जिंदगी भर होता। लेकिन चूंकि गरीब बंजारा परिवार के हैं, गरीब आदिवासी बच्चे हैं, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। अगर यही कहीं और जगह होता, चाहे उदयपुर में घटना हो जाती तो तूफान हो जाता, आप एक-एक लाख, 2-2 लाख रुपया देकर के राज़ी करते, पर चूंकि वह गरीब है, बोल नहीं सकता है, उनकी जुबान में दम नहीं है, न उनके लिए कोई खड़ा होकर पैरवी करने वाला है, इसलिए सरकार 20 हजार रुपये बस देने का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होता है, वह देकर निपटा दिया। गरीब आदमी को 20 हजार रुपये भी बहुत बड़ी चीज लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और वह इसी से संतुष्ट हो गया लेकिन क्या हमारा और आपका यह कर्त्तव्य पूरा हो गया?

इस घटना के बाद, इस प्रकार के कृत्य के बाद, मैं चाहता हूं कि उस भट्टे वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अपनी जगह हो, पुलिस मुकदमा दर्ज हो लेकिन उस भट्टे वाले से भी यह जो बाल श्रमिकों को लगाकर जिस प्रकार से उनका शोषण कर रहा था उसके खिलाफ निश्चित रूप से किसी प्रकार का आर्थिक दण्ड भी उस पर लगायें ताकि उसको ठीक समझ में आए। इसके अलावा, दोनों विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट जिसको दिखता नहीं और परिवहन विभाग जिसको लाइसेंस देना चाहिए, इन दोनों विभागों के अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं होगी तो मैं ऐसा मानूंगा कि यह न्याय और सारी विधान सभा केवल बड़े पूंजीपतियों के लिए है और गरीबों के कष्ट को समझने के लिए यहां किसी व्यक्ति की अन्दर की इंसानियत बोलती नहीं है। इसके कारण से उसकी वाणी पर आज तक नहीं है। यह 10 तारीख की घटना है और आज 16 तारीख को बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं। वहां के जन-प्रतिनिधि आते हैं, एम एल ए भी आते हैं जिनके क्षेत्र में हुआ, उनका दायित्व नहीं है कि वे वहां पर हुई इस घटना के बारे में कहकर उन गरीब परिवारों को मदद करायें? क्या इसके लिए भी दूर-दराज के व्यक्ति को इसका पता करके बोलना पड़े? हमारा भी तो कोई नैतिक दायित्व होना चाहिए। हमारी पार्टी अलग-अलग हो सकती है लेकिन जनता से जुडा हुआ विषय था, जनता से जुडे हुए वहां के प्रतिनिधि को उनको क्या मदद की जाए और क्या नहीं की जाए, यह निश्चित रूप से बोलना चाहिए। अगर राजनीति इतनी गिर गई है तो मुझे लगता है कि शायद हम सब लोग एक तरह से लोकतंत्र का तमाशा बनते जा रहे हैं।

मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि राज में वे कर्मचारी जिन्होंने अनदेखी करके इस इल्लीगल नाव का संचालन होने दिया, वे पुलिस अधिकारी जिन्होंने इसके बारे में समय रहते इनको रोका-टोका नहीं और वह भट्टा वाला जिसके भट्टे का लाइसेंस है या नहीं है, इल्लीगल भट्टा चलाकर इन बाल श्रमिकों के आधार पर अपना पैसा कमाकर करोड़पति बन रहा है और उस गरीब का चूल्हा भी दोनों टाइम नहीं जल पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है। यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली। 295, श्री ग्यारसारामजी कोली का नाम पुकारा है।

श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, मैं एक मिनट बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ग्यारसाराम जी, एक मिनट। उनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है। (व्यवधान) यही मामला है, साथ-साथ आ जाएगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दर्दनाक हादसा हुआ, हमारी राजस्थान सरकार ने बहुत ही त्वरित गति से इस पर कार्यवाही की है। उन बच्चों को निकालने का काम, अस्पताल पहुंचाने का काम, इसके बाद मुख्य मंत्री सहायता कोष से तत्काल मौके पर 20-20 हजार रुपये दिए गए और दूसरे रोज...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, बोलने दीजिये आप। इसके बाद...

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये आप। केवल माननीय सदस्य का अंकित होगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा): ...जो पांच बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उनका जो बीमा था, एक-एक लाख रुपये की सहायता उनके परिवारों को संवेदनास्वरूप दी गई है। जहां तक ईंट-भट्टे का काम है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अभी यह जवाब में आता है, मंत्रीजी बोल रहे हैं अभी। माननीय, आप उनको कम्प्लीट करने दो।

श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा): माननीय सदस्य, परसों ही एक-एक लाख रुपये दे दिये गये हैं और हमने मुख्य मंत्रीजी से मांग की है कि मुख्य मंत्री सहायता कोष से जो इनको यह राशि दी गई है, इसको एक लाख रुपये का हमने निवेदन किया है। तो हमारी तरफ से हमने कोई कमी नहीं रखी है। जहां तक ईंट-भट्टों का प्रश्न है, ईंट-भट्टे के मालिक का प्रश्न है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी, आप कुछ बोल रहे थे। या हो गई बात? प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। माननीय श्री ग्यारसाराम कोली।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बयाना के कस्बा उच्चैन को तहसील व रूदावल को उप तहसील बनाना

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र बयाना से आता हूं, उसमें दो तहसीलें बयाना एवं रूपवास आती हैं। तहसील रूपवास क्षेत्र के हिसाब से बड़ी है। इसमें दो अन्य कस्बे, उच्चैन जो उप-तहसील है, एवं रूदावल गिरदावर मुख्यालय हैं। राजस्व विभाग की सुविधाएं कृषकों को आसानी से मिलें एवं अपना समय बरबाद न हो, की दृष्टि से इस समय उच्चैन को तहसील का दर्जा दिलाने हेतु लगभग छह माह से धरना चल रहा है। साथ ही रूदावल को उप-तहसील बनाने की मांग बराबर आम जनता द्वारा एवं मेरे द्वारा प्रश्नों के माध्यम से उठती रही है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट 2012-2013 में इनको शामिल नहीं किया है। अभी समय है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी उच्चैन को तहसील एवं रूदावल को उप-तहसील का दर्जा दिये जाने की मेरी मांग पर आम जनता की सुविधानुसार गौर फरमाकर उच्चैन को तहसील एवं रूदावल को उप-तहसील बनाने की घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

कृषि कनेक्शन नीति की विसंगतियों को दूर कर कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाना

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण 2011-2012 में घोषणा की थी कि इस वित्तीय वर्ष में 65,000 कृषि कनेक्शन जारी किये जायेंगे। घोषणा के बाद किसानों को दो चरणों में कनेक्शन जारी करने का आश्वासन दिया गया था। पहले चरण में 15 मई से 16 अगस्त, 2011 तक (जनवरी से सितम्बर तक जारी सभी डिमांड नोटिस) और दूसरे चरण में 15 अक्टूबर से 15 जनवरी, 2012 तक (अक्टूबर से दिसम्बर तक जारी डिमांड नोटिस) कनेक्शन जारी किये जाने थे। पहले चरण में तीनों विद्युत निगमों ने डिमांड नोटिस जारी कर

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

दिये। पहले चरण में जारी डिमांड नोटिसों के आधार पर करीब 73,000 डिमांड नोटिसों का पैसा जमा हो गया। कृषि कनेक्शन के लिए अनुमान से अधिक डिमांड नोटिसों का पैसा जमा होने के बाद सरकार ने किसानों को दूसरे चरण में मिलने वाले 25,000 कनेक्शनों पर रोक लगा दी। रोक लगाने का कारण यह बताया गया कि कृषि कनेक्शनों के लिए प्रदेश में ढाई लाख विद्युत पोलों की कमी है। विद्युत निगमों ने पोल देने वाली कम्पनियों को पिछले चार माह से पैसा नहीं दिया है। सरकार की नीति के तहत इस वित्तीय वर्ष में 65,000 कृषि कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित थे जबकि प्रथम चरण में ही 73,000 डिमांड नोटिसों का पैसा जमा हो चुका है। दूसरे चरण के 25,000 कनेक्शन पर रोक लगा देने के कारण हजारों किसानों के सामने अपनी फसल को लेकर संकट पैदा हो गया है।

बिजली मंत्रीजी ने वर्ष 2013 में राज्य ऊर्जा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का आश्वासन देते हुए विद्युत कनेक्शन का आवेदन करने के एक महीने के अन्दर कनेक्शन दे दिये जाने की घोषणा की है। विद्युत निगमों का अदूरदर्शितापूर्ण फीडबैक सरकार के लिए समस्या बन गया है। मेरी मांग है कि कृषि बिजली कनेक्शन नीति में विसंगतियों को दूर कर आवेदकों को कृषि बिजली कनेक्शन शीघ्र दिलाये जायें ताकि किसानों को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री जीवारामजी चौधरी।

सांचोर तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जाति/जनजाति बालिका छात्रावास खोलना

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सांचोर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास खोलने के लिए मैं पिछले कई सालों से सरकार के ध्यान में ला रहा हूं मगर इसके अभाव में अभी तक वहां पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बालिकाओं को पढ़ाई करने एवं उनका भविष्य बनाने के लिए काफी परेशानी होती है। सांचोर तहसील मुख्यालय है एवं क्योंकि नई तहसील चितलवाणा जो कि सांचोर से 32 किलोमीटर दूर पड़ती है, सभी दूर-दराज के गांवों की बालिकाओं को सीनियर सैकण्डरी तक की पढ़ाई के लिए सांचोर आना पड़ता है, मगर वहां पर उनके

(श्री जीवाराम चौधरी)

रहने की व्यवस्था नहीं होने से हमारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। अत: सरकार से अनुरोध है कि इसको अति गम्भीर मानकर तहसील मुख्यालय पर एक बालिका छात्रावास खोलने की अनुमति प्रदान करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती कमला कस्वां।

सादुलपुर की खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत करवाया जाना

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़-तारानगर-सरदारशहर सीमा से न्यांगल बड़ी, न्यांगल छोटी-ग्वालीसर, सिद्धमुख-सिवानी, राजगढ़-बहल, गोठ्यां बड़ी-चूरू (एन.एच. 65), चांदगोठी-सुलखनियां, रामपुरी बेरी-हरियाणा सीमा, राजगढ़-भादरा, पिलानी-नूहन्द एवं बूंगी-लीलकी, इत्यादि सड़कों की हालत अत्यन्त खराब है। इन सड़कों पर वाहनों का चलना तो दूर की बात है, ऊंटगाड़ा, पशु एवं राहगीर भी सड़कों पर बने गहरे एवं खतरनाक गड्ढों से अपने आपको नहीं बचा पाते हैं एवं उनका गुजरना बहुत ही कष्टप्रद बना हुआ है। इनकी मरम्मत हेतु मैंने कई बार सरकार का ध्यान तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से आकर्षित किया है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

अत: मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की उपरोक्त खस्ता हाल सड़कों की अविलम्ब मरम्मत कराने के प्रभावी आदेश करवायें ताकि आमजन को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीया श्रीमती गोलमा देवी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री भगवान सहाय सैनी।

चौमूं कस्बे की जल योजना को बीसलपुर-जयपुर जल योजना से जोड़ा जाना

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं चौमूं कस्बे को बीसलपुर

(श्री भगवान सहाय सैनी)
पेयजल योजना से जोड़े जाने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के चौमूं कस्बे की आबादी एक लाख के करीब पहुंचने वाली है। चौमूं कस्बे के 50 प्रतिशत भू-भाग में जलस्रोत ड्राई हो गये हैं एवं वर्तमान में जो ट्यूबवैल चल रहे हैं, उनका जलस्रोत भी 50 प्रतिशत रह गया है। कस्बे की जलापूर्ति चरमरा गई है। आने वाले समय में गम्भीर समस्या उत्पन्न होने वाली है।

जब तक चौमूं कस्बे की जल योजना के लिए बाहर से पानी लाने की योजना स्वीकृत नहीं की जायेगी, तब तक कस्बे की जल व्यवस्था का समाधान नहीं हो पायेगा। यदि चौमूं जल योजना को बीसलपुर जयपुर जल योजना से जोड़ दिया जाये तो समस्या का समाधान हो जायेगा। बीसलपुर जयपुर जल योजना को विश्वकर्मा जयपुर तक लाने का प्रावधान है, जहां से चौमूं कस्बा केवल 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस प्रकार 20 किलोमीटर पाइप लाइन डालकर चौमूं जल योजना को बीसलपुर से जोड़ना न्यायसंगत होगा।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत चौमूं कस्बे की जल योजना को बीसलपुर जयपुर जल योजना से जुड़वाने की स्वीकृति हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना देता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कानसिंह कोटड़ी।

सिवाना की सड़कों का सुदृढ़ीकरण

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये विधान सभा क्षेत्र सिवाना की महत्वपूर्ण सड़कों को सुधारने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

मैं राजस्थान सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में एक राजस्व गांव से दूसरे राजस्व गांव में आवागमन हेतु मिसिंग लिंक डामर सड़क से नहीं जुड़ने के कारण इन मार्गों पर आवागमन मुश्किल हो रहा है। कई बार तो इन मार्गों पर आकस्मिक दुर्घटनाएं भी हुई हैं। यदि इन सड़कों को मिसिंग लिंक डामर सड़क के माध्यम से जोड़ा जाता है तो इस क्षेत्र में प्रतिदिन

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु मरीजों व अन्य यात्रियों को सुविधा होगी एवं समय भी कम लगेगा। ये मिसिंग लिंक सड़कें डामरीकृत नहीं होने के कारण आम जनता को काफी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये मिसिंग लिंक सड़कें डामरीकृत नहीं होने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं एवं अव्यवस्थाएं के चलते प्रेस, समाचार-पत्रों की सुर्खियां बनी रहती हैं।

इन सभी स्थितियों को देखते हुए :-

(1)	डीडस से युगतारी पाली जिला सीमा तक	3 किमी.
(2)	सरवड़ी से भवरानी जालौर जिला सीमा तक	6 किमी.
(3)	खण्डप से रायथल जालौर जिला सीमा तक	6 किमी.
(4)	मोतीसरा से रायथल जालौर जिला सीमा तक	6 किमी.
(5)	रमणीया से रायथल जालौर जिला सीमा तक	6 किमी.
(6)	चिरड़िया से उतेसर जोधपुर जिला सीमा तक	4 किमी.
(7)	कांसी से बावतरा जालौर जिला सीमा तक	7 किमी.
(8)	मोतीसरा से भवरानी जालौर जिला सीमा तक	5 किमी.
(9)	पऊ से ढालू जालौर जिला सीमा तक	7 किमी.
(10)	कांखी से उम्मेदाबाद जालौर जिला सीमा तक	7 किमी.
(11)	कांखी से एलाणा जालौर जिला सीमा तक	12 किमी.
(12)	तेलवाड़ा गांव से जालौर जिला सीमा तक	1.5 किमी.
(13)	भाटा से सिरोणा जालौर जिला सीमा तक	4 किमी.

उपरोक्त राजस्व गांवों को मिसिंग लिंक डामर सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान करवाकर जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री फूलचन्दजी भिण्डा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 व 11 की अधिगृहित भूमि का काश्तकारों को उचित मुआवजा

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्षजी, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग 8 को विस्तारित कर फोर लेन से 6 लेन का तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 को दो लेन से फोर लेन बनाया जा रहा है। जयपुर से सीकर एवं दिल्ली से जयपुर तक का

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

मार्ग निर्माणाधीन है तथा कार्य प्रगति पर है। परन्तु अभी तक भी भू-धारियों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसमें विभिन्न माध्यमों से संगठन प्रतिवेदन एवं प्रतिनिधि मण्डल, सभा, आन्दोलन करके जयपुर से दिल्ली तक प्रयास कर चुके परन्तु अधिग्रहण अधिकारी निर्माण कम्पनियों के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुआवजों की दरों में अधिग्रहण अधिकारी मनमाने तरीके से मुआवजा तय कर रहे हैं। भू-धारक जब भूमि बेचता है तब कृषि भूमि का पंजीयन शुल्क सड़कों की नजदीकता के आधार पर डी एल सी दरों के मद्देनजर तय की जाता है, बिना मुआवजा किस्म परिवर्तन करते समय कुछ रिजर्व भूमि रखी जाती है, पेराफेरी के नाम पर ज्यादा दर से वसूली करती है, परन्तु उसी भूमि को जब भूमिधारी से अधिग्रहित किया जाता है तो सामान्य कृषि भूमि दर का मुआवजा दिया जा रहा है, कितना अन्याय एवं भेदभावपूर्ण है।

पूरी परियोजना में हरियाणा में अलग दर और राजस्थान में अलग दर जबकि एक परियोजना, एक उद्देश्य, एक कम्पनी, एक तरह की निर्माण सामग्री फिर राजस्थान के भू-धारियों को बहुत कम मुआवजा, हरियाणा में तिगुना-चौगुना मुआवजा। सरकार ने ईमानदारी से कभी प्रयास नहीं किये। राजस्थान में आज तक नयी अधिग्रहण नीति एवं अधिनियम नहीं बनाया गया। पक्के निर्माण का मुआवजा देते समय तो सारी ही हदें पार कर दीं। विभिन्न राज्यों के अधिनियमों एवं केन्द्र के कानून में पक्के निर्माण का मुआवजा, बिजली, पानी सुविधा व धन्धे की क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है, परन्तु राजस्थान में भूधारियों को कुछ भी नहीं किया जा रहा है। साथ ही भवन का मुआवजा, किसी को उसी भूमि का मुआवजा और किसी को..., कैसी विसंगति है।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से इस सरकार को चेताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बंगाल की स्थिति से बचने के लिए सरकार शीघ्र अधिग्रहण अधिकारियों को बदले तथा नये सिरे से हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा प्रस्तावित केन्द्रीय कानून के अनुरूप नये दिशा निर्देश जारी कर किसानों एवं भू-धारियों को हो रहे अन्याय एवं भेदभाव से बचाकर विभिन्न प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के प्रकाश में मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करावे तथा उत्तर प्रदेश एवं बंगाल बनने से बचाया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कालीचरण सराफ। माननीय श्री कालीचरणजी सराफ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनपुस्थित)

माननीया श्रीमती सूर्यकांताजी व्यास।

सूरसागर की कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं पट्टे जारी करने की आवश्यकता

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं नियमन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सरकार का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में बसी हुई समाज के निर्धन और वंचित वर्ग की बहुलता वाली 125 से अधिक कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं नियमन प्रक्रिया पूर्ण कर पट्टे जारी करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरा निवेदन है कि :

1. क्षेत्र की संतोषपुरा जैसी कच्ची बस्तियों, जो कि दशकों से आबाद हैं, जिनका अनेकों बार सर्वे हो चुका है, जहां दादा के निवास के बाद उसी जगह पोतों के ब्याह होकर तीन पीढ़ियों ने निरन्तर निवास किया है, ऐसी सभी कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी किये जावें।

2. सूंथला, भट्टी बावड़ी, चांदणा भाकर, प्रताप नगर, सूरसागर उत्खनन क्षेत्र, रावटी, चांदपोल, कबीर नगर, राजबाग, चौपासनी, आदि क्षेत्रों में आबाद सभी कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं यथा सड़क, सीवरेज, पानी, बिजली, विद्यालय, डिस्पेंसरी, सार्वजनिक विद्युतिकरण, श्मशान सहित अन्य सामुदायिक सुविधाओं का विकास करवाया जावे।

3. क्षेत्र की वे कच्ची बस्तियां जो वन भूमि पर दशकों से आबाद हैं, जहां सर्वे हो चुका है, अनेक मूलभूत सुविधाओं का विकास हो चुका है और उस भूमि पर अब वन विकसित करना सम्भव नहीं है, ऐसी बस्तियों के नियम के लिए, बस्ती क्षेत्रफल के बराबर माप की अन्य स्थानों पर स्थित रिक्त सरकारी भूमि को वन विभाग को देकर, कच्ची बस्तियों का नियमन किया जावे।

4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में रहने वाले समाज के वंचित एवं कमजोर वर्ग तक पहुंचाने के लिए बस्तियों में ही विभागीय योजनाओं के शिविर लगाये जावें। इस हेतु मैंने दो दर्जन से अधिक पत्र लिखे हैं, पूरा कार्यक्रम तक विभाग ने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तय कर दिया था परन्तु स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की अनिच्छा के चलते यह कार्य क्रियान्वित नहीं हो रहा।

5. क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में नशा मुक्ति जाग्रति अभियान चलाया जावे।

6. क्षेत्र की महिलाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विभिन्न हस्तकलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जावें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती चन्द्रकांताजी मेघवाल।

रामगंजमण्डी (कोटा) के राजमार्ग संख्या-12 स्थित बड़े कस्बों में बस अड्डों का निर्माण

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र विश्व में धनिया मण्डी व कोटा स्टोन के लिए विश्वविख्यात है। यहां पर पूरे भारत वर्ष से लोग धनिया व कोटा स्टोन की ट्रेडिंग करने आते हैं। ये सम्पूर्ण खनन क्षेत्र है यहां पर मजदूर वर्ग ज्यादा निवास करता है। मध्यमवर्गीय व मजदूर वर्गों की जनता के लिए मात्र बस ही आवागमन हेतु सुविधा है। इस क्षेत्र में 7 बड़े कस्बे हैं जिसमें रामगंजमण्डी, मोडक, चेचट, सुकेत, सात खेड़ी, जुलमी व ढाबादेह नेशनल हाइवे नं. 12 पर स्थित हैं। उक्त सभी कस्बों में निगम का एक भी बस स्टैण्ड नहीं होने के कारण क्षेत्र के गरीब तबके के लोगों को यात्रा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निगम द्वारा संचालित बसें स्थायी बस स्टैण्ड नहीं होने के कारण मनचाही जगह पर रुक कर चली जाती हैं व यात्रीगण देखते रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में न तो बस सेवा का यात्रियों को लाभ मिल पा रहा है और न ही निगम को आय प्राप्त हो रही है।

अत: मेरा निवेदन है कि उक्त सभी कस्बों में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराकर स्थायी बस स्टैण्ड बनाने हेतु उचित राशि का आबंटन कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: परची। माननीय श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पाली स्थित बी पी एल आशयित भगत सिंह आवास योजना के शेष आवासों का आबंटन

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार एक ओर तो अपने आप को गरीबों और कमजोर वर्ग की हितैषी सरकार बताती है और इस बात का ढिंढोरा पीटने में भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ती है कि हमने गरीब, असहाय और कमजोर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया। एक के बाद एक नई योजना की घोषणा गरीब के लिए...

श्री उपाध्यक्ष: यह शहीद भगत सिंह तक रहो न आप तो। ये परची है, परची है, पारखजी यह।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरी बात तो सुनो, वहीं पर आ रहा हूं मैं। परची उसी की है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मेरा एक अर्ज सुनिये, आप एक मिनट विराजिए। जो आपका उद्देश्य है, वह कैसे रहे; उसके बाद करिये कोई बात करना है तो। आप तो शुरुआत ही उसी से।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हां, तो वही तो बात कर रहा हूं, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली शहर के गरीबों के साथ वहां पर नगर परिषद ने जो मजाक किया और उनकी उम्मीदों पर जो पानी फेरा, वह सदन के लिए सोचनीय विषय है। एक तरफ मुख्य मंत्रीजी गरीबों के लिए नि:शुल्क बी पी एल आवास योजना, मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी स्कीम और अब शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य मंत्री शहरी बी पी एल आवास योजना की घोषणा यहां सदन में करते हैं और दूसरी तरफ नगर परिषद, पाली जिसके पास केन्द्र सरकार की राशि से चयनित परिवारों को 1,308 मकान बनकर, तैयार सहित, भगतसिंह आवास योजना में जो आप पढ़ रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी वे मकान उन ग़रीबों को देने के लिए तैयार नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2009 में भारत सरकार ने शहर में रहने वाले ऐसे बी पी एल परिवार जिनका अपना मकान नहीं है, उनका अपना

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आवास हो जाए, इस उद्देश्य से 1,308 मकान बनाने की बहुत बड़ी राशि नगर परिषद, पाली को दी। इसमें 80 प्रतिशत हिस्सा राशि भारत सरकार की है, जो मकान की लागत आती है, उसकी; 10 प्रतिशत हिस्सा राशि स्थानीय निकाय की है; और शेष 10 परसेंट उस गरीब से वसूल किया जाना था जिसको यह मकान मिलना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषद ने चूंकि बहुत अच्छी योजना है, अख़बारों के जरिए विज्ञप्ति जारी की कि हम गरीबों को मकान देंगे, इतनी कम दर पर देंगे, आप आवेदन करें। उस गरीब ने अख़बार पढ़ा और उसको उम्मीद जगी कि मेरा अपना मकान होगा, चाहे छोटा होगा, एक कमरे का होगा लेकिन मेरा अपना मकान होगा और उसने नगर परिषद, पाली में जो निर्धारित राशि है आवेदन शुल्क की, वह निर्धारित समय पर जमा करवा दी। किसी गरीब के पास पैसे नहीं थे तो वह कहीं से उधार लाकर भी, ज्यादा ब्याज पर उधार लाकर भी उसने यह राशि नगर परिषद कार्यालय में जमा करा दी कि मेरा अपना मकान हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1,308 मकान, आवेदन आए मात्र 864 मतलब जितने आवेदक थे, सबको मकान दिया जा सकता था, उसके बाद भी लगभग 500 मकान नगर परिषद, पाली के पास बचते परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लाटरी से मकान देंगे, सितम्बर, 2009 में लाटरी निकाली, 482 लोगों का लाटरी में उनका नाम निकाल दिया और उस समय यह कहकर लाटरी रोक दी कि शेष मकान हम बाद में आबंटित करेंगे, आप दो महीने बाद आना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय रोकने का कोई कारण किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया कि यह बाद में निकालेंगे। चूंकि उस समय नगर परिषद के चुनाव सिर पर थे, सितम्बर की बात है 2009 की और दिसम्बर में चुनाव होने थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तीन-चार महीने बीत गए, जिन लोगों का लाटरी में मकान नहीं निकला, जिनकी राशि नगर परिषद कार्यालय में जमा थी, वे परिषद कार्यालय पहुंचे अपने मकान के लिए और जब अधिकारी/कर्मचारियों से बात की तो जवाब मिला कि आप अपात्र हो इस मकान को पाने के लिए, इसलिए आपको ये मकान नहीं दिये जा सकते। कारण पूछा उन्होंने कि हम अपात्र क्यों हैं? कारण बताने के लिए नगर परिषद का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी तैयार नहीं और जो भी आवेदन फार्म है, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि वह अपात्र क्यों है; मात्र लिख दिया, अपात्र।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो मकान दिया और न ही उस गरीब की जो राशि जमा थी पांच हजार रुपए की, जो उसने आवेदन शुल्क के रूप में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नगर परिषद कार्यालय में जमा कराई थी वह उसको लम्बे समय तक नहीं लौटाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार ये गरीब परिवार के लोग नगर परिषद कार्यालय में मिलते रहे लोगों से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से। जिसने ज्यादा तंग किया, उसको मकान देने के बजाय उसकी राशि लौटा दी कि तू तेरा चैक ले जा, तेरे को मकान नहीं मिलेगा। जब 800 मकान अब भी नगर परिषद, पाली के पास बने हुए पड़े हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी सैकड़ों परिवार इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमें बिना कारण अपात्र बताया, हमारी जांच वापस आप करवा दें कि हम किस कारण से अपात्र हैं, उस कारण से हमको संतुष्ट कर दो, पर परिषद कोई कारण बताने को तैयार नहीं है लेकिन साथ में आश्वासन देती है कि हम एक बार वापस सबकी जांच कराएंगे और यदि कोई पात्र होगा तो उसको मकान देंगे। लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी नगर परिषद ने न तो उन आवेदनों की जांच करवाई और न ही किसी को मकान दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है, मंत्रीजी बैठे हैं यहां पर, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी इतने दयालु हैं, गरीबों के लिए तरह-तरह की योजनाएं वे इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को दे रहे हैं, तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि एक आप, आपने जिन परिवारों को अपात्र बताया, ये गम्भीर विषय है, एक बार मेरी बात को गौर से सुन लें, यदि उनको उचित लगे...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, माननीय धारीवालजी, वे आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप तो सुन लें बस, जवाब जरूरी नहीं है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरी माननीय मंत्री महोदय से हाथ जोड़कर विनती है कि...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें, आपने कह दिया, वे जवाब दे रहे हैं। पहले ही दे रहे हैं, आपकी बात उनके ध्यान में है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक मिनट, जिन-जिन परिवारों को अपात्र बताया बिना कारण से, उनकी एक बार वापस आप जांच करवाकर वाकई में यदि किसी का हक बनता है तो मकान तैयार हैं, 800 मकान आपके पास वैसे ही पड़े हैं जो आपको बी पी एल परिवारों को ही देने हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सुन लिया है उन्होंने, गरीब के प्रति सहानुभूति रखी, उसकी बात करना चाहते हैं आप। अब आप विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक तो आप इसके लिए निर्देश करें।

एक और मेरा निवेदन है कि पाली में मंथन टाकीज के पीछे सात भील परिवार बैठे थे जो बी पी एल के हैं, दो साल पहले उन्हें जबरन वहां से बेदखल कर दिया। लाठी चार्ज भी हुआ, टी.वी. में सब जगह न्यूज भी आई, एक अधिकारी को वहां तत्काल ए पी ओ भी किया गया। उस समय उन सात परिवारों को वहां के जिला कलक्टर ने इस बात का आश्वासन दिया था कि आप चूंकि बी पी एल में हो, आपका अपना मकान जो था वे सरकार ने बेदखल कर दिया, तो हम आपको वहां मकान दे देंगे, यहां से उठकर वहां चले जाओ। उन सात परिवारों को, जिला कलक्टर के यहां उसकी फाइल चल रही है, उनको दे दें आप।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, विराजें आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक निवेदन और है। एक 127 गरीब परिवार हैं जिन्हें 1989 में नगर परिषद, पाली में भूखण्ड आबंटित किए थे, अल्प आय वर्ग के लोगों को। भूखण्ड जहां आबंटन किए थे, वहां जमीन थी ही नहीं म्युनिसिपेलिटी की और म्युनिसिपेलिटी ने कार्यालय में बैठकर के पट्टे जारी कर दिए। वे 127 परिवार 23 सालों से म्युनिसिपेलिटी कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। उनके पास आबंटन पत्र है, राशि भी उनकी म्युनिसिपेलिटी में जमा है। ये भी अत्यन्त निर्धन परिवार के लोगों को दिए थे। उन परिवारों को भी चूंकि आपके पास मकान बचे हुए हैं, उन परिवारों को भी आप ये मकान दे दें, ऐसा मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। वे देना चाहे तो दें जवाब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस योजना का माननीय सदस्य जो पाली से पधारते हैं, उन्होंने जिक्र किया है, आई एच एस डी पी, आई एच एस डी पी योजना, समन्वित आवास और स्लम क्लीयरेंस के लिए, मतलब स्लम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जाती है। वे लोग जो ऐसी जगह पर निवास कर रहे हैं जहां पर कि स्लम क्लीयरेंस हो सकता है, जिनका पुनर्वास हो सकता है दूसरी जगह पर, वही लोग इसके लिए एन्टाइटल होते हैं। वह बी पी एल परिवार के भी होने चाहिए और ये भी होने चाहिए, कुल मिलाकर के बात यह है। हर व्यक्ति

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

यह समझे कि आई एच एस डी पी के मकान की पात्रता वह रखता है, तो वह गलत है सोचना, एक बात।

आपने बिलकुल सही कहा कि 1,308 का लक्ष्य था, 1,308 में से 720 मकान पूर्ण हो चुके हैं, 558 जो हैं वे प्रगति पर हैं, 482 की लाटरी निकल चुकी, 270 को कब्जा दिया जा चुका है, 30 पर स्टे है, 28 आबंटन बिलकुल तैयार हैं और सिर्फ 180 आदमी हैं जिनको कि मकान देना शेष है।

अब सवाल यह रहता है, कई बार क्या होता है कि नगरीय निकाय जो है उनको लिखकर के भेजती है कि आप अपना फोटो भेजिए, दस्तावेज भेजिए; वे लोग भेजते नहीं हैं। उसकी वजह से भी काम अटकता रहता है। लेकिन फिर भी आपने यहां पर जो कुछ फरमाया है, वह मैंने नोट किया है और उसके बाबत यथासम्भव जो कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं वह मदद करने का प्रयास करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती अनिताजी भदेल। यह नहीं है, जवाब आ गया है, इसमें क्वेश्चन नहीं होता है। श्रीमती अनिताजी भदेल। केवल अनिता भदेल का होगा। बस अब आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, जवाब दे दिया।

(13.00 बजे)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया उन्होंने, अधिकारियों से बात करके जो सम्भव हो सकेगा, वह करेंगे। श्रीमती अनिताजी भदेल।

अजमेर में ई-मित्र सोसाइटी में नियुक्त एल एस पी द्वारा गबन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से ई-गवर्नेंस के नाम से आम आदमी को सहूलियत हम किस प्रकार से दे पायें, उसके लिए एक योजना प्रारम्भ की गई जिसमें ऐसे बेरोजगार युवक जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, वे कियोस्क के माध्यम से राज्य सरकार की इस ई-मित्र योजना में अपना कियोस्क आबंटित करा करके उसमें जो कमीशन तय किया है सरकार ने, उसको प्राप्त करके एक तरफ तो अपनी रोजी-रोटी का साधन उसको मिले, दूसरी तरफ जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं, चाहे पेयजल हो, चाहे बिजली हो, चाहे नगर निगम से सम्बन्धित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे जाति प्रमाण-पत्र बनाना हो इसके लिए आम जनता को राहत दे सरकार। सरकार की मंशा में कोई खोट

(श्रीमती अनिता भदेल)

नहीं। सरकार की योजना में कोई खोट नहीं लेकिन जिनको इस योजना पर अमल करना है उन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अजमेर में जितनी भी बार राज्य सरकार ने एल एस पी नियुक्त किये, 2005-06 से लेकर के अब तक चार एल एस पी नियुक्त हुए और वे चारों की चारों एल एस पी इस ई-मित्र के माध्यम से लोगों का, विभागों का करोड़ों रुपया लेकर के भाग गये। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से न तो उनसे वह पैसा वसूल कर सके न जिन विभागों को पैसा देना था, चूंकि उनके बिजली के बिल जमा हुए थे, उस विभाग को हम दे सके। इसके विपरीत जो कियोस्क वहां चला रहे थे, उनकी साख में भी कमी आयी क्योंकि लोगों ने वहां पैसा जमा कराया था और उनको बदनामी झेलनी पड़ी।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि ई-मित्र सोसाइटी के माध्यम से जो कियोस्क आबंटित किये जाते हैं, ई-मित्र सोसाइटी में अध्यक्ष जिला कलक्टर होते हैं और उसके सदस्य सचिव वहां के प्रशासनिक अधिकारी ए डी एम बनाये जाते हैं। अब जिस सोसाइटी का अध्यक्ष जिला कलक्टर है, उस जिला कलक्टर के मातहत में नीचे सोसाइटी गबन कर जाए और हमें पता ही न चले, करोड़ों रुपये लेकर के भाग जाए तो यह तो, सरकार की योजना की दुर्गति का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें, अनिताजी। बिलकुल समाप्त करें आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, मैंने शुरू ही किया है अभी तो। आप देखिये...

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची का मतलब होता है, ध्यान में लाना, बस।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ध्यान दिलाना, तो मैं वह ही तो ध्यान दिला रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप लम्बा डिटेल क्यों बोल रही हैं? आप डिटेल मत बोलो। देखिये आपको जो अपनी बात कहनी है कह दीजिये प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, बात कहनी है तो मैं बोल रही हूं।

इसमें जिन दो सोसाइटीज ने, जो दो सोसाइटी अजमेर में काम कर रही हैं जो दो एल एस पी काम कर रही हैं सी एम एस और रायल

(श्रीमती अनिता भदेल)

एंटरप्राइजेज लिमिटेड, उन्होंने घपला किया है। उसके जो संचालक हैं बृजेश शर्मा और सोसाइटी के बीच में कोई एम ओ यू हुआ ही नहीं। जिस सोसाइटी ने कोई एम ओ यू किया ही नहीं उसको उसके बावजूद कैसे काम करने के लिए, कियोस्क आबंटन करने के लिए कर दिया? और जो कियोस्कधारी थे जिन्होंने कियोस्क वहां लगाई थीं, उनकी बैंक गारंटी सीधे ई-मित्र सोसाइटी के नाम से कैसे हो गयी? क्योंकि एल एस पी के माध्यम से वह बैंक गारंटी जमा होनी थी। बैंक गारंटी आपके पास जमा है नहीं, वे लोगों के करोड़ों रुपये लेकर भाग गये, आप उनसे कैसे वसूली करेंगे?

और यह अजमेर में एक उदाहरण नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 लाख रुपये की राशि तो अहमदाबाद की वीरमति कम्पनी लेकर भाग गयी; कोटा की कम्पनी है आर टू आर, वह शहर से पन्द्रह लाख रुपये लेकर के भाग गयी। इसके बाद में दूसरी कम्पनी आयी और वह कम्पनी भी आधा काम छोड़कर बीच में ही भाग गयी और पैसा किसके पास है, यह पता नहीं। आज की तारीख में जो कम्पनी रायल एंटरप्राइजेज काम कर रही है, उसके और सरकार के बीच में, कलक्टर के बीच में क्या एम ओ यू हुआ है, उसकी कितनी प्रतिभूति राशि सरकार में बैंक गारंटी के रूप में जमा है, कुछ पता नहीं है और लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के बिलों में पूरे साल भर की राशि जुड़ कर आयी है और वहां जन-प्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं। वहां पार्षद, जो कांग्रेस के ही पार्षद हैं, आये दिन जनता उनको बहुत बुरी तरह से सुना रही है कि हमने जब पूरा पैसा जमा करा दिया तो फिर ये हमारे बिलों में राशि कैसे जुड़ करके आयी है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्योंकि वह राशि वहां जमा हुई ही नहीं। तो मैं तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यह लापरवाही किस स्तर पर हुई है, यह चूक किस स्तर पर हुई है जो बार-बार ऐसा प्रकरण होने के बावजूद चार कम्पनियां पैसा लेकर के भाग गईं?

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसके बावजूद हम सीख नहीं ले पा रहे हैं और जनता को अलग परेशान कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इसमें कुछ ठोस कदम उठाये, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। जो संचालक है बृजेश शर्मा, उसको पकड़ करके लाये उससे

(श्रीमती अनिता भदेल)

पैसे वसूले सरकार। नहीं तो कौन विश्वास करेगा इन कियोस्कों पर? कोई विश्वास नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें। विराजिये, प्लीज। माननीय श्री अमरारामजी। आप बोलेंगे क्या? एक मिनट, अमरारामजी, ये जवाब दे रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये ई-मित्र सोसाइटी के बाबत कियोस्क संचालन की बात थी। इसमें दो कम्पनियां थीं, एक तो सी एम एस कम्प्यूटर्स लिमिटेड और दूसरा रायल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इन दो एल एस पी को विभागीय राशियों के कियोस्क संचालन के लिए एकत्रित दिन-प्रतिदिन के आधार पर ई-मित्र सोसाइटी के खाते में रकम जमा करानी होती है। उक्त राशियां देर से व अपूर्ण जमा हुईं, यह बात बिलकुल सत्य है। जहां तक सवाल इस बात का है कि 24.3.2012 तक विभागों की कुल देनदारियां एक करोड़ तीन लाख अठहत्तर हजार आठ सौ बाइस रुपये थी, जबकि ई-मित्र सोसाइटी के खाते में कुल मिला करके तैंतीस लाख छियालीस हजार तीन सौ अट्ठाइस रुपये अवशेष थे, तो एक तो वह रकम जमा करा दी गई, जब्त कर ली गई। (व्यवधान) बैठिये। विराजिये आप। तसल्ली रखिये।

श्री उपाध्यक्ष: बात पूरी सुनिये आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कुल मिला करके जो रकम आनी चाहिए थी, वह थी 1 करोड़ 3 लाख 78 हजार 822; उसमें से उनके खाते में जो रकम पायी गयी, वह पायी गयी 33, लाख 44 हजार 328 रुपये। अब इस प्रकार यह जो डिफरेंस रहा एल एस पी की जो अंतर राशि रही, वह अंतर राशि रही, 70 लाख 72 हजार 494 जो आपने कहा कि 70 लाख का घोटाला है। अब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बाद दोनों एल एस पी का एक तो काम बंद कर दिया गया। काम बंद करने के साथ-साथ ही उनकी बैंक गारंटी जो 12 लाख 50 हजार रुपये थी, वह जब्त कर ली गई; और उसके बाद जो कमीशन की राशि उनकी बनती थी, वह बनती थी 20 लाख 85 हजार 195 रुपये वो भी जब्त कर ली गई। तो अब कुल मिला करके जो झगड़ा है, वह रहा आपका, 39 लाख 30 हजार 197 रुपये की देनदारी जो कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, राजस्थान लोक सेवा आयोग

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की फीस के रूप में शेष था। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो बैंकों को लिख दिया गया है कि इनके खाते बंद कर दीजिये, खाते बंद हो गये। इसी के साथ-साथ एक कमेटी का गठन कर लिया गया है और कमेटी के गठन की रिपोर्ट आने के बाद इन पर प्राथमिकी भी दर्ज करवायी जाएगी और आगे कार्यवाही करवायी जाएगी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अब बात आ गयी। माननीय श्री अमरारामजी।

करौली के करणपुर थानान्तर्गत फर्जी एन्काउंटर

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि फर्जी मुठभेड़ दिखाने का जो सिलसिला है, वह, मैं समझता हूं, राजस्थान में जारी हो रहा है और पुलिस दुश्मनियां निकालने का काम कर रही है। इसी 13 तारीख को...

श्री उपाध्यक्ष: आपके जिले में भी हो गया क्या?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह राजस्थान में हो गया तो मेरे जिले में भी है। मेरे जिले की भी बताऊंगा? मेरे जिले की भी है इसमें।

उपाध्यक्ष महोदय, 13 अप्रैल को करौली जिले के करणपुर थाने में रामेश्वर गुर्जर का एन्काउंटर दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि जिन पुलिस के अधिकारियों ने एन्काउंटर दिखा करके हत्या करने का काम रामेश्वर गुर्जर का किया, जो तथाकथित डकैत है, जिस पर छह मुकदमे दर्ज हैं, उसमें शायद हत्या का नहीं है, डकैती और अवैध हथियार रखने के हैं, और जब इस रामेश्वर गुर्जर का पोस्टमार्टम कराया गया तो डाक्टर ने साफ लिखा कि इसके न तो गोली लगी हुई है, न कोई बाहरी इस तरह का है; केवल दो जगह ऐसे घाव हैं जो भोथरे हथियारों से हैं और जिनमें गोली का कहीं निशान नहीं है और इसकी मृत्यु का कारण दम घुटना है।

उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग दुश्मनी के नाम पर हत्या करके एन्काउंटर दिखा कर दुश्मनी निकाल कर प्रमोशन लेना चाहते हैं। ऐसे लोग उस डाक्टर को जिसने उस रामेश्वर की सही पोस्टमार्टम की है, जिसमें साफ लिखा है कि इसकी गोली से नहीं दम घुटने से मौत हुई है, उस डाक्टर को पुलिस अपने थाने में ले जाकर इस बात के लिए प्रताड़ित करे, इस बात के लिए दबाव डाले

(श्री अमराराम)

कि वह अपनी पोस्टमार्टम की रिकमंड को बदलने का काम करे, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। राजस्थान की पुलिस जिस तरह से एन्काउंटर, दारासिंह एन्काउंटर में राजस्थान पुलिस के बहुत बडे अधिकारी, एडिशनल डी जी तक जेल में है, राजनेता जेल में है, और मैं समझता हूं कि इसके बाद राजस्थान की जनता सोचती थी कि ऐसे फर्जी एनकाउंटर दिखा कर लोगों से बदला लेने का काम राजस्थान की पुलिस छोड देगी लेकिन फिर 13 तारीख को राजस्थान की पुलिस ने करौली जिले में जिस तरह का फर्जी एन्काउंटर करके और जिसकी रिपोर्ट डाक्टरों ने दी, उसको बदलवाने के लिये जिस तरह का दवाब डाल रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस जिस तरह का कृत्य कर रही है, सीकर जिले में 8 तारीख को सीकर के 7 लोग माताजी के दर्शन के लिये जैसलमेर गये और दर्दनाक घटना हुई जिसमें सातों के सातों लोग खत्म हो गये, जिसमें सारे के सारे 18 से 25 वर्ष के लोग थे, मात्र एक 40 वर्ष का व्यक्ति था। इन सातों का 9 तारीख को दाह संस्कार किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, पांच लोगों को पुलिस 6 घंटे तक जिसमें राम प्रसाद शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, बाबू लाल शर्मा, राजेश सैनी और इकराम, इन पांच लोगों को सीकर की पुलिस सदर थाने में ले जाकर 6 घंटे तक अवैध हिरासत में रखती है, कोई मुकदमा नहीं। मैं जब उनसे मिलने के लिये गया तो वहां के पत्रकार आये, उनकी फोटो ली, तो मेरे आने के बाद वहां के एडिशनल एस पी इस तरह से धमकाते हैं कि आपके कैमरे तोड दिये जायेंगे, आपको ठीक कर दिया जायेगा अगर आपने यह रिपोर्ट लिखा दी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर रक्षक ही भक्षक हो जाये, राजस्थान की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है, वह गैर-कानूनी तरीके से एनकाउंटर करे, लोगों को अवैध हिरासत में रखे। उसके बाद भी पुलिस को समझदारी नहीं आई, हजारों लोगों ने सीकर की कोतवाली को जब घेरा, 2 घंटे तक घेराव रखा तो पुलिस ने मजबूर होकर 6 घंटे के बाद इन पांच लोगों को अवैध हिरासत से छोड़ने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पुलिस के अधिकारियों पर निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये जो फर्जी एन्काउंटर करते हैं, अपने को बचाने के लिये डाक्टरों को प्रताड़ित करते हैं। कोई मुकदमा न होते हुए सीकर की पुलिस पांच लोगों

(श्री अमराराम)

को 6 घंटे तक हिरासत में रखती है, हजारों लोगों को इस अन्याय के खिलाफ सीकर कोतवाली को घेरना पड़ता है, 2 घंटे तक प्रदर्शन करना पड़ता है, उसके बाद पुलिस मजबूर होकर उनको छोड़ती है। मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि अवैध काम करने वाले ऐसे पुलिस अधिकारियों को सज़ा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें, विराजें। अख़बार नहीं, आप महत्वपूर्ण हो, अब आप विराजें। श्री सुखराम जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निश्चित रूप से कार्यवाही करें जिन्होंने इसे एन्काउंटर दिखाया है।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है, करणपुर में जो घटना हुई और उसमें जो एन्काउंटर बताया गया है कि वे फर्जी है, वे बिलकुल फर्जी नहीं है। या तो माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है या उन्होंने अखबारों के माध्यम से जानकारी ली है। एक्चुअल में वह एन्काउंटर हुआ है और जो इनामी डकैत घोषित था, अपराधी था और अभी कुछ दिन पहले ही वे जेल से छूट कर आया है, वह मारा गया है। वह बिलकुल सही मारा गया है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, इधर के लोगों को तो मालूम नहीं है कि डकैतों की समस्या क्या है, ये लोग तो आराम से एसी में बैठे हैं, बढ़िया ड्राइंग रूम में बैठे हैं। हम लोगों से पूछो कि हमारे यहां क्या स्थिति है। अगर डकैतों को पुलिस मारे नहीं, एन्काउंटर में नहीं मारे या किसी कारणवश नहीं मारे तो उन डकैतों को मारेगा कौन? उनकी गोली का सामना कौन करने वाला है? मुझे तो दिख नहीं रहा है कि कोई मुकाबला कर लेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सुखरामजी। प्लीज विराजिए, संसदीय सचिव जी। अब केवल सुखराम जी का अंकित होगा। केवल सुखरामजी। नो डिस्कशन। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): ×××

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। केवल सुखरामजी का। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं। सुखरामजी, एक मिनट विराजिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो गृह मंत्रालय छोड़ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन के वरिष्ठ मंत्री हैं, आप जानते हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सब आपका ही किया कराया है।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं, धारीवालजी, आप जैसे यहां जवाब देते हो, वैसे ही दोनों भी मुझसे लड़ते हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, वही चक्कर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये कभी तो यहां खुजाते है, कभी यहां खुजाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: चलो पूरी सुन लो बैठकर। हां, बोलो, साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मुठभेड बताई गई है और खास तौर पर अमरारामजी ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया है, यह किसी समाचार पत्र ने लिखा और उस समाचार पत्र की रिपोर्टिंग के आधार पर आपने यह बात यहां उठाई है। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): देखी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आपने देखी है तो आपने यह भी देखा होगा, as-phyxia, due to tracheal injury जिसमें कि सांस की नली में कोई चीज जमा हो जाती है तो उससे मौत हो जाती है। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि गला ही घोट दिया हो। (व्यवधान) बोलने दीजिए, आप मेरे बोलने के बाद फिर खड़े हो जाना मैं फिर जवाब दे दूंगा।

इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है, अभी यह सिर्फ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, अब इसकी एफ एस एल से जांच करवाई जा रही है और जब तक एफ एस एल की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इसके बाबत कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जो

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

एस्फिक्सिया होता है, वह एस्फिक्सिया ट्रैकीअल इंजरी में सिर्फ गला घोंटने से ही नहीं होता, श्वास की नली में खून जमा हो जाता है तो भी उसकी मौत हो सकती है।

आगे मैं आपको बताता हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक रामेश्वर, आपने कहा कि कोई चोट नहीं थी, उसके तीन चोटें थीं, चोट नंबर एक जो कि लैसीटेटेड वुंड, 8 सेंटीमीटर बाई 3, upto the muscle deep collar... वहां तक मौजूद था; मतलब गोली मसल को पार कर चुकी थी। दूसरी बात यह कि इसके सम्बन्ध में मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय में इस चोट को फायर आर्म्स इंजरी होने की संभावना से इंकार नहीं किया है। मेडिकल रिपोर्ट में यह इंकार नहीं किया गया है कि यह चोट फायर आर्म्स से नहीं हो सकती। चोट नंबर दो और तीन को वेग जरूर बताया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं, कुल मिलाकर तीन चोटें थीं।

फिर मैं निवेदन करता हूं कि बोर्ड ने अपनी राय में माना कि मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन चोट नंबर एक जो गर्दन पर है और चोट नंबर एक से एस्फिक्सिया होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। बोर्ड की अंतिम राय, बोर्ड ने भी लिखा है कि इसमें अंतिम राय एफ एस एल से लिया जाना उचित रहेगा।

फाइनली, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि उसका हार्ट बिलकुल एम्प्टी था, कोई खून नहीं था हार्ट में। कहां गया, कैसे गया, किधर गया, हार्ट खाली। क्या गला दबाने से हार्ट खाली हो जायेगा?

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मृतक का शरीर खून बहने की पुष्टि करता है। मृतक रामेश्वर गुर्जर का घटना स्थल पर पुलिस की गोली से घायल होने के कारण काफी मात्रा में खून बहा और इसके अतिरिक्त, मृतक को घायल होने पर घटना स्थल से चारपाई पर डालकर चार किलोमीटर दूर तक ऊबड़ -खाबड़ रास्ते पर चलकर के सड़क तक लाया गया और वहां से पुलिस वाहन में डालकर करौली अस्पताल तक ले जाया गया जिससे कि मृतक के शरीर से काफी खून बहा, उसके कपड़े खून से लथालथ हो गये। यदि मृतक की मौत गला दबाने से होती तो मृतक के शरीर से इतनी मात्रा में खून का बहाव नहीं होता।

दूसरी एक बात और बता देता हूं, जब भी एन्काउंटर होता है, यदि एन्काउंटर होता तो पुलिस कभी वहां किसी गवाह को नहीं छोड़ती। इसके साथ

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जो दूसरा गुर्जर पकड़ा गया जगमोहन मीणा, जगमोहन मीणा को बाकायदा पुलिस उठाकर लेकर आई है। वह फिर जगमोहन मीणा को छोड़ती नहीं, उसका भी एन्काउंटर करती।

इसलिए जब तक एफ एस एल की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस बात पर हम दावे से नहीं कह सकते कि किसका क्या हुआ है। लेकिन जिस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो आप ये मानकर चल रहे हैं कि यह सारा एस्फिक्सिया ही है, ये एफ एस एल की रिपोर्ट आने के बाद ही सारा क्लीयर होगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सीकर के मामले में आपने बताया, पांच संदिग्ध व्यक्तियों को सदर थाने में पूछताछ के लिए बुला लिया गया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कौनसे मुकदमे में?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बताता हूं, मुकदमा कैसा। मुकदमा तो आप जानते हैं, करवाया ही सारा आपने ही है।

श्री पेमाराम (धोद): हमने क्या करवाया? यह क्या कह रहे हो?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और क्या? करवाया आपने। कीचड़-फीचड़ फेंकने का काम सारा आपने करवाया, दुनिया कह रही है सारी की सारी। अब आप कह रहे हैं कौनसा मुकदमा? (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): काम नहीं करोगे ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुकदमा क्या होता है और मुकदमा ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): जनता कीचड में जाएगी तो वहां का एम एल ए हो या मंत्री हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पेमाराम जी, विराजो। इनकी बात तो सुनो, पूरी बात तो आने दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुकदमा रजिस्टर नहीं भी होता है, किसी भी घटना के बाबत पुलिस को यह पूरा अधिकार है कि वह व्यक्तियों को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। यह पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। जब यह पूछताछ चल रही थी तो उद्योग मंत्रीजी का संदेश वहां पहुंचता है थाने में कि मैं इसमें किसी भी प्रकार

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता, न ही कोई एफ आई आर दर्ज करवाना चाहता हूं; मेरे विचार में यह व्यक्ति नादानीपूर्वक इस प्रकार का कुछ काम कर बैठा; शहरवासी मेरे ही परिवार के लोग है इसलिए मैं इनको क्षमा करता हूं; कोई कार्यवाही नहीं चाहता। बात खतम हो गई।

श्री पेमाराम (धोद): क्या हो गया? उद्योग मंत्रीजी का क्या हो गया?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी, एक तो यह असत्य है। पोस्टमार्टम में नहीं, पोस्टमार्टम में साफ है कि बाहर जो तीन इंजरी हैं, उनसे मौत नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष: अब अपन तो डाक्टर नहीं हैं। माननीय सुखरामजी। इस पर कोई चर्चा नहीं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं बात कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिस इलाके की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इस पर चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान) केवल सुखरामजी। विराजिए । (व्यवधान) कोई अंकित नहीं हो रहा। बिलकुल डिस्कशन नहीं है, केवल सुखरामजी का। ये निजी डिस्कशन नहीं है। सुखरामजी का, मैं कह रहा हूं सुखरामजी का। बैठिये, कतई नहीं, कतई नहीं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कृपया करके विराजिए। मैंने नाम पुकार लिया है, सुखरामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया है, सुखरामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: खूब टाइम दे दिया, इतना टाइम नहीं होता। (व्यवधान) आपका किसी का अंकित नहीं हो रहा। सुखरामजी।

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मलिंगाजी।

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। सुखरामजी।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले का तो वैसे ही दुर्भाग्य है कि हम अत्यन्त पिछले जिले से बिलोंग करते हैं और उसमें बसेड़ी का एक और दुर्भाग्य है।

श्री उपाध्यक्ष: आप कौन से पाइंट पर बोल रहे हैं ?

श्री सुखराम (बसेड़ी): वह एस डी एम वाला ही पाइंट है और कोई दूसरा पाइंट नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आपने जो बोला है, एस डी एम बसेड़ी द्वारा डीलरों से अवैध वसूली एवं पद का दुरुपयोग करने सम्बन्धी।

श्री सुखराम (बसेड़ी): वह ही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप यहां तक सीमित रहेंगे।

बसेड़ी उप खण्ड अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्री सुखराम (बसेड़ी): यहां तक ही सीमित है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी अधिकारी को दण्ड देने के लिए धौलपुर या बसेड़ी में लगा दिया जाता है। हमारे इस समय उप खण्ड अधिकारी जो लगे हुए हैं, उन उप खण्ड अधिकारी ने जाकर बसेड़ी में ऐसा एक माहौल पैदा कर दिया जिससे हमारे पूरे बसेड़ी के लोग त्रस्त हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसकी जांच कराई जाए, इतने तानाशाह हैं ये हमारे उप खण्ड अधिकारी कि अपनी जो सर्विस दैनिक डायरी है, दैनिक डायरी इन्होंने आज तक नहीं भरी; वाहन की जो लोग बुक है, वाहन का उपयोग ये घर से आने-जाने के लिए निजी रूप में करते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस उप खण्ड अधिकारी की वाहन की लोग बुक और सर्विस डायरी दोनों इस वक्त रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में जांच के लिए हैं परन्तु आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, इस उप खण्ड अधिकारी ने सभी हदें पार कर दी हैं। जो भी चालान थाने से पेश होते हैं 151 के तहत, सामान्य से केस होते हैं जहां पर किसी प्रकार की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती परन्तु ये उप खण्ड अधिकारी महोदय, जो इनको पैसे देता है उसकी तो ये जमानत सैंक्शन कर देते हैं और जो इनको पैसे नहीं देता, उसको ये जे सी कर देते हैं।

उससे भी बढ़कर के आगे और इनकी कहानियां हैं जो इनके कार्यालय में जो केस चल रहे हैं चाहे वे एकपक्षीय हों, बहुपक्षीय हों या जो खारिज किए गये वे केस हों, अगर इसकी जांच कराई जाए तो उप खण्ड अधिकारी ने

(श्री सुखराम)

जितने भी केस किए वे एक पक्षीय किए, वे एक पक्षीय क्यों रहने दिए उन पर, इनकी तानाशाही इतनी है जो भी इनके कार्यालय में जाकर दो-तीन पटवारी हैं, उनको बिठाकर, जो भी इनके पास पैसे लेकर पहुंच जाता है, ये बिना दूसरी पार्टी को सुने एक पक्षीय निर्णय दे देते हैं।

इनकी शिकायत यह नहीं कि मैं ही कर रहा हूं, इनकी शिकायत 18 जनवरी, 2012 को हमारे धौलपुर-करौली के एम पी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री कार्यालय में आकर की, परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, हद तो जब हो जाती है जब हमारे बयासी डीलर हैं, मेरे बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में बयासी डीलर इस समय राशन डीलर के काम कर रहे हैं और ये एस डी एम महोदय अपनी गाड़ी का अधिकांश उपयोग उनसे अवैध वसूली के लिए करते हैं। ये मैं नहीं, आप जनता में जाकर वहां जानकारी कराये, प्रत्येक डीलर को इन्होंने फरमान जारी कर दिए कि एक लीटर पर पचास पैसे, मतलब पचास पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मुझे देंगे तभी आपके विरुद्ध में कार्यवाही नहीं होगी। अगर नहीं दिया तो निश्चित रूप से दुकान पर जाकर निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करके उसको कोई न कोई चार्जशीट थमा देते हैं या उसका लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी बढ़कर इनकी कहानी और भी अजीब है। जो स्टे देते हैं, मानो मुझे स्टे लेना है या किसी को भी स्टे लेना है, तो स्टे उसी आदमी को मिलेगा जिस आदमी के पैसे इनके पास पहुंच जाएंगे। यह तत्कालीन उदाहरण है, हमारे बगल में ही एक मनुरूपकापुरा है, वहां पर विगत तीन महीने से स्टे चला आ रहा था परन्तु इसी महीने की पांच तारीख को इस एस डी एम ने दो लाख रुपये लेकर स्टे तोड़ दिया और तोड़कर दूसरी पार्टी के पक्ष में निर्णय दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी बढ़कर एक और है कि जितने भी अवैध कब्जे हैं, ये अवैध कब्जे, हमारे एस डी एम महोदय अवैध कब्जे दिलाने में भी माहिर हैं। जो भी पार्टी है, हमारे माननीय यहां पर संसदीय सचिवजी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अवैध कब्जे, जहां भी अतिक्रमण जारी करते हैं, इन एस डी एम महोदय के निर्देशानुसार होते हैं। मलिंगा जी हमारे संसदीय सचिव जी बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लीजिए कि पैसे लेकर एस डी एम महोदय

(श्री सुखराम)

अतिक्रमणकारियों को अवैध कब्जे दिलाते हैं। यह काम है हमारे एस डी एम बसेड़ी का। उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये, आप चाहते हैं क्या, इनको बंद करायें? इसलिए आप सुनिये। कंटिन्यू बोल रहे हैं। क्या कर सकते हैं? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): पैसे वसूल करना...

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते हो, वे नहीं बोलें तो बंद कर देता हूं। आप सुनिये, सदन में कोई बात हो रही है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): दूसरी बात यह है कि अगर कोई डीलर इनके विरोध में आवाज उठाता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्यवाही होनी ही है और एक तत्कालीन उदाहरण बता दूं एस डी एम महोदय की इस सारी कहानी का ।

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़ा शोर्ट करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और सी एम एच ओ बसेड़ी, तहसीलदार बसेड़ी, बी डी ओ बसेड़ी, तीनों ने जाकर एक विद्यालय के मिड-डे मील का निरीक्षण किया; निरीक्षण करके डाक्टर ने, सबने नेगेटिव रिपोर्ट दी कि हां, यह खाना इनके उपयुक्त नहीं है। परन्तु एस डी एम ने पैसे लेकर उस संस्था के लिए, अगर नहीं हो तो रिपोर्ट कलक्टर के यहां पड़ी हुई है, उसको मंगाकर देख लें, इतनी बढ़िया रिपोर्ट लिखी कि अन्नपूर्णा महिला है, यह अच्छा भोजन दे रही है, इससे स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, हमारे सी एम एच ओ साहब रिपोर्ट दे रहे हैं, डाक्टर रिपोर्ट दे रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): तहसीलदार, बी डी ओज, सब रिपोर्ट दे रहे हैं और अकेला आदमी उसकी नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है?

सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम कन्वर्जन कराते हैं, कन्वर्जन कराने के लिए पैसा सबसे पहले पहुंच जाएगा। पैसा पहुंच जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्षजी, हम यह कहना चाहते हैं, सारा कचरा इस जिले में दे दिया गया है, सारा कचरा। चाहे जिला परिषद हो, चाहे एस डी एम हो, कोई तहसीलदार हो ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी): जितने भी अतिक्रमणकारी हैं ...(व्यवधान) उन अतिक्रमणकारियों को ...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : हम सरकार की रेपुटेशन को खराब होने से बचाना...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): अतिक्रमणकारी हैं, उन अतिक्रमणकारियों से पैसा लेकर ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हम नहीं चाहते सरकार को ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): धौलपुर में चरागाह नहीं हैं ...(व्यवधान) लूटने के लिए ऐसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मेरा आपसे निवेदन है, यहां मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, अधिकारीगण विराजे हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: पूरा करने दो इन्हें। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): इनके विरुद्ध जांच चल रही है...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से ये बयाना से आते हैं और वहां से गाड़ी इनको लेकर जाती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनको समाप्त करने दीजिए, आप इनको समाप्त करने दीजिए। आप समाप्त करिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, जो जन-प्रतिनिधियों की नहीं सुनता...(व्यवधान) दूसरी एक और चीज बताऊं, खुद ने भी कब्जा कर रखा है। इनका निवास स्थान नहीं है, इसका निवास स्थान तहसील पर स्थित है, परन्तु जे.वी.वी.एन.एल., 132 के.वी.ए. पर जो आवास बने हुए हैं, रेजिडेन्स बने हुए हैं गेस्ट हाउस के रूप में, विगत दो वर्षों से उसने खुद ने कब्जा कर रखा है उस पर और वहां पर रहता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बिना परमिशन के नहीं रह सकता है, नहीं तो पेनल्टी लगती है। (व्यवधान) अब आप समाप्त करिये, समाप्त करिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बिना परमिशन के। अगर किसी से परमिशन हो, अगर इसके कोई आबंटन हो तो आप उसकी जानकारी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करिये। समाप्त करिये। आपने अपनी बात कह दी।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, विराजिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, यह धौलपुर का मामला है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो लूटने के लिये भेजा है वहां, या फिर ठीक करने के लिये भेजा है तो हम ठीक भी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह धौलपुर का मामला है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, अगर सही मामला है तो बहुत गम्भीर है। हमारी कांग्रेस पार्टी की छवि का मामला है। तो ऐसे मौके पर मैं कहूंगा कि हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्रीजी बैठे हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वे किस पार्टी के अधिकारी हैं, आपको पता है क्या? (व्यवधान) अब आपको बोलना है तो संयत भाषा में बोलिये। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरी बात सुनो, साहब। यह इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अब यह सदन के अन्दर आ गया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो असंसदीय शब्द हैं, वे हटा दें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में इनकी जांच चल रही है। रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। आप समाप्त करें। (व्यवधान) माननीय रेवेन्यू मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी कहना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं क्या? मंत्रीजी बोलना चाहते हैं, बोलिये। अब

(श्री उपाध्यक्ष)
आप सुनिये। (व्यवधान) आप चाहते हैं, अगला पाइण्ट पुकारूं? मंत्रीजी का जवाब नहीं चाहिए आपको? आप सुनिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप अधिकारी हटाइये।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, स्वत: ही।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एस.डी.ओ., बसेड़ी और तहसीलदार बसेड़ी के खिलाफ भ्रष्टाचार बाबत शिकायतें प्राप्त हुईं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): नहीं, तहसीलदार नहीं, एस.डी.एम. बसेड़ी, सिर्फ।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): एस.डी.एम., बसेड़ी की बात कर रहा हूं, तहसीलदार की नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, जवाब है। आपने जैसा चाहा, वैसा बोला; मंत्रीजी, बोल रहे हैं। आप सुनिये, नहीं चाहो जवाब तो अगला पुकारूं मैं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): भ्रष्टाचार बाबत शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी जांच धौलपुर कलक्टर कर रहे हैं। अगर आप धौलपुर कलक्टर की जांच से सहमत हों कि सही जांच कर देंगे, वे तो कर ही रहे हैं जांच, और जांच रिपोर्ट में उसके खिलाफ जो भी पाया जाएगा, भ्रष्टाचार, तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि कलक्टर भी सही कार्यवाही नहीं कर रहा है तो आप जिस अधिकारी से कहो, बताओ, राजस्थान में कौन ऐसा अधिकारी, जो ईमानदार हो, जो सही जांच कर सकता हो?

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आपकी जानकारी है। (व्यवधान) हम आप पर विश्वास करते हैं। (व्यवधान) हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, रविन्द्रजी। कलक्टर साहब के लिये कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिये ना आप। पहले बात तो पूरी सुनिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कलक्टर, धौलपुर जांच कर रहा है। और मैं तो आप कहो, उससे करवाने को तैयार हूं। रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर हैं बजरंगलालजी शर्मा, बहुत ईमानदार आदमी हैं, आप कहो तो उससे करवा दूं। जिससे चाहो, आपको विश्वास हो, ईमानदार, क्योंकि ईमानदार आदमी होगा, वही सही जांच करेगा। जांच करने वाला ही अगर सही नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात से संतुष्ट हैं।

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): उपाध्यक्षजी, मेरा एक ही निवेदन है, वह कि जो माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सरकार का जवाब आ गया, आप भी सरकार में हो।

श्री गिर्राज सिंह (संसदीय सचिव): माननीय सदस्य का जो मामला है, वह बहुत ही गम्भीर है; जो उन्होंने उठाया, सुखरामजी ने, वह मामला बहुत गम्भीर है। उसको तत्काल वहां से ए.पी.ओ. किया जाए। लोगों की स्थिति यह कर रखी है कि 151 के मुल्जिम के लिये जाते हैं तो कोई पैसा दे देता है तो उसकी जमानत ले लेता है, नहीं तो जेल भेज देता है। (व्यवधान) ऐसे अधिकारी को रहने का कोई अधिकार नहीं है जिले के अन्दर। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, जब संसदीय सचिव धौलपुर जिले के हैं सरकारी, सरकार के हैं, वे कह रहे हैं कि मामला गम्भीर है, इनको ए.पी.ओ. किया जाए। धौलपुर से आने वाले सारे ही माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिये तो माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को बोलने का मौका मिल गया। इनको धन्यवाद दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, इसलिये। तो जब पूरे धौलपुर जिले के सारे विधायक यह कहते हैं और आप भी मानते हैं कि शिकायत है, तो जांच भी करिये और मंत्रीजी उनको ए.पी.ओ. भी करें। सदन में इतनी गम्भीरता से मामला उठ जाए, पक्ष-विपक्ष के सदस्य एकमत हों और फिर केवल जांच की बात पर अपन छोड़ दें तो फिर इस प्रकार से नियंत्रण नहीं होगा। इसलिये मेरी आपसे मांग है कि उनको तुरन्त वहां से हटाएं, ए.पी.ओ. करें और उसके बाद जांच करें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ए.पी.ओ., आप जानते हैं, मैं तो कर नहीं सकता, मुख्य मंत्रीजी करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप कहें इस पर। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में यह बात ला देंगे, निर्णय तो वे ही करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो, ला देंगे, ठीक है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): वे करेंगे मुख्य मंत्रीजी, आप लिखकर भेजिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूलालजी बैरवा। बाबूलालजी बहुत दिनों बाद बोल रहे हैं, आप उनकी बात ध्यान से सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वैसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी निरीहता मैंने मंत्रियों की देखी नहीं। यहां वे कह देते, उसके बाद मुख्य मंत्रीजी नहीं करते क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से बात करेंगे।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 295 ही है ना?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपने कोई पर्ची भेजी है।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): हां, वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको ध्यान में नहीं रहा क्या?

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): नहीं, वह दो थे।

श्री उपाध्यक्ष: आप पहली दफा बोल रहे थे तो मैंने आपको पहले मौका दिया, बाद में पर्ची आई तभी दिया। और क्या चाहिए?

सूचना

खेड़ली की अलीपुर गौशाला में चारा-पानी की व्यवस्थाएं

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अलवर जिले के थाना खेड़ली में गौ कशी को जा रही गाय, बछड़े...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, थोड़ा संक्षेप में बोलिये आप।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): गाय, बैल, बछड़े, करीब 200 नग, खेड़ली पुलिस ने उन्हें ट्रकों में जाते हुए, 407 में जाते हुए कई बार पकड़ा है और एक अलीपुर में गौशाला है, वहां उन्हें रखा है। गौशाला में वहां कोई एक आदमी मालिक है नहीं, वैसे ही प्राइवेट आदमी ने कर रखा है। उनके लिये न तो वहां चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न दवाइयों की व्यवस्था है। मेरा सरकार से निवेदन है, यह बी.जे.पी. और कांग्रेस की बात तो कोई है नहीं, हिन्दू धर्म का मामला है, अलीपुर की गौशाला की गायों के लिये चारे, पानी और दवाइयों की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। बस इतना ही निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय भगवान सहायजी सैनी। आप थोड़ा शोर्ट में बोलें, आप जैसी पर्चियां 2-3 और हैं, ताकि सभी को मौका मिल जाए, नहीं तो फिर आपको ही मिलेगा।

चौमूं में ओलावृष्टि से नुकसान

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 13.04.2012 को चौमूं विधान सभा के ग्राम मोरीजा, चितावड़ी, बासा, सुल्तानपुर व अन्य गांवों में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल व सब्जियों में भारी नुकसान हुआ है। मोरीजा में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की भी मृत्यु हो गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, जो किसानों की फसलों को, सब्जियों को नुकसान हुआ है, उसकी गिरदावरी करवाई जाए और उनका मुआवजा दिलवाया जाए और जिस किसान की भैंस की मृत्यु हुई है, उसको भी मुआवजा दिलवाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बाबूसिंहजी राठौड़। इसी पर आपका भी है। अब तो आ गई, बात हो गई।

मारवाड़ में विभिन्न स्थानों पर ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हां, उपाध्यक्ष महोदय, शुक्रवार, 13 अप्रैल व शनिवार, 14 अप्रैल को पूरे मारवाड़ में भयंकर ओलावृष्टि हुई, आधे से एक घण्टे तक ओलावृष्टि हुई है और ओले गिरने से सफेद चद्दर चली है। मेरा आपसे निवेदन है कि तहसील बालोतरा, शेरगढ़, पोकरण, जैसलमेर, ओसियां, फलौदी और पूरे मारवाड़ में ओलावृष्टि से जो फसलें खड़ी थीं, इसबगोल, जीरा, वे सारी नष्ट हो गयीं और जिन फसलों की कटाई हो चुकी है, वे भी नष्ट हुई हैं। किसानों पर दोहरी मार पड़ गयी। पहले शीतलहर हुई, उससे 50 प्रतिशत नुकसान हुआ, फसल नष्ट हुई और फसल चौपट हो गयी। उसकी भी गिरदावरी आई तो 50 प्रतिशत से कम। अब ये जो फसलें बची थीं, वे ओलावृष्टि से नष्ट हो गयीं। किसान की कमर टूट गयी है, किसान टूट गया है। (व्यवधान) यह ओलावृष्टि प्राकृतिक आपदा में है, सी.आर.एफ. में है। तो इस बार थोड़ा ढंग से सर्वे करवाकर किसानों को इसकी भरपाई कराएं, नुकसान का आकलन करवा कर इनको मुआवजा दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय प्रतापसिंहजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पूरे राजस्थान में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आपने कोई पाइंट नहीं लिखा, उसमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए। आप आइन्दा थोड़ा ध्यान रखियेगा इस पर। बोलिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कोई बात नहीं, साहब।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ओलावृष्टि पूरे राजस्थान में पिछले एक हफ्ते में लगातार...

श्री उपाध्यक्ष: केवल प्रतापसिंहजी खाचरियावास का ही।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल प्रतापसिंहजी खाचरियावास। आप बोलिये, प्रतापसिंहजी। (व्यवधान) आपकी आवाज उनसे कमजोर है क्या?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कमजोर नहीं है मेरी आवाज।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पिछले दिनों में 4-5 बार इस बारे में डिस्कशन हो चुका है। रोजाना नहीं कहें कोई बात। (व्यवधान) वह सरकार के ध्यान में है। माननीय सदस्य, केवल प्रतापसिंहजी खाचरियावास। विराजिये, विराजिये। प्रतापसिंहजी खाचरियावास, केवल प्रतापसिंहजी खाचरियावास। (व्यवधान) आप बोलेंगे, प्रतापसिंहजी। आप बोलिये, आपका अंकित हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, निर्देशित कर दिया मैंने। प्रतापसिंहजी बोलना चाहें तो बोलें, नहीं तो अगला नाम पुकारता हूं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये नहीं बोल रहा था कि मेरे खाचरियावास से विधायक हैं। दिक्कत यह आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, सदन में कौन कहां का है, इसका नहीं है। आप राजस्थान से हैं। वह तो केवल चुनाव क्षेत्र है।

जयपुर के पृथ्वीराज नगर व कच्ची बस्तियों का नियमन

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहूंगा। आज सुबह जयपुर के पृथ्वीराज नगर के लोग, कालोनियों के लोग, कच्ची बस्तियों के लोगों की जोइंट मीटिंग हुई

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

और पूरे जयपुर तक पृथ्वीराज नगर का सबसे लम्बा आन्दोलन पूरे राजस्थान के लोगों ने देखा। वहां के लोग आज मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर बहुत परेशान हैं और एक यह पूरी टीम बन गई, कालोनी, कच्ची-बस्तियां और पृथ्वीराज नगर, वे मिल एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे खुद को उन्होंने कहा है कि आपने पहले हमारा साथ दिया, हमारे आंदोलन का नेतृत्व करो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, पृथ्वीराज नगर, कालोनियों का नियमन और कच्ची बस्तियों के पट्टों को लेकर जयपुर की जनता चिंतित है। सरकार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय और आपने घोषणा भी की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, वहां पर सड़कों का निर्माण हो, पानी-बिजली की समस्या का समाधान हो। उसको लेकर आप स्पष्ट करें जिससे आम आदमी को यह राहत महसूस हो कि सरकार करने जा रही है, जिससे वे आंदोलन का रास्ता छोड़ें और आम आदमी को राहत मिल सके मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के जरिए माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। मंत्रीजी, क्या बात है, आज आप हर पाइंट पर जवाब दे रहे हो। इतनी स्टडी की है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पृथ्वीराज नगर के बाबत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है और पृथ्वीराज नगर के बाबत सरकार क्या करने जा रही है, वह सब कुछ तैयारियां अंतिम चरण में हैं और मैं यह समझकर चलता हूं कि अंतिम चरण में हैं, मतलब होने वाली हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डिसिजन होने वाला है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह मैं यह समझकर चलता हूं कि मंत्रिमण्डल की आगामी जो बैठक है, हो सकता है कि उसी में यह जो है, पृथ्वीराज नगर का फैसला कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक, साहब। धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक कच्ची-बस्तियों का और कालोनियों का सवाल है, उनका रेगुलराइजेशन का भी बिलकुल फाइनल बन गया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक, साहब। श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसलिए इसमें कहीं कोई आंदोलन की गुंजाइश नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको दो दिन पहले भी मौका मिला था, थोड़ा शार्ट में बोलना, छोटा बोलना। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपसे भी राय ले ली गई है और बाकी कोई और जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, उनसे भी राय ले ली गई है और उनकी राय के मुताबिक ही, काफी कुछ उनकी राय को एडजस्ट करते हुए यह काम किया है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपका भी प्लाट है वहां पर, कर्नल साहब कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, आप।

सूरसागर की सड़कों की दुर्दशा

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की समस्या के बारे में बताऊंगी। सूरसागर क्षेत्र में आखलियां चौराहा है, वह है तो चौराहा मगर उसको तिराहा बनाया जा रहा है। इतने खड्डे खोदे हुए हैं कि कम से कम मैं समझ रही हूं कि उसके आगे थोड़ा सा चलते ही, साल भर से सड़क की मरम्मत का कार्य चल रहा है, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ देते हैं और कोई भी कार्य नहीं होता है।

इसी तरीके से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक रामदेव का मंदिर है, रामदेव बाबा का मंदिर तो मशहूर है और वहां पर सड़क बनते कम से कम सवा साल हो गया है, माननीय मंत्री महोदय सामने विराजमान हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़े-थोड़े टुकड़े करके छोड़ देते हैं। कोई मानिटरिंग नहीं करता है, न कभी कोई एक्स.ईएन. जाकर देखता है, न कभी कोई एस.ई. देखता है और न कभी कोई जे.ईएन. देखता है। ठेकेदार के भरोसे कार्य चल रहा है।

इसी तरीके से अनदाराम स्कूल के पास भी यही हाल है। इसी तरीके से हर जगह पर जाओ आप, थोड़े-थोड़े काम होंगे, आप काम करते होंगे मगर आपके काम करने का जो तरीका है, वह भिन्न है, करके छोड़ देते हैं जैसे देव

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नगर की तरफ जाओ तो नाला आधा करके छोड़ दिया। किसी को कर दें और किसी को नहीं कर दें, 'मतलब आधी रांधे और कुत्ता खाये', जो मारवाड़ी में कहावत है वह काम हो रहा है।

काम का एक तरीका तो होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यहां पर सामने बैठे हैं, कितने लोग वहां पर तकलीफ पा रहे हैं? वहां पर कोई बी.जे.पी. ही नहीं चल रही है, पूरी जोधपुर की जनता चल रही है। और रोड इतनी महत्वपूर्ण है कि जो जैसलमेर जाते हैं, बाड़मेर जाते हैं, सारी रोड उधर से है, फिर भी उनको इतनी भारी तकलीफ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में आपको आज कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा कि कब तक इसको करवा दोगे। महीने में करवाओ, बीस दिन में करवाओ, कुछ कहो तो सही। साल-साल भर हो गया। यह बाबा रामदेव का मेला और आ जाएगा और अभी कुछ भी नहीं, फिर बरसात आ जाएगी तो फिर कह देंगे कि बरसात आ गई। कलक्टर साहब कह देते हैं कि अरे साहब, बरसात आ गई, कैसे काम करें? तो फिर कब करोगे? काम का एक तरीका होता है।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें, माननीया श्रीमती सूर्यकान्ताजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी बोलती हूं तो आप तो मेरे को टोक देते हो। क्या बोलूं फिर?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आपको सबसे ज्यादा मौका मिला है अभी।

(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): 200 विधान सभा क्षेत्रों में सूरसागर ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। किसी ने भी उसके ऊपर वहां पर ध्यान नहीं दिया है। अब, मंत्री महोदय, आज आपको कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। मैं आपको सही कह रही हूं, मेरे को बहुत तरस आता है, जोधपुर की जनता आज वहां पर चलती है। मेरा विधान सभा क्षेत्र है और वह सवा-डेढ़ साल हो गया और वही एक बात है, तो फिर कहेंगे कि बरसात आ गई, यह कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, आप मेरे को यह बताओ। मेरे को तो आप आज बताओ कि मैं महीने भर में करूं, दो महीने में करूं, पन्द्रह दिन में करूं, कोई बात नहीं पर कुछ न कुछ तो जवाब देओ तो सही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ मेरे को। मेरे को आप इतना मजबूर मत करो।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पीड़ा को तो समझो। मेरी मत समझो, वहां की जनता की पीड़ा को समझो आप।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वह जनता की, आपकी बात आ गई। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेले के अन्दर हजारों, लाखों लोग आते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपको आज तो मेरे को कुछ कहना ही पड़ेगा।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनको मौका तो दो। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, मौका दूं, मैं बैठ जाऊं, बोलें। लो, मैं बैठ गई, मंत्रीजी जवाब दें तब न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये प्लीज।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की माननीय मुख्य मंत्री महोदय से इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और मैं उनके निर्देशों की पालना करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, ठीक है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह कोई जवाब है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब कोई अंकित नहीं हो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री ओटाराम देवासी, सदस्य, विधान सभा भू-प्रबंध विभाग, जोधपुर द्वारा कृषि भूमि के कथित गलत सेटलमैंट करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री ओटाराम देवासी।

(अनुपस्थित)

डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2006-2007 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2006-2007 के लेखों की आडिट रिपोर्ट व उस पर टिप्पणी

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2006-2007 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् विधेयक, 2012 । श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् विधेयक, 2012

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 । डाक्टर दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से यह अमेंडमेंट लाया है, उसके बारे में तो कोई बहुत ज्यादा किसी की भी कोई दूसरी राय नहीं हो सकती लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस समय हमने यह कानून बनाया, कोई बहुत पुराना नहीं है, 1999 में हम नया बिल लेकर आये थे, जोधपुर विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय और विधि विश्वविद्यालय बनाने के पीछे यही था कि सारे राजस्थान में न्याय व्यवस्था को और कितना अच्छा स्ट्रांग किया जा सकता है और उसमें पढ़-लिखकर जो बच्चे आयें, वे जनता को न्याय दिलाने में अपनी योग्यता का उपयोग कर सकें।

मैं जो समझा हूं, इसमें यह जो 7 में आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, सेक्शन-7 में Amendment of Section 7, Rajasthan Act No. 22 of 1999. For the existing sub-section (1) of Section 7 of the National Law University, Jodhpur Act, 1999 (Act No. 22 of 1999), the following shall be substituted, namely; यह आप 1 में जोड़ रहे हैं। ''The Chief Justice of the Supreme Court of India or his nominee, who is for the time being a Judge of the Supreme Court of India, shall be the Visitor of the University''. क्योंकि वह उनका यह आया कि उनको इतना समय नहीं मिलता है कि वे हर विश्वविद्यालय में जाकर के जो उनको काम करने थे, उन कामों को वे ठीक प्रकार से संचालित कर सकें। इसमें आपने दिया है कि ''The Chief Justice of the Supreme Court of India shall be the Visitor of the University'', पहले अपना ये प्रोविजन था। ''The Visitor shall preside over the convocation of the University'', मतलब हर कान्वोकेशन में उनको आना पड़ता था चीफ जस्टिस को। ''The Visitor shall have the right to call for the report on any matter pertaining to the affairs of the University''. ये तीन काम जो उनको करने थे, जो उनको करने में दिक्कत आ रही है कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनको इतना समय नहीं मिलता कि वे इसको कर सकें तो वे अपने इसकी जगह अपने कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नोमिनेट करेंगे।

इस बारे में कोई विशेष विवाद नहीं है पर मैं सोचता हूं, विषय चूंकि न्याय से है, यह विभाग, क्योंकि बहुत कुछ काम तो यूनिवर्सिटी को करना है और वह यूनिवर्सिटी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन में चलेगी, हमारी कोई बहुत ज्यादा उसमें दखलदांजी या कोई चीज होगी, वह भी मुझे नहीं लगती। लेकिन इसके माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था अभी तक जो चल रही है राजस्थान में, उस पर मैं सरकार का ध्यान जरूर केन्द्रित करना चाहता हूं। जब तक हम इस विषय पर चिन्ता नहीं करेंगे तो न्याय कभी भी आसानी से व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगा। जैसे हाई कोर्ट में 40 जजों के पद स्वीकृत हैं, आप ये बता दो, कभी भी इस राजस्थान में 28 से ज्यादा जज रहे हैं क्या? जब 40 जजों के पद स्वीकृत हैं और आप केवल मात्र 28 जज ही, पिछले कई वर्षों से कभी 28 हुए हों, 27 हुए हों, 29 हो गये होंगे, लेकिन लगभग रेंज यही है। अब 40 में से अगर 28 पद भरे हों, और बाकी पद खाली हों तो उस हाई कोर्ट में क्या न्याय की गुंजाइश है?

उसके कारण से ही अगर आप देखेंगे थोड़ा-सा, डिपार्टमेंट के लोग आये हैं, यानी हाई कोर्ट में जो सिविल अपील हैं, आपको आश्चर्य होगा, सिविल अपील के बारे में जिस गति से कोर्ट में व्यक्ति जाता है और एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अपील करता-करता आता है, तब तक तो वह मर जाता है, उसका पोता उसका रिजल्ट देखता है। अब इस व्यवस्था को आप और हम नहीं जानते हैं क्या? यह हम जानते हैं अच्छी तरह से कि सिविल कोर्ट के जितने भी मुकदमे हैं, उनके निस्तारण में बहुत अधिक विलम्ब होता है। अकेले, मैं कह रहा हूं, जोधपुर हाई कोर्ट की जो स्थिति है, क्योंकि हमारे लोग सीधे के सीधे जोधपुर से जुडे हुए हैं, हमारे यहां जो सिविल अपीलें हैं, उनका लगभग 20-20, 22-22 साल बाद नम्बर आता है, या उन पर कोई निर्णय होता है। 20-20, 22-22 साल, यानी न्याय का अर्थ ही खतम हो गया। जो न्याय के लिये गया और इतने प्रोसेस पूरे करते हुए गया, वह तो वैसे ही मर जायेगा। उसको लाभ क्या मिलेगा?

इस बारे में भी यद्यपि जो कुछ भी आज अमेंडमेंट लाये, कोई उससे बहुत ज्यादा सम्बन्धित नहीं है, लेकिन जो हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था है, जब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तक इस व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे, तो कामन आदमी को जो न्याय मिलना चाहिये, वे न्याय नहीं मिलेगा।

इसी तरह से क्रिमिनल अपील में भी 12-12 साल का डिले है। अब क्रिमिनल अपील में 12 साल का डिले, मैं तो आपको केवल अपने उदयपुर का ही बताता हूं, उदयपुर में और जितनी लोअर कोर्टस हैं, मेरा आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊंचा-नीचा हो सकता है, लगभग 33 से लेकर 40 परसेंट पोस्टें खाली हैं। राजस्थान की लोअर कोर्ट्स में 35 से लेकर 40 प्रतिशत पोस्टें खाली हैं। अब 40 प्रतिशत जहां न्यायालय में जज नहीं है, मेरे उदयपुर में ही 8 कोर्टें खाली हैं। आठ कोर्टों में आपके जज नहीं हों, तो न्याय कैसे मिलेगा उसको।

और उससे भी बदतर स्थिति है, यह जितने भी आजकल जो चैक बाउंस होते हैं, इनके मुकदमों का ढेर-सा लग गया। क्योंकि लोगों का अब पता नहीं, स्वभाव बन गया, किसी को भी चकमा देना है तो एक कागज पकड़ा दिया कि चलो, कम से कम एक बार तो आफत टली। उस कारण से जब ऐसे मुकदमे होते हैं तो मुकदमे ढेर सारे यानी उदयपुर की एक-एक कोर्ट में पांच-पांच हजार चैक बाउंस के मुकदमे पड़े हैं। क्या वह फैसले कर सकेगा? हो जायेगा निर्णय उन पर? हमें इस बारे में भी चिन्ता करनी चाहिये कि व्यक्ति को न्याय किस तरह से मिले।

इसी तरह से रेण्ट कंट्रोल एक्ट आपने बनाया, हमने संशोधन किया और उसके कारण से काफी लिटिगेशन कम हुए। यानी एक प्रोसेस में आ गया कि किराया इस पद्धति से बढ़ेगा, यह होगा। लेकिन आखिर उसके बाद भी रेण्ट कंट्रोल एक्ट के कई मुकदमे तो हैं, वे मुकदमें भी, क्योंकि आपने भी उसके लिये कोई अलग से कोर्ट नहीं बनाई। उस समय मंशा यह थी कि रेण्ट कंट्रोल एक्ट के केसेज को निपटाने के लिये हम कोई सेपरेट कोर्ट बनायेंगे, लेकिन हमने उन्हीं कोर्टों को यह काम भी दे दिया और उसके कारण से ये केसेज डिसाइड नहीं होते।

मैं चाहूंगा, मेरे इन सुझावों को, अगर हमें वास्तव में केवल तनख्वाह बचाना, पैसा बचाना है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप दस नये काम मत करो लेकिन जो सेट-अप हमारे पास है, उसको वेल-इक्विप्ड करो, पूरी तरह से संसाधन देकर के उसको ठीक करने का प्रयास करो, तब ही लोगों को उसका न्याय मिलेगा।

मैं इस माध्यम से, यद्यपि मेरा यह नहीं है कि आप यह जो संशोधन लाये, वह संशोधन कोई गलत है। चीफ जस्टिस सारे हिन्दुस्तान की ला

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यूनिवर्सिटी थीं, उनमें चले जाते थे। आज की तारीख में ला यूनिवर्सिटीज का जिस तरह से फैलाव हुआ, हर स्टेट में हुआ है, हो सकता है कि वे स्वयं फीजिकली जाकर के अपनी ड्यूटीज को नहीं दे सकते तो उनकी जगह उनका नोमिनी जाये, उसमें कोई बहुत बड़ा अन्तर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो न्याय व्यवस्था में हमारे यहां जो कमियां हैं, अब दुर्भाग्य तो यह है कि हमारे उदयपुर के ला कालेज में एक भी स्थाई न प्रोफेसर है, न रीडर है, न लेक्चरार है। अब वह क्या चलेगा, अब क्या विश्वविद्यालय चलेगा? मैं सोचता हूं कि आज दिन तक वहां इतने वकील बने होंगे, लेकिन एक व्यक्ति भी कन्फर्म नहीं। अब कैसे वह आपका ला कालेज चलेगा? वे भी सरकारी कालेज। अगर सरकारी कालेज की दुर्गति है और उस पर किसी का ध्यान केन्द्रित होता ही नहीं है तो मैं सोचता हूं बहुत दुखद विषय है।

इन सब विषयों पर जरूर ध्यान जाये, मंत्रीजी, आपसे मेरा इतना निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री अमरारामजी। बात तो यही कहेंगे आप भी?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इनसे अलग ही कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: जो माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया ने बोला है, उसी में आप भी शामिल हैं। आप भी वही कहेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गुलाबचन्दजी अपनी बात कह रहे हैं, अमराराम अपनी बात कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप पास-पास विराजते हैं, पड़ोसी हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2012 पर चर्चा है। ये बहुत ज्यादा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नहीं हैं। हमारे राजस्थान में एक विश्वविद्यालय है और पूरे देश में भी देखें तो मैं समझता हूं, पांच या सात से ज्यादा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नहीं हैं। इसलिये मैं तो इस संशोधन के विरुद्ध हूं। क्योंकि हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस साल में एक दफा हमारे इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उस प्रोग्राम में आयें, वे विजिटर रहें, तो मैं समझता हूं हमारे राज्य में कम से कम एक दफा तो चीफ जस्टिस निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयें, क्योंकि हर राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नहीं हैं, मुश्किल से पांच या सात होंगे। 365 दिन में से 5 दिन अगर निकाल

(श्री अमराराम)

देते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे हमारी जो कानून-व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा।

आजकल तो मैं समझता हूं कि देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पर थोड़ी बहुत लगाम लगाने की कोई कोशिश की है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, इससे लोगों की आस्था बढ़ी है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से कटारिया ने कहा कि न केवल पद रिक्त हैं, बल्कि जिस तरह से भरे जाते हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान में पहला मौका होगा, जब राजस्थान में ए.डी.जे. के, जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, उन्होंने विज्ञप्ति निकालकर भरने का काम किया, और राजस्थान के तमाम एडवोकेट्स ने पूरे राजस्थान में जिस तरह से आन्दोलन चलाया और काफी दिनों तक चलने के बाद, उसमें जिस तरह से रिक्रूटमेंट कर लिये थे एडिशनल सैशंस जज के और जिस तरह की भर्ती हमारे राजस्थान के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस करना चाहते थे उन सब कानून-कायदों को धता बताकर के, आखिर में उन वकीलों के जन-आन्दोलन के माध्यम से उस भर्ती को रद्द करना पड़ा और दूसरी प्रक्रिया को चालू करना पड़ा। मैं समझता हूं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं और नीचे के स्तर, क्योंकि न्याय है, जितना नजदीक होगा, जितना शीघ्र होगा तो वे न्याय होगा। जितना डिले होगा, मैं समझता हूं, उस न्याय को न देने के बराबर होगा; इसलिये आज राजस्थान में न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। राजस्थान में जितने भी, चाहे वह हाई कोर्ट के जजेज के रिक्त पद हैं, चाहे नीचे की कोर्टों में रिक्त हैं, उनको तुरन्त भरा जाये और उनका विस्तार भी किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सीकर में जितने मुंसिफ कोर्ट हैं, पांच मुंसिफ कोर्ट हैं? क्यों नहीं जहां-जहां उनका क्षेत्र है, वहां स्थापित किया जाये? केवल हैडक्वार्टर पर ही इतने कंसोलिडेट किया जाये, पांच-पांच मुंसिफ मजिस्ट्रेटों को एक जगह बिठाने के बजाय, निश्चित रूप से ग्रामीण न्याय की भी व्यवस्था की है, न्यायालय भी खोले हैं, लेकिन जितना नजदीक न्याय मिलेगा, जितना शीघ्र न्याय मिलेगा, मैं समझता हूं कि व्यक्ति को लाभ होगा।

इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बारे में मेरा तो अनुरोध यही है कि चीफ जस्टिस को इसमें रखा जाये, जिससे साल में कम से कम एक बार तो राजस्थान का दौरा करें।

(13.58 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री पेमारामजी।

(अनुपस्थित)

श्री पवनजी दुग्गल।

(अनुपस्थित)

श्री ओमजी बिरला। श्रीमती अनिता भदेल। आप बोलेंगे, ओमजी?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, उदयपुर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा और जो भावनाएं व्यक्त कीं, हम सब लोगों की एक ही भावना है कि राजस्थान में जो विधि विश्वविद्यालय बन रहा है, वे एक माडल विश्वविद्यालय बने और उस माडल

(14.00 बजे)

विश्वविद्यालय के लिए आज देश के अन्दर जितने भी ला के विश्वविद्यालय हैं, जब हम चर्चा करते हैं चेन्नई की, अन्य विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं तो राजस्थान का विधि विश्वविद्यालय भी इसके अनुरूप बने।

इसलिए, सभापित महोदय, हमारे माननीय सदस्य, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया ने जो प्रस्ताव दिया है, मैं उनकी राय से सहमति व्यक्त करता हूं और राजस्थान के अन्दर इसी तरीके के विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए जिससे देश के अन्दर, विश्वविद्यालय और एजुकेशन की दृष्टि से जो राजस्थान प्रदेश अग्रिम पंक्ति में रहा, वह उसी तरीके से अग्रिम पंक्ति में रहे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, इस बिल के विषय में माननीय गुलाबजी भाई साहब ने और ओमजी ने जो बातें रखी हैं, उनका ही समर्थन करते हुए मैं आगे अपनी बात को कहूंगी। जिस ला कालेज की आपने बात रखी है, पिछले आठ सालों में राजस्थान भर में जितने भी लॉ कालेज हैं, वहां से हम किस प्रकार के वकील तैयार करके भेज रहे हैं, इसको यदि हम स्वयं वहां जाकर देखें तो बहुत शर्म से डूबने की बात है। कोई भी स्थायी लेक्चरर वहां नहीं है, कोई सुविधा वहां नहीं है। उनके स्वयं के संसाधन नहीं हैं, भवन नहीं हैं, उनकी कोर्ट नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में हम

(श्रीमती अनिता भदेल)

कैसे इस न्याय व्यवस्था में अच्छे वकील बना करके भेज सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका समाधान हमें करना चाहिए।

जिस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में संशोधन की बात लेकर के यह बिल यहां रखा गया है, मैं यह कहना चाहूंगी कि जब इस प्रकार से किसी भी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं तो निश्चित रूप से उस पूरे विश्वविद्यालय की साख होती है और उस विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली भी उससे प्रभावित होती है, उनके नाम से प्रभावित होती है। यदि यह धारा इसमें हटा दी जाती है और नयी जोड़ दी जाती है तो उसकी उतनी महत्ता नहीं रह जाती जितनी रहनी चाहिए।

हमारा जो जोधपुर का विश्वविद्यालय है, वह भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान पर आये, प्रथम बने, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए और उसमें जो, जितनी कमियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री। श्री दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 पर जिन माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की है और विशेषकर के उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने न्यायालयों में न्यायाधीशों की पोस्टें खाली होना, ला कालेज, उदयपुर में प्रोफेसर और व्याख्याताओं के पद रिक्त होना ...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सब का है। (व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): चलो, सब का ध्यान। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से हो, यह सब सदन के लिए चिन्तन का विषय है, सरकार के लिए भी चिन्तन का विषय है।

मेरे से सम्बन्धित ला कालेज में प्रोफेसर और व्याख्याताओं की पोस्टें करने सम्बन्धी जो मामला है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में क्या प्रक्रिया अपना कर के और व्याख्याता और प्रोफेसर नियुक्त होते हैं, उसकी जानकारी करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी पोस्टें भरी जाएं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले समझा दो।

श्री पेमाराम (धोद): वे 'हां' बोल देंगे।

श्री सभापति: क्या?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बिल पेश किया लेकिन मेरे यह बात समझ में नहीं आयी कि यह बिल इन्होंने पेश क्यों किया? इस बिल, इस विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो जितने पद खाली हैं न्यायपालिका में या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में, यह सारा का सारा मामला विधि मंत्रालय के अन्तर्गत है।

शिक्षा मंत्री के नाते आपने यह बिल पेश किया है। इस विश्वविद्यालय पर न तो राजस्थान सरकार का कोई हस्तक्षेप है, इस विश्वविद्यालय पर न कोई राज्य सरकार का हस्तक्षेप है, न कोई लेन-देन है। ये विश्वविद्यालय विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में कुछ जगह स्थापित किये गये, उनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को इनका विजिटर बना दिया गया। लेकिन इस विश्वविद्यालय से सारे ला कालेज भी नहीं जुड़े हुए हैं, उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। बार काउंसिल आफ इंडिया ला कालेजों के बारे में भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थितियां और वह निर्माण करने के लिए तैयार है।

तो पहला तो मेरे यह समझ में नहीं आया, माननीय मंत्री महोदय, कि आपने इस बिल को किसलिए परिचालित किया? अगर विधि मत्रालय इस बिल का परिचालन करता तो मेरी समझ में आता। एक बात।

दूसरी बात, इसके अन्तर्गत हम हमारे जो ला कालेज हैं, उनकी अगर स्थिति को देखेंगे तो वह स्थिति भी हमारे को जान लेने की जरूरत है। बार-बार बार काउंसिल आफ इंडिया ने हमको कहा है कि राजस्थान के सारे ला कालेजों की हम मान्यता समाप्त करेंगे। हमने ला कालेज खोलीं, उनके लिए भवन बनाने का अलग से है, उन्होंने यह तय कर दिया कि कोई भी लॉ कालेज एक अन्य किसी कालेज की फेकल्टी के रूप में नहीं चलेगा। चारे राजस्थान में ला कालेज हम को अलग बनाने चाहिए थे, जितने ला कालेज हमने खोल रखे हैं, उन ला कालेजों की अलग से बिल्डिंग बनाने का, उनका काम करने का, वह काम बिलकुल हमारा हुआ नहीं।

एक यह विरोधाभास कि हम ला की क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, एक बार पहले दो साल का कोर्स था एलएल.बी. करने का राजस्थान विश्वविद्यालय में, फिर तीन साल का कोर्स इसका आ गया, अब यह पांच साल का कोर्स। यह कोर्स अलग है और वो कोर्स अलग है। उस कोर्स का संचालन राजस्थान विश्वविद्यालय से, जोधपुर विश्वविद्यालय से और विश्वविद्यालय के माध्यम से होता है। इसलिए यह जो विधि का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय अलग से अपना जोधपुर में बना हुआ है, इसमें अगर आप हस्तक्षेप भी करना चाहें, आप सुझाव भी देना चाहें तो न तो आपका सुझाव चलता है और न आपका हस्तक्षेप चलता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो संशोधन अपन लेकर आ रहे हैं कि, भाई, ये मुख्य न्यायाधीश न होकर यह होना चाहिए, मैं तो राज्य सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि ये लिखा जाए भारत सरकार को और यह ला, जो विधि आयोग की सिफारिश थी, इसके आधार पर हमने बना दिया, इस विश्वविद्यालय को भी हमको वापस राज्य सरकार के अन्तर्गत करना चाहिए।

कोर्स पांच साल का चलाएं, कोर्स में तो अपन को जिस प्रकार की राय विधि आयोग ने दी है, आप पांच साल का कोर्स करें। कोर्स आप पांच साल का चलाएं। और कोर्स में भी कोई फर्क नहीं है। ये बारहवीं पास करने के बाद में आ जाते हैं इसमें और पांच साल में परीक्षा पास कर लेते हैं। वे बी.काम. और बी.ए. और बी.एससी. करने के बाद में भी ला के कोर्स में आते हैं। इसलिए जो पांच साल का कोर्स है और यह तीन साल का कोर्स है, इन कोर्सों की जो विभिन्नता है, वह क्यों है, ये समझ में नहीं आ रही। बार काउंसिल आफ इंडिया की सिफारिश के आधार पर तो ला के ये कोर्सेज चल रहे हैं और विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर आपने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि का बनाकर वह कोर्स चला दिया। तो मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह पूछना चाहूंगा कि इसमें फर्क क्यों है? हम क्या हिन्दुस्तान भर में या देश में ला की पढ़ाई एक जैसी नहीं कर सकते? एक।

दूसरा, बार काउंसिल आफ इंडिया ने हमको जो नोर्म्स दिये कालेजों को चलाने के लिए उन कोर्स के लिए सरकार ने इस बार भी किसी प्रकार का बजटरी प्रावधान नहीं किया। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि जितने डिस्ट्रिक्ट में अपने ला कालेज चलते हैं उन ला कालेजों के बारे में सरकार की क्या योजना है? क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि भारत सरकार को यह लिखे कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो हैं, वे भी राज्य सरकारों के अन्तर्गत आएं? और इसमें विजिटर बजाए आप इनको बनाने के, हमारे जो कुलाधिपति होते हैं गवर्नर, उसी प्रकार से जो अन्य विश्वविद्यालयों में व्यवस्था है, वह व्यवस्था इसमें लागू क्यों नहीं हो? क्योंकि इसका खर्च कौन वहन करता है? हां, अपन ही तो करते हैं। तो सारा काम हमारा है तो फिर इसमें ऊपर से क्यों थोप रखा है? उनको तो टाइम ही नहीं है।

मैं अब यह कहना चाहता हूं कि जब से यह विश्वविद्यालय बना, तब से एक बार भी माननीय न्यायाधीश यहां पर नहीं आए।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): इसीलिए तो संशोधन ला रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आए भी नहीं और दीक्षान्त समारोह भी नहीं हुए। अभी कितने साल हुए इसके शायद दो बैच निकले हैं और इसमें कभी उनका आना नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये विसंगति जो हमारे ला की पढ़ाई में हो गयी है, इस विसंगति को दूर करने का प्रयत्न करें ताकि एक सम्यक रूप से एक कोर्सेज ला कालेज का हो, एक विधि विश्वविद्यालय का हो। यह अगर हमारे आएगा तो विधि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित और भी कालेज बनेंगे, उनका एफिलिएशन भी होगा और विधि की पढ़ाई को ठीक प्रकार से किया जा सकेगा।

मैं समझता हूं कि थर्ड रीडिंग पर इतना ही पर्याप्त है।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री जी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं एक बिलकुल आपसे स्पष्ट बात कहना चाहूंगा, we are talking about a university, हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और जहां तक यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, चाहे वह विधि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हो या किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हो, यह सिर्फ नालेज एम्पार्ट करने की संस्थाएं नहीं हैं। वरना इसमें और कालेज में क्या फर्क रह जाए? ये संस्था वे हैं जो नालेज को डेसिमिनेट तो करती हैं लेकिन नालेज को क्रिएट भी करती हैं। And you cannot create knowledge unless you do research.

जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और विधि विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो सम्पूर्ण न्यायपालिका के अन्दर जो कानून बने हैं, जो नियम बने हैं, जो राष्ट्र का संविधान है, उसके आधार पर भी हम बात करते हैं। मैं, आदरणीय, आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, सम्माननीय उदयपुर से आने वाले सदस्य ने यह बात तो कही कि अधीनस्थ न्यायालयों के अन्दर किस प्रकार से प्रिसाइडिंग आफिसर्स की या जजेज की कमी है, यह बात तो हमने बहुत अच्छी तरह कह दी लेकिन एक बात और हमको यहां देखनी पड़ेगी, जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां तो आप, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं पधार सकते, इसलिए आप यह, मैं एक बात और यह भी कहना चाहूंगा क्योंकि यह सदन का पटल है और सदन है, इसलिए मुझे यह अधिकार है वरना इसके बाहर मैं यह बात नहीं कह सकता। चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो और चाहे प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, इनको इन यूनिवर्सिटीज

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जहां नालेज क्रिएट हो रही है वहां तो आने का समय नहीं है लेकिन रोज प्रशासन और एक्जीक्यूटिव के अन्दर दखलंदाजी करने का उस कोर्ट में उनके पास में समय है। वे इस बात के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं क्योंकि वे यह मानते हैं कि नियम इस प्रकार के हैं कि नियमों के अन्दर गलियां निकाल-निकाल कर एग्जीक्यूटिव अपना उल्लू सीधा कर रही है। आज आपके और मेरे इस सदन के तीन सदस्य ऐसे हैं जो आपके और हमारे बीच में इसलिए नहीं हैं कि कहीं न कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म से प्रभावित होकर एग्जीक्यूटिव्ज ने यह कार्य किया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह यूनिवर्सिटी आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यूरी सिस्टम के बारे में कोई रिसर्च कर रही है? ये सदन तो फिर भी 200 आदमियों का सदन है, वह 540 आदमियों का संसद का सदन है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आपके और मेरे जीवन के बारे में एक या पांच व्यक्ति बैठकर निर्णय कर सकते हैं लेकिन अगर आज कहीं प्रजातंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगवाया है तो मैं चाहता हूं कि कम से कम न्यायालय में भी ज्यूरी सिस्टम के बारे में रिसर्च तो हो। आज अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम के अन्दर न्यायाधीश सिर्फ न्याय के बारे में जानकारी देता है, बाकी 20, 25, 30 आदमियों की ज्यूरी डिसाइड करती है कि जो ट्रायल हो रही है, वाकई में वह आदमी आरोपी है, कन्विक्ट हो सकता है, क्रिमिनल है या वह इन्नोसेंट है। यह विश्वविद्यालय इसलिए बने हैं, ये विश्वविद्यालय कालेज की तरह काम करते हैं, इन विश्वविद्यालयों को कम से कम रिसर्च के पेपर देने चाहिए।

बार-बार जुडिशियरी का एक्जीक्यूटिव पर और लेजिस्लेचर पर प्रहार इस बात के लिए बाध्य करता है कि कहीं न कहीं नियमों में और कानून में ये प्रजातंत्र के दो ऐसे स्तम्भ हैं जो कहीं न कहीं अपने आपको कटघरे में खड़ा महसूस करते हैं। पीड़ा मुझे इसलिए भी है, आदरणीय, मेरा भी एक साथी आज एक ऐसी जगह है। इस सदन को आज एक वक्त इस बात को कम से कम बैठकर महसूस करना चाहिए कि जहां बेल मिलना भी ट्रायल हो गया, बेल तो मेरा मौलिक अधिकार है। ये कांस्टिट्यूशन मुझे प्रोवाइड करता है कि मुझे बेल मिले, जमानत मिले, यह मेरा अधिकार है। बेल ट्रायल नहीं है। आज न्यायपालिका ने बेल को भी ट्रायल कर दिया है। बेल लेना अपने आपमें निर्णय लेने वाली बात हो गयी। मैं बहुत ओनेस्टली यह बात कह रहा हूं, आपका जो पहला करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का सर्वे आया, उसने पूरे राष्ट्र के अन्दर तीन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सबसे बड़े विभागों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया। सबसे पहले तो राजस्व विभाग को बताया, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, सिर्फ राजस्थान प्रदेश की बात नहीं कर रहा, दूसरा उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बताया, तीसरा उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय को बताया।

आज यह सदन इस बारे में बात नहीं करेगा, आज यह सदन इस बारे में नहीं सोचेगा कि जिन विश्वविद्यालयों की हमने स्थापना की है, कम से कम ये विश्वविद्यालय कोई रिसर्च करके इस बात का पाठ्यक्रम तो लाएं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां लेजिस्लेचर पर और एग्जीक्यूटिव पर बार-बार प्रहार हो रहा है, कम से कम यह तो बता दें कि क्या वह विवेकपूर्ण प्रहार है या सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर मीडिया के माध्यम से ग्लैमराइज्ड करके शोहरत प्राप्त करने का?

आज यूनिवर्सिटीज के बारे में आपने यह तो कहा है कि आदरणीय मुख्य न्यायाधीश को इतना समय नहीं है। मैं कहता हूं कि न्यायाधीश को अगर इन इन्स्टिट्यूशंस हेतु जहां न्याय का संरक्षण प्रदान करने और न्याय में कन्वर्ट करने का, जो यहां से बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए अगर आपको और हमको समय नहीं है तो फिर समय होगा किसके लिए? यह तो वह बात हो गयी, आप जिस हायर एजुकेशन के मंत्री हैं, आप ये कह दें कि मैं कालेज के किसी दीक्षांत समारोह में नहीं आ सकता इसलिए मेरा सेक्रेटरी चला जाएगा। Hon'ble, what are you doing today. एग्जेक्टली यह हो रहा है। एक ला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं आ के, हम पर तो बाध्यता है कानून निभाने की, नहीं निभाएं तो जेल जाने की बाध्यता है और उन पर अगर एक बाध्यता है तो इस बाध्यता की भी आपने गली निकाल ली।

आखिर प्रजातंत्र में लेजिस्लेचर, विधायिका सर्वोच्च है। अगर इस बात की डिबेट होनी है तो डिबेट इस सदन में हो सकती है कि न्यायपालिका भी जो नियम यहां से बनते हैं उनके अधीन काम करती है और जिस न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश को यूनिवर्सिटी में जाकर बैठने का समय नहीं है, वह न्याय के बारे में जब न्यायपालिका के रूप में विधायिका के ऊपर टिप्पणी करता है और प्रशासन पर टिप्पणी करता है तो उनको भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं आज इसलिए ये बात कह रहा हूं, अगर मैं बाहर कह देता तो कंटेम्प्ट आफ कोर्ट में चला जाता, लेकिन यह अधिकार भी इस संविधान ने मुझे दे रखा है। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, अपने सदस्यों के लिए अगर हम विचार यहां नहीं करेंगे, दलों की हदों में बंटकर चले जायेंगे तो आप यह मानते हैं कि सड़कों पर उनके बारे में विचार होगा? जब आप पर उंगली उठती है तो समझ जाना चाहिए कि उंगली मुझ पर भी उठ रही है, जब मुझ पर उंगली उठ रही है तो समझ जाना चाहिए कि सदन पर उंगली उठ रही है। यह सदन कम से कम एक राय होकर यह तो करे कि न्यायपालिका के माध्यम से ऐसे कौन-कौनसे हम लोग प्रमाण ले रहे हैं कि न्यायपालिका अपने कद से और अपने नियमों से भी भटक रही है। आखिर इस चीज को कम से कम आप और हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा?

यह अवसर था, मैंने आपका समय लिया, उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी आप बोलना चाहेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसमें मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने चूंकि वे नहीं आ सकते, ऐसी स्थिति में नोमिनेशन करने के लिए कहा है। यह नहीं कहा कि वे नहीं आयेंगे। इसलिये हमें उनके सेक्रेटरी-जनरल, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि मल्टीफेसेटेड ड्यूटीज एवं फंक्शन की जिम्मेदारियों को निभाने के कारण माननीय न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 में विजिटर के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर माननीय न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय या उनके नामिनी जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश हो, विश्वविद्यालय का विजिटर होगा। इसलिये ऐसा कहीं नहीं है कि वे नहीं आ सकते हैं। निश्चित रूप से यह भी विधि का मामला है, न्याय का मामला है, उससे मेरा सम्बन्ध नहीं है। यह यूनिवर्सिटी है और उच्च शिक्षा विभाग उसका प्रशासनिक विभाग है, इस दृष्टि से यह अमेंडमेंट उच्च शिक्षा के माध्यम से लाया गया है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाय ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 । डा. दयाराम परमार।

विधेयक पर विचार

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री अमरारामजी

(अनुपस्थित)

श्री पेमारामजी।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, अभी हमारे प्रभारी मंत्री ने राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 रखा है। पहले एक राजस्थान विश्वविद्यालय हुआ करता था, पूरे भारत देश में राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रभाव था, जो अध्ययन का तौर-तरीका था, जो स्टैण्डर्ड था वह काबिले तारीफ था और राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलने वाला विद्यार्थी जो डिग्री लेकर जाता था, पूरे भारत देश में उसका मान-सम्मान था।

आज हमारे राजस्थान प्रान्त की सरकार, जिस तरह से निजी विश्वविद्यालय का अभी जो कानून लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे प्रान्त में जनसंख्या बढ़ी है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। विश्वविद्यालय होने चाहिये। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि विश्वविद्यालय की अधिक संख्या नहीं होनी चाहिये, होने चाहिये मगर निजी तौर पर जिन विश्वविद्यालयों को सरकार छूट दे रही है, वे निजी विश्वविद्यालय न राजस्थान

(श्री पेमाराम)

की सरकार के अधीन रहेंगे, एक-एक कमरे में अपनी दुकान चलाने का काम करेंगे और एक लूट के अड्डे के अलावा दूसरा कोई विकास या जनता की मानसिक चेतना का स्तर विकसित करने की ओर कोई अग्रसर नहीं हो पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं, राजस्थान की सरकार के सामने विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लेकर आते हैं, सरकार उन्हें सस्ती रेट पर जमीन उपलब्ध करवाती है, सरकार उन्हें दूसरी सुख-सुविधाएं मुहैया कराती है और स्वपोषित योजना के तहत ये विश्वविद्यालय क्या फीस लेंगे? गरीब का बेटा उन विश्वविद्यालयों में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? क्या उन विश्वविद्यालयों में होगा कि नहीं होगा? एक तरह से ये दुकान का काम करेंगे।

इसलिये मेरा आपके द्वारा निवेदन है, राजस्थान की सरकार को चाहिये कि राजस्थान की जनता को लूटने के लिये इस तरह से 25-25 विश्वविद्यालयों को छूट देने का जो कानून लेकर आयी है, इससे राजस्थान की जनता का विकास होने के बजाय ये विश्वविद्यालय राजस्थान की जनता का विनाश करने का काम करेंगे, राजस्थान की जनता को लूटने का काम करेंगे, फीस के नाम पर लूटेंगे, कहीं पर जमीन के नाम पर। सभापति महोदय, एक कमरे की दुकान बनाते हैं और कितने-कितने एकड़ जमीन एक्वायर करवाकर ये उस जमीन का धन्धा करने का काम करते हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है, सरकार को चाहिये कि ये लूट की दुकानें बन्द करके ऐसे कानून को राजस्थान में लागू नहीं करना चाहिये। यदि राजस्थान की सरकार वाकई में राजस्थान के विकास हेतु विश्वविद्यालय खोलने का कोई कानून लेकर आ रही है तो वह राजस्थान की सरकार खुद अपने बजट का हिस्सा लगाकर सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी तो ही मैं समझता हूं कि सरकार के बने हुए कानून-कायदे उन पर लागू होंगे।

यह जो निजी विश्वविद्यालय हैं, यहां पर मंत्रीजी कानून जरूर बनवा देंगे लेकिन उसके बाद राजस्थान की सरकार के ऊपर का काम करेंगे। ये राजस्थान की सरकार का कानून मानने के लिये बाध्य नहीं होंगे। राजस्थान की सरकार अपना कानून लगवाने के लिये या कानून मनवाने के लिये इन विश्वविद्यालयों पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाती। यदि ऐसा होता तो आज तक एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान की सरकार ने अपना नियम, कानून-कायदा बनवाकर उनसे, क्योंकि न उनमें पूरा स्टाफ है, न पूरी बिल्डिंग है, न वे सरकारी कानून-कायदों के मुताबिक फीस वसूल करते हैं, न

(श्री पेमाराम)

ही वे सरकारी कानून-कायदों के मुताबिक अध्ययन की सुविधा देते हैं। इसलिये ऐसी सूरत में आज तक, और अभी शिक्षा का जो अधिकार आया है, उसमें मैं समझता हूं कि ये तो दुकानें हैं, ये दुकानें पहले फीस लेंगे, जेब काटने का काम करेंगे और उसके बाद डिग्री बेचने का काम करेंगे। निजी विश्वविद्यालयों के इस कानून को यदि मान्यता दे दी गयी तो अध्ययन की गुणवत्ता है उसका और ज्यादा सत्यानाश, सर्व सत्यानाश हो जायेगा। इसलिये ऐसे कानून की राजस्थान की विधान सभा में कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल।

(अनुपस्थित)

श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आज जो निजी विश्वविद्यालय का विधेयक लाया जा रहा है, यह बात सही है कि पूरे देश के अन्दर शिक्षा का व्यापक विस्तार हो रहा है और राजस्थान के अन्दर भी शिक्षा का व्यापक विस्तार निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से, इंजीनियरिंग कालेजेज के माध्यम से, मेडिकल कालेजेज के माध्यम से हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर 2008 से लेकर अभी तक 25 निजी विश्वविद्यालय बने हैं, निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों का विस्तार होना चाहिये लेकिन ऐसा लगता है अनुभव के बाद कि जो निजी विश्वविद्यालय बन रहे हैं और जो निजी विश्वविद्यालय लाने वाले लोग हैं, उनका आर्थिक बैकग्राउंड तो प्रबल हो सकता है लेकिन शैक्षणिक अनुभव और उनके पीछे का मकसद इस राज्य में शिक्षा का विस्तार, गुणवत्ता की शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने का नहीं है। यही कारण है, जब से विश्वविद्यालय बने हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण इन विश्वविद्यालयों के अन्दर कैसा अध्यापन हो रहा है, अध्यापन के लिये कैसे प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो रही है और जिन विषयों को सरकार ने मान्यता दी है, 17 विषयों को, उन विषयों का अध्ययन और अध्यापन कराने वाले जो शिक्षक और प्रोफेसर्स हैं, वे किस मापदण्ड के प्रोफेसर्स हैं, उनके वेतन और भत्तों की क्या व्यवस्था की गयी है, सभापति महोदय, इसी कारण से आज पूरे राजस्थान में इन निजी विश्वविद्यालयों पर ऊंगली उठ रही है। जब मैं कई बार विश्वविद्यालयों के अन्दर गया, जिस तरीके का वहां अध्यापन हो रहा है, जिस तरीके से अध्यापन कराने वाले अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, वह हम सबके लिए चिंता का विषय है। कई जगह

(श्री ओम बिरला)

तो जहां विश्वविद्यालय खोलें, उनमें अगर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में चले जायें तो उसके अन्दर सरकार का नियंत्रण नहीं, केन्द्र सरकार का नियंत्रण नहीं। उनकी स्वायता होने के कारण जिस तरीके से एक-एक निजी विश्वविद्यालय के अन्दर ना वहां इक्विपमेंट हैं, ना लैब है, ना संसाधन हैं, ना प्रोफेसर हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालयों के अन्दर, कहीं 5 हजार, कहीं 6 हजार, कहीं 7 हजार, देश के भावी इंजीनियरों को निर्माण करने का काम वे विश्वविद्यालय कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जो डिग्रियां बांट रहे हैं, जिन चीजों का अध्यापन करा रहे हैं, मेरा दावा है सरकार ने इसमें क्लाज नहीं रखा, अगर सरकार इसमें क्लाज बनाती, स्टेट काउंसिल आफ इंडिया, स्टेट काउंसिल आफ हायर एजुकेशन की स्थापना करती, एक ऐसी बाडी बनाती, जो विधेयक पारित होने के बाद वहां जाकर के देखती कि मेरे देश का, मेरे राजस्थान का जो विद्यार्थी उन निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने जा रहा है, क्या वहां अध्यापन की व्यवस्था है, क्या अध्यापन कराने वालों की व्यवस्था है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने खुद ने निजी विश्वविद्यालयों को देखा है, जिस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन के विद्यार्थियों को बिना लैब के, बिना इक्विपमेंट के, बिना साधन के, बिना प्रोफेसर के और एक-एक निजी विश्वविद्यालय उनकी क्षमता के विपरीत जिस तरीके से अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, वे हम सबके लिए चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, हो सकता है, यह विधेयक हम लाये, लेकिन आपकी नकल करने की आदत नहीं होनी चाहिए। वक्त, परिस्थिति के अनुसार, हमें समय के अनुसार व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहिए। जब स्वायत्ता और निजी शिक्षा के माध्यम से विस्तार करने पर पूरा देश चल रहा था, तब राजस्थान भी चल रहा था, हम इसलिए बिल लाये। लेकिन बिल में त्रुटियां रहती हैं। इस राजस्थान की विधान सभा में बैठा हर माननीय सदस्य जानता है कि जिस तरीके से इन विश्वविद्यालयों का निर्माण हो रहा है और उस निर्माण में जो लोग इनके पीछे हैं, वह अच्छे शैक्षणिक स्तर के विश्वविद्यालय हम नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, हमारे जो राज्य-पोषित विश्वविद्यालय हैं, जो राजस्थान के अन्दर 13 विश्वविद्यालय हैं, उनकी हालत भी चिंताजनक है। अभी हमारे मित्र पेमाराम जी कह रहे थे कि राजस्थान में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसमें शिक्षा मानकों के अन्दर हम गर्व से कह

(श्री ओम बिरला)

सकते थे कि राजस्थान का जो शैक्षणिक स्तर है, वह देश के अन्य जगहों के शैक्षणिक स्तरों से बैटर है, अच्छी क्वालिटी का है। यहां के प्रोफेसर भी, यहां के वी.सी. भी, यहां पर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी भी और उसके मापदंड पूरे देश के मापदंडों से बैटर क्वालिटी के कहलाते थे। लेकिन आज क्या हाल है? हमने निजी विश्वविद्यालयों को खोलने की परमिशन दे दी। क्या राजस्थान सरकार ने कभी उन राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों की स्थिति देखी है? आज हमने 6 नये विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा बजट में भी कर दी, अलग-अलग विषयों के अलग-अलग विश्वविद्यालय खोलने का मानस सरकार ने बनाया है।

सभापति महोदय, कभी आपने सोचा कि हम जब निजी विश्वविद्यालय बनायें तो उन निजी विश्वविद्यालयों में उनकी क्षमता के अनुसार ना प्रोफेसर हैं, ना उनके पास लैब हैं, ना इक्विपमेंट हैं। क्यों नहीं हम विश्वविद्यालयों को मान्यता देते समय उन्हें एक विषय पर एक्सपर्ट विश्वविद्यालय खोलने की बात करें? यही कारण है कि राजस्थान में हमने 6 नये विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है। हमने कोटा में कोटा का एक विश्वविद्यालय खोला, हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जिसकी चर्चाएं आम हैं कि आज इतने साल बाद भी जिस मकसद के लिए हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली थी, हमारे चिकित्सा मंत्री भी बैठे हैं, आज पी.जी. की परीक्षाओं में चले जाओ, पी एम टी की परीक्षा में चले जायें, निजी महाविद्यालयों की परीक्षाओं में चले जायें, उनकी क्या हालत है? इस राजस्थान के इतिहास के अन्दर कभी राजस्थान पी एम टी पर उंगली नहीं उठी, पी.जी. पर कभी उंगली नहीं उठी। हमने इतने साल बिना विश्वविद्यालयों के परीक्षाएं आयोजित कीं। लेकिन जब से हमने अलग विश्वविद्यालय खोला, हमने सोचा कि क्वालिटी देंगे, अच्छी परीक्षा आयोजित करेंगे, ठीक से परीक्षा आयोजित करने के बाद हम शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ायेंगे। लेकिन क्या हालत है, आज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? हम कोटा में चले जायें, हमने तकनीकी विश्वविद्यालय खोला, हमारी सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालय खोला। आज भी उस तकनीकी विश्वविद्यालय के अन्दर पदों की भर्ती के मामले में उस विश्वविद्यालय की इन्कम में से 14 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने ले लिये। वहां आज भी अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहां पर तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने का मकसद यह है कि हम राज्य के अन्दर तकनीकी क्षेत्रों का अध्ययन करें। इस राज्य के अन्दर जितने भी ठेके

(श्री ओम बिरला)

चल रहे हैं, पुल चल रहे हैं, जितने भी टेक्निकल रूप से काम चल रहे हैं, उनकी जांच किसी प्राइवेट एजेंसी से नहीं होकर के उस तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियर, प्रोफेसर के द्वारा हो। जिस तरीके से करोड़ों रुपये हम डी पी आर बनाने के लिए बाहर की एजेंसी को हायर कर खर्च करते हैं, अच्छा होता, हमारी सरकार उस तकनीकी विश्वविद्यालय को गुणवत्ता के आधार पर इस तरह पोषित करे कि हम जो डी पी आर बनाने के लिए, मिलीभगत के आधार पर जो होता है, उसका आधार तकनीकी विश्वविद्यालय होना चाहिए ताकि हम बैटर डी पी आर बना सकें, अच्छे प्रोफेसर रख सकें। पूरे देश में तकनीकी के क्षेत्र में, डी पी आर बनाने का काम आये तो हमारे कोटा के तकनीकी विश्वविद्यालय में आये।

सभापति महोदय, आज राजस्थान विश्वविद्यालय की जो हालत है, वही हालत और विश्वविद्यालयों की है। मुख्य मंत्रीजी विश्वविद्यालयों की घोषणा तो कर गये, मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि हम झुंझुनूं के अन्दर विश्वविद्यालय खोलेंगे, हम जोधपुर के अन्दर पुलिस ट्रेनिंग कैम्प खोलेंगे, राजस्थान के मुख्य मंत्री केवल जोधपुर के मुख्य मंत्री नहीं हैं। आज सवाल उठ रहा है, राजस्थान के अन्दर जो हमारा पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र है, ये देश में अच्छे पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में माना जाता है। यहां के पी एच क्यू ने भी राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भिजवाया था कि इसका विश्वविद्यालय खोलना चाहिए तो जयपुर में खोलना चाहिए। आज हम आलरैडी एक पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र अच्छा चला रहे हैं, वैल-इक्विप्ड करा रहे हैं, हमारी कमान्डो ट्रेनिंग पूरे देश की कमान्डो ट्रेनिंग से बैटर होती है। यहां के एक एडिशनल डी.जी. रैंक के अधिकारी ने तकनीकी व शैक्षणिक रूप से एक ऐसा पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिया था जो धीरे-धीरे देश के विशिष्ट मापदंडों में शामिल हो रहा था लेकिन उसको जोधपुर ले जाने की क्या आवश्यकता थी?

सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर देश या विदेश से कोई व्यक्ति आयेगा तो एयर सर्विस है क्या? हमारे पास एयर सर्विस बेटर होनी चाहिए। हमारे पास साधन हैं, इक्विपमेंट हैं, जमीन हैं लेकिन हम केवल एक नये क्षेत्र में नया विश्वविद्यालय ले जायें, वहां की जनता को कहें कि मैं पुलिस का एक विश्वविद्यालय लाया हूं, ये न्यायोचित नहीं है। मुख्य मंत्री राजस्थान का होता है, उसकी आंखें बराबर होती हैं।

(श्री ओम बिरला)

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर की क्या हालत है? हम रोज प्रश्न पूछते हैं, पिछली बार विधान सभा में भी मामला उठा, उस कृषि विश्वविद्यालय की क्या हालत है? आज यदि कृषि विश्वविद्यालय बनाना चाहें, जिसकी पूरे देश को आवश्यकता है, आज राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर बेस, इतनी हमारे यहां पर पानी की कमी है, एक प्रतिशत पानी हमारे यहां पर है, हमारे यहां पर रेगिस्तान है, हमारा इलाका रेगिस्तानी है, हम यहां पर कृषि विश्वविद्यालय तकनीकी रूप से बनायें, अच्छा बनायें तो कम पानी में कौनसी फसलें हो सकती हैं, इस बारे में अगर हमारा विश्वविद्यालय ठीक से बनायें तो पूरे देश के अन्दर हम नई तकनीक दे सकते हैं। नई तकनीक, जो हमारा यह भू-भाग है 31 प्रतिशत, वहां कृषि का भू-भाग 60 से 70 प्रतिशत बनाकर, नई तकनीक, नई योजना उसके तहत बने, अच्छा कृषि विश्वविद्यालय बने, उसमें अच्छे वैज्ञानिक आयें, नए शोध आएं कि कैसे कम पानी से रेगिस्तान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा फसल हो, इस ओर पूरा विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। हम जब चन्द्रमा पर पहुंच गये तो क्या यह सम्भव नहीं है, हम रेगिस्तान की इस बालू रेत को उपजाऊ नहीं बना सकते? लेकिन हमारी सोच, हमारा विजन नहीं। विश्वविद्यालय बनाना, विश्वविद्यालय की घोषणा करना, दो करोड़ रुपया दे दिया, यह, माननीय, उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, मैं अन्य विश्वविद्यालयों की एक-एक की चर्चा करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा।

श्री सभापति: थोड़ा समय का ध्यान रखें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, बिल में समय नहीं होता।

श्री सभापति: चिकित्सा की मांग पर भी आपको बहुत बोलना है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, कानून है, मैं नियम और प्रक्रिया से ही बोल रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोटा विश्वविद्यालय की भी चर्चा करना चाहता हूं। कोटा विश्वविद्यालय की घोषणा कांग्रेस के शासन में हुई। विश्वविद्यालय की डिमाण्ड बड़ी लम्बी थी, 2004 में कोटा का विश्वविद्यालय बना। क्या हालत है उस विश्वविद्यालय की? आज भी सरकार के उन मानदण्डों के अनुसार वहां प्रोफेसर अध्यापन कार्य को पूरा नहीं करने के कारण हमें केन्द्रीय अनुदान जो मिलना चाहिए था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से, वह

(श्री ओम बिरला)

अनुदान अभी तक नहीं मिल रहा है। उसका कारण राज्य सरकार की लापरवाही और निष्क्रियता है।

माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय बना दिया। कोटा के विश्वविद्यालय में माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया साहब वहां गये थे उन्होंने कहा, कोटा के विश्वविद्यालय में छात्र संख्या कितनी है, कितने विद्यार्थी हैं वहां पर? आज तक विश्वविद्यालय के अन्दर न संघटक कालेज बने हैं, न वहां पर परमानेंट स्टाफ है। आठ-आठ साल से ठेके के आधार पर कर्मचारी वहां चल रहे हैं। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, वहां पर जो शैक्षणिक पद होने चाहिए, जिसके बारे में सरकार कहती है कि हम अच्छे विषय खोलना चाहते हैं, वहां हालत यह है, माननीय सभापति महोदय, आधे से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं, नान- प्लान के अन्दर इस सरकार ने दो साल के अन्दर एक रुपया भी वहां पर नहीं दिया है।

माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा हालत आप देखें, वर्द्धमान कोटा खुला विश्वविद्यालय के नाम से आपने एक विश्वविद्यालय वहां खोल दिया। उस विश्वविद्यालय की क्या हालत है वहां पर? आज भी वहां पर आधा दर्जन से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं और एक लाख से ज्यादा विद्यार्थी होने के बाद भी, 16 व्याख्याता और 100 कोर्सेज चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे गंभीर बात है, मैं सदन पटल पर रखना चाहता हूं कि एक गरीब व्यक्ति, देवेन्द्र कुमार शर्मा, जो बड़ी आस के साथ वहां गया कि कोटा का खुला विश्वविद्यालय है, उस खुले विश्वविद्यालय के अन्दर 1998 के अन्दर उसने एम एड में प्रवेश लिया। माननीय सभापति महोदय, 2003 में परीक्षा आयोजित हुई, 2006 में उसको डिग्री दे दी गई। माननीय सभापति महोदय, देश के अन्दर सरकार के पोषित विश्वविद्यालय अगर किसी विद्यार्थी से धोखा करने लग जाएं तो इससे बड़ा इन्जस्टिस नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, उस विश्वविद्यालय के अन्दर एम एड की 1995 में मान्यता समाप्त हो गई। आज वे देवेन्द्र कुमार शर्मा अपनी बीबी और बच्चों को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है। जिस विश्वविद्यालय के अन्दर 1995 में मान्यता समाप्त हो जाए और उसकी डिग्री 1998 में दे दें, कल मैं माननीय उपाध्यक्षजी से मिला था वहां पर कोटा के अन्दर, उन्होंने कहा, यह बहुत गम्भीर विषय है, अच्छा है, सरकार कोई इस पर एक्शन प्लान करे। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है।

(श्री ओम बिरला)

पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दी लेकिन बड़े नामी व्यक्ति, वी सी होने के कारण उस व्यक्ति को आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से चाहूंगा कि आप निजी विश्वविद्यालय ला रहे हैं, निजी विश्वविद्यालय लाने के पहले मैं पुन: आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 से लेकर अभी तक जो भी निजी विश्वविद्यालयों की हालत है, उनकी हालत पर एक नियामक आयोग बनाना चाहिए, सरकार की एक बाउंडिंग एजेंसी द्वारा उन निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करना चाहिए। मैं हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहा लेकिन अनियंत्रित विश्वविद्यालय, इस राजस्थान के शैक्षणिक स्तर को गिराने वाले विश्वविद्यालय हमें कतई उचित नहीं लगते।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि निजी विश्वविद्यालयों को तो लाये सरकार लेकिन सरकार के जो स्वपोषित विश्वविद्यालय हैं, जो निजी विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा, सरकार घोषणा कर रही है, वे स्वपोषित राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर तमाम विश्वविद्यालय, मैंने एक-एक करके गिनाये, उन स्वपोषित, स्वयं सरकार अनुदान दें, उनको पोषित करे और पोषित करके उन विश्वविद्यालयों को एक अच्छे मानक के रूप में हम देश के अन्दर यह कह सकें कि कृषि विश्वविद्यालय हो तो राजस्थान जैसा हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो तो राजस्थान जैसी हो, आयुर्वेद विश्वविद्यालय हो तो राजस्थान जैसा, पुलिस ट्रेनिंग कैम्प हो, उसका विश्वविद्यालय हो तो राजस्थान जैसा हो, पत्रकार पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय हो तो राजस्थान जैसा हो। हमें यह नहीं कहना पड़े कि हमने विश्वविद्यालयों की दुकान खोल दी है। लेकिन सरकार के पास देने के लिए धन नहीं है तो ऐसे विश्वविद्यालय खोलकर हमारे राजस्थान के इतिहास को हम कलंकित नहीं करना चाहते।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि अगर विजन के आधार पर और सत्यता के आधार पर न्याय करते हो तो आपको निजी विश्वविद्यालयों पर एक नियामक आयोग बनाना चाहिए, एक बाडी कम्प्लीट इनकी जांच करे और जांच करने के बाद हमारे जो विद्यार्थी वहां पढ़ा करें, वे उच्च प्रतिभा के विद्यार्थी बनें। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, सरकार जो राजस्थान निजी विश्वविद्यालय की विधि में संशोधन विधेयक लेकर आई है, इस संशोधन के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि यह संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि शिक्षा तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। यदि राज्य से बाहर जाकर कोई अपना केन्द्र संचालित करना चाहता है और उसको दूसरा राज्य मान्यता नहीं दे, तो वह उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। इसमें इतना जल्दी लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी।

दूसरी बात, आज निजी विश्वविद्यालयों के बिल जैसे आ रहे हैं, जिस तरह से एक सेशन में लगातार तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच बिल आ रहे हैं, यह ठीक बात है कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि हम युवाओं को शिक्षा के अवसर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करायें, शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर नए-नए नवाचार आयें और निजी लोगों को भी उसमें सहभागी बनाया जाए जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ, पर यदि आज इन सब विश्वविद्यालयों में जाकर मौके पर देखें तो निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय एक बहुत बड़े व्यवसाय केन्द्र बन गए हैं जिनमें विद्यार्थियों को लूटने के लिए मन चाही फीस वहां पर तय की जाती है, विश्वविद्यालयों में ड्रेस के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, विश्वविद्यालय में यदि बोर्डिंग है तो वहां विद्यार्थी रहेगा ही रहेगा, यदि वहां बोर्डिंग है तो उसकी फीस जमा करानी ही करानी होगी। हमने यह बिल बनाकर सारे प्रोविजन इसमें किये हैं लेकिन क्या अक्षरश: इन सब प्रावधानों की पालना उन निजी विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध समितियां कर रही हैं? इसको किसी ने जाकर वहां चैक करने की कोशिश की है क्या?

2008 में इसी सदन ने भगवंत यूनिवर्सिटी निजी विश्वविद्यालय का बिल पारित किया। मैं अजमेर के बारे में कहना चाहती हूं कि वे निजी विश्वविद्यालय जब इन्जीनियरिंग कोर्सेज संचालित करता है, और दूसरा उसी का कालेज, जो ए आई टी कालेज के नाम से जाना जाता है, वही कालेज हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारी सीटों का अलाटमेंट कराता है। इन दोनों चीजों की व्यवस्थाएं करके आम छात्र, आम माता-पिता को वहां इस तरह से गुमराह किया जाता है कि जब छात्र वहां प्रवेश के लिए जाता है कि मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अधीन संचालित होने वाले कालेज में एडमिशन लेना चाहता हूं और वहां उसको एडमिशन दे दिया जाता है लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हम भगवंत यूनिवर्सिटी के तहत आपका एडमिशन कर रहे हैं

(श्रीमती अनिता भदेल)
या टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित महाविद्यालय में आपका एडमिशन कर रहे हैं जब परीक्षा उसको दिलाई जाती है तो परीक्षा उसको दिलाई जाती है भगवंत यूनिवर्सिटी के अधीन विश्वविद्यालय जो संचालित हो रहा है उसके माध्यम से। उसको बहुत बुरी तरह से छला जाता है लेकिन तब तक उसके हाथ में कुछ नहीं होता, पूरे वर्ष की पढ़ाई कर चुका होता है, उसकी फीस जमा हो चुकी होती है। ऐसी परिस्थितियों में वे माता-पिता कहां जाएं, वे बालक कहां जाए जिसके भविष्य से खिलवाड़ इस प्रकार के निजी विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है?

तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री यहां विराजमान हैं, आप इस प्रकार से जो निजी विश्वविद्यालय इस प्रकार से करतूतें कर रहे हैं, दो अलग-अलग चीजें संचालित करके उनको भी आप किसी तरह से चैक करने की कोशिश करें।

इसी प्रकार से कोटा दक्षिण से आने वाले जो विधायक महोदय हैं, उन्होंने जो बात कही है, अजमेर यूनिवर्सिटी को प्रारम्भ हुए लगभग 20 वर्ष से ज्यादा हो गये, हमेशा हम यह मांग करते आए हैं कि अजमेर यूनिवर्सिटी का कोई एक संघटक महाविद्यालय होना चाहिए और उस संघटक महाविद्यालय के लिए अजमेर का राजकीय महाविद्यालय एक बहुत उपयुक्त महाविद्यालय है, छात्रों की संख्या के हिसाब से देखें, उसके भवन और अन्य संसाधनों की दृष्टि से देखें और उसकी गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो भी वह महाविद्यालय संघटक महाविद्यालय बनने की योग्यता रखता है। लम्बी मांग के बाजूवद भी उसको आज तक संघटक महाविद्यालय घोषित नहीं किया गया है। तो मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी कर पाएंगे।

हम चाहते हैं कि सबको शिक्षा के अवसर मिलें, सबको शिक्षा के उपाय हम उपलब्ध कराएं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी तरह से हमारी शिक्षा की क्वालिटी से समझौता कर बैठें। क्योंकि जो शिक्षा की क्वालिटी के बारे में पूरे हिन्दुस्तान भर में राजस्थान की चर्चा है, यह कहा जाता है कि राजस्थान से निकलने वाला विद्यार्थी, वास्तव में बहुत प्रतिभा उसमें होती है, उसका ज्ञान बहुत उच्च क्वालिटी का होता है लेकिन जिस प्रकार से जिस धड़ल्ले से हम यह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल लेकर आ रहे हैं, उनकी स्थापना करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम उतनी तेजी से इस राजस्थान के शैक्षिक वातावरण को दूषित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसके अलावा एक और बात कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी बिल आए हैं, आप उन सब बिल्स को बहुत ध्यान से देखें, 25 तो 2011 से पहले तक के बिल हैं और इस सत्र में भी आप 5-6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल लेकर के आए हैं, जिस कृषि की हम बात करते हैं, क्या वे निजी विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में काम करने को तैयार हैं? किसी से आपने बात करने की कोशिश की है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज चालू कराना चाहते हैं, आप और अन्य शैक्षिक गतिविधियां कराना चाहते हैं, आप मेडिकल की शिक्षा उसमें प्रारम्भ करना चाहते हैं, पर कृषि और उससे सम्बन्धित इनोवेशंस आप प्रारम्भ करना चाहते हैं क्या? क्या उन निजी लोगों को इसमें आप सहभागी बनाने के लिए आप बातचीत करके उनको उस स्तर पर लाने के लिए तैयार कर सकते हैं? तो जो राजस्थान का इतना बड़ा क्षेत्र है कृषि और उससे सम्बन्धित व्यवसाय, शायद हम इन निजी विश्वविद्यालयों का उपयोग कर पाएंगे, उनकी भागीदारी को हम सुनिश्चित कर पाएंगे।

एक बात और मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यही सब निजी विश्वविद्यालय हम शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए लेकर के आएं लेकिन इनको कोई ऐसी बाडी गवर्न करे ताकि ये दुकान बन कर नहीं रह जाएं, उसको हम बनाने की बात सोच सकते हैं क्या? क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता से आपने समझौता कर लिया तो आपके बालक किस प्रकार से आप निकालेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में बनी हुई है और इंजीनियरिंग की वह पढ़ाई करा रही है, वहां कोई संसाधन नहीं हैं। जो लेक्चरर्स वहां शिक्षा के लिए नियुक्त हैं, उन लेक्चरर्स के पास में जो डिग्रियां हैं, उसमें वे खुद थर्ड क्लास से पास होकर आए हैं; राजस्थान से शिक्षित नहीं हैं वे, कोई यू पी से फर्जी डिग्री लेकर आया है, कोई कहां से फर्जी, दिल्ली से फर्जी डिग्री लेकर आया है, कोई खुला विश्वविद्यालय के नाम से फर्जी डिग्रियां लेकर आए हैं और वहां लाकर वे हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग की डिग्रियां दे रहे हैं। आप देखिएगा किस तरह के इंजीनियर हम बनाना चाहते हैं? क्या हम ऐसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं जिनको खुद को कुछ रोजगार नहीं मिले? ऐसी फौज हम खड़ी करना चाहते हैं क्या?

तो इसलिए मेरा, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन है आपसे कि आप इस बिल में जो प्रोविजन किये हैं, उनकी कड़ाई से पालन कराने के लिए कोई उपाय इसमें निश्चित रूप से करें। तभी हम शिक्षा की गुणवत्ता को, शिक्षा के अवसरों को बरकरार रख पाएंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं यह कहना चाहूंगी कि इसको जो तीन माह के लिए मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने की बात कही है, उसका मैं समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, तीन माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार व्यक्त किये। माननीय सदस्य, पेमारामजी ने यह शंका व्यक्त की कि निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 32 में सभी प्रकार का जो आरक्षण है, एस टी, एस सी, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, विकलांगों, जिन-जिन को हम आरक्षण दे रहे हैं, सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं।

माननीय सदस्य, कोटा से आने वाले ने आशंका व्यक्त की कि विश्वविद्यालय नियंत्रण के बाहर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण, धारा 41 में निरीक्षण का अधिकार है; धारा 44 में राज्य सरकार को विशेष अधिकार है कि विश्वविद्यालय का विघटन भी कर सकती है इसलिए इस तरह की शंका करना ठीक नहीं है। जो भी विश्वविद्यालय हम स्थापित कर रहे हैं, यह पहले से ही चला आ रहा है, उसी रास्ते के आधार पर हम चलते हुए विश्वविद्यालयों को खोल रहे हैं।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा के अनुसार पूरे भारत में 1,500 विश्वविद्यालय खुलने चाहिए और राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 75 विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं। अभी तक हम 51 विश्वविद्यालय ही खोल पाए हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, हम स्वयं इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि एक हायर गवर्निंग काउंसिल बननी चाहिए। अगर विश्वविद्यालय हम बनाते रहे और उनकी किसी तरह से मानीटरिंग नहीं हुई, देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं रही तो ऐसा समय आ सकता है कि डिग्रियां बिकती जाएं, शिक्षा की गुणवत्ता किधर से कहां, क्या हो जाए। इसलिए माननीय सदस्य, कोटा से आने वालों ने जो बात कही थी, माननीय सदस्या ने कही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस पर हमें चिंतन करना चाहिए और पूरी विधान सभा को इस पर बैठ कर चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से गवर्निंग काउंसिल बने।

(डा. दयाराम परमार)

लेकिन हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अगर प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो जिस तरह से जिस गुणवत्ता की शिक्षा की आवश्यकता है, आज की तारीख में देश में हमको, दुनिया में हमको काम्पीटिशन करना है तो निश्चित रूप से साधन सम्पन्न विश्वविद्यालय होने आवश्यक हैं। हमारी सरकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सरकार के सीमित संसाधन होते हैं, हम विश्वविद्यालय को जो संसाधन चाहिए, हम अच्छी तरह से स्थापित नहीं कर सकते हैं तो उस पर हम पीछे रह सकते हैं। तो निजी विश्वविद्यालय हैं, वे सालाना वहां 50 करोड़ रुपये इसका इंवेस्टमेंट करें, कई तरह के प्राइवेट-प्राइवेट विश्वविद्यालय ही काम्पीटिशन में आ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि देश में शिक्षा का वातावरण अच्छा बनेगा और गुणात्मक शिक्षा मिलेगी।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने भावनाएं व्यक्त की हैं, उसको हम सब महसूस करते हैं कि अच्छी भावनाएं हैं, लेकिन सब मिलकर ही शिक्षा का सुधार कर सकते हैं।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 एवं 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोलना चाहें तो अनुमति होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, वैसे यह जो राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 है, यह केवल एक साधारण सा अमेंडमेंट इसमें ला रहे हैं। 25 विश्वविद्यालय जिनको आपने 2008 से लेकर 2011 तक यहां विधेयक हमने पास करके इन सब विश्वविद्यालयों को अधिकार दिये हैं, बाद में आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बाकी लोगों ने कहा कि इसमें आपने एक शब्द ऐसा डाला है जिससे यह संदेश निकल रहा है कि ये विश्वविद्यालय हैं जो 5 साल तक चल गये हैं, उनको बाहर भी कहीं भी जिसको अपना इन्वेस्टमेंट करना है या उसमें कोई संस्था स्थापित करने का अधिकार आपने अपने एक्ट में दे दिया जो उचित नहीं लगता। इसलिए इसमें संशोधन है।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): 5 साल के बाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 5 साल के बाद। अब इसमें केवल इतना ही है इस बिल पर मेरे बोलने का था, लेकिन वह निकल गया, कोई बात नहीं अगले वाले में बोल लेंगे।

यह जो निजी विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन विधेयक है, विधेयक की धारा 5 के खण्ड ''म'' में विद्यमान अभिव्यक्ति बाहर वाला शब्द

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हटा दिया। बाहर किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट या किसी भी प्रकार का अपना काम नहीं कर सकेंगे, यह विश्वविद्यालय यहीं तक सीमित है, मैं यही समझता हूं। पहले हमने जो शब्द डाला था, उसके डालने के पीछे हमारा तर्क था, अब ये क्या नई परिस्थितियां पैदा हो गईं कि इस बाहर के शब्द को हमें हटाना पड़ा, संशोधन करना पड़ा? जिस समय हमने यह सोचा था कि भीतर और बाहर, दोनों जगह इस प्रकार की संस्थाएं अपना काम शुरू कर सकती हैं, तो ऐसे कौन-कौनसे रीजन रहे, कहां-कहां से आपको यह संदेश मिला कि आपने जो शब्द लिखा है इस शब्द का यह-यह दुरुपयोग होने वाला है? और इसको रोकने के लिए आपको इस प्रकार का इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी है।

हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम कानून भी कल बना लें और परसों हम संशोधन लाएं, तो हमारी बुद्धिमता तो इसी से पता लगती है। सच बात है, मैं और आप सब इसी के हैं। क्योंकि हमने भी 2008 में इसी प्रकार से विश्वविद्यालय का किया था, जब अगली बार दूसरा बिल आएगा उसमें मैं बोलूंगा, लेकिन हमारे मन में कोई रख दिया है तो जैसे कोई लोहे की लकीर हो गई, उसको पलट नहीं सकते। आप अपनी जिद पर अड़े रहो, हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। राजस्थान की जो दुर्दशा होगी, वह अपन 10 साल बाद देखेंगे, आज अनुभव नहीं होती। कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर कानून बनाने वाली संस्था है, इसको आज अक्ल नहीं आएगी, 10 साल बाद आ जाएगी। वस्तुस्थिति तो समझ में आ ही जाएगी कि आखिर सब कुछ विश्वविद्यालय जिस परपज से बना रहे हैं, वह परपज हल हो रहा है या नहीं हो रहा है।

एक तरह से, मैं सोचता हूं, पहले कभी हम प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल की मान्यता लेते थे तो हमें पसीना आ जाता था। प्राइमरी से मिडल स्कूल की मान्यता इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से कैसे ली जाए, कितनी बार इंस्पेक्शन होते थे, तब जाकर प्राथमिक से मिडल की मान्यता मिलती थी। अब तो यह कोई भी धनपति आओ, दो करोड़ रुपये जमा करा दो, इतनी जमीन खरीद लो, इतना उस पर भवन बना दो और फिर सारे के सारे परिवार के सब लोगों को यूनिवर्सिटी का सदस्य बना दो। मैं बहुत दुःख से कह रहा हूं कि होना कुछ नहीं है, यह परनाला तो यहीं गिरेगा क्योंकि हमको तो यह करना ही है। आज समझ में नहीं आएगा तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन हमने इन पूंजीपतियों के हाथ में इस शिक्षा के व्यापार को दे दिया है, चाहे हमने गलती की या आपने की। इसके अन्दर से भाव यही निकलता है कि जिसके पास दो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करोड़ रुपये जमा हों, जिसके पास इतने-बाई-इतना का प्लाट हो और जिसके पास बिल्डिंग खड़ी करने का पैसा हो, वह आराम से अपनी दुकान खोले और व्यापार करे। मतलब, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं समझी। मिडल स्कूल खोलने के लिए आपको उसकी कमरे की साइज देखने की जरूरत है, मास्टर देखने की जरूरत है कि उसमें ट्रेंड हैं या अन्ट्रेंड हैं, कैसा है, कैसा नहीं है, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, साल में रिजल्ट क्या आता है। बाकी सब चीजें होती हैं, परीक्षा भी हम लेते हैं, बाकी सब करते हैं, सारा अधिकार आपने दे दिया। अब आपने दे दिया।

यह तो थर्ड रीडिंग है, इसमें तो कुछ नहीं है, आप इस अमेंडमेंट में इतना ही समझा दो कि पहले जो शब्द डाला था, उसके पीछे भाव क्या था? और इस शब्द को हटाने के पीछे आपकी क्या ऐसी मजबूरी आ गई जिसके कारण से इस शब्द को विलोपित करना पड़ रहा है?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। मंत्री महोदय, एक मिनट माननीय सदस्य विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, निजी विश्वविद्यालय विधियों में संशोधन विधेयक तो हम लाये हैं, लेकिन और भी अच्छा होता, कुछ और संशोधन हम लेकर आते क्योंकि यह कोई बी जे पी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा पूरे देश का है। निजी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, नई यूनिवर्सिटीज खुलेंगी तो जिस तेजी से पापुलेशन बढ़ रही है, जिस तेजी से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उनको रिलीफ मिलेगी। हर स्टूडेंट हायर एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस देश की उच्च शिक्षा खराब हो जाए, उस देश को कोई नहीं बचा सकता। हम हमेशा जागते तो हैं, लेकिन जागते बिगाड़ के बाद हैं। अब यह कोई पालिटिकल इश्यू तो है नहीं, यह तो एजुकेशन का मामला है और एजुकेशन के मामले में सदन कहीं पर कुछ फैसला कर ले तो अच्छे फैसले आएं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए, हमारे स्टेट के फ्यूचर के लिए बहुत काम कर सकते हैं।

अब हम इस बात को जानते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज खुलीं, वे सब मल्टी-मिलियनर्स लोग हैं, उन्होंने खोलीं। ये उनका अधिकार है। उनके

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

पास पैसा है, वे पैसा जमा कराते हैं, रूल्स-रेगुलेशन के तहत सरकार के सामने आते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं, खोलिए, लोगों को फायदा मिलेगा, मिलना भी चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा चैक एण्ड बैलेंस है कि हम उनको कहीं पर कंट्रोल कर पाएं? आज हालत क्या है, यह निम्स यूनिवर्सिटी पास में चल रही है। खुले आम डिग्रियां बिक रही हैं। वहां जब मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया की टीम आती है, उस वक्त सिर्फ आसपास के गांवों से लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके लाकर सुला देते हैं और बाकायदा उनकी परमिशन हो जाती है। यह तो मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालत है।

जो हालात हो गये हैं, उनमें कई बार स्टूडेंट्स आएं, हंगामा हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वहां पर इन यूनिवर्सिटीज में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इनके बड़े रिलेशंस हैं, बी जे पी के नेताओं से भी रिलेशन हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी रिलेशन हैं, इनके आई ए एस आफिसर्स से रिलेशन हैं, इन यूनिवर्सिटीज के मालिकों की जो शाम होती हैं, वे स्काच के पैग आई ए एस आफिसर्स के साथ लगाते हैं, बड़े-बड़े लीडर्स के साथ लगाते हैं। उनका बहुत बड़ा नाम है। इस सदन के किसी सदस्य को कोई गलतफहमी है तो उस यूनिवर्सिटी में जाकर चैक करके बता दे। वहां हालत यह है कि उन स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर रखा जाता है। यदि कोई स्टूडेंट डिमाण्ड उठा दें तो वहां बाउंसर्स पाले हुए हैं जो उनकी पिटाई करते हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी में घटना हुई, वहां पुलिस नहीं घुस पायी, क्योंकि उन्होंने अपने निजी गार्ड रखे हुए हैं।

आज हम इस सदन में सिर्फ यह चर्चा कर लें कि आपने बेईमानी की, हमने नहीं की; हमने की, आपने की। हालत यह है, पहले भी यूनिवर्सिटीज खुलीं, तब भी ध्यान नहीं दिया पिछली सरकार ने। अब यूनिवर्सिटीज खुल गई, मंत्रीजी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कई मंत्रियों से कहा है, इतिहास वे बनाते हैं जो लोक धारा के विपरीत चलते हैं। जो धारा के साथ बहते हैं कि यह धारा चल रही है, वह गलत है, लेकिन मैं धारा से हट नहीं सकता, उनको इतिहास याद रखता है।

आज आपके पास हायर एजुकेशन का महकमा है। एक इतना छोटा-सा आप जो संशोधन लाये वह किस कारण से लाये, मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है, उसमें जरूरी होगा, कई यूनिवर्सिटीज इसका बेजा फायदा उठा रही होंगी, वह उठा रही हैं। इसके अलावा और भी कुछ बेजा फायदा उठा रही हैं।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

क्या आज हमारी यह मोरल ड्यूटी नहीं है कि हम एक और संशोधन लाएं, उस संशोधन में यह हो कि एक फीस लिमिट होगी, उस फीस लिमिट से ऊपर वे फीस नहीं ले पाएंगे; एक सिस्टम होगा जिसमें वे मनमानी नहीं कर पाएं; उस स्टूडेंट की सुनवाई होगी यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है; तो ऐसी एक गवर्निंग काउंसिल जो कहीं से भी सुझाव आयें, तो वे हो जहां पर जाकर पेरेंट्स शिकायत कर सकें; वहां पर यह नहीं हो कि प्राइवेट गार्डों के जरिए उनको धक्का देकर निकाल दिया जाए। वो पेरेंट्स, वे स्टूडेंट्स वहां पर जा सकें।

आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी आज भी पूरे देश में अपना स्थान रखती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुकाबले में इनकी बिल्डिंग अच्छी हो सकती है, इनके ए.सी. प्लांट अच्छे हो सकते हैं लेकिन प्रोफेसर और लेक्चरर के मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी इनसे आगे खड़ी है। आज भी लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पसंद करते हैं। एडमिशन लेने वालों की लाइन लगी हुई है, 89 पर्सेंट, 90 पर्सेंट कट-आफ पाइंट जा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। निजी यूनिवर्सिटीज को हमने अधिकार तो दे दिए लेकिन लोग मजबूरी में वहां पर एडमिशन ले रहे हैं।

हम संशोधन लाएं, लाने के साथ-साथ वे संशोधन भी लाएं जो आम आदमी की जरूरत के संशोधन हैं। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिकायत होती है तो स्टूडेंट कहीं भी जाकर अपनी बात कह सकता है, कहीं पर चैक एण्ड बैलेंस है। लेकिन इनकी शिकायत हो, मुझे आप यह बता दो कि आज तक इनके जो प्रोफेसर्स हैं, वी.सी. हैं, इनके हास्टल में सिस्टम है, इनके सिक्योरिटी सिस्टम किसी ने चैक किए? क्या इसमें यह नहीं होना चाहिए कि सम्बन्धित थाने के लिए हम करें कि वह थाना वहां की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि गर्ल्स हास्टल की हालत क्या है, बोयज हास्टल की हालत क्या है? वहां पर सिक्योरिटी के साथ सिस्टम है, किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है तो वो कहां पर जाकर शिकायत करें?

तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है या सिर्फ उनका मुद्दा नहीं है, यहमु द्दा पूरे राजस्थान का है। अभी आपने कहा कि 75 यूनिवर्सिटीज हमको खोलनी हैं, 51 हमने खोली हैं। आप तो बंद कर दो खोलना, जरूरत ही नहीं है। यदि हम इसीलिए खोलेंगे कि कोई खोलने के लिए आ जाए और वह आकर खड़ा हो जाए, हमारे पास इतने पैसे जमा करा रहा है

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

तो यह तो हम देख लें कि उसका बैक-ग्राउंड क्या है, क्या वह डिजर्व करता है या नहीं। जो आदमी यूनिवर्सिटी खोल रहा है, वह यूनिवर्सिटी खोलने के लिए डिजर्व करता है या नहीं? उसके खुद के लिए भी योग्यता के मापदण्ड हम निर्धारित करें कि क्या वह हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो कहीं एक कमेटी तो ऐसी हो, ताकि वह देखे। हम इसलिए कर दें कि यह हमारा है, उससे हम हायर एजुकेशन में सुधार नहीं कर सकते।

हालात ये हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में अभी आपने खुद ने देखा कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मर्डर हुआ। बड़ा हंगामा हुआ। बाहर का स्टूडेंट था, क्या स्थिति बनी, परिस्थिति बनी? पहले यह समझते थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो बड़ा डिस्सिप्लिन है, बहुत स्थिति ठीक है। आज चारों तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। जिन लोगों ने ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलीं, ये एक माफिया की तरह खड़े हो गए हैं। यह एक एजुकेशन माफिया खड़ा हो गया है। इस एजुकेशन माफिया को आने दीजिए लेकिन इस एजुकेशन माफिया से लड़ने के लिए सरकार के पास हथियार होने चाहिए कि यदि ये यहां गड़बड़ करेंगे तो हम इनका यहां पर इलाज करेंगे। जब आपके पास रूल्स, रेग्यूलेशंस में ही कुछ नहीं होगा तो आप उनको बाउंड कहां से करेंगे?

आज हमको लोक सेवा गारंटी बिल लाना पड़ रहा है, कल आप यूनिवर्सिटीज के लिए बिल लेकर आओगे। तो जो कल हम करने वाले हैं, वह संशोधन विधेयक आज हम लाएं, जल्दी उसका प्रावधान करें जिससे राजस्थान के आम-अवाम को, यहां के देश के आम-अवाम को लगे कि हमारी चिंता सिर्फ यह नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज की भीड़ बढ़ाकर जो हमारे ऊपर एडमिशन का प्रेशर है, उसको कम कर रहे हैं और इनको बांट रहे हैं। ये डिग्रियां बांट रहे हैं। आप आश्चर्य करोगे कि मेडिकल की डिग्री बंट रही है, इंजीनियरिंग की डिग्री बंट रही है, बिना तैयारी के डाक्टर तैयार होकर आ रहा है। मुझे डाक्टर कहकर गए; आज हमारे एस एम एस मेडिकल कालेज से क्या मुकाबला करेगा निम्स का डाक्टर? कर ही नहीं सकता। मैं आज कह रहा हूं कि आप पांच आदमी इधर से लो, पांच उधर से लो और एक कमेटी बना दो और पांच भले डाक्टर जो रिटायर हो गए, फ्लोर पर, अच्छे डाक्टर, वे कह देंगे कि नहीं, ये नहीं करवा सकते। आज उनकी हालत खराब है।

आज कोई भी एस एम एस मेडिकल कालेज, एस एम एस में जाता है तो तैयारी से जाता है, बिस्तर मिले या नहीं मिले लेकिन वह जानता है कि

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

डाक्टर इधर देखते-देखते भी चीरा लगाएगा तो सही लगाएगा। उसका एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा वह इलाज कर रहा है और उससे बड़ी उम्मीद है। आज यहां पर बड़े-बड़े हास्पिटल खुल गए, डिग्रियां बंट रही हैं। कैसे हो रहे हैं एडमिशन? हम जानते हैं कि कैसे एडमिशन हो रहे हैं। वहां पर मेडिकल कालेज में एडमिशन के लिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आज भी बोली लगती है। यदि सीट खाली हो जाए और राजस्थान का कोई भी एक मंत्री, चीफ मिनिस्टर के अलावा, कोई सम्बन्ध ही हो और भ्रम ही पैदा हो जाए तो हमारे जैसे से डरते हुए कोई एडमिशन दे दे तो भले ही दे दे, पर कोई मंत्री यह सोचे कि हम एडमिशन करा देंगे तो यह गलतफहमी है और दिमाग से निकाल देना। अगर कोई सदस्य यह समझे तो मिलने का टाइम नहीं दे।

हालात ये हैं कि वहां पर चैक्स एण्ड बैलेंस हम एडमिशन में भी नहीं लगा पा रहे हैं। वे चाहते हैं उतने पैसे लेते हैं। बोली लगती है, 50 लाख, 40 लाख, 35 लाख। बोली लगने के बाद, पैसे ले लिए, कोई बात नहीं, पर ईमानदारी से डाक्टर तो बनाएं। ईमानदारी से वे डाक्टर नहीं बना रहे हैं, ईमानदारी से इंजीनियर नहीं बना रहे हैं। आज हालात यदि ये होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में सब जगह ये हालत हो रही है।

सभापति जी, मैं निवेदन करूंगा कि आज स्थिति यह है, यह यूनिवर्सिटीज की बात जब भी आती है तो मैं खड़ा होकर बोलता हूं। मुझे पता है, यूनिवर्सिटीज के बारे में मेरे पास स्टूडेंट बहुत आते हैं, हालत बहुत खराब हैं। महेन्द्रजी के पास जाते होंगे, और कोई जो स्टूडेंट लीडरशिप से निकलकर आए हैं उनके पास आते हैं, पर हमारी स्थिति यह है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आज हम किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कल मीडिया कह देगा कि आज भी प्रताप सिंह खाचरियावास, महेन्द्र चौधरी जैसे लोग विधान सभा आ गए, पहुंच गए, वहां यूनिवर्सिटी में जाकर देखो कि ये क्या कर रहे हैं। हालत ऐसी ही है। आप उनको समझाओ, वे समझने को तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय, इसलिए आज मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सीरियस मामला है, इन यूनिवर्सिटीज के मामले में हमको सीरियसली विचार करना पड़ेगा, चैक्स एण्ड बैलेंसेज लगाने पड़ेंगे और सरकार के हाथ में इनकी चाबी रखनी पड़ेगी, तब जाकर ये सुधरेंगे नहीं तो ये माफिया खड़ा हो जाएगा। इनका इलाज होना चाहिए और आम स्टूडेंट जो यहां पर एडमिशन लेता है, बाहर से राजस्थान में अलग-अलग स्टेट से आ रहा है, यू.पी. से, बिहार से, सहमा-डरा

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

हुआ है, गर्ल्स आ रही हैं वे रोती हैं, उनकी पूरी बात मैं आपको बता नहीं सकता। कहां जाकर कहें? अन्याय हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट गर्ल्स और ब्वॉयज दोनों हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वे सेक्रेटेरिएट में घुस नहीं सकते, चौकीदार उनको घुसने नहीं देगा; वे किसी आई.ए.एस. आफिसर के पास जाएंगे तो, वह टाइम नहीं देगा। घूम-फिरकर हम मिलते हैं और हमारे पास जितने लोग पहुंच पाते हैं, उनकी हम मदद करते हैं। लेकिन कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो हो जहां पर जो बिहार, यू पी, बंगाल, केरल, कर्नाटक से स्टूडेंट आ रहा है, वह वहां पर जाकर यह कह सके कि मैं इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, मेरे से जबरदस्ती पैसे मांग रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आपकी प्रजेंस शार्ट हो गई, इतने पैसे जमा कराओ तब आपको हम एग्जाम में बैठने की परमिशन देंगे, तब आपका हम एग्जाम लेंगे, आपका एग्जाम हम अलग से लेंगे। ये जो हालात हैं, वह खून के आंसू रोता है। उसके माता-पिता अदर स्टेट से आते हैं तो उनको धमकी दी जाती है, डराया जाता है, वह डरकर भाग जाता है। गरीब होता है तो अपने बच्चे को लेकर चला जाता है और गरीब नहीं होता है तो पैसे देकर के अपना काम करवाता है। ऐसे में जो छोटी-छोटी प्राब्लम्स हैं, यही दैनिक जीवन में बड़ा काम कर रही हैं।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्रीजी से कहूंगा कि इन यूनिवर्सिटीज के लिए चैक्स एण्ड बैलेंस का बड़ा खाका तैयार कर लो, पूरा सदन आपके साथ है।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, यह जो संशोधन लाया गया है, इसमें पैसे वाले के लिए सारा भारत खोल दो, इसकी बू आती है।

श्री सभापति: ये जो माननीय सदस्य बोले हैं, उनसे हटकर कोई सुझाव हो तो वह दे दो। अच्छे सुझाव आ गए हैं, इनके हटकर कोई सुझाव हों तो बताएं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हटकर एक तो मेरा सुझाव यह है कि यह सदन राजस्थान की चिंता करे या कुछ गिने-चुने सेठों की चिंता करे, एक तो मेरी चिंता यह है। यह इस रूप में है। अभी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने कांस्टीटुएंट कालेज की बात कही है। सारे एक्ट छोड़कर जोधपुर विश्वविद्यालय के सारे एक्ट में प्रावधान है कि जितने कालेज होंगे, सरकारी कालेज उस स्थान पर होंगे, सारे कांस्टिटुएंट कालेज होंगे। कोटा में

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

नहीं बना, कोटा में तीन कालेज हैं, कामर्स कालेज अलग है। उदयपुर में गर्ल्स कालेज है, अजमेर में ब्वायज कालेज अलग है, अभी सीकर बना उसमें है, अलवर में है, भरतपुर में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांस्टिटुएंट कालेज को आप डवलप नहीं करना चाहते हैं, जबकि एक्ट में प्रावधान है।

यहां संशोधन ला रहे हैं एक आदमी का। इसके नाते मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ये अपना कैम्पस यू पी, बिहार में खोलेंगे और वहां बदनामी होगी, वहां की सरकार जब करेगी तो होगी राजस्थान सरकार द्वारा घोषित निजी विश्वविद्यालय अयोग्य होगा या प्रतिबंधित होगा तो बदनामी किसकी होगी? एक मालिक के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। आप क्यों उनसे बाहर कैम्पस खुलवाना चाहते हैं? ये क्यों संशोधन ला रहे हैं? इस कारण से राजस्थान का स्तर, बदनाम हम होंगे। राजस्थान में खुले हुए विश्वविद्यालयों का स्तर गिर जाएगा जैसे यू पी, बिहार का था। एक तो मेरी आपत्ति यह है। इस कारण नियामक आयोग पहले बने और यह संशोधन बाद में लाया जाए। उसमें कैम्पस की भी क्या कंडिशन होगी, नियामक आयोग को उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा क्या, अगर उन्होंने बिहार में खोला या यू.पी. में खोला या हरियाणा में खोला तो उसको निरीक्षण करने का अधिकार होगा क्या, ये भी प्रावधान हमें करने चाहिए।

इसी प्रकार से मैं आपको निवेदन करूंगा, ये अमेंडमेंट आप तीन साल में ले आये। सभापतिजी, मैं आपको राजस्थान की व्यथा बता रहा हूं, बाड़मेर और जैसलमेर का विद्यार्थी, जालौर का विद्यार्थी जोधपुर का विश्वविद्यालय होते हुए अजमेर विश्वविद्यालय में आता है। हमें एक शब्द बदलने की फुर्सत नहीं है, राजस्थान के गरीब बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है कि हम जोधपुर विश्वविद्यालय के एक्ट में यह प्रावधान कर दें, उसका कार्यक्षेत्र जोधपुर शहर के स्थान पर कर दें, उसमें जैसलमेर जोड़ दें, बाड़मेर जोड़ दें, सिरोही जोड़ दें, पाली जोड़ दें, जालौर जोड़ दें। इसके लिए तो हमें 50 साल में भी फुर्सत नहीं मिली। जैसलमेर का विद्यार्थी अजमेर यूनिवर्सिटी में, जोधपुर देहात का भी उसमें। यह कैसी विडम्बना है! जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी कालेजों में, उनका विश्वविद्यालय अजमेर में है। क्या उसके लिए एक्ट नहीं ला सकते? क्या उसके लिए कोई आश्वासन दे सकता है? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, क्या वे आश्वासन देंगे कि इसी सत्र में जोधपुर विश्वविद्यालय को क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाने का आप प्रस्ताव लायेंगे?

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

और उसके कारण से जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, पाली के विद्यार्थियों का भला होगा, ऐसा आश्वासन देंगे आप इस अवसर पर? कभी सोचा ही नहीं आपने। जोधपुर में विश्वविद्यालय है, वह शहर का विश्वविद्यालय है, जो सबसे पहले स्थापित हुआ था। जैसलमेर का विद्यार्थी जोधपुर आएगा, फिर अजमेर आएगा। बाड़मेर का विद्यार्थी पहले जोधपुर आएगा, फिर अजमेर आएगा। ये विडम्बना नहीं है तो क्या है? क्या उसका संशोधन ला सकते हैं आप?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): बंटवारा कर दिया। बंटवारा कर दिया जोधपुर और अजमेर का।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कब कर दिया?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): कर दिया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कर दिया? बहुत-बहुत धन्यवाद।

दूसरा निवेदन मेरा यह है, अभी खाचरियावासजी कह रहे थे, हम सम्भालने की चिंता नहीं करते, कब से हो रहा है। आज मेडिकल कालेज जयपुर के जो प्राध्यापक रिटायर हो गये, प्राध्यापकों ने किसी कारण से अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया, वे वहां फैकल्टी मेम्बर हैं, वे जाकर निम्स में फैकल्टी मेम्बर बन गये क्योंकि उनकी योग्यता है। इसको कहीं तो देखिये आप। इस प्रकार की स्थिति है, सारे जितने भी प्राइवेट हैं।

एक दूसरी बात और है। चेयरपर्सन के लिए एक्ट में उस समय किया था, इसमें चेयरपर्सन कर दिया, इसलिए वह तो दसवीं पास हो सकता है और वह विश्वविद्यालय होगा। उसकी डिग्री पर ठप्पा उसका लगेगा, उसकी फैकल्टी पर ठप्पा उसका लगेगा। क्योंकि वह दो करोड़ रुपयों का मालिक है, इसलिए उसका ठप्पा लगेगा। उस समय भी मैंने आपत्ति की थी कि चेयरपर्सन का क्या मतलब है? इसके कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ये अवसर है। संशोधन तो जब दुबारा कोई आएगा, तब दूंगा लेकिन मेरा निवेदन है कि यह जो बाहर कैम्पस की बात है जिसके कारण से राजस्थान की शिक्षा का स्तर बदनाम होगा, इसको भी चैक करने का कोई प्रावधान डालना चाहिए।

इसी प्रकार से उनकी फैकल्टी बन रही है कि नहीं बन रही है, एक और षड्यंत्र है, यह मैं इसको विदेशी षड्यंत्र मानता हूं, हमारी जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें नये पाठ्यक्रम नहीं आ रहे हैं और चुपचाप आई ए एस से मिलकर नये-नये कम्प्यूटर के नाम पर या अन्य नाम पर या मैनेजमेंट के नाम पर जो विषय आ रहे हैं, उनमें योग्यता चुपचाप जुड़वाते रहते हैं। ये

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

प्राइवेट विश्वविद्यालय चुपचाप जुड़वा लेते हैं और नये पाठ्यक्रम का जो नाम है, वह बदलते रहते हैं और हमारे जो बालक स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वे वंचित रह जाते हैं। यह घुसपैठ चल रही है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आप यह खोल रहे हैं, अभी जितने बी पी एल परिवार हैं, क्या उनके बच्चे इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं? क्या फीस माफ कराने का प्रावधान इसमें करने जा रहे हैं? क्या विशेष ओ बी सी का प्रावधान करने जा रहे हैं इसमें? क्या ओ बी सी के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान करने जा रहे हैं? फिर किसके लिए खोल रहे हैं ये विश्वविद्यालय? इस प्रांत के लोगों का पैसा भी वे लूटेंगे और फिर बाहर कैम्पस स्थापित करेंगे। इस प्रकार से बदनामी का डर है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा कि सतर्क हो जाइये।

मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, सुखाड़ियाजी जब आये थे ना, सुखाड़ियाजी जब मुख्य मंत्री थे, एक बार वाइस-चांसलर से बात करनी थी; बाद में उन्होंने क्या कहा, मैं ही आ रहा हूं, वाइस-चांसलर जी, आप वहीं रहो। सुखाड़ियाजी सदाशयता दिखाते हुए वाइस चांसलर के आफिस में गये। इतना बड़ा कद है वाइस चांसलर का और आज हम सेठों को वाइस चांसलर बना रहे हैं, सेठों को आप विश्वविद्यालय खुला रहे हैं। कुछ कैडर बनाइये, कुछ कद बढ़ाइये जिसके कारण से राजस्थान में जो शिक्षा का नाम है, हम शिक्षा में पिछड़े हुए नहीं हैं, कभी टाइम था जब आई ए एस में चौथे नम्बर पर और पांचवें नम्बर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होते थे। इस प्रकार का जो सम्मान हमें शिक्षा में मिला हुआ है, उसको खण्डित करने का प्रयास नहीं हो, ऐसी गारंटी आप इसमें स्थापित करें। इतना ही निवेदन था। जय हिन्द।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी, यह जो सदन की चिंता है कि इन निजी विश्वविद्यालयों के ऊपर गुणवत्ता और नियंत्रण, ये दोनों आवश्यक हैं। जो पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने कहा, जो अपने राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति के पूर्व अध्यक्ष ने कहा और आप तो खुद शिक्षाविद् हैं पहले भी आपके पास में यह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा है। तो सदन की चिंता पूरे राजस्थान की चिंता है। राजस्थान का नाम पूरे देश में काफी सम्मान से लिया जाता है हर क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में तो, यहां की गुणवत्ता के बारे में तो लोग बहुत आदर रखते हैं कि वहां की शिक्षा बहुत अच्छी है। इसलिए यह पूरे सदन की जो भावना है, उस भावना के अनुरूप पूरा सदन यह आशा करता है कि इसके बारे में आप जरूर बतायें कि किस तरह से उनकी गुणवत्ता बढ़े और किस तरह से

(श्री सभापति)

उन पर नियंत्रण भी हमारा रहे। हम लोग केवल असहाय ही नहीं रह जायें, यह पूरे सदन की भावना है। आप जवाब देंगे?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): मैं जवाब देता हूं माननीय कटारिया साहब का। माननीय सभापति महोदय, जो भावनाएं माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं, उन भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और सभी मिलकर क्या सुधार हम कर सकते हैं और चैक्स एण्ड बैलेंसज बनाने के लिए क्या कदम उठाने हैं, इस पर चिंतन किया जायेगा।

यह जो अभी संशोधन बिल लाया गया है, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई थीं जिससे कि आपको ऐसा संशोधन लाना पड़ा, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पृथक-पृथक अधिनियमों के द्वारा अब तक राज्य में 28 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं और उक्त स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की अधिनियम की धारा (5) में यह प्रावधान है कि पांच साल के बाद में वह विश्वविद्यालय किसी अन्य दूसरे राज्य में अपना कैम्पस लगा सकता है और कैम्पस के माध्यम से अपनी गतिविधियां वहां चला सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2011 द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया है, भारत सरकार के विधिक कार्य विभाग की सलाह पर यह कहा है कि जिस राज्य ने मंजूरी दी है इस विश्वविद्यालय को, वह दूसरे राज्य में अपनी गतिविधि नहीं चला सकता है और इसलिए यह अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी है। मैं समझता हूं कि यू जी सी की गाइडलाइंस के अनुसार हम संशोधन कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी दूसरी परिस्थिति नहीं है और न किसी को कोई किसी तरह का लाभ पहुंचाने की इसके पीछे मंशा है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो संशोधन लाया गया है, उसको पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री रतन देसाई उर्फ देवासी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या-24)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापतिजी, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने अपने 23वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 17 अप्रैल, 2012 से 20 अप्रैल, 2012 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2012	1. कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। 2. अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2012	1. राज्य में विधान परिषद का सृजन किये जाने हेतु संकल्प पर विचार एवं पारण। 2. जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012; व 3. संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012- पर विचार एवं पारण। 4. अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2012	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग की जाकर दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेगी)	
शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2012	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012; 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2012; 3. राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012; व

(श्री रतन देसाई उर्फ देवासी)

	4. पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

श्री दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम। (अनुपस्थित)

श्री अमराराम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है। जहां तक निजी विश्वविद्यालयों का सवाल है, अभी काफी चर्चा इस पर हुई है, मैं समझता हूं कि राजस्थान ने यह निजी विश्वविद्यालय बनाने में पूरे देश में रिकार्ड बनाया है। शायद ही कोई राज्य होगा जहां 28 निजी विश्वविद्यालय; आज तक, हमारे मंत्रीजी अभी कह रहे थे कि 28 निजी विश्वविद्यालय हमने एक्ट बनाकर चालू करने का काम कर दिया और यह उनतीसवां शायद होगा। (व्यवधान) ट्रॉफी, मतलब शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण करने का काम, रिकार्ड तोड़ने का काम, क्योंकि हमारे जो

(श्री अमराराम)

सरकारी विश्वविद्यालय हैं चाहे वह राजस्थान विश्वविद्यालय हो, जोधपुर हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, उनमें हम संसाधन का बहना बना करके उनमें संसाधन, प्रोफेसर, लेक्चरर, नये विषय खोलना, ये सब संसाधन का बहाना बना करके, वहां हम हमारी एजुकेशन की जो सुविधाएं थीं उनको लगातार निरुत्साहित कर रहे हैं। वहां बहुत मेरिट के लोग आ रहे हैं, उनका विस्तार करने की बजाय एक मात्र बहाना है कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। सभापति महोदय, ये संसाधन कहां, बाहर से ला रहे हैं?

यह इस 64 साल की आजादी में राज्य की और देश की जनता को लूट कर जो अकूत सम्पदा इकट्ठी की है, उसके माध्यम से निजी विश्वविद्यालय के माध्यम से अब शिक्षा को भी एक व्यवसाय, जो ज्ञान सरकार का, किसी भी जनकल्याणकारी सरकार का प्रथम दायित्व है, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, आवास, कपड़ा, रोटी, मकान, उनको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। उस प्रमुख दायित्व से अपना पल्ला झाड़ने का काम सरकार कर रही है। यह बहाना लेकर के कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं इसलिए हमारे जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनको हम सशक्त नहीं कर सकते। केवल मात्र उनको उस पैसे से जो जाग्रति शिक्षा के प्रति राजस्थान, वैसे ही राजस्थान शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, नीचे से हमारा नम्बर आता है, अब वह पिछले पांच-दस सालों में शिक्षा के प्रति जो रुचि राज्य में बढ़ी है और विशेष तौर से जो महिला शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए थे, उसमें भी जो आगे बढ़ने की लोगों में जो लालसा है, आदमी मेहनत-मजदूरी करके, सौ-डेढ़ सौ रुपये की मजदूरी करके भी अपने बच्चे या बच्ची को पढ़ाना चाहता है। उस भूख का, उस शिक्षा की भूख का शोषण करने को निजी हाथों में उन बड़े-बड़े लोगों को निजी विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, अफसोस है मुझे कि राजस्थान में जितने बी एड कालेज नहीं खुले, उतने एक आर्डर में बीएड कालेज खोल दिये गये। बी एड कालेज की हालत आज यह है, जो 435 शायद बी एड कालेज हैं, आपने उनकी चैकिंग करवाई तो मुश्किल से तीस या पैंतीस बी एड कालेज हैं जो आपके मापदण्डों के अनुसार खरे उतरते है। उनमें चाहे शिक्षक हो, बिल्डिंग हो, खेल का मैदान हो, 400 अयोग्य घोषित है। यही हालत निजी विश्वविद्यालयों की है। पहले हम जब पढ़ते थे, सुनते थे बिहार में, यू.पी. में डिग्री बिकती है। अब वह राजस्थान में भी बिकेगी। निश्चित रूप से

(श्री अमराराम)

महाविद्यालय और विद्यालय ही नहीं, अब तो एक-एक कमरे में विश्वविद्यालय होगा, वह केवल डिग्री बांटने का काम करेगा।

उस शिक्षा के प्रति जो लोगों में जाग्रति पैदा हुई है उसको व्यवसाय के माध्यम से लूट कर जो कुछ लूटा है, उसको कई गुना बढ़ाने का, हमारी सरकार ने कोई ऐसे चैक्स एण्ड बैलेंसेज, बहुत से माननीय सदस्यों ने कह दिया, उनमें अपनी मरजी से जो कोई भी उनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठायेगा, उस विश्वविद्यालय की मरजी है, उस विद्यार्थी को बाहर निकालना, प्रेक्टिकल के नाम से लूटना, हास्टल के नाम से लूटना, अटेंडेंस के नाम से लूटना, अगर उनको पैसे दे देते हैं तो ठीक हो जाता है। बी एड में जाने की जरूरत नहीं है, बीस हजार रुपये दे देंगे तो केवल उसको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, बी एड हो जायेगा। वे कैसा मास्टर बनेगा, कैसा विश्वविद्यालय में जो डिग्रियां लेकर आयेंगे। मैं समझता हूं इसका भी सबसे बड़ा फायदा वही लोग उठायेंगे, तो वाकई जो गरीब है, वह निश्चित रूप से नहीं जा सकता।

आम जन, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की या दूसरे जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, उनको हम बराबर लाने की बात, ये निजी विश्वविद्यालय, आज जो शिक्षा का अधिकार का कानून देश की संसद ने पास किया है, हमारे निजी विद्यालयों का पच्चीस प्रतिशत उन लोगों को, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा है, जबकि सरकार कह रही है कि उन पच्चीस प्रतिशत लड़कों को निजी विद्यालय अगर पढ़ायेगा तो उसका खर्चा सरकार वेन करेगी; उसके बाद भी नहीं। इसी सदन में चर्चा हुई है, निजी विद्यालयों को जो हमने भूमि दी, जिन शर्तों पर दी, वह एक भी शर्त, किसी भी नगर में जो भी भूमि, करोड़ों की सम्पत्ति हमने निजी विद्यालयों को दी थी, महाविद्यालयों को दी थी, एक शर्त भी वे पूरी नहीं करते। सभापति महोदय, आज तो हालत ये हो रही है, जो अनुदानित शिक्षक, जो कर्मचारी थे उनको हम लेने का कानून लेकर आये; उनको सरकारी महाविद्यालयों में, ग्रामीण महाविद्यालयों में एब्जोर्ब करने का काम किया है। लेकिन हालत यह है कि उनको खुला करोड़ों का चैक उनके हाथ में थमा दिया जिन्होंने सरकार की... राजस्थान की जनता का पैसा लगा है, कोड़ियों के भाव हमने जमीन दी है, वहां सरकार के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के करोड़ों रुपये उन संस्थाओं में लगे हैं, उन संस्थाओं को हमने ब्लैंक चैक दे दिया करोड़ों रुपये का कि वह उसका कुछ भी व्यावसायिक उपयोग करे, कुछ भी करे।

(श्री अमराराम)

तो मेरा तो इस जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, मैं समझता हूं, बहुत अगर हमारे राज्य की जनता का, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भला करेंगे तो 28 विश्वविद्यालय हैं, इतनी क्या जल्दी है? इसलिए मेरा तो अनुरोध है कि इस निजी विश्वविद्यालय विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। आज शिक्षा को व्यवसाय का रूप दिया गया है, शिक्षा, जो ज्ञान देने का सरकार का दायित्व था, सरकार नहीं करे तो कम से कम जितने बनाये हैं, उन पर चैक्स एण्ड बैलेसेंज के लिए भी कानून लाना चाहिए; जो भी उनके पास शिकायतें हैं, इस शिक्षा के स्तर को गिराने का कोई भी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, कोई भी महाविद्यालय अगर इसके स्तर को गिराने की कोशिश करता है तो उस पर कार्यवाही करने का अधिकार सरकार के हाथ में होना चाहिए। यही बात कहते हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान) फिर मैं आगे व्यवस्था दे दूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पारित करवाने का बोलो, साहब।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 47 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार।

विधेयक का पारण

श्री दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि पक्ष हो, विपक्ष हो, यहां तक कि, सभापति महोदय, आपने आसन से भी जो कुछ भी आपके मन में विचार हैं, जो जनता कहती है या जो क्षेत्र में घूमते हैं और जो कुछ हमारी जानकारी में मिलता है, उसको आपने भी रिकार्ड पर लाने का प्रयास किया। मैं एक बार फिर सदन के सभी माननीय सदस्यों से विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, कम से कम इस प्रकार के कानून बनाने की जो कुछ आपने ठान ली है वह रहने दें लेकिन कोई-न-कोई एक कमेटी जरूर बनाइए इस विधान सभा के सदस्यों की जिससे इन सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों की इस वर्किंग पर कहां-कहां अपन राइडर लगा सकते हैं, कहां-कहां रोक सकते हैं, कहां-कहां इनको ठीक किया जा सकता है? इसकी प्रतिष्ठा को, राजस्थान की प्रतिष्ठा को बचाया जा सकता है, अभिमान के कारण से नहीं, सच्चाई के आधार पर। हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जिस प्रकार की लाइन पकड़ ली और जिस ढंग से हम चल पड़े हैं, अब इसमें या तो हमारी कमेटी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कुछ सुझाव दें और उस पर आप कुछ काम करना चाहें, आपकी इच्छा है, और न करना चाहें तो भविष्य इसको करेगा।

यह जो आपने रखा है, वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर, मैं केवल जो कुछ भी इसमें लिखा है पढ़ रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं होगा वही जो राम रचि राखा, बगड़िया एजुकेशन ट्रस्ट, जयपुर, राजस्थान लोक न्याय अधिनियम, 1959 के अधीन सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर खण्ड, जयपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संख्या 118 वर्ष 2010, 29.3.10 को रजिस्टर्ड हुआ है। यह जो ट्रस्ट आज विश्वविद्यालय खोल रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन 29 मार्च, 2010 को हुआ है और अभी अपन 2012 में हैं। मतलब इसके दिल में एकदम राजस्थान की शिक्षा की अव्यवस्था देखकर इसका मन घबरा गया, बहुत अन्तरात्मा जाग्रत हो गई इसकी कि राजस्थान की शिक्षा की अव्यवस्था है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए जाकर 2010 में रजिस्ट्रेशन करा लेता है और उसके बाद एक विश्वविद्यालय खोल देता है।

भावना बहुत अच्छी है, उसकी हम कद्र करते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। हमारा भी मन है कि हमारे बच्चे भी निश्चित रूप से शिक्षा में कैसे गुणवत्ता की दृष्टि से आगे बढ़ें और देश ही नहीं, विदेश में भी अपनी और प्रतिभा को दिखायें। यह जो बार-बार कहा जा रहा है कि वर्तमान उच्च शिक्षा के माध्यम से जो व्यावसायीकरण आ रहा है या आ गया है, यह न तो आपकी सेवा करना चाहता है और न राजस्थान के बच्चे की सेवा करना चाहता है। यह अपने कुनबे की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हो गया है। वचनबद्ध शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिंदगी में कभी कोई आएगा और हमारी यह प्रोसीडिंग्स पढ़ेगा पचासों साल के बाद भी तो इन शब्दों को पढ़ेगा कि वास्तव में वर्तमान में उच्च शिक्षा में जो व्यावसायीकरण आया है और शिक्षा के मंदिरों में बदतर स्थिति हुई है, उसमें कमोबेश सरकार की जिम्मेदारी है; सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बाद भी अगर सरकार ना सोचना चाहे तो माननीय कई सदस्यों ने जो पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, यहां तक कि सभापति जो चेयर पर बैठे हैं, उन्होंने भी अपने मन में जो कष्ट था, उसको भावों में प्रकट किया है, वह हमें ध्यान में आना चाहिए।

मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय अच्छा काम करें, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएं, राजस्थान के बच्चों को पढ़ाएं, दूसरों के काम्पीटिशन में खड़ा करें, इनके लिए हम इनके स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन इन पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कहीं तो नियंत्रण हो और इसमें राज्य स्तरीय स्वतंत्र स्वायत्त नियामक संस्था बनाई जाए, एक ऐसी बाडी बनाई जाए जो इस हायर एजुकेशन को कंट्रोल करें। उसमें हमारे विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं, निजी विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं। जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय, कोई भी है, उनको नियंत्रण करने के लिए कोई तो संस्था हो जो राज्य सरकार के कामों से बाहर होकर के एक स्वतंत्र इकाई के रूप में शिक्षा को गुणवत्ता की दृष्टि से बढ़ाने के लिए प्रयास करें। इस नियामक संस्था में उच्च स्तर की योग्यता प्राप्त विख्यात शिक्षाविद्, विधिवेत्ता और प्रशासक सम्मिलित किए जाएं। इसमें नियुक्ति, मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और विपक्ष का नेता, और चाहो तो दो लोगों को और मिला सकते हो, किसी में कोई एतराज नहीं है।

भाव आपके भी, हमारे सबके एक से हैं लेकिन पता नहीं, हम किन दबावों में आकर के इन सारे के सारे बड़े परिवारों के सामने सरेण्डर हो गए, हमने अपने हथियार डाल दिए और लोकतंत्र की जो शपथ हमने ली, वह शपथ शायद उनके पैसे और उनकी चमचमाहट में हमारा मन-मस्तिष्क खतम हो गया। इसके कारण से गलती हमने शुरू की या आपने की, लेकिन कानून बनाते समय उसको बांधा तो जा सकता है, उसका कुछ तो किया जा सकता है।

अब आप थोड़ा सा विचार करें कि ये जो अपने विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी अपन ने जिन लोगों को नोमिनेट किया है, वह कितना परफेक्ट किया है कि न तो वहां के वाइस-चांसलर को सर्व-शक्तिमान बना दिया, ना वहां। यह तो हमारी यूनिवर्सिटी है। उस सरकारी यूनिवर्सिटी में दो विधायक जो विधान सभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं वे उनके बोर्ड आफ मैनेजमेंट में रहते हैं। क्यों किया यह? किसके लिए किया यह? कहीं ऐसा नहीं हो, स्वायत्तता का दुरुपयोग; हमारा राजकीय सहायता से चलने वाला विश्वविद्यालय भी अपनी मनमर्जी से कोई काम न करें, इसलिए जन-प्रतिनिधियों को उसमें डाला है। एक व्यक्ति राज्यपाल का नोमिनी उसमें है; इसके बाद आप देखें कि राज्य सरकार द्वारा दो व्यक्ति और उनका मनोनयन। शिक्षकों का चुनाव द्वारा दो व्यक्ति का चयन, शिक्षकों के द्वारा इलेक्टेड होकर के उस बाडी में जाते हैं दो लोग। वे दो भी कौनसे, एक निजी शिक्षण संस्थाओं जो कालेज हैं उनका आदमी चुनकर के जाएगा, एक राजकीय विद्यालय हैं उनका चुनकर के जाएगा, ताकि उनकी बात का भी वहां ठीक प्रकार से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रिप्रजेंटेशन हो। उसके बाद डीन आफ फैकल्टी में से एक, जितनी भी फैकल्टी के डीन हैं वे अपने में से एक उसमें भेजें; प्रोफेसर में से एक; कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक; निदेशक कालेज शिक्षा। एक ग्यारह लोग जो बनाये हैं, इसमें भी हमारे वाइस-चांसलर और वहां के मैनेजमेंट, बोर्ड आफ कंट्रोल को आपने कंट्रोल करने के लिए बनाया है।

लेकिन अब इसमें आप देखिए, बहुत ही आश्चर्य है, क्या करें, किसको कहे, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई समझने को ही तैयार नहीं है और हम सब हाथ खड़ा करके खड़े हैं। अब आप इसमें देखें, धारा 22, प्रबंध बोर्ड- एक चेयरपर्सन बनेगा। यह चेयरपर्सन वहीं होगा, उस सेठ का आदमी होगा जो भले ही अंगूठा छाप हो, भले ही उसको अक्ल हो या नहीं हो। विश्वविद्यालय का दरवाजा भी उसने जिंदगी में देखा हो या नहीं देखा हो। उसके पिताजी ने धन कमाकर के उसके पास रखा हुआ है, वह उसका चेयरमैन होगा। फिर चेयरमैन क्या करेगा, प्रेसिडेंट की नियुक्ति चेयरमैन करेगा। उसके बाद, यह जो परियोजना नियामक द्वारा नियमित पांच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् हैं, यह भी वही बनाएगा। चेयरपर्सन द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंध या सूचना का एक विशेषज्ञ, यह भी वही बनाएगा। आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा, एक ये सरकारी प्रतिनिधि के रूप में इसमें रहेगा। फिर प्रेसिडेंट उधर, तो आपका चेयरपर्सन, फिर आपका जो प्रेसिडेंट है अर्थात जो कुलपति है, वह भी अपने द्वारा दो व्यक्तियों का नाम निर्देशित कर देगा। यह जो सारी बाडी आपकी बारह लोगों की बनी है, इस बारह में से केवल एक आपका डायरेक्टर या उसके द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है। अब आप क्या कंट्रोल करोगे? एक तरफ हमने अपने सरकारी विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने के लिए सब प्रकार के लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व दिया, इलेक्शन से भी दिया, जन-प्रतिनिधि को भी दिया, प्रोफेसर में से भी दिया, डीन में से भी दिया और आपका पूरा मैनेजमेंट जो बोर्ड बनाया, वह सम्पूर्ण विश्वविद्यालय का निर्णय करेगा। यहां आपने निर्णय क्या किया, एक परिवार को दे दिया। उसका दोहिता भी उसमें होगा, उसका जंवाई भी उसमें होगा, उसकी पुत्रवधु भी होगी, उसका यह भी होगा, उसका वह भी होगा और सारा का सारा यह बन गया। क्यों इसको रोका नहीं जा सकता? कम से कम 50 परसेंट तो सरकार की इसमें दखलंदाजी हो। यह जो इनका बोर्ड आफ मैनेजमेंट बन रहा है, कम से कम सरकार के कोई तो प्रतिनिधि इसमें जाकर के कम से कम इसकी देखभाल तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करें। पर आपने उसके लिए भी आपने आवश्यक नहीं समझा और इनको आपने पूरी तरह से दे दिया।

अब यह जो वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश में यह कहा गया है कि कुलपति, प्रेसिडेंट विख्यात शिक्षाविद् हो, उसके साथ ही 60 वर्ष से कम उम्र का हो एवं उच्च स्तर की योग्यता रखता हो; आपने उस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी टोकरी में डाल दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह रहा है, इसके लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाए। ये भी जो बनायें ना, वे भी बिना सर्च कमेटी के नहीं बने हैं। हमारे यहां अगर कुलपति की भी नियुक्ति होती है तो एक सर्च कमेटी बनती है और उस सर्च कमेटी के तीन मेम्बर आये हुए जितने लोगों के भी बायोडाटा हैं, उनको चैक करते हैं। उनमें से छांटते है और छांटने के बाद एक टीम का पैनल बनाकर के देते हैं। उस टीम के पैनल में से राज्य सरकार और राज्यपाल दोनों मिल करके चयन करते हैं। इतने उसमें राइडर डाल रखे हैं। यहां तो कोई राइडर ही नहीं; न तो कोई चयन समिति है, न चयन समिति का कोई योगदान है। केवल आप अपनी इच्छानुसार चाहे जिसको बना डालो, कुछ भी कर दो।

धारा-3, यानी मैं नहीं सोच पाया कि हम लोग कहां तक जाएंगे, कितनी सीमा तक गिरेंगे। हमने कानून बना दिया हम साधारणतया जो मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल बनाते हैं, छोटी-मोटी और कई संस्थाओं को मान्यता देते हैं, हम बी एड कालेज बनाते हैं, इंजीनियरिंग कालेज बनाते हैं, मेडिकल कालेज बनाते हैं और बाकी भी बनाते हैं, उनमें भी फीस का कोई नियंत्रण तो है। कम से कम आपको साल में, दो साल में कोई फीस का निर्धारण करने का तो अधिकार हो, उस फीस के आधार पर आप फीस तय करोगे। यहां तो आपने खुला दे दिया, लूटो। कोई नियंत्रण नहीं है आपका हमसे यहां पास करा करके और आप अपने आपको बहुत बड़ा बादशाह समझ जाओगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं।

चाहे वह शुरुआत हमारे से हुई हो, चाहे किसी से भी हुई हो लेकिन इसको सुधारने का काम भी तो लोकतंत्र के प्रहरी हम हैं, हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य है हमारा, हम एक के बाद एक यूनिवर्सिटी बनाते जा रहे हैं लेकिन कभी भी यूनिवर्सिटी पर पूरी चर्चा करने को तैयार नहीं। एक दिन में आठ-आठ ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। कोई हां-हूं में निकल रहा है, कोई किसमें निकल गया। न किसी ने देखा, न किसी ने सुना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और हमने कहा, हमने बहुत विश्वविद्यालय बना दिये। ले जाओ, अगर कहीं ट्राफी हिन्दुस्तान में मिलती हो तो वहां के मानव संसाधन मंत्री को कह देना, सबसे ज्यादा निजी विश्वविद्यालय खोलने का तमगा किसको दिया जाए, कि राजस्थान को। क्यों, क्योंकि वहां शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है। ले आओ और लाकर के सजा करके रख देना उस ट्राफी को, रोज सवेरे देखते रहना कि हमने बहुत बड़ा कीर्तिमान किया है। कीर्तिमान इससे नहीं होता है, उस बच्चे की जिन्दगी के साथ हमारा कीर्तिमान जुड़ा हुआ है, उसकी शिक्षा के साथ हमारा आगे का भविष्य टिका हुआ है। केवल हम इस बात के आधार पर, फीस के बारे में हमारा कोई किसी प्रकार का न रोकना है, न उस पर चैक करने का है।

धारा-39 है, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे और उसकी प्रति निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। यह तो हमारे लिए है। जब ये विश्वविद्यालय विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित हैं तो फिर इनकी वार्षिक रिपोर्ट क्यों नहीं आती? इसके लिए क्यों नहीं पाबंद किया जा सकता है कि इसकी भी वार्षिक रिपोर्ट आये, इसका भी साल भर का खर्चा विवरण आये। कहीं तो इसमें रोक हो कि आखिर इसने कमाया क्या और खर्च क्या किया, यह क्या तो वसूल करता है और उसकी एवज में क्या देता है। इसके बारे में भी हमारे पास, इस विधान सभा के पास कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि वह ही मैंने कहा न इनका वार्षिक लेखा-जोखा भी आने का कहीं कोई आपने इसमें राइडर नहीं रखा। कम से कम साल में, हमारा तो 31 मार्च के दिन लेखा -जोखा होता है, किसी विद्यालय का भी लेखा-जोखा होता है। जिन संस्थाओं को अपन ने मान्यता दी है न, जो एलीमेंटरी एजुकेशन का काम कर रहे हैं, उनका भी लेखा-जोखा होता है, उनकी भी रिपोर्ट जाती है आपके विभाग के पास, तब उसके बाद उसको मिलती है। लेकिन आपके इसके लिए इनको धारा-40 में कोई लेखा-जोखा लेने की भी आपने आवश्यकता नहीं समझी।

मुझे तो सबसे ज्यादा दुःख इस बात का है कि ये विश्वविद्यालय हमारे पढ़े-लिखे बालकों का जिस प्रकार शोषण कर रहे हैं, अगर किसी की आत्मा हो और उसमें कुछ हो तो वह रोये बिना नहीं रहेगा। ये जितने विश्वविद्यालय हैं न, उनमें बालक 8 हजार से लेकर 12 हजार में नौकरी कर रहा है और आपका थर्ड ग्रेड का मास्टर 18 हजार की तनख्वाह ले रहा है। थर्ड ग्रेड के मास्टर के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए 18 हजार की तनख्वाह है लेकिन आपका यह कानून नहीं बन सकता कि कम से कम इन विश्वविद्यालयों में और इन कालेजों में पढ़ाने वाले उस टीचर का कोई पे-स्केल तो तय हो, उसकी कम से कम कोई मिनिमम वेजेज तो तय हो। मजदूर से भी गया-बीता बनाना चाहते हैं। इसके कारण से फैकल्टी के नाम से चाहे जिसको, अपने भाई-भतीजों को भर करके फैकल्टियां एडजस्ट कर लेंगे और वहां भी आपका कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

अगर इस प्रकार का कोई कानून बनाने की आपने सौगंध ही खा ली है तो बनाओ और अगर नहीं खायी तो यह तो जो लाये हैं, वह तो पास कर दो लेकिन एक कमेटी बना करके वापस इन निजी शिक्षण संस्थाओं को, जिसकी मर्जी होगी वह काम करेगा और छोड़कर भागना है, वह भाग जाए कोई चिन्ता की बात नहीं। हमारे दो विश्वविद्यालय कम होंगे, हम दो कम विश्वविद्यालय से काम चलायेंगे। आप और हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं न, उस विश्वविद्यालय कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण से आप और मैं आज यहां स्वाभिमान से खड़े हैं। जिस शिक्षा को हमने वहां प्राप्त की न कम से कम उसका भी कोई माप-तौल था उसका भी कोई क्रेडिट था और राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, आज उस विश्वविद्यालय को ग़ारत करके रख दिया। केवल इन प्राइवेट दुकानों को जिन्दा रखने के लिए हमने अपने विश्वविद्यालयों को पंगु बनाने का सोच लिया। हमारे पास प्रोफेसर नहीं, हमारे पास रीडर नहीं, समय पर लेक्चरर्स नहीं; पढ़ाने वाला कोई उपलब्ध नहीं। तुम्हारी दुकान में जब सामान ही नहीं होगा तो ग्राहक तो कहीं न कहीं जाकर के खरीदेगा ही। हमारा मन ऐसा ही लगता है, हमारा मन, लगता है कि हमारी सब दुकानों को पंगु कर दो, खतम कर दो, जहां से लोगों को विश्वास हट जाए, जहां से लोगों के मन की श्रद्धा हट जाए। इन निजी शिक्षण संस्थाओं के बूचड़खाने में जाकर के और उसको बलिदान होने के लिए ही जाना है, अगर यही तय कर लिया इस लोकतंत्र ने और हम सब जन-प्रतिनिधियों ने, अगर यह सौगंध ही खा ली है कि हमें तो बरबाद करके ही गुलिस्तां को जाना है तो जाइये, कोई बात नहीं लेकिन समय माफ नहीं करेगा।

ये जो जिस प्रकार के बच्चे तैयार होंगे न आपके, 35 लाख रुपये दो तो डाक्टर बन जाओ और जिस गरीब के पास 35 लाख नहीं हों तो वह भले ही पढ़ा-लिखा हो तो भी वह झक मारता हुआ सड़क पर घूमेगा, क्योंकि उसके बाप के पास पैसे देने के लिए नहीं है। इसका मतलब उसकी पढ़ाई का कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अर्थ नहीं है। अगर यही स्थिति चली न, तो एक दिन, मैं कह रहा हूं, उस गरीब के बच्चे में और इनके दोनों के बीच में एक संघर्ष पैदा हो जाएगा। सीमा होती है बरदाश्त करने की। मेरिट का आपका क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का? आप उनको चलाने के लिए 10-20 परसेंट सीटें देनी हैं, दे दो लेकिन कम से कम हमारी किसी न किसी मेरिट पर तो स्थापित करो उन्हें। मर्जी आये, वे रोज कोई न कोई नयी फैकल्टी खोल देते हैं जिस फैकल्टी में धन्धा अच्छा चलता है, और फैकल्टी चलती है, उस फैकल्टी के दो-चार बैच निकलते हैं, फिर वह बेकार हो जाते हैं, फिर वह फैकल्टी तो बंद।

कम से कम आज की तारीख में जो विश्वविद्यालय आपके खुले हैं, कृपा करके किसी टीम को भेज करके ईमानदारी से, उस बिल्डिंग को मत देखो, उस बिल्डिंग के रंग को मत देखो; उसके अन्दर क्या है, क्या हो रहा है, क्या पढ़ाते हैं; क्या फैकल्टी का वहां जो सब्जेक्ट टीचर है, उसकी नालेज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वह बच्चों को पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। बच्चों को पढ़ा करके कोई ज्ञान दे रहा है या केवल लूटने का काम कर रहा है। अच्छे लोग आयें मैं सोचता हूं कि सिंघानिया विश्वविद्यालय हमारे यहां उदयपुर के पास आया और वास्तव में उसने एक स्तर का विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया। ऐसे विश्वविद्यालय आयें, हम स्वागत करेंगे उनका, कोई दिक्कत नहीं, जहां कम से कम मेरिट के आधार पर तो बच्चों को लें। अगर उनको स्वपोषित चलानी है यूनिवर्सिटी और वो चला नहीं सकते तो उनको स्वपोषित के लिए दस-बीस परसेंट सीटें उनकी मनमर्जी पर देकर, चलो जिनको डूबना है वे इसमें जाओ लेकिन कम से कम जो बच्चे मेरिट के आधार पर अपने इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं, उन्हें तो रोका जा सकता है। उन्हें न रोका जाना हमारा फर्ज है कि नहीं? या केवल हम कानून बनाते जाएं और ये सारे के सारे विश्वविद्यालय, इन पूंजीपतियों को जिनको ए बी सी डी नहीं आती, वे हमारी डिग्री का निर्णय करे? जिन्होंने कभी प्राइमरी स्कूल नहीं चलाया, कोई मिडल स्कूल का अनुभव नहीं है, सैकण्डरी स्कूल का नहीं है, जिनका शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है, केवल दो करोड़ रुपये लेकर आ गये, हमारे यहां जमा हो गया और बिल्डिंग खड़ी हो गयी और हम दे देंगे।

मंत्री महोदय, आप जिद पर अड़े हो, पास करो, कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि ये विश्वविद्यालय तो आप जैसे भी पास कराना हो, करा लो लेकिन इसके बाद इन सभी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विश्वविद्यालयों पर राज्य सरकार का कैसा नियंत्रण हो, उस बच्चे का, उसके भविष्य का कैसे उसमें निर्धारण हो, उसका फीस स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो, हमारे यहां से प्राप्त डिग्री से वह कहीं भी जाए तो भटक कर के नहीं आए, दर -दर की ठोकरें खाकर आत्महत्या न करे। कम से कम वह इतना योग्य तो बने कि जीवन में जहां कहीं भी जाए, वह अपनी योग्यता के आधार पर नाकारा साबित नहीं हो, ऐसे राइडर तो कुछ लगाओ।

यह तो जो पास करना है और आपने तय ही कर रखा है तो अब मैं भले ही कितना बोलूं या मेरे साथी कितना ही बोलें, मैं आप, माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि एक मात्र शिक्षा ही ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर आदमी बनता है। अगर आप 35 लाख रुपये में डाक्टर बनाओगे तो वह झोलाछाप डाक्टर ही बनेगा क्योंकि उसने 35 लाख रुपये दिये हैं, वह इंसानियत के आधार पर डाक्टर नहीं बनेगा क्योंकि वह जानता है कि मेरे काकाजी ने पैसे दिये हैं, इसीलिए तो बना हूं। उस गरीब की पीड़ा को वो क्या समझेगा? लेकिन जो इस बात को नहीं समझेगा न, उसके इस हालात को, मैं सोचता हूं कि आप जवाब तो कुछ दोगे नहीं, वह ही रटे-पिटे जो लिख कर भेजे होंगे, पढ़ देना लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप कहीं न कहीं इस विधान सभा की कोई कमेटी बनाकर या जो एक्सपर्ट, जिनको एजुकेशन के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में, जो भी पुराने वाइस-चांसलर या मेडिकल कालेज में जो लोग रहे हैं, ऐसे लोगों की एक कमेटी बना करके एक बार इसका पूरा पोस्टमार्टम करके इसके एक-एक शब्दों का फिर से विश्लेषण करें और उसके आधार पर उनको बांधने का प्रयास करें, ताकि कम से कम शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट नहीं आये और गरीब-अमीर के बीच में, जाति और बेजाति के बीच में भेदभाव शिक्षा में न आये। इस मंदिर में इसका जरूर आप इंतजाम करें।

(16.00 बजे)

श्री सभापति: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि बहुत ही चिंतन-पूर्ण माहौल में आज देश की और प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। मैं अपनी बात पूर्व में बोले हुए सभी माननीय सदस्यों से क्षमा चाहते हुए इसमें रखना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में हमारे यहां दो प्रकार के चिंतन हैं, एक परम्परागत चिंतन है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और एक आधुनिक शिक्षा का चिंतन है। परम्परागत रूप से चिंतन करने वालों के समझ में यह है कि सरकार विश्वविद्यालय बनाये, सरकार स्कूल बनाये, सरकार का उस पर नियंत्रण हो, सरकार उसको चलाये और अगर यह काम हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। प्राइवेट विश्व विद्यालय तो चार साल में आये हैं, चार साल में ही इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में ये सारी बीमारियां पैदा हो गईं। चार साल पहले तो सारे के सारे सरकारी विश्वविद्यालय थे। आजादी के बाद अमेरिका जैसा 16 करोड़ का राष्ट्र जहां 900 विश्वविद्यालय हैं, आस्ट्रेलिया जैसा राष्ट्र और हमारे यहां सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जो नालेज कमीशन बना उसने कहा कि 1,500 विश्वविद्यालय भारत में होने चाहिये। आदर्श स्थिति होती हमारी, अगर सरकार और हम सब जन-प्रतिनिधि मिलकर इस देश में 1,500 विश्वविद्यालय बना देते तो वे गरीब आदमी जिसकी हम चिंता करते हैं, उसको पढ़ने का मौका मिलता। लेकिन हमने क्या किया, हमने किया, 60 साल में 6 सरकारी मेडिकल कालेज राजस्थान में। कुछ लोगों को एडमिशन मिला, बाकी लोग सर फोड़ते रहे।

दक्षिण भारत में एक प्रचार चला; महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन्होंने प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज खोले और ब्रेन ड्रेन हुआ हमारे यहां से। हमारे यहां से पैसा भी गया, हमारे यहां से लोग भी गये। आज मुझे दुःख है कहते हुए कि कोई भी पोलिटिकल लीडर उन राज्यों में ऐसा नहीं है जिन्होंने तीन-चार मेडिकल कालेज नहीं खोल रखे हों। राजस्थान के राजनीतिक नेता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी अमराराम जी बी एड की बात कर रहे थे, हमने बी एड के बहुत कम खोले लेकिन 80-80 हजार की जम्मू-कश्मीर की डिग्री लाकर लोग हमारे यहां लगते रहे, उस दिन हमने ध्यान ही नहीं दिया।

मैं धन्यवाद दूंगा गहलोत साहब को कि पिछली बार जब वे मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज लाने की शुरुआत की, फिर हमने इसको आगे बढ़ाया और आज राजस्थान का लड़का प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिये दक्षिण भारत में नहीं जाता। हमने बी एड कालेज खोले, ठीक है, उनमें कुछ कमी होगी, उनमें संख्या भी कम होगी, उनमें संसाधन भी कम होंगे, उन पर छापे भी पड़े, उनकी कमजोरी दूर भी होनी चाहिये लेकिन बी एड कालेजों की आवश्यकता थी। सरकार इतने बी एड कालेज खोलने की स्थिति में नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अब सरकार का ढांचा देखिए, सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय चला रही है, चार तो प्रोफेसर नहीं हैं। मैं भी मंत्री रह लिया, गुलाबजी भी मंत्री रह लिये; दयारामजी भी मंत्री हैं। कौन नहीं रहा शिक्षा मंत्री? स्वर्गीय श्री शिवचरणजी माथुर साहब शिक्षा मंत्री रहे, भंवरलालजी शिक्षा मंत्री रहे, ललित किशोरजी शिक्षा मंत्री रहे; गुलाबजी शिक्षा मंत्री रहे; हम सब शिक्षा मंत्री रहे हैं, हम सब शिक्षा मंत्री हमारे सरकारी ढांचे को सुधार ही नहीं सके।

हमने एम एल एज को सिंडिकेट में भेजा, प्रताप सिंहजी गये, मैं भी था पहले, हम सिंडिकेट की मीटिंग तो नहीं कर सके। यह राजस्थान की विधान सभा है, मुझे याद है अच्छी तरह से, चंदनमलजी बैद थे, राजस्थान विश्वविद्यालय का एक कुलपति था, उसके खिलाफ सारी की सारी विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव का इतना बड़ा पुलिंदा लेकर गवर्नर के पास चले गये और गवर्नर ने ध्यान ही नहीं दिया। सारी की सारी विधान सभा इस राजस्थान विश्वविद्यालय को ठीक नहीं कर सकी, वह प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ठीक करने की बात पर विचार करे, आयोग तो बना लो आप। माननीय ललित किशोर जी हमारे ही शिक्षा मंत्री थे, उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय का वर्णन हुआ था, क्या हुआ उस विश्वविद्यालय का?

सारे सरकारी विश्वविद्यालयों के नाम ही इतने बड़े-बड़े रखे हैं, स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया, स्वर्गीय जयनारायणजी व्यास के नाम पर। प्राइवेट सेक्टर में पूंजीपतियों की हम इतनी आलोचना नहीं कर सकते। मैं आज कह सकता हूं कि सीकर और झुंझुनूं जिले जो आज शिक्षा में राजस्थान में सबसे आगे हैं, धन्यवाद दो बिरला एजुकेशन ट्रस्ट को जिसने आजादी से पहले सारे शेखावाटी में प्राइवेट स्कूल खोल दिये, जिनमें पढ़-पढ़ कर लोग यहां आ गये। मुझे पता है, स्वर्गीय श्रीमान शेखावत साहब हरियाणा पढने जाते थे, कौनसी सरकारी स्कूल थी? कालाडेरा में खुली वह सरकार की खुली थी क्या? ये सारे कालेज खुले वे सरकार के कालेज थे क्या? नहीं थे, लेकिन वे खोलने वाले जो लोग थे, वे धर्मार्थ के लिये शिक्षा कर रहे थे, वह कमाई के लिये शिक्षा नहीं खोल रहे थे।

इसमें शिक्षा की कमाई है। इसलिए हम एक मोड़ पर खड़े हैं। हम कई बार मांग करते हैं कि नियामक आयोग बने; मैं खुद इस बात के पक्ष में हूं, जो गुलाब जी ने कहा और प्रताप सिंह जी ने कहा कि एक कमेटी बनाकर हमको इस पर विचार करना चाहिये, लेकिन डुबाया किसने, नवाब साहब?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मेडिकल में पी जी की दो सीट बढ़ाने के लिये, सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के वह डाक्टर देसाई थे या कौन थे जो पकड़े गये, कितने करोड़ रुपये लेते थे? वह प्राइवेट था या सरकारी था?

ए आई सी टी ई, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये तीन सफेद हाथी हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की सारी शिक्षा का बेड़ा गर्क किया; इन्होंने किया है। अगर मेडिकल एजुकेशन में कमाई की तो किसने की, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने की और इंजीनियरिंग कालेज को नीलाम करने के लिये खड़ा किसने किया, ए आई सी टी ई ने किया और यूनिवर्सिटी ग्राट्स कमीशन ने सारे देश की शिक्षा को ध्वस्त करके रख दिया। 9-बी, 2-बी में रजिस्ट्रेशन करा कर, सारा पैसा कहां चला जाता है? क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन राजस्थान विश्वविद्यालय को नहीं दे सकता? जोधपुर विश्वविद्यालय को नहीं दे सकता? उदयपुर विश्वविद्यालय को नहीं दे सकता? एक भी फैकल्टी पूरी नहीं है और इसलिए हमने दरवाजे खोले। ये दरवाजे ठीक नहीं खुले, मैं इस बात को मानता हूं।

अपन को चर्चा करनी पड़ेगी कि राष्ट्र आगे बढ़ता कैसे है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में समाज पर और शिक्षा पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, वह संस्कृति ध्वस्त होती है। हम कहते रहे, यूनान, मिस्र, रोम, सब मिट गये जहान से, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती इसलिए नहीं मिटी कि हम केवल समाज पर आधारित नहीं थे, सारा समाज सरकार पर आधारित नहीं था वरना तो आजकल जिस प्रकार दल-बदल होता है, उस समय बादशाहों के साथ धर्म परिवर्तन भी हुआ करता था। हमारा समाज स्वतंत्र रूप से खड़ा रहा, हमारे समाज की शिक्षा भी खड़ी रही। आज हम यह वेद पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं; मैं पढ रहा हूं, कहां से पढ़ रहा हूं, मैंने नहीं पढ़े सरकार में; मेरे पिताजी रटते रहते थे, मेरे दादाजी भी रटते रहते थे, आज मैं रट रहा हूं लेकिन मैं मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। समाज स्वयं अपने आपको खड़ा करता है। ऐसा नहीं हो तो शिक्षा के बारे में चिंतन करते समय हमें इन सब बातों का ध्यान करना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति तो बची रही; कौनसा नहीं हुआ, भारत की आजादी का आंदोलन कहां से चालू हुआ, कौन बार- एट-ला करके आये; लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक, बार-एट-ला करके बैरिस्टर तो इंग्लैण्ड से बनकर आये ना, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, उन्होंने दिया ना; उनके संस्कार तो भ्रष्ट नहीं हुए। उन्होंने गीता पर भाष्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिखा, कर्मयोग शास्त्र, इसलिए कि घर का संस्कार उनको ऐसा मिलता रहा। महात्मा गांधी बैरिस्टर ही बनकर आये ना, स्वातंत्र दामोदर सावरकर बैरिस्टर ही बनकर आये ना। वे सारे के सारे इंग्लैण्ड में पढ़ कर आये थे लेकिन संस्कार घर में भी था, इसलिए भारत की आजादी का संघर्ष करके हमको यहां बैठने के लायक उन्होंने बना दिया। और अगर यही होता, आजादी के समय, गुलामी के समय अगर ये डी ए वी कालेज नहीं खुलते और ये प्राइवेट गुरुकुल नहीं बनते तो भारत की आजादी में भाग लेने वाले लाखों लोगों की फौज को वे तैयार नहीं कर सकते थे। उन संस्थाओं ने खड़ा किया। तो केवल प्राइवेट एजुकेशन पूंजीपतियों की नहीं है, प्राइवेट एजुकेशन केवल लूटने के लिये नहीं है।

ये वर्तमान का जो ढांचा खड़ा हुआ है, उस पर मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। वह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहां से आई, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसलिए आई कि हिन्दुस्तान में सरकार के सिर्फ 351 विश्वविद्यालय हैं। 120 करोड का देश और 351 विश्वविद्यालय। किस गरीब का बच्चा पढ़ेगा? और हमारा एवरेज क्या है? अमेरिका में हायर एजुकेशन का एवरेज है, 40 परसेंट और हमारा एवरेज है 11 परसेंट और राजस्थान का एवरेज है, 8 परसेंट। किसको पढा रहे हो? कौन 8 परसेंट में आ रहा है? व्हाइट कालर पर्सन या जिनको सरकारी सहायता मिलती है, बाकी कहां जाते हैं? कौन पढ़ा रहा है इन लोगों को? क्या ढांचा खड़ा किया हमने 60-62 साल की उम्र में पढ़ाने के लिए? 351 विश्वविद्यालय 60 वर्ष में बने। और 1,500 विश्वविद्यालय, आप गुणा करके देखो, दो शताब्दियों में नहीं बने। इसलिए प्राइवेट विश्वविद्यालय की आवश्यकता को महसूस किया गया और मैं इसके पक्ष में हूं।

करने के बाद में क्या हुआ? सबसे पहले मणिपाल बना। आज मणिपाल यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान में सबसे खराब मानी जाती है या सबसे अच्छी मानी जाती है, अपन सोच लें। अगर हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग आएगी तो मणिपाल कौनसे नम्बर पर आएगा? हमारे हिन्दुस्तान के तीन विश्वविद्यालय भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के एक से लेकर दस के क्रमांक में नहीं हैं, सौ के क्रमांक में नहीं हैं। क्या हमने पैदा किया 62 साल में शिक्षा में? हार्वड का नाम आएगा, आक्सफोर्ड का नाम आएगा, बहुत वर्षों से आ रहा है, हमारे लोग वहां पढ़ने जाते हैं। गरीबों के बच्चे जा रहे हैं क्या? एक भी गरीब का बच्चा अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाड़ा पढ़ने नहीं जाता;

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

घनश्याम तिवाड़ी का बच्चा जा सकता है। जो गरीब का बच्चा है वह कहां पढ़ेगा? विदेश में जाएंगे सब? इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता पड़ी।

सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक नालेज कमीशन बना, उसने इसकी सिफारिश की। मणिपाल विश्वविद्यालय इसके बाद बना, उसके बाद दुकानें बनीं। उसके बाद में अजीत जोगीजी थे मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलनी शुरू कीं और 110 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल दीं। एक-एक घर में बोर्ड लग गया, विश्वविद्यालय-विश्वविद्यालय। प्रोफेसर यशपाल ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन मापदण्ड किए। माननीय परमार साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तीन मापदण्ड किए। पहला मापदण्ड, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति इंस्टिट्यूशन नहीं बना सकता, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता। जो गुलाब जी ने कहा मैं उनकी बात से सहमत हूं, यहां पर जो बनाने आ रहे हैं, वे आदमी आ रहे हैं, परिवार आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, इंस्टिट्यूशन बनाएगी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। पहला हमारे देखने का पाइंट ये था। दूसरा हमारा देखने का पाइंट यह था कि वह बनायेंगे उसकी फैकल्टी कैसी होगी, वह फैकल्टी कैसी होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि लाभ के लिए नहीं करें। इन तीन बातों के आधार पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने तय की। पहला था, इन्स्टिट्यूशन और परसन; दूसरा उन्होंने कहा, संस्था, फैकल्टी चाहिए उसको, 4 हजार, 8 हजार, 12 हजार में थर्ड ग्रेड को लाकर लगा ले और उनका शोषण करे, वह फैकल्टी हमें नहीं चाहिए। गुलाबजी ने सिंघानिया विश्वविद्यालय का कहा, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान में कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो ढाई-ढाई, तीन-तीन लाख रुपये प्रोफेसर को दे रहे हैं। वह उनको गीतांजली वाला आपका है वह दे रहा है, इधर एमिटी वाला भी दे रहा है; मैं नाम नहीं लेता कइयों के, वे दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री करके एक कारखाना भी खोल लिया है। यह दोनों बराबर का खेल है। एक खेल नहीं है, खराब का भी खेल है, अच्छे का भी खेल है, इसमें से हमको रास्ता निकालना पड़ेगा।

अपन यहां पर बात कर रहे थे, तीन बातों के साथ राजस्थान में कानून बनाया। कानून बनाया, हमारा कानून सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके बाद में हम एक-एक यूनिवर्सिटी का बिल लाए और उसमें हमने तय किया, पहले

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इनको प्राइवेट स्कूलों को, इनको बनाने के लिए सरकार जमीन देती थी, हमने तय किया, सरकार जमीन नहीं देगी, तीस बीघा जमीन इनको लेकर आनी पड़ेगी। यह बनाकर डुबा देती थी। हमने कहा कि बनाकर दो करोड़ रुपये का एंडोमेंट फण्ड बनाना पड़ेगा। यह कोई नई बात नहीं थी, पहले प्राइवेट स्कूल खुलती थी, उनके लिए भी सरकार ने कुछ प्रावधान कर रखे थे, वह उनका कम का कर रखा था।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने शुरू किया, तब उसमें भागदौड़ मच गई। दयारामजी, ये भागदौड़ मच गई। ये यूनिवर्सिटी हमें उस समय बनानी थीं, जिस टेक्निकल को, जिन चीजों को दूसरे लोग, सामान्य विश्वविद्यालय नहीं कर सकते, उस क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय आकर काम करते तो हमारा काम होता। हमने विरोध किया; विदेश के विश्वविद्यालय भी आ रहे थे, हमने विरोध किया उसका, हमने विरोध करके कहा कि विश्वद्यालय क्यों आते हैं? विश्वविद्यालय टेक्निकल एजुकेशन में तो आएं लेकिन सोशल साइंसेज में विदेशों के विश्विद्यालय नहीं आने चाहिए। इसका हमने विरोध किया था और इसका भी उदाहरण देख रहे हैं, क्यों विरोध किया।

मैं एक बार इंग्लैण्ड गया था; कुछ भारतीय लड़के थे, वहां पर डायर की समाधि थी, उस डायर की समाधि के पास मुझे कहा गया कि यहां खड़े होकर फोटो उतरवाओ; मैंने फोटो उतरवाने से मना कर दिया। जलियांवाला बाग़ का जो डायर था, जिसने गोलियां चलाकर हजारों लोगों को भूना था आजादी के आंदोलन में, वह जनरल डायर हमारे लिए तो कलंकित है, घृणा करने वाला है, हत्यारा है, लेकिन उसमें लिखा था कि इंग्लैण्ड के राजा के क्राउन की रक्षा करने के लिए जिसने भारत में जबरदस्त काम किया, उस डायर को हम सलाम करते हैं।

इसलिए मैंने शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था कि सोशयल सांइसेज में, सामाजिक इतिहास में, संस्कृति में, कला में हमको विदेशी विश्वविद्यालयों को लाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से प्राइवेट विश्वविद्यालय हम बनाते हैं, उसमें हमको यह ध्यान करना पड़ेगा कि प्राइवेट विश्वविद्यालय अगर आते हैं तो ऐसे क्षेत्र में आएं जिनमें सरकारी विश्वविद्यालय नहीं हैं और उनका स्वागत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। लेकिन इसमें दोनों काम हैं, सभापति महोदय, इस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खटाखट आ रही हैं, वे चार काम कर रही हैं। पहला, एक परिवार विश्वविद्यालय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बना रहा है, जो सरासर गलत है। हमको इन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए, किस संस्था ने कितना काम किया; अगर बीट्स आता है और विश्वविद्यालय बनाता है तो बनने देना चाहिए लेकिन अगर किसी आदमी ने ब्लैक मनी से 10-20 करोड़ रुपये कमा लिए और फिर शिक्षा को दुकान बनाना चाहता है तो उसको रोकना चाहिए। यह रोकने का काम विधायिका का है। इसलिए मैं माननीय सदस्य, गुलाबजी की बात से सहमत हूं कि जिस प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों का वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत होता है, उसी प्रकार का प्रतिवेदन यहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी प्रस्तुत होना चाहिए।

दूसरा, आप विधायकों की समिति बनाइये, सभापति महोदय। सरकार भी बना सकती है और सरकार नहीं बनाए तो आसन भी बना सकता है। अध्यक्ष महोदय से हम बात करके, समिति बनाकर इनका निरीक्षण करें और निरीक्षण करके राजस्थान की विधान सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि विश्वविद्यालय बने, वे किस स्तर के विश्वविद्यालय हैं, किस स्तर की इनकी डिग्री है, किस स्तर का इनका काम है। जब तक यह काम हम परिपूर्ण नहीं करेंगे, तब तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आने का काम हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए करना चाहिए।

तीसरा मैं कहना चाहता हूं चयन के बारे में। टीचर्स का चयन है, उसको अपन ने इन पर खुला छोड़ दिया है। उनका वेतन भी हमने उन पर खुला छोड़ दिया है। टीचर्स का चयन और वेतन, यह उनके हाथ में छोड़ने का काम करने से, जो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसी स्थिति हमारी बन जाएगी।

अब एक सबसे बड़ा प्रश्न उठा है कि हमारी कोई सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि नहीं। वे तो कमा रहे हैं, वे तो खेल रहे हैं, हम क्या करें? हमारी उस आदमी के प्रति जिम्मेदारी है कि नहीं जिसके पास संसाधन नहीं हैं? हमारी उस आदमी के प्रति जिम्मेदारी है कि नहीं जो गरीब है? यह लोक–कल्याणकारी राज्य की कल्पना तभी निकली है। पहले राज का काम और राजा का काम सुरक्षा करना था, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करना था। लोक-कल्याणकारी राज्य की कल्पना इसीलिए आई और उसके बाद फिर आरक्षण आया। आरक्षण आया, उसका फलाक्षेपण देख रहे हैं। आरक्षण भी आया, सब सेक्शन्स को आगे बढ़ाने का काम भी आया। उसी प्रकार से हमको जैसे आज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, हमको फैसला करना पड़ेगा कि ऐसे विश्वविद्यालयों में गरीब लोगों को, जिनके पास पैसे नहीं हैं, शिडयूल्ड ट्राइब्स के हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, ओ बी सी के हैं, ई बी सी के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, किसी वर्ग के हो उन गरीब लोगों को अगर वे इंटेलिजेंट हैं तो उन विश्वविद्यालयों में सीट रिजर्वेशन करना चाहिए और उनकी अगर फीस हो तो सरकार को उनकी फीस भरने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यह काम सरकार का है। सामाजिक दायित्व भी है, सामाजिक दायित्व हम लोग नहीं देखते हैं। पहले के सेठ या व्यापारी या उद्योगपति, जो भी थे, वे सामाजिक दायित्व भी देखते थे, तो उसको श्रेष्ठी कहते थे। यह सेठ शब्द बना है ना, माननीय सभापति महोदय, ये श्रेष्ठी से बना है, वह जो श्रेष्ठतम आदमी है। वह श्रेष्ठ कौन है, जो समाज की सेवा करे। अपना पेट भरता है या अपने बढ़िया कपड़े पहनता है, वह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वह है जो समाज की सेवा करता है। वह भावना लुप्त हो रही है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमको इन सारी बातों पर विचार करना चाहिए।

दूसरी बात, आप यह देख लीजिए कि सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थिति जो हमने कर रखी है, उसको अगर नहीं सुधारेंगे तो यह पिटारदाने तो बंद हो जाएंगे। कौन पढ़ने जाएगा इनमें? हमने कोशिश करके, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में, जो कितना बड़ा विश्वविद्यालय है, आज उसकी हालत क्या है? हम भी उसमें पढ़े हैं, साहब। मैंने तो गर्व से कहा था, जब किसी बड़े सन्त ने अभी कहा था कि सरकारी स्कूलों में नक्सलवादी पैदा होते हैं; मैंने कहा, नहीं होते। मैं पहली से लेकर एलएल.बी. तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। नक्सलवादी पैदा नहीं होते, राष्ट्रवादी पैदा होते हैं। गरीबी देखने वाले लोग पैदा होते हैं। लेकिन हमने सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या कर दी? चिन्तन करें हम। गांव में गरीब आदमी, उसके पास थोड़ा सा भी पैसा फीस देने के लिये है तो बेटे को तो प्राइवेट स्कूल में और बेटी को फ्री है, इसलिये सरकारी स्कूल में। इसलिये हमारे सरकारी स्कूलों में संख्याओं में बेटियां ज्यादा हो गयीं।

कितनी बड़ी मानसिकता के शिकार हम अभी भी हैं। हम 62 साल में यही मानसिकता दूर नहीं कर सके कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। हम 62 साल में यह मानसिकता तैयार नहीं कर सके। यह हमारी जिम्मेदारी है। ये जो जन-प्रतिनिधि हैं, माननीय सभापति महोदय, इसकी जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि बाजार से आ गये हम भाषण देने। लोक संग्रह, लोक शिक्षण, लोक राज के प्रमुख अंग हैं। हम विधायक गण लोक संग्रह में भी नहीं हैं, लोक शिक्षण में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी नहीं हैं और लोक संस्कार में भी नहीं हैं। हमारे संस्कार, कोई देखेगा कि हम एक-एक लाख, दस-दस लाख, करोड़ों-करोड़ों, बीस-बीस करोड़, एक-एक लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में डूबे हैं। किसका लोक संस्कार करेंगे हम? तो हम तो लोक संग्रह भी भूल गये, हम लोक संस्कार भूल गये, हम लोक निर्णय को भूल गये।

शिक्षा समाज का प्रमुख आधार है। आज इस विधान सभा में बहुत अच्छे वातावरण में बहस हो रही है। यहां सुनने वाले माननीय सदस्य कम होंगे लेकिन यह जो लिखा जा रहा है, प्रोसीडिंग्स में, वह आने वाले लोगों के लिये काम में आयेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, सदन की समिति बननी चाहिए, जो शिक्षा के मूलभूत ढांचे पर विचार करे। हम अगर शिक्षा नहीं दे सकते, चिकित्सा उसके बाद है, चिकित्सा भी जरूरी है, शिक्षा का ढांचा आज सबसे बड़ा ढांचा है। 14 तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयन्ती थी। उन्होंने कहा, शिक्षा, संगठित; किसने कहा कि शिक्षा मत करो? साफ सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया। ज्योतिराव फुले को हम श्रद्धांजलि देते हैं आज, उन्होंने उस समय शिक्षा पर जोर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया उस समय। मदन मोहनजी मालवीय ने आजादी के आन्दोलन में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन लोगों ने, आजादी के लोगों ने भी शिक्षा पर बहुत बड़ा ध्यान दिया। दयानन्द सरस्वतीजी ने भी यह काम किया।

तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में पुन: चिन्तन करें, सरकारी स्कूलों की स्थिति को समझें, हम हमारे प्राइवेट इंस्टिट्यूशंस की स्थिति को समझें और भारत में जो शिक्षा का स्तर है और आधुनिक शिक्षा देने की बात है, उन सारी बातों को देखकर इस प्रकार का आयोग बने जो राजस्थान में इन पर नियंत्रण कर सके। हम दोनों ओर हमारी सरकारी शिक्षण संस्थाओं को मजबूत करें, हमारे विश्वविद्यालयों को मजबूत करें। लोगों की लाइन इसलिये लगनी चाहिए कि हम सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन न मिले तब प्राइवेट में जाएं। यह स्थिति पैदा करने के लायक बन जाएं तो इन पर कण्ट्रोल हो सकेगा और ये हमारे समाज के काम आ जाएंगे।

आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, हायर एजुकेशन को लेकर के माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनका मैं स्वागत भी करता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से हायर एजुकेशन को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं, किस तरह की कमेटी बनाई जाए, इस पर जल्दी से चिन्तन किया जाएगा और जितना जल्दी इस बारे में फैसला कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जिस संस्थान ने विश्वविद्यालय खोलने के लिये मांग की है, हम उसके अन्दर सबसे पहले यह देखते हैं कि इसके पास में एक्सपीरियंस क्या है। तो यह बगड़िया एजुकेशन संस्थान है, इसके पहले से ग्रामोत्थान विद्यापीठ, नागौर 1992 से है। स्वामी विवेकानन्द इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, मैनेजमेंट एण्ड ग्रामोत्थान, जयपुर 2000 से, मरुधरा इंजीनियरिंग कालेज, बीकानेर 2003 से; विवेकानन्द इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी 2008 से; विवेकानन्द कालेज आफ इंजीनियरिंग, जयपुर 2008 से हैं। इस संस्था के पास में शिक्षा का जो लम्बा अनुभव है, इसलिये इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिये यह बिल लाया गया है। बाद में प्रमुख जो पाठ्यक्रम इस संस्था के होंगे, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ला, एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड नर्सिंग, मेडिकल साइंस, जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन, आदि।

इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 । अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। श्री एमादुद्दीन अहमद खान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,07,45,03,000/- (तैंतीस अरब सात करोड़ पैंतालीस लाख तीन हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 26 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सभापति: श्री नरपतसिंह राजवी।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने मांग प्रस्तुत की, ठीक हमेशा की तरह पीठ ठपठपाने का काम भी किया कि हमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन 2009-10 और 10-11, बजट का मात्र 4.75 प्रतिशत ही राशि खर्च कर रहे हैं। अपने प्रतिवेदन में स्वयं ने यह माना है, कि 4,382 रुपये प्रति रोगी प्रति वर्ष वहन होगा। ओवर-आल इंडेक्स अगर देखें तो जेंडर इन्इक्वेलिटी इंडेक्स में 187 देशों में भारत का स्थान 129वां; ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स 0.547 2011 में, इसमें ओवर-आल ग्लोबल रैंकिंग 187 देशों में मात्र 134वीं।

सभापति महोदय, योजनाएं हैं, पहले से चल रही हैं, कुछ खतम भी हो रही हैं लेकिन उन योजनाओं में खर्च कितना हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, उस गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना, यह वास्तव में अच्छी योजना है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी एक परिवर्तित रूप में में मैंने शुरुआत की थी। लेकिन वास्तव में दवाइयां कितनी मिल रही हैं, मंत्रीजी, आप खुद अपने आप सैटिस्फाइड हो जाएं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आपके सीनियर डाक्टर्स, प्रैक्टिस खूब अच्छी तरह से बढ़ गई उनकी, कहने की जरूरत नहीं है। तीन-तीन घंटे तक लाइन लगती है। अब विधायक या मंत्री जाएगा तो उसको तो लाइन में खड़ा होना नहीं। लेकिन अपने घर में इतना टाइम दोगे तो यह कर देता है और आउटडोर की पर्ची, वह पहले ही नाम इतने भेज कर और उन नामों की आउट डोर की पर्ची पहले बनाकर तैयार रख लेता है ताकि लाइन में उसको नहीं खड़ा होना पड़ता। बहुत अच्छी योजना है। आपको देखना सिर्फ यह है कि गुणवत्ता दवाई में, जो भी आप मेडिसिंस परचेच करें, उनकी गुणवत्ता

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रहनी चाहिए। 295 इकाइयां राजस्थान में लगी हुई हैं, उनकी मेडिसिन, जो भी प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा आपने उनको आदेश दे दिये तो कहीं न कहीं इन्हें लो-लाइसेंस के माध्यम से वे प्रोड्यूस करवाएंगे, आर.डी.पी.एल. हो चाहे कोई दूसरी संस्था हो। आज विश्व में बहुत बड़ा स्थान है भारत का मेडिसिन प्रोडक्शन में लेकिन जेनेरिक मेडिसिन मिलें, अच्छी गुणवत्ता की मिलें, यह तो कम से कम देखना होगा। जोधपुर में क्या हुआ? फंगस लगी हुई अभी भी 12 हजार बोतलें पड़ी हुई हैं। ब्लैकलिस्ट किया है क्या उस कम्पनी को? अभी तक तो वह ब्लैकलिस्ट नहीं हुई। वह लीपा-पोती की है, इंजेक्शन से हुआ है, रि-एक्शन हुआ है, उसमें प्रसूताओं की मौत हुई है। अब उसमें या तो जो चिकित्सक हैं, उसको टैस्ट करके लगाना चाहिए था, रि-एक्शन हो सकता था। प्रिवेंटिव में क्या लगा या नहीं लगा, कुछ भी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का खुद का भी स्टेटमेंट है। लेकिन अभी तक भी उसमें लिपा-पोती के अलावा कोई कुछ काम नहीं हुआ।

मेरे ख्याल से यह मुफ्त दवा देने में रेस्पांसिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। अगर ब्लैकलिस्टेड कम्पनी या ऐसी ड्यूबिअस कम्पनी है, जिसकी जो कोई दवाई है, वह वास्तविकता में उस गुणवत्ता की नहीं है और वह हम उस गरीब को दे देंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। यह रेस्पांसिबिलिटी भी हमारी है। ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की चिंता करनी चाहिए। अभी एक स्थान पर 1.14 करोड़ की दवाइयां आपने सीज कीं। दो ड्रग इंस्पक्टर, अनिल अग्रवाल और सुनील मित्तल और एक एल.डी.सी. को आपने सस्पेंड भी किया। उसमें एक दिवाकर पटेल, एल.डी.सी., उसके खिलाफ तो कलक्टर ने लिखकर भी दिया था कि इसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, जब वे जोधपुर में थे तब से। और जिस क्लेरीफिकेशन, बी1, बी2, बी12, काम्बिनेशन मेडिसिन में, बीकोसूल, 26.3 को आपके पास प्रतिबंधित नहीं है, डी.जी.सी.आई. की रिपोर्ट यह आपके पास आ चुकी, आपके विभाग में आ चुकी, उसके बाद में 03 अप्रैल को, सात-आठ दिन बाद उसको सीज करना, क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही? आप सोच रहे हैं कि वे इंस्पेक्टर खुद अपने बूते पर कर लेंगे, आप अपने पड़ोस में देखें। आपका इमीजिएट नजदीक का व्यक्ति कौन है जो इंफ्लूएंस कर रहा है इस चीज को। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप चाहेंगे तो उसका नाम भी बता दूंगा, मैथिली शरणजी शर्मा किस आधार पर हैं? उनका सारा किया कराया है, जांच करवा लें। ए.सी.बी. से करवा लें। पता लग

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जाएगा। पैसा मांगा है उस कम्पनी से; नहीं, तो यह प्रतिबंधित नहीं होते हुए भी तुम्हारी यह सीज करूंगा। उसके बाद में उसको रिलीज करने के आदेश हुए 26 तारीख को। यह बहुत बड़ा आरोप है।

एस.एम.एस., अब एस.एम.एस. में तो जो पहले की स्थिति थी और आज की है, वह आप स्वयं देख लें। अगर सही आदमी को सही जगह पर आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होगा। सफाई की हालत खराब है। किडनी ट्रांसप्लांट का अभी जो प्रपोजल, पैकेज तय किया है, सीरम टैस्टिंग का, जो सात हजार रुपये में एम्स में वहां पर और दूसरी जगह होता है, कहीं भी करवा लें, यहां पर 14 हजार और 17 हजार का पैकेज तय किया है। यह दूसरे मरीजों पर यह लोड डालना, बी.पी.एल. को या किसी और को मुफ्त इलाज कराने के लिए जो भी साधन देना है, आर.एम.आर.एस. या सरकार अपने बजट से करे, दूसरे मरीजों पर डालेंगे तो यहां आपके ट्रांसप्लांट करवाने कोई नहीं आएगा।

न्यूरो-सर्जरी वार्ड। यह मेरे ख्याल से तत्कालीन यू.डी.एच. मंत्रीजी ने स्वीकृत की थी राशि। छत तक तो लग गई लेकिन अभी उसके आगे कोई व्यवस्था नहीं हुई है मेरे ख्याल से। इतनी जिस प्रकार से स्पीड है, न्यूरो सर्जरी वार्ड में अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से हाक्स टाइप और जम्प करते हुए प्रोफेसर भी अपने मरीजों को देखने के लिए जाता है। वहां पर स्टे भी ज्यादा है। तो कम से कम वहां पर तो, उसको तो तुरंत आप एक्सेस, जहां पर एक्स्ट्रा बेड्स लग सकते हैं, नया तैयार होने को है, थोड़ा स्पीड-अप करवाने की आवश्यकता पड़ेगी।

सीटी सर्जरी वार्ड दस बेड का तैयार होकर खड़ा है लेकिन डाक्टरों के आपस के झगड़े के कारण से दस बेड ऐसे ही, दस बेड लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कार्डियोथोरोसिक यूनिट्स में रेगुलर काम हो रहा है, लेकिन आई.सी.यू. नहीं है। आई.सी.यू. जैसी ही सुविधा कर दी, आई.सी.यू. आई.सी.यू. ही है। आई.सी.यू. जैसी सुविधा कुछ नहीं। अब नया वेंडर एम.आर.आई और सीटी के लिए तो आ गये। बी.पी.एल. परिवारों की आपने संख्या तो बढ़ा दी, 20 से 30 तक बढ़ा दी, जिनका फ्री होना है लेकिन चार्जेज 40 परसेंट बढ़ाये हैं। यह लोड भी आपने जो दूसरे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर डाला।

मैं तो फ्री मेडिसिन के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यह फ्री मेडिसिन जो राजस्थान के यहां पर मूलभूत रहने वाले हैं, बोनाफाइड

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए है। बीकानेर में आएंगे तो रोज एक ट्रेन पेशेंट्स की आती है, कैंसर के पेशेंट्स की, वे पंजाब और हरियाणा के होते हैं। वन थर्ड पेशेंट्स एस.एम.एस. में भी अगर आपको मिलेंगे तो राजस्थान प्रदेश के नहीं हैं। आप उसका लोड इस स्टेट पर या यहां के टैक्स-पेयर पर काहे को डाल रहे हैं? कुछ न कुछ व्यवस्था उसमें कीजिए। यह दान का कूड़ा अपन यहां पर इकट्ठा नहीं कर रहे हैं सबका। न केन्द्र हमको कोई राशि दे रहा है। यहां पर ऐसी व्यवस्था हो कि जिस स्टेट से वह हो, उस स्टेट को आप बिलिंग भेजें और वह हमारे को सब्सिडाइज करके दें या रिइम्बर्स करें।

2001 में आयुर्वेद की दवाइयां बनाने के लिए सामान खरीदा, प्रयोगशाला-औषधालय तैयार की थी। सामान आ गया। एक रुपये की भी दवाई बनाई है क्या? वे मशीनें खराब हो जाएंगी। उसमें थोड़ा सा रहम करके इस डिपार्टमेंट को वापस थोड़ा सा सुधारें। 1,400 हैक्टेयर में हर्बल प्लांट्स लगाये थे, एक प्लांट भी जिंदा है क्या? आपको शायद जानकारी दी है अधिकारियों ने या नहीं दी, सारे के सारे प्लांट जल गये। जिन वैद्यों को उन प्लांट्स के बारे में जानकारी है लेकिन खेती करना वे नहीं जानते। वहां पर कोई हार्टिकल्चरिस्ट रखते या प्लांट प्रोटेक्ट करने वाला या कोई जानने वाला होता तो मेरे ख्याल से लाभ मिलता।

डी.जी. सेट्स की परचेज हुई। प्रश्न जिस दिन लगा, उस दिन आपसे चर्चा भी हुई। आपने जांच करवाने की बात कही थी कि देख लूंगा। 2 लाख 21 हजार की जो परचेज है वह अल्टिमेटली जाकर पड़ेगी 3 लाख 5 हजार पर। वह लोड सिर्फ इसलिए डाला कि वह टेंडर प्रक्रिया में हमारे को नहीं लेना, क्योंकि डी.जी.सी.ए. से कांट्रेक्ट हुआ है। लेकिन डिपार्टमेंट की लाभ-हानि कहां है, कहां पर नहीं है, आपके भी फाइनेंश एडवाइजर हैं, डिपार्टमेंट के, उनसे पूछते तो वे मेरे खयाल से यही बात कहते।

108 एम्बुलेंस, अब किस कम्पनी को दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इनिशियल चार्टर बनाया था, उसमें अमेंड कितना किया है? कितनी ट्रिप्स लगानी है, वह खतम कर दी; किलोमीटर के ऊपर ले लिया और खड़ी हुई गाड़ियों का, जिसने फ्लाई नहीं किया है, उनकी भी राशि उसमें उठाई है। लगभग सात करोड़ रुपये का ओवर-पेमेंट उसमें हुआ है। आप उसमें जांच करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, लो-लाइसेंस एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसके आधार पर निर्मित अगर दवाइयां आप खरीदेंगे तो सब-स्टैंडर्ड होंगी।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

दुबारा देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी लैब में टैस्ट करवा लेना, चाहे वह आयुर्वेद की मेडिसिन हो, चाहे वह दूसरी आपके ऐलोपेथिक हो। आर.डी.पी.एल. को स्ट्रन्थन क्यों नहीं करते? उसमें तो हिस्सेदारी सरकार की है। जहां आपका अभी मेजर सप्लायर है, लेकिन जितनी छोटी यूनिट्स हैं, बगैर दवाई प्रोड्यूज की हुई आप लेंगे और बिना टैस्ट किये हुए लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, फ्री मेडिसिन के बाद में पेशेंट्स की संख्या तो वास्तव में बहुत बढ़ी है। 1,32,505 औसत योजना से पूर्व में और उसके बाद में 1,70,000; यानी 26 पर्सेण्ट से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट में 2007-08 में 91 परसेंट बजट हमने स्पेंड किया था, टार्गेट, संशोधित बजट; वह 2011-12 में सिर्फ 50 परसेंट ही रह गया। थोड़ी खिंचाई करो तो मेरे खयाल से यह भी इम्प्रूव हो जायेगा। वेंटिलेटर्स, कार्डियक मोनिटर, सोनोग्राफी मशीन, एक्स-रे, ये जहां-जहां नहीं हैं, वहां और भी कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से एक चीज और ध्यान में लाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): साहब, सरकार को वेंटिलेटर की जरूरत है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इसीलिये मैंने वेंटिलेटर पर जोर दिया कि थोड़े ज्यादा खरीद लेना, काम आयेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दिल्ली से मंगा रहे हैं वेंटिलेटर, बहुत बढ़िया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अभी तक तो आपका वेंटिलेशन वहीं से हो रहा है और थोड़े दिनों बाद में यहां पर भी जरूरत पड़ जायेगी, चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय अन्धता मिशन; राष्ट्रीय अन्धता मिशन में 2007-08 में हमने जो लक्ष्य हासिल किया, वह लक्ष्य का 97.44 परसेंट था और 2011-12 में 64 परसेंट तक आ गया। आई बैंक्स, 70 परसेंट से अधिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पायेगा। यही स्थिति, स्कूली बच्चों को चश्मा देने में तो ठीक, लेकिन टैस्ट करने में पीछे रहे हैं। बच्चों पर तो कम से कम रहम खाओ, साहब। स्कीम है, फण्ड्स हैं, सिर्फ मोबिलाइजेशन और मानिटरिंग की

(श्री नरपत सिंह राजवी)

आवश्यकता है, जिसकी मुझे कमी लगती है। इसको आप करेंगे तो करीब-करीब हर बच्चे का जो यह नेशनल मिशन है, उसके अन्दर यह कमिटमेंट पूरा होगा। अच्छी डवलपमेंट एक्टिविटी है, हर आदमी को इसकी जरूरत पड़ती है। थोड़ा आप इसमें मेहनत करेंगे तो इसमें निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट आयेंगे।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2008 में कार्यभार सम्भाला और सम्भालने के बाद में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले एक निर्णय किया कि हमारे जो बी पी एल भाई पहले थे, लेकिन बाद में केन्द्र सरकार के नियमों में नई बी पी एल सूची बनी, उसमें रह गये, उन लोगों को भी स्टेट बी पी एल मानकर मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष के माध्यम से उनका मुफ्त इलाज कराने की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया। सब-सेंटरों का निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए, उतने सब-सेंटर तो पहले बजट में ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खोलने की घोषणा की और उनकी क्रियान्विति भी हुई।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार यह चाहती है कि हमारे गांवों के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, सारे के सारे लोग खुशहाल रहें और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने 9 जिलों में आई.सी.यू. सेंटर, 18 जिलों में ट्रोमा यूनिट्स और 18 जिलों में पुनर्वास और 24 जिलों में बर्न यूनिट्स खोलकर वहां के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम अपने हाथ में लिया। यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, हमारे जो संविदा पर नर्सिंग कर्मचारी थे, ए एन एम थीं और जो लैब टेक्निशियंस थे, उनको बहुत कम पैसा मिलता था और वे अपना जीवन-यापन करने में कठिनाई महसूस करते थे। राजस्थान के मुख्य सेवक, माननीय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, समय तो बढ़ा दो, पर नवाबों को पूछ लो, कितनी देर बैठेंगे? हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बैठ जायेंगे 12 बजे तक।

श्री सभापति: सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, उन संविदाकर्मियों का मानदेय, नर्सों का 4,500 से बढ़ाकर 7,500, ए.एन.एम. का 3,500 से बढ़ाकर 6,000 और लैब टेक्निशियनों का 3,000 से बढ़ाकर 5,000 किया गया। यह पैसा बढ़ाकर राजस्थान की सरकार के मुखिया ने उन लोगों को अच्छी सेवाएं ग्रामीण इलाकों में देने के लिये प्रेरित किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहती है और 400 करोड़ रुपये सी एच सी, पी एच सी, सब-सेंटर्स, जिनके भवन नहीं बने हुए थे, उनको बनाने का काम राजस्थान की सरकार ने हाथ में लिया।...(व्यवधान) वह भी आ जायेगा। आज आपकी उपस्थिति में भी खटका नहीं है। आप लाइये रानी साहिबा को यहां, खटका आ जायेगा अपने आप। वह आ जायेगा, आ जायेगा, चिन्ता मत कीजिये। अब 10 आदमियों में क्या तो खटका आये। आप रुचि ही नहीं रखते हो। यह तो प्रतिपक्ष के आपके उप-नेता महोदय हैं, जो इसको चला रहे हैं। अगर ये चले जायेंगे, तो आप में से दो भी नहीं बचेंगे।

निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन का गठन किया और 2 अक्टूबर, 2011 को आम परिवारों को, आम लोगों को, जो चाहे गरीब हों, धनाढ्य हों, किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी भी पी एच सी, सी एच सी, सब-सेंटर में जायें, उनको नि:शुल्क दवा मिलेगी और वह भी 400 प्रकार की दवाएं दिलाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिये भी राजस्थान की सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया। ये सारे के सारे काम वही व्यक्ति कर सकता है जो गांव, ढाणी, खेत-खलिहान के उन गरीब बाबा, माता या बहन की सोच रखता हो कि उनका किस प्रकार से स्वास्थ्य ठीक रहे और किस प्रकार से वे उन्नति करें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हमारे एन आर एच एम के कर्मी जो संविदा पर थे, उन 21 कार्मिकों को नियमित करने की बात भी हमारे राजस्थान के मुखिया ने अपने बजट भाषण में कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो गरीब कहीं एक्सीडेंट में खतम हो जाता था, पहले उसको 10 हजार रुपये मिलते थे, उसको 20 हजार दिलाने का काम हमारी सरकार ने पहले नियम बनाकर पास किया।

पी एच सी, सी एच सी में डाक्टर नहीं थे, खाली थे और इसीलिये राजवी साहब के उद्बोधन में दम नहीं था। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए कुछ काम नहीं किया। हमारी सरकार ने तीन हजार, आदरणीय राजवी साहब, तीन हजार से भी अधिक डाक्टर नियमित भरने का काम राजस्थान की सरकार ने और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया।...(व्यवधान) आप बोल देते, आपको समय था लेकिन आपने टाइम पास सा किया और घंटी बजने से पहले ही बैठ गये। इसका मायना यही है कि आपकी सरकार ने पहले काम किया नहीं और हमारी सरकार जो काम कर रही है, उसमें कमियां गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए आप जल्दी बैठ गये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, 400 से ज्यादा एम्बुलेंस, निश्चित रूप से पी.एच.सी., सी.एच.सी. आपके समय में कुछ भी खुलीं नहीं, आपने बजट भाषण में देखा होगा, 100-100 पी.एच.सी. खोलने की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की; निश्चित रूप से काफी पी.एच.सी., लगभग 400 पी.एच.सी. ऐसी हैं जहां पर डबल डाक्टर करने की बात हमारी सरकार ने की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 379 सी.एच.सी. में से 237 में एफ.आर.यू. के माध्यम से 24 घंटे प्रसव की व्यवस्था हो, इस बात की गारंटी भी हमारी सरकार ने देने की चेष्टा की है। नर्सिंग कर्मियों में महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत हो, इस बात की भी व्यवस्था की है।

आप और हम सब देख रहे हैं कि सरकार के सतत प्रयासों से आज एक भी केस पोलियो का हमारे यहां नहीं है और हमारे राजस्थान के प्रदेश ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी, हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के जरिए पूरे भारत वर्ष में पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। इसी बजट में जो लोग सन्तान विहीन हैं, उनकी पीड़ा को भी छुआ गया है, उनकी पीड़ा को भी समझा गया है और जिन जिलों में फर्टिलिटी क्लीनिक नहीं हैं,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राज्य सरकार वहां पर खोलने के लिए एक करोड़ रुपया देगी और वहां पर बी.पी.एल. के लोगों को नि:शुल्क इलाज मिलेगा, उसका सारा का सारा खर्चा राजस्थान की सरकार देगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जननी शिशु सुरक्षा योजना को बढ़ावा देने के लिए मां और बच्चा सुरक्षित रहें, उसके लिए 400 महिला शय्याओं की और 300 शिशु शय्याओं की वृद्धि करने का काम भी राजस्थान की सरकार ने हाथ में लिया।

इस बजट में यूनानी मेडिकल कालेज की स्थापना का निर्णय भी लेकर के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे कुपोषण के नियंत्रण की बात हो, चाहे क्रिटिकल केयर यूनिट्स की बात हो, चाहे औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की बात हो, यह और जो कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए भी सूचना देने वाले को इनाम बढ़ाने की बात हो, ये सारे के सारे प्रावधान हमारे मुखिया माननीय अशोकजी गहलोत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए किये कि पिछली सरकार ने पांच साल तक आपस में लड़-लड़ कर समय गंवा दिया, वह गांव-ढाणी में बैठा गरीब जो इलाज के लिए तड़फ-तड़फ कर अपनी जान दे रहा था, उसका इलाज कराने की उनके मन में कभी कोई बात नहीं आयी।

यह सारे काम करने के बावजूद भी कुछ सुझाव मैं मेरी ओर से निवेदन करना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की कि सब-सेण्टर पर दस हजार का बजट, पी.एच.सी. पर सवा लाख का और सी.एच.सी. पर पांच लाख का, लेकिन कुछ ऐसी पी.एच.सी. और सी.एच.सी. हैं जहां पर ओ.पी.डी. ज्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं, तो मेरा यह निवेदन रहेगा कि यह ओ.पी.डी. के आधार पर तय किया जाय, जहां ज्यादा मरीज दिखाने आते हैं वहां पर ज्यादा दवाइयां, ज्यादा बजट आवंटन होना चाहिए और जहां पर कम लोग होते हैं वहां पर कम बजट, जो आपने तय कर रखा है, वह होना चाहिए। क्योंकि हमें देखने को मिलता है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ सी.एच.सी. में ढाई सौ प्रकार की दवाइयां होती हैं, कुछ सी.एच.सी. में सवा सौ प्रकार की दवाइयां होती हैं और कुछ में पचास, साठ, सत्तर और अस्सी प्रकार की दवाइयां ही मिल पाती हैं। मैं जो समझता हूं, कारण यह है कि जो बजट की सीमा है उसके आधार पर वे लोग

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खरीदते हैं। इलाज कराने लोग ज्यादा आते हैं। इसलिए जो असमानता है, सब जगह सब दवाइयां मिलें, ज्यादा से ज्यादा मिलें, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे प्रावधान भी हों, जैसे कोई बर्न का गम्भीर केस आ गया, जैसे कोई हार्ट का केस आ गया, किसी के सर्जरी करनी हो तो उसमें यह जो दवाइयां हम खरीद रहे हैं, मल्टीनेशनल कम्पनी की दवाइयां भी होनी चाहिए। क्योंकि एक लाख रुपये का स्टैंट डलता है और उसमें अगर कहीं लोकल दवाई खरीद कर के हम उसको इलाज के लिए दे देंगे तो मैं समझता हूं, उसका जीवन ज्यादा नहीं चल पायेगा। तो वहां पर थोड़ा सा हमें यह भी समझना पड़ेगा कि सब-सेण्टर में भी वह ही दवाई और जो यहां एस.एम.एस. में आये उसके लिए भी वह ही दवाई; जो 70 परसेंट, 90 परसेंट जल गया, उसके लिए भी वह ही दवाई और जो पांच परसेंट जल गया, उसके लिए भी वह ही दवाई। तो मैं समझता हूं, इसमें थोड़ा सा हमें सुधार करने की आवश्यकता है।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें नयी सी.एच.सी. और बढ़ाने की आवश्यकता है, नयी पी.एच.सी. और बढ़ाने की आवश्यकता है। सब-सेण्टर तो तीन हजार बहुत अच्छे इस बात हमें दिये लेकिन यह सी.एच.सी. और पी.एच.सी. और बढ़ें तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा लोग इसका लाभ, स्वास्थ्य लाभ ले पायेंगे।

चौथा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे नर्सिंग कर्मचारी, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग टिका हुआ है। उनकी जो वेतन विसंगतियां हैं उनके बारे में भी सरकार को सोच कर के जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए।

मैं इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने घोषणा पत्र जब दिया था तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बारे में 16 बातें की थीं कि ये करेंगे, ये करेंगे; मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अगर सबसे ज्यादा घोषणा पत्र की क्रियान्विति किसी डिपार्टमेंट में हुई है तो वह स्वास्थ्य विभाग है।

(16.57 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसमें से 14 बातें ऐसी हैं, मैं लेकर के आया हूं, अगर कोई मांग उठाये कि साहब, बताइये, तो मैं बता सकता हूं कि उनमें उन घोषणाओं की, जो हमारे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

घोषणा पत्र की बातें थीं, उनको पूरा करने में हमारे चिकित्सा विभाग ने 90 प्रतिशत एचीवमेंट किया है। यह हमारे सब के लिए खुशी की बात है। लेकिन फिर भी हमारे नर्सिंग कर्मी हैं, उनका धुलाई भत्ता, उनका वर्दी भत्ता, उनका मैस अलाउंस कुछ बढ़ा है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस सोच के साथ में इस बजट में बढ़ाया है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से कि 10 रुपये से 50 रुपया धुलाई भत्ता पर्याप्त नहीं है; मैस अलाउंस भी आपने 1,000 से जो 1,500 किया है, वह भी मैं समझता हूं कि पर्याप्त नहीं है; और वर्दी भत्ता 900 से 1,500 किया, वह भी कम से कम 2,500 रुपये होना चाहिए।

एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे किसी भी हास्पिटल में चले जाइये, चाहे आप और हम जाएं, कभी भी निरीक्षण कर लीजिए, जो आई.वी., जो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ड्रिप चढ़ानी पड़ती है, वह सारे के सारे नर्सिंग कर्मचारी करते हैं लेकिन आज की तारीख तक भी उनको वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम हम उनसे करवा रहे हैं, जो दवाई हम उनसे बंटवा रहे हैं, अगर उनका अधिकार हम उनको नहीं दे सकते तो यह हमारी कार्यशैली पर प्रश्नवाचक चिह्न खड़ा करता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार सब के हितों को ध्यान में रखकर चलती है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम लोग हों, इनकी सब की व्यवस्था करती है तो मैं समझता हूं, उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में भी हमारी सरकार जल्दी से जल्दी सोचेगी।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो-तीन महत्वपूर्ण जो मांगें हैं, वे भी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 60 हजार से भी अधिक आबादी का लक्ष्मणगढ़ कस्बा है, वहां पर केवल एक सी.एच.सी. है। निश्चित रूप से वह सी.एच.सी. पर्याप्त नहीं है। एक सिटी डिस्पेंसरी वहां पर और खोलने की मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेछवा, जो सीकर से 50 किलोमीटर है, वहां पर पी.एच.सी. है, सी.एच.सी. नहीं है। वहां के लोगों को सीकर आने में, सीकर आते हैं, तब तक उनको भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर आते हैं, तब तक उनको भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो नेछवा को सी.एच.सी. में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कन्वर्ट किया जावे। 108 एम्बुलेंस मंगलूणा और बलाना में शीघ्र स्वीकृत करके भिजवाये जाने की कृपा करें।

(17.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे डाक्टर्स रहते हैं गांवों में, पी एच सी पर उनके लिए एक के लिए भी रेजिडेंस क्वार्टर नहीं है। उन क्वार्टरों की व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं, जो डाक्टर दस साल की पढ़ाई करके आता है, वह अपने बच्चों को किसके यहां रखे, कहां रखे; इसके लिए भी बजट की व्यवस्था होनी चाहिए।

एक हमारे सीकर जिले में बर्न यूनिट्स का उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय ने किया...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं दो-चार महत्वपूर्ण बातें निवेदन करूंगा। मैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ वाली बात तो कर नहीं रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, वह बात नहीं है। समय की बात है, और कुछ नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो जो बर्न यूनिट्स है, उसमें समस्त स्टाफ लगाकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाए।

जो ट्रोमा यूनिट्स जाते-जाते, आदरणीय राजवी साहब मेरी बात पर गौर फरमायेंगे, आपकी महारानी साहिबा ने केवल फीता काटा था, एक भी स्टाफ, डाक्टर, नर्सिंग कर्मचारी नहीं दिया था। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने छह डाक्टर और दस कर्मचारी नर्सिंग स्टाफ तो दिये लेकिन मेरी यह मांग है माननीय मुख्य मंत्रीजी से और स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि वहां पर हमें आपरेशन थिएटर चलाने के लिए और ज्यादा डाक्टर, स्पेशलिस्ट और कम से कम जो न्यूरो सर्जन है वे तो होना चाहिए, ज्यादा और स्टाफ देकर के ट्रोमा यूनिट चालू करायी जाए। फतेहपुर के ट्रोमा यूनिट में भी स्टाफ नहीं होने के कारण से अभी तक वह चालू नहीं हुआ है। सीकर से लेकर फतेहपुर के बीच लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र है जहां से मैं निर्वाचित होकर आता हूं, वहां एन. एच. का एरिया है और 28 किलोमीटर में सीकर से लक्ष्मणगढ़ के बीच में तेरह मोड़ हैं, रोजाना आए दिन 1, 2, 3 एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो लक्ष्मणगढ़ में ट्रोमा यूनिट खोलकर माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी मेरी इस बात पर गौर फरमायें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एक सीकर में सांवली में, बजाज ग्राम सांवली में बहुत बड़ा हिन्दुस्तान का माना हुआ क्षय रोग निवारण का जो हास्पिटल है, वह बहुत अच्छा हास्पिटल है, हमारे एरिये में माना हुआ है। वहां पर अनुदान के अभाव में इलाज की कमी चल रही है। पिछले 2010-11 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पन्द्रह लाख का अनुदान उस हास्पिटल के लिए दिया था। मैं समझता हूं, इस बार भी कम से कम बीस लाख रुपए का अनुदान बजट के माध्यम से दिया जाए। वहां के लोगों की सेवा जहां पर नि:शुल्क होती है, न कोई आपरेशन का पैसा, न कोई दवाई का पैसा, न कोई कपड़े का पैसा, किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। ऐसे अस्पताल को बढ़ावा देने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीस लाख रुपये की व्यवस्था निश्चित रूप से दें।

बाकी जितने डाक्टर डबल लगाए हैं, उनके वेतन का, मैं समझता हूं, शायद अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया। तो शीघ्र ही फाइनेंस से उनकी स्वीकृति ली जाकर के वहां के डाक्टरों की व्यवस्था, जहां उनको लगाया है वहां से वेतन मिले, इस बात की व्यवस्था भी किये जाने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं लास्ट में आपको धन्यवाद दे रहा हूं। जो भी मैंने निवेदन किया, यह चाहे नर्सिंग कर्मचारियों की हो, डाक्टर्स के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो पी जी करने जा रहे हैं, उनको पहले पूरा पैसा मिलता था और अबकी बार कोई सर्कुलर निकाल दिया कि उनको कम पैसा मिलेगा। तो वे लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, जहां पूरा पैसा मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे लोग वहां ज्यादा पी जी करेंगे और हमें स्पेशलिस्ट नहीं मिल पायेंगे। इसलिए जो पुरानी व्यवस्था है, वही व्यवस्था राजस्थान में की जाए।

मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी काफी इस मामले में गम्भीर हैं, चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, पच्चीस मिनट हो गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...आम अवाम के गरीब लोगों का, सारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इस बात का पुख्ता इंतजाम करना चाहते हैं, इसलिए ये सारी मांगें मंजूर होंगी।

आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री जीवाराम जी चौधरी। मेरी जान-पहचान आपने ही कराई थी, माननीय तिवाड़ी साहब, ध्यान है ना आपको।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बे-चौड़े आंकड़ों में जाना पसन्द नहीं करूंगा। मेरे साथियों ने खूब सारी व्यवस्थाएं सरकार के बारे में बताई। हर सरकार अपना-अपना प्रयास करती है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे तो सुबह से ही आपको सूचित करना था, 14 तारीख को जब हमारे अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा था, उस दिन शाम को सांचौर अस्पताल में दो दलित महिलाओं के डिलिवरी हुई और वहां का स्टाफ टी वी पर बैठा-बैठा प्रोग्राम देख रहा था। कुछ ही घण्टों के बाद दोनों शिशुओं की मौत हो गयी। एक तो शिलुका निवासी कैलाश वाइफ आफ छगन लाल भील; दूसरा, सुराचंद का निवासी पवन, वाइफ आफ बाबूलाल कोली। ये दो बच्चे, अगर उनको समय से वहां का स्टाफ देखता और कुछ दवाई देता, उनकी सार-सम्भाल लेते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। उस माता का क्या हाल हुआ होगा? वह उस अस्पताल में सपना लेकर आयी होगी कि मेरे बच्चा होगा, यहां से मैं सरकार की दवा लेकर ठीक होकर उसको लेकर घर जाऊंगी और उसके बदले वह उसकी डैड बाडी लेकर घर गयी। इस बात का मुझे बड़ा दुःख है।

हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी बहुत भले व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उनकी खूब इज्जत और सम्मान करता हूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विभाग वाले यहां तक पहुंचने नहीं देते वरना मुझे कोई शक नहीं है कि मंत्री जी को पता लग जाए और वे व्यवस्था न करें, ऐसी मैं जिन्दगी में कभी कल्पना भी नहीं करता। सिर्फ सरकार से और मंत्रीजी से यह निवेदन है कि उन दो दलित महिलाओं को जो चीज होनी थी वह तो हो चुकी, कम से कम उनको जो सम्भव हो सके, उतना आप मुआवजा देने की घोषणा करें तो मुझे थोड़ी बहुत शांति होगी। यह मेरा आपसे निवेदन है।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओमजी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेहरबानी करना, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पांच मिनट तो नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: 33 आदमी बोलने वाले हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पांच मिनट में तो विषय ही खतम नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष: दस मिनट ले लेना आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बीस मिनट बोलूंगा। बीस मिनट सामने वाले बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पांच-पांच मिनट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बीस मिनट वे बोले हैं, बीस मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: दस-दस मिनट। वह मैंने कहा है, रिकार्ड में तो दस मिनट ही हैं उनके।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बीस मिनट में एंड कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड में दस मिनट ही है उनका।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बीस मिनट वे बोले हैं, बीस मिनट बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण, राज्य का चिकित्सा और स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, उसकी मां स्वस्थ होगी, वह देश प्रगति पर होगा, प्रदेश प्रगति पर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की आबादी 6 करोड़ 84 लाख है लेकिन ऐसा दुखद इस राजस्थान में 3 करोड़ 67 लाख लोग हम इस प्रतिवेदन में बता रहे हैं कि बीमार हैं। मतलब राजस्थान के आधे लोग बीमार हों, अस्वस्थ हों तो प्रदेश की प्रगति और खुशहाली की चर्चा हम कैसे कर सकते हैं?

जो सरकार लक्ष्य रखती है, उन लक्ष्यों को पूरा करने का दायित्व सरकार का होता है। तीन चीजों पर पूरे देश के मापदण्ड के अनुसार प्रदेश की प्रगति मानी जाती है। हमारी जन्म दर का लक्ष्य जो हमने रखा वह 21 प्रति हजार और हमारा आज 26.5; शिशु मृत्यु दर, बच्चा पैदा हो, जिन्दा रहे, हमारी चिन्ता का विषय है, हमने लक्ष्य रखा 32 प्रति हजार और हमारी आज की स्थिति, सीमित करने की लक्ष्य प्राप्ति प्रति हजार 55; मातृ मृत्यु दर 148 प्रति लाख तक सीमित करने का लक्ष्य रखा था, जो अभी 318 है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने दावे किये थे कि हम राजस्थान के अन्दर 24 घण्टे प्रसव की सुविधा देंगे, हमारे सी एच सी, पी एच सी के अन्दर संस्थागत प्रसव होगा, लेकिन मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख दूं। मैं पी एच

(श्री ओम बिरला)

सी की भी चर्चा नहीं कर रहा, मैं कोटा सम्भाग के और पूरे राजस्थान के अगर सी एच सी की चर्चा करने लगूंगा तो, तो राजस्थान में 204, उनमें से हमारे यहां हालत यह है कि 153 में आपरेशन हो रहे हैं। वे आपरेशन कैसे, छोटे चीर-फाड़। वास्तविक स्थिति देखें तो पूरे हाड़ौती सम्भाग में सी एच सी के अन्दर भी, जिसमें बहुत बड़ा पैसा एन आर एच एम का लगा है, उसके बाद भी सी एच सी के अन्दर आपरेशन थियेटर नहीं बना पायेंगे। आपरेशन थियेटर बन गया, इक्विपमेंट्स हो गये, लेकिन उसके बाद भी वहां आपरेशन नहीं कर पायेंगे, ये हम सबके लिये चिन्ता की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस जिले से आते हो, आप जिस महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठे हो...

श्री उपाध्यक्ष: मैं कहां से आता हूं ?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप जिस जिले से आते हो; चुनकर आते हो, मैं यह नहीं कह रहा; मैंने कहा, जिस जिले से आप आते हो; 'चुनकर आते हो' नहीं कहा। आप राजस्थान के नेता हो, कहीं भी चुनकर आ सकते हो।

श्री उपाध्यक्ष: मेरे ऊपर कृपा करो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्भाग के अन्दर चले जाएं तो मैं सी एच सी की स्थितियां बता रहा हूं, बून्दी में 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 में भी सीजेरियन आपरेशन आज तक नहीं हुआ। आप चले जाओ बारां के अन्दर 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 में आपरेशन हुआ, कोटा में चले जाओ, 9 सी एच सी, जिनमें केवल कैथून और कोटा के सी एच सी में आपरेशन होता है; झालावाड़ में चले जाओ, 14 सी एच सी, जिनमें से 3 सी एच सी में आपरेशन होता है। किस बात की बात कर रहे हैं हम? इतने करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी, हम पी एच सी की चर्चा नहीं करना चाहते, सी एच सी की चर्चा कर रहे हैं। हम सी एच सी के अन्दर आपरेशन थियेटर बना दें, इक्विपमेंट्स लगा दें, साधन भेज दें और वहां डाक्टर और चिकित्सक नहीं होने के कारण उन करोड़ों रुपये के इक्विपमेंट्स, साधन में जंग लग जाए, लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिले; इसके कारण सारा का सारा बोझ सम्भाग स्तर पर पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार चर्चा कर रही थी नि:शुल्क दवा वितरण योजना की। क्या हाल है नि:शुल्क दवा वितरण योजना का? अक्टूबर,

(श्री ओम बिरला)

2011 के आंकड़े मैं बता रहा हूं ओ पी डी और इन्डोर के। अक्टूबर, 2011 में इन्डोर में 23,779; नवम्बर में क्या स्थिति रही, 16,076; और फिर दिसम्बर में क्या स्थिति रही, 14,017; लगातार। आपने तो नि:शुल्क दवा वितरण योजना शुरू की थी, आपकी इस योजना का लाभ होता, आम अवाम, गरीब व्यक्ति आउटडोर में आता, इन्डोर में आता। आपके लगातार नि:शुल्क दवा वितरण योजना के बावजूद अस्पताल क्यों खाली हो रहे हैं ?

मेरे साथी चले गये, गोविन्द सिंहजी बता रहे थे, हालत यह है, जिस नि:शुल्क दवा वितरण योजना की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने दवा वितरण योजना से पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं किया। मेडिकल कालेज, सी एच सी, पी एच सी के अन्दर कैसे नि:शुल्क दवा देंगे? कौन-कौनसी दवा देंगे? बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के, जल्दी में दवा वितरण योजना को शुरू किया जिसके कारण जो मरीज जाता है, आप भी जायेंगे तो आप यह कहेंगे, डाक्टर साहब, जिस दवा से ठीक हो सकते हों, वह दवा लिखना। यही कारण है, वह गरीब व्यक्ति अस्पताल के अन्दर जाता है तो उसको वह दवा लिखी जाती है जो अस्पताल में होती है। जिससे मरीज ठीक नहीं होता। इसके कारण जिस तरह से राजस्थान के शिक्षा के सरकारी स्कूल बन्द हुए हैं, मेरा दावा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राज रहा तो जो आंकड़े मैंने दिये, उन आंकड़ों के दावे के साथ जब अगली विधान सभा में मिलूंगा तो राजस्थान में अस्पताल के अन्दर इन्डोर मरीज नहीं मिलेंगे। यह हमारी चिन्ता का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, कोटा के मेडिकल कालेज चले जाएं। कोटा मेडिकल कालेज का माननीय चिकित्सा मंत्री जी भी एक दौरा करके आये थे, बहुत उत्साह और जोश में थे। उस समय के वहां के प्रभारी सचिव भी देखकर गये थे। कोटा का 470 बेड का मेडिकल कालेज बना हुआ, 3 वर्ष हो गये, आज 3 वर्ष में मेडिकल कालेज की स्थिति यह है कि वहां पर हम 50-60 बेड का अस्पताल भी नहीं चला पा रहे हैं। और तो और केन्द्र सरकार द्वारा ट्रोमा यूनिट्स के अन्दर 8 करोड़ रुपये देने के बाद भी, केन्द्रीय वेतन देने के बाद भी उस ट्रोमा यूनिट में पदों पर भर्ती नहीं कर सके। 470 बेड का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो गया, बिल्डिंग तैयार हो गयी लेकिन 3 साल तक इस सरकार ने न चिकित्सक दिये, न ए एन एम दीं और वह महाविद्यालय एक डिस्पेंसरी भी बदतर हालत में चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्भाग स्तर का चिकित्सालय, हालत क्या है उस सम्भाग स्तर के चिकित्सालय की? आप चले जाएं, एक गरीब

(श्री ओम बिरला)

व्यक्ति जिसकी जेब में पैसा नहीं है, उसकी हालत क्या है? 4 विशेषज्ञ सेवाएं जो सामान्य रूप से हर मेडिकल कालेज में होनी चाहिये, वह 1 विशेषज्ञ सेवा ये 3 साल के अन्दर चालू नहीं कर पाये। गरीब व्यक्ति है, बी पी एल व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति अस्पताल में जायेगा, मेडिकल कालेज में जायेगा, कार्डियोलॉजी नहीं, नेफ्रोलाजी नहीं। मैं कौन-कौनसी विशेषज्ञ सेवा बताऊं? माननीय मंत्रीजी, जब जवाब दें, बतायें कि सम्भाग के अन्दर जो मध्य प्रदेश की सीमा पर भी लगा हुआ है, जहां रोज एक्सिडेंट होते रहते हैं, जो हाइवे के ऊपर है, उस मेडिकल कालेज की क्या बदतर हालत बना रखी है आपने।

एक गरीब व्यक्ति कोटा से चले ओपन बाइपास सर्जरी कराने जयपुर, तो एस एम एस की क्या हालत है? एस एम एस के अन्दर एक गरीब व्यक्ति कोटा से, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, यह लक्ष्य बनाकर चले कि मुझे सरकारी अस्पताल के अन्दर इलाज कराना है, तो ओपन हार्ट सर्जरी में व्यक्ति को तुरन्त ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसके नाइंटी परसेंट ब्लाकेज होता है। यहां ओपन हार्ट सर्जरी की एस एम एस की कंडिशन यह है कि 6-6 महीने तक ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती। एक गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति जिसके तन पर कपड़ा नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, वह सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए या तो 6 महीने का इंतजार करे। और 6 महीने का इंतजार कौन व्यक्ति करेगा? आज हर व्यक्ति अपनी जिन्दगी को बचाना चाहता है। बेटा हो तो पिताजी, मां को और मां हो तो बेटे को।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार केवल एस एम एस को, जिसको हम चाहते हैं कि एम्स के दर्जे का सुपरस्पेशलिटी मेडिकल हास्पिटल बने, जो राजस्थान ही नहीं, हमारे साथी बता रहे थे आस-पास के प्रदेश के लोग भी मेडिकल कालेज में आते हैं, कार्डिअक सर्जरी की यूनिट बननी चाहिये। हालत क्या है न्यूरो सर्जरी की? न्यूरो सर्जरी की हालत खराब है। न्यूरो सर्जरी में 6-6 महीने तक आपरेशन नहीं होते। ओपन हार्ट सर्जरी का 6 महीने वाला पेशेंट अगर 90 परसेंट ब्लाकेज होगा तो जिसके पैर में चप्पल भी नहीं होगी, वह भी अपनी जमीन बेचकर, अपने तन को बेचकर इलाज करायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कर्नल सोनारामजी किसका इलाज कर रहे हैं? कर्नल सोनारामजी किसका इलाज कर रहे हैं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार का।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वे भी अच्छे डाक्टर हैं। आप भी कम्पाउंडर नहीं हो, डाक्टर ही हो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: तो अब यह चर्चा चल रही है, माननीय बिरलाजी, बार-बार पर्चियां आ रही हैं। 5 मिनट की जगह आपको 15 मिनट तो हो गये। कृपा करके आप थोड़ा शार्ट कर दो। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप अच्छा बोल रहे हो, थोड़ा शार्ट कर दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं शार्ट कर देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं बता रहा था कि सम्भाग अस्पताल कोटा के अन्दर कोई विशेषज्ञ सेवा नहीं। जो मैंने जिक्र किया कार्डियोलाजी का, न्यूरो सर्जरी का, नेफ्रोलाजी का, वहां कोई विशेषज्ञ सेवा नहीं होने के कारण और 3 साल से पद होने के बाद भी लगातार पद रिक्त होने के कारण उस गरीब व्यक्ति को जयपुर आना पड़ता है। जयपुर की स्थिति यह है कि अच्छे डाक्टर, अच्छे चिकित्सक होने के बाद भी हमारे पास संसाधन नहीं, सेवाएं नहीं। उसके कारण हम एक गरीब का इलाज नहीं कर पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा के जे.के. लोन अस्पताल की जरूर चर्चा करना चाहूंगा। आप खुद भी गये हैं जे.के. लोन अस्पताल के अन्दर, क्या हालत है वहां पर? कभी-कभी इनके आंकड़े देखकर चिन्ता हो जाती है। मैं मेरे आंकड़े नहीं बता रहा हूं, मैं इनके आंकड़े बता रहा हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा, उसके जवाब में सरकार देती है कि एक महीने का बच्चा पैदा होने के बाद, जो सरकार एक महीने के बच्चे को जिंदा नहीं रख सकती और किस में जिंदा नहीं रख सकती, मैं गांव की डिस्पेंसरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सी एच सी की बात नहीं कर रहा, मैं सम्भाग के बड़े अस्पताल जे.के. लोन अस्पताल की बात करना चाहता हूं जहां पर 5379 बच्चे भर्ती हुए, उसमें से 997 बच्चे जिंदे नहीं रहे। क्या हालत है। जिस जे.के. लोन अस्पताल के अन्दर हम प्रतिशत का आंकड़ा देखें तो 25 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे एक महीने के जिंदा नहीं रह सकें। वहां का अगर आपरेशन थियेटर देख लो, वहां की डिलिवरी रूम देखो, तो बच्चा-जच्चा अन्दर जाता है तो वह जिंदा नहीं रह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में बात खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: 5 मिनट बहुत हो जायेंगे, बिरलाजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जे.के. लोन अस्पताल की चर्चा इसलिए भी करना चाहता हूं कि वहां पर छोटी-छोटी चीजें

(श्री ओम बिरला)

भी, वहां 2 वेंटिलेटर, दोनों के दोनों ही खराब। मैं सारी लिस्ट देऊं, यह कौनसी सरकार चला रहे हैं? जो ई सी जी की मशीन होती है, ई सी जी की सामान्य मशीन, वे दो मशीन, दोनों की दोनों खराब। मैं पूरे साधनों की लिस्ट रख दूं, ओपन केयर सिस्टम 12 उसमें से 10 खराब। जिस सम्भाग के जे.के.लोन अस्पताल की हालत ये हो। जिस सम्भाग के अन्दर सीएचसी की हालत ये हो। मैं पी एच सी पर नहीं जाना चाहता। मैं पी एच सी से नीचे नहीं जाना चाहता, उपाध्यक्ष महोदय, ये सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है। माननीय मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक ही बात कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: कन्क्लूड करें। माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोटा का मेडिकल कालेज जिसमें पिछले 3 साल से कोई सुपर-स्पेशलिटी की सेवाएं नहीं हैं। वहां पर तुरंत प्रभाव से सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं को शुरू करना चाहिए। जो 470 बेड का मेडिकल कालेज बन चुका है, उसको 1,000 बेड का मेडिकल कालेज बनाकर, सुपर-स्पेशलिटी सेवाएं शुरू करके उस मेडिकल कालेज को जिसमें आज 140 पद खाली हैं, आधे से अधिक, उसको संस्थाबद्ध तरीके से तैयार करना चाहिए। कोटा के जे.के. लोन अस्पताल को जो कि मौत का सौदागर बन चुका है, उसमें इक्विपमेंट से, साधन से, हम बच्चों को भी जिंदा रख सकें, बच्चे की मां को जिंदा रख सकें। हाड़ौती सम्भाग के अन्दर जो चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाई है, उसके बारे में मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अगर गांव, ढाणी के अन्दर चले जायें, जो हालत है उसको ठीक करें। चाहे राजस्थान में एक सी एच सी ठीक हो...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): लेकिन उस सी एच सी में सारे इक्विपमेंट हों, प्रसव हों, आपरेशन हों। गांव का माडल अगर हम ऐसा तैयार करेंगे, नये साधन, इक्विपमेंट से अगर गांव का बजट तैयार करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय प्रोमिलाजी, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जो चिकित्सा व्यवस्था हमारे राजस्थान की गड़बड़ा रही है, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी, हम फोटो खिंचा लें, विज्ञापन लगा लें, इससे राज चलने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय प्रोमिलाजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करने की अपेक्षा उस गांव, ढाणी के अन्दर उस बच्चे को जिंदा रखो, बच्चे की मां को जिंदा रखो।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, बिरलाजी। विराजो, प्लीज।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोई गरीब व्यक्ति इलाज कराने जाता है तो उसकी सेवा करो। यह काम करने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रोमिलाजी, क्या कहना चाहती हैं आप?

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये।

सूचना

कोटखावदा के महापुरा में चार व्यक्तियों की हत्या

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): कोटखावदा के महापुरा गांव में चार मर्डर हुए हैं जिनमें एक वृद्व महिला है, दो बच्चियां हैं और एक बच्चा है। चारों के चारों बैरवा समाज से हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगी कि वहां पर व्यवस्था करें। गांव की जनता लाशों को उठाने नहीं दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, आपको सुन लिया। माननीय भगवान सहायजी सैनी।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 26-चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर विचार-विमर्श हो रहा है। मैं सबसे पहले आयुर्वेद चिकित्सालयों पर चर्चा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा समय का ध्यान रखना, भगवान सहायजी। बोलने वाले बहुत हैं।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): आयुर्वेद हमारी संस्कृति की धरोहर है। इस धरोहर को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। आयुर्वेद पद्धति का सकारात्मक प्रचार-प्रसार किया जाये और इसको अधिक से अधिक उपयोग लिया जाये, इसके लिए हम सभी प्रयास करें। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक युग से चली आ रही है लेकिन सही जड़ी-बूटी और दवाइयां नहीं मिलने से

(श्री भगवान सहाय सैनी)

इसके उपयोग में बहुत कमी आ रही है। यह चिंता का विषय है। आयुर्वेद पद्धति को अधिक से अधिक अपनाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजस्थान में लगभग 4 हजार चिकित्सालय आयुर्वेद, होम्योपेथी, प्राकृतिक और यूनानी के हैं जिनमें से लगभग 3,700 आयुर्वेद चिकित्सालय हैं और 189 होम्योपेथी चिकित्सालय हैं। राजस्थान में केवल 189 चिकित्सालय होना भी चिंता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने डाक्टर साहब को कुछ कह दिया क्या?

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): इन होम्योपेथिक चिकित्सालयों की संख्या कम से कम 500 होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कर्नल सोनारामजी, ये माननीय तिवाड़ी साहब आब्जेक्शन कर रहे हैं कि आप भगवान सहायजी सैनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है।

श्री उपाध्यक्ष: ये नेता हैं, डाक्टर नहीं हैं। इनके चक्कर में नहीं आना है आपको।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने शुरुआत की थी, उसको हम पूरा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे दूर नहीं हूं, नजदीक हूं। यह दूर हैं। इनके चक्कर में नहीं आना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम तो भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि यथास्थिति बनी रहे।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद, होम्योपेथी, प्राकृतिक तथा यूनानी चिकित्सालयों के लिए भवन मरम्मत व अन्य कार्यों के लिये बजट में लगभग 21 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है और आकस्मिक खर्च हेतु 10 हजार रुपये प्रति अस्पताल खर्च करने का प्रावधान किया गया है। यह अच्छी बात है। जोधपुर में एक यूनानी मेडिकल कालेज खोलने तथा 5 जिला मुख्यालयों में 'ए' श्रेणी के यूनानी चिकित्सालय स्थापित करने की भी बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेद और होम्योपेथीक एक अच्छी पद्धतियां हैं, इनके बजट में और बढ़ोतरी की जानी चाहिए। केवल 10 हजार रुपये से बारह महीने तक दवाइयों का

(श्री भगवान सहाय सैनी)

संचालन होना बड़ा मुश्किल है। जब हम एक तरफ एलोपेथिक दवाइयां नि:शुल्क दे रहे हैं तो होम्योपेथिक और आयुर्वेद चिकित्सा की दवाइयां भी नि:शुल्क मिलनी चाहिए। नि:शुल्क अगर नहीं मिलें तो कम से कम प्रचुर मात्रा में तो चिकित्सालयों में मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम्योपेथी पद्धति के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इनके चिकित्सालयों की संख्या बढ़ायी जाये। विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा या सामोद में होम्योपेथिक चिकित्सालय, चौमूं में होम्योपेथिक महाविद्यालय एवं रेफरल हास्पिटल खोला जाये तथा मोबाइल यूनिट चालू की जाये। क्योंकि जयपुर के पास चौमूं सबसे बड़ा कस्बा एवं उप- नगर है। इससे आयुर्वेद और होम्योपेथी का बड़ा फायदा लोगों को रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के लिए 2 अक्टूबर, 2011 से मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना चालू की गयी, जिसके लिए इस बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ये भी कहा है कि यदि यह राशि कम पड़ी तो धन की कोई कमी नहीं आयेगी। इसके लिए और प्रावधान करने की जरूरत भी पड़ी तो वह भी की जायेगी। यह एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसका फायदा पूरे राजस्थान की जनता को मिल रहा है। यही नहीं, 5 साल तक का बच्चा, गर्भवती महिलाएं और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोग और बी पी एल परिवार, इनकी जांच भी राजस्थान सरकार फ्री करवा रही है, जो भी एक अहम बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, सी एच सी व विभिन्न चिकित्सालयों में 1,000 शय्याओं की वृद्वि किये जाने की घोषणा की गयी है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जननी वार्ड 20-20 बेड के एक-एक सी एच सी में और जिला अस्पतालों में बनाने की जो बात कही गयी है, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 3,000 नए चिकित्सकों की भर्ती की घोषणा भी की गई है; 250 दंत चिकित्सकों के नवीन पद सृजित करने और नेत्र सहायकों के 200 रिक्त पद भरने की भी बात की गई है। जननी शिशु सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मेडिकल कालेज और उससे सम्बद्ध कालेजों में 400 बेड महिलाओं के और 300 बेड शिशुओं के लिए भी स्थापित करने की बजट में बात कही गई है।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 108 एम्बुलेंस की जो बात कर रहे हैं, पिछली सरकार ने केवल 50 एम्बुलेंस से यह योजना चालू की थी, आज लगभग 400 एम्बुलेंस की बढ़ोत्तरी इसमें हुई है और 200 एम्बुलेंस और चालू करने की घोषणा अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। ये लगभग 650 की संख्या तक पहुंच जाएगी। 200 विधान सभा क्षेत्रों में 650 की संख्या पहुंची है। हर विधान सभा क्षेत्र में 3 एम्बुलेंस उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से आये दिन जो एक्सिडेंट हो रहे हैं नेशनल हाइवे पर, जगह-जगह डिलिवरीज में यह एम्बुलेंस बहुत काम आ रही है, यह एक बहुत अच्छी योजना है। इसको माननीय मुख्य मंत्रीजी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चौमूं सी एच सी में भी एक 108 एम्बुलेंस का आबंटन करें क्योंकि नेशनल हाइवे पर यह स्थित है और काफी इससे फायदा होगा।

गैर-कानूनी रूप से लिंग परीक्षण करने वालों की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार की देय राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। इससे जो गैर-कानूनी रूप से लिंग परीक्षण करते हैं, जांच परीक्षण गलत करते हैं, उन पर रोकथाम होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी एच सी, चौमूं व सी एच सी, गोविन्दगढ़ में 40-40 बेड के जननी वार्ड स्थापित किए जाएं।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पूर्व चिकित्सा मंत्री, राजवीजी कह रहे थे कि दूसरे स्टेटों के मरीजों को नि:शुल्क दवा यहां दी जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एक-तिहाई मरीज एस एम एस में बाहर के होते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम भी आये दिन एस एम एस जाते रहते हैं, पांच-सात परसेंट मरीज ही बाहर के होते हैं। यदि उनको भी फ्री दवा वहां मिलती है तो इससे राज्य सरकार का प्रचार-प्रसार ही होगा। क्योंकि उसमें फ्री दवाइयां उनको देने या नहीं देने वाली जैसी कोई बात नहीं है, वे अपने स्टेट में जाकर कहेंगे कि राजस्थान सरकार में नि:शुल्क दवाई योजना है। इससे राजस्थान का गौरव ही बढ़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, ओम बिरलाजी कह रहे थे, सी एच सी झालावाड़, बूंदी का गिना रहे थे, वहां आपरेशन नहीं होने की बात कह रहे थे; क्यों नहीं होते, वह अलग बात है; चौमूं सी एच सी में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक, तीन वर्षों में लगभग 20 हजार डिलिबरीज हुई हैं, 6 हजार परिवार नियोजन के आपरेशन हुए हैं और

(श्री भगवान सहाय सैनी)

सी एच सी गोविन्दगढ़ में अपेंडिक्स के लगभग 1 हजार आपरेशन पिछले डेढ़ साल में हुए हैं और इस तरह के आपरेशन दो-चार रोजाना होते रहते हैं। मैं केवल गोविन्दगढ़ सी एच सी और चौमूं सी एच सी का बता रहा हूं, मेरे गोविन्दगढ़ और चौमूं सी एच सी में हो रहे हैं तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, ये तो फारवर्ड इलाके हैं, ओम बिरलाजी और महारानीजी के निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहां क्यों नहीं होते? हो सकता है कि वहां के लोग ज्यादा सम्पन्न हों, प्राइवेट में जाते होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कन्क्लूड करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चौमूं नगर क्षेत्र की आबादी करीब 1 लाख है, साढ़े तीन लाख ग्रामीण क्षेत्र की है, चौमूं तहसील की जनसंख्या साढ़े चार लाख है। चौमूं रीजन में केवल एक सी एच सी गोविन्दगढ़ में है, इसके अलावा चौमूं में है। इससे आसपास के गांव वालों को बड़ी परेशानी होती है। मैंने पूर्व में अलाड़ा में सी एच सी खोलने का अनुरोध किया था, माननीय हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब ने मेरे एक प्रश्न में जवाब में कहा था, एक साल पहले कि आने वाले समय में जब बजट में सी एच सी की घोषणा होगी तो खोलने पर विचार करेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पिछले साल की घोषणा के अनुसार एक सी एच सी और बोनस के रूप में एक और सी एच सी, एक कालाडेरा में और दूसरी सी एच सी सामोद में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खुलवाने की कृपा करें।

चौमूं जहां डिलिवरी राजस्थान में एक नम्बर पर होती है और चौमूं को इसमें इनाम भी मिल चुका है, तीन साल में लगभग 20 हजार डिलिवरी हुई हैं लेकिन वहां केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद है और इससे 24 घण्टे डिलिवरी कराना सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि चौमूं सी एच सी में चार पद स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं कालाडेरा, सामोद, इटावा, हस्तेड़ा, खेजड़ोली पी एच सी में एक-एक पद स्त्री रोग विशेषज्ञ के स्वीकृत किए जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के जन-प्रतिनिधियों ने ढोढ़सर के एक भामाशाह से यह कहकर एक बिल्डिंग बनवा दी और दो करोड़ रुपये खर्च करवा दिये कि हम वहां हास्पिटल खोल देंगे और वहां हास्पिटल की नींव का शिलान्यास भी कर दिया। वहां हास्पिटल आज तक भी नहीं खोला। 7 साल पहले दो करोड़ रुपये उस भामाशाह ने लगा दिये। मेरा निवेदन है कि

(श्री भगवान सहाय सैनी)

इनकी कथनी और करनी में अंतर है लेकिन जनहित को देखते हुए ढोढ़सर में एक पी एच सी इसी बजट में स्वीकृत की जाए। इससे वह बिल्डिंग भी काम आ जाए और वहां के लोगों को फायदा भी मिले।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद। समाप्त करें थोड़ा अब आप।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं सी एच सी में एक दंत चिकित्सक और हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद भी स्वीकृत किये जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी एच सी और पी एच सी में दवाइयों की खरीद और डिस्पेच प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। जब दवाइयां सी एच सी पर खतम हो जाती है तो पहुंचने में समय लगता है और खरीददारी के नियम हैं, उनमें भी थोड़ी शिथिलता दी जाए जिससे ज्यादा लोगों को समय पर दवाइयां मिल सकें।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): दो मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट बहुत हो जाएगा।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): एस एम एस में सी टी स्कैन मशीन बार-बार खराब होती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह के इन्तजाम किए जाएं कि सी टी स्कैन मशीन खराब न हो। एक पेशेंट जो झुन्झुनूं, चिड़ावा, बीकानेर से चलकर एस एम एस आता है कि जाते ही वहां सी टी स्कैन होगी, उसको आते ही बाहर से सी.टी. स्कैन के लिए कहा जाता है। तो उस मरीज को बचाना बड़ा मुश्किल है इसलिए एस एम एस में सी टी स्कैन के कोई पुख्ता इन्तजाम किये जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे जिस पर चौमूं, बस्सी, सांगानेर, आमेर स्थित हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आए दिन हार्ट पेशेंट चारों तरफ से आते रहते हैं और जयपुर एस एम एस पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देते हैं। तो आने वाले समय के लिए मेरा अनुरोध है कि चौमूं, बस्सी, सांगानेर, आमेर में हार्ट हास्पिटल स्थापित किया जाए। आज इस पर विचार करेंगे तो 5 साल में बनकर तैयार होंगे और आने वाले समय में राजस्थान की जनता को इससे काफी फायदा मिलेगा और उनका वहीं इलाज हो जाएगा, क्योंकि एस एम एस तक पहुंचते-पहुंचते अनेक मरीज दम तोड़ देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रणवीर पहलवान। समय थोड़ा कम है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घड़ी देख लो, साहब। दस मिनट में, मेरे खयाल से उससे ज्यादा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो दस सैकंड में पूरी बात कहने वाले आदमी हो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय मंत्रीजी, मेरी आपसे प्रेयर है कि आप मेरी बात सुनेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां हास्पिटल हैं वहां तो बेड बढ़ाने की बात हो रही है, वार्ड बढ़ाने की बात हो रही है और जहां हास्पिटल नहीं हैं, वहां खोलने की बात हो रही है। यह नौबत क्यों आ रही है? रोग घटाने की बात कहीं नहीं हो रही है। यह नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही होगा। दिल्ली से जयपुर तक जो हाइवे था वह सिंगल था, हमें जरूरत पड़ी तो चार लेन का उसको बनाना पड़ा; चार लेन का बनाते-बनाते जरूरत पड़ गई आठ लेन का बनाने की और आठ लेन का बनेगा तब तक जरूरत पड़ेगी 16 लेन की। आप पूरे राजस्थान को हास्पिटल में तब्दील कर दो। जब तक रोग घटाने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इसका खात्मा नहीं होगा।

आप हास्पिटल और डाक्टर जब तक बढ़ाते रहेंगे, मेरी प्रेयर है कि जिस विभाग को हम स्वास्थ्य विभाग कह रहे हैं, यह अस्वास्थ्य विभाग है। इसमें स्वस्थ व्यक्ति कभी नहीं जाता, अस्वस्थ व्यक्ति इसमें जाता है। स्वस्थ को ही हम अस्वस्थ व्यक्ति नहीं होने दें, इसके लिए चार विभाग होते हैं। एक खाद्य विभाग है, दूसरा जलदाय विभाग है, तीसरा खेल विभाग है और चौथा प्रदूषण नियंत्रण विभाग है। ये चारों विभाग अगर मिलकर कार्य करें तो व्यक्ति रोगी नहीं होगा, यह मेरी गारण्टी है। कहीं यूरिया का दूध मिल रहा है, कौन व्यक्ति फैक्टरी एरिया में रह रहा है, कहीं व्यक्ति फ्लोराइड के पानी से मर रहा है, कहीं-कहीं पर व्यक्ति खेल के प्रति प्रेरित नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि आपके विभाग का काम मात्र इतना है कि 32 जिलों में 32 डाक्टर यह रिपोर्ट आपके पास भेजें कि 2010-11 में इस जिले में 5 हजार आदमी रोगी थे, हमने उन पर कण्ट्रोल करके इस वर्ष 4 हजार कर दिये या हमारे विभाग ने उस पर ताकत लगाकर 3 हजार कर दिये हैं। वहां पानी की वजह से लोग रोगी हो रहे हैं, खाने की वजह से रोगी हो रहे हैं या प्रदूषित हवा

(श्री रणवीर पहलवान)

उनको मिल रही है या वहां के लोग खेल के प्रति प्रेरित नहीं किए जा रहे हैं। ये सब किया जाए तो हमें हास्पिटल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा हास्पिटल कितने भी बढ़ा लो, कभी फायदा नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सुबह से शाम तक सुन रहा हूं, घोषणाओं का पिटारा खोल रखा है कि इतने हजार करोड़ एलोपेथी में दे दिये, इतने हजार करोड़ उसमें दे दिए। एक छोटा सा चुटकला मैं आपको सुनाता हूं। हमारे गांव में जो घर होता है, उसमें ऊपर एक कमरा होता है, उसको चौबारा बोलते हैं। नये बच्चे-बच्ची की शादी होती है, वे उसमें ही सोते हैं। तो एक बहू सुबह हंसते हुए नीचे उतर रही थी, तो उसकी सास ने पूछा कि बहू, क्या चक्कर है, तो बहू ने कहा कि आपके बेटे ने हार बनवाने की घोषणा की है; सास ने कहा कि बहू, यह घोषणा शाम को चढ़ रही थी तब की थी या उतर रही है तब की है; तो वह बोली, जब शाम को चढ़ रही थी तब की थी। तो वह बोली, मटका उठाकर पानी ले आ, तेरा ससुर 64 वर्ष से यही घोषणा कर रहा है, आज तक तो लाया नहीं। तो मुख्य मंत्रीजी घोषणा तो ऐसे ठोक के करते हैं और गांव में कुछ हो नहीं रहा है। हंसने की बात नहीं है, मेरी प्रार्थना है। मुख्य मंत्री दूसरा भी बदली हो जाएगा, तीसरा भी बदली हो जाएगा...(व्यवधान) कल्याण नहीं हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप डिस्टर्ब मत करिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अब जितनी भी हमारी फोर्सेज राजस्थान की हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हैं, अगर आप ध्यान दें कि भारत की क्रिकेट की टीम में मेरे खयाल से 15 से एक्स्ट्रा प्लेयर भी मिला लें तो 20 तक ही होते हैं, 25 होते होंगे ज्यादा से ज्यादा और पूरे भारत के नौजवान बैट उठाये खड़े हैं। हम पुलिस हैं या और जितनी भी फोर्सेज होती हैं, उनमें 50 प्रतिशत नेशनल खेला हुआ बच्चा अगर लेना शुरू कर दें, वह किसी भी जाति का हो, आरक्षण का जिक्र ही नहीं, तो प्रत्येक गांव के अन्दर कबड्डी, कुश्ती, बालीबाल, फुटबाल के गेम होंगे। मैदान बनेंगे, अखाड़े होंगे तो कसरत करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और उससे उनको नौकरी भी मिल जाएगी। फोर्स में अगर स्वस्थ बच्चा जाता है तो मेरे ख्याल में पुलिस के सिपाही को कोई मिसाइल तो चलानी पड़ती नहीं, कम्प्यूटराइज काम करना पड़ता है, उसको भाग कर चोर पकड़ना है या कुछ करना है। तो स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा करेगा।

(श्री रणवीर पहलवान)

50 प्रतिशत पढ़े-लिखे बच्चों के लिए आरक्षित कर दिया जाए, 50 प्रतिशत जो खिलाड़ी नेशनल खेले हुए हैं, उनके लिए कर दिया जाए।

अभी सैनी साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आयुर्वेद के बारे में ऋषि चरक ने सात हजार साल पहले चरक संहिता लिखी थी, उसमें एक भी रोग की दवा नहीं लिख रखी कि यह दवाई है। उसमें लिखा है कि व्यक्ति इस प्रकार से जिएगा तो रोगी ही नहीं होगा। आहार, प्रतिहार ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, अभी माननीय पहलवान साहब ने कहा कि भगवान सहाय सैनी साहब बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी एक परम्परा रही है, सदन में अध्यक्षीय व्यवस्था भी आई है कि जो माननीय सदस्य बोलें, बोलने के बाद वे तुरंत उठ कर बाहर नहीं जाएं, उन्हें दूसरे माननीय सदस्य का भाषण सुनना चाहिए और आज कल ये परम्परा हो गई, बोलें और भाग गये, एक। दूसरा, जो लोग भाषण देते हैं, उनको मंत्रीजी का जवाब भी सुनना चाहिए। ये व्यवस्थाएं थीं। धीरे-धीरे सब लोग बोल रहे हैं, अब इन्होंने उनका भाषण सुना, अभी उनका रेफरेंस दे रहे हैं, वे यहां पर नहीं हैं। यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: शार्ट करिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बहुत अच्छी बात है। मैंने चरक संहिता पढ़ी है, चरक संहिता के अन्दर साफ-साफ शब्दों में लिखा गया है, आहार-प्रतिहार नहीं खाएं; उदाहरण के तौर पर दूध और खीर मिला कर नहीं खाएं। ग्रामीण आदमी को पता नहीं, वह कुछ खाने के बाद कुछ खा लेता है। उसमें लिखा है कि भोजन के उपरांत एक घंटे तक पानी नहीं पिएं; हमारे बहन - भाई शहरों में पार्टियां करते हैं, शादी करते हैं और खाते ही ठण्डी आइसक्रीम भी ऊपर से खाते हैं। वह थोड़े दिन में पांचवां घर एम बी बी एस डाक्टर का इसीलिए होता जा रहा है। ग्रामीण एरिये में तो डाक्टर का काम चलेगा नहीं और यहां धनी आदमी हैं, नल इधर है, खोल लेते हैं। पहले खाना घर खाते थे, निपटने बाहर जाते थे; आज खाना बाहर खाते हैं, निपटते घर में ही हैं। एक्सरसाइज नाम की चीज करते नहीं हैं। वे धीरे-धीरे रोगी बनते चले जाते हैं।

तो इस तरह का प्रचार हम सरकार के माध्यम से जो हमारे पुराने ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ हैं, कोई एलोपेथी नहीं होती थी, उस टाइम भी स्वस्थ रहते थे। उसका हम प्रचार करें तो ये जितना बजट अरबों रुपयों का कर दिया, उसको घटा कर कम कर दें और इसको स्वास्थ्य की तरफ लगाएं। जिस

(श्री रणवीर पहलवान)

एरिया में फ्लोराइड का पानी है, उस पानी को खतम करें। वहां पर स्वस्थ जल, वर्षा का जल एकत्रित करके हम उन लोगों को दे दें तो आधे रोग कम हो जाएंगे। या उस जिले के डाक्टर से यह पूछा जाए कि ये रोग बढ़ किस कारण से रहे हैं? यूरिया का दूध पी रहा है, फ्लोराइड का पानी पी रहा है, फैक्टरी एरिया में रह रहा है। रही बात खेल की, चार विभाग मिलकर स्वास्थ्य विभाग बनता है फिर उसके उपरांत कोई रोगी होता है।

रोग दो ही प्रकार के होते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक रोग है मनोविकार, उससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो सकता है; बाह्य रोग इन चार प्रकार से ही फैलता है। प्रकृति ने हमारे शरीर में ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया है कि पसीने से विष निकल जाता है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करें, वह 24 घंटे में पसीना निकाले ताकि उसके शरीर में जो विष स्टोर हुआ है, वह पसीने के माध्यम से निकल जाए। यह खेल विभाग अपनी ड्यूटी समझे।

खाद्य विभाग बाबूलालजी नागर की तर्ज पर तो चले नहीं। शुद्ध-का-युद्ध में गड़बड़ आप नहीं करोगे, शुद्ध-का-युद्ध में बाजरा 6 रुपये, 4 रुपये किलो बिक रहा है, पिसाई 8 रुपये किलो लग रही है। और शुद्ध-का-युद्ध बोल रहे हैं, लूट-के-युद्ध का नाम शुद्ध-का-युद्ध कर दिया है।

कहने का मेरा मतलब है, आप बैठाओगे, मुझे पता है। आज घंटी नहीं है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: पहलवानजी, आपका नाम ही ऐसा है कि आपको बोलते हुए डर लगता है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आपका तो आशीर्वाद है मुझ पर। मेरा कहने का मतलब है कि इन चीजों को अगर हम लागू करें...

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ...और इन चीजों को प्रत्येक गांव तक पहुंचाएं, जहां रोटी बनती है, इस प्रकार का भोजन खाया जाए; इस प्रकार से व्यायाम किया जाए; प्रदूषित पानी है तो सरकार उसे दूर करे; प्रदूषित हवा हो तो उसे दूर करे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं आशा करता हूं, माननीय मंत्रीजी, अपने 33 जिलों में सी एम एच ओ हैं, उनसे एक रिपोर्ट ले लो कि पिछले

(श्री रणवीर पहलवान)

साल कितने रोग थे और इसी बात पर प्रमोशन होना चाहिए उनका कि पिछले साल से इस साल अगर रोग कंट्रोल करके आप कर लाते हो तो प्रमोशन करो। अगर रोग बढ़ते जा रहे हैं, आज महामारी आ जाती है...

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजो आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): क्षमा करें, साहब, अब महामारी आ जाती है, हम डाक्टर को कहते हैं तो कहता है कि साहब, मेरा सीजन आ गया। डाक्टर बड़ा खुश होता है, लोग मरते हैं। पुलिस वाले लट्ठ बजने के बाद कहते हैं कि मेरा सीजन आ गया। इन पढ़े-लिखों का तो सीजन आता है और समाज का मरना होता है। डाक्टर यह नहीं सोचता है कि मेरा धंधा चले कि नहीं चले, सरकार उसको इस बात की तनख्वाह देती है कि पिछले साल से रोग तू कम करेगा, हम तेरा प्रमोशन करेंगे और उसका तुझे इनाम भी देंगे। निस्संदेह उस एरिया से आपके पास सारी रिपोर्ट आती हैं और वह रिपोर्ट आप चारों विभागों में भेज दो। जिस भी कारण से, रोग फैलने के तीन ही कारण हैं, हवा, भोजन और जल; तो ये तीनों चीजें सुधर जाएंगी और रोग अपने आप खतम हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: पहलवानजी, अब आप विराजें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, साहब, थोड़ी देर और बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, जो भी आपको अधिकार है, उस अधिकार में कोई कटौती नहीं है। समय की बात है। नहीं, वे अब्दुल सगीर खां जी नाराज हो रहे हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ठीक है, धन्यवाद साहब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अब्दुल सगीर खां। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात मान ली।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): काबिले एहतिराम नायब सदरे मोहतरम, मैं इस डिबेट में शिरकत करते हुए इस शेर के साथ में आगाज करूंगा कि :-

हमने हर दौर में तजलील सही है लेकिन
हर दौर के चेहरे को जया बख्शी है,
हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं,

(श्री अब्दुल सगीर खां)

हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है,
लेकिन इन तालीफ मुबाहिस से भला क्या हासिल,
लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे,
मेरे एहबाब ने तहजीब न सीखी होगी,
मैं जहां रहता हूं, वहां इंसान न रहते होंगे।

मंत्रीजी, यह खास तौर से आपके लिए अर्ज करना चाहता हूं, आपके डिपार्टमेंट के लिए, कहने को पुराना है,-

मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की,
मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की,
और गर जिन्दगी में मिल गये फिर इत्तिफाक से
पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम।

श्री उपाध्यक्ष: ये लिख कर लाना मना है, लिख कर लाई हुई शायरी पढ़ना मना है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं पाइंट्स बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप यह स्पीच को तो ले सकते हो।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Hon’ble Deputy Speaker, Sir…

श्री उपाध्यक्ष: ये तो लिख कर लाये हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): जो हैल्थ विभाग पर बात हो रही है, उसमें I would like to quote a very appropriate quotation.

श्री उपाध्यक्ष: अभी पांच मिनट तो आपके गुजरने वाले हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ‘‘To preserve health is a moral and religious duty for health is the basis of all social virtues. We can no longer be useful when not well.” Johanson has said that. “Health is the greatest of all possessions, a pale cobbler is better than a sick king.” Bicker Staff said. Health is so necessary to all the duties as well as pleasures of life that the crime of squandering it is equal to the folly. और खास तौर से it is very appropriate in the context of the Hon’ble Minister. A good face is a letter of recommendation, as a good hearth is a letter of credit. With such ardent eyes, he wandered over me and gazed with such intensity of love, sending his soul out to me in a look. So what glitters is not gold, hon’ble minister.

श्री उपाध्यक्ष: कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यहां अनुवाद का सिस्टम सही नहीं है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप, आप डिमांड पर आइए। आपका समय खराब हो रहा है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, आप स्वास्थ्य विभाग के मालिक हैं, मैं आपकी शराफत, सदाकत व शफाअत का कायल हूं, मैं आपकी लताफ़त, नजाकत, नफ़ासत का शैदाई हूं, वजीरे-आला जनाब अशोकजी गहलोत की फनकारी, कलाकारी व तिलिस्म का कायल हूं बट बदकिस्मती है राजस्थान की, मंत्रीजी, आज भी स्वास्थ्य विभाग के जो हालात हैं, बहुत ही शर्मनाक हैं, सारा राजस्थान शर्मसार हो जाता है। 27 प्रसूताओं की बात कई बार विधान सभा में आ गई है, मैं दूसरे एंगल से बात करना चाहता हूं, मंत्री जी, आपने सस्पेंड किये लेकिन a case of criminal negligence is clearly made out against those who were involved and were monitoring the whole thing. Why a case against those doctors has not been registered for criminal negligence? जो प्रोफेशनल इथिक्स के विरुद्ध है, जिसके अन्दर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उनको बिहांड द बार्स होना चाहिए था, आपने उनको सिर्फ सस्पेंड किया। क्योंकि आप में नजाकत है, नफासत है, आप भोले-भाले मंत्री हैं, लोग आपको लाइटली ले लेते हैं कि बहुत ही शरीफ आदमी हैं, लेकिन जब तक सख्ती नहीं होगी, मंत्रीजी, इस विभाग के हालात सुधरने वाले नहीं हैं।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपने सितम्बर में एक योजना शुरू की शिशु जननी योजना, उसके पीछे पालिटिकल मोटिव थे। पूरे राजस्थान के अन्दर आप बदनाम हो गये, पूरा विभाग बदनाम हो गया कि महिलाओं की, प्रेग्नेंट लेडीज की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। रोज 2-3 मौतें जोधपुर में लगातार होती रहीं, विभाग सोता रहा, पूरे हिन्दुस्तान में हाहाकार मच गया मंत्रीजी। उसके बाद आपने जननी शिशु योजना में 5 किलो घी देंगे फ्री, घर से पकड़कर लाएंगे, हम आपकी केयर करेंगे; 2 अक्टूबर को आपने फ्री मेडिसन योजना शुरू की; Just to cover all these issues. लोगों को लगा कि मुफ्त में दवा मिल रही है। मैं अपने एरिया की बात बताता हूं, सारे गरीब लोग हास्पिटल में हजारों की तादाद में पहुंच गये।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय अब्दुल सगीर खां जी, समाप्त करें, कन्क्लूड करिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): श्रीमान, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपने इंडिपेंडेंट को 15 मिनट दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कन्क्लूड करिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं, मंत्रीजी, आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा लगा कि पूरा का पूरा धौलपुर बीमार है। लोगों को लगा कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते इसलिए चलो। एक ही परिवार में से 5 आदमी हैं, एक ने

(श्री अब्दुल सगीर खां)

फीवर की दवा ले ली, एक ने डिसेंटरी की, एक ने टाइफाइड की, एक ने किसी और चीज की और उन्होंने ले जाकर अपनी अलमारी में डाल दी। आप चैक क्या कर रहे हैं? आप डाक्टर के पास गये कि मुझे फीवर है, उन्होंने फीवर की दवा दे दी; उन्होंने कहा कि मुझे दस्त लगे हैं, दस्त की दवा दे दी। अब भीड़ लगी हुई है, चूंकि फ्री मेडिसिन मिल रही है। पहले कभी सुना नहीं, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। वह मेडिसिन लेकर जब जरूरत होती है बुखार वाले को तो वह दस्त की खा रहा है, दस्त वाला बुखार की खा रहा है। इस तरह की घटनाएं हमारे पास हैं।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं पूरे राजस्थान के अन्दर आपने आंकड़े दिये हैं कि हम यह करेंगे, यह करेंगे, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि कहीं पर भी टाइम फ्रेम नहीं है, किसी भी घोषणा के बारे में कि 6 महीने में यह कर देंगे, इस तारीख तक यह कर देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं, एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने एक-एक सड़क के बारे में कि किस तारीख को हमने टेण्डर किये, कब पूरे होंगे, कब यह पूरा होगा। मैं उनकी इज्जत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आपने घोषणाएं की हैं बजट के अन्दर, जब तक उन घोषणाओं को आप टाइम फ्रेम में नहीं करेंगे कि ये कब पूरी होंगी, आपने कहा कि हम इन्फर्टिलिटी सेंटर्स हर जिले में खोलेंगे, लेकिन कब खोलेंगे?

मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप इन्फर्टिलिटी सेंटर की बात कर रहे हैं, आप एक लाख रुपया इनाम दे रहे हैं, किस बात के? अगर कोई कपल सेक्स डिटरमिनेशन के लिए किसी सेंटर या क्लीनिक पर जाता है और वह इंफोर्म कर दे, तो क्या एक लाख रुपया मिलेगा? टेरेरिस्ट की इंफार्मेशन पर 25 हजार रुपया भी नहीं। इससे क्या आप मेसेज देना चाहते हैं? कि जो गरीब लोग हैं, वे आपस में मिलकर ये कर लें कि आप तो किसी सेंटर पर जाकर चैक कराओ और मैं इंफार्मेशन देता हूं; एक लाख रुपया मिलेगा, 50 हजार रुपया आप ले लेना, 50 हजार मैं ले लूंगा। बड़ी-बड़ी घोषणा करने से कुछ नहीं है। एक लाख रुपये के रिवार्ड की जो घोषणा आपने की है, अब तक कितने लोगों को आप यह इनाम बांट चुके हैं, अपने जवाब में जरूर बताइएगा।

धौलपुर के अन्दर, मंत्रीजी, आप चहेती जगह पर जाते हैं, दौरे करके आते हैं। मैंने खास तौर से आपको कितनी बार निवेदन किया कि आप धौलपुर

(श्री अब्दुल सगीर खां)

तशरीफ लाइए और देखिए कि धौलपुर का कितना बुरा हाल है। वहां पर आज भी इन सारी चीजों की जरूरत है। हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, आपने ट्रोमा सेंटर खोला है; दंत रोग विशेषज्ञ नहीं है; रेडियोलोजिस्ट नहीं है; कम्पाउंडर नहीं है; एनेस्थेसिया का डाक्टर नहीं है; पैथोलोजिस्ट नहीं है; वरिष्ठ विशेषज्ञ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। अब्दुल सगीर खांजी, विराजिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उनकी कमी है और ट्रोमा वार्ड जिस मतलब के लिए बना था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, let me finish. I will just take another 2-3 minutes.

श्री उपाध्यक्ष: आप कन्क्लूड करिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्र में पूरी लापरवाही है, धौलपुर जिले को पूरा अछूता छोड़ रखा है चाहे वह मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। आप एक जिले के साथ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि पूरे जिले में वहां पर कांग्रेस का सफाया हुआ था। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को कि पिछले तीन वर्ष के दो काम गिनाएं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजो। माननीय श्री प्रताप सिंहजी खाचरियावास।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आप धौलपुर की विजिट करें और राजस्थान के जो हालात खराब हैं, मंत्रीजी, उन पर कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रताप सिंहजी खाचरियावास। प्रताप सिंहजी, थोड़ा समय का ध्यान रखें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): शुरू ही नहीं किया। उपाध्यक्षजी, चलने दिया करो विधान सभा को। उपाध्यक्षजी, आपको यह करना चाहिए, न तो अध्यक्षजी इतना टोकते हैं और न सभापतिजी; आप सबसे ज्यादा टोकते हैं। आपको तो बड़ा दिल रखना चाहिए।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

उपाध्यक्षजी, मेडिकल एण्ड हैल्थ पर चर्चा हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले तीन वर्षों में पूरे राजस्थान के लिए, आम अवाम के लिए, हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर, वह राजस्थान के किसी भी कोने में रहता हो, इस बात की परवाह नहीं की गयी कि कोई ए पी एल है या बी पी एल है, सबको सम्मान के साथ अधिकार मिले। क्योंकि यदि किसी भी स्टेट का मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट अच्छा काम करे तो उसका लाभ पूरे स्टेट की जनता को मिलता है, आम आदमी को मिलता है, गरीब आदमी को मिलता है। इस राजस्थान में आजादी के बाद बहुत बड़ी शुरुआत पहली बार राजस्थान की सरकार ने की, राजस्थान की सरकार ने पहल की; चाहे गरीब जाए, चाहे अमीर जाए, चाहे एम एल ए हो या चौकीदार या चपरासी हो, जो भी जाएगा सरकारी अस्पताल में, उसको दवाइयां फ्री मिलेंगी। 10-10 हजार के इंजेक्शन फ्री मिल रहे हैं। आम आदमी जो कल तक अपनी जमीन बेचता था, दुकान बेचता था, घर में गहने बेचता था लेकिन अपनी मां, बहन, बेटी का इलाज करवाता था, आज उसकी आंखों में चमक है; वह झोंपड़ी से निकलकर आता है, खेत से निकलकर आता है, सुदूर पास की स्टेट से निकलकर आता है, लेकिन यह तय करके आता है कि मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाऊंगा या जोधपुर में जाऊंगा या बीकानेर में जाऊंगा तो मेरा इलाज फ्री में होगा; मुझे इस बात की चिन्ता नहीं रहेगी कि मेरे पास इलाज के लिए पैसा है या नहीं; जब मैं वहां अपनी बच्ची को लेकर जाऊंगा प्रेग्नेंसी के लिए जनाना हास्पिटल में या किसी सरकारी अस्पताल में, तो कोई भी मेरी पर्ची उठाकर बाहर नहीं फेंकेगा, वह जाते ही सम्मान के साथ मेरी बच्ची को भर्ती करेगा, उसकी दवाई की व्यवस्था करेगा, उसके खाने की व्यवस्था करेगा, उसके आने-जाने के किराये की व्यवस्था करेगा और जब वह बच्ची अपने बच्चे को लेकर जाएगी तो उस महिला को एक हजार रुपया शहर में और 1,400 रुपया गांव में मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था इस सरकार ने की। यह क्रान्तिकारी कदम है और इसका जितना स्वागत किया जाय, वह कम है। देखा जाय तो इस तरह का काम इस सरकार ने किया, जो काम नजर आता है आम आदमी की रिलीफ का। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस तरह की कोई योजना नहीं है जिस योजना का लाभ आम आदमी को न मिले; योजना इस ढंग से बनी कि हर आदमी को उसका लाभ मिले।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

इसके साथ-साथ, मंत्रीजी, मैं आपको सुझाव दूंगा, आप एक काम और करो। आज राजस्थान में मैं यह मानता हूं कि एस एम एस के ऊपर बहुत प्रेशर है, पूरे राजस्थान के हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं, जोधपुर का उम्मेद हास्पिटल है या अजमेर का डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल है, उन सब जगह पर, क्योंकि हमने सारे क्रान्तिकारी काम किये हैं; आप एक काम कर सकते हैं दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नकल करने की जरूरत है, एस एम एस की पूरी नकल हो जाए। एस एम एस का जो दूसरे नम्बर का प्रोफेसर के बाद रीडर है, उसको वहां का हैड आफ डिपार्टमेंट बना दीजिए और जयपुर जहां खतम होता है, वहां न्यू एस एम एस के नाम से एक और एस एम एस खोला जाए। इसी तरह पूरे राजस्थान में बराबर के सरकारी अस्पताल खोले जाएं, उतनी भर्तियां की जाएं। मैं आज कह सकता हूं, राजस्थान की जनता की दुआ मिलेगी।

यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जब डाक्टर्स की हड़ताल हुई, तब पूरे राजस्थान की सरकार के सामने एक चुनौती थी। जैसे ही दवाइयां फ्री कीं, हड़ताल हो गई। पूरी सरकार खड़ी हो गई, कार्यपालिका खड़ी हो गई, विधायिका खड़ी हो गई। डाक्टर्स ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजस्थान की सरकार चले या न चले लेकिन हम काम नहीं करेंगे। कभी लोग कहा करते थे, सरकारी अस्पताल में क्या होता है, सरकारी डाक्टर क्या करता है; सरकारी डाक्टर ने बता दिया, राजस्थान की सरकार ने बता दिया। हंगामा हो

(18.00 बजे)

गया, सरकार ने मुकाबला किया और मुकाबला करके पता चला कि हमारे सरकारी हास्पिटल कितना बड़ा इलाज कर रहे हैं।

आपको पता है, जब से दवाइयां फ्री हुईं तो लाखों की तादाद में मरीज बढ़ गए, आउटडोर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही दवाइयां फ्री हुईं, लोगों ने कहा कि दवाइयां आठ ही लिखी हैं, पांच ही मिल रही हैं, चार ही मिल रही हैं। तब मैंने लोगों से कहा था कि न मामा सूं तो काणों मामो ही चोखो, जब पुरानी सरकार थी तब एक दवाई फ्री नहीं मिलती थी। आज स्थिति बदल गई, आज सारी दवाइयां मिल रही हैं। अबकी बार बजट में जानवरों की दवाइयां भी फ्री की हैं।

एक-एक काम ऐसा किया है जो आम आदमी को नजर आता है, जिनको मां, बहन, बेटियां समझती हैं। मैं जननी शिशु सुरक्षा योजना को

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जानने के लिए लोगों के बीच में गया और मैंने पूछा कि आपके यहां पर किसी के बच्चा हुआ; तो बोले कि हां; मैंने पूछा कि पैसे किसको मिले; तो तीन महिलाओं ने हाथ खड़े किए, कि मैं गई और मुझे पैसे मिले। रिजल्ट नजर आ रहा है और ऐसा रिजल्ट नजर आ रहा है, यह सिर्फ पालिटिकल बात नहीं है, ये वे काम हैं जो इतिहास बना गए। आज जब कभी भी अन्त्योदय की बात होती है तो भैरोंसिंहजी की बात होती है, जब भी यह बात होगी तो लोग अशोक गहलोत को और इस सरकार को याद करेंगे, कहेंगे कि वह चीफ मिनिस्टर था, उसने बड़प्पन दिखाया, बड़प्पन दिखाकर एक राय होकर यह फैसला किया।

मंत्रीजी, आज के दिन मैं आपको एक बात और कहूंगा। अभी बीच में एक मामला उठा था और उसमें यह बात आई थी बीकासूल पर कि अचानक बीकासूल जब्त हो गए, हंगामा हो गया। बी-1, बी-6, बी-12 पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है लेकिन बीकासूल के लिए कह रखा है कि इसमें और भी मिनरल्स हैं, और भी विटामिन्स हैं, इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैं आज दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान के तीन अधिकारियों के खिलाफ आपने जोरदार काम किया, उनके खिलाफ कार्यवाही की, आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने तुरंत एक्शन किया। इन अधिकारियों का जुल्म इतना ही नहीं है। ये पहले बाम्बे गए, बाम्बे जाकर फाइजर जो कि दुनिया की मानी हुई कम्पनी है, उसके लोगों से मिले और मिलकर उन्होंने लेनदेन की बात की कि आप हमको इतना पैसा दे दो, नहीं तो हम आपके बीकासूल का इलाज कर देंगे, पर वे नहीं माने। उनके हौसले इतने बुलंद क्यों थे, यह जांच करने की जरूरत है। यहां पर आए, आकर बीकासूल जब्त कर लिया और हंगामा हो गया। राजस्थान की सरकार को, जन-प्रतिनिधियों को पता चला तो आपने उनके सस्पेंशन के आर्डर कर दिए। वह डायरेक्टर के रूम में जोइंट डायरेक्टर के पास और उन्होंने सस्पेंशन के आर्डर नहीं लिए, मना कर दिया कि हम तीन दिन में वापस आ रहे हैं। यह जांच सिर्फ डायरेक्टर स्तर से नहीं, किसी आई.ए.एस. आफिसर को दो, ऐसे आफिसर को दो, नहीं तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये बेईमान लोग हैं, इनका इलाज होना चाहिए। यह सरकार जवाबदेही सरकार है, संवेदनशील और पारदर्शिता की बात करती है। ऐसे लोगों के परमानेंट इलाज के लिए इस बात की जरूरत है। ये लोग आज भी चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं, मिस्टर दिवाकर पटेल, मिस्टर अनिल अग्रवाल, मिस्टर अशोक मित्तल, इन तीनों को आपने सस्पेंड कर दिया, आज भी ये कह रहे हैं

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

कि हम कल वापस आ रहे हैं। जैसे ही विधान सभा का सत्र खतम हुआ, हम वापस आएंगे। एक इन्होंने बीकासूल की जब्ती की, वह गलती हो गई; आगे और कम्पनियों की तैयारी थी, उन कम्पनियों से लेनदेन का मामला था।

यह सरकार करप्शन के खिलाफ लड़ रही है; मंत्रीजी, आप खुद करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हो, आपकी और हमारी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए कि हम कहीं पर कार्यवाही कर दें तो फिर वे करप्ट लोग नजर नहीं आने चाहिए। राजस्थान में पहली बार ए सी डी ने सबसे ज्यादा मुकदमे बनाएं। आज रोज कोई न कोई आदमी पकडा जाता है, एंटी-करप्शन वाले लोग जाकर पकड़ते हैं, हमारी सरकार की यही उपलब्धि है। अभी हम बिल लेकर आए हैं, बिल में कह दिया कि चीफ मिनिस्टर भी शामिल है, चपरासी भी शामिल है; हर सरकारी अधिकारी, हर जन-प्रतिनिधि उसमें शामिल हो गया और लोकपाल के बराबर का कानून लेकर के आए हैं। ये बहुत बड़ी बात की है हमने। ऐसे में करप्शन के खिलाफ जो आपने एक्शन लिया उस एक्शन के लिए मैं आपको बधाई दूंगा। यह और भी पुख्ता होना चाहिए और इन लोगों का इलाज होना चाहिए। इनके हौसले डाउन होंगे तो भ्रष्टाचार से जो हमने लड़ने की शुरुआत की है, वह मजबूत होगी।

मंत्रीजी, अभी होम्योपेथी को लेकर राजस्थान सरकार ने निदेशालय खोला, आप बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में होम्योपेथी का एक भी गवर्नमेंट कालेज नहीं हैं, सारे प्राइवेट हैं। एक होम्योपेथी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ रही है। उसी के अंडर में हम होम्योपेथी का एक प्राइवेट कालेज खोल लें। अभी 7,000 होम्योपेथी के डाक्टर फालतू घूम रहे हैं। हमें जरूरत है, 59 पोस्टें हमारी खाली पड़ी हैं, उनको हम भरें और होम्योपेथी को बढ़ावा दें। आजकल होम्योपेथी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है, लोग इलाज करवाने लगे हैं। हमने इस बजट में सबको दिया है, हर वर्ग को दिया, होम्योपेथी वाले को कुछ नहीं दिया तो हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि होम्योपेथी के जो अच्छे डाक्टर हैं, उनसे हम इलाज ले रहे हैं, उन होम्योपेथी वालों को भी हम कुछ दें।

आयुर्वेद के लिए भी हमने बहुत किया। अबकी बार हमने यह भी तय कर लिया कि इनकी दवाइयां भी फ्री हों। मैं इतना कह सकता हूं कि आज मेडिकल और हैल्थ के नाम पर अपोजिशन के द्वारा यह कमी निकाली जा सकती है कि यहां पर ई सी जी मशीन खराब है, यहां पर एम आर आई मशीन खराब है; खराब तो ठीक हो सकती है, होती रहती है, कभी दो दिन

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)
ठीक हुई, दो दिन खराब हो गई, वह सही हो जाएगी पर इसके अलावा कोई कमी अपोजिशन भी नहीं बता सकता। अपोजिशन के पास मेडिकल और हैल्थ में बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज कोई चार्ज नहीं लगा सकता कि कहीं बदले की भावना से काम हो रहा है।

मैं इतना कहूंगा कि जब हम मेडिकल के नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कालेज को परमिशन देते हैं, इनके नाम ग्रांट करते हैं तो इनको और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। इसमें सिफारिश या तो हो नहीं, और हो, तो फिर सबकी हो, इसमें फिर ईमानदारी हो। यह नहीं होना चाहिए कि 'ए' मेरा है, 'बी' मेरा है, 'सी' मेरा है। इसमें ज्यादा प्राब्लम क्रियेट होती है। इसलिए इसके लिए भी कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम तय कर दें, नार्म्स इतने टाइट कर दें कि कालेज की परमिशन इस-इस आधार पर मिलेगी; नर्सिंग स्कूल, मेडिकल कालेज की परमिशन इस-इस आधार पर मिलेगी। जब हम नार्म्स तय कर देंगे तो सारी स्थिति क्लीयर हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई हमारे पर चार्ज लगाने की स्थिति में नहीं रहेगा। इस चार्ज को खतम करने के लिए यह जरूरी है कि आज जो आप नार्म्स बनाएंगे, ये नार्म्स आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति का काम करेंगे। आज कोई भी सरकार अच्छा काम तय कर ले तो आने वाली सरकार उसको बदल नहीं सकती। राजस्थान की जनता जागरूक है, खड़ी हो जाएगी, हंगामा हो जाएगा, लोग रिवोल्ट कर देंगे।

तो, उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिए मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी, यह मौका है....

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा शार्ट में करें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरी पार्टी का टाइम है।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए निवेदन ही करना पड़ता है। मैंने किसी के लिए नहीं कहा। इस सदन के सदस्यों की डिबेट की कैपेसिटी, क्वालिटी बहुत अच्छी है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्षजी, सगीर साहब की बहुत अच्छी है, मैं सेल्यूट करता हूं। सगीर साहब प्रेम रस के कवि हैं, वे प्रेम में बहुत अच्छा बोलते हैं, श्रृंगार के हैं, मैं भी उसी का हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलिए। समय का सवाल है1

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिए मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी, हमारे काम में कोई कमी नहीं है। आपकी इच्छा अच्छी है, आप करना भी चाहते हैं लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं हर डिमांड पर बोला, मैंने सब मंत्रियों से कहा है कि आप सब विधायकों को बुलाइए, बुलाकर बात कीजिए और यह तय कर लीजिए कि हम मंत्री नहीं हैं, हम पहले विधायक हैं, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि यदि कोई गलत है और सही बात अगर अपोजिशन का विधायक भी कह रहा है तो हम उसको स्वीकार करके बदलें। हम बदल सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना। मैं आज कहना चाहता हूं कि राजस्थान के कई मंत्री, दोनों का राज रहा है, बी जे पी, कांग्रेस के ऐसे रहे होंगे जो पूरे 32 डिस्ट्रिक्ट में गए ही नहीं होंगे। हम जाएं, 32 डिस्ट्रिक्ट में जाएं, बुलाएं कांग्रेस के विधायकों को। सबसे ज्यादा जवाबदेही एम एल ए की है, उस एम एल ए को बुलाएंगे तो कई बातें निकल कर आएंगी, कई डाक्टर्स का इलाज होगा, कई हास्पिटल सुधर जाएंगे। होता क्या है कि कई हास्पिटल्स में, आपकी नालेज में नहीं है, आप उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि जे.के. लोन में एक गरीब आदमी गया, वहां कई डाक्टर मेरे भी जानकार हैं, उसको रिपोर्ट देनी है एक बजे, पर उसको बिठाकर रखेंगे, तुरन्त रिपोर्ट दे सकते हैं पर तीन बजे तक देंगे क्योंकि शाम को उसको घर पर बुलाना है। वह गरीब आदमी जानता ही नहीं है। आप घर पर किसको बुला सकते हैं? गरीब आदमी को, जो कमजोर है, जो पहले से मरा हुआ है, उसको और मारना है?

ऐसे में सरकार की योजना, जो फ्री दवा दे रही है सरकार, फ्री इलाज कर रही है, फ्री जांचें कर रही है, रोटी की व्यवस्था कर रही है, पैसे की व्यवस्था कर रही है, आने-जाने के किराये की व्यवस्था कर रही है, उस सरकार को जो लोग चुनौती देते हैं उन लोगों का इलाज करना आपका और हमारा काम है। हमारा काम यह नहीं है कि कोई आदमी गलती करे और हम उससे डर जाएं; डरकर हम कह दें कि ये तो जमा हुआ है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये डाक्टर है। डाक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, लेकिन जो गलती करे, उसको जब सज़ा मिलती है तब राजस्थान में, प्रदेश में जनता में मेसेज जाता है और गरीब आदमी कोई भी हो, उसका सीना फूल जाता है। जो आदमी ड्यूटी के प्रति पाबंद है, वह डाक्टर..., और, मंत्रीजी, आपको तय करना चाहिए, अभी भी चैकिंग होनी चाहिए। कौन डाक्टर है जिसकी फीस लिमिट आपने तय कर रखी है, करे घर पर प्रेक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए लेकिन क्या घर पर प्रैक्टिस में वह उतने ही पैसे ले रहा है जितने पैसे उसके आपने

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

तय कर रखे हैं? वह आप तय करें। डाक्टर्स का सम्मान है लेकिन डाक्टर्स का सम्मान होने का यह मतलब नहीं है कि हम डर जायें, डरकर कोई फैसला ले लें। यदि विधायिका डरने लगी, अभी तक तो विधायिका की हालत ये है, मैंने आज सुबह एक जज साहब के सामने कहा, आज विधायिका न्यायपालिका से डरती है, न्यायपालिका विधायिका से नहीं डरती। हम बोलना नहीं चाहते, कोई सच बोलने को तैयार नहीं है। न्यायपालिका ने कुछ भी शब्द कह दिया तो वह कानून बन गया और विधायिका ने कुछ कह दिया तो वह कानून नहीं बना।

संजय दीक्षित को हटाने के लिए धारीवालजी ने सदन में मोहर लगा दी। आज तक संजय दीक्षित के खिलाफ, धारीवालजी, कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सदन में हो गया, वह सदन की प्रोपर्टी हो गया, सरकारी आदेश हो गया; आपने सदन के फ्लोर पर कहा लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। इस सदन में कोई बात आ जाये और उसके बाद हम फैसला नहीं करें तो, मंत्रीजी, मैं मेडिकल एण्ड हैल्थ पर बोल रहा हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह मौका है, ऐसे करप्ट लोग जिन्होंने कम्पनियों को डरा-धमकाकर लूट मचाने का काम किया, उनका इलाज हो।

अंत में मैं पोजिटिव-वे में इतना कह सकता हूं कि आज मेडिकल एण्ड हैल्थ में आजादी के बाद, 64 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ, उतना काम इस बार इस सरकार ने किया है और इस सरकार की जितनी तारीफ की जाये, उतनी कम है। मेडिकल एण्ड हैल्थ में यदि अपोजिशन के लोग, मैं फिर कहूंगा, टाइम फिक्स कर लें, कमेटी के आदमियों के नाम अपोजिशन फिक्स करे और यह बता दें कि ये पांच आदमी हमारे हैं, उन पांच आदमियों से नम्बर तय करवा दो; मेरी गारंटी है, तीन वर्ष में जितने काम इस सरकार ने किये हैं, उतने काम आपकी दो-तीन बार लगातार बी जे पी जब-जब आई, पूरे शासन में 10 साल, 15 साल में आपने नहीं किये। इतने काम इन तीन वर्षों में मेडिकल एण्ड हैल्थ में हुए हैं और मैं ये मानता हूं कि मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट को, राजस्थान की सरकार को, पूरे राजस्थान की मां, बहन और बेटी, बच्चा दुआ देता है और कहता है कि आज दवाई फ्री है, आज डिलिवरी फ्री है और यह सरकार मेरी है और मेरे परिवार की है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री शिवजीरामजी मीणा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): हमारी बात आपने रख दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए मेरी बात रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आम नागरिक को वास्तव में चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि तीन साल में बहुत अच्छा काम इस सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय खाचरियावास साहब को भी, मुख्य मंत्रीजी को भी और चिकित्सा मंत्रीजी को भी, जिन्होंने कई योजनाएं लाकर आम नागरिक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। नि:शुल्क दवा योजना आपने दो अक्टूबर से लागू की, धन्यवाद के पात्र हैं, यह बहुत अच्छी योजना है, गरीब आदमियों को बगैर पैसे इलाज कराने का अवसर दिया लेकिन मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को लागू करने के लिए, इस योजना का गरीब आदमी को, आम अवाम को ठीक से लाभ मिले, उसके लिए डाक्टर्स की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं, 13 तारीख को फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य पर्ची के माध्यम से और संगरिया से आने वाली माननीय सदस्या पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से अपनी पीड़ा, अपनी वेदना सदन में बयां कर रहे थे कि हमारे यहां डाक्टर्स नहीं हैं। मैं भी मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, बहुत अच्छी योजना है, आम आदमी को लाभ मिलेगा, गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसको इलाज कराने का अवसर मिलेगा, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बानगी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जिला चिकित्सालय, भीलवाड़ा, वहां टोटल 88 पद स्वीकृत हैं और उनमें से 47 पद खाली हैं। वरिष्ठ विशेषज्ञ के 15 पद स्वीकृत हैं, रिक्त पद 9 हैं; कनिष्ठ विशेषज्ञ के 24 पद हैं, रिक्त पद 13 हैं; मेडिकल आफिसर के 49 हैं, रिक्त पद 25 हैं। अब आप बताइये, किस प्रकार से इस योजना को आप लागू करना चाहते हैं? मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ के 12 पद हैं जिनमें से 11 पद खाली हैं, एक पद भरा हुआ है। यह बहुत अच्छी योजना है, सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य, लेकिन इसका लाभ कैसे मिलेगा? कोई दवा लिखने वाला नहीं है तो दवा किस प्रकार से गरीब आदमी के पास जायेगी? यह सोचने का, विचार करने का विषय है। जहाजपुर में कुल 13 पद

(श्री शिवजीराम मीणा)

स्वीकृत हैं जिनमें से मात्र तीन पद भरे हुए हैं, 10 पद खाली हैं। दो सी एच सी हमारे यहां हैं, कोटड़ी और पण्डेर, वहां दो-दो पद कनिष्ठ विशेषज्ञ के हैं, वे दोनों ही खाली हैं। अब आप बताइये, किस प्रकार से आम आदमी को, गरीब आदमी को इस योजना का लाभ मिलेगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने 25 पी एच सीज को क्रमोन्नत करने का बजट में प्रावधान किया है और इस योजना को भी आपने 300 करोड़ रुपये का प्रावधान करके बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए आपने व्यवस्था की है, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने पी एच सी क्रमोन्नत करने की जो बात कही है, ईमानदारी से जहां आवश्यकता है, वे पी एच सी क्रमोन्नत हों। मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय, बहुत ईमानदार हैं, बहुत भले आदमी हैं, ईमानदारी से, मेरिट के आधार पर उन क्षेत्रों में सी एच सी खोलें जहां वास्तव में आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं, आपके एरिये से लगा हुआ जहाजपुर एरिया है, शक्करगढ़ ऐसी जगह है जहां हिण्डौली की पांच-छह पंचायतें हैं, आपके माण्डलगढ़ की पंचायतें लगती हैं और मेरे क्षेत्र की भी करीब सात पंचायतें हैं, वहां सी एच सी की आवश्यकता है। इस प्रकार की जो पी एच सी जी हैं, उनको छांटकर यदि वास्तव में आप उनको क्रमोन्नत करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपने जो घोषणा की है, उसका लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार आपने 100 पी एच सी खोलने की बात की है। उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरिट के आधार पर, जहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, चाहे आपका एम एल ए हो, चाहे विरोधी पार्टी का एम एल ए हो, इलाज सभी को कराना है चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बी जे पी का हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो, तो मैं तो आपसे विनम्र शब्दों में यही निवेदन करना चाहता हूं कि ईमानदारी से, मेरिट के आधार पर चिकित्सा सुविधा मिले, वहीं पी एच सी खोलें जहां वास्तव में आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कई ग्राम पंचायतों में एलोपेथी की व्यवस्था नहीं है, सब-सेंटर नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में भी दो पंचायतों में सब-सेंटर अभी तक नहीं हैं, मनोहरपुरा और भरनीकलां में। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जिन ग्राम पंचायतों में सब-सेंटर नहीं हैं, उनको तो कम से कम यह सब-सेंटर की सुविधा मिले। आज जो नि:शुल्क दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं, उसका लाभ तभी मिलेगा, जब वहां

(श्री शिवजीराम मीणा)

कोई न कोई यूनिट आपकी होगी। अगर वहां सब-सेंटर नहीं होगा, पी एच सी नहीं होगी तो उस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जननी सुरक्षा योजना के स्थान पर, यह जननी सुरक्षा योजना तो पहले भी चल रही थी, आप कह रहे हो, बहुत वाहवाही कर रहे हैं कि हमने यह योजना लागू कर दी, जननी शिशु सुरक्षा योजना। यह पहले भी चल रही थी, सम्माननीय खाचरियावासजी, लेकिन ये योजना ईमानदारी से लागू हो। अभी परसों ही ये आया था कि बेटी हुई पैदा और इनाम के लिए बेटा बता दिया। सरकारी अस्पतालों में कितनी लूटपाट होती है, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं लेकिन हमको इसकी जानकारी है कि किस प्रकार से 1,400 रुपये उनको दिये जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जिनको मिलता है, उनसे कितना पैसा वसूल किया जाता है, इस पर नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता है। योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन ईमानदारी से वह लागू हो, वास्तव में जिनको आवश्यकता है, उनको लाभ मिले, तब तो मैं समझता हूं, वास्तव में आप जो कह रहे हैं, कि तीन साल में बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इन योजनाओं की ईमानदारी से क्रियान्विति हो। चूंकि आज बड़े-बड़े अस्पतालों में, यह अजमेर की खबर है, इनाम लेने के लिए लड़की को लड़का बता दिया। तो इन सब योजनाओं की ईमानदारी से क्रियान्विति हो तो निश्चित रूप से यह योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं।

मैं पुन:, सम्माननीय उपाध्यक्षजी, यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पी एच सी को सी एच सी में और नई पीएचसी खोलने का जो इस बजट में प्रावधान किया है, मेरी विनम्र शब्दों में आपके माध्यम से प्रार्थना है, मेरिट के आधार पर जिस क्षेत्र में वास्तव में इसकी आवश्यकता है, वहां खोलने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोलता हूं वैसे भी, मतलब।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप बोल लिये न। देखो आप, आपको पता है...(व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं तो केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि मेरिट के आधार पर लाभ मिले केवल, यह देखकर नहीं करें कि यहां एम एल ए साहब हमारे हैं इसलिए यहां खोल दी जाय। क्योंकि इलाज तो सब

(श्री शिवजीराम मीणा)

को कराने का है, हर आदमी को सुविधा मिले, मेडिकल की फेसिलिटीज मिलें, इसके लिए मेरी प्रार्थना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कई गांव जो बड़े-बड़े हैं उनमें भी जनसंख्या के आधार पर आपने जो सब-सेंटर खोलने की बात की है, तीन हजार, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इन सब-सेंटर को वहीं खोलें, जनसंख्या के अनुपात में जहां आवश्यकता है। जो बड़े गांव हैं, जहां वास्तव में इस चीज की आवश्यकता है, वहीं सब सेंटर खोलने का कष्ट करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सच्चे दिल के आदमी हैं, हर बात का धन्यवाद दे रहे हैं। यही सच्चे आदमी हैं। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं... (व्यवधान) मैं नहीं कह रहा हूं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी तो आदत है ही नहीं धन्यवाद देने की; ये सच्चे इन्सान हैं, वास्तव में सब लोगों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): पहले आप अपना खुद का दुखड़ा रो रहे थे, अब इनका काम करा देना।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं अच्छे काम के लिए धन्यवाद दे रहा हूं लेकिन...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यह हुई बात।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सुनिये, डोटासरा सर, आपके पड़ोस में बैठने वाले जो माननीय फलौदी से आने वाले सदस्य हैं, परसों आपके सामने क्या बयां कर रहे थे, उनका दर्द, कितनी पीड़ा से जो कह रहे थे बात; संगरिया से आने वाली माननीय सदस्या, उनको समय नहीं मिला, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से कह रही थीं कि हमारे यहां डाक्टर नहीं हैं। धन्यवाद तो मैं दे रहा हूं अच्छी योजनाओं के लिए लेकिन उन योजनाओं का लाभ, क्रियान्विति कैसे होगी? मैंने आपको बताया न, हमारे यहां डाक्टर नहीं हैं। तो टोटल...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, शिवजीरामजी।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): बारह पद हैं उनमें से केवल एक पद भरा हुआ है। अब आप बताइये, इन योजनाओं का कैसे लाभ मिलेगा? तो

(श्री शिवजीराम मीणा)

मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, माननीय मंत्रीजी पधार गये हैं, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनकी क्रियान्विति प्रोपर वे में हो, ईमानदारी से हो; उस गरीब आदमी को उनका लाभ मिले; यह जो करप्शन है इस पर पूरा नियंत्रण हो; मानिटरिंग हो; और ईमानदारी से जो आपने घोषणा की है नई सी एच सी की, पी एच सी की, वे मेरिट के आधार पर खुलें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, साहब। माननीय श्री सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत साहब।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ऊपर बोलूंगा और चिकित्सा मंत्रीजी और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, दोनों को धन्यवाद देता हुआ कि राजस्थान के अन्दर चिकित्सा के क्षेत्र में शनै: शनै: जब से सरकार आई, हर वर्ष कुछ न कुछ इस तरह की उन्होंने घोषणाएं कीं और क्रियान्विति की जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता इस राजस्थान की जनता को थी। पहले बी पी एल, फिर स्टेट बी पी एल, उसके बाद के अन्दर जो अभी हाल ही पिछले वर्ष जो मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना की घोषणा की वह बहुत क्रांतिकारी फैसला, जैसा प्रताप सिंहजी खाचरियावास ने कहा है कि ये कुछ योजनाएं इस तरह की होती है वे हमेशा, पीढ़ियों-पीढ़ियों तक उस सरकार को और उसके मुखिया को याद कराती है कि किसके जमाने में ये घोषणा हुई जिससे पूरा राजस्थान आज लाभान्वित हो रहा है।

स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह हर सरकार का और पूरे राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं, चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि ये चिकित्सा हमारी बेहतर हो, इसमें अच्छे प्रशिक्षित चिकित्सक मिलें, इसमें बेहतर प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी मिलें, उसकी महती आवश्यकता अब हमको महसूस करनी पड़ेगी। जिस तरह से अभी निजी विश्वविद्यालयों के ऊपर सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि जो शिक्षा का स्तर राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं, उनके अन्दर है, वह शिक्षा का स्तर निजी विश्वविद्यालयों के अन्दर नहीं है, अगर अन्दर झांक कर के देखो। नाम उनके बहुत बड़े लेकिन अन्दर जाकर के व्यवस्थाएं देखो, तो बहुत कमजोर हैं। इसी तरह से मैं, चिकित्सा मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो निजी विश्वविद्यालय खुले हैं मेडिकल के, जो नर्सिंग स्कूल खुले हैं प्राइवेट सेक्टर के अन्दर, आप उनकी नकेल पूरी की पूरी मेहरबानी करके रखना। आज भी जो प्राइवेट नर्सिंग स्कूल से ट्रेनिंग करके

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

नर्सिंगकर्मी निकल रहे हैं, जो ए एन एम, जी एन एम बन रहे हैं आप उनका और सरकारी स्तर के ऊपर आपने जो नर्सिंग स्कूल्स खोले हुए हैं, उन दोनों की योग्यताओं को आप आमने-सामने किसी एक्सपर्ट कमेटी के सामने बिठा दो कि तुमने क्या ट्रेनिंग ली और तुम किस तरह से इसका इलाज करोगे, आप पायेंगे कि जमीन-आसमान का अंतर होगा। इसी तरह से जिन्होंने निजी मेडिकल कालेज में एम बी बी एस और एमडी की है और जो आज सरकारी स्तर पर हमारा सवाई मान सिंह हमारा मेडिकल कालेज है, हमारा उदयपुर का मेडिकल कालेज है, बीकानेर, जोधपुर, सब जगह जहां हमारे राजकीय मेडिकल कालेजेज हैं वहां का निकला हुआ एम बी बी एस और एम डी किया हुआ डाक्टर और जो प्राइवेट का निकला है, उसमें आपको जमीन-आसमान का अंतर नजर आयेगा।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछले समय, हमारे एंटी-करप्शन ब्यूरो ने जो छापे डाले हैं, प्राइवेट नर्सिंग सेंटर्स जहां थे वे किस दशा के अन्दर हैं, किस तरह से उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं और किस तरह से वे प्रमाण-पत्र दे-देकर के आदमी की जिन्दगी को छीनने का काम किस तरह से कर रहे हैं, उनको इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता। मंत्री महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा वह कर्मी जिसके भरोसे जो भगवान मानकर के आता है, आज ए एन एम को भी भगवान माना जाता है, गांव के अन्दर जब डिलिवरी के अन्दर तड़पती हुई औरत जाती है वह उसको भगवान मानती है चाहे वे ए एन एम हो; चिकित्सक के पास में दम तोड़ता हुआ व्यक्ति जाता है उसके परिवारजन उसको भगवान मानते हैं कि हे भगवान, इसकी जीवन रक्षा करना; इसके लिए आवश्यकता है कि राजस्थान के अन्दर जो पिछले समय से कुछ गिरावट आ रही है, मंत्री महोदय, उसको सम्भालना और मेहरबानी करके इस पर नकेल पूरी की पूरी आप खींचना ताकि यह हमारा चिकित्सा का जो क्षेत्र है, इसके अन्दर हमको अच्छी सेवाएं मिल सकें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि राजस्थान का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा हास्पिटल सवाई मानसिंह हास्पिटल है जहां पूरे राजस्थान का, हरियाणा का और आसपास के उत्तर प्रदेश का सब दबाव रहता है। इस हास्पिटल के अन्दर मैं कई बार गया हूं। मैं चूंकि विधायक भी हूं लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस हास्पीटल के अन्दर मेनपावर को बढ़ाने की जरूरत है। इस हास्पिटल के अन्दर चिकित्सकों की

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं, मेरे एक वाकया हो गया था, मंत्री महोदय, एक बहुत ही घायल अवस्था में मैं, मैंने जब सूचना दी यहां के जो आपके मेडिकल अधीक्षक हैं एस एम एस के, जब मैंने उनको सूचना दी कि बहुत घायल अवस्था में मैं लेकर के पौने तीन बजे तक पहुंचूंगा, आप ताज्जुब करेंगे कि सारी की सारी मेडिकल टीम, आपरेशन थियेटर से लेकर के इमरजेंसी तक पूरी तरह से जिस तरह से कोई एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है और उसमें पूरा का पूरा तंत्र तैयार रहता है, जब वह पेशेंट यहां पर पहुंचा, पांच मिनट के अन्दर उसको आपरेशन थियेटर के अन्दर लेकर उसके आपरेशन की व्यवस्था शुरू कर दी। तो इस हास्पिटल में कोई कमी नहीं है लेकिन मेन पावर की यहां पर कमी है। दूसरी कमी है कि यहां पर जो जटिल रोग हैं, चाहे वह कैंसर है, चाहे आपका न्यूरो सर्जरी का है, चाहे आपका गेस्ट्रोएंट्रोलाजी का है, कुछ ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो यहां पर कमजोर हैं। यहां चिकित्सक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, अच्छे चिकित्सकों का इस हास्पिटल के अन्दर अब धीरे-धीरे अभाव होता जा रहा है। एक जमाने में यहां के चिकित्सक अपने पूरे देश के अन्दर पहचान बनाये हुए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डाक्टर अशोक पानगड़िया, डाक्टर रूपराय, और कई, डाक्टर धारकर, कई ऐसे चिकित्सक थे जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद में इस अस्पताल के अन्दर अच्छे डाक्टर्स की भी कमी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनके अन्दर बढ़ाने की आवश्यकता है।

बी पी एल और जो हमारा जनरल श्रेणी का जो हार्ट के आपरेशन के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में आता है, बी पी एल के जो पेशेंट हैं वे भी दो-दो, तीन-तीन महीने की वेटिंग में चल रहे हैं। मंत्री महोदय, इसके लिए या तो आप यह व्यवस्था करें कि जिस तर्ज के ऊपर मुख्य मंत्रीजी ने जो बी पी एल के अन्दर मकान नहीं बन पा रहे थे, सूची बहुत लम्बी होती जा रही थी, सीधा राजस्थान सरकार से पचास-पचास हजार रुपये देकर उनको मकान बनाने का फैसला कर दिया है। या तो आप इस तरह की व्यवस्था करें कि वे बी पी एल पेशेंट जो प्राइवेट सेक्टर में जयपुर के अन्दर हास्पिटल आ गये हैं, फोर्टिस है, नारायण हृदयालय, बहुत सारे हास्पिटल आ गये जहां ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, कम से कम उन बी पी एल पेशेंट्स को क्योंकि कई बी पी एल पेशेंट उस इंतजारी के अन्दर ही दम तोड़ देते हैं कि हमारा आपरेशन दो-तीन महीने बाद होगा। इसलिए मेहरबानी करके इस व्यवस्था को आप सुधारने की कृपा करें।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

दूसरा, हमारा उदयपुर सम्भाग का, उपाध्यक्ष महोदय, इस सब्जेक्ट के अन्दर मेरी विशेष रुचि है इसलिए थोड़ा सा आपसे समय चाहूंगा, उदयपुर सम्भाग का हमारा चिकित्सालय है और यहां पर गुजरात की और आसपास के मध्य प्रदेश के भी पेशेंट काफी आते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर अभी उस हास्पिटल के अन्दर आगे एक्सपांशन की कोई भी गुंजाइश नहीं रही है, एक पशु चिकित्सालय है, वहां पर आप मेहरबानी करके सरकार के स्तर पर फैसला करें। क्योंकि सरकार अलग-अलग विंग बनाने वहां पर जा रही है, वहां पर मेडिकल कालेज भी उसी प्रीमिसेज में है, एक्सपांशन की कोई जगह नहीं है वहां पर। अगर उस पशु चिकित्सालय की, जो बहुत बड़ी जगह है, वह मिल जाती है तो वहां के हास्पिटल के अन्दर हमको बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। फर्दर एक्सपांशन की भी वहां पर आप कोई यूनिट स्थापित करना चाहेंगे तो वह हो जाएगी।

एक मेरा निवेदन है आपसे कि वहां ओपन हार्ट सर्जरी कैसे हो? अभी हमारे एक बहुत अच्छे चिकित्सक को आपने भेजा, डा. कौशिक को आपने भेजा और ओपन हार्ट सर्जरी अगर हमारे वहां पर सम्भव हो तो आप उसके ऊपर मेहरबानी करें ताकि एस एम एस पर दबाव भी हमारे सम्भाग के लोगों का कम होगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

हमारी कैंसर की यूनिट भी वहां पर कमजोर पड़ गई है। कैंसर का इलाज पहले होता था लेकिन कैंसर का इलाज उदयपुर हास्पिटल में आजकल नहीं हो पा रहा है।

डायलिसिस के अन्दर भी लम्बी-लम्बी वेटिंग है क्योंकि डायलिसिस की मशीनें वहां पर उदयपुर सम्भाग के अन्दर ही हैं, हमारे पांचों जिलों में नहीं हैं। या तो आप यह व्यवस्था कर दें कि हर जो जिला चिकित्सालय है, वहां सब जगह डायलिसिस की मशीन हो जाए। क्योंकि यह बीमारी, धीरे-धीरे जिस तरह से डायबीटीज के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से महामारी के रूप में सबसे ज्यादा किडनी फेल हो रही हैं। तो डायलिसिस करने के लिए वह गरीब आदमी बार-बार चक्कर लगाता रहता है और उसका वेटिंग के बाद नम्बर नहीं आता है। इसमें या तो चिकित्सालय पर, अभी हम चित्तौड़ के अन्दर जिला चिकित्सालय के अन्दर नगरपालिका के सहयोग से लगा रहे हैं, जहां सिर्फ 35 लाख का खर्चा आएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह पूरे राज्य के सभी

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

जिला चिकित्सालयों में जहां पर नहीं हैं, वहां यह डायलिसिस की मशीन आप करा देंगे तो एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र के अन्दर क्रांतिकारी काम हो जाएगा।

अब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना है, निश्चित रूप से, ग़रीबों के लिए मुख्य मंत्रीजी जो करते आ रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी को दुआएं भी खूब मिल रही हैं। पहले बी पी एल, फिर स्टेट बी पी एल, उसके बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो स्टेट बी पी एल, बी पी एल हैं, उनका आपरेशन चाहे यहां करायें, चाहे कहीं बाहर करायें, उनके लिए उन्होंने वार्षिक आय जिनकी 40 हजार है उसको 60 हजार तक की जो उन्होंने करने का फैसला किया है, वह एक ऐतिहासिक फैसला है।

और नि:शुल्क दवा योजना का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं, मंत्री महोदय, आपको चित्तौड़ का निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़ के अन्दर पहले जो आउटडोर था वह लगभग 300 था हमारे जिला चिकित्सालय का, वह बढ़कर के 700 का आउटडोर हो गया है। मध्य प्रदेश के गरीब लोग भी इस नि:शुल्क दवा योजना का जो कि इतनी लोकप्रिय हो गई है कि वहां का व्यक्ति भी इलाज कराने के लिए हमारे यहां पर चित्तौड़ के चिकित्सालय के अन्दर आकर के एडमिट हो रहा है। यह दर्शाता है कि आज दवाई गरीब आदमी के लिए कितनी महंगी हो गई है। यह नि:शुल्क दवा योजना के आने के बाद में झोला छाप डाक्टरों की पूरी तरह से सफाई हो गई है, नहीं तो गरीब आदमी उस झोला छाप डाक्टरों के पास इसलिए जाता था कि यह सस्ती दवाइयां लिख देगा, हास्पिटल में जाऊंगा तो महंगी दवाई लिखेगा। तो उसके अन्दर आज झोला छाप डाक्टरों की भी कमी आई है। उनका भी धीरे-धीरे रुझान गांवों के अन्दर कम हो गया और आम आदमी जा रहा है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी, आज हम सारे सदन के विधायकों की यह ड्यूटी है, जो माननीय शिवजीरामजी मीणा ने अपनी बात कही, प्रतापसिंहजी ने अपनी बात कही, पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी भी बोले कि यह नि:शुल्क दवा योजना बहुत अच्छी है, इसकी मानिटरिंग के लिए जरूरत है कि हम सब विधायक जाएं। जरूरी नहीं है कि मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत जाकर के ही उसको देखें, जरूरी नहीं है कि चिकित्सा मंत्रीजी के रूप में दुरूमियांजी ही वहां जाकर के देखें। आपकी और हमारी सबकी ड्यूटी है। जिस तरह से सुबह हमारे प्रतिपक्ष के एक विधायक ने कहा कि सरकार हमारी है, वह भावना लेकर के आप जाएंगे कि यह दवा योजना जो हम, हमारे गरीब व्यक्ति के लिए

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

दी जा रही है, यह मिल रही है या नहीं मिल रही है, कमी है तो आप उनको बताइए।

कुछ कमियां हैं, वह मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपको निवेदन करूंगा। अभी हमारे सब-सेंटर पर 50 तरह की दवाइयां आप नि:शुल्क दे रहे हैं; पी एच सी, सी एच सी पर आपकी 150 तरह की दवाइयां नि:शुल्क मिल रही हैं। 300 तरह की दवाइयां जिला चिकित्सालय के अन्दर उपलब्ध हैं चित्तौड़ के जिला चिकित्सालय के अन्दर, लेकिन इसमें जो कमियां आ रही हैं वे मैं आपको निवेदन करूंगा। एक तो आई वी फ्लूड की बहुत ज्यादा हमारे यहां कमी है, आई वी फ्लूड के लिए हमारे यहां हमेशा मारा-मारी रहती है। एक आप इसके बारे में देखें।

दूसरा, पेट दर्द, बुखार और इस तरह की जो कुछ दवाइयां हैं, वे दवाइयां हमारे अभी जिला चिकित्सालय के अन्दर नि:शुल्क दवा के रूप में नहीं मिल पा रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं; दवाइयां तो हैं, टेबलेट्स हैं लेकिन वे दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके यह जो कमी चल रही है, क्योंकि उलटी, दस्त, बुखार, ये अब आने वाले गर्मी के प्रकोप के रूप में हमारे सामने आएंगे, तो इन दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित आप अवश्य कर दें यह मेरा आपसे निवेदन है। एक इसके अन्दर जो बैंडेज है, वह बैंडेज इसके अन्दर शामिल नहीं है, हालांकि बैंडेज सरकार की ओर से नि:शुल्क दी जा रही है। यह भी अगर आप इसमें शामिल कर दें तो चिकित्सकों को काफी सहूलियत मिलेगी। मेरी चिकित्सकों से बात हुई है कि साहब, सब चीजें अच्छी हैं लेकिन ये दो-तीन चीजें आप करा दें।

तीसरी बात मैं आपको निवेदन करूंगा कि ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए चिकित्सकों को तीन-तीन, चार-चार तरह की टेबलेट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए देनी पड़ती हैं। तो काम्बिनेशन के नाम से कोई ब्राण्ड आता है, वह एक ही ब्राण्ड उन चारों दवाइयों के लिए पर्याप्त रहेगा। ये कमियां हैं आप इन कमियों को अवश्य पूरा करें। मैंने चिकित्सकों से पूछी, तब उन्होंने बताई कि ये आ रही हैं। तो आप इसको थोड़ा देख करके करें।

मेरे चित्तौड़ के हास्पिटल के अन्दर लगभग पूरे जिले के अन्दर पिछले छह माह के अन्दर लगभग 5 लाख 89 हजार लोगों ने नि:शुल्क दवा योजना का फायदा लिया है और चित्तौड के अन्दर, लगभग 1 लाख 68 हजार लोगों ने

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नि:शुल्क दवा योजना का फायदा लिया है। तो नि:शुल्क दवा योजना का तो आप यह मानकर के चलिए कि यह एक वरदान हमारी सरकार के लिए, हमारे राज्य के लिए और मुख्य मंत्रीजी के लिए भी साबित हो रही है कि मुख्य मंत्रीजी का हेलिकाप्टर गिर जाए और मुख्य मंत्री सकुशल बच जाएं। मुख्य मंत्री पर कितने ही आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं और उसके अन्दर मुख्य मंत्री बिलकुल सकुशल होकर निकल जाएं, यह उन गरीब लोगों की दुआओं का फल ही है। वे गरीब आदमी दम तोड़ता हुआ, वह महंगा इलाज आज इस सरकार से फ्री ले रहा है। मुख्य मंत्री को दुआएं उन गरीब लोगों की मिल रही हैं और आपको भी मिल रही है चिकित्सा मंत्री महोदय, इसलिए इस दवा योजना को तो जितनी प्रभावी मानिटरिंग के माध्यम से आप और अच्छा कर सके इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। यह हमारी सरकार का ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसको पूरा देश सराह रहा है, और राज्यों में भी है लेकिन वहां इतनी सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो रहा है जितना यहां पर हो रहा है।

अब मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर चिकित्सकों की कमी होती जा रही है। इसलिए, चिकित्सा मंत्री महोदय, आप सरकार से फैसला करायें, सदन पूरा आपके साथ में है, चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु आप मेहरबानी करके 60 वर्ष की जगह 65 वर्ष करें। यह आप मेहरबानी करके, चिकित्सा मंत्री महोदय, नोट करें। यह दूसरे राज्यों के अन्दर है बिहार, दिल्ली और यूपी में है। इसी तरह से हमारे पास में आज, मैं चित्तौड़ के अन्दर आपको निवेदन करुं। हमारे वहां कई जो जूनियर सर्जन थे वे रिटायर हो रहे हैं, कई हमारे मेडिसिन के रिटायर हो गए और उनकी जगह हम अभी तक उपलब्ध करा नहीं पा रहे हैं। इसलिए इनकी सेवानिवृत्ति की आयु आप बढ़ाने का काम करें। हालांकि आप भर्ती कर रहे हैं, आपने 2,900 चिकित्सकों की अभी भर्ती की एक ऐतिहासिक भर्ती है, आज तक किसी सरकार ने इतने चिकित्सकों की भर्ती नहीं की है जितनी आपने की है लेकिन फिर भी अनुभवी चिकित्सकों की कमी हो रही है। इसलिए आप मेहरबानी करके इसकी आयु को 65 वर्ष करेंगे तो जो अभी कमी आ रही है, उस कमी की पूर्ति करने में हमको लाभ होगा।

दूसरा, मेरा सुझाव है आपसे कि जो चिकित्सक सरकारी मेडिकल कालेज से निकल रहा है, चाहे वह एम बी बी एस कर रहा हो, चाहे एम डी

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

कर रहा है, हमने लगा दिया कि पांच लाख रुपए का बाण्ड भरो; पांच का बाण्ड मत भराओ आप। ये प्राइवेट जो हास्पिटल है ये हमारे चिकित्सकों के लिए तैयार रहते हैं कि अच्छा निकला है एम बी बी एस करके, एम डी करके और उसको तुरंत अपना अच्छा पैकेज देने की बात करते हैं। आप उनको अच्छा पैकेज दीजिए। राजस्थान की सरकार क्यों नहीं दे रही? आज आप भी उन चिकित्सकों को अच्छा पैकेज दें। जो गांवों में जाकर के हमारी व्यवस्था को सम्भाल रहे हैं, हमारे पी एच सी को सम्भाल रहे हैं, हमारी सी एच सी को सम्भाल रहे हैं, हमारे जिला चिकित्सालय को सम्भाल रहे हैं, आप मेहरबानी करके पांच साल का बाण्ड उनसे भराओ और आप एक बहुत ही अच्छा पैकेज, अच्छी सैलेरी, अच्छा वेतनमान आप उनके लिए निर्धारित करें और उनको विमुख करो प्राइवेट हास्पिटल में जाने के लिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

अब मैं आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ बातें भी कहूंगा। एक तो आपने चित्तौड के अन्दर बर्न यूनिट दे दी, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी दिया; ट्रोमा सेंटर भी आपने दिया; आपने मुझे अपने चित्तौड़ के जिला चिकित्सालय के लिए नर्सिंग स्कूल भी दिया, पी पी पी मोड पर दिया...

श्री उपाध्यक्ष: वह तो मिलकर दे देना, आप तो अपनी बात खतम करो।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): नहीं, मैं आगे बोलना चाह रहा हूं, साहब। इसमें अभी स्टाफ नहीं है; बन कर के सब यूनिटें तैयार हो गई हैं लेकिन उनके अन्दर अब चिकित्सकों की और नर्सिंगकर्मियों की आवश्यकता है। इसलिए आप मेहरबानी करके आपने जो पिछले बजटों में दे दीं और वे तैयार हो गये हैं, तो उनका फायदा आम लोगों को मिले, उसके लिए मेरा निवेदन है कि इसके अन्दर आप जरूर करें।

चित्तौड़ के अन्दर एम्बुलेंस तेरह वर्ष पुरानी है। जब मैं पिछली बार विधायक था तब मुख्य मंत्रीजी ने दी थी। उसके बाद आप सोच सकते हो, वह एम्बुलेंस किस दशा में होगी। इसलिए जिला चिकित्सालय है, आप मेहरबानी करके एक नयी एम्बुलेंस दे दें। आपने जो 108 दोनों जगह दे दीं, जिला चिकित्सालय में भी दे दी, आपने उप खण्ड कार्यालय में भी दे दी लेकिन अब जो दो सौ नयी एम्बुलेंस दे रहे हैं, आप उसमें हम विधायकों की राय से दें, चाहे हम सी एच सी के लिए मांगें, चाहे पी एच सी के लिए मांगें।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

आपसे मेरा अनुरोध है कि एक आपका जो यह विभाग है, हम लोग कोई भी लिखकर देते हैं, उसमें आप लिखकर दे देते हैं कि नियमों में नहीं आता है। चिकित्सा जो हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसको आप पूरी तरह से नियमों से अलग रखो, इसमें हमारी इच्छा हो, वहां हम सब-सेन्टर तय करके दें। जिस तरह से ढाई सौ से पांच सौ की आबादी की सड़कों के अन्दर एक फैसला ले लिया गया, उसी तरह से आप फैसला लो कि इसमें नियम-कायदे नहीं चलेंगे। इसमें जहां आवश्यकता है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की वहां जैसा हम विधायक उचित समझते हैं, जैसा आपको प्रस्ताव दें, आप विभाग के अधिकारियों के नियमों में न बंध करके हमारे जो सुझाव हैं और जो हमारे प्रस्ताव हैं, उनके अनुसार आप खोलें। मैंने आपको सावा के लिए दिया कि पी एच सी से सी एच सी किया जाए, तो मेरे पास पांच पत्र आ गये कि नियमों में नहीं आ रहा है। नियम मुझे देखने है, सरकार को देखने है, आप अधिकारी तो नियम मत देखो कम से कम। यह तो हमें तय करना है कि वहां कितना एरिया फायदा लेगा। हमने वहां सावा में बिल्डिंग भी बना दी आदित्य सीमेंट फैक्टरी को कहकर के लेकिन ये नियमों की आड़ आप अवश्य हटायें।

आपने सब-सेन्टर दिये, आपको तीन हजार नर्सिंगकर्मी ए एन एम की भर्ती के लिए भी बधाई, 21 हजार आपने डाक्टर्स और पैरा-मेडिकल स्टाफ भरने की बात की उसके लिए भी धन्यवाद, अब मेरा निवेदन है कि जो सब-सेन्टर्स आप हमें दे रहे हैं, आप दो वर्ष की जो बाध्यता रखते हैं उसको दो वर्ष का न करें, एक वर्ष में ही लें और एक वर्ष के अन्दर ही जनता को फायदा मिले। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में क्या हुआ इन्होंने पीएचसी, सी एच सी जाते-जाते राज में खोलीं, उसका कोई फायदा न तो ये ले सके और वे धीरे-धीरे बाद में बनीं। इसलिए सब-सेन्टर्स सारे के सारे आप इसी वर्ष खोलो और इसके साथ-साथ बिल्डिंगों का पैसा भी दे दो और इसके साथ-साथ जो ए एन एम रहेंगी, उसके लिए आप रहने की व्यवस्था जरूर कर दो ताकि रात को कभी गरीब आदमी को जरूरत पड़े तो उसका इलाज वहां पर करने के लिए हमारा नर्सिंगकर्मी मिल जाए। उसके लिए बजट का प्रावधान करके और साथ-साथ ये भी आप मेहरबानी करके करेंगे कि ये सब-सेन्टर आप जो दे रहे हैं, इसका हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।

मंत्री महोदय, चित्तौड़गढ़ के अन्दर हमने कुछ सीटी स्कैन मशीनें जनसहभागिता के अन्दर लगाई। दूसरी जगह तो आपने राज्य सरकार से

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

लगाई लेकिन एन्युअल मेंटीनेंस कांट्रेक्ट, जहां सरकार ने लगायी वहां तो सरकार भर रही है पैसा लेकिन जो हमने जनसहभागिता में लेकर के, मुख्य मंत्रीजी की कृपा से 51 लाख रुपये सड़क के ठेकेदारों ने दे दिये और हम लोगों ने डेढ़ करोड़ की सीटी स्कैन मशीन लगा ली लेकिन उसका एन्युअल मेंटीनेंस कांट्रेक्ट 14 लाख रुपये देने की हमारी आज स्थिति नहीं है। इसलिए आप जिस तरह से सरकारी मशीनें जहां लग रही हैं और उनका जो आप कर रहे हो, वे ही ए एम सी की गाइडलाइंस हैं, उसमें हमारे चित्तौड़गढ़ को भी आप शामिल करा दो, जिला चिकित्सालय है।

हमारा जिला चिकित्सालय साढ़े तीन सौ बेडेड है, उसको आप मेहरबानी करके साढ़े चार सौ का कर दो। क्योंकि वहां महिला चिकित्सालय भी अलग संचालित हो रहा है और कहने को तो वह पचास बेडेड है लेकिन दो सौ बैड की व्यवस्था आज हमारे महिला चिकित्सालय में, जो एक किलोमीटर दूर हमारा मुख्य चिकित्सालय है, उससे दूर पड़ता है। हमारा जिला चिकित्सालय ढाई सौ का है लेकिन चार सौ बेड की व्यवस्था वहां पर, साढ़े चार सौ आप कर दोगे तो स्टाफ भी हमको ज्यादा मिल जाएगा।

एक आप बजट बहुत कम दे रहे हो। पांच लाख रुपये पूरे वर्ष के हमको देते हो मेंटीनेंस के लिए। अब पांच लाख से दो हास्पिटल कैसे संचालित होंगे, मंत्री महोदय? इसलिए इसके अन्दर भी आप थोड़ा, इसके अन्दर सारी टूट-फूट करना, रंग-रोगन कराना, छोटे-मोटे जितने भी रिपेयरिंग के काम हैं, इस पांच लाख के अन्दर नहीं करा पाते। इसलिए आपसे निवेदन है कि उसके अन्दर भी मेहरबानी करके इस बजट को आप बढ़ायेंगे तो वह जिला चिकित्सालय स्ट्रेंथन हो सकेगा।

तो मैं अब ज्यादा नहीं कहता हुआ, अंतिम बात कहकर के कि मुख्य मंत्री बी पी एल दवा योजना जिस तरह से दी है, गरीबों के लिए एक और कर दो आप, ये एक्स-रे जो सबसे ज्यादा मरीज को कराना पड़ता है, जाते ही एक्स -रे तो, इस एक्स-रे को और नि:शुल्क कर दो आप। गरीब आदमी को यह एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा।

और 108 और वह तो जो मैं मांगूं, वह आप दे देना, अभी सबके सामने कहना भी ठीक नहीं है। अपनी बात समाप्त करते हुए, पी एच सी, सी एच सी आपने जो दी हैं ये काफी कम हैं। इसलिए इसके अन्दर आप बढ़ाओ जिस तरह वे तीन हजार आपने बहुत खुले दिल से, ये तीन हजार भी आज

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

तक कोई सरकार एक वर्ष के बजट भाषण में नहीं खोल सकी जो आपने खोली हैं, मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद लेकिन पी एच सी और सी एच सी की भी, मंत्री महोदय, अब हमको आवश्यकता है। इसलिए मेहरबानी करके एक-एक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम दो-तीन तो पी एच सी खुल जाएं और एक पी एच सी से सी एच सी कम से कम हमको दे दें तो हमारे क्षेत्र के साथ हम लोग न्याय कर सकेंगे।

मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, इन्होंने बहुत अच्छा बोला और आपने काफी टाइम दिया, मगर मुझे ये हमेशा 'बैठ जाओ', -'बैठ जाओ, कहते हैं, बोलने ही नहीं देते। आज आपने इनके ऊपर बड़ी कृपा कर दी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आजाद साहब, आज मेरे को जानकारी मिली है कि आपने अपना समय भी इनको दे दिया।

माननीय श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में ऐसी मांग पर चर्चा है जो इस सरकार का एक मात्र अच्छा काम है। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले किसी बात का जिक्र करते हैं तो वह है चिकित्सा क्षेत्र। चाहे मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना हो, चाहे जननी शिशु सुरक्षा योजना या अन्य वर्गों को दी जाने वाली सहायता चिकित्सा क्षेत्र में योजनाएं अच्छी, विभाग के मंत्री भी बहुत अच्छे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कह दूं कि मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना नाम के वेंटिलेटर का सहारे यह सरकार अपने आपको जीवित होने का अहसास करा रही है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर रहे हैं। अपनी सारी नाकामियां इस एक विभाग के माध्यम से सरकार छिपाने का प्रयास कर रही है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, उनको और बेहतर बनाना भी आवश्यक है क्योंकि यह जन हित का कार्य है, सेवा का कार्य है और मुझे पूरा भरोसा भी है कि आप हर बात को गम्भीरता से लेते हो और आपका स्वभाव है कि उसको दूर करने के लिए आपका प्रयास रहता है। योजनाएं बनी हैं तो निश्चित रूप से कुछ कमियां होंगी क्योंकि नयी-नयी योजनाएं हैं। तो सबसे बड़ी कमी इस योजना में है, दवाइयों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। यह बात आपकी जानकारी में अनेकों बार

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

अनेक लोगों ने लायी होगी। थोड़ा बजट बढ़ जाएगा, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन अच्छी गुणवत्ता की दवा मरीज को देना आवश्यक है वरना उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। आप जेनेरिक दवाई यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश की बहुत बड़ी-बड़ी अच्छी कम्पनियां हैं वे जेनेरिक दवाइयां बनाती हैं, चाहे रेनबेक्सी है, फाइजर है, बायोकैम है, सिपला है, यूनिकेम, माइक्रोला है, कैडिला है, रेट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब आपकी ज्यादातर दवाइयां विवेक फार्मा की हैं, यह फर्म कुछ साल पहले बंद हो गयी थी, आपकी योजना आने के बाद में वापस चालू हो गयी है। अब आप कहते भी हैं कि हम लेबोरेटरी टैस्ट कराते हैं, वहां भी मैनेज हो जाता है। माननीय मंत्रीजी, आपको इस सचाई को स्वीकार करना होगा कि जिन दवाइयों का वितरण हो रहा है, उनमें गुणवत्ता की कमी है और उसको बेहतर करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

(18.49 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

माननीय मंत्रीजी आपके आंकड़े खुद बता रहे हैं कि इस योजना के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों का आना बहुत बढ़ गया, लेकिन चिकित्सकों की कमी अभी तक दूर नहीं हुई। मरीज आता है कि मेरा फ्री इलाज होगा, मुझे दवाई फ्री मिलेगी लेकिन दो-तीन घंटे चक्कर काटने के बाद भी जब डाक्टर नहीं मिलता तो वह वापस बड़ा निराश होकर जाता है। अगर आप चाहते हो कि इस योजना का लाभ हर गरीब को मिले तो डाक्टरों की कमी को आपको पूरा करना होगा, वरना उसका लाभ नहीं मिलेगा।

मैंने बजट बहस में भी जिक्र किया था, मेरा पाली का डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल जो 300 शय्याओं वाला है, पिछले एक साल में मात्र 200 सर्जरी हुई हैं। जो निजी संस्थाओं ने कैम्प लगाये हैं उनको आप हटा दो, 7 सर्जन हैं, गायनिक वार्ड में, सर्जरी में, आर्थोपेडिक सर्जरी में, आई सर्जरी में, ई एन टी सर्जरी में और आपरेशन पूरे एक साल में मात्र 200! ऐसा नहीं है कि मरीज आना कम हो गये। पहले एक साल में 5,000 तक का भी फिगर पहुंचा हुआ है आपरेशन का पाली बांगड़ अस्पताल का और 5,000 से घटकर सीधा 200 आ गया, तो यह एक बहुत ही सोचनीय बिन्दु है। माननीय मंत्री जी, आपको सोचना होगा और इस कमी को दूर करना होगा। मैं पाली की समाज सेवी संस्थाओं को बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बहुत कैम्प लगा कर बहुत सारे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आपरेशन कर दिये, वह अलग विषय है। मात्र एक एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट में डाक्टर नहीं होने की वजह से 7 तो सर्जन बेकार बैठे हैं, आपरेशन थियेटर का सारा स्टाफ फोकट की तनख्वाह ले रहा है। पोस्ट-आपरेशन विभाग के जिम्मे भी कोई काम नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते है। कोई मरीज ही नहीं है, कोई आपरेशन ही नहीं हुआ, तो वह पोस्ट-आपरेशन में आयेगा ही नहीं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, अगर आप एनेस्थेसिया के दो डाक्टर दे दोगे तो बहुत सारी सर्जरी पाली में हो जायेंगी, वरना लाखों रुपये जो फोकट में आप दे रहे हो, वे सरकार का व्यर्थ जा रहा है, वे जनता का पैसा है।

माननीय मंत्रीजी, जननी शिशु योजना भी वैसे हमारे काल में चालू हुई थी, चाहे कुछ भी कह दे कि हमने 1,000 रुपये देना चालू कर दिया या हमने 1,400 रुपये देने चालू कर दिये, हमने वह चालू कर दिये थे। माननीय राजवी साहब बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद दूंगा, इनके काल में यह योजना चालू हुई, आपने उसको आगे बढाया और उसमें शिशु जोड़ दिया, कुछ सुविधाएं आपने उसमें और जोड़ दीं, नि:शुल्क भोजन है, नि:शुल्क ब्लड है, सारी जांचें आपने नि:शुल्क कर दी इसके लिये आपको धन्यवाद लेकिन इसमें भी चिकित्सकों की कमी के कारण जो लाभ मिलना चाहिये, वह मिल नहीं रहा है। सभापति महोदय, पाली में रोज प्रसव हेतु कम से कम 40 महिलाएं आती हैं अस्पताल में और गायनिक डिपार्टमेंट में डाक्टर मात्र एक। जितनी नार्मल डिलिवरी होती हैं वे तो हो जाती हैं पर जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, उनको एनेस्थेसिया की वजह से जोधपुर रेफर किया जाता है। कुछ जोधपुर जाती हैं, कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम का सहारा लेती हैं। आधी संख्या जोधपुर जाती है और आधी को मजबूरन प्राइवेट नर्सिंग होम का सहारा लेना पड़ता है। गायनिक में एक ही डाक्टर है, वह भी आपको बढ़ाना होगा, एक डाक्टर से काम नहीं चलेगा। आपने हर अस्पताल को इस बार बेड तो दे दिये 30, जो आवश्यकता थी उसकी तो आपने पूर्ति कर दी लेकिन डाक्टर की आवश्यकता की पूर्ति की उम्मीद भी हम आपसे करते हैं कि आप वह करोगे।

माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के मन में आया कि इलाज बहुत महंगा हो गया, गरीब या मध्यम व्यक्ति के लिये यह सम्भव नहीं है, सरकार को इनका सहारा बनना चाहिये; बहुत अच्छी बात उनके मन में आई इसके लिये उनको धन्यवाद पर कभी सरकार ने सोचा कि जांचें कितनी महंगी हो गयीं? बात आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? पहले से जाचें महंगी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

और उसके बाद में आपने दरें और बढ़ा दीं। अगर वाकई में आपको गरीब के प्रति दर्द है, तो आपके मन में जांचों की बात भी आनी चाहिये थी। यह जांचें भी बहुत महंगी हैं, इनको भी नि:शुल्क करना चाहिये। क्योंकि आजकल सिस्टम बना हुआ है, डाक्टर के पास कोई भी जायेगा, पेट दुखता है तो वे पहले सोनोग्राफी करायेगा या खांसी है तो वे पहले एक्स-रे करायेगा, दवाई बाद में लिखेगा। पहले उसकी जेब से जांच के नाम पर पैसा लिया जायेगा और जांचें भी आपने कितनी महंगी कर दीं, मैं एक नहीं ऐसी 50 जांचें बता सकता हूं जो निजी लैबोरेटरियां अस्पताल से आधी दरों पर करने को तैयार हैं। अस्पताल में दोगुनी दर लगती है। वाकई में अगर आप मरीज के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो आप जांचें भी नि:शुल्क करो और इतना बजट नहीं है तो कम से कम जांचों के नाम पर लूट तो सरकारी अस्पतालों में बंद करवा सकते हो, मंत्रीजी यह उम्मीद हम आपसे करते हैं।

माननीय मंत्रीजी, आपने आउटडोर कार्ड के टिकट भी बढ़ा दिये, भर्ती टिकट की दर भी बढ़ा दी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दरें भी बढ़ा दीं। गम्भीर मरीज को आपकी इस योजना से राहत नहीं मिल रही। किसी में डायलिसिस कराना है तो लंबा-चौड़ा खर्चा आता है; कैंसर का मरीज है, रेडियोथेरेपी करानी है, कीमोथेरेपी करानी है तो लम्बा खर्चा आता है। अहमदाबाद में जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी 15 हजार रुपये में होती है, वह राजस्थान सरकार के अस्पताल में 40 हजार में होती है। इतना फर्क है! उन मरीजों को ज्यादा मदद की आवश्यकता है जिनका ज्यादा लम्बा खर्चा हो रहा है; जिनके इलाज पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, उनको सरकार की ज्यादा सहायता की आवश्यकता है। माननीय मंत्रीजी मेरा आपसे यह भी आग्रह रहेगा कि ऐसी बीमारियां जिनके इलाज पर लम्बे समय तक लम्बा व्यय होगा, उनके मरीजों के लिये कोई विशेष पैकेज भी यह सरकार घोषित करे ताकि उनको राहत मिल सके।

माननीय मंत्री आपके या आपकी सरकार के कई बार आपके मन में आता है कि यह कर दे, वह कर दे, जोश-जोश में कर तो देते हैं लेकिन वह उलटा पड़ जाता है। डेढ़ साल पहले आपने क्या किया, एफ आर यू योजना के नाम पर हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक महिला चिकित्सक, एक बाल रोग चिकित्सक और एक एनेस्थेसिया का डाक्टर होना चाहिये, बिलकुल होना चाहिये, आपके मन में अच्छी बात आई। पर आपने उसकी पूर्ति के लिये तरीका क्या अपनाया, कि जिन अस्पतालों में एक से ज्यादा जिन विभागों के डाक्टर थे, चाहे वहां कितना भी वर्क-लोड था, जहां चार डाक्टरों की आवश्यकता

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

थी, पांच डाक्टरों की आवश्यकता थी, एक की जगह दो थे, आपने वहां से हटाकर उन सामुदायिक केन्द्रों पर भेज दिया जहां ज्यादा काम नहीं था। माननीय मंत्रीजी, आपकी जानकारी में अच्छी तरह है कि जिन डाक्टरों के तबादले आपने किये, उनमें से नाम मात्र के डाक्टरों ने वहां जाकर अपनी ड्यूटी जोइन की बाकी छुट्टी लेकर बैठ गये। कुछ ने तो आपके डंडे से दुःखी होकर वालेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। मेरे अकेले पाली में पांच डाक्टरों ने वालंटरी रिटायरमेंट लिया। पांच को हटाया, पांचों ने ले लिया। हमारा पाली का सिस्टम जमा हुआ था, उसका भट्ठा बैठा दिया इस एक योजना ने। बेहतर होता कि आप नये डाक्टरों की भर्ती करते और उनके माध्यम से उन सामुदायिक केन्द्रों में पूर्ति करते तो निश्चित रूप से आपको उसका कुछ लाभ मिलता, जनता को भी लाभ मिलता और वाकई में चिकित्सा विभाग ने कुछ किया है, इस बात का अहसास जनता को हो जाता, पर यह आपके उलटा पड़ गया। न तो उनको लाभ मिला और जहां लाभ हो रहा था वे लाभ से वंचित हो गये।

माननीय मंत्रीजी, इस सदन में कई बार एस एम एस के बारे में आया है, एस एम एस इस राजस्थान की नाक है, नाक और हर मरीज को अपने इलाज के लिये इस अस्पताल से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि यहां बहुत अच्छे डाक्टर हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं। लेकिन मरीजों का दबाव इसके ऊपर इतना है कि सारे मरीजों के इलाज की व्यवस्था यह अस्पताल कर नहीं सकता। जितना दबाव है उतने संसाधन यहां मौजूद नहीं। बहुत बड़ा अंतर है; आवश्यकता और जो हम साधन दे रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप पूरे राजस्थान में बहुत कुछ देने की बात करते हो और यहां दीये तले अंधेरा है। एस एम एस में आपको भी पता है, आपको भी कई बार टेलीफोन लगाने पड़ते हैं, मरीज का समय

(19.00 बजे)

पर आपरेशन हो जाए। आपको पता है, क्योंकि आपके यहां से भी बहुत बार फोन आते हैं कि इसका जल्दी नम्बर लगा दो। इसको कैसे कम कर सकते हैं, मंत्रीजी यह सोचना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से दो साल पहले जब ओपन हार्ट में वेटिंग की बात इस सदन में आई थी और आपने उस बात को गम्भीरता से लिया था। आप अस्पताल गये भी थे और आपको लगा भी था कि नहीं, एक थियेटर और होना चाहिए, एक आई सी यू और होना चाहिए ताकि जितने आपरेशन प्रतिदिन होते हैं, उसके दुगने आपरेशन यहां हो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सके और आपने आदेश भी जारी किए हैं। आपके आदेश से नया थियेटर बन गया; थियेटर में जितने उपकरण आने थे वे भी सारे आ गए, वेंटिलेटर आ गए, हार्ट मशीन आ गई, मोनीटर आ गए, जितने और साधन चाहिए थे सब आ गए। आई सी यू की बिल्डिंग का निर्माण भी हो गया, आई सी यू में उपकरण भी आ गए। अब मात्र 8 बेड आने हैं और 6 नर्सिंग स्टाफ। 8 बेड और 6 नर्सिंग स्टाफ की वजह से डेढ़ साल से आपकी अपनी मेहनत पर, मंत्रीजी, पानी फिर रहा है। क्योंकि आपने वहां कहा था और आपने सारी व्यवस्था करवाई थी। कोई लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं है। आपने इसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये अब मात्र 8-10 लाख में काम हो जाएगा लेकिन ये आपकी मशीनरी की लापरवाही है कि डेढ साल से ये 8-10 लाख या 15-20 लाख, इसके कारण ये काम रूका हुआ है, अगर ये काम हो जाए ना, मात्र 8 बैड और 6 नर्सिंग स्टाफ, तो आपके ओपन हार्ट के मरीजों के आपरेशन की संख्या रोज की दुगनी हो जाएगी। कितनी बड़ी राहत मिलेगी, कितनी वेटिंग कम हो जाएगी। आप इतना पैसा दे रहे हो, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से, आस्था कार्ड परिवारों को, विकलांगों को या बड़ों को, काफी का नि:शुल्क इलाज, पर वेटिंग बहुत लम्बी है; बारी आती है तब तक कई लोग ऊपर चले जाते हैं, तब तक तो। तो मेहरबानी करके, मंत्रीजी, छोटा-मोटा काम है, मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इसको पूरा कर देंगे।

माननीय मंत्रीजी आपके डिपार्टमेंट की प्रगति रिपोर्ट है, उसमें राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम इसमें आपके फिगर या टारगेट पूरे नहीं हैं। इस वर्ष मात्र 60-65 पहुंचे हो और आप दावा भी करते हो कि समाज सेवी संस्थाएं जो आपके यहां रजिस्टर्ड हैं, उनको मोतियाबिन्द के एक आपरेशन के लिए 750 रुपये का अनुदान सरकार देती है, आपने उनसे कमिट कर रखा है कि हम देंगे आपको, आप तो आपरेशन करो। माननीय मंत्री महोदय, डेढ़ साल हो गया, इन संस्थाओं ने लाखों आपरेशन कर दिए पर अनुदान के नाम पर उनके पास धेला भी नहीं पहुंचा अभी तक। वे आपके अफसरों के यहां चक्कर लगा रहे हैं कि हमारा पैसा दो। उनके ऊपर कर्जा हो गया। जो आपने कमिट कर रखा है, सरकार ने कमिट कर रखा है कि हम एक आपरेशन पर 750 रुपये अनुदान देंगे, समय पर दिए जाने का काम भी आपके जिम्मे है। मेरा आपसे यह भी आग्रह रहेगा कि जिन समाजसेवी संस्थाओं का अनुदान बाकी है, सरकार तत्काल उनको अनुदान की राशि दे।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे एक आग्रह और रहेगा, क्योंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र से बहुत ज्यादा जुडा हुआ हूं, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हम क्षय निवारण के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कहते भी हैं कि सरकार की ओर से डोट्स के माध्यम से हम नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं, बात सही है लेकिन डोट्स के परिणाम क्या आ रहे हैं, इसको जानने की आवश्यकता सरकार ने कभी नहीं की। मैं सरकार की जानकारी में ला दूं कि यह डोट्स वाला इलाज है, वह आधा-अधूरा इलाज है, इससे मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं होता। मेरे पास एक नहीं, हजारों मरीजों के उदाहरण हैं जिनको बाद में दवाइयां दिलाकर उनका इलाज मैंने अपनी ओर से करवाया, ये आधा अधूरा इलाज। मान लो कहीं डोट्स कारगर साबित भी होगा तो मात्र चेस्ट की टी बी है, उसमें तो हो सकता है, कुछ लोगों के कारगर साबित हो जाए लेकिन टी बी कई प्रकार की होती है, पेट की टी बी भी होती है, हड्डी की टी बी भी होती है, चमड़ी की टी बी भी होती है, उनमें डोट्स काम नहीं आता। पर आपने डाक्टर्स को पाबंद कर रखा है कि आप डोट्स के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे और डाक्टर चाहते हुए भी, पता है डाक्टर को कि डोट्स से ये ठीक नहीं होगा पर आपने फंदा कस रखा है, उसकी वजह से वे बेचारा मजबूरन वह लिखता है, जिससे मरीज ठीक होता नहीं है। एक बार इस डोट्स में जो मरीज इलाज ले रहे हैं, उनका आप सर्वेक्षण कराओ और पता लगाओ कि वाकई में इनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है। वरना मरीज तो समझता है कि मैंने इलाज पूरा ले लिया, मैं ठीक हो जाऊंगा लेकिन उसके बाद उसको वापस जब टी बी होती है, ए से बी कैटेगिरी में और उसके बाद एम डी आर में तो उसको बहुत महंगा पड़ जाता है और कई मरीजों को जान गंवानी पड़ती है।

माननीय मंत्री महोदय, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिनकी आवश्यकता है आज के समय में आप द्वारा उनको पूरी करने की। मैंने पहले ही आपको कहा मंत्री महोदय, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आपसे क्योंकि आपके मन में दर्द भी है और कुछ करने की इच्छा भी है। आप कुछ करते भी हैं। मेरा आग्रह रहेगा आपको, आपके पास ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से आप बहुत बड़े काम गरीब जनता के लिए कर सकते हो, कुछ आपने किया भी और बहुत कुछ करना बाकी भी है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि मैंने जो सुझाव आपको दिए, ऐसा नहीं कि विपक्ष का विधायक हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नहीं है, आप गम्भीरता से लें और उसमें आप क्या परिणाम दे सकते हो, किसको कितना ठीक कर सकते हो वे ठीक करने का प्रयास करें।

अंत में, माननीय मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है, पाली में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, मेहरबानी करके आप उनको भरवा दो। हमारी जो पी एच सी, सी एच सी हैं, आप नई मत खोलो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो खुली हुई हैं, उनमें जितने डाक्टर्स के पद स्वीकृत हैं, उनको कम से कम भर दो। जो हमारी रोहट की सी एच सी है, नेशनल हाइवे पर है, डाक्टर्स के 12 पद स्वीकृत हैं और पिछले तीन साल से मात्र एक डाक्टर वहां कार्यरत है, 12 में से एक। उसके बाद आप उम्मीद करो कि आपकी यह मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा का लाभ हर गरीब तक पहुंच जाएगा; डाक्टर खुद मिलता ही नहीं तो लाभ क्या पहुंचेगा मरीज तक।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, जब चुनाव आता है, पार्टियां जनता के बीच में जाती हैं, सरकार चुनी जाती है, गवर्नर का अभिभाषण होता है, मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट पेश किया जाता है, उसके बाद अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है और उसी क्रम में आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है। अभी कई साथियों ने पक्ष में और कई साथियों ने विपक्ष में अपनी-अपनी बात को कहा। मैं इस विषय पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह भी आप बताएं, अपने यहां सदन में सम्बोधित करते समय सभी माननीय सदस्य हैं। यहां न कोई साथी है, न कोई भाई है, न कोई काका है, न कोई ताऊ है। इसलिए पहले सदन में व्यवस्था हुई है कि सम्बोधन करते समय सिर्फ माननीय सदस्य शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। माननीय सदस्य पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोलें, साथी नहीं होता है। पुरानी व्यवस्थाएं हैं, मैं याद दिला देता हूं आसन को कई बार, ताकि ध्यान में आ जाए।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ठीक है तिवाड़ीजी ने बात कही। सभापति महोदय, अब से पहले की प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिए, कितनी बार घनश्याम तिवाड़ीजी भाई साहब, यह कहां से आ गया? यह गुलाब कटारियाजी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

भाई साहब। वह तो सही है, उसमें तो आप भी खुश हो रहे हो कहने में। हमारे पास प्रोसिडिंग्स पड़ी है। ठीक है, आप तो बड़ी वाह-वाही में लेते हो भाई साहब शब्द को, बैठकर राज़ी होते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको नहीं कहा, सबको कहा है।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने न केवल प्रदेश बल्कि हिन्दुस्तान के अन्दर मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना प्रारम्भ करवाई है, केवल कांग्रेस पार्टी के लोग या कांग्रेस के विधायक इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं बल्कि विपक्ष के कई विधायकों ने भी इसकी प्रशंसा की है। हम यह चाहते हैं कि इसके अन्दर किस प्रकार व कहां सुधार की आवश्यकता है, वह आप अपने सुझाव दें। आज दो लाख रोगी जिनका रोज मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना से इलाज हो रहा है, यह कम बात नहीं है। 300 करोड़ का प्रावधान बजट के अन्दर खाली इसी योजना के तहत रखा गया है। आज जैसे उदयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि सरकार जो भी योजनाएं दे रही है, हम तो उनके खिलाफ बोलेंगे, हम तो उनके विपक्ष में बोलेंगे। यह हमारा धन्धा रह गया है, तो यह अलग बात है; आपका धन्धा रह गया है, आप उसका बोलो लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर, इस प्रदेश की 6 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जो यह योजना प्रारम्भ की है, उसका निश्चित रूप से गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति को, झोंपड़ी में रहने वाले उस गरीब मजदूर को, नरेगा में काम करने वाले उस मजदूर को, अंतिम छोर पर रहने वाले उस आदिवासी को, खेत में जो काम कर रहा है उस किसान को, उससे जाकर पूछिये कि उस दवा से उसको कितना फायदा मिल रहा है। जो नरेगा में काम कर रहा है मजदूर, सौ रुपये कमा कर आता है, वह बीमार हो जाता है, डाक्टर के पास जाता है; डाक्टर कहता है, पांच सौ रुपये लगेंगे, हजार रुपये लगेंगे दवा के, उसके पास दवा के पैसे नहीं होते, वह घर बैठ जाता है पर्ची को लेकर, अपना दम तोड़ देता है। यह भावना आप लोगों ने नहीं समझी अपने शासन के अन्दर। यह थोड़े ही है कि हमारे शासन के अन्दर लोग मर रहे हैं, आपके शासन में भी इस प्रकार की घटनाएं होती होंगी लेकिन आप लोगों ने मजदूर और गरीब की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने ध्यान दिया तो धन्ना सेठों के ऊपर ध्यान दिया कि धनाढ्य व्यक्तियों की किस प्रकार जान बचाई जा सकती है। उसके ऊपर आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया। गरीब के ऊपर ध्यान

(श्री महेन्द्र चौधरी)

दिया तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने ध्यान दिया है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरी योजना मां-शिशु जननी सुरक्षा योजना। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य हंसी उड़ा रहे थे, मुख्य मंत्री सहायता कोष, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना, इस योजना का नाम भी मुख्य मंत्री मां-शिशु जननी सुरक्षा योजना रख लेना चाहिए। एक वरिष्ठ सदस्य के मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। इस योजना का फायदा मिला है गांव में रहने वाली गृहिणी, ढाणी में रहने वाली गरीब औरत को। शहर में रहने वाला व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं जान सकता है जो बड़े-बड़े चिकित्सालय के अन्दर चले जाते हैं। जब इनके बच्चे पैदा होने का, प्रसव का समय होता है, करोड़ों में खेलने वाले ये लोग अच्छे-अच्छे हास्पिटल में जाकर अपना इलाज करा लेते हैं। इनको इस शिशु योजना से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह मां-शिशु सुरक्षा योजना का सबसे बड़ा फायदा मिला है उस गांव में रहने वाली गरीब औरत को, जिसके प्रसव का समय होता है, हास्पिटल में जाने के लिये गाड़ी नहीं होती, जेब में पैसा नहीं होता। किराया मांगती है गाड़ी, वह या तो इलाज के लिये हास्पिटल में जा नहीं पाती, या तो उसका बच्चा दम तोड़ देता है, या वह मां दम तोड़ देती है। इस भावना को भी समझा इस कांग्रेस सरकार ने और मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने। जब से यह योजना प्रारम्भ हुई है राजस्थान के अन्दर, एक मिसाल बन चुकी है पूरे राजस्थान के अन्दर। राजस्थान की पूरी जनता ने धन्यवाद दिया है मुख्य मंत्रीजी को। गांव में रहने वाली और ढाणी में रहने वाली औरतें 108 पर फोन करते हैं, नहीं होती है तो प्राइवेट जीप ले लेती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या किसी भी प्रकार की कार्यकर्ता को साथ में ले लेती हैं और हास्पिटल में चली जाती हैं। उसकी जांचें फ्री होती हैं, और अगर वह रेफर कर दी जाए दूसरे हास्पिटल में तो उसमें ले जाते हैं और वापस छोड़ते हैं। बी.पी.एल. परिवार की है तो उसको पांच किलो देशी घी की पीपी साथ में देते हैं। उसको ये लोग हंसी में, मजाक में लेते हैं कि पांच किलो देशी घी की पीपी। इनके लिये कोई अहमियत नहीं रखती वह पांच किलो देशी घी की पीपी, लेकिन उस गरीब के लिये देशी घी की जो पीपी है वे काम में आती है। शहर में रहने वाली औरत को हजार रुपये, ग्रामीण क्षेत्र की औरत को 1,400 रुपये भी इस योजना के अन्दर दिये जा रहे हैं। तीन लाख 70 हजार महिलाओं को अब तक इस योजना का फायदा

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मिल चुका है। इसके लिये इस योजना में परिवहन, भोजन, जांचें और चिकित्सा सुविधाएं भी नि:शुल्क रखी गयी हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री सहायता कोष हो या मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, ये कोष जो हैं, पहले जब 1998 में अशोकजी गहलोत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने थे, उससे पहले आठ वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का शासन, जब सत्ता सम्भाली इन्होंने, तब चिकित्सा के अन्दर अनेक उल्लेखनीय कार्य हुए। उसी वर्ष मुख्य मंत्री सहायता कोष चालू किया गया, आज इस मुख्य मंत्री सहायता कोष से 66 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिल चुका है और आय की पात्रता भी 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कर दी गयी है। मुख्य मंत्रीजी जो बार-बार इस योजना के बारे में कहते हैं, इस गरीब के दर्द को जानते हुए बार-बार यह कहते हैं कि मेरी तो यह भावना है कि न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर इस योजना का फायदा मिले। ये इस प्रकार के उल्लेखनीय कार्य इस कांग्रेस के शासन के अन्दर किये गये हैं।

तीन हजार सब-सेंटर, सौ पी.एच.सी., 25 सी.एच.सी., एक हजार शय्याओं की वृद्धि के प्रावधान इस बजट के अन्दर रखे गये है। सौ शय्याओं वाले अस्पताल में न्यू-बोर्न स्टेब्लाइजर यूनिट का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा, जिन दम्पत्तियों के बच्चा पैदा नहीं होता है, उनके लिये भी मुख्य मंत्रीजी ने इसके अन्दर फर्टिलिटी क्लिनिक चिकित्सा के लिये एक करोड़ की राशि का प्रावधान रखा है। इसके अलावा, एन.आर.एच.एम. में 21 हजार नियमित पद, एक हजार ए.एन.एम., तीन हजार उप-स्वास्थ्य केन्द्र, ए.एन.एम. भर्ती; यानी कि चिकित्सा के लिये जितना काफी कुछ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने किया है, उसके लिये मैं बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने हमारे कुचामन के हास्पिटल को 50 बेड से सौ बेड के अन्दर क्रमोन्नत कर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। उसमें कुचामन का जो चिकित्सालय है, वह अभी किशनगढ़-हनुमानगढ़ हाइवे से जुड़ा हुआ है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो हाइवे और दिये हैं, एक जयपुर से कुचामन होते हुए फलौदी जाएगा, दूसरा कोटपूतली से लोसल होते हुए कुचामन तक आयेगा। इस प्रकार इतने हाइवे हो

(श्री महेन्द्र चौधरी)

गये। एक्सिडेंट्स होते रहते हैं, हमारे वहां पर एक ब्लड बैंक की भी स्थापना के लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

नावां के राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की मैं मांग कर रहा हूं। इसके अलावा, एक पी.एच.सी. है मारोठ और एक पी.एच.सी. है कुकनवाली, ये दोनों बड़े-बड़े 10-10 हजार आबादी के गांव हैं। यहां पर पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं।

नावां और कुचामन में आपने दो 108 एम्बुलेंस दीं, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो भी आपने हमारे क्षेत्र के लिये काम किया है, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, अभी जो घोषणा पत्र की बात कर रहा था, हमने भी घोषणा पत्र दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी, और तीन साल में क्या-क्या काम हुए हैं, वे भी सामने हैं और इन पौने दो साल के कार्यकाल में जो और काम करने वाले हैं, वे हमारे मुख्य मंत्रीजी को बहुत अच्छी तरह से पता है। जिस किसी भी पार्टी ने, जिस किसी भी शासन ने उस घोषणा पत्र की पालना नहीं की है, उस शासन को जनता ने नकार दिया है, उस सरकार को जनता ने वापस नीचे ला दिया है। बी.जे.पी. का घोषणा पत्र भी हमें याद है, जब आज चिकित्सा की बात आती है तो बी.जे.पी. ने घोषणा पत्र के अन्दर स्वर्ग को धरती पर लाने की एक लोक-लुभावनी योजना, और लोगों को कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो इस चिकित्सा मामले के अन्दर हम स्वर्ग को भी धरती पर ला देंगे। पांच साल में, माननीय सभापति महोदय, स्वर्ग तो धरती पर नहीं आया लेकिन प्रदेशवासी जरूर स्वर्गवासी इनके कार्यकाल के अन्दर दुनिया भर के हो गये।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं घोषणा पत्र में इन्होंने काफी वायदे किये, हम लोग देखते हैं आज भी, घोषणा-पत्र की कितनी क्रियान्विति हुई? इन्होंने घोषणा पत्र में कहा, वृद्धों को लोक चिकित्सा कार्ड देना; गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब को सभी प्रकार की जांच और चिकित्सा नि:शुल्क कराना; ग्राम पंचायत स्तर पर एलोपेथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना; चिकित्सा सेवाओं को अधिक गतिशील बनाना; राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर स्थित अस्पतालों में एम्बुलेंस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करना, किसानों एवं कृषि कामगारों के लिये

(श्री महेन्द्र चौधरी)

किसान जीवन कल्याणकारी योजना बनाना; जिला एवं उपजिला केन्द्रों के औषधालयों में चिकित्सा की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए शेखी बघारी गई थी कि इतने काम तो हम घोषणा पत्र के माध्यम से कर देंगे। यह नहीं हुई इनकी पालना। आज कोई भी सदस्य बता दे अपनी बात के अन्दर कि यह जो-जो पाइण्ट बोले गये हैं, उसमें किस-किस की पालना हुई है? जयपुर में मेडिसिटी स्थापित करना, 31 मार्च तक चिकित्सकों और पैरा-मेडिकल स्टाफ के रिक्त पद भरने का वादा भी इन्होंने अपने उस कार्यकाल के अन्दर किया था। घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

जिस प्रकार भी इनका शासन बढ़ा, अपने हिसाब से चलने लगे, अपना कार्य करने लगे। कांग्रेस की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा आम गरीब, आम आदमी के लिये स्वास्थ्य रक्षण और चिकित्सा क्षेत्र में किये गये सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को इन्होंने एक झटके के अन्दर खतम कर दिया। गरीबों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और अशोक गहलोत की सरकार के जो मेडिकेयर रिलीफ कार्ड और मुख्य मंत्री सहायता कोष जैसे मानवीय कार्यक्रमों को एक झटके के अन्दर ध्वस्त कर दिया।

उसके पहले भी जिस प्रकार से इनके कार्यकाल में कन्या भ्रूण हत्याओं का मामला रिकार्ड के अन्दर है, लिंगानुपात में कमी आने पर समाज में एक बड़ा खतरा पैदा होने लगा; सरकार के दावों के विपरीत राज्य में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की संख्या बढ़ने लगी और दयनीय स्थिति में इस क्षेत्र को, इस राजस्थान के स्टेट को इन मामलों के अन्दर, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर चौथा राज्य, इस मामले के अन्दर राजस्थान भी शामिल हो गया।

माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या नियंत्रण पर इन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। चिकित्सा व स्वास्थ्य के अन्दर सबसे अहम मुद्दा होता है कि जनसंख्या पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, यह आज हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है। इन्होंने इस पर कोई किसी प्रकार की नीति नहीं बनाई, कोई किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई। जिसके कारण इनको पता था कि इसके दुष्परिणामों के आने तक, इनको ध्यान था इस बात का कि इसके, जब तक जनसंख्या नियंत्रण अभाव के दुष्परिणाम आएंगे तब तक इस सरकार का पतन हो चुका होगा। यह इनको पहले ध्यान था इसलिए जनसंख्या के ऊपर भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

पूर्व चिकित्सा मंत्री भी यहां पर बैठे हैं। इनसे पहले एक पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री, भवानी जोशीजी भी यहां इस सदन के अन्दर थे, उन्होंने यहां पर सदन के अन्दर एक बात कही थी कि मैं अपंग मंत्री हूं; सारे डाक्टर और सारे अफसर भ्रष्ट हैं। यह इनके सरकार के मंत्री द्वारा वक्तव्य उस वक्त दिया गया था।

राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री ने एक सम्मेलन के अन्दर यह बात कही थी कि राजस्थान के अन्दर 18 हजार डाक्टरों के पद रिक्त हैं। 18 हजार डाक्टरों के पद रिक्त होने की बात कहते हुए पूरे पांच साल के अन्दर इन्होंने क्यों भर्ती नहीं की? 889 डाक्टर मात्र इन्होंने पूरे पांच साल के अन्दर भर्ती किये।

प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना होगी, यह भी घोषणा इनके द्वारा की गई थी। चिकित्सा सुविधाओं की मूलभूत आवश्यकता, सी टी स्कैन, एम.आर.आई. एवं उच्चस्तरीय पैथोलाजी लैब, आदि उपलब्ध करवाने की भी इन्होंने बात कही। वे भी पूरी नहीं हुई। और कई काण्ड, कई मामले आये दवाओं के। अरड़ास दवा मामले का घोटाला इनके शासन काल के अन्दर हुआ; पांच रुपये की फोलिक-एसिड की गोली 15 रुपये में खरीद कर 90 करोड़ का हेर-फेर किया गया। यह भी आपके सामने है।

मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कई साथियों को, हमारे शिवजीरामजी मीणा, हमारे जैन साहब और कई लोगों को कि इन्होंने इस सुविधा को बहुत अच्छा बताया, इन योजनाओं को बहुत अच्छा बताया। हम भी यह चाहते हैं कि इन योजनाओं में कहीं पर अगर कमी हो तो उस कमी को आप सुझावों के माध्यम से माननीय मंत्रीजी को दें, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दें। प्रतिपक्ष के सारे माननीय सदस्य मुख्य मंत्रीजी को बतायें, यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय की भावना है। वे कोई राजनीति या वोट की राजनीति के लिए ये योजनाएं प्रारम्भ नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जमीन से, जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनके दिमाग में गरीब के प्रति दर्द है। उस गरीब को फायदा देने के लिए उन्होंने ये योजनाएं चालू की हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गणेशजी को दूध पिलाने वाले ये प्रतिपक्ष के लोग जिन्होंने एक रात के अन्दर गणेशजी को दूध पिला दिया था, 'फील गुड' का एहसास कराने वाले, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर यह इनकी पार्टी और इनकी सरकार गई।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किये तीन साल के अन्दर और बाकी जो समय बचा है, उसके अन्दर भी काफी काम होंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुखराम कोली।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं भी अपना ध्यान अजमेर और अजमेर के जितने भी चिकित्सा केन्द्र हैं, उन पर केंद्रित करते हुए अपनी बात कहूंगी।

अभी नावां से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही कि मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवा वितरण योजना का शुभारम्भ किया, इसके लिए इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा और उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। निश्चित रूप से अच्छा काम करने के लिए बधाई के पात्र सभी होते हैं और अच्छा काम करने के लिए वे भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने नि:शुल्क दवाई योजना प्रारम्भ की। पर क्या आप यह बधाई जो है, माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी को उतने ही सम्मान से देना चाहेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजना प्रारम्भ की, जिसके कारण से आज हम सब इस योजना के तहत जितने भी पद हैं वे हम भर रहे हैं? जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजनाएं हैं, वे सब उसके कारण से लागू हो रही हैं। अच्छे काम के लिए बिलकुल आत्मा से धन्यवाद देना चाहिए, इस बात को मैं मानती हूं और मैं भी यह बात कहूंगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना का शुभारम्भ किया है, इसके लिए हम सब उनके ऋणी रहेंगे। परन्तु उस योजना को किस प्रकार से हमारे अधिकारी लागू कर रहे हैं, हमारे चिकित्सक लागू कर रहे हैं, मुख्य बात वहां पर है। क्योंकि जब कोई भी योजना पेपर्स में आती है और जब धरातल पर हम उस योजना को मूर्त रूप देते हैं तो उस पेपर्स में और धरातल में बहुत अंतर होता है। जितनी दवाइयों की सूची उन्होंने दी है, उन दवाइयों में से मात्र 40 परसेंट दवाइयां आज चिकित्सा केन्द्रों पर उपलब्ध हैं और कुछ लोगों को वे मिल रही हैं और कुछ लोगों को नहीं मिल रही हैं। कोई एप्रोच से जाता है तो मिल जाती हैं और एप्रोच से नहीं जाता है तो नहीं मिलती है। तो मेरा निवेदन है कि सभी गरीब

(श्रीमती अनिता भदेल)

वर्ग के लोगों को एक नजर से देखते हुए सभी के लिए समान दवा उनको उपलब्ध हों। जैसे ही वह वहां पर जाए, चाहे कोई कैंसर का पीड़ित हो, चाहे वह और दूसरे गम्भीर रोग से पीड़ित हो, उसको उतनी ही तत्परता से उपचार के लिए दवाई उपलब्ध होनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पूरे हिन्दुस्तान भर में बालिका भ्रूण हत्या को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है और यह तथाकथित पढ़े-लिखे लोगों में ज्यादा है क्योंकि गरीब के घर में जब एक कन्या जन्म लेती है तो वह उसको यह कहकर स्वीकार करता है कि यह ईश्वर की देन है। अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको जब यदि यह किसी तरह पता चल जाए कि उनके माता के गर्भ में कन्या भ्रूण पल रहा है तो वे किसी भी तरह से उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस कन्या भ्रूण को नष्ट नहीं किया जाए, इसके लिए जो प्रावधान इस बजट में किये हैं या जो दूसरे उपाय किये गये हैं उन उपायों को हम कैसे कठोरता से लागू कर सकें, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि यह समस्या आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी गम्भीर समस्या बनने वाली है, जब आपको बालिकाएं देखने को नहीं मिलेंगी। इस तरह की तीन-चार घटनाएं आपने पिछले दिनों अख़बार में पढ़ी होंगी कि किस तरह से बालिका को कोई लेने को, स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, उसकी खुद की मां भी कि ये मेरी बच्ची है। जोधपुर की घटना है। अजमेर में अभी कुछ दिनों पूर्व में यह घटना घटित हुई, किसी तरह से बधाई लेने के लिए जो स्टाफ था उसने यह कह दिया कि आपको बच्चा हुआ है। अब बच्चा का मतलब वे समझ गये कि लड़का ही हुआ है, लड़की तो हुई नहीं है। इस बात पर विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार उस स्टाफ को माफी मांगनी पड़ी और उनको जो उनके बेटी हुई थी, उनको देना पड़ा। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या की ओर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे।

इसके अतिरिक्त, मेरे अजमेर की बहुत सारी समस्याएं हैं। माननीय सभापति महोदय, अजमेर का जो मेडिकल कालेज है, वह अंग्रेजों के टाइम में स्थापित हुआ, 1878 ईस्वी में हुआ वह मेडिकल कालेज विक्टोरिया के नाम से स्थापित हुआ अजमेर में। आप देखिये, आज जिस भवन में वह कालेज संचालित हो रहा है, उस भवन को भी लगभग-लगभग 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इन 80 वर्षों के दरमियान जैसे-जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ीं, जैसे-जैसे हमारी जरूरतें बढ़ीं, उस तरह से उस भवन में नए विंग्स जुड़ते चले गये और आज की तारीख में वह भवन एक भूलभुलैया से कम नहीं है। एक आम आदमी, उसको पहुंचना होगा यदि फिजियोथेरेपी लैब में उसको जाना है तो उसको ढूंढते-ढूंढते वह पहुंच ही नहीं पाएगा; उसको आंख-कान-नाक वाली ओ.पी.डी. में पहुंचाना है तो वे वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा निवेदन सरकार से यह है कि यह मेडिकल कालेज जो इतना पुराना मेडिकल कालेज है, जिसके कारण से पूरे अजमेर सम्भाग की 80 लाख जनता उससे अपना इलाज करवाती है, उसके माध्यम से उपचार उनको मिलता है, ऐसे महत्वपूर्ण कालेज के भवन के लिए एक पूरा नया भवन बने। क्योंकि उसका टी बी हास्पिटल अलग है; जनाना हास्पिटल बहुत दूर है; इसके अतिरिक्त, उसका हृदय विभाग अलग है; दूसरा हमारा चाइल्ड यूनिटस जो है, चिल्ड्रन वार्ड है, वह अलग है, तो ये अलग-अलग होने से सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से नहीं हो पातीं।

इसके अतिरिक्त, वहां की जो सीवरेज लाइन्स हैं, जो टैंक्स हैं, वे 80 साल पुराने बने हुए हैं। आज हम यह कहते हैं कि हास्पिटल्स में इंफेक्शंस नहीं हों, इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए; वार्ड में इंफेक्शन नहीं फैले क्योंकि इंफेक्शन यदि होता है तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वह भी बीमार हो जाता है। लेकिन उस हास्पिटल की ये स्थिति है, उस भवन की कि सीवरेज का पानी चारों तरफ फैला रहता है। सीवरेज चोक है; टैंक्स की सफाई नहीं हुई है; जो वार्डस हैं, उनमें सीलन के कारण से सारा का सारा जो उसका प्लास्टर है वह आये दिन नीचे गिरता है; यूरिनल्स के पास वाले वाडर्स में तो इतनी बुरी स्थिति है कि हम रह नहीं सकते। वहां पर एक आम मरीज एक घंटे के लिए भी नहीं रूक सकता पर चूंकि गरीब को तो वहीं पर जाना है, इसलिए मजबूरी में वह वहीं पर जाता है।

तो मेरा निवेदन सरकार से है कि इस पूरे भवन के लिए हम कोई एक नई जगह देखकर, एक अच्छी मेडिसिटी के रूप में उसको स्थापित करना चाहिए ताकि हम लोगों को सुविधाएं दे सकें। खूब सारी मशीनरीज वहां पर हैं और डाक्टर्स भी वहां पर हैं लेकिन न्यूरो-फिजिशिएन जैसी पोस्ट वहां पर नहीं है। न्यूरो-सर्जन, सम्भाग का एक प्रमुख मेडिकल कालेज, जहां पर न्यूरो-फिजिशिएन की पोस्ट ही नहीं है, आप यह देखिये, जबकि हम सुपर स्पेशलिटी

(श्रीमती अनिता भदेल)

की बात करते हैं। जब हमारे यहां पर पद ही नहीं होंगे तो हम कैसे लोगों को उपचार उपलब्ध करवा पाएंगे?

इसके अतिरिक्त, यहां जितनी शय्याएं स्वीकृत हैं, उनके अनुसार यदि हास्पिटल चले तो निश्चित रूप से हम ठीक प्रकार से व्यवस्थाएं कर पायेंगे, लेकिन मरीज इतने आते हैं कि उनको डाक्टर लौटा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में वहां स्टाफ के साथ में आये दिन बदतमीजी होती है, क्योंकि कम स्टाफ होने के कारण से उन सब मरीजों को वे टाइम से अटेंड नहीं कर पाते। आखिरकार वे भी इंसान हैं, कितनी बार अपनी ड्यूटियां देंगे। पूरी रात जग-जगकर वे उपचार की कोशिश करते हैं, लेकिन कम स्टाफ होने के कारण से इतनी परेशानियां वहां हैं कि आये दिन मरीज के घर वालों और स्टाफ के बीच में झगड़ा होता है, आये दिन एफ आई आर दर्ज होती हैं। मेरा यहां जो माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि अजमेर में जो मेडिकल कालेज है, उस मेडिकल कालेज में टेक्निशियन के 10 पद, वार्ड ब्वाय के कम से कम 30 पद, नर्स ग्रेड सेकंड के 100 पद स्वीकृत करें ताकि लोगों को हम राहत दे पायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अभी एक विषय ही लिया है, मेडिकल कालेज। आप तो पूरे पौन घंटा बोले हैं। मैंने डिमाण्ड पर अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, इसके बावजूद आप घंटी बजा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, बहुत लम्बी संख्या है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं किसी अपने विषय से हटना नहीं चाहती हूं। मैं सिर्फ अजमेर की बात कहूंगी, अजमेर के अलावा कुछ नहीं कहने वाली हूं।

श्री सभापति: अब आप टायलेट्स पर, आप ऐसी-ऐसी बातें कर रही हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ऐसी कैसी बातें, आप जाकर तो देखिये हास्पिटल। माननीय मंत्री महोदय गये हैं।

श्री सभापति: आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन, चलिये, चलिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): देखिये माननीय मंत्री महोदय, अजमेर अपने आप में एक स्टेट हुआ करता था और उसके कारण से जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

उसको अधिकार मिले हुए थे, उन अधिकारों में सरकार धीरे-धीरे कटौती करती जा रही है। हमारे को अधिकार के रूप में, अजमेर शहर को, आयुर्वेद निदेशालय मिला, लेकिन धीरे-धीरे आयुर्वेद से यूनानी अलग हटा। अब यूनानी का निदेशालय जयपुर में बनने जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेद निदेशालय के अधीन जो हमारे लाइसेंस, अनुज्ञापन प्राधिकारी की एक पोस्ट हुआ करती थी, निदेशक को ही अनुज्ञापन अधिकारी बनाया जाता था, उस अनुज्ञापन अधिकारी का पद वहां से खतम करके जयपुर स्थानान्तरित किया गया है। अब पूरे राजस्थान के लाइसेंस यहां से जारी होंगे। मेरा निवेदन है कि अजमेर का जो हक है, अजमेर को देओ मत परन्तु जो अजमेर को पहले से मिला हुआ है, उसको छीनने का प्रयास तो सरकार नहीं करे।

एक और विषय में बोलना चाहूंगी कि जितने भी सहायक कर्मचारी हैं, उनके लिये गवर्नमेंट ने यह प्रोविजन किया हुआ था कि सहायक कर्मचारी यदि अपने खर्चे से और अपने अवकाश पर टेक्निशियन का प्रशिक्षण लेकर टेक्निशियन बनना चाहते हैं तो उनको उसकी अनुमति सरकार से दी जाती है। अब उनको आपने परमिशन दे दी, उन्होंने टेक्निशियन का कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद में आपके हास्पिटल में वे सारे के सारे टेक्निशियंस की पोस्ट पर ही काम कर रहे हैं, बहुत लम्बे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको ना तो उन पदों पर प्रमोशन दिया है, ना जो नई भर्ती हुई है, उसमें उनका कोई कोटा फिक्स किया है। जब आपने उनको परमिशन दी है, उन्होंने समय लगाया है, उन्होंने पैसा खर्च किया है तो फिर उनको क्यों नहीं आप टैक्नीशियन की पोस्ट पर प्रमोट कर देते? माननीय मंत्री महोदय, उन टेक्निशियंस की मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है, उनको आप टेक्निशियंस की पोस्ट पर पदोन्नत करने का काम करें।

इसके अतिरिक्त, अजमेर में एक जिला चिकित्सालय है, उस जिला चिकित्सालय में पी एम ओ की पोस्ट स्वीकृत ही नहीं है। जब भी जो सीनियर डाक्टर छुट्टी पर जाते हैं, या पिछले दिनों जो हड़ताल हुई, उस हड़ताल के दौरान डा. हेड़ा साहब को आपने बर्खास्त कर दिया, उनकी बर्खास्तगी के बाद में उसका इंचार्ज कौन बने? कोई जूनियर डाक्टर उसका इंचार्ज बनने के लिये तैयार नहीं है। नया भवन बना है, साढ़े तीन करोड़ की लागत से उस भवन को बनाया गया है। सारे इक्विपमेंट्स पिछली सरकार ने उसमें सृजित किये, लेकिन धीरे-धीरे आज की तारीख में वह भवन इस कदर अस्त-व्यस्त पड़ा है

(श्रीमती अनिता भदेल)

जैसे उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे वहां पर पी एम ओ की पोस्ट क्रियेट करें ताकि उस हास्पिटल की व्यवस्थाओं को हम सुन्दर बना सकें। इसके अतिरिक्त, 24 आवर उस हास्पिटल को रन करने के लिये मेडिकल आफिसर की पोस्ट और अन्य जे.एस. और एम.ओ. की पोस्ट क्रिएट की जायें।

इसके अतिरिक्त, जो बात आपने बार-बार कही है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, अब जननी शिशु सुरक्षा योजना में जब तक हम डाक्टर्स नहीं देंगे, जब तक हम नर्सिंग स्टाफ नहीं देंगे, तब तक कैसे हम डिलिवरी महिला, जो रात को वहां जाती है या सुबह जल्दी जाती है...? तो उसको डाक्टर 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिये। वह डाक्टर वहां तभी मिलेगा, जब आप वहां डाक्टर्स की व्यवस्था करोगे। जब डाक्टर्स वहां नहीं होंगे तो हम कैसे सुरक्षित मातृत्व की बात कर सकते हैं? हम सुरक्षित मातृत्व की बात कर ही नहीं सकते, जब वहां

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

डाक्टर्स नहीं होंगे तो। मेरा निवेदन है जिला चिकित्सालय अजमेर में सुरक्षित मातृत्व के लिये आप गायनिक की कम से कम वहां पर दो पोस्टें तो और बढ़ायें ताकि उस हास्पिटल को हम 24 घंटे तक चला सकें।

इसके अतिरिक्त, मेरे विधान सभा क्षेत्र के चन्दबरदाई क्षेत्र में बहुत लम्बे समय से एक शहरी चिकित्सालय की मांग उठती आई है। कम से कम 15-20 साल हो गये लगातार उस मांग को उठते हुए। वहां इसकी बहुत नितान्त आवश्यकता है। वह क्षेत्र हमारा जो जे एल एन हास्पिटल है, उससे लगभग चार-पांच किलोमीटर दूर पड़ता है और रास्ते में कभी भी कोई भी कैजुअलिटी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे वहां पर एक सिटी डिस्पेंसरी जरूर स्वीकृत करें, क्योंकि बहुत दिनों से लोग उसकी मांग करते आ रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब, माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया। आप बार-बार इतनी घंटी बजाते रहते हैं। आप जब खुद बोलते हैं तो खुद नहीं सोचते, पर जब दूसरा बोलता है तब आप इस बात को सोचते हैं कि समय जाया हो रहा है, जबकि हम तो विषय की बात कर रहे हैं, कोई इधर-उधर की बात कर ही नहीं रहे।

श्री सभापति: सम-अप करो। आप सम-अप करो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी बातें मैंने कही हैं, उनका जब आप जवाब दें, तब उनका उत्तर जरूर दें और जो चन्दबरदाई में सिटी डिस्पेंसरी की बात मैंने कही है, उस सिटी डिस्पेंसरी की स्वीकृति जरूर प्रदान करें।

श्री सभापति: श्रीमती बसन्ती मीणा।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर आज चर्चा हो रही है। मैं भी अपने को इसमें जोड़ते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के बारे में कुछ सुझाव व मांग रखना चाहती हूं। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, वहा जनजाति उप-योजना क्षेत्र के अन्तर्गत जाना जाता है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी से लोग परेशान रहते हैं तथा विशेषकर सी एच सी स्तर के चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञों एवं सर्जनों की कमी से जटिल प्रसव वाली महिलाओं का इलाज नहीं होने से जिला अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। इससे परेशानी और बढ़ जाती है।

सभापतिजी, टी.बी. का इलाज आसान होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में टी.बी. के बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर गहन विचार करने और उसके समाधान की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, राजकीय चिकित्सालय सलूम्बर 100 बेड का अस्पताल होने के बावजूद वहां पर सुविधाओं का अभाव होने से लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। मेरी मांग है कि वहां पर पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ एवं सुविधाएं बढ़ावें ताकि उप जिला मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।

सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पी एच सी को क्रमोन्नत कर सी एच सी बनाया जावें, यह मेरी मांग है। नेशनल हाइवे नम्बर-8 पर यह अस्पताल बहुत उपयोगी है, कारण कि यहां पर हाइवे के एक्सिडेंट वाले लोग भी बहुत आते हैं तथा जिला मुख्यालय का अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र के आयुर्वेदिक अस्पतालों एवं औषधालयों में कर्मचारियों की तनख्वाह के बराबर भी दवाइयां नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में इन औषधालयों का क्या होगा? नि:शुल्क दवा योजना लाभकारी है और इसकी पूरी मानिटरिंग होनी चाहिये।

सभापति महोदय, सी एच सी सराड़ा में एक्स-रे मशीन नहीं होने से लोगों को बहुत परेशानी होती थी। मेरे अल्प निवेदन पर, मंत्री महोदय, आपने एक्स-रे मशीन की स्वीकृति दी है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दस बजे तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दस बजे तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय दस बजे तक बढ़ाया गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर आपका और मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। जोधपुर शहर है, उसका जयपुर के बाद दूसरा नम्बर आता है। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के अन्दर तीन बड़े हास्पिटल हैं। सबसे पहले पुराने जमाने में, स्टेट के टाइम में जोधपुर में महिला बाग़ अस्पताल एवं पावटा अस्पताल था, उसके बाद एम.डी.एम. हास्पिटल, फ्रीडम हास्पिटल खुला था, फिर उसका नाम गांधी हास्पिटल रखा गया। उसके बाद, माननीय सभापति महोदय, जब ये गांधी हास्पिटल बना तो महारानी भटियाणी, महाराजा उम्मेद सिंहजी की बहू ने बड़ा भारी एतराज किया और कहा कि मर्दों के लिए तो आपने हास्पिटल बना दिया, औरतें कहां जायेंगी? उसकी सोच के अन्दर यह उम्मेद हास्पिटल भी बनाया गया। यह वह उम्मेद हास्पिटल है जिसका अपने आप में एक नाम है, मगर आज के दिन उस हास्पिटल की क्या दशा है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इतनी गंदगी है जिसका मैं क्या वर्णन करूं? अभी मैं कल ही जाकर आयी हूं, मैं फोटो भी लायी थी मगर मैं घर भूल गयी हूं, कल मैं टेबल करूंगी, कोई बाहर खड़ा नहीं रह सकता। कुछ लोग तो ऐसे थे, मेरे को हाथ पकड़ कर ले गये कि हम अन्दर कैसे जाएं। ये स्थिति उस हास्पिटल की है जो कि कभी एक ऐसा हास्पिटल था कि मक्खी क्या, मच्छर भी नहीं दिखता था। उस हास्पिटल की यह स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। ...(व्यवधान)...

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ऐसा है, मैं बोलूं, आप सुनो; आप बोलते हो तो मैं सुनती हूं। मैं कोई गलत बात नहीं करती हूं, मैं प्रैक्टिकल बात करती हूं, मैं हवा में बात नहीं करती हूं, यह ध्यान रखना आप। और मैं बोलूं वह आप सुनते रहो।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद एम.डी.एम. हास्पिटल बना। तो कुल-मिलाकर के तीन बड़े हास्पिटल हैं। मगर, माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट अस्पतालों के अन्दर तो इतनी बढ़िया हालत और जब मरने की स्थिति आती है तब ले आते हैं उम्मेद हास्पिटल। यह भी बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जब केस बिगड़ जाता है तब उम्मेद हास्पिटल के अन्दर ले आते हैं। फिर उम्मेद हास्पिटल का नाम हो जाता है कि इतने लोग, इतनी औरतें मरीं। अभी साल भर पहले प्रसूताओं की मौतें हुई थीं, उनमें, माननीय सभापति महोदय, करीब-करीब आठ-नौ औरतें ऐसी थीं जो कि प्राइवेट हास्पिटल से आयी थीं और उम्मेद हास्पिटल में आने के बाद उनकी मृत्यु हुई। माननीय सभापति महोदय, मेरा ऐसा सोच है कि जब प्राइवेट अस्पताल अपनी जिम्मेदारी खो देता है तब यहां ले आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि इस जोधपुर के अन्दर मेडिकल कालेज के अटैच्ड अस्पताल हैं एम.डी.एम., एम.जी.एच. व उम्मेद अस्पताल। फार्मेसिस्ट के सभी 24 पद रिक्त हैं। आप बताइये, क्या काम होगा? नर्सिंग कुल-प्रधानाचार्य का पद रिक्त है; नर्स श्रेणी तृतीय के 58 पद रिक्त हैं; नर्सिंग अधीक्षक का एक पद रिक्त है, लैब टेक्निशियन के पांच पद रिक्त हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 32 पद रिक्त हैं। क्या हास्पिटल में डाक्टर काम करेंगे? हम खींचते हैं डाक्टरों को, यह नहीं किया, यह नहीं किया; क्या करेंगे वे? उनके पास कोई पद ही नहीं है, सारे पद ही खाली पड़े हैं। अपने आप में नाम है जोधपुर के हास्पिटलों का, मगर यह हालत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आयी हूं वह क्षेत्र है सूरसागर। सूरसागर चौपासनी के सैटेलाइट अस्पताल के स्वीकृत पदों में से एक पर भी पद-स्थापन नहीं किया गया है, 39 पद दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, 39 पद आपने दिये हैं मगर एक भी पद आपने नहीं भरा। भरा हो तो आप अपना रिकार्ड देख लें भले ही। चौपासनी अस्पताल के अन्दर कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन का पद भी रिक्त है; प्रताप नगर अस्पताल में एम.ओ. का

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पद रिक्त है; सूरसागर अस्पताल में एस.एम.ओ. और एम.ओ. के पद रिक्त हैं। ये अस्पताल तो बिना डाक्टर के ही भगवान की कृपा से चल रहे हैं।

बात ऐसी है कि मुख्य मंत्री जोधपुर के हैं, अब हम किसी को कहें तो अपने आप को, खुद को शर्म आती है। भाई, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं और जोधपुर के जाये, जन्मे हैं और वे गांधीवादी हैं, मगर उनको दोनों आंखों से बराबर देखना चाहिए, वे दोनों आंख से बराबर नहीं देख रहे। उधर मण्डोर के अन्दर दो सैटेलाइट कर दिये, सूरसागर क्या किया? शहर क्या किया? गांधीवादी हो तो फिर गांधी के ही हिसाब से चलो फिर, ऐसे देखो।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): कितने वर्षों से कितने-कितने पद खाली हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कितने वर्षों से नहीं, तीन साल से ये पद खाली हैं। रिकार्ड मंगवा कर देखो। माननीय मंत्री महोदय, हमारे को पीड़ा है तब बोल रहे हैं, हर आदमी नहीं बोलेगा, पीड़ा है तब बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप ऐसे बीच में बोलोगे, मैं मेरी बात भूल जाती हूं।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): खाली पद होने से आपको इतना गुस्सा आ रहा है न तो कल ही भर दो कि जीजी के पूरे हो गये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे मांग है, सबसे पहले ...(व्यवधान) साहब, मैं तो कहती हूं, भले ही कब से खाली हों, आपकी ड्यूटी क्या बनती है? हर बात, हर समय यही होता है, वह नहीं किया, वह नहीं किया; आप कुछ करो न; हम तो नहीं किया कुछ भी, चलो, आप तो करो कुछ। आपको कौन मना कर रहा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): महारानी को बहू क्यों कहा आपने?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या हुआ? क्या बोले, वापस बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उम्मेद सिंहजी की महारानी को आपने बहू कह दिया, ये गड़बड़ हो गयी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): बहू नहीं कहा है; दरबार है, महाराजा उम्मेद सिंहजी बहू, ऐसे बोली हूं; हां, रानी भटियाणी बोला है; आप सुनो अच्छी तरह से। महाराजा स्वर्गीय उम्मेद सिंहजी की रानी भटियाणी। अगर मैंने बहू भी कह दिया तो कोई गलत नहीं, चलो।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, मेरी यह मांग है कि रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाय ताकि काम करने में कुछ आसानी रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र सैटेलाइट अस्पताल की घोषणा, स्वीकृति निकलने के एक वर्ष से ज्यादा की अवधि होने के बावजूद आज तक न तो किसी को पद दिया है, न कोई वहां पर काम हुआ है। पैसे भी सैंक्शन हो गये, वह भी कुछ नहीं हुआ और सैटेलाइट डिस्पेंसरी के रूप में चल रहा है मगर है वहां कुछ भी नहीं। यहां तक कि, माननीय सभापति महोदय, जमीन पड़ी है, हाउसिंग बोर्ड से जमीन मांग रहे हैं, वह भी ये नहीं दिलवा रहे हैं। वह कोई मेरे घर की तो जमीन है नहीं कि मैं अभी दे दूं; मेरे पास जो फण्ड है, मैंने दे दिया, दो-तीन कमरे बनवा दिये। अब ये वह जमीन भी नहीं दिला रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड से तो सब काम रुका हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, 15 सेक्टर, इस औषधालय को इन्होंने 50 शय्याओं का सैटेलाइट बनाया, बहुत प्रशंसा करती हूं, धन्यवाद दिया मुख्य मंत्रीजी को मगर है कहां? है कागजों में। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, सारा कागजों में है। मंत्रीजी बैठे हैं, आप भले अलग से बात करके पूछ लो, आज तक यहां कोई पद-स्थापन नहीं हुआ है, है जैसे की जैसे पड़ा है। साल भर हो गया, है जैसे की जैसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत मजे की बात सुनाऊं। यह जो राजबाग और सूरसागर, उसको भी किया है और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड को किया है, तो यह सरकार का भी कोई अहसान नहीं है, यह तो खनन का टैक्स आता है वह दिया है हमको। तो यह इनका भी कोई अहसान नहीं है कि यह कर दिया है। वह खनन के पैसों से किया है इन्होंने। वह भी अभी तक नहीं दे रहे हैं, सभापति महोदय। इसलिए चौपासनी एवं कमला नेहरू नगर, हाउसिंग बोर्ड, सूंथला पाल गांव, चौपासनी गांव, पश्चिमी पाल रोड योजना के समस्त 50 हजार से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले अगर ये इसकी कर दें और इसकी व्यवस्था करें तो इतना लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक मांग है कि चांदपोल क्षेत्र की कच्ची बस्तियों की निर्धन और समाज की वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए चांदपोल डिस्पेंसरी में मातृ-शिशु, पहले वहां पर डिलिवरी होती थीं और सारी व्यवस्था थी, वह बंद हो गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

से मंत्रीजी से मांग कर रही हूं कि उस डिस्पेंसरी की प्रसूति इकाई पुन: प्रारम्भ की जावे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पहले कब होती थीं, यह तो बताओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पहले होती थी पांच साल, छह साल पहले, आपके टाइम में होती थीं, अब बंद हो गयी।

प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में निरन्तर रोगी, परिजन और डाक्टरों। स्टाफ के बीच हंगामे की स्थिति क्यों होती है? माननीय सभापति महोदय, जब देखें तब हंगामे की स्थिति होती है और सबसे पहले मैं वहां पहुंच जाती हूं। जैसे ही हंगामा हुआ, समझौता कराना है किसी तरीके से। सरकार को कई बार मैंने ऐसे मेरे सुझाव भी दिये हैं, पत्र भेजकर कि चिकित्सा सेवा का गठन किया जावे, कोई आई ए एस आफिसर, वगैरह लगाएं जिससे इनको डर भी रहेगा और काम भी अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, इसका परीक्षण किया जावे, तत्काल रूप से सरकारी अस्पतालों में प्रशासक नियुक्त किये जावें। यह मेरी मांग है कि आप ऐसा करिए। मैंने इनको पत्र भी लिखा है।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नवीन आधुनिक उपकरण लगाये जावें। इन उपकरणों को, उपकरण तो खूब लगा देते हैं मगर इनको चलाने वाला तो आना चाहिये। जैसे कि हमारे मंत्रीजी बहुत अच्छी पर्सनलिटी वाले हैं बहुत हंसमुख हैं, चाहते भी हैं, मगर काम नहीं होता है। मारवाड़ी में कहावत है 'बेटी तो फुट्टी री है पण घर में कहवां कि काम तो करे ही कोनी', तो वह बात हो गयी। मंत्रीजी बहुत हंसमुख हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं मगर कोई काम तो हो तब ना।

एक माननीय सदस्य: ईमानदार हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, ईमानदार भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, यह भी कहने को तैयार हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे टोकना मत क्योंकि आप जैसे ही टोकोगे, मैं सब भूल जाऊंगी मेरी बात। सबसे ज्यादा पीड़ित मैं हूं। मैं इसलिये पीड़ित हूं कि सूरसागर की स्थिति बड़ी खराब है। मेरे पास कभी भी रात को, सुबह 4 बजे, 2 बजे भी फोन आ जाता है कि मेरे साथ चलो, हमारे डिलिवरी का केस है, आप उम्मेद हास्पिटल पहुंचो। मैं रात को भी पहुंच जाती हूं। मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा यह होती है, स्थिति देखकर मैं खुद बरदाश्त नहीं कर सकती, मैं बहुत भावुक हो जाती हूं। मैंने वह जमाना देखा है और अब यह

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जमाना देखती हूं। वहां जाते ही नर्स क्या बोलती है और ट्राली ले जाने वाली क्या बोलती है मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए मैं मेरी सारी पीड़ा कहना चाहूंगी। यह तो मेरे को मालूम है कि काम तो होगा, जैसे ही होगा मगर मेरी बात तो कहूं कम से कम। वास्तव में राजा-महाराजाओं का समय देखा था, यह बात मेरे को बहुत लगती है इसलिए।

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगाये जा रहे हैं परन्तु उन उपकरणों को चलाने वाला कौन है? चलाए कौन, लाए कौन, आदमी लगाए नहीं। मेरी मांग है कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में इन जांच उपकरणों के संचालन के लिए विशेष सहायता एवं तकनीकी स्टाफ के पद सृजित कर नियुक्ति की जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरी आंख में थोड़ी तकलीफ है, नीचे देखती हूं तो तकलीफ होती है। मेडिकल कालेज लेवल के अस्पतालों में बायो-मेडिकल इंजीनियर के पद सृजित कर पदस्थापन किया जावे।

पैथोलाजी पर निर्भरता के चलते हमारी परम्परागत चिकित्सा पद्धतियां गौण हो गई हैं। मेरी मांग है कि प्रदेश में आयुर्वेदिक, होम्योपेथी, नैचुरोपेथी, योग चिकित्सा पद्धतियों का विकास किया जाए। मेरी मांग है कि सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के जगदम्बा आयुर्वेद अस्पताल को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप घंटी मत बजाना, घंटी बजाओगे तो भी मैं मेरी पूरी बात कहूंगी, ये नोट करें या ना करें। सीधी बात है, मैं मेरी बात पूरी कहूंगी तब बैठूंगी, पूरी किए बगैर बैठूंगी नहीं।

माननीय, हमारे स्थानीय संगीत में लय, ताल प्रयोग से रोग निदान की भरपूर सम्भावना है। मेरी मांग है कि प्रदेश में इस बाबत शोध हो जाए। प्रदेश चिकित्सा में विभिन्न रागों में तुतुबागो का संगीत नृत्य है, वह बजाया जावे और इसी के साथ रागों की संगत के भी प्रयोग किये जाएं। मेरा दावा है कि कई सारे मनोरोगी, ऐसे लोग और बच्चे जो वहां पर एडमिट हैं, उनको सही प्रयोग से ठीक किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरी यह भी मांग है कि ब्लड बैंक में एड्स रोग की NAT तकनीक से जांच हेतु आधुनिक जांच मशीनों की अविलम्ब स्थापना हेतु राज्य के किसी भी सरकारी ब्लड बैंक में व एड्स जांच हेतु आधुनिकतम नेट मशीनें एवं तकनीकी काम में नहीं ली जा रही है और

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

वर्तमान में उपयोग में ली जा रही एलिजा तकनीक विंडो पीरियड में एड्स वायरस को डिटेक्ट कर पाने में असमर्थ है। यही कारण रहा कि जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित पांच में से दो बच्चे एड्स पीड़ित हो गये हैं। न जाने, आज भी कितने संक्रमित खून चढ़े निर्दोष व्यक्ति इस जानलेवा अज्ञात रोग के शिकार हो रहे हैं। अत: आप अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर गम्भीरता दिखाते हुए राज्य के सभी ब्लड बैंक में विंडो पीरियड में जांच हेतु आधुनिक नेट मशीनों की अविलम्ब स्थापना करावें और इसका आरम्भ मुख्य मंत्री महोदय के गृह जिले के मेडिकल कालेज से करावें।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में कितना बड़ा हादसा हुआ था। महिला गहन चिकित्सा इकाई में आई सी यू नहीं है, मेरी मांग है उम्मेद अस्पताल में आई सी यू हो। सम्भागीय मुख्यालय अस्पताल में अत्यन्त खेद का विषय है कि महिला गहन चिकित्सा इकाई विकसित नहीं है। आपात परिस्थितियों में जब केस बिगड़ता है तो प्रसव के दौरान किसी माता को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल जाना पड़ता है। एक तरफ तो प्रसव के दौरान माता को तीव्र रक्त बह रहा होता है, दूसरा, महात्मा गांधी अस्पताल प्रसूति सुविधा सम्पन्न नहीं है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाना किसी भी अप्रिय स्थिति का कारण बन सकता है। अत: सरकार से निवेदन है कि मुख्य मंत्री के गृह जिले के उम्मेद अस्पताल में महिला गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाये।

मेरी आपसे मांग है कि सूरसागर क्षेत्र प्रताप नगर के अन्दर प्रभुतानन्द हास्पिटल है उसको सैटेलाइट बनाया जाए ताकि वहां जो निवासी रहते हैं, कच्ची बस्ती वाले रहते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कालीबेरी सब-सेण्टर को क्रमोन्नत किया जाये। इसी तरह से सूरसागर में कालीबेरी से उम्मेद हास्पिटल, तो इस तरीके से उसको अपग्रेड करें। चौपड़ पर स्वास्थ्य केन्द्र है लेकिन सी एम एच ओ के यहां कोई रजिस्टर में नहीं है। कोई सम्भाल ही नहीं रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इतना पुराना स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको तो मान नहीं रहे।

श्री सभापति: सबसे लम्बा...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप देखिये, कितना टाइम हुआ है, 10 मिनट भी नहीं हुए।

श्री सभापति: आपको मैं बता दूंगा, यह सूरसागर ही सूरसागर छा रहा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): तो सूरसागर, जिस क्षेत्र से आऊंगी उसी की बात करूंगी। दूसरी बात क्यों करूंगी?

श्री सभापति: हो तो गया ना अब तो?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): दूसरी बात क्यों करेंगे? जो क्षेत्र पीड़ित है...

श्री सभापति: पूरा हो गया अब तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): 125 कच्ची बस्तियां हैं, कितने लोगों को वहां पर तकलीफ है...

श्री सभापति: अब आप...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): बात आपके सामने नहीं रखेंगे तो क्या होगा? 3 साल में भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो मैं क्या करूंगी? जमीन नहीं दे रहे अभी तक।

श्री सभापति: आप तो विराजो। आप तो विराजो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): बाथरूम नहीं दे रहे हैं, तो कहां जायेंगे?

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): जोधपुर जिले में भोपालगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी जोधपुर जाती हैं। जीजी को पूरी बात बोलने दो, जोधपुर जिले की बात है।

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्री सभापति: इनके तो मुख्य मंत्रीजी भी हैं, चिकित्सा मंत्रीजी भी हैं, सारा सदन इनके लिए है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, आप हमें यहां बोलने से मत रोको। अब काम होने पर रोक लगती है, तो बोलने तो दो न। क्यों रोक रहे हो?

श्री सभापति: आप बोलेंगे एक घंटा कि कितना? यह बता दो आप। आधा घंटे? एक घंटा? आप बता दो, फिर मैं...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, मेरे को घंटा-दो घंटा नहीं बोलना, मैंने तो मेरी बात है जो कही है। मैं मेरी बात कहना चाहती हूं। मेरे को मालूम है तीन साल में भी अगर नहीं हुआ, तो देखती हूं, कितना हो जाए, तो ठीक है। मैं मेरी बात तो कम से कम कहूं। आखिर वहां के लोगों को तकलीफ है।

श्री सभापति: आप कहें, जल्दी से जल्दी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं तो अनुशासन को मानने वाली हूं, आपने कहा तो मैं तो बैठ जाऊंगी।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप बोल लो। बाकी रह गया तो बोल लो। बाकी है तो बोल लो आप।

(20.00 बजे)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्रीजी आश्वासन दे रहे हैं। मंत्रीजी आश्वासन दे रहे हैं।

श्री सभापति: बाकी रह गया हो तो बोल जाओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप आश्वासन दिलवा दो। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में सैटेलाइट अस्पताल है, उसके लिए तो कम से कम यह कह दें कि महीने भर में कर दूंगा और आगे जो करें, उसके लिए अपनी घोषणाएं में बोल जायें। बस और कुछ नहीं कहना है मुझको। मुझे इतना ही कह दो आप, मैं इतने में ही खुश हूं। जो आपकी पुरानी घोषणा है, उसको पूरी करने के लिए तो आप कह दो और नई हैं, उसके लिए मैं अपने भाषण में बोलूंगा, तब कह दूंगा, मैं आपसे इतना ही चाहती हूं।

आपने मुझे समय दिया, मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद दे रही हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और इन तीन वर्षों में हमारी राजस्थान सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिये, यह राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। आज जो स्कीमें देखें, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, स्टेट बी पी एल योजना और जननी सुरक्षा योजना, ये अपने आप में

(श्री मेवाराम जैन)

ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा लिये गये हैं, जिनसे राजस्थान की गरीब जनता, जो झोंपड़ों में और कच्ची बस्तियों में, गांवों में, दूर-दराज में बैठी थी, उनके लिए तोहफा दिया है। आज प्रतिदिन राजस्थान में दो लाख लोगों को इसमें मुफ्त दवा मिलती है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। अभी सभी इस पर चर्चा भी कर रहे थे और वास्तव में यह योजना तारीफ लायक है। आलोचना करने के लिए भले ही जरूर आलोचना करें, परन्तु इतनी महत्वपूर्ण योजना जब शुरु हुई, उसमें संशय पैदा हो रहे थे, कई साथी कह रहे थे कि यह योजना चलेगी नहीं, फेल हो जायेगी, दवाइयां उपलब्ध नहीं होंगी, परन्तु मैं कहना चाहूंगा, इतनी आलीशान योजना चल रही है। जो लोग बाहर से आते हैं अस्पताल में, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, दवाई के लिए पैसे कहां से आये, उनका मुफ्त इलाज होता है तो कितनी दुआ हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार को देते हैं, यह सबको विदित है।

राजस्थान की सरकार ने इन तीन वर्षों में महत्वपूर्ण निर्णय लिये, चाहे नई सी एच सी खोलनी, पी एच सी खोलनी, नये सब-सेंटर, सब-सेंटर्स की बिल्डिंग्स, डाक्टर्स की भर्ती, ए एन एम की भर्ती, नई एम्बुलेंस, चाहे जितनी भी अन्य योजनाएं और इस बजट के अन्दर जितनी भी घोषणाएं कीं, सारी बहुत ही तारीफ के लायक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जितना कार्य हुआ, उतना आज तक कभी नहीं हुआ। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं इस मौके पर ज्यादा लम्बा नहीं बोलता हुआ, इतना ही कहूंगा कि जो योजनाएं हैं, इनकी हम सब मिलकर आलोचना मात्र नहीं करें, आम गरीब को हम किस तरह लाभ दे सकें, इन स्कीम्स का कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को दे सकें, पार्टी से ऊपर उठकर हम गरीब की सेवा किस प्रकार से कर सकें, इसमें हम सहयोग करें ताकि ये आलीशान योजनाएं गरीब तक मिले।

मैं इस मौके पर, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनसे बाड़मेर जिले के बारे में जरूर बात करूंगा कि हमारे बाड़मेर अस्पताल में डाक्टर्स की कमी है। मैंने काफी समय से, पहले भी निवेदन किया कि गांवों में पी एच सी और सी एच सी में डाक्टर जरूर लगे हुए हैं परन्तु बाड़मेर का जिला हैडक्वार्टर अस्पताल है, उसके अन्दर अधिकांश, आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। सीनियर स्केल के पद छह में से चार रिक्त हैं, जूनियर स्केल के

(श्री मेवाराम जैन)

डाक्टर्स के पद 17 में से 12 रिक्त हैं; एम.ओ. 30 में से 12 पद रिक्त हैं। आर्थोपेडिक; हड्डी विशेषज्ञ का तो पद खाली है। माननीय मंत्री महोदय बाड़मेर आये थे, उस समय भी बाड़मेर की जनता ने मांग रखी थी और आपने कहा था कि हम तुरन्त भर देंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बाड़मेर अस्पताल में पद रिक्त हैं, उनको तुरन्त भरें ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। बाड़मेर जिला हैडक्वार्टर अस्पताल में हैं, जहां लिग्नाइट के अथाह भण्डार है, तेल के अथाह भण्डार हैं और वहां दो-दो नेशनल हाइवे की रोड्स भी पास से निकल रही हैं, कई एक्सिडेंट्स होते हैं। वह बहुत ही बड़ा अस्पताल है, इसलिए इसमें डाक्टर्स के पद भरें।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, बाड़मेर में ट्रोमा सेंटर नया बना, उसका उद्घाटन भी हुआ, इसमें स्टाफ नहीं होने की वजह से अभी वह कार्य चालू नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक साल हो चुका है, बन्द पड़ा है, इसको भी आप चालू करायें। आपने इसका उद्घाटन भी कर दिया था। इसको चालू करायें ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके।

इसके साथ-साथ डाक्टर्स की कमी को हम कैसे पूरा करें, इसके बारे में काफी चर्चा हुई। यहां बड़े-बड़े शहरों के नजदीक तो डाक्टर्स लग जाते हैं परन्तु जहां हमारा बोर्डर एरिया है, वहां पर नहीं जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप 60,000 रुपये स्पेशलिस्ट को देते हैं, उनको यहां आप भर्ती करते हैं, उसकी बजाय जिला स्तर पर एक कमेटी बनाकर, कलक्टर की अध्यक्षता में, वहां आप उनको परमिशन दे दें कि वहां कोई जिला में लगना चाहें तो उनको लगा दें। तो वहां यह जो पदों के रिक्ति की समस्या है, उसका समाधान हो सकता है। ऐसे ही ड्राइवर्स और फोर्थ क्लास के भी पद रिक्त पड़े हैं। तो इसमें भी कमेटी के माध्यम से, भले ही टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए करें, चाहे कैसे भी करें, ताकि उनकी मेन समस्या का समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो अभी इस बजट के अन्दर 100 पी एच सी खोलने का निर्णय लिया है, इसको बढ़ाया जाये और कम से कम 200 की जायें। एक-एक विधान सभा क्षेत्र में जहां आवश्यकता है, दो-दो पी एच सी खोली जाये और उसमें मैं निवेदन करूंगा कि मेरे बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में एक तो नोंद में खोली जाये और दूसरी बेरीवाला तला, जहां डोनर है, जो बिल्डिंग बनाने के लिए 60 लाख रुपये

(श्री मेवाराम जैन)

अपने खुद के देने को तैयार है, उस जगह स्वीकृत करें ताकि लोगों को राहत मिल जाये। दानदाता बिल्डिंग बनाकर दे देगा, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

जो सब-सेंटर आपने अभी खोले हैं, तो मैं इसमें भी निवेदन करना चाहूंगा, इनको दो साल में नहीं करते हुए इसी वर्ष में करें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम खूब हो रहे हैं। स्टाफ की वजह से, जो सारी समस्या बता रहे हैं, चाहे मुख्य मंत्री मुफ्त दवा के अन्दर भी समस्या स्टाफ की ही आ रही है। अब ओ पी डी बढ़ गई, जो मरीज पहले आ रहे थे, उससे दुगुने हो गये और उसमें डाक्टर भी परेशान, स्टाफ कम है ही और फिर उनकी जो पहले प्रैक्टिस जमी हुई थी, मेडिकल में उनको क्या-क्या कमीशन, वगैरह मिल रहा था, इसकी वजह से वे परेशान होकर, सर्विस छोड़कर जाना भी चाह रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्टाफ की भर्ती के लिए आप पूरा प्रयास करें और जल्दी से जल्दी स्टाफ की भर्ती करें।

108 एम्बुलेंस अभी 200 बजट में ली हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला हैडक्वार्टर अस्पताल है, इसमें केवल एक ही एम्बुलेंस है, अतः उप-खण्ड पर एक और दी जाये। वहां मरीजों की समस्या रहती है, एक्सिडेंट्स हमेशा होते रहते हैं; ऐसी स्थिति में यहां के लोगों को राहत मिल सके।

मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो रिक्त हैं और मेडिकल मुफ्त, बढ़िया मिल रही है। इसमें जो कुछ आने में, वहां अस्पताल तक पहुंचने में कुछ समय लगता है उस पर थोड़ा ध्यान रखकर जल्दी से जल्दी, समय पर वहां दवाई मिल जाय, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मुझे समय दिया बोलने का, तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. विश्वनाथ मेघवाल।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग संख्या 26 पर आज जो चर्चा हो रही है, राजस्थान के स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में मैं बताना चाहूंगा। राजस्थान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट जो इस वक्त हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान का स्वास्थ्य सूचकांक हिसाब से बहुत ही अधिक है। चिकित्सा

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

सेवाएं जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 32 है, इसके विरुद्ध राजस्थान में अभी जो शिशु मृत्यु दर है, 55 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी और मदर मोर्टेलिटी रेट 148 का जो हमारा लक्ष्य है, इसके विरुद्ध राजस्थान में 318 है। जनसंख्या वृद्धि दर भी 1.2 प्रतिशत जो हमारा लक्ष्य है, इसके विरुद्ध 2.14 है। प्रिवेंटिव मेजर्स में भी, टीकाकरण की बात करते हैं हम, टीकाकरण के क्षेत्र में भी राजस्थान बहुत पीछे है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, जितनी भी हमारी पी एच सी, सी एच सी हैं, उनमें जो स्टाफ की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे माननीय पक्ष के सदस्य बोल रहे थे, विपक्ष में भी यह बात आती है, पी एच सी, सी एच सी पर जो पद होने चाहिए, सभी पद रिक्त पड़े हैं।

तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जो चिकित्सा व्यवस्था है, वह बहुत बदतर होती जा रही है। पोपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस पोपुलेशन के हिसाब से डाक्टर व पैरा-मेडिकल स्टाफ का जो रेश्यो होना चाहिए, वह आज भी राजस्थान में नहीं है। ढाई हजार पर एक डाक्टर होना चाहिए लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, पन्द्रह हजार पर एक डाक्टर है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे पक्ष के सदस्य हैं, बार-बार कहते हैं कि हमने यह कर दिया, वे कर दिया, शिशु जननी सुरक्षा योजना हमने लागू कर दी, 108 हमने लागू कर दी; मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी योजनाएं हैं, माननीय वसुंधराजी के समय से लागू की हुई हैं। शिशु जननी सुरक्षा योजना में इन्होंने कोई अलग से कार्य नहीं किया है; 108 की भी बात हम कर लेते हैं, 108 में भी इन्होंने कोई अलग से कार्य नहीं किया है, जरूर 108 की गाड़ियों की जो संख्या है वह बढ़ाई गई है लेकिन हमें जैसी सुविधा 108 में मिलनी चाहिए वह आज भी हमें नहीं मिल रही है। 108 में भी जो अन्दर उसमें हमें इक्विपमेंट, जो हमारे उसके अन्दर प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत होती है, वह भी आज नहीं है। 108 एम्बुलेंस, एक पेशेंट को तीन एम्बुलेंस हैं, शिफ्ट किया जाता है। ज्यादातर 108 एम्बुलेंस प्रेग्नेंट महिलाओं को ही लेकर आती हैं और मेडिकल जो छोटी-मोटी बीमारियां है उनको लेकर आती हैं; जहां हमें जरूरत पड़ती है उस वक्त 108 एम्बुलेंस हमें नहीं मिलती। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं एक मेडिकल डाक्टर हूं और मैंने कई बार 108 एम्बुलेंस की जरूरत महसूस की, मैंने भी फोन करके देखा लेकिन 108 एम्बुलेंस हमें भी नहीं उपलब्ध होती है।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आज हम मेडिकल शिक्षा की बात करते हैं, मेडिकल शिक्षा में हमारे जितने भी पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेंट पी जी करते हैं, वे पी जी करने के बाद, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज से पी जी करते हैं, पी जी करने के तुरंत बाद वह प्राइवेट हास्पिटल में चला जाता है। सरकार उनका खर्चा वहन करती है लेकिन उनकी जो सेवाएं हैं, वे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पातीं। तो मैं यह सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे सी ए एस डाक्टर लगे हुए हैं, जितने भी, उनको ज्यादा से ज्यादा पी जी करवाई जाये जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में उनको, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो मेडिकल की सुविधा है वह लोगों को उनको मिल सके।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेडिकल कालेजेज में भी, जितने भी मेडिकल कालेज हैं, चाहे जयपुर का है, चाहे जोधपुर का है, चाहे वह अजमेर का है, चाहे कोटा है, चाहे बीकानेर है, सभी मेडिकल कालेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद आज भी रिक्त पड़े हैं। उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, राजस्थान के मेडिकल कालेजेज की। जब भी कोई एम सी आई का इंस्पेक्शन होता है तो एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर को इधर-उधर शिफ्ट करके इंस्पेक्शन करवा लिया जाता है। लेकिन पद आज भी खाली पड़े हैं, किसी प्रकार के वे पद भरने की सरकार की कोई मंशा नहीं रहती।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सुपर स्पेशलिस्ट के जितने पद होने चाहिए, वे आज भी हमारे राजस्थान में नहीं हैं। सुपर स्पेशलिस्ट में सिर्फ 81 सीटें ही हमारे राजस्थान में हैं, जिनमें से 44 सीटें जयपुर में हैं। मैं बीकानेर के बारे में कहना चाहूंगा कि सिर्फ 4 सीटें ही वहां सुपर-स्पेशलिटी की हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कालेजेज में भी, जैसे प्राइवेट मेडिकल कालेज में आप अनुमति देते हैं, उसमें डोनेशन की जो व्यवस्था है, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कालेजेज में भी डोनेशन सीटें होनी चाहिए जिससे कि उस मेडिकल कालेज का स्तर सुधर सके और पैसे आयें उनमें भी। हम प्राइवेटों को तो इतनी अनुमति दे देते हैं कि वे चाहे जितना डोनेशन ले लेती हैं लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कालेज में सरकार भी पैसा नहीं देती अपनी तरफ से, और उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो आज मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कालेजेज में भी सुपर स्पेशलाइजेशन के पद बढ़ें, डोनेशन के माध्यम से सीटें हों, कुछ परसेंटेज डोनेशन का हो जिससे कि गवर्नमेंट मेडिकल कालेजेज की स्थिति का सुधार हो सके।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

सभापति महोदय, मैं बीकानेर मेडिकल कालेज और पी बी एम की बात करूंगा। बीकानेर में हमारे प्रोफेसर के स्वीकृत पद 47 हैं जबकि वहां पर आज भी 14 पद रिक्त पड़े हैं; एसोशिएट प्रोफेसर के 82 पद हैं उसमें 28 पद रिक्त पड़े हैं; असिस्टेंट प्रोफेसर के 104 पद हैं, 42 पद रिक्त पड़े हैं। एएनएम ग्रेड फर्स्ट के 111 पद हैं, 66 पद रिक्त पड़े हैं। ए एन एम सेकंड के 575 पद हैं जिसमें से 170 पद रिक्त पड़े हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, कौनसी मेडिकल का स्तर आप सुधारना चाहते हैं? इतने-इतने पद हमारे क्षेत्र में पद रिक्त पड़े हैं। एक मेडिकल कालेज की बात कर रहा हूं, जबकि यह पूरे राजस्थान में चाहे कोई सा मेडिकल कालेज आप ले लें, सब मेडिकल कालेजों की यही स्थिति है।

सभापति महोदय, मैं बीकानेर की बात करूंगा, बीकानेर में ब्लाक सी एम एच ओ पद से लेकर खाजूवाला ब्लाक सी एम एच ओ पद, हमारे बीकानेर का सी एम एच ओ पद, हमारे बीकानेर का ज्वाइंट डाइरेक्टर पद, मेडिकल कालेज का सुपरिंटेंट का पद, मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल का पद, सभी पद रिक्त पड़े हैं। सरकार कहती है, हमने यह उपलब्धि कर ली; कौनसी उपलब्धि की बात सरकार करती है, सभी पद हमारे बीकानेर के खाली पड़े हैं।

मैं बात करूंगा न्यूरो-सर्जन की, बीकानेर का एक मात्र एक ऐसा हास्पिटल है, जो पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा हास्पिटल है, कई जिलों के पेशेंट वहां पर आते हैं, हरियाणा, पंजाब से भी पेशेंट आते हैं, एक्सिडेंट के केस भी बढ़ने लग गये लेकिन आज बीकानेर में न्यूरो-सर्जन की स्थिति भी वही है। बीकानेर में न्यूरो-सर्जन नहीं होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को तो दम तोड़ना पड़ता है। सरकार कहती है कि हम यह सुविधा दे रहे हैं, यह सुविधा दे रहे हैं लेकिन मैं डाक्टर होने के नाते कई बार हास्पिटलों में जाता हूं, लेकिन न्यूरो-सर्जन के अभाव से, वहां पर मात्र एक न्यूरो-सर्जन है उसकी वजह से टवेन्टी-फोर-ऑवर्स वह उसमें लगा रहता है लेकिन वह पूरी सेवा नहीं दे पाता। इसलिए मैं सरकार को यह कहना चाहूंगा कि न्यूरो-सर्जरी और सुपर स्पेशलिटी के पद ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कालेज में हों जिससे कि पूरी जनता को वह मिल सके सुविधा मिल सके।

बीकानेर पी बी एम हास्पिटल की बात करूंगा, बीकानेर पी बी एम में हमारे जो लिफ्ट है, लिफ्ट सिस्टम, वे दो लिफ्ट हैं, दोनों काफी समय से खराब पड़ी हैं। मरीजों को ऊपर आपरेशन थियेटर में ले जाने में बहुत सारी

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

परेशानी होती है। मैं और हमारे माननीय सदस्य बीकानेर से आने वाले, गोपालजी ने भी कई बार मांग कर ली लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। बीकानेर पी बी एम हास्पिटल की सफाई की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। बीकानेर में सी टी स्कैन की बात करें हम, कई बार इतनी इमरजेंसी होती है, बीकानेर में सी टी स्कैन, एम आर आई की जो मशीनें हैं, वे प्राइवेट ठेके पर दे दी हैं जबकि बीकानेर में हमारे पी बी एम हास्पिटल में दो सी टी स्कैन मशीनें रनिंग में नहीं है; दो सी टी स्कैन मशीनें थीं लेकिन गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने वहां पर दोनों मशीनों को डम्प कर दिया। आज तीन करोड़ की मशीनें डम्प पड़ी हैं और जब भी कोई इमरजेंसी केस आता है तो उनको लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो सी टी स्कैन होता भी नहीं है और पेशेंट दम तोड़ देता है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं आज इस सदन के माध्यम से, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, हमारी जो दो सी.टी. स्कैन मशीनें हैं उनको इमरजेंसी के लिए तो तैयार किया जाए ताकि इमरजेंसी में जब भी कोई पेशेंट आयें, उनको वह सुविधा मिल सके। ऐसी स्थिति में हमारी जो सी टी स्कैन मशीनें पड़ी हैं, उनको डम्प नहीं करें और उनको यूज में लें।

मैं ट्रोमा सेंटर की बात करता हूं। बीकानेर में जयपुर हाइवे रोड भी है, गंगानगर हाइवे रोड भी है और जैसलमेर हाइवे रोड भी है, इन तीनों हाइवे रोड्स पर ट्रोमा सेंटर नहीं हैं। बीकानेर का ट्रोमा सेंटर 3 साल से अण्डर-कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन वह भी कार्य नहीं कर रहा है। वहां हमारा ट्रोमा सेंटर भी है, न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर भी है, यूरो सेंटर भी है, तीनों सेंटर वहां खोले जा रहे हैं लेकिन पैसे की वजह से वहां कार्य धीमा हो रहा है। इससे कोई भी सेंटर अभी तक वहां रनिंग में नहीं आया है जिससे पूरे बीकानेर क्षेत्र में जितने भी एक्सिडेंट केस आते हैं, उनके सामने बड़ी प्रोब्लम होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी बीकानेर का ट्रोमा सेंटर स्टार्ट किया जाए।

मोबाइल मेडिकल वैन, हमारे बीकानेर को पांच गाड़ियां दी हुई हैं जबकि अभी एक भी रनिंग में काम नहीं कर रही है। अभी बीकानेर एक आर्डर गया है, बीकानेर की दो मोबाइल गाडियां एन जी ओ के माध्यम से भीलवाड़ा भेजी जा रही हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर की मोबाइल वैन, जो 5 मोबाइल वैन आपने दे रखी हैं, अभी एक भी रनिंग में नहीं है, उनको भीलवाड़ा किसलिये भेजा जा रहा है, यह बतायें।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

अब मैं मेरे खाजूवाला क्षेत्र की थोड़ी सी मांग करूंगा। खाजूवाला क्षेत्र में मैंने बहुत बार मांग की है, वहां एक सी एच सी है, वहां 3 लाख की पापुलेशन है, वहां 3 सी एच सी होनी चाहिए। कई बार मैंने मुख्य मंत्रीजी से मांग की है, मैंने माननीय मंत्रीजी से भी मांग की है लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आप कह रहे हैं कि 25 सी एच सी खोलेंगे, पी एच सीज में क्रमोन्नत करेंगे लेकिन खाजूवाला के लिए इन्होंने कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है, अनदेखी की है। मैं आपके माध्यम से आज मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि हमारे खाजूवाला में पूगल और छत्तरगढ़ की पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत किया जाए। हमारे खाजूवाला क्षेत्र में दस से बारह पी एच सी होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में अभी 5 पी एच सी ही हैं। एक दंतौर, डेली तलाई, सत्तासर, लाखूसर, आठ के वाई डी में पी एच सी के लिए मांग करता हूं। माननीय मंत्रीजी आपके सामने बैठे हैं, आप मंत्रीजी, कृपा करके, मेरे डाक्टर होने के नाते आप एक पी एच सी और एक सी एच सी मेरे क्षेत्र में दें, इतनी अनदेखी न करें। मैं कई बार आपसे मांग कर चुका हूं।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है। हमारी राजस्थान सरकार के तीन साल के अन्दर राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी द्वारा और स्वास्थ्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान की जनता को स्वस्थ और सकुशल किस प्रकार से रखें, उसके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, वे सराहनीय हैं। हर स्थान पर, हर जगह पर, हर गांव में, गली में उनकी प्रशंसा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, हम तीन घण्टे से सुनते आ रहे हैं, विपक्ष के माननीय सदस्य यह फरमा रहे हैं कि योजना बहुत अच्छी है परन्तु क्रियान्वित करने के लिए स्टाफ नहीं है। सूरसागर विधान सभा क्षेत्र से आने वाली माननीय सदस्या यह फरमा रही थीं कि मेरा सूरसागर विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। यदि जोधपुर के मुख्य मंत्री हैं और माननीय विपक्ष के सदस्य हमेशा यह फरमाते रहे हैं कि बजट के अन्दर जो भी घोषणा होती है, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर, और साथ ही यह फरमा रहे हैं कि जोधपुर में हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है, तो राजस्थान में कहीं विकास हुआ ही नहीं?

दूसरा मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप मेरे साथ चलकर सूरसागर देखो, क्या काम हुआ।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सदस्या, हम आपसे तीन सौ, साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, आपके जितनी सुविधाएं हमारे वहां नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सूरसागर में आपने क्या किया है, यह तो बताओ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या हुआ, मैं अभी तीन साल से गई हूं, मैं तो पहले एक गली भी नहीं जानती थी कि उधर गली कैसी है। (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सदस्या फरमा रही थीं कि हमारे राज में राजस्थान विकास की ओर अग्रसर था और राजस्थान में भयंकर विकास हो रहा था, राजस्थान ऊंचाइयों पर पहुंच गया तो अब हमने तीन साल में कौनसा पहाड़ तोड़ दिया कि राजस्थान ध्वस्त हो गया? तीन साल में क्या कर दिया आप खड़े हो गये और कहने लगे कि हमने विकास की गंगा बहा दी थी, महारानीजी ने जैसा विकास किया वैसा विकास किसी ने नहीं किया। भारत के अन्दर राजस्थान प्रथम स्थान पर आने वाला हो गया, तो ऐसा हमने कौनसा अन्याय कर दिया?

हमारे चिकित्सा मंत्रीजी शांत स्वभाव के हैं, परन्तु आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक मिनट आप सुनो। जब आई टी आई का मसला आया था यहां, हमारे सदस्य बोले, फिर भी मैं डंके की चोट बोली कि हमारे यहां के मुख्य मंत्री हैं, इसलिए आई है, नहीं तो नहीं आती। हम सही बात कहते हैं। यदि मुख्य मंत्रीजी अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा करके भी बताई है।

श्री पदमाराम (चौहटन): आप वरिष्ठ सदस्या हैं, आप सुनें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप लोग तो +++ करते हैं, क्या सुनें?

श्री पदमाराम (चौहटन): राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी की नि:शुल्क दवा योजना की प्रशंसा हो रही है, यह योजना लोकप्रिय हुई है। गांवों के अन्दर एक झोंपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी, उसको यह दवा योजना

(श्री पदमाराम)

महसूस हो रही है, उनको यह योजना अच्छी लग रही है। आपने गरीबी देखी है क्या? आपको क्या मालूम, यह योजना कैसी है? आपको गरीब का मालूम नहीं, आपने गरीब का सुना जरूर है। गरीबों के लिए कल भी ऐसी बात हो रही थी। आप दलित के हितैषी नहीं हो, आप गरीब के हितैषी नहीं हो, आप फोटो खिंचवाने के लिए, अखबारों में अपना नाम रोशन करने के लिए गरीबों का नाम लेते हो। जीतने के बाद आपने कोई गरीबी नहीं देखी, न गरीबों के पास गये हो। गरीब के पास नि:शुल्क दवा पहुंची है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का गरीब गुणगान कर रहा है। ये धन्यवाद के पात्र हैं, हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जननी-शिशु सुरक्षा योजना बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के अन्दर अभी माननीय सदस्या फरमा रही थीं कि यह योजना हमने चालू कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, चालू कर दी; हजार रुपये किसी हास्पिटल में आए हैं वे दे दिये, नहीं आये तो कोई बात नहीं। इस योजना के अन्दर अभी घर से हास्पिटल तक लाना, पूरी जांच कराना, पूरी दवाई का खर्चा देना, उसके खाने की व्यवस्था करना, 30 दिन तक उस बच्चे का इलाज कराना, बहुत सराहनीय कदम है। पूरे राजस्थान के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इसकी पूरी प्रशंसा हो रही है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को हम धन्यवाद का पात्र मानते हैं कि इनके दिल के अन्दर उस गरीब आदमी की पीड़ा है, गरीब के दु:ख-दर्द को सुनने के लिए ये योजना लागू की गई है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे।

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। यहां पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको मद्देनजर रखते हुए 25 सी एच सी और 100 पी एच सी की घोषणा की है। मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से और चिकित्सा मंत्रीजी से कि आपने पी एच सी की घोषणा की है, सौ, यह बहुत कम है, मेरा निवेदन है कि इसको 200 किया जाए। पिछले तीन साल से कोई पीएचसी की घोषणा नहीं हुई है, जो हुई है वह मामूली सी पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 10 साल से एक भी पी एच सी नहीं खुली है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसकी संख्या बढ़ावें और कम से, ज्यादा नहीं तो हम सीमावर्ती क्षेत्र से जो आने वाले हैं, हमारा क्षेत्र बहुत फैला

(श्री पदमाराम)

हुआ है, कम से कम तीन सौ किलोमीटर में मेरा क्षेत्र फैला हुआ है। 30-30 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई पीएचसी नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में तीन पी एच सी की व्यवस्था करवाएं। पूरे मेरे विधान सभा क्षेत्र और उप खण्ड हैं, उनके अन्दर एक ही सी एच सी है और उस सी एच सी के अन्दर मात्र 30 बेड हैं। तो मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री से निवेदन है कि इस सी एच सी को 50 बेड में क्रमोन्नत कराएं और उप-तहसील शेरवा को सी एच सी में क्रमोन्नत करें तो हमारी गरीब जनता, हमारे अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान वर्ग के, गरीब क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनको बहुत लाभकारी होगा।

मैं आगे माननीय मुख्य मंत्रीजी को, चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक एम्बुलेंस गत साल दी है, मैं डिमांड करता हूं कि हमारा बाका क्षेत्र है जो चौहटन से कम से कम सौ किलोमीटर है, एक 108 एम्बुलेंस बाका क्षेत्र में दिलाने की कृपा करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

आपके दिल के अन्दर जो आम जन को सुखी रखने के लिए, हर वर्ग को सुखी रखने के लिए भावना है, इसलिए 2,980 डाक्टरों की भर्ती की; ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जितनी भी हमारी सी एच सीज हैं, वहां आपने डाक्टर की भर्ती कर दी, सब डाक्टर लगा दिये, आप धन्यवाद के पात्र हैं। शेरवा के अन्दर एक डाक्टर की पोस्टिंग हुई थी, भूलवश उसका स्थानान्तरण हो गया। मेरा निवेदन है कि शेरवा उप-तहसील है जहां दो पद स्वीकृत हैं, दोनों ही रिक्त हैं वहां जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्ति की जाएं।

सी एच सी के अन्दर स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद 2005 से खाली पड़ा है। उसके बाद में कभी लगाया नहीं है। एक ही सी एच सी है और स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है; जननी शिशु सुरक्षा योजना को संचालित करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति कराने का आपसे निवेदन करता हूं। इसके साथ-साथ, सर्जन की पोस्ट 2001 से खाली पड़ी है, उसकी भी आप व्यवस्था कराएं। हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए रेडियोग्राफी की आपने मशीन तो लगा दी परन्तु पोस्ट खाली पड़ी है। उसकी आप व्यवस्था कराएं। इसके साथ-साथ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र में पी एच सी, सी एच सी और उप-स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर नर्सों की व्यवस्था करते हो, उप स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर आप

(श्री पदमाराम)

साल के अन्दर सिर्फ 10 हजार रुपये देते हो, वे बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि उप- स्वास्थ्य केन्द्र हर क्षेत्र के अन्दर पंचायत हैडक्वार्टर पर होता है और एक पंचायत हैडक्वार्टर पर कम से कम 5 हजार की आबादी होती है, 5 हजार की आबादी के अन्दर 5 हजार रुपये बहुत कम हैं। तो मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां के रहने वाले उप-स्वास्थ्य केन्द्र में ए एन एम के लिए जो पैसों की व्यवस्था है, उसको बढ़ाया जाए। पी एच सी के अन्दर तो आप एक लाख रुपये दे रहे हो, उसकी भी बढ़ोत्तरी करने का हमारा अनुरोध है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि एन आर एच एम के अन्दर आपने स्टाफ की कमी की पूर्ति करने के लिए डाक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ के जो 21 हजार पद सृजित किये हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इसके साथ-साथ, हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में आप लगाते हो, उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, वे ग्रामीण क्षेत्र में रह कर पी जी पास करते हैं और पी जी पास होते ही वे ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं तो मेरा निवेदन है कि जो प्राध्यापक आप नियुक्त करते हो उनके साथ आप कम से कम 5 साल या 6 साल का कोई प्रतिबंध स्थान लिखावें कि पी जी पास करने के बाद में 5 साल तक सरकारी नौकरी में वे ड्यूटी देंगे, वहां सेवाएं देंगे, नहीं तो उनकी उपाधि खारिज की जाएगी। यह प्रतिबंध नहीं रखेंगे तो हास्पिटल के अन्दर जो भी पद खाली हो रहे हैं, चूंकि उनका मेन उद्देश्य यह है, पी एच सी के अन्दर, सी एच सी के अन्दर डाक्टर जो मेडिकल स्टोर होते हैं, उनसे सांठ-गांठ की, वहां से उनको भारी तादाद में कमीशन मिलता था; अब मेडिकल के अन्दर दवाएं बिकनी बंद हो गई हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी की लोकप्रिय योजना, नि:शुल्क दवा योजना के कारण हर गरीब को अपने उपयोग वाली दवाइयां हास्पिटल में मिल जाती हैं। डाक्टर की यह भावना होती है कि मैं प्राइवेट हास्पिटल में जाऊं, उनको अपने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बोनस ज्यादा मिलता है, उनका इंक्रीमेंट ज्यादा होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको ध्यान में रखते हुए आगे इसकी व्यवस्था कराएं।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहां स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां पर आप पी एच सी नहीं खोल सकते, उनके साथ एड पोस्ट करने की व्यवस्था करावें। जहां 5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के अन्दर पी एच सी नहीं है, सिर्फ उप-स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां एक ए एन एम है, उसके साथ एक सेकण्ड

(श्री पदमाराम)

ग्रेड का कम्पाउंडर लगाया जाए तो गरीब जनता को जो हास्पिटल में नहीं पहुंच सकती है, वहां छोटा-मोटा इलाज, यदि बुखार है, मलेरिया है, ऐसा ट्रीटमेंट वहां आराम से हो सकता है। तो मेरा निवेदन है कि एड-पोस्ट की आप व्यवस्था करावें।

उसके साथ-साथ, जो हमारे क्षेत्र के अन्दर मैंने पी एच सी और सी एच सी की मांग की है, मेरा निवेदन है कि शेरवा उप-तहसील है और 50 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई सी एच सी नहीं है और गरीब क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, अल्पसंख्यक, एस सी, एस टी के लोग भारी तादाद में रहते हैं तो मेरी जोरदार मांग है माननीय मुख्य मंत्रीजी से और चिकित्सा मंत्रीजी से कि शेरवा उप-तहसील में सी एच सी बनाएं, वहां जो रिक्त पद हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष, सब ने, किसी ने तारीफ की होगी, किसी ने आलोचना की लेकिन 99.9 परसेंट लोगों ने, रिक्त स्थान इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी समस्या है, इसकी ओर सब ने इंगित किया है। मंत्री महोदय, आपकी क्या मजबूरी है, मैं नहीं समझता लेकिन जब अधिकारी ही नहीं होगा, डाक्टर ही नहीं होगा, वैद्य ही नहीं होगा, यह आपका पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं होगा तो बिल्डिंगें तो दूर से बहुत अच्छी लग सकती हैं लेकिन जो जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, वह राहत नहीं मिल रही है।

मेरे अपने प्रश्न के जवाब में, राजस्थान में कुल 3,879 आयुर्वेद के पद हैं उनमें से 1140 पद रिक्त हैं। 31-32 परसेंट पद अगर रिक्त हों, उस डिपार्टमेंट की कैसी पर्फोमेंस आती होगी, यह आपको समझ में आता होगा। बार-बार यह घोषणा होती है कि इतने पद भर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, केवल बोलने से और यहां भाषण में पढ़ देने से समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता। आप मन से चाहते होंगे, लेकिन भगवान जानें, आपकी क्या मजबूरी है कि इसका इफेक्ट नीचे तक आ नहीं पा रहा है, केवल आपकी सहृदयता आपके पास रखी है, जनता को तो उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, तब जाकर वह संतुष्ट होगी। आपने पिछली बार के भी बजट में घोषणा की थी, 2011-12 में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि हम बजट में 289 आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती करेंगे; हो गई न भर्ती एक साल में? मतलब कहां से शुरू करें, किस बात से शुरू करें।

इसी तरह से आपने कहा था उदयपुर में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में पी जी शुरू होगा, पीजी पांच साल से शुरू नहीं है। एक मात्र राजस्थान का कोई गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज है तो वह केवल उदयपुर का आयुर्वेद कालेज है लेकिन उसकी दुर्दशा देखकर कितनी बार यहां किया; मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं खड़े होकर पिछली बार बजट में इस बात को कहा कि नहीं, हम कालेज को बंद नहीं होने देंगे। यूनिवर्सिटी जहां एक सामान्य अस्पताल नहीं था, 'ए' श्रेणी का, वहां विश्वविद्यालय बन सकता है क्योंकि वहां के मुख्य मंत्री हैं और हमारे यहां राजस्थान के आजादी के पहले से ही, महाराणा के जमाने से आयुर्वेद कालेज था, उसको बिलकुल जर्जर और दर्दनाक स्थिति में लाकर छोड़ दें और हम आपसे बार-बार आग्रह करें, उसके बाद भी न स्टाफ की भर्ती होती है, न कुछ होता है। मुझे आश्चर्य है कि वहां 500 लोगों की सीटिंग का एक वेटिंग हाल बना हुआ है, कितने सालों से पड़ा हुआ है, केवल उसका फीता काटकर उसको शुरू करने का काम है, वह किसी डिपार्टमेंट के समझ में नहीं आता। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसका किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं है। आप क्या आयुर्वेद विभाग चला रहे हैं?

मैं सोचता हूं कि हर आदमी उठता है, तारीफ के पुल बांधता है; जो अच्छा काम किया, दवाई वितरण कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जनता को राहत मिले; उसमें जहां-जहां कमियां हैं उनको सुधार करिए। हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि गरीब आदमी को मदद मिलती है, लेकिन ये कहां का सोच है? मैं सोचता हूं कि आयुर्वेद विभाग में 2009 से डायरेक्टर है ही नहीं। अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक और आयुर्वेद अधिकारी एक भी राजस्थान में अधिकृत रूप में हों तो उनका नाम बता देना। अधिकृत रूप से एक भी अधिकारी इनमें से, यहां तक जिला आयुर्वेद अधिकारी में से विधिवत कोई हो, तो आपके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से पूछ लेना, नाम बता दो। जिस डिपार्टमेंट का आयुर्वेद अधिकारी, जिला अधिकारी से लेकर ऊपर तक सारी लाइन खाली हो तो उस डिपार्टमेंट को तो भगवान ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता।

यही नहीं, आयुर्वेद में कम्पाउंडर के 1,200 पद खाली हैं, 400 औषधालयों में नर्स/कम्पाउंडर और परिचारक का पद सृजित नहीं होने से वे बंद पड़े हैं। अधिकांश औषधालयों में एक मात्र चिकित्सक, कम्पाउंडर या परिचारक काम कर रहा है। बड़े अजीब आयुर्वेद के हाल हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपका मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय है, इसमें पी जी कोर्स पिछले 5-6 साल से बंद है। पिछली बार एक याचिका के द्वारा एडमिशन हुआ था और यह कहा था कि हम इसका स्टाफ लगा देंगे; आपने एक भी स्टाफ लगा दिया? कम से कम आप जवाब दो तो इतना तो बता दो कि हमने मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कालेज में इतने लोगों को लगाया। हां, मैं जानता हूं, किसी आयुर्वेद के वैद्य को उठाकर यहां लगा दिया। वह अधिकृत है क्या? क्या वह उन बच्चों से पढ़ा सकता है? उसकी क्वालिफिकेशन है? खाली खानापूर्ति के लिए 3 पद भर दिये उससे समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरह का आदमी वहां चाहिए, उस तरह की एक भी भर्ती हुई हो तो उसका नाम बता दीजिए। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, न टेक्निशियन है, न और कुछ है।

प्राकृतिक चिकित्सालय, दुर्भाग्य है, केवल दो प्राकृतिक चिकित्सालय इस राजस्थान में ठीक ढंग से चल रहे हैं, एक उदयपुर का चल रहा है, एक हनुमानगढ़ का चल रहा है। वहां पर गर्म पानी के लिए केरोसीन नहीं मिलता है। राजस्थान सरकार इतनी तो गरीब नहीं हो गई कि केरोसीन का पैसा उन लोगों को उपलब्ध नहीं है; बिजली का पैसा नहीं, नल का पैसा नहीं। यह सारा का सारा पैसा भी समय पर नहीं मिलता है। इसलिए उन प्राकृतिक चिकित्सालय का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता है।

मैंने मदन मोहन मालवीय कालेज के लिए कहा, वह अस्थायी शिक्षकों के भरोसे चल रहा है और आपको आये दिन मान्यता की समस्या आती है। आप जैसे-तैसे उसकी मान्यता लेने का प्रयास करते हो और परमिशन लेते हो, लेकिन कोई स्थायी व्यवस्था आज दिन तक इसमें कर नहीं पाये।

अभी एक और आदेश निकाला, निदेशक, आयुर्वेद विभाग ने पदोन्नति पैनल में से आचार्य पद को हटा दिया, जो प्रिंसिपल लाइन का होता है। इससे निदेशक पद की पदोन्नति हेतु कोई भी आशार्थी उपलब्ध नहीं है। अभी तो उपलब्ध नहीं है, आने वाले 10 वर्ष तक भी कोई आपके पास योग्य डायरेक्टर उपलब्ध ही नहीं होगा। यह डिपार्टमेंट की व्यवस्था कौन देखेगा?

इसी तरह से होम्योपेथिक है। पिछली बार हमने आपकी तारीफ की थी, गत वर्ष आपने एक अच्छा कार्य किया और होम्योपेथिक निदेशालय खोला। परन्तु पूरा वर्ष बीत गया, अधिक समय व्यतीत हो गया, आज तक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उक्त निदेशालय में एक निदेशक, दो उप निदेशक और तीन सहायक निदेशक, व्यवस्था की दृष्टि से, कोई रेगुलर पद नहीं है। आपने चिकित्सक को लगाकर होम्योपेथीक निदेशालय की स्थापना की है, उसकी फोर्मेलिटी मात्र की है।

आपको पता है, आपके सर्वे के आधार पर 55 प्रतिशत लोग एलोपेथिक दवाई लेते हैं, 30 प्रतिशत लोग आज भी होम्योपेथीक का इलाज लेते हैं, 14 प्रतिशत लोग आयुर्वेद का इलाज लेते हैं, एक परसेंट यूनानी से लेते हैं। जब इतनी प्रकार की व्यवस्था है, उसके बाद भी मैं सोचता हूं कि आपका कुछ नहीं है।

जिस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, मैं यह चाह रहा हूं कि कोई भी विभाग, हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम सबकी दृष्टि इस ओर नहीं जाती है, रिक्त पद इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसको कैसे दूर किया जाय। पैसा अपने पास उपलब्ध होते हुए भी, इसके कारण से, देश की जन्म दर में 22 का राष्ट्रीय औसत है, हमारा 26 है। इसी तरह से, शिशु मृत्यु दर का 47 औसत है, उसमें हम 55 हैं। मातृ मृत्यु दर जो देश में 212 है, उसमें हम 318 हैं। यह जो मैंने अपने प्रश्न के जवाब में लिया है, मैं वही कोट कर रहा हूं, Cadrewise sanctioned posts and vacant posts in the Directorate of Medical and Health Department. यह आपका जो मेन आफिस है उस आफिस में आपके रिक्त स्थानों की स्थिति क्या है? 36 परसेंट पद आज की तारीख में डायरेक्टर, हैल्थ के आफिस में रिक्त हैं। 9,035 पद में से 6,438 पद हैं, 2,597 पद आज की तारीख में खाली हैं। डायरेक्टर के 4 पद में से 3 खाली हैं; इसी तरह से जोइंट डायरेक्टर के 21 पद में से 17 पद खाली हैं। क्या प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। और कोई आदमी उसमें कितना भी खपे, तो भी क्या निकल सकता है? आपको आश्चर्य होगा, सीनियर स्पेशलिस्ट के 14 पद हैं, 14 में से 14 ही खाली हैं। तारीफ करनी है तो करो, कोई बात नहीं; आपका फर्ज आप निभाओ, हमारा फर्ज हम निभाएंगे, लेकिन आखिर कब तक इन पदों को नहीं भरा जाएगा? कब तक? डिप्टी डायरेक्टर के 94 पद हैं, उनमें से 60 पद आज की तारीख में खाली हैं; सीनियर स्पेशलिस्ट के 316 पद में से 168 पद खाली हैं; जूनियर स्पेशलिस्ट 2537 पद हैं, इनमें से 1,507 पद खाली हैं। जो आपकी पोस्टें हैं, उनकी पोस्टों पर आपका मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है तो वास्तव में आप काम कैसे चलाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यही हालत मेडिकल कालेज की कर रखी है। आपके और हमारे मन में कितना दर्द होता होगा कि हम एक मेडिकल कालेज की मान्यता के लिए दूसरे मेडिकल कालेज से स्टाफ को ट्रांसफर करते हैं। वहां का इंस्पेक्शन कराने के बाद, वहां मान्यता मिल जाती है तो उनको दूसरी जगह दिखाते हैं। आखिर हर काम को, अपने मन को धोखा देकर अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं। यह कोई एक-दो साल से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिर भी आपको कोई ध्यान नहीं है। मेरे उदयपुर मेडिकल कालेज में आचार्य के 48 पद हैं उनमें से 17 पद खाली हैं; सह आचार्य के 77 पद हैं उनमें से 27 पद खाली हैं; सहायक आचार्य के 90 पद हैं उसमें 54 पद खाली हैं। इस मेडिकल कालेज को क्या मिलेगा? क्या इसको मान्यता मिलेगी? (व्यवधान) रघुजी, कम से कम, भगवान के लिए, जब बोलते हैं, उस समय तो आपके मंत्री को बिजी मत करो, हम अपने मन की पीड़ा कह रहे हैं।

हमारे मेडिकल कालेज कैसे चल रहे हैं। गिने-चुने मेडिकल कालेज हैं, लेकिन जब स्टाफ ही नहीं होगा तो क्या मेडिकल कालेज चलेगा, क्या बच्चे पढ़ेंगे और क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा? यहां तक कि मान्यता की समस्या आती है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उदयपुर जिला हास्पिटल एक बड़ा है उसमें एक सर्जन बचा है। जितने लोग रिटायर्ड हुए वो सारे के सारे चले गये। नये एक व्यक्ति की भर्ती नहीं करोगे और जो डाक्टर वहां है, वह 24 घण्टे वहां पच भी जाएगा तो भी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएगा।

हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास स्टाफ उपलब्ध हो। हमारे पास बिल्डिंग छोटी होगी तो हम इधर-उधर बैठकर काम चला लेंगे; हमारे पास और कुछ साधन कम होंगे तो हम चला लेंगे, लेकिन मेडिकल स्टाफ ही हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे चलाएंगे?

यही की यही हालत कोटा मेडिकल कालेज की है। कोटा मेडिकल कालेज में सह आचार्य के 61 पद हैं उनमें से 19 खाली हैं! सहायक आचार्य के 95 पद हैं उसमें से 70 पद खाली हैं। क्या मेडिकल कालेज चल रहा है। यहां अपने मन को संतुष्ट कर लें कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, लेकिन जब तक आपके पद नहीं भरे जाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा।

मैंने प्रश्न के जवाब में लिया है, मैं वही कोट कर रहा हूं। वर्ष 2008 से लेकर 2012 के मध्य अनुमानित जनसंख्या के आधार पर चिकित्सक का अनुपात का जिलेवार और वर्षवार विवरण निम्नानुसार है, आपने कभी इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फिगर को देखा नहीं होगा, प्रश्नों का जवाब भेज दिया होगा। जो स्थिति हमारी 2008 में थी, जितने लोगों पर एक डाक्टर का पद था, उसमें आज भी हम कहीं बढ़े नहीं हैं। ये 2008 के आंकड़े हैं, बाड़मेर में 13192 लोगों पर एक डाक्टर था, आज की तारीख में 13,874 में एक डाक्टर है; इसी तरह से धौलपुर में 12,168 लोगों पर एक डाक्टर था, आज 12,800 पर एक डाक्टर है; जालौर में 13,831 पर एक डाक्टर था, वो आज की तारीख में 15,106 पर एक डाक्टर है। हम कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं पर तरक्की आंकड़ों पर भी तो आनी चाहिए न। हमने स्टाफ बढ़ाया, हमने किया तो आखिर में यह गया कहां? टोटल राजस्थान में 2008 में 8,077 लोगों पर एक डाक्टर था और आज की तारीख में पूरे राजस्थान का टोटल करें तो 8,936 लोगों पर एक डाक्टर आता है, अर्थात् डाक्टरों की संख्या अनुपात में घटी है। यही नहीं, यह आश्चर्य है कि जो बाड़मेर है जहां के विधायक महोदय ने बहुत तारीफ की लेकिन जाते-जाते मन का दु:ख कह ही गए और अभी जो हमारे माननीय सदस्य बोले थे, उन्होंने भी अपना अन्तिम दु:ख इसी बारे में प्रकट किया कि पोस्टें भरी नहीं हैं। बाड़मेर में 2008 में 5,048 पर एक डाक्टर था, वह आज की तारीख में 5,015 पर है। इसी तरह से दौसा में 5,391 पर था। मतलब एक तरह से टोटल मिलाकर यह जो पैरा-मेडिकल स्टाफ है, यह ही नहीं है। आप देखिये कि उदयपुर में दो सैटेलाइट हैं, सी एच सी 21, पी एच सी 78, जिले में और यह जो सबसे नीचे का है, सब-सेंटर, वे 570 हैं। अब इतना आपका होते हुए भी एस एम ओ के 33 में से 18 पद खाली हैं, जिले में 33 पद कुल हैं और उन 33 में से 18 खाली हैं, एम ओ के 204 कुल पद हैं उनमें से उदयपुर के 50 पद खाली हैं। इस तरह से यह जो दिखता है, वास्तव में जब तक हम स्टाफ नहीं लगाएंगे तब तक हम इस समस्या का निदान कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आता।

यह जो आपने दवाइयां खरीदी हैं, मैं मुफ्त दवाइयों का हमेशा प्रशंसक रहा हूं। आप मेरा भाषण हाउस का उठाकर देख लें, जब मैं पिछली बार डिमांड पर बोला था तो मैंने कहा था कि जितना आप पेंशनर को देते हैं, जितना बी पी एल को देते हैं, जितनी दवाइयां गवर्नमेंट सर्वेंट्स को देते हैं, अगर इस सारे अमाउंट का कलेक्शन कर लिया जाए और उस अमाउंट में से आप निश्चित रूप से मुफ्त दवाइयां दो तो आपका पैसा बचेगा। कारण क्या है कि लीकेज के रास्ते से जिस तरह से पैसा जा रहा है, उसकी जगह इसी पैसे का उपयोग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होगा। यहां केवल दो ही काम करने बाकी हैं, एक तो आउटलेट्स बढ़ाओ। इतने मरीज वहां दवाई लेने के लिए एक-एक घंटे तक, डेढ़-डेढ़, दो-दो घंटे तक लाइन में दवा लेने के लिए खड़े रहेंगे और केवल आप दो-तीन दिन की दवाई देते हो। उसको देखकर के दया आती है कि जब कोई 80-85 साल का बूढा और उसकी पत्नी, क्योंकि बच्चे तो कहीं न कहीं नौकरी में गए या उनकी देखभाल करते नहीं, वे जब उस लाइन में बैठकर के एक-एक कर आगे खिसकते हैं तो देखकर लगता है, कि ये जो पेंशनर हैं, कम से कम जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनके लिए तो कोई अलग से लाइन लगाओ ताकि उनको समय पर दवाई मिल सके। इस व्यवस्था को तो बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है? इसमें कौनसी व्यवस्था करनी पड़ती है? लेकिन उसमें भी कुछ नहीं है।

जिन दवाइयों के लिए जो कोटेशन आपने किए हैं और जिस फर्म को आपने दिया है, मैं थोड़े से नाम आपको बताना चाहता हूं, वास्तव में यह इंजेक्शन है आपका 550 एम जी का, इसकी 100 की 107.84 की रेट थी इसके अन्दर वह 185 पर जाकर लगी है। मतलब आपको खुले बाजार से लेना पड़ा क्योंकि जिसको आपने वर्क-आर्डर दिया, उसने समय पर दवाई उपलब्ध नहीं कराई। इसी तरह से 10 एम जी की सिट्राजिन है, एलर्जी और खांसी की है, यह 7.14 रुपये की है, इसको आपने 23.50 में खुले बाजार में खरीदा है। अब यह समझ में नहीं आता है कि कोई इसको देखने की कोशिश भी करता है या नहीं। यह रेनिडियम कोई एसिडिटी की है, इसमें 23.23 रुपये की अनुमानित रेट थी, उसकी जगह 34.38 में खरीदी है। इसी तरह से आपने एमोक्लिन कोई इंफेक्शन की दवा है, यह 61.22 रुपये की थी, उसकी जगह आपने 114 रुपये में खरीदी है। अब यह कौन देखेगा कि ऐसा क्यों हुआ? जिसको हमने वर्क-आर्डर दिया उसकी सप्लाई वह क्यों नहीं करता है? तो इसके बारे में आप देखने की जरूर कोशिश करो। आपने 4 अगस्त, 2011 को जिस कम्पनी को 20 करोड़ का टेंडर दिया था उस कम्पनी को 45 दिन में दवाइयां सप्लाई करनी थीं; जबकि उसकी इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वह आपको सप्लाई कर सके। आपने जिन नार्म्स को देखकर के सप्लाई, आर्डर दिया, वह उन नार्म्स को ही कवर नहीं कर रहा है। जिस आधार पर आपने उसको दिया, उसको वह कवर ही नहीं करता लेकिन फिर भी आपने दिया। मैं उस बारे में नहीं जाता, मैं आप पर संदेह नहीं कर रहा हूं लेकिन आखिर आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अकेले से नहीं चलेगा; यह डिपार्टमेंट के नीचे के लोगों का जिस ढंग से काम चल रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा।

आपको आश्चर्य होगा, आप फिगर देखो, यह तो खैर प्रश्नों के माध्यम से निकलकर आता है, बाकी तो पता ही नहीं लगे। केन्द्र सरकार ने कुपोषण के उपचार के लिए राजस्थान को 140 कुपोषण उपचार केन्द्र दिए, ये 6 से कम वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए हैं। विगत तीन वर्षों में इन पर 8 करोड़ 28 लाख रुपया दिया गया। अब इसकी उपलब्धि देखो। मेरे ही प्रश्न के जवाब में आया था, गुलाब चन्द कटारिया, विधान सभा प्रश्न, इसमें अजमेर में 16 लाख 16 हजार का बजट था, इसमें से 12 लाख 6 हजार रुपये का व्यय किया और 48 बच्चे लाभान्वित हुए। मतलब डिपार्टमेंट के किसी पर वज़न पड़ता भी है या नहीं पड़ता है? सरकारी धन का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकने के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराओ। इससे भी आश्चर्य देखो कि यह मेड़ता सिटी का सेंटर है, इसमें 18 लाख 05 हजार रुपया इनको आबंटित किया और व्यय किया 74,848 रुपया और जीरो, एक बच्चे को भी लाभ नहीं मिला। इसी तरह से आप आगे देखें तो कुचामन सिटी में एक लाख 85 हजार रुपया आपने दिया और इस सेंटर ने एक लाख 56 हजार रुपया खर्च कर दिया और एक बच्चे की भी उपलब्धि नहीं। अब ये आंकड़े अगर आते हों, कम से कम आप प्रश्न देखते होंगे, जांचते होंगे तो उसके बाद डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोगों को पूछो तो सही कि पहली तारीख को तनख्वाह लेते हो, गरीब की सेवा का कुछ तो धर्म निभाओ, कुछ तो अपनी अन्तरात्मा को थोड़ा झकझोरो कि आखिर हम यह पैसा देते हैं तो देते किसके लिए हैं? कोई इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। आगे और देखो कि यह नोहर का केन्द्र है इसको भी आपने 18 लाख 05 हजार रुपया दिया, इसने 73,869 रुपया खर्च किया और एक बच्चे को भी कुपोषण से मुक्त नहीं किया। ऐसे एक नहीं हैं, ऐसे अनेक केन्द्र हैं, पूरी की पूरी सूची है इस बात की। जिस काम के लिए आपको पैसे दिए, हमको 8 करोड़ 28 लाख रुपया जिसमें मिलता है और हमारी कोई उपलब्धि नहीं है तो आखिर इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी को तो पूछें कि आखिर यह पैसा गया कहां, क्यों नहीं इसका उपयोग हुआ।

यह केवल जोधपुर का ही पुलिंदा है, यह भी सारा प्रश्न के उत्तर में आया है। इसमें देखना कि सरकार की हठधर्मिता के कारण पिछले तीन वर्षों में चिकित्सकों की हड़ताल से राजस्थान में 725 व्यक्ति मरे। हड़ताल के समय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

725 मरे। माननीय मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले जोधपुर में 3 वर्षों में 30 बार डाक्टर हड़ताल पर गए और इस हड़ताल पर जाने के कारण 140 पुरुष, 74 महिलाएं एवं 43 बच्चों की मृत्यु हुई। यह सारी की सारी सूची प्रश्न के जवाब में आई कि कौन-कौन बच्चा किस तारीख को कब मरा। अब अगर इस तरह से डिपार्टमेंट चल रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है, किसी से तो ये पूछा जाए कि आखिर यह बात क्या है। मेरे प्रश्न के जवाब में आपने उत्तर दिया उसमें दिया कि सरकार का कहना है कि जो मरीज मरे, वे गम्भीर रोगों से पीड़ित थे। तो क्या वहां हास्पिटल में प्रसन्न होकर जाते हैं? पहलवान जाया करते हैं? जाएगा तो मरीज ही जाएगा न और मरीज ही जाएगा तो इस प्रकार का उत्तर देकर के केवल अपने मन पर ठंडे छींटे लगाना, यह उचित हो सकता है लेकिन इसका परिणाम ठीक नहीं आएगा। इसी कारण से हमारी व्यवस्था नहीं सुधरती है कि हम गलती को गलती नहीं कह सकते, सोचते हैं कि हम आलोचना कर रहे हैं। इसलिए आपने उसको आलोचना मानकर रफा-दफा कर दिया।

यह राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, आपका ही दिया हुआ प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 है, इसमें आपने यह सारे उपकरण, दवाइयां हैं, जो 43 करोड़ 57 हजार की कुल मिलीं। इसमें से खर्च कितनी कर पाए, केवल 20 करोड़। पैसा आपके पास उपलब्ध है, साधन है लेकिन साधन का उपयोग कौन करे, किसके ध्यान में जाए कि इसकी मानिटरिंग होती है या नहीं होती है, कोई अधिकारियों से पूछताछ होती है या नहीं होती है कि जो चीज आपको दी, उसका उपयोग आपने किया या नहीं किया? राजधानी की कच्ची बस्तियों में प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सेंटर चलाने के मामले में स्वयंसेवी संस्थाओं को चिकित्सा विभाग ने ढाई करोड़ रुपया दिया और यह ढाई करोड़ रुपये का घोटाला है। अब यह सब सामने आने के बाद भी अगर हम किसी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें, कोई संदेश ही नहीं देना चाहें तो फिर हम डिपार्टमेंट को क्या चलाएंगे?

मैंने यहां आपको कितनी बार कहा कि मेरे यहां स्वपोषित एक सरकार का नर्सिंग सेंटर है, प्राइवेट का नहीं है और हमारे उसी जनरल हास्पिटल में यह नर्सिंग सेंटर चलता है। उस नर्सिंग सेंटर में भी आप स्वपोषित नाम से उस क्षेत्र के गरीब बच्चों से साठ हजार रुपया साल की फीस लेते हैं। क्या सरकार इतनी गरीब और कंगाल हो गई कि उसमें जितने बच्चे हैं, उनमें से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

60 प्रतिशत तो आदिवासी बच्चे और बच्चियां हैं, अब वे बार-बार चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम हमको सरकारी सुविधा के हिसाब से जो कुछ मिल सकता है, उसके आधार पर करो। उस पर कोई करोड़ों, अरबों रुपये का खर्चा नहीं है, सारा मिलाकर पूरे साल का भी ले लें तो 20 या 22 लाख का खर्चा है। इस 20-22 लाख के खर्च को भी क्योंकि उसमें बालक कितने हैं, इतने ही तो बालक हैं जिनसे आप 60 हजार रुपया लेते हैं, केवल इतनी सी बात के लिए भी आपसे कई बार कह दिया, पत्र लिख दिया, यहां जीरो आवर में बात रख दी, जिस तरह से ला सकते थे उस तरह से लाये। तो हमारा क्षेत्र इस तरह से धनाढ्य क्षेत्र नहीं है कि आप उसको स्वपोषित करें। हो सकता है कि वह मेरी सरकार के समय में भी स्वपोषित की मांग की होगी डिपार्टमेंट ने और हमने उसको स्वपोषित दे दी होगी, दे दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज तो हम उस पर विचार कर सकते हैं न। हो सकता है कि उस समय हमने खोलने के लिए कोई गली ढूंढी होगी कि चलो, किसी भी माध्यम से मिले और स्वपोषित मिल गया। अब अगर उस स्वपोषित के माध्यम से वर्षों से उन बच्चों से पैसे इकट्ठे करते रहेंगे तो मैं सोचता हूं कि किसी तरह से उनके साथ न्याय नहीं होगा।

मंत्री महोदय, मुझे आपके मन पर कोई शंका नहीं, लेकिन जो कठोरता इस डिपार्टमेंट में चाहिए, ये ढीले-ढपले से यह राज नहीं चलेगा। राज का, आपका मन ठीक हो सकता है पर प्रशासनिक यह जो लवाजमा है न, यह बेलगाम का घोड़ा हो गया। इस बेलगाम के घोड़े को सम्भालो क्योंकि जनता का पैसा है। हमारी सब की लाख चिंता करने के बाद भी जो चीज हम चाहते हैं, वह चीज अगर नीचे नहीं जाती है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। कृपा करके थोड़ा सा सबको खुश करने की, इसमें मत लगो, कोई नाराज होंगे तो होंगे।

(21.00 बजे)

जिन्दगी में कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, इसकी कोई बहुत ज्यादा चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। अपना मन खुश होना चाहिए कि मैंने जो काम किया, वह जनता के हित में किया, जनता के लिए किया और उसको लोग बुरा मानें, अच्छा मानें, मुझे सर्टिफिकेट दें या गालियां दें, मैं उसको खाऊंगा लेकिन मैं उस जनता तक जो सुविधा मुझे प्राप्त हुई है, वह उसे पहुंचाऊंगा। जिस तरह का स्टॉफ, उसमें भी कितने लोग कहां आकर के बैठे रहते हैं; कहां का, हास्पिटल का डाक्टर शहर में आकर के ड्यूटी देता रहता है। अब वे वहां चिल्लाते रहते हैं, कोई उनकी चिन्ता करने वाला नहीं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो आखिर कोई सिस्टम तो डवलप करो, कहीं न कहीं तो किसी न किसी तरह से इसको रेगुलराइज तो करो। आपने कहा, हमने इतने डाक्टर भर्ती कर लिए लेकिन हर साल रिटायर कितने होते हैं? मेडिकल कालेज की दुर्दशा ऐसी है, आप उसकी न पदोन्नति कर सकते हो, न कुछ और कर सकते हो। किसी भी तरीके से कम से कम स्टाफ तो दो। नहीं तो, रोज आप केन्द्र को यह भ्रम में रखकर कि हमारे पास स्टाफ है और मान्यता दे दो और आप मान्यता प्राप्त करके खुश हो जाओ, यह परिपाटी अच्छी नहीं है। मैं सोचता हूं कि आप इसमें सुधार लाओ।

मंत्री महोदय, आपसे इन दोनों बातों में जरूर, मेरा जो एक मात्र आयुर्वेद कालेज इस राजस्थान में अगर कोई सरकारी है तो वह उदयपुर का है। आज का नहीं, उस समय, रियासत के समय से, मेवाड गवर्नमेंट के समय से है। उसको हमारा हक छीनकर के आप यूनिवर्सिटी ले गये, ले गये, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस आयुर्वेद कालेज में इतना स्टाफ तो दो कि जिसके कारण से बच्चों की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो सके। आज की तारीख में वह बिलकुल वीरान और खाली पड़ा है।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल। माननीय सदस्य, सिर्फ मेडिकल के ऊपर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेडिकल, हैल्थ पर तो बोलूंगा। सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सफाई, स्वस्थ नागरिक समाज और राष्ट्र की पूंजी है। हर लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व होता है कि वह हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए समुचित और कारगर कदम उठाए। यदि व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और कार्य क्षमता में कमी आएगी तो राष्ट्र का समग्र विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना उत्तरदायित्व ईमानदारी के साथ निर्वहन करे।

पूर्ववर्ती सरकार के टाइम भी आखिरी के एक साल को छोड़ दें तो पायेंगे कि चार साल तत्कालीन सरकार के लोगों ने जेबें भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। हर मोर्चे पर विगत सरकार प्रारम्भिक चार सालों में विफल रही। अन्तिम एक वर्ष में विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस डिपार्टमेंट को सुधारने की कोशिश की और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। उस सरकार के ऐसे मंत्रियों की कारगुजारी, मौज-मस्ती एवं आकण्ठ

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भ्रष्टाचार ने ही तो भाजपा सरकार की लुटिया डुबो दी। आज उनकी सम्पत्तियों की जांच की जाए। सभापति महोदय, इतने सारे नोट उन लोगों के पास आए हैं कि निष्पक्ष एजेंसी अगर जांच करें तो हिसाब-किताब वे बता नहीं सकते।

सभापति महोदय, जब से यह सरकार आयी है, अब हमारे मंत्रीजी इतने सीधे हैं कि पता ही नहीं लग पा रहा कि मंत्री कौन है। आप हैं या इकबाल साहब? राजस्थान की जनता के अन्दर यह संशय है। मेरा तो यह सुझाव है कि बाहर बड़े-बड़े होर्डिंग और जो विज्ञापन लगाये जाते हैं, उनमें भी अगर आपकी जगह इकबाल साहब का फोटो लगा दें तो ज्यादा उचित रहेगा। सत्ता पक्ष के एक-एक विधायक आपसे परेशान हैं और मंत्रीजी, आप इतने कमजोर हैं कि आपका कोई सवाल लग जाए या कोई स्थगन लग जाए तो विधान सभा के गलियारों में आप उस प्रश्नकर्ता के पीछे अनुनय-विनय करते हुए अक्सर दिखते हैं तथा किसी को लंच, किसी को डिनर और किसी को मिठाई व नेता, प्रतिपक्ष की तो डांट को भी आप अपना आशीर्वाद मानते हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): सब्जेक्ट पर बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सब्जेक्ट पर ही तो हूं और काहे पर हूं? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अब मजबूत का थर्मामीटर है इनके पास में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब ऐसे में आपके विभाग की उपलब्धियों की चर्चा...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): जिनको घर वाले घर से निकाल दे और, माननीय सभापति महोदय, वह अपने आपको कोई मजबूत समझता है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++ (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): जो कपूत बेटा होता है, उसको घर से बाहर निकालते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): जो कोई सदन का सदस्य नहीं हो, उसके खिलाफ कोई भी डेरोगेटरी, आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको क्या तकलीफ है? आप कैसे बीच में बोल रहे हैं? (व्यवधान) करूंगा। +++

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप जो इजाजत दे रहे हैं...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): +++

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय सभापतिजी,...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापतिजी, ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये सब असंसदीय शब्द...

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाओ और जो भी असंसदीय शब्द हैं, उनको कार्यवाही से निकालो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप विराजो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, बिराजिये।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये, विराजिये। आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: कोई अंकित मत करिये। कोई अंकित मत करिये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाइये आप। अपने आसन पर विराज जाइये आप। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप बिराजिये।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) आप विराजो, आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान) हनुमानजी बेनीवाल, विराज जाइये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप विराज जाइये। अब आप विराज जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: अब आप विराज जाइये। (व्यवधान) नहीं, आप विराजो। आप विराज जाइये। आप विराज जाइये। (व्यवधान) यह सीमाएं पार करने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: नहीं, बिलकुल नहीं, माननीय सदस्य। मैंने आपको पहले भी कहा था, चिकित्सा पर बोलिये आप। (व्यवधान) मैंने आपको पहले ही कहा था, बोलने से पहले ही कहा था आपको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: गलत है, गलत है, बिलकुल गलत है ...(व्यवधान) आप धीरे-धीरे सीमाएं लांघते जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: अब आप विराज जायें। विराज ही जाओ आप। (व्यवधान) अब मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप विराज जाओ।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री सभापति: अब आप बिराज जाओ। (व्यवधान) मैं सब देख लूंगा, जो भी गलत आया है, वह मैं सब एक्सपंज कर दूंगा। मैं देखकर के कर दूंगा, आप विराज जायें माननीय सदस्य। (व्यवधान) भविष्य में भी मैं आपको निवेदन करूंगा। आप जब भी बोले, आप सदन को हमेशा इस तरह से दूसरे मोड़ पर ले जाने की कोशिश करते हो। यह बिलकुल उचित नहीं है, माननीय सदस्य।

श्रीमती संजना आगरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आपको सदन की कार्यवाही स्थगित करनी चाहिए थी और कार्यवाही स्थगित करके उपाध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बुलाकर इसका निराकरण करना चाहिए था। आप सदन चला रहे हैं, ऐसे सदन चलता है कोई? (व्यवधान) क्या होगा, सेक्रेटरी साहब को पता है। (व्यवधान) आसन की जिम्मेदारी है कि सदन आर्डर में चले।

श्री सभापति: सारा आर्डर में है। मैंने किसी चीज को अंकित नहीं होने दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इससे मतलब नहीं होता है कि अंकित नहीं होने दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने बिठा दिया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, हमको बोलना पड़ेगा। (व्यवधान)...

श्री सभापति: मैंने हाउस को आर्डर में लाकर के, उप नेता महोदय, हाउस को आर्डर में लाया हूं।(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी व्यवस्था से डिस्आर्डर ...(व्यवधान) +++ ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हम यहां गाली सुनने के लिए आये हैं क्या? (व्यवधान) सभापति महोदय, कैमरा नहीं है क्या हाउस के अन्दर? (व्यवधान) विधान सभा में कैमरा है, कैमरे में सारा आ रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फोटो मंगाओ पहले वहां पर। (व्यवधान) ऐसे हाउस नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या कह रहे हैं आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बैठो, एक मिनट। ऐसे नहीं चलेगा हाउस। हाउस को चलाने के तरीके हैं। इस प्रकार हाउस में डिस्आर्डर होता है तो सबसे पहले आपको हाउस को स्थगित करना पड़ेगा। You call all the members. सब पार्टी के नेताओं को बुलाइये, फिल्म को देखिये और फिल्म देखकर जो कुछ भी करना हो, वह करिये। ऐसे हाउस चलता है? +++ आप हाउस को स्थगित करिये। यह बहुत गम्भीर घटना है। आज तक नहीं हुई इतिहास में। हाउस को स्थगित करिये और हमको बुलाइये सब को और बुलाकर के उपाध्यक्ष के चैम्बर में बात करिये। (व्यवधान) यह करना पड़ेगा आपको। ये हाउस ऐसे नहीं चलता है। निकाल देंगे, क्या मतलब है निकालने का? फोटुएं निकाल देंगे क्या हाउस में से?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, आप दबाव में मत आओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं। दबाव में आना पड़ेगा, मजाक नहीं है। बैक Don't back a joke....(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप कार्यवाही चलने दें ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): खड़े हो जाओ सब, यह जोक नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ऐसे ही चलाना चाहते हो क्या? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सारे सदन की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) पूरे सदन की बात कर रहे हैं, उसकी गरिमा की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप स्थगित करिये हाउस को, हाउस ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हम तो सारे सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप हाउस को स्थगित करके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे थोड़े ही होगा हाउस ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, पूरे कैमरे लगे हुए हैं। (व्यवधान) प्रोसीडिंग्स नहीं होने दी, प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब होता है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हाउस को एडजोर्न करके बुलाइये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, विधान सभा की गरिमा का मामला ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सदन की कार्यवाही कैमरे में पूरी है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप निकाल देंगे, +++ (व्यवधान) सारा कैमरे में कैद हुआ है।

श्री सभापति: +++ उप नेता महोदय यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं सही कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप भी सभापति रहे हुए हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप भी सभापति रहे हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं रहा हुआ हूं।(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने भी दी हैं व्यवस्था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, इसीलिए कह रहा हूं।

श्री सभापति: मैंने भी व्यवस्थाएं दी हैं। जो असंसदीय है और जो भी ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): पहले लड़ जाओ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक ही बात है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं होगा, नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, यह जरूरी नहीं है कि मैं आपके कहने से सदन चलाऊं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): परम्पराए नहीं टूटेंगी ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): चलता ही नहीं है सदन ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आसन के साथ इस तरह का बरताव आपका भी ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सदन की मर्यादाओं का जिस तरह से ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जिस तरह से आप डिक्टेट करना चाह रहे हैं ...(व्यवधान) आसन को, यह भी सदन की परम्परा का हिस्सा नहीं रहा है। (व्यवधान) आसन ने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आप लड़ाना चाहते हो क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जब आसन ने व्यवस्था दे दी ...(व्यवधान) कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: पूरी प्रक्रिया को आप जानते हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उसके बाद आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप शब्दों को तो निकाल सकते हो ...(व्यवधान) निकाल दोगे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जो हुआ, इसको आप न्यायोचित समझते हो क्या? (व्यवधान) यह सही है क्या (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जिस तरह का दृश्य यहां उपस्थित हुआ, उसको निकाल सकते हो क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वह जो जूते फेंकने का दृश्य हुआ था, वह क्या था? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उस पर कार्यवाही हुई थी ना। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अभी कल, परसों टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): शब्दों को निकाल सकते हो, निकाल दोगे ...(व्यवधान) लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उसको निकाल सकते हो क्या? (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आपको गरिमामय लग रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह सही है क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सारे जने बोलोगे ...(व्यवधान) सभापति महोदय, व्यवस्था दी जा चुकी है। अब आसन को निर्देशित करने की ...(व्यवधान) कितनी बार कोशिश करेंगे? (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र मीना (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, हमारे मुख्य सचेतक बोल रहे हैं, अन्य बोल रहे हैं। यह बिलकुल निंदनीय कार्य किया है। आप इसका फेवर कर रहे हैं, यह बिलकुल गलत बात है। जो हुआ है, सदन में गाली-गलौच बिलकुल ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): विधान सभा की गरिमा है, मर्यादा है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): विधान सभा की गरिमा है... (व्यवधान) गरिमा को बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): हमारे सचेतक साहब ने कह दिया और कर दिया, अब ध्यान तो रहता नहीं किसी चीज का (व्यवधान) सदन है, तमाशा है यह? (व्यवधान) क्या लाठियां चलाना बाकी रह गयी है (व्यवधान) असभ्यता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): हम मां-बहनें बैठी हुई हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): महिलाएं बैठी हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आसन को इस बात के लिए ...(व्यवधान) इस विधान सभा की गरिमा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कमाल कर दिया। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इसको आप नगरपालिका मत बनाओ। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, आसन का कर्तव्य है, निष्पक्ष होकर के ...(व्यवधान) कोई काम करें। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपके खिलाफ करेंगे वाक-आउट हम। कर लेना फिर आप जो भी ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और फिर क्या करें? (व्यवधान) अगर जो दृश्य यहां उपस्थित हुआ है, अगर उसको निकाल सकते हो तो निकाल दो। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आज तक ऐसी कोई परम्परा नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उसको निकाल सकते हो क्या जो दृश्य उपस्थित हुआ है? (व्यवधान) शब्दों को निकाला जा सकता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छा थोड़े ही हुआ है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ऐसी विधान सभा में नहीं बैठना।

श्री सभापति: अच्छा थोड़े ही हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अच्छा नहीं हुआ तो क्या मेसेज जायेगा? (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): हम यहां क्या गालियां सुनने के लिए आये हैं? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अच्छा नहीं हुआ तो करिये कार्यवाही। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उसका कोई परिमार्जन नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): कल बड़े-बड़े अखबारों में छपेगा कि गाली-गलौच हुई है, सदन में बैठकर कार्यवाही चली है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या इस सदन की मर्यादा रह जायेगी? (व्यवधान) अब यही बाकी रह गया कि लड़ना-भिड़ना और क्या ... (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): कार्यवाही से निकालने से ...(व्यवधान) हो जायेगा क्या (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): अपशब्दों का प्रयोग हुआ है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): कल पेपर में छपेगा सब का सब। (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): जनता में मेसेज क्या जायेगा? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रोटेस्ट करो खूब जोर से ... (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): कोई कार्यवाही नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, आप कार्यवाही से तो निकाल देंगे शब्दों को लेकिन जो प्रेस छापेगी, उसको रोकोगे क्या? (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): कल बड़े-बड़े अखबारों में आयेगा ...(व्यवधान) और सदन चल रहा है, कोई कार्यवाही नहीं हुई ... (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आपसे गुजारिश है हमारी सब की ... (व्यवधान) व्यवस्था दीजिये इसमें आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपके खिलाफ अविश्वास का ... (व्यवधान) नक्की करो काम ...(व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: लाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ला ही रहे हैं तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: लाना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++

श्री सभापति: मैं जब तक आसन पर बैठा हूं, आप आसन को धमकाने का काम नहीं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): धमका नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आसन को। (व्यवधान) आसन को कहने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सभापति: इस दबाव में आकर के ...(व्यवधान) यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सम्भव करना हमको है। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं है। आप जानते हैं नियम और प्रक्रिया ... (व्यवधान) प्रक्रिया और नियमों को आप जानते हैं। (व्यवधान) उसके बावजूद आप जैसा वरिष्ठ सदस्य ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): हमको कहना नहीं पड़ता। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं सही कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप जानते हैं, सदन के नियम बने हुए हैं। (व्यवधान) किन नियमों के तहत कार्यवाही होती है आप जानते हैं। (व्यवधान) आप जानते हैं ना अच्छी तरह से (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, जानता हूं अच्छी तरह से ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: जानते हैं ना?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री सभापति: तो नियमों के तहत होगी जो भी कार्यवाही होगी। आप यह कह रहे हो कि स्थगित कर दो, यह नहीं है नियम। (व्यवधान) मैं हाउस को आर्डर में लेकर आया हूं, उसके बाद मैंने नाम पुकारा है। हाउस आर्डर में नहीं आता तो मैं स्थगित कर देता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरी बात सुन लीजिये।

श्री सभापति: हाउस को आर्डर में लाने के बाद मैंने माननीय..., और जो आप कह रहे हैं कार्यवाही के लिए, उसका आपको मालूम है कि उसके सारे विधान सभा में नियम बने हुए हैं, उन नियमों के तहत कार्यवाही होती है। यह आप अच्छी तरह से, मेरे से ज्यादा आप अनुभवी हैं। मैं आपको इसके अन्दर क्या सलाह दूं, माननीय उप नेता महोदय?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, हम तो अनुभवी नहीं हैं।

श्री सभापति: हाउस आर्डर में नहीं आता तो मैं स्थगित कर देता।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): क्या अब हाउस आर्डर में है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप हाउस को आर्डर में नहीं आने दे रहे हो। (व्यवधान) आप तो विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आप पहले आर्डर में तो लायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: लोग बाहें चढ़ा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हमने सबने गालियां सुनी हैं ...(व्यवधान) सबने गालियां सुनी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ): हमने सबने गालियां सुनी हैं, माननीय महिला सदस्य यहां बैठी हुई हैं, इस सदन का अपमान हुआ है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): यह तो परम्परा चल जाएगी, अगर आप इसके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे तो।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने आपसे इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि इस सदन का मैं सदस्य हूं! मां की गाली खाने के लिए नहीं आया था। और इतनी ताकत है लड़ने की तो सदन के बाहर आ जाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): पहले मेरी बात सुनिये। मैं मां की गाली सुनने के लिए नहीं आया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब से विधान सभा चली है, तब से पूरे विधान सभा को हाईजेक कर रखा है एक माननीय सदस्य ने। किसी भी सदस्य के लिए कुछ भी बोल दें, मुख्य मंत्रीजी के लिए कुछ भी बोल दें, किसी भी मंत्रीजी के लिए कुछ भी बोल दें। कमजोर कोई भी नहीं है, सब अपनी ताकत से जीत कर के आये हैं और ताकत का इतना घमंड है तो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं दुःख के साथ कहता हूं कि इस सदन का मैं सदस्य हूं। अगर मुझे पता चलता कि इस तरह के लोग इस सदन में बैठते हैं तो जिंदगी के अन्दर मैं यहां यह राजनीति का कैरियर नहीं चुनता। मुझे दुःख है कि जिस छोटी सी बात के लिए आप यहां पर बैठकर के मेरे मुख्य सचेतक प्रस्ताव लेकर के आ जाते हैं और अभी वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उस सदस्य का बचाव करना चाहते हैं जिस

(डा. राजकुमार शर्मा)
सदस्य ने सरेआम मां की गाली बकी है। हम आपको कहना चाहते हैं, आसन से कहना चाहता हूं, कभी भी मुझे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):...(व्यवधान) विधान सभा का सदस्य नहीं होना, जहां पर कम से कम मेरे परिवार के स्वाभिमान को नहीं बचा सकूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। बीच-बीच में क्यों खड़े हो आप? आप विराजें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय ... (व्यवधान) आप सदन के नेता नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, आप सदन के नेता नहीं हैं। मैं भी नियमों से बंधा हुआ हूं। मैं भी नेता के लिए काम करता हूं। हर बात नेता से पूछकर के ही होती है। आप में जब जरा सा सेंस हो तो समझेंगे इस बात को। यह मेरे हाथ का काम नहीं है। पार्टी में चर्चा होती है, विचार होता है, नेता का आदेश होता है। और यहां बोल रहे हो विधान सभा के अन्दर।

माननीय सभापति महोदय, यह सारी जो बातें हुई हैं, इनको आप सदन की कार्यवाही से निकालिये और सदन चलाइए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ऐसे कैसे निकाल देंगे? ऐसे कैसे निकाल देंगे? सदन की कार्यवाही से कैसे निकाल देंगे? कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जो भी वाक़या हुआ है, इसको आप सदन की कार्यवाही में अंकित नहीं होने दें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यह सारी कार्यवाही, कार्यवाही से नहीं निकाली जाए। इसका समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाए ताकि सारी जनता को पता लगे कि हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। क्यों छिपाना चाहते हो आप इस बात को?

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर सारी चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए, सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाए और बुलाकर इस पर विचार किया जाए।

(21.22 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): जब आदमी अपना संतुलन खो देता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसको गांठ बांधकर के ... (व्यवधान) बात समाप्त हो चुकी है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): पार्टी वाली बात ही नहीं है, यह तो सदन की बात है सारे की। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): बात समाप्त हो चुकी है और सदन को आगे आप चलायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बात समाप्त नहीं हुई है। (व्यवधान) कोई बात समाप्त नहीं हुई है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): नहीं हुई कोई बात समाप्त। क्या समाप्त हुई? महिला सदस्य बैठी हैं और गाली-गलौच हो रही है। यहां पवित्र सदन का अपमान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप क्या कह रहे हैं? आप हमको नहीं बोलने दे रहो हो। आपने दादागिरी कर रखी है क्या? (व्यवधान) आप ही ठेकेदार हो गए सारे बोलने वाले? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आजाद साहब, माननीय आजाद साहब, प्लीज एक मिनट आप विराजिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें तो सही एक मिनट। हां, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आप जब यहां नहीं थे चैम्बर में, उस समय बहस चल रही थी। माननीय हनुमानजी बेनीवाल बोलने के लिए खड़े हुए। उसके बाद में माननीय हनुमानजी के और राजकुमार जी के कोई बात हुई जो कैमरे में भी है और जो उसमें भी है। वह सदन की कार्यवाही ऐसी थी जो मैंने सदन में आज तक कभी नहीं देखी। हमारे लिए वह किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है। इसलिए हमने सभापति महोदय को आग्रह किया कि आप सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दें पन्द्रह मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए; उस सारी कार्यवाही को मंगाकर उसका वीडियो भी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देखें, शब्दावली भी देखें और उसके बाद में सबके निर्णय से जो निर्णय हो, वह आप निर्णय करें ताकि सदन की अप्रतिष्ठा नहीं हो, सदन की गरिमा बनी रहे और सदन में जो कुछ हुआ है, उसके लिए जिन-जिन माननीय सदस्यों ने ऐसा किया है, वे पश्चाताप करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात को हम देखें। यह अगर उस समय स्थगित होती तो यह बात यहां पर समाप्त हो जाती। सभापति महोदय ने सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की। सदन में इस प्रकार का माहौल बना जो शायद 1980 से लेकर आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार के माहौल में यदि सदन में उचित कार्यवाही नहीं होगी और उसको अपन प्रतिपक्ष, पक्ष, सब लोग मिलकर उसको देखेंगे नहीं और उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यह सदन की मर्यादाओं के विपरीत होगा। यह आचरण हमारे लिए उपयुक्त नहीं है।

इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक बार आप सदन की कार्यवाही को स्थगित करें, प्रोसीडिंग्स देखें और विजुअल्स को देखें और देखने के बाद में सब नेताओं की राय लें। उसके बाद में जो भी आपको निर्णय करना हो, वह निर्णय हम मंजूर करेंगे।

मैं बहुत साफ कहता हूं कि इसके बाद भी अगर इस प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम इस प्रकार की किसी भी घटना में जिसमें आसन की गरिमा भी गिरे, जिससे सदन की गरिमा भी गिरे, पक्ष की गरिमा भी गिरे और प्रतिपक्ष की गरिमा भी गिरे, उस कार्यवाही में हम शामिल नहीं हो सकते और हमको मजबूरी में इस सम्पूर्ण घटना के विरोध में सदन से वाक-आउट करना पड़ेगा। यह निर्णय आसन का है, आसन जो भी निर्णय करेगा हम मान्य करेंगे। लेकिन हम इस प्रकार की घटना की घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम चाहते हैं कि सदन में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो और जो कुछ हुआ है, उसका समाधान करें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अप्रिय घटना इस सदन के अन्दर घटित हुई, उसका सब लोगों को दुःख है। कोई भी माननीय सदस्य, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो, चाहे प्रतिपक्ष का हो, इस तरह की घटना की उम्मीद करके इस सदन में नहीं आता है, यह बात हम जानते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आसन ने व्यवस्था दे दी इस घटना के बारे में, सारी जो कार्यवाही थी वह सदन की कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था देने के

(डा. रघु शर्मा)

बाद, हाउस को आर्डर में लाने के बाद उन्होंने इस हाउस को चलाने की व्यवस्था दे दी।

उसके बाद, माननीय उप नेता महोदय, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं लेकिन कम से कम इस आसन की गरिमा तो आप भी बनाकर के रखो। जिस भाषा में आप उनसे बात कर रहे थे, आसन के प्रति किस तरह से निरादर का भाव उसमें टपकता था। मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं, छोटा भी हूं आपसे और अनुभव भी मेरा कम है लेकिन वह आप जैसे गरिमामय व्यक्ति के लिए शोभा वाली बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे क्या शोभादायक है, यह मैं जानता हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, यह तो मैं कह सकता हूं, यह मेरा अधिकार है। मैंने रोका नहीं है आपको, मैंने नहीं रोका है आपको। आप जब बोल रहे थे, मैंने नहीं रोका आपको। मुझे भी मेरी बात कहने का अधिकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने रोका है, मुझे नहीं करनी बात आपसे। (व्यवधान) यह गरिमा का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: शांति, शांति से।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जहां तक सवाल है आसन की व्यवस्था का, आसन द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है और ऐसे घटनाक्रम भविष्य में घटित नहीं हो। हम भी यह भावना रखते हैं कि आसन ऐसी व्यवस्था करें जिससे आइंदा इस तरह की घटनाओं की इस सदन के अन्दर पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, पारीक साहब, मैं जब यहां आया तो माननीय आजाद साहब बोल रहे थे। आप थोड़ा जल्दी, आजाद साहब, आप एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपके आने से पूर्व एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसकी कोई तारीफ नहीं कर सकता। आप अब उसको मिटाने के लिए, सदन स्थगित तब होता है जब स्थगित करने के हालात हों।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

सदन व्यवस्थित हो चुका है। अब आप तो यह है कि दोनों जो सदस्यों को अपने यहां बुलाकर के और इनसे थोड़ी बात करके तसल्ली से यह बात खतम करें तो यह दुर्भावना खतम होगी। सदन में बीसों बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और आज भी कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट गया कि इस मामले को नहीं हटाया जाए। आप बुला लें और बुलाकर के ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। नहीं, नहीं, सदन में कोई घटना गलत नहीं घटनी चाहिए। हां, पारीक साहब, आप क्या फरमा रहे थे?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे अरसे से इस सदन में आ रहा हूं और वह समय भी देखा है, जब सदन में कई बार तनाव के हालात बने लेकिन इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण बना कि कभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। आज के जो हालात मैंने देखे, माननीय सभापति महोदय, सिर नीचे शर्म से झुक जाता है। पूरे सदन को ऐसे माननीय सदस्य के प्रति भर्त्सना करनी चाहिए और जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है और मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी माननीय जो पार्टी के सदस्य हैं, उनको बुलाकर के आपको इस बारे में चिंतन करना चाहिए। भविष्य में कभी भी इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर रोक लगनी चाहिए। यह निर्णय आपका है, आज आप सदन चलायें। मैं माननीय उप नेता महोदय से भी निवेदन करूंगा, आप सब लोग बैठे हैं, आप भी हैं, सी पी एम के भी हैं, निर्दलीय भी हैं, आप स्वयं लेकर के बैठें और इस कदम की सदन में पुनरावृत्ति न हो, इसको एन्श्योर किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी माननीय सदस्य व्यक्तिगत आक्षेप सुनने के लिए, परिवार के प्रति गालियां सुनने के लिए सदन में निश्चित रूप से नहीं आता है। सबका व्यवहार सद्‌भावनापूर्ण होना चाहिए, वाणी संयमित होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता की सारी हदें तो छोड़िए आप, जिस भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, कल्पनातीत है, कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इतने बड़े इस सदन में बैठकर के इस कदर यदि कोई भाषा बोल सकता है तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निंदनीय दुष्कृत्य कल्पना के बाहर है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, पूरे सदन को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पक्ष या विपक्ष या विवाद की बात नहीं है लेकिन आज इस तरह की गाली, शायद पहली बार सभी सदस्यों ने सुनी होगी। यह कोई मामूली या वाद-विवाद भी हो, लेकिन इस तरह की भाषा, मतलब बाहर संदेश और आने वाली भावी पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा और बाहर राजस्थान की जनता क्या सुनेगी? वाद-विवाद भी हो लेकिन इस तरह की भाषा, मतलब बात ही खतम हो जाती है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम महिला विधायक भी बैठी हैं, जिस तरह की गन्दी भाषा का प्रयोग हुआ है तो हमारा सिर शर्म से झुक गया। मैं तो यही चाहूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए स्थगित करा के जो भी मैटर है, उसको सुलझा कर फिर ही सदन चलायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो मेसेज बहुत गलत जाएगा। कल अख़बार में बड़े-बड़े शब्दों में छपेगी यह बात। हम सदन चला रहे हैं, बगैर किसी कार्यवाही के और हम महिला विधायक हैं, मां-स्वरूप हमारी जीजी बैठी हुई हैं, मां की और इस तरह के गन्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है तो इसको ध्यान में लें।

श्री उपाध्यक्ष: जिस प्रकार की बातें सामने आईं, हालांकि सभापतिजी ने अपना जो भी निर्देश देना था यह कार्यवाही से निकालने का, लेकिन वह सफीशिएंट नहीं, यह मैं मानता हूं और प्रेस, मीडिया भी ऐसी घटना को नहीं छापे, ऐसा हम मान कर चलते हैं, जब कार्यवाही से शब्द निकल गया तो। क्योंकि अब उसको देख करके कोई निर्णय करना है तो निर्णय निश्चित तौर पर करेंगे, सदन की भावना के अनुरूप होना चाहिए और सदन की गरिमा ही नहीं बनी रहे, सदन का आदर और जो भी हमारी संसदीय परम्पराएं हैं, वे कायम रहनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप सबकी भावना से वाकिफ हूं और हम सब जानते हैं, तो यह देख करके कल जो भी निर्णय होगा, उसके बारे में अपन निर्णय करेंगे। आज चूंकि अभी कोई ज्यादा बिजनेस बाकी रहा भी नहीं, तो देख करके, सब बैठ करके जो भी सम्मानजनक निर्णय होगा, सदन की गरिमा का, सदन की परम्परा का, हर सदस्य की गरिमा का, तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आज जो भी कार्यवाही है, उसको देख करके सारा जो भी है उचित निर्णय होगा, सही निर्णय होगा और निष्पक्ष निर्णय होगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अभी होगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज नहीं है, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज है बोलना और एक है विजुअल्स। उधर जाना,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपस में आना, वाद-विवाद होना, मारने-पीटने तक की नौबत आना और बोलना, दो चीजें हैं। आप सदन की कार्यवाही से बोलना निकाल देंगे, तो यह हाथापाई की जो नौबत आयी, वह कैसे निकलेगी?

इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही आप स्थगित करें। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है और प्रतिपक्ष सदन का अपमान सहन करने के लिए तैयार नहीं है। हम सदन की कार्यवाही का विरोधस्वरूप कि सदन में जो सारी घटना हुई है उस घटना की हम निन्दा करते हैं और दोनों बातों की निन्दा करते हैं। एक की नहीं करते हैं, हम दोनों बातों की निन्दा करते हैं; जो अपशब्दों का प्रयोग हुआ, उसकी भी निन्दा करते हैं और जो हाथापाई की नौबत आयी, उसकी भी निन्दा करते हैं। चूंकि अब उसके ऊपर सदन की मर्यादा की रक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है, इसलिए हम सब लोग, प्रतिपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता है विरोध के स्वरूप।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): कोई हाथापाई नहीं हुई है, क्यों आप जबरदस्ती हाथापाई का नाम ले रहे हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) कोई हाथापाई नहीं की।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ...(व्यवधान) जबरदस्ती निकलना हो तो जाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसको एक्सपंज किया जाता है और मेरा निवेदन है प्रेस, मीडिया से भी कि इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यह राजस्थान की गरिमा का सवाल है। जो भी विजुअल्स वगैरह हैं, उनका किसी तरह का उपयोग नहीं होगा और आगे आज की कार्यवाही को चालू रखा जाता है।

माननीय श्री नाथूरामजी सिनोदिया।

एक माननीय सदस्य: जवाब करा दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक सदस्य-एक सदस्य, दो मिनट प्लीज। आप बोलो।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं तो मेरे किशनगढ़ की मांग है, उसके बारे में ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: जी, हां।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): आज स्वास्थ्य के बारे में जो बहस चल रही है, मेरे किशनगढ़ में पहले किशनगढ़ शहर के नाम से विख्यात था, फिर मदनगंज हो गया और अब हो गया वह गांधीनगर। गांधीनगर में पन्द्रह वार्ड हैं, पन्द्रह वार्डों में कोई अस्पताल नहीं है। वह खुलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

माननीय पेमारामजी, थोड़ा संक्षेप में।

आप बोलोगे? ठीक है।

माननीय श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) साहब।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद और चिकित्सा शिक्षा विभाग की वर्ष 2012-13 की अनुदान मांगों पर चर्चा में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और आयुर्वेद जैसे संवेदनशील विभागों की मांगों पर विस्तारपूर्वक मनन करते हुए मेरा और सरकार का मार्गदर्शन किया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और इन्हें आमजन के लिए सुलभ बनाने के अपने लक्ष्य की ओर लगातार अटल निष्ठा और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहा है और विभाग की ओर से शुरू की गई गतिविधियों और स्वास्थ्य अभियानों से इस दिशा में अभूतपूर्व सफलता भी हासिल की गई है। हमारा संकल्प है कि ढाणियों, गांवों से लेकर शहरों तक हमारी जनता को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और उनकी गुणवत्ता को कायम रखें जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग सजग भी है और सचेष्ट है क्योंकि यह जनता का अधिकार है और हमारी सरकार की प्राथमिकता भी।

इस सत्र में 91 माननीय सदस्यों के 277 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 284 सवाल निहित हैं। मैंने उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

पाया है कि अधिकांश कटौती प्रस्ताव नये चिकित्सालय खोलने, रोगी शय्याओं को बढ़ाने, चिकित्सा सेवाओं में विस्तार करने, चिकित्सकों और नर्सिंगकर्मियों के रिक्त पदों को भरने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उक्त प्रस्तावों में कुल 103 विभिन्न स्तर पर नये सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और अपग्रेड करने, 57 नवीन नियुक्तियों और रिक्तियों को भरने के लिए, 12 भवन निर्माण से सम्बन्धित, 110 प्रबंधन सम्बन्धी शिकायतों और सुझावों और दो राष्ट्रीय कार्यक्रमों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी कटौती प्रस्तावों के जवाब निष्ठापूर्वक 48 घंटे में भिजवा दिये जाएंगे।

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जन-जन से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील विभाग है। वर्तमान सरकार आम जन को, खास तौर पर गरीब और पिछड़े वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए कमिटेड है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट में इस साल विभिन्न योजनाओं का प्रावधान रखा गया है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति होगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में क्रियान्वित महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा।

नियुक्तियां

चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से कुल 1,438 चिकित्सकों और राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज के कुल 1,421 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है। इस तरह वर्ष 2011 में विभाग द्वारा कुल 2,859 चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति दी गई जो सरकार की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि है। चिकित्सा अधिकारियों एवं एम ओज को शुरुआती वेतन 16,800 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। नवनियुक्त चिकित्सकों की इंटर्नशिप को प्रोबेशन पीरियड में शामिल करते हुए प्रोबेशन पीरियड को एक साल कर दिया गया है। पी.जी. डाक्टर्स को नवनियुक्ति पर तीन साल की ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता को समाप्त कर शहरों में भी पदस्थापन हेतु नियमों में रिलेक्सेशन किया जा चुका है। चिकित्सकों को 6-6-6 वर्ष के अंतराल पर समयबद्ध

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

पदोन्नति की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 56 रिक्त पदों को भरने हेतु साक्षात्कार की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 400 पदों को भरने हेतु रिक्वीजिशन आर यू एच एस को भिजवाई जा चुकी है व अतिरिक्त 125 पदों की रिक्वीजिशन भिजवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार नर्सिंग और पैरामेडिकल कैडर के नर्स श्रेणी द्वितीय के 876, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) के 1678, ग्रामीण सहायक रेडियोग्राफर के 60 और सहायक रेडियोग्राफर के 58 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष मृतक आश्रित कम्पेशनेट नियुक्ति के तहत मार्च-2012 तक कनिष्ठ लिपिक के 83, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में 84 और वाहन चालक के 02 पदों पर मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की गई है। लैब टैक्निशियन के 288 रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर दिनांक 28.03.2012 क़ो अंतरिम चयन सूची जारी की जा चुकी है तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मेडिकल कालेज और एसोशिएटेड हास्पिटल में नर्स श्रेणी द्वितीय के 614 पदों को आवश्यक/अस्थाई आधार पर भरने हेतु प्राचार्य और नियंत्रक, मेडिकल कालेज को अधिकृत किया गया है। फर्मासिस्ट के 1,478 पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा चुका है। परीक्षा RUHS द्वारा आयोजित की जानी है। इसके अलावा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नर्सिंग ट्यूटर 61 और फिजियोथेरेपिस्ट के 34 पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। इस प्रकार हमारी सरकार ने तीन साल में MOs के 4,108 पदों पर नियुक्ति दी है और नान-गजिटेड में 13,859 पदों पर नियुक्तियां दी हैं।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2011-12 में की गई घोषणाओं की अनुपालना में दिनांक 02 अक्टूबर, 2011 को राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा "मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना" का शुभारम्भ किया गया, जो कि सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है। राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन 33 जिलों में स्थापित ड्रग वेयरहाउसेज के जरिये राजकीय अस्पतालों को दवाओं की निरन्तर आपूर्ति कर रहा है और सभी

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

राजकीय अस्पतालों में संचालित कुल 14,964 ड्रग डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर्स से मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है। मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत RMSC के द्वारा 477 अति आवश्यक दवा सूची में से अब तक कुल 380 जेनेरिक ड्रग का रेट कांट्रेक्ट किया जा चुका है, उक्त 380 ड्रग के परचेज आर्डर जारी किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयरहाउस पर 293 दवाइयां और 42 सर्जिकल एण्ड स्यूचर्स, कुल 335 आइटम्स उपलब्ध हैं। शेष औषधियां भी जल्द ही उपलब्ध करवा दी जायेंगी।

इनके अलावा, राज्य में DOTS, Malaria, leprosy, JSSY व अन्य कार्यक्रमों में भी नि:शुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। 132 सर्जिकल एण्ड स्यूचर्स का रेट कांट्रेक्ट किया जा चुका है, 78 आइटम के परचेज आर्डर जारी किये जा चुके हैं, शेष 54 आइटम के पर्चेज आर्डर जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 200 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया जिसमें से लगभग 103 करोड़ रुपये की दवाइयां, सर्जिकल आइटम्स एण्ड स्यूचर्स का नि:शुल्क वितरण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में योजना के लिये 300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। उक्त योजना के शुरू होने के बाद 20 प्रतिशत IPD व 60 प्रतिशत OPD में मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और हर रोज राज्य में 2 लाख से ज्यादा मरीजों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

राजस्थान जननी सुरक्षा योजना राज्य की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है जिसे दिनांक 12 सितम्बर, 2011 को शुरू किया गया। यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस योजना के तहत राज्य में मार्च, 2012 तक कुल 4,18,151 प्रसूताओं को लाभान्वित किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप इंस्टिट्यूशनल डिलिवरी में पिछले साल के मुकाबले 6 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।

इसके तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को सम्पूर्ण चिकित्सा की सुविधाएं जैसे - प्रसव, सिजेरियन आपरेशन द्वारा प्रसव, दवाइयां, जांचें, रक्त की सुविधा, गर्म खाना, रेफरल परिवहन, नि:शुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। महिलाओं को घर से चिकित्सा संस्थान और प्रसव के उपरान्त चिकित्सा संस्थान से घर पहुंचाने के लिए नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 108 एम्बुलेंस और चिकित्सा

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

संस्थानों में उपलब्ध एम्बूलेंस के अलावा 1,18,679 निजी वाहनों को भी आइडेंटिफाई किया गया है जिससे आपात परिस्थितियों में महिलाओं को शीघ्र ही नजदीकी चिकित्सा केन्द्र पर ले जाया जा सके। जो जांचें गवर्नमेंट हास्पिटल में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार के खर्चे पर नजदीक में उपलब्ध निजी लेबोरेटरीज से करवाने का प्रावधान रखा गया है।

मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में राज्य में डिलिवरी लोड के आधार पर 1,665 चिकित्सा संस्थानों को डिलिवरी पाइंट्स के रूप में आइडेंटिफाई कर सुदृढ़ीकरण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें से 120 चिकित्सा संस्थानों पर कांप्रीहेंसिव मेटर्नल एण्ड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज मुहैया करवाई जायेगी। राजस्थान में पिछले कुछ सालों में मातृ मृत्यु एव शिशु मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। According to latest SRS survey राज्य की शिशु मृत्यु दर 59 प्रति हजार जीवित जन्म से घट कर 55 प्रति हजार जीवित जन्म हो गयी है और MMR 388 से 318 प्रति लाख हो गई है। 11.04.2012 क़ो सेफ मदरहुड पर नेशनल कांफ्रेंस जयपुर में आयोजित की गई थी जिसमें केन्द्र सरकार ने भी माना है कि जननी शिशु सुरक्षा योजना में सर्वश्रेष्ठ इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान में हुआ है। योजना को और मज़बूत करने के लिए कांफ्रेंस में डिस्कशन हुआ। राज्य की जरूरत को देखते हुए गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अतिरिक्त प्रस्ताव मांगे हैं जिनमें आइडेंटिफाइड 1,665 डिलिवरी पाइंट्स जिनमें 7 मेडिकल कालेज, 31 डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, 343 कम्युनिटी हैल्थ सेंटर, 16 सब-डिविजनल हास्पिटल एण्ड सैटेलाइट हास्पिटल, 475 प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स और 793 सब-सेंटर्स को ज्यादा मज़बूत करने के लिए और गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को रेफरल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त 400 वाहन (बेस एम्बुलेंस) की व्यवस्था पर फोकस किया जायेगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय मंत्रीजी के जवाब एवं मांग पारित होने तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह मैं रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि यह इंम्पोर्टेंट है, मैं स्पीच खतम होने के बाद भी कुछ कहूंगा, यहां जो बात हुई है उस पर भी मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा।

ज्यादा मजबूत करने के लिये और गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को रेफरल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अतिरिक्त 400 वाहन (बेस एम्बूलेंस) की व्यवस्था पर फोकस किया जायेगा जिससे कि महिलाओं को प्रसूति केन्द्रों पर लाने हेतु सुविधा रहे, जिसके स्वीकृत होने की पूरी सम्भावना है।

नवजात शिशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर फैसिलिटी बेस्ड न्यू-बोर्न केयर क्रियाशील किये गये हैं, जिनमें जन्म के समय लो वेट बेबीज, प्रिमेच्योर बच्चे और गम्भीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं का उपचार किया जाता है। 3 आइडेंटिफाइड जिलों के FBNC केन्द्रों में उपचारित होने वाले शिशुओं की घर जाकर मानिटरिंग की जा रही है। अगले साल इस योजना को अन्य जिलों में भी होम बेस्ड पोस्ट-नेटल केयर के तहत इम्प्लीमेंट करने की योजना है। वर्तमान में नवजात शिशुओं की स्पेशल देखभाल हेतु 36 फैसिलिटी बेस्ड न्यू-बोर्न केयर सेंटर्स कार्यरत हैं और 86 चार बेड वाले न्यू-बोर्न स्टेबिलाइजिंग यूनिट्स कार्यरत हैं तथा 820 न्यू-बोर्न केयर कार्नर कार्यरत हैं। 100 शय्याओं वाले सभी चिकित्सा संस्थानों में न्यू-बोर्न स्टेबिलाइजिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। प्रेग्नेंसी एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के तहत राज्य में 33.90 लाख प्रसूताओं और 19.80 लाख शिशुओं की निरन्तर आन-लाइन मानिटरिंग की जा रही है। उक्त कार्यक्रम के तहत राज्य को इम्प्लीमेंटेशन और चिकित्सा के क्षेत्र में सफलतापूर्ण परिणामों के फलस्वरूप भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सिटिजन सेंट्रिक सर्विस डिलिवरी में आउटस्टेण्डिंग काम करने के फलस्वरूप नेशनल अवार्ड फार ई गवर्नेंस 2011-12 से सम्मानित किया गया है।

बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज

माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की तरफ आकर्षित किया है। इसके अन्तर्गत एन आर एच एम से वित्तीय वर्ष 2011-12 में माह फरवरी तक विभिन्न निर्माण कार्यों पर 81 करोड़

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

रुपये खर्च किये जा चुके हैं जिसमें 37 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 95 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के अपग्रेडेशन हेतु परिवर्तन/परिवर्धन और 319 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर 129 डाक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के आवासीय भवनों, 25 लेबर वार्ड व अन्य निर्माण कार्य करवाये गये हैं। आर एस एस डी पी के तहत वर्ष 2011-12 में माह फरवरी तक सिविल कार्यों पर 7.05 करोड़ रुपये खर्च कर 15 बर्न वार्ड, 11 रिहैबिलिटेशन सेन्टर, 1 आई सी यू और 7 ट्रोमा वार्ड का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। एन आर एच एम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 1015.72 करोड़ रुपये की पी आई पी अप्रूव हुई जिसके विरुद्ध माह फरवरी 2012 तक 885.09 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं जो कि कुल पी आई पी का 87.13 प्रतिशत है। मार्च एण्ड तक जब आएंगे फिगर, तो यह और बढ़ जाएगा। उक्त मिशन के तहत राज्य की बेहतर कार्य कुशलता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट आबंटन हेतु सहमति दी गई है और अकेले राजस्थान को करीब 250 करोड़ का अतिरिक्त आबंटन केन्द्र सरकार ने मंजूर किया है। वर्ष 2012-13 के लिए हमने 1,600 करोड़ रुपये का पी आई पी बनाकर केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया है।

मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष योजना में राजस्थान की लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ दिया जा रहा है। उक्त योजना के तहत दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 29 फरवरी, 2012 तक की अवधि में कुल 111 लाख 38 हजार बी पी एल रोगियों (ओ पी डी 101.18 लाख, आई पी डी 10.20 लाख) को जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी जिस पर 120.34 करोड़ रुपये (ओ पी डी में 55.86 करोड़, आई पी डी में 64.48) की राशि व्यय की गई है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारी पर अधिकतम खर्च की कोई सीमा नहीं है। 02 अक्टूबर, 2011 से राज्य के हीमोफिलिया और थेलिसिमिया के मरीजों को भी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

108 एम्बुलेंस योजना

राज्य में आपातकालीन स्थिति में रोगियों को उच्च स्तरीय अस्पताल में ले जाने और साथ में प्राथमिक चिकित्सा की नि:शुल्क सुविधा देने के लिए 108 एम्बूलेंस सेवा योजना सितम्बर 2008 से लागू की गई थी। राज्य की शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव करवाने

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

में इस सुविधा का विशेष रूप से उपयोग किया जा रहा है। सितम्बर 2009 से मार्च 2010 तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 17 लाख 12 हजार मरीजों/घायलों को आपातकालीन स्थिति में समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा की गई है जिसमें से 3 लाख 26 हजार से अधिक प्रसव सम्बन्धी आपातकालीन सेवाएं थीं, उनमें से एम्बुलेंस के अन्दर 2 हजार 903 डिलिवरी हुई हैं। वर्तमान में 464 एम्बुलेंस राज्य के 33 जिलों और 249 ब्लाक्स/पंचायत समितियों में कार्यरत हैं। इस बजट में 200 और एम्बुलेंस का प्रोविजन किया गया है जो कि हाई-फोकस एरियाज में जाएंगी।

टोल-फ्री 104 चिकित्सा परामर्श सेवा

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवम्बर 2011 से राज्य भर में एन आर एच एम के अन्तर्गत टोल-फ्री 104 मेडिकल एडवाइज सर्विस को शुरू किया गया है। इस सेवा के तहत राजस्थान की जनता को राज्य के किसी भी कोने से 104 टोल-फ्री नम्बर डायल करने पर मेडिकल काउंसलिंग, चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुडी योजनाओं की जानकारी, राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों की जानकारी, आदि सुविधाएं नि:शुल्क प्राप्त हो रही हैं। इस सेवा के तहत लोगों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए ट्रेंड डाक्टर्स, काउंसलर और पैरामेडिकल स्टाफ 24X7 काल सेन्टर्स में उपलब्ध रहते हैं। दिनांक 31.03.2012 तक 84 हजार 218 लोगों को इसके तहत लाभान्वित किया जा चुका है।

पी सी पी एन डी टी एक्ट

बदलेंगे सोच, बेटी नहीं है बोझ। राजस्थान में गिरते लिंग अनुपात के प्रति सरकार संवेदनशील है। पूरे भारतवर्ष में सैक्स रेशो (0-6) 914 और राजस्थान में यह अनुपात 883 है। उक्त गिरते लिंग अनुपात को रोकने हेतु सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। राज्य में अब तक 240 सेन्टर्स का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड/कैंसिल किया गया है, 274 केन्द्रों के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद पेश किये गये है और 321 केन्द्रों पर सीजर की कार्यवाही की गई है। उक्त योजना के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिलों में डिस्ट्रिक्ट कलक्टर को डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथोरिटी व एस डी एम को सब-डिविजनल एप्रोप्रिएट अथोरिटी बनाया गया है। उक्त अधिनियम के तहत राज्य में पहली बार आठ चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा निलम्बित किये गये हैं। राज्य में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध समाज में जन

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

जागृति लाने के लिए दिनांक 11.04.2012 से 04 हमारी बेटी एक्सप्रेस आई ई सी वैन फ्लैग आफ की गई है जिनके जरिये राज्य सरकार के 'बेटी बचाओ अभियान' को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। बजट घोषणा में मुखबिर योजना के तहत पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम

टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों में होने वाली 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे अधिक सुरक्षित और असरदार तरीका है। उक्त टीकाकरण कार्यक्रम राजस्थान में नवम्बर 1985 से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पोलियो, डिप्थिरिया, काली खांसी, नवजात शिशुओं में टिटनेस, खसरा और टी बी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु निवारण टीके 1 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क लगाये जा रहे हैं। 15 दिसम्बर, 2011 से प्रदेश के सभी जिलों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के साथ हेपेटाइटिस-बी टीके को भी नि:शुल्क लगाना प्रारम्भ कर दिया गया है। अभी तक हेपेटाइटिस-बी के 12 लाख 12 हजार 715 टीके लगाये जा चुके हैं। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2011-12 में मार्च 2012 तक 13 लाख 27 हजार 322 बच्चों को पूर्ण टीकाकृत कर दिया गया है। वर्ष 2012-13 में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ करने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2012-13 को 'ईयर आफ इन्टेसिव रूटिन इम्यूनाइजेशन' घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत सघन टीकाकरण सप्ताह चलाकर 2 वर्ष तक की उम्र के टीकाकरण से वंचित बच्चों को टीके लगाये जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा माह मई, जून, जुलाई और अगस्त में इन्टेंसिव इम्यूनाइजेशन वीक आयोजित किये जाने की योजना है।

नोर्वे-इण्डिया पार्टनरशिप इरिशिएटिव

उक्त कार्यक्रम राजस्थान में जुलाई 2008 में 'निपी' द्वारा तीन जिले, अलवर, भरतपुर व दौसा में प्रारम्भ हुआ। उक्त तीन जिलों में निपी द्वारा तीन जिला अस्पतालों में तीन सिक न्यू-बोर्न केयर यूनिट्स व 20 स्टेबिलाइजेशन यूनिट्स की स्थापना की गई है। वर्तमान में उक्त कार्यक्रम के तहत राज्य में 555 यशोदाएं 28 डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल और 42 कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर्स पर कार्यरत हैं। यशोदाओं द्वारा प्रति वर्ष 2 लाख 20 हजार माताओं व बच्चों की देखभाल की जाती है जिसमें संस्था में जन्म लेने वाले सभी नवजात का शत-प्रतिशत वज़न लिया जाना शामिल है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

(22.00 बजे)

स्वाइन फ्लू एक वायरस जनित रोग है जो एन्फ्लुएंजा ए(H_1N_1) वायरस के कारण होता है। राज्य में स्वाइन फ्लू का प्रथम रोगी दिनांक 24.7.2009 को पाया गया। उक्त रोग को नियंत्रित करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2009 से लेकर अप्रैल, 2012 तक स्वाइन फ्लू की स्थिति निम्न प्रकार से है- वर्ष 2009-10, संदिग्ध रोगी 11,438, पाजिटिव 3,373, मृत्यु 198; वर्ष 2010-11 संदिग्ध रोगी 5918, पाजिटिव 1,384, मृत्यु 105; 2011 (मार्च, 12 तक), संदिग्ध रोगी 876, पाजिटिव 100, मृत्यु 20; अप्रैल 2012 में, संदिग्ध रोगी 205, पाजिटिव 52, मृत्यु 05 हुई। इस वर्ष दो नागौर व एक-एक कोटा, जोधपुर व उदयपुर जिलों में मृत्यु हुई है। पाजिटिव केसेज के सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की जांच कर स्वाइन फ्लू के लक्षण पाये जाने वाले व्यक्तियों को भी दवा देने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

राज्य में स्वाइन फ्लू की जांच हेतु 6 सरकारी मेडिकल कालेजों, डी.एम.आर.सी, जोधपुर और राज्य की तीन निजी लेबोरेटरीज, डा. लाल पैथ लैब, एस.आर.एल. रेलीगेअर लैब, एरोप्रोब लैब को अधिकृत किया हुआ है। राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में जांच हेतु सैम्पल कलेक्शन सेण्टर्स कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को स्वाइन फ्लू की नि:शुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्वाइन फ्लू के नि:शुल्क उपचार हेतु दवाइयां समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं और उपचार करने वाले डाक्टर व पैरा-मेडिकल स्टाफ हेतु पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध हैं। राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में उपचार हेतु 222 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। राज्य में सभी जिलों की रैपिड रेस्पांस टीम्स गठित हैं ताकि प्रभावितों को दिशा-निर्देशानुसार शीघ्र उपचार दिया जा सके। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत है।

स्कूल हैल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत 74,777 प्राइमरी स्कूल्स, मिडल स्कूल्स, सैकण्डरी स्कूल्स, सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स और रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स, शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के वियालयों में पढ़ने वाले और एडेड मिडिल और अपर-मिडिल स्कूल के 33,66,585 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और शिक्षा

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

विभाग के को-आर्डिनेटेड एफ्टर्स से वर्ष 2011-12 में किया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच और सामान्य बीमारी जैसे बुखार, सिरदर्द, खांसी, उल्टी, दस्त, एनीमिया, आयरन व विटामिन की कमी, दंत रोग, दृष्टिदोष, आदि के 3,39,035 विद्यार्थियों का उपचार किया गया।

माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के 5 जिलों, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरगढ़, उदयपुर, सिरोही तथा बारां जिले के सभी सहरिया परिवारों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन, फोलिक एसिड, मल्टी-विटामिन, कैल्शियम विद विटामिन डी-3 की एक-एक गोली मिड-डे मील के उपरान्त 90 दिवस तक दिये जाने और प्रथम दिवस सभी लाभान्वित बच्चों को टैबलेट एलबेंडेजोल की एक खुराक एवं विटामिन-ए के घोल की एक खुराक दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में सहरिया क्षेत्र, बारां की सभी 90,000 सहरिया आबादी और जनजाति क्षेत्रों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही व उदयपुर के चयनित क्षेत्रों के लगभग 11,727 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 12.16 लाख बच्चों को माइक्रोन्यूट्रेंट दिये गये।

फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट, 2006 एण्ड रेग्यूलेशन, 2011, एफ.एस.एस.ए. 2006 को भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2010 को राजपत्र में प्रकाशित कर पूर्व से लागू पी.एफ.ए. 1954 के स्थान पर पूरे भारत वर्ष के साथ-साथ राजस्थान राज्य में भी दिनांक 5 अगस्त, 2011 से लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान को कमिश्नर, फूड सेफ्टी जरिये नोटिफिकेशन नियुक्त किया जा चुका है। प्रत्येक जिले पर एड्जुकेटिंग आफिसर, 42 डेजिग्नेटेड आफिसर्स और एक्ट में दिये गये प्रावधानों के तहत विभाग में पूर्व से कार्यरत खाद्य निरीक्षक के कार्य हेतु अधिकृत 98 कर्मचारियों को फूड सेफ्टी आफिसर का नोटिफिकेशन जारी कर एफ.एस.एस.ए. के तहत सैम्पलिंग का कार्य करवाया जा रहा है। फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट के गठन व स्पेशल कोर्ट के नोटिफिकेशन की कार्यवाही एक्ट में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रक्रियाधीन है। राज्य में पूर्व से कार्यरत 6 प्रयोगशालाओं जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर और अलवर के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी करने की अधिकतम अवधि 15 दिवस निर्धारित है। वर्ष 2011-12 में

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

दिनांक 21.3.2012 तक 3,908 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गये हैं जिनमें से 690 नमूने सब-स्टैण्डर्ड, मिस्ब्राण्ड, अन्सेफ पाये गये। 365 केसेज फाइल कर दिये गये हैं। डेजिग्नेटेड आफिसर व फूड सेफ्टी आफिसर के पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल भारत के राजपत्र में दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रकाशन के बाद लागू किया गया। 29 अगस्त, 2011 को राजस्थान विधान सभा में पारित किया गया। स्टेट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथोरिटी, आफिसर्स जिला पंजीकरण प्राधिकृत अधिकारी बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केन्द्र सरकार से नियमावली प्राप्त होते ही राज्य के नियम बनाने की कार्यवाही की जायेगी और उसके बाद निजी चिकित्सालयों के रजिस्ट्रेशन, कण्ट्रोल का कार्य शुरू किया जावेगा।

सिलिकोसिस

राज्य के अधिक खनन क्षेत्रों वाले 19 जिलों के 33 ब्लाकों की खानों में कार्यरत श्रमिकों की सिलिकोसिस बीमारी के निदान हेतु उपकरण और दवाइयों में राशि रुपये 12 करोड़ 77 लाख 39 हजार खर्च की गयी है। राज्य की खानों में कार्यरत श्रमिकों की सिलिकोसिस बीमारी के उपचार हेतु पल्स आक्सीमीटर, आक्सीजन कंसंट्रेटर सभी 33 ब्लाकों में उपलब्ध करा दिये गये हैं। सी टी-स्कैन मशीन राज्य के 7 जिलों, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बूंदी, धौलपुर में उपलब्ध करा दी गयी हैं। सी-आर्म मशीन बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बूंदी, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, करौली में भी उपलब्ध करा दी गयी हैं। उक्त क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की नि:शुल्क जांच, दवाइयां और मास्क समय-समय पर सम्बन्धित जिलों में क्षय रोग चिकित्सालय दल द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

नान कम्युनिकेबल डिजिजेज

भारत में कार्डिएक डिजीजेज, डायबिटिज, कैंसर और पैरेलाइंटिक केसेज के रोग धीरे-धीरे साइलेंट किलर के रूप में बढ़ रहे हैं और राजस्थान भी इन रोगों से अछूता नहीं है। यह कार्यक्रम राज्य के 7 जिले भीलवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर व गंगानगर में संचालित किया जा रहा है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

नेशनल ब्लाइंडनेस कण्ट्रोल प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत अंधता की वर्तमान दर एक फीसदी से घटाकर 0.34 फीसदी करने के लिए राज्य में नेत्र आपरेशन नवीनतम फेको विधि से करने हेतु 12 जिला अस्पतालों, 2 उप जिला अस्पतालों और 3 मेडिकल कालेजों को आधुनिक फेको मशीन से लैस कर दिया गया है और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर व बीकानेर मेडिकल कालेजों के नेत्र बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु क्लीनिकल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप स्थापित किये जा रहे हैं। जोधपुर मेडिकल कालेज को 40 लाख के नेत्र उपकरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

डाट्स पल्स स्कीम

राज्य में डाट्स कार्यक्रम के तहत डिटेक्शन रेट 79 प्रतिशत व सक्सेस रेट 89 प्रतिशत है जो कि लक्ष्य से क्रमशः 9 प्रतिशत व 4 प्रतिशत अधिक है और उक्त कार्यक्रम के तहत राजस्थान भारत वर्ष में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता है। राज्य में डाट्स पल्स स्कीम, टी बी के मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट रोगियों के उपचार हेतु, के तहत वर्ष 2009 से जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर सम्भाग के 21 जिलों में रहने वाले रोगियों की निःशुल्क जांच व उपचार किया जा रहा है, जिसका विस्तार कर वर्ष 2012 के अन्त तक राज्य के सभी 33 जिलों के निवासियों के लिए लागू कर दी जायेगी। उक्त प्रकार के प्रत्येक मरीज पर लगभग 1.50 लाख रुपये का खर्च सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट रोगियों की जांच रिपोर्ट में जो तीन माह का समय लगता था, उसे नई तकनीक द्वारा एक से दो दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने की सुविधा वर्ष 2011 से प्रारम्भ कर दी गई है।

नकली दवाओं की रोकथाम और औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

वर्ष 2011-12 में कुल 8,412 निरीक्षण दवा निर्माता और विक्रेताओं के किये गये व 1,802 नमूने जांच हेतु लिये गये। नकली दवा व अन्य मामलों में दवा निर्माताओं व दोषी व्यक्तियों के खिलाफ 79 मुकदमे दर्ज करने की अनुमति दी गई है। 62 औषधि नियंत्रण अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में 2.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति कर पहली बार microbiology जांच की सुविधा प्रारम्भ की

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

गई है। मुख्य मंत्री महोदय ने जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रारम्भ करने की घोषणा की है।

नेशनल एड्स कण्ट्रोल प्रोग्राम

नेशनल एड्स कण्ट्रोल प्रोग्राम का क्रियान्वयन राजस्थान राज्य में राजस्थान स्टेट एड्स कण्ट्रोल सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-तृतीय (NACP-III) 6 जून, 2007 से प्रारम्भ किया गया है।

वर्तमान में राज्य में एड्स की Prevalence rate 0.19 प्रतिशत है जो कि भारत की Prevalence rate 0.31 प्रतिशत से काफी कम है, परंतु उक्त रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार कदम उठा रही है।

राज्य सरकार की ओर से एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों के लिए मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के तहत नि:शुल्क जांच, इलाज और दवा की उपलब्धता के साथ-साथ अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो राज्य को भारत वर्ष में पहला प्रदेश होने का गौरव प्रदान करती हैं। इन योजनाओं में पालनहार योजना के अन्तर्गत सभी HIV infected children को पांच वर्ष की आयु तक 500/- रुपये प्रति माह दिया जाता है। साथ ही साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को 675/- रुपये प्रति माह और 2000/- रुपये प्रति वर्ष अलग से दिया जाता है। इस योजना से अब तक 3,251 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है।

विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत 500/- रुपये प्रति माह प्रदान किये जाते हैं और इसके अन्तर्गत 982 विधवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। समस्त HIV infected/AIDS पीड़ितों को चिकित्सालय तक इलाज हेतु आने-जाने बाबत् राजस्थान रोडवेज के किराये में 75 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जा रही है। कुछ अन्य योजनाओं जैसे MNREGA, अन्त्योदय अन्न योजना, रेल पास, नि:शुल्क रक्त उपलब्धता के माध्यम से HIV infected/AIDS पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है।

बजट घोषणाएं वर्ष 2012-13

- मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु आगामी वर्ष 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

• वित्तीय वर्ष 2012-13 में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा।

• वित्तीय वर्ष 2012-13 में 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे और आगामी दो वर्षों में तीन हजार नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे।

• वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक हजार शय्याओं की वृद्धि की जाएगी।

• 100 शय्याओं वाले सभी चिकित्सा संस्थानों में New Born stabilisation Units स्थापित की जाएंगी।

• 34 डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में 30-30 शय्याओं के और 12 सब-डिविजनल हास्पिटल्स, 6 सैटेलाइट हास्पिटल्स और 68 कम्युनिटी हैल्थ सेंटर्स में 20-20 शय्याओं के फिमेल वार्डस स्थापित किये जाएंगे।

• वर्तमान में संचालित 108 एम्बुलेंस की संख्या में 200 एम्बुलेंसेज की बढ़ोतरी की जाएगी।

• जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में Drug Testing Laboratories की स्थापना की जाएगी।

• जिला चिकित्सालय, बीकानेर और मंडोर चिकित्सालय, जोधपुर में Critical Care Unit का निर्माण करवाया जायेगा।

• बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु आगामी वर्ष में राज्य के सभी आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की De-worming करवाई जाएगी और Folic Acid की दवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

• राज्य में लिंग परीक्षण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा जिसमें विभिन्न कैडर्स के 120 अतिरिक्त पद सृजित किये जाएंगे। लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को पुरस्कार की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।

• एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत 21 हजार स्थाई पद सृजित किये जाएंगे।

• प्रदेश के ट्राइबल सब-प्लान क्षेत्र हेतु ए.एन.एम. के 1,000 पद भी सृजित किये जाएंगे और आगामी वर्षों में स्थापित किये जाने वाले 3,000 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी ए.एन.एम. की भर्तियां की जाएंगी।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

● वित्तीय वर्ष 2012-13 में दंत चिकित्सकों के 58 रिक्त पदों के साथ ही 250 नवीन पद सृजित कर भरने की कार्यवाही की जाएगी।

● संतानहीनता की समस्या के निदान हेतु ऐसे जिलों में जहां एक भी फर्टिलिटी क्लिनिक नहीं है, वहां पर प्रथम क्लिनिक की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, एक लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले दम्पत्तियों द्वारा अनुमोदित फर्टिलिटी क्लिनिक्स में उपचार करवाने पर दवाओं हेतु अधिकतम 20 हजार रुपये राशि का अनुदान दिया जाएगा।

13वें वित्त आयोग वर्ष 2012-13 के तहत प्रावधान

● वित्तीय वर्ष 2012-13 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला और जिला स्तरीय चिकित्सालयों में 100 MA की 55 X-ray Machine, 82 Semi Auto-Analizer, 92 Cell Counter, 27 CTMT, 12 Mechanized Laundry Machine, 12 Mechanized Vacuum Cleaner, 50 Dental Chair with Dental X-ray Machines, 4 Laproscope, 8 Urology Cystoscope, 7 Central Medical Gas System, 70 Cardiac Monitor with Defibrilator, 200 Emergency Resuscitation Kits, इत्यादि उपकरण उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, 13वें फाइनेंस कमीशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि गत तीन सालों में 'आयुष' विभाग में अनेक उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

● Central Sponsored Scheme के तहत अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्ष 2011-12 में 'आयुष' Programme Implementation Plan के तहत 63 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि विभाग ने स्वीकृत करवाई है, जो अपने आप में एक मिसाल है। गत सालों की स्वीकृति के साथ इस योजना के तहत 111 'आयुष' चिकित्सालयों के भवन निर्माण और नवीनीकरण के लिए 33 करोड़ 7 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, लगभग 450 औषधालयों की मरम्मत हेतु 6 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे। 3,886 औषधालयों को 50 हजार रुपये प्रति औषधालय के हिसाब से 19 करोड़ 43 लाख रुपये की दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। इसी तरह, 3 हजार औषधालयों में प्रत्येक में 15 हजार रुपये के उपकरण और 50 हजार रुपये का फर्नीचर मुहैया कराया जाएगा, जिस

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

पर 19 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च होंगे। औषधालयों की रोजमर्रा जरूरतों और कंटिंजेंसी परपजेज के लिए 3,015 औषधालयों में प्रत्येक को 10 हजार रुपये के हिसाब से 3 करोड़ 1 लाख 15 हजार रुपये मुहैया कराये जाएंगे।

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 723 आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपेथिक चिकित्साधिकारियों की भर्ती की गई, आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर के 598 पदों पर नई नियुक्ति दी गई है जबकि पिछली सरकार के 5 सालों में मात्र 350 चिकित्साधिकारियों और 150 नर्स कम्पाउण्डर की संविदा पर भर्तियां की गई थीं।

- 321 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को Compassionate Ground पर नियुक्तियां प्रदान की गईं।

- गत तीन सालों में हास्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में 28 करोड़ 40 लाख रुपये की औषधियों की सप्लाई की गई, जबकि पिछली सरकार के 5 सालों में केवल 6 करोड़ 50 लाख रुपये की औषधियों की सप्लाई की गई।

- 'आयुष' को ज्यादा लोकप्रिय बनाने और विभागीय गतिविधियों से आम जनता को रूबरू कराने के लिए 'आयुष' मेलों का आयोजन नियमित रूप से और ज्यादा व्यापक रूप से किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित आरोग्य मेले में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के 12 पी.एस.यूज. सहित देश के विभिन्न राज्यों की कुल 70 दवा कम्पनियों ने अपनी स्टाल्स लगाईं। आयुर्वेद, होम्योपेथिक और यूनानी के क्लिनिक्स में 3,161 रोगियों का इलाज किया गया। मेले में अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर्स भी दिये गये। विभाग ने इस मेले की सफलता से प्रोत्साहित होकर प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर ऐसे मेले आयोजित करने का निर्णय लिया है।

- क्षारसूत्र पद्धति से चिकित्सा करने के लिए सभी डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर आपरेशन थियेटरों का निर्माण कराया गया।

- गत तीन सालों में 12 करोड़ रुपये की लागत से 400 पी.एच.सी./सी.एच.सी. पर 'आयुष' Specialty Clinic कायम करने के लिए भवन निर्माण कराये गये हैं।

- यूनानी और होम्योपेथी के ओवर-आल डवलपमेंट के लिए Separate Directorates स्थापित किये गये हैं। साथ ही, इन दोनों निदेशालयों और जयपुर

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

स्थित आयुर्वेद के कार्यालय के लिए 8 करोड़ रुपये की लागत से 'आयुष' भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

- पिछले तीन सालों में 30 आयुर्वेद, 20 यूनानी और 10 होम्योपेथिक नई डिस्पेंसरीज खोलने के साथ 12 आयुर्वेद, 4 यूनानी और 4 होम्योपेथिक डिस्पेंसरीज को हास्पिटल्स में अपग्रेड किया गया है। इस साल 5 नये यूनानी हास्पिटल्स जिला मुख्यालयों पर खोले जाने की घोषणा बजट में की गई है।

- विभाग ने पिछले तीन सालों के दौरान 59 दस-दिवसीय Indoor Ayurvedic Camps लगाये हैं।

- राज्य में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को एक नियमित चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पहली बार राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए प्राकृतिक चिकित्सा और योग विकास बोर्ड का गठन करने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने की है। बोर्ड का गठन प्रक्रियाधीन है।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर

आयुष चिकित्सा पद्धति की एजुकेशन एण्ड रिसर्च के फील्ड में डवलपमेंट करने के उद्देश्य से राज्य में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। यूनिवर्सिटी द्वारा वर्तमान में 8 आयुर्वेदिक, 6 होम्योपेथिक, 2 यूनानी कालेज और 29 नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर्स को एफिलिएशन प्रदान किया गया है। विभाग के लिये यह खुशी की बात है कि इस साल के बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गवर्नमेंट यूनानी कालेज खोले जाने की घोषणा की है।

यूनिवर्सिटी की स्थापना 2003 में हुई थी, परन्तु 2003 से लेकर 2008 तक के पांच सालों में न तो नियम बनाये गये, न शिक्षकों की भर्तियां की गईं और न ही भवन निर्माण की ओर समुचित ध्यान दिया गया। इससे यूनिवर्सिटी सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी। वर्ष 2009 में प्रायोरिटी से यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट और सर्विस रूल्स बनाये गये। इसी क्रम में 2010 में यूनिवर्सिटी के आर्डिनेंस बनाये जाकर लागू किये गये हैं।

वर्ष 2011-12 में 6 प्रोफेसर, 13 एसोशिएट प्रोफेजर, 14 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन, 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार और 1

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

स्टेनोग्राफर के कुल 37 पदों पर नियमित नियुक्तियां की गई। यह मुद्दा हमारे माननीय कटारियाजी ने उठाया था। काश, वे यहां होते।

राज्य सरकार द्वारा द्रव्य गुण, कार्य चिकित्सा और शल्य तंत्र विषयों में पोस्ट-ग्रेजुएशन कोर्सेज शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

एकेडमिक सेशन 2011-12 से योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ग्रेजुएशन कोर्सेज भी शुरू किये गये हैं।

यूनिवर्सिटी के भवन को स्तरीय बनाने के लिये सरकार द्वारा इन तीन सालों में प्रशासनिक खण्ड, चिकित्सालय भवन, गेस्ट हाउस, आवासीय भवन, आयुर्वेद कालेज, छात्र-छात्राओं हेतु हास्टल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 35 करोड़ 30 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। पहले चरण में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक व रेजिडेंसेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व कालेज और हास्टल भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में भी राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में लगभग 22 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य हाथ में लिये जायेंगे। इसके अलावा, इस यूनिवर्सिटी में 3 विषयों में नये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज शुरू किये जायेंगे।

मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, उदयपुर

राज्य में राजकीय क्षेत्र में संचालित एक मात्र आयुर्वेद कालेज में वर्तमान में ग्रेजुएशन कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्र सरकार द्वारा इस कालेज को माडल कालेज के रूप में विकसित करने की योजना के तहत 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। इससे 500 सीट्स का ए.सी. आडिटोरियम और 6 नवीनतम वेल-फर्नीश्ड डिपार्टमेंट्स का निर्माण कराया गया है। 10 लाख रुपये की लागत से कम्प्यूटर लैब की स्थापना की गई है।

कालेज में शिक्षकों की कमी के कारण 2008-09 और 2009-10 में सेंट्रल काउंसिल फार इंडियन मेडिसिंस (सी.सी.आई.एम.) ने विद्यार्थियों के प्रवेश की स्वीकृति नहीं दी। आयुर्वेद कालेज के सेशन को नियमित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विगत कई सालों से लेक्चरार पदों पर कार्यरत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रेगुलराइजेशन सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी किये और विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को वर्किंग अरेंजमेंट्स के तहत कालेज में लगाया जाकर सी.सी.आई.एम. के मानदण्डों की पूर्ति की है।

राज्य सरकार की कोशिशों से वर्ष 2009-10 में आयुष विभाग द्वारा कंडिशनल एडमिशन की अनुमति दी गई। वर्ष 2011-12 में 59 छात्रों को प्रवेश

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

स्वीकृत किये गये। सी.सी.आई.एम. के मानदण्डों की पूर्ति हेतु स्टाफ की नियुक्ति करने के लिये नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

रसायनशालाएं (फार्मेसिज)

विभागीय औषधालयों को मेडिसिन सप्लाई हेतु अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर में चार विभागीय रसायनशालाएं हैं जिनमें 52 प्रकार की आयुर्वेदिक और 18 प्रकार की यूनानी औषधियां बनाई जाती हैं। विभागीय रसायनशालाओं को भारत सरकार की एण्टरप्राइजेज इंडियन मेडिसन फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के माडल पर ज्यादा ऑटोनोमी देते हुए स्ट्रेंथनिंग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इससे राज्य के औषधालयों को अधिक गुणवत्तापूर्ण औषधियों की आपूर्ति सम्भव हो सकेगी।

विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राजस्थान में आयुष का नेटवर्क सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक है। यहां 3,695 आयुर्वेदिक, 125 यूनानी, 189 होम्योपेथिक, 5 नेचुरोपेथी और 1 योगा औषधालय/चिकित्सालय और 7 मोबाइल यूनिट्स और 1 मोबाइल सर्जिकल यूनिट का व्यापक नेटवर्क भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से चिकित्सा हेतु उपलब्ध है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य में मेडिकल कालेज एवं एसोशिएटेड हास्पिटल्स तथा डेंटल कालेजेज का प्रशासनिक विभाग है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही, मेडिकल कालेज से एसोशिएटेड हास्पिटल जटिल, गम्भीर एवं रेफर किये गये रोगियों के इलाज का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

राजस्थान में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के 10 मेडिकल कालेज एवं 14 डेंटल कालेज स्थित हैं। राज्य में वर्ष 2006 में राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज की स्थापना की गई थी। चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित 7 गवर्नमेंट मेडिकल कालेज (झालावाड़ सहित) तथा 10 प्राइवेट डेंटल कालेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

वर्तमान में यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित कोर्सेज में बी.एस.सी. नर्सिंग में 139, पोस्ट-बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग में 45, बी.फार्मा में 17 कालेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो चुके हैं।

पोस्ट-ग्रेजुएट एवं सुपर-स्पेशलिटी की सीटों की संख्या में वृद्धि

राज्य के समस्त मेडिकल कालेजेज में पोस्ट-ग्रेजुएट एवं सुपर स्पेशलिटी की सीटों की संख्या में गत 3 वर्षों में वृद्धि की गई। वर्ष 2008-09 में पोस्ट-ग्रेजुएट सीटों की संख्या 275 एवं सुपर-स्पेशलिटी सीटों की संख्या 19 थी, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर, रेस्पेक्टिवली 620 एवं 81 हो गई है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में वर्ष 2012-13 के लिये पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स की और स्वीकृति प्राप्त हुई है।

एम.बी.बी.एस. सीटों की संख्या में वृद्धि

राज्य के मेडिकल कालेजेज में 150 सीटों की वृद्धि की गई है जिसके अन्तर्गत मेडिकल कालेज बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा हेतु 50-50 सीटों, कुल 150 सीटों की वृद्धि की गई हैं; 650 से बढ़कर 800 हो गयी हैं। इस प्रकार राजकीय क्षेत्र में कुल 800 प्लस 100 (झालावाड़ मेडिकल कालेज सहित) एम बी बी एस सीटें हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा आगामी दो वर्षों में 250 और सीटें बढ़ाई जाने की योजना है।

चिकित्सा शिक्षकों के पद तथा नर्सिंग स्टाफ

राज्य सरकार द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 433 एवं सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के 133, कुल 566 रिक्त पदों को भरने हेतु रिक्विजिशन आर पी एस सी को भिजवाई जा चुकी है, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा मेडिकल टीचर्स की सेवा को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू की गई है जिसके तहत अब असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोशिएट प्रोफेसर 6 वर्षों में, एसोशिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर 4 वर्षों में और प्रोफेसर से सीनियर प्रोफेजर 4 वर्षों में पदोन्नति पा सकेंगे। सीनियर प्रोफेसर की ग्रेड-पे को 8,900/- रुपये से बढ़ाकर 10,000/- रुपये कर दिया गया है।

मेडिकल टीचर्स के आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियुक्ति किये जाने पर दिये जाने वाले आनेरेयम फार अर्जेण्ट टेम्परेरी बेसिस में वृद्धि की गई है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

क्लिनिकल विंग में सीनियर डेमोंस्ट्रेटर का मानदेय 16,800/- रुपये से बढ़ाकर 32,000/-, असिस्टेंट प्रोफेसर का 20,200/- से बढ़ाकर 36,000/-, नान-क्लीनिकल विंग में सीनियर डेमोंस्ट्रेटर का मानदेय 16,800/- से बढ़ाकर 35,360/- एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का 20,200/- से बढ़ाकर 40,040/- रुपये किया गया है।

राज्य के मेडिकल कालेज अटैच्ड हास्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए वर्ष 2011-12 में नर्सिंग ग्रेड-2 के 1,000 पद, टेक्नीशियन के 60 पद तथा वार्ड-ब्वाय के 150 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें शीघ्र भरा जायेगा।

शय्याओं की संख्या में वृद्धि

राज्य के मेडिकल कालेज अटैच्ड हास्पिटल्स में चिकित्सा सेवाओं को स्ट्रेंथन किया गया है। वर्ष 2011-12 में 1,200 से अधिक शय्याओं की वृद्धि की गई है, जिनमें से 224 आई सी यू शय्याएं हैं। वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के कारण मेडिकल कालेज अटैच्ड हॉस्पिटल्स में बढ़ते हुए रोगी भार को देखते हुए सरकार द्वारा 700 शय्याओं की और वृद्धि किये जाने की योजना है, जिनमें 400 महिला और 300 शिशुओं की हैं।

बजट में वृद्धि

वर्ष 2008-09 में चिकित्सा शिक्षा विभाग का कुल बजट प्रोविजन 419.64 करोड़ था जो वर्ष 2012-13 में 811.83 करोड़ प्रपोज्ड है। वर्ष 2008-09 की तुलना में प्लान बजट 24.51 करोड़ से बढ़ा कर 2012-13 में 205.37 करोड़ प्रपोज्ड है; मोर देन ऐट टाइम्स।

चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2012-13 में कुल 811.83 करोड़ रुपये का बजट प्रोविजन रखा गया है जिसके अन्तर्गत नान-प्लान बजट 606.46 करोड़ तथा प्लान बजट 205.37 करोड़ रुपये का रखा गया है। इसके अन्तर्गत सिविल वर्क्स के लिए 95.52 करोड़ रुपये तथा इक्विपमेंट्स हेतु 30.04 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा गया है।

वर्ष 2008-09 में चिकित्सा शिक्षा के मेडिकल कालेज अटैच्ड हास्पिटल उपकरण मद में जहां मात्र 3.05 करोड़ रुपये व्यय किये गये, वहीं इसकी तुलना में वर्ष 2011-12 में 64.28 करोड़ रुपये इक्विपमेंट्स पर व्यय

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

किये गये। इसी प्रकार सिविल वर्क्स हेतु वर्ष 2008-09 में यह राशि 9.77 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2011-12 में लगभग 62.33 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

चिकित्सा सेवाएं

वर्तमान में मेडिकल कालेज अटैच्ड हास्पिटल में 12,000 से अधिक की बेड स्ट्रेंथ है। इन हास्पिटल्स में वर्ष 2011 के दौरान जनवरी से दिसम्बर तक 56.03 लाख ओ.पी.डी. पेशेंट्स तथा 7.66 लाख इन्डोर पेशेंट्स लाभान्वित हुए तथा एक लाख 38 हजार मेजर आपरेशंस किये गये, इनमें से 1,901 हार्ट सर्जरी की गयीं तथा 2,412 एंजियोप्लास्टी की गयीं। जे.एस.एस.वाई. के तहत योजना प्रारम्भ किये जाने से लेकर मार्च, 2012 तक 3 लाख 39 हजार महिलाएं एवं शिशु लाभान्वित हुए तथा मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत 34 लाख 46 हजार से अधिक रोगी लाभान्वित हुए।

चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं एसोशिएट हास्पिटल के बेहतर प्रबन्धन हेतु पृथक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना किया जाना प्रक्रियाधीन है।

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में रिसर्च वर्क को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेम सेल लैबोरेटरी प्रारम्भ कर दी गयी है। एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर के माइक्रोबायोलोजी विभाग में वायरोलोजी लैबोरेटरी का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। एस.एम.एस. हास्पिटल, जयपुर के धन्वन्तरी ब्लाक में नवीन 12 आपरेशन थियेटर्स प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

हृदय रोग चिकित्सा सुविधा को स्ट्रेन्थन करने के लिए एस.एम.एस. हास्पिटल में चार करोड़ की लागत से नई कैथ लैब प्रारम्भ की जा रही है तथा नवीन हार्ट-लंग मशीन की स्थापना की जा रही है।

एस.एम.एस. हास्पिटल में जटिल रोगों के उपचार हेतु सर्जिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी एवं सर्जिकल ओंकोलोजी इकाइयां भी प्रारम्भ हो गयी हैं। एस.एम.एस. हास्पिटल में गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी विभाग में एन्डोस्कोपी अल्ट्रा-साउंड मशीन की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है तथा इसके न्यूरो-सर्जरी विभाग में माडर्न आपरेटिंग माइक्रोस्कोप उपलब्ध कराये गये हैं।

एस.एम.एस. हास्पिटल में पी.पी.पी. मोड पर लिनीयर एक्सीलरेटर, सी टी स्कैन एण्ड एम.आर.आई. मशीन स्थापित की गयी हैं।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

गणगौरी हास्पिटल, जयपुर के नये चिकित्सालय को एस.एम.एस. मेडिकल कालेज से एसोशिएट किया गया है एवं इसे पूर्णतया कार्यशील कर दिया गया है। अस्पताल में एसेंशियल डाइग्नोस्टिक टैस्ट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा प्रति माह लगभग 22 हजार ओ.पी.डी. पेशेंट्स लाभान्वित हो रहे हैं एवं 400 से अधिक मेजर सर्जरी की जा रही हैं। अस्पताल में नि:शुल्क दवा वितरण योजना के साथ-साथ अन्य दवाओं को आमजन को उचित दरों पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करायी गयी है।

जयपुर के जनाना अस्पताल में मोड्यूलर ओ.टीज की स्थापना की गयी हैं।

जयपुर के जे.जे. लोन हास्पिटल में गम्भीर एवं जटिल शिशु रोगों के उपचार हेतु पीडिएट्रिक सुपर-स्पेशलिटी विंग की स्थापना की जा रही है। जे.के. लोन हास्पिटल में सांसद महेश जोशी के कोटे से स्वीकृत राशि रुपये एक करोड़ 31 लाख की लागत से सम्पूर्ण चिकित्सालय को एयर-कूल किया जावेगा।

राज्य में आम जन को अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुपर-स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं (एन.ए.बी.एच. एण्ड एन.ए.बी.एल. एक्रेडिएटंड) उचित दर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मानस आरोग्य सदन, मानसरोवर को पी.पी.पी. मोड पर सितम्बर, 2012 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। (व्यवधान) अब आप इतने रुके हो और रुक जाओ थोड़ी देर।

बीकानेर

पी.बी.एम. हास्पिटल, बीकानेर में हृदय रोगियों के उपचार हेतु 28 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हल्दीराम मूलचंद गवर्नमेंट सेंटर आफ कार्डिओ-वैस्कूलर साइंसेज एण्ड रिसर्च प्रारम्भ कर दिया गया है। मार्च, 2010 से संस्थान में 3,350 एंजियोग्राफी, 413 एंजियोप्लास्टी तथा 220 बायपास सर्जरी की जा चुकी हैं। इस वर्ष इसी सेंटर के 'बी' ब्लाक का शुभारम्भ भी कर दिया गया है जिससे मरीजों को रजिस्ट्रेशन एवं पुनर्वास की सुविधा, परिजनों के आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

बीकानेर में कैंसर रोगियों के लिए आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर स्थापित है। इस सेंटर पर पूर्व में स्थापित ब्रैची थेरेपी मशीन एवं लिनीयर एक्सीलरेटर मशीन पर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

पूर्व में स्थापित दो कोबाल्ट थेरेपी मशीन के अतिरिक्त एक नई कोबाल्ट थेरेपी मशीन स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त आठ करोड़ की लागत से पीईटी सी टी मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

बीकानेर में पी.बी.एम. हास्पिटल के जनाना अस्पताल में बढ़ते हुए स्त्री एवं प्रसूति रोग को देखते हुए 6 करोड़ 80 लाख की लागत से 400 शय्याओं का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला जनाना अस्पताल बनाया जायेगा, जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

बीकानेर में नये गवर्नमेंट नर्सिंग कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार के माध्यम से जनरल नर्सिंग सेंटर को अपग्रेड करने के लिए 5 करोड़ 20 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

बीकानेर में जनसहभागिता योजना के तहत न्यूरो साइंसेज सेंटर, ट्रोमा सेंटर एण्ड न्यूरो-साइकेट्री सेंटर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है जो कि इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जायेगा।

बीकानेर मेडिकल कालेज से एसोशिएटेड हास्पिटल में पी.पी.पी. मोड पर 64 स्लाइस सी टी स्कैन मशीन की स्थापना की गयी है।

बीकानेर मेडिकल कालेज में कार्डियोलोजी तथा यूरोलोजी सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं के विस्तार हेतु डी एम कार्डियोलोजी एवं एम सी एच यूरोलोजी की दो-दो सीटें सैंक्शन की गयी हैं और कोर्सेज शुरू कर दिये गये हैं।

बीकानेर मेडिकल कालेज में कार्डियोलोजी विभाग हेतु थ्री-डी मैपिंग सिस्टम, यूरोलोजी डिपार्टमेंट हेतु यूरो-लेजर मशीन एवं एडवांस सर्जरी हेतु लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट स्थापित किये गये हैं।

जोधपुर

मेडिकल कालेज, जोधपुर के चिकित्सालय में बाई-पास सर्जरी की सुविधा भी प्रारम्भ कर दी गयी है तथा बाई-पास सर्जरी हेतु एनेस्थेशिया वर्क स्टेशन एवं कलर डोपलर मशीन सहित समस्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं।

एम.डी.एम. हास्पिटल, जोधपुर- मातृ एवं शिशु ...

इजाजत हो तो पानी मंगवा दो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: जल लाओ, साहब के लिए।

श्री पेमाराम (धोद): थोड़ा रैस्ट कर लो।

श्री उपाध्यक्ष: जल आ रहा है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट रुक जाऊं? (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप तो सारा मेडिकल चैक-अप करवा लें और सारी सुविधाएं उनको मिल जाएं। जब भी विधान सभा चले, तब या साल में एक बार सब का मेडिकल चैक-अप कम्प्लीट तरह से हो जाए ताकि इस तरह के वाकये नहीं हों।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री त्रिवेदीजी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): कम्प्लीट चैक-अप हर तरह का।

श्री उपाध्यक्ष: वह सुविधा आपको वैसे ही उपलब्ध है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं, नहीं है, साहब। विधान सभा चलने से पहले हो जाए, साहब।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एम.डी.एम. हास्पिटल, जोधपुर मातृ एवं शिशु संस्थान को फेज्ड मैनर से विकसित किया जा रहा है। 2010-11 में निर्माण कार्य हेतु 34.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी। निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2011-12 में इस अस्पताल में ओ.पी.डी., इमरजेंसी एण्ड डाइग्नोस्टिक ब्लाक की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष: दिक्कत हो तो अब पढ़ा हुआ मान लें? (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जैसी मर्जी, जैसे आपके आदेश। हां, साहब। टेबल कर देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी का भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

विराजिये, मंत्रीजी। और भी कुछ बोलना है क्या आपको?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब मैं जो अभी एक ...

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज, एक मिनट। (व्यवधान) महेन्द्रजी, विराजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मंत्रीजी, कोई घोषणाएं हों तो कर दो। जो माननीय सदस्यों ने मांग रखी है, ...(व्यवधान) वह अगर कोई हो तो जरूर घोषणा फरमाएं। उसी की हम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): घोषणाएं तो मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में कर दीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आपके स्तर की कोई हो।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें कोई अंश हों तो नोट कर लें, शेष बचा हुआ रिकार्ड में ले लें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आखिर में अपनी तरफ से एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: शेष बचा हुआ मंत्रीजी का भाषण सब रिकार्ड में ले लिया जाए। पढ़ा हुआ माना गया।

(शेष उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्यों को, अभी जो यह बात हुई है, उसमें मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है। अगर कोई आदमी शरीफ है और वह सबको अपने साथ लेकर चलना चाहता है और वह यह देखता है कि यह स्वास्थ्य सुविधा ऐसी है जो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है तो अगर उसमें मैं प्रयास कर रहा हूं और वो किसी को पसन्द नहीं आया तो मुझे कुछ कहने के लिए कोई चीज नहीं है। मगर मैं अपने नौजवान साथी से, मेरे राज्य मंत्री जो हैं, जिन्हें मैं अपने बेटे समान मानता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आपको उस लेवल पर मत लाएं। दुनियां में हर तरह के लोग होते हैं। दूसरे की बुराई न देखकर हम कितने अच्छे हैं, हमें वह देखना चाहिए। उसमें कई दफा आपको कई चीजें बरदाश्त भी करनी पड़ेंगी।

मुझे भी यह तीसरा मौका मिला है इस असेम्बली में आने का, आप ही लोगों के द्वारा मुझे एक दफा राज्य सभा में भी जाने का मौका मिला। आज जो बात हुई है, वह वाकई मैंने न यहां और न वहां एक्सपीरियंस की है। मैं एक बहुत दुविधा में हूं कि आगे क्या करना चाहिए। इसका मैं अपने साथियों से बात करके जल्दी ही निर्णय लेने का प्रयास करूंगा।

आप सबने मुझे शांति के साथ सुना, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आज तक इन साढ़े तीन साल में, इस विभाग में पूरी ईमानदारी के साथ मैंने आप सबकी और पूरे प्रदेश की खिदमत करने की कोशिश की है। मेरे से अगर कहीं कोई चूक हो गई है, मैं आपसे माफी चाहता हूं मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस हाउस की कोई डिग्निटी कम हो।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)

एक-दो बातें और कहने की थीं जो हमारे साथियों ने उठाई थीं मगर अब वह समय नहीं रहा कि उनका कोई जवाब दिया जाए। मगर मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, एक जो बहुत अच्छी बात कही गई है कि आज हम इस स्तर पर आ गये हैं कि खादी का कुर्ता, पाजामा पहनकर हमें बाजार में निकलने में शर्म आती है कि कोई हमें गाली नहीं दे दे और उसका कारण जो आज हमारी या आज से पहले कोई हरकतें जो हुई हैं यहां, वे उसका कारण रही हैं। मुझे अपनी चिन्ता नहीं है जितनी कि यह जो डेमोक्रेटिक संस्था है, उसके लिए चिन्ता है। क्योंकि हमारी हरकतों की वजह से अगर लोग, आम जनता डेमोक्रेसी से अपना फेथ लूज कर जायेगी तो इस मुल्क का भविष्य अन्धकारमय है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब लीडर्स हैं, पब्लिक के रिप्रजेंटिव्ज हैं, तो आप कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि शर्म से आपका सिर बाहर जाकर झुक जाए। हम कोई हरकत करें यहां खड़े होकर और बाहर जाकर हम शिक्षा दें लोगों को कि आप यह काम मत करो, झूठ मत बोलो, लड़ो मत, गाली मत दो; हम किस मुंह से कह सकते हैं? यह हमें गौर करना पड़ेगा और बहुत जल्द ही इसका हमें कोई एक डिसिजन, कटिंग अक्रास पार्टी लाइन लेना पड़ेगा कि हम जो आज कर रहे हैं, उसका आम सोसायटी पर क्या असर पड़ रहा है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है और इस मुल्क पर क्या असर पड़ सकता है।

आपका बहुत धन्यवाद मैं, उपाध्यक्ष महोदय, देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया; मैं अपने साथियों का, सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे बहुत शांतिपूर्वक सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की हरकत दुबारा यहां नहीं हो, इसके लिए आप कोई जरूर डिसिजन लें। धन्यवाद। (व्यवधान)

यह मांग पारित करने का मैं आपसे निवेदन करता हूं।

मांग संख्या 26 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,07,45,03,000/- (तैंतीस अरब सात करोड़ पैंतालीस लाख तीन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.46 बजे दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जंगली पशुओं द्वारा विनष्ट फसलों के मुआवजे हेतु कार्य योजना

364. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न पर्वतमालाओं एवं वन क्षेत्र के नजदीक पड़ने वाले कृषि खेत, बाग़-बगीचों, खलिहानों में जंगली जानवरों नीलगाय व जंगली सूअर आदि द्वारा फसलों को उजाड़ दिये जाने पर नुकसान की भरपाई मुआवजे के रूप में सम्बन्धित कृषक/किसान को की जा रही है? यदि हां, तो कितनी, कब व किस आधार पर और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रतिवर्ष उक्त प्रकार से हो रही फसल हानि का सर्वे सरकारी मशीनरी से करवाकर छत्तीसगढ, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश आदि अन्य राज्यों में जंगली जानवरों से फसल हानि पर दिये जा रहे मुआवजे की तर्ज पर राजस्थान के कृषकों को भी राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में विभिन्न पर्वतमालाओं एवं वन क्षेत्र के नजदीक पड़ने वाले कृषि खेत, बाग-बगीचों, खलिहानों में जंगली जानवरों नीलगाय, जंगली सूअर आदि द्वारा फसलों को उजाड़ दिये जाने पर नुकसान की भरपाई मुआवजे के रूप में सम्बन्धित किसानों को नहीं की जा रही है, क्योंकि कृषि विभाग द्वारा इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान किसी भी योजना अन्तर्गत नहीं है।

(2) जी नहीं।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु नियुक्त राज्य कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश

366. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को राशन की सामग्री वितरण हेतु कार्य समय व दिवस क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उपभोक्ता सप्ताह/दिवसों के दौरान पर्यवेक्षण हेतु कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर कितने राज्य कर्मचारी नियुक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य कर्मचारियों का उपभोक्ता दिवस में दुकान के कार्य समय के दौरान सतत् उपस्थित रहना आवश्यक है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कर्मचारी को दुकान पर बैठने हेतु क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कर्मचारियों को उपभोक्ता दिवस में दुकानों पर उपस्थित रहने के निर्देश होने से कर्मचारियों को राजकीय अवकाश के दिन दुकान पर उपस्थित रहना पड़ता है? क्या कर्मचारियों को उक्त राजकीय अवकाश की एवज में सी.सी.एल देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कर्मचारी के 7 दिवस राशन दुकानों पर उपस्थित रहने व न्यूनतम दो दिवस सी.सी.एल. का उपयोग करने पर अन्य विभागों के काम-काज बाधित होने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई सर्वे किया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्य कर्मचारी सात दिन राशन की दुकानों पर उपस्थित रहते हैं? यदि हां, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम की पालना में बाधा के सम्बन्ध में क्या अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त की गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अन्य विभागों से भी फीड बैक लेने का विचार रखती है?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण हेतु अवधि व समय निम्नानुसार निर्धारित किया हुआ है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

अवधि	समय
1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	प्रात: 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक
उपभोक्ता सप्ताह में 24 तारीख से माह की अंतिम तारीख तक	प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक (अपराह्न 1 से 2 बजे तक भोजन अवकाश)

साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिए जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता सप्ताह की अवधि में कोई अवकाश नहीं रहेगा।

(2) प्रदेश में उपभोक्ता सप्ताह/दिवसों के दौरान पर्यवेक्षण हेतु सभी उचित मूल्य की दुकानों पर राज्य कर्मचारी नियुक्त करने हेतु जिला कलक्टर्स को निर्देश प्रदान किए हुए हैं, जिलेवार उचित मूल्य की दुकानों एवं उन पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य कर्मचारियों का उपभोक्ता दिवस में दुकान के कार्य समय के दौरान उपस्थित रहना आवश्यक है। राज्य कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधायें उपलब्ध हैं, पृथक से कोई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। उपभोक्ता सप्ताह के दौरान राशन की दुकानों पर कोई अवकाश नहीं रहता है। कर्मचारियों को उपभोक्ता सप्ताह में अवकाश के दिवस में दुकानों पर उपस्थित रहने के लिए राजस्थान सेवा नियम के अनुसार उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा एवजी अवकाश दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। राज्य कर्मचारियों की ड्यूटी राशन की दुकानों पर जिला कलक्टर्स के निर्देशन में लगायी जाती है, जिससे सामान्यत: कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। लोक सेवा गारण्टी अधिनियम की पालना में राज्य कर्मचारियों के दुकान पर उपस्थित रहने के कारण राज्य कार्य में बाधा होने की कोई रिपोर्ट अभी तक जिला कलक्टर्स से प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	नाम जिला	उचित मूल्य दुकानों की संख्या	नियुक्त राज्य कर्मचारियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1.	अजमेर	1005	688
2.	अलवर	971	926
3.	बांसवाड़ा	639	639
4.	बारां	513	513
5.	बाड़मेर	1004	1004
6.	भरतपुर	837	837
7.	भीलवाड़ा	850	850
8	बीकानेर	794	794
9.	बून्दी	388	339
10.	चित्तौड़गढ़	615	503
11.	चूरू	939	800
12.	दौसा	716	731
13.	धौलपुर	401	401
14.	डूंगरपुर	528	46
15.	गंगानगर	701	701
16.	हनुमानगढ़	676	676
17.	जयपुर	1578	1553
18.	जैसलमेर	316	316
19.	जालौर	620	620
20.	झालावाड़	552	549
21.	झुन्झुनूं	738	738

1	2	3	4
22.	जोधपुर	1240	1240
23.	करौली	540	533
24.	कोटा	735	280
25.	नागौर	1115	1115
26.	पाली	765	765
27.	प्रतापगढ़	295	295
28.	राजसमन्द	482	482
29.	सीकर	876	874
30.	सिरोही	390	390
31.	सवाई माधोपुर	533	564
32.	टोंक	560	560
33.	उदयपुर	1200	1200
	योग	**24112**	**22422**

ब्यावर-किशनगढ़ सड़क मार्ग के ब्यावर क्षेत्र में प्रस्तावित "राउण्ड बोर्ड"

369. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ से ब्यावर तक 6 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है? क्या उदयपुर रोड चुंगी नाका ब्यावर के पास पन्द्रह सौ लोगों के मकान हैं व उस घनी आबादी क्षेत्र के ऊपर राउण्ड बोर्ड बनाया जा रहा है? क्या वर्ष 2009 में जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा घनी आबादी क्षेत्र के 500 मीटर आगे खाली जगह पर ही राउण्ड बोर्ड का सर्वे करवाया था?

(2) क्या सरकार उक्त गरीबों के मकान बचाने हेतु उक्त आबादी क्षेत्र

(श्री शंकर सिंह)

को छोडकर खाली जगह पर राउण्ड बोर्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। किशनगढ़ से ब्यावर (रा.रा.-8) तक छह लेन रोड का निर्माण भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा किया जा रहा है, उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट में जो फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग-14 का जंक्शन है वहां ट्रम्पेट (ग्रेड सैपरेटर) बनाना प्रस्तावित है उसके लिये लगभग 200 मकान व करीब 5.0 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है, समस्त हितधारियों का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अजमेर द्वारा नवम्बर, 2009 में तय किया गया है तथा मुआवजे के उपरान्त भूमि का कब्जा लिया जा रहा है। उदयपुर रोड के केन्द्रीय विद्यालय ब्यावर के सामने की जमीन का चयन ब्यावर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग-14 रोड के चारलेनिंग के लिए (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा अपने डी पी आर कन्सलटेन्ट के प्रस्ताव पर किया गया था, यह नया राष्ट्रीय राजमार्ग-14 का बाइपास होगा और यह किशनगढ़ ब्यावर छह लेनीकरण का हिस्सा नहीं है। भा.रा.रा.प्रा. नई दिल्ली द्वारा ब्यावर पाली पिण्डवाड़ा खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग-14 चारलेनीकरण हेतु नियुक्त डी पी आर कन्सलटेन्ट की अनुशंसा पर परियोजना की डिजायन चैनेज 0.00 (राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के वर्तमान चैनेज 59.300) पर ग्रेड सेपरेक्टर का निर्माण प्रस्तावित किया था।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार ब्यावर पाली पिण्डवाड़ा खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग-14 चारलेनीकरण हेतु नियुक्त डी पी आर कन्सलटेन्ट की अनुशंसा पर परियोजना की डिजायन चैनेज 0.000 (राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के वर्तमान चैनेज 59.300) पर ग्रेड सेपरेक्टर का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जहां किसी प्रकार की आबादी नहीं है।

डीडवाना में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र

370. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षो में विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में एवं पशु चिकित्सालयों को

(श्री रूपाराम डूडी)

प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नति हेतु सरकार को क्षेत्रीय पशुपालकों, जनता एवं जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय विधायक एवं विभागीय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन पशु उपकेन्द्रों एवं पशु चिकित्सालयों की क्रमोन्नति के लिए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पशु चिकित्सा उप केन्द्र एवं पशु चिकित्सालय क्रमोन्नति के सभी मानदण्ड पूर्ण कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में पंचायत मुख्यालय कैराप एवं पंचायत मुख्यालय दौलतपुरा पर संचालित पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों एवं राजकीय पशु चिकित्सालय मौलासर को पशु चिकित्सालय एवं प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नति हेतु सरकार को प्रस्ताव एवं क्षेत्रीय विधायक से पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव एवं पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार उक्त प्रत्येक पशु उपकेन्द्र एवं पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में नवीन पशु चिकित्सा संस्थाओं को खुलवाने/क्रमोन्नत करने के प्राप्त प्रस्तावों का विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। विवरण संलग्न है।

(3) पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कैराप को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसे पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

(4) पशु चिकित्सा संस्थाओं को आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार क्रमोन्नत किया जाता है।

गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में नवीन पशु चिकित्सा संस्थाओं को खुलवाने/क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों का विवरण

क्र. सं.	स्थान	प्रस्ताव	कार्यवाही
1.	कोलिया	पशु चिकित्सालय खुलवाने बाबत।	पशु औषधालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है।
2.	भदलिया	पशु चिकित्सालय खुलवाने बाबत।	पशु चिकित्सालय खुलवाने के मापदंड पूर्ण नहीं करता है।
3.	केराप	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने बाबत।	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है।
4.	आकोदा	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने बाबत।	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है।
5.	डाबडा	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने बाबत।	पशु औषधालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है।
6.	पालोट	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खुलवाने बाबत।	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत किया जा चुका है।

फुलेरा में "मनरेगा" योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत

371. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नरेगा योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक किन-किन सड़कों का कितनी-कितनी राशि से कब-कब निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में से जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2012 तक बारिश के कारण किन-किन सड़कों को कितनी-कितनी क्षति हुई है और उनकी मरम्मत के लिये वर्तमान में क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन सड़कों के सम्बन्ध में कब-कब, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही की गयी और अब तक किन-किन सड़कों की मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नरेगा योजना के अन्तर्गत निर्मित उक्त सड़कों की मरम्मत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नरेगा योजनान्तर्गत जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक बनायी गयी सडकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दिसम्बर, 2012 माह आना शेष है, अत: पूर्व में ही क्षतिग्रस्त सड़कों का आंकलन किया जाना सम्भव नही है। सड़कों की क्षति के सम्बन्ध में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायतों में से 6 ग्राम पंचायतों से सडकों के मरम्मत हेतु 23 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। सार्वजनिक निर्माण विभाग फुलेरा से 5 कार्यों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दिनांक 09.04.2012 को प्राप्त हुई है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

सडकों के मरम्मत हेतु कार्य को वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाना आवश्यक है। वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने पर उक्त कार्य नरेगा योजनान्तर्गत कराये जा सकते हैं।

(3) जी नहीं। उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई।

(4) सडकों के मरम्मत हेतु प्राप्त 23 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई, स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों के मरम्मत के कार्य भी योजनान्तर्गत कराये जा सकते हैं। इसके लिए कार्य का वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराया जाना आवश्यक है। वार्षिक कार्य योजना का निर्माण ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

माध्यम से ही तैयार किये जाते हैं। अन्य कार्यकारी विभाग भी अपने प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करा सकते हैं। मरम्मत के कार्य के प्रस्ताव उक्त संस्थाओं द्वारा जिस वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकता से सम्मिलित कराये जाते हैं, उसी वर्ष में कार्य स्वीकृत कर श्रमिकों की उपलब्धता के आधार पर कराये जा सकते हैं।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

बसेड़ी में अन्त्योदय योजना के तहत आबंटित गेहूं

372. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में कितने अन्त्योदय शहरी/ग्रामीण परिवार हैं तथा उनमें से विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के अन्तर्गत डीलरों को कितना गेहूं वितरित करने के लिये दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में जिला धौलपुर में अन्त्योदय परिवारों को कितना गेहूं वितरित किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में अन्त्योदय परिवारों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र.सं.	नाम तहसील क्षेत्र	शहरी	ग्रामीण	योग
1	धौलपुर	789	2927	3716
2	राजाखेड़ा	457	1741	2198
3	सैंपऊ	0	2184	2184
4	बाड़ी	531	2384	2915
5	बसेड़ी	0	2702	2702
	योग	**1777**	**11938**	**13715**

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की ग्राम पंचायतवार अन्त्योदय परिवारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी (जिसमें तहसील क्षेत्र बाड़ी की 5 पंचायतें शामिल हैं) में गत तीन वर्ष में अन्त्योदय अन्न योजना के गेहूं के वितरण की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में जिला धौलपुर में अन्त्योदय परिवारों को वितरण होने वाले गेहूं की सूचना निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र.सं.	परिवारों की संख्या	प्रतिमाह आबंटित (मात्रा मै.टन में)	वर्ष का विवरण (मात्रा मै.टन में)		
			2009-10	2010-11	2011-12
1	13715	481	5772	5772	5772

परिशिष्ट-1

बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में गत 3 वर्षों में डीलरों को वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी गेहूं की मात्रा

क्र. सं.	नाम पंचायत	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	प्रतिमाह आबंटित मात्रा मै. टन में (35 किलो प्रति परिवार)	वर्ष (मात्रा मै. टन में)		
				2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1	कुनकुटा	44	1.54	18.48	18.48	18.48
2	बौरेली	63	2.20	26.4	26.4	26.4
3	मदूगुलाबली	66	2.31	27.72	27.72	27.72
4	एकटा	52	1.82	21.84	21.84	21.84
5	रतनपुर	78	2.73	32.76	32.76	32.76
6	अतरसूमा	66	2.31	27.72	27.72	27.72
7	ममौधन	46	1.61	19.32	19.32	19.32

1	2	3	4	5	6	7
8	जारगा	76	2.66	31.92	31.92	31.92
9	खिडौरा	44	1.54	18.48	18.48	18.48
10	मूढिक	55	1.92	23.04	23.04	23.04
11	भारली	48	1.68	20.16	20.16	20.16
12	बागथर	52	1.82	21.84	21.84	21.84
13	बसेड़ी	127	4.44	53.28	53.28	53.28
14	तिमासिया	115	4.03	48.36	48.36	48.36
15	द्वौपुरा	46	1.61	19.32	19.32	19.32
16	सलेमपुर	56	1.96	23.52	23.52	23.52
17	लीलौठी	64	2.24	26.88	26.88	26.88
18	नादनपुर	65	2.27	27.24	27.24	27.24
19	ताजपुरा	72	2.52	30.24	30.24	30.24
20	धौर्य	56	1.96	23.52	23.52	23.52
21	बनौरा	83	2.91	34.92	34.92	34.92
22	हरजूपुरा	77	2.69	32.28	32.28	32.28
23	पिपरौन	85	2.97	35.64	35.64	35.64
24	खरौली	89	3.12	37.44	37.44	37.44
25	चन्द्रावली	72	2.52	30.24	30.24	30.24
26	मढासिल	137	4.80	57.6	57.6	57.6
27	सरमथुरा	101	3.53	42.36	42.36	42.36
28	डौमई	99	3.46	41.52	41.52	41.52
29	झिरी	84	2.94	35.28	35.28	35.28

1	2	3	4	5	6	7
30	मदनपुर	73	2.55	30.6	30.6	30.6
31	गौलारी	92	3.22	38.64	38.64	38.64
32	आंगई	58	2.03	24.36	24.36	24.36
33	रहरई	75	2.62	31.44	31.44	31.44
34	बरौली	108	3.78	45.36	45.36	45.36
35	बीझौली	72	2.52	30.24	30.24	30.24
36	निधारा	91	3.19	38.28	38.28	38.28
37	चिलाचौंद	72	2.52	30.24	30.24	30.24
38	नक्सौंदा	77	2.69	32.28	32.28	32.28
39	उमरेह	81	2.87	34.44	34.44	34.44
40	सहेड़ी	83	2.90	34.8	34.8	34.8
	योग	**3000**	**105**	**1260**	**1260**	**1260**

जिला रसद अधिकारी

भोपालगढ़ (बाड़मेर) में बालिका छात्रावास की स्थापना

373. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ में बालिकाएं आस-पास के ग्रामों से पढ़ने के लिये आती हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उनके ग्राम भोपालगढ़ में रुकने हेतु कोई बालिका छात्रावास संचालित नहीं है? क्या सरकार भोपालगढ़ में बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के अनुसार राज्य के जिन 33 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां चरणबद्ध रूप से तीन चरणों में क्रमश: 11-11

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

छात्रावासों के भवन निर्माण करवाये जा रहे हैं। चूंकि ग्राम भोपालगढ़ तहसील मुख्यालय भोपालगढ़ पर ही स्थित है व भोपालगढ़ में विभाग द्वारा पूर्व से ही राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास (स्वीकृत क्षमता 45) संचालित किया जा रहा है। अत: विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ में बालिका छात्रावास खोलने का वर्तमान में सरकार का कोई विचार नहीं है।

बाड़मेर शहर को मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट परियोजना से जलापूर्ति

374. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट केनाल पेयजल परियोजना के प्रथम चरण में बाड़मेर तहसील के कितने गांवों को लाभान्वित करने की योजना है?

(2) क्या सरकार तहसील बाड़मेर की पेयजल समस्या से त्रस्त गांवों को भाउका आफटेक से भादरेश, विशाल, सुरा, दुदाबेरी तथा बाड़मेर शहर मुख्य हैडक्वाटर्स से कुडला, शिक्कर, रावतसर, चवा, आदर्श चवा एवं सरणू बाड़मेर शहर को परियोजना के प्रथम चरण में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण के अन्तर्गत मुख्य ट्रांसमिशन लाइन एवं सम्बन्धित अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मूल परियोजना के प्रथम चरण में गांवों को लाभान्वित करना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में उक्त पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के भाग-अ में सम्मिलित 172 गांवों (जिसमें तहसील बाड़मेर के 40 ग्राम सम्मिलित हैं) की कलस्टर वितरण प्रणाली के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है तथा इस भाग में वर्णित ग्राम सम्मिलित नहीं हैं।

उक्त पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के भाग-ब में सम्मिलित बाड़मेर शहर मुख्य हैडवर्क्स से प्रस्तावित ग्राम कुडला, शिवकर, रावतसर, चवा, आदर्श चवा एवं सरणु को की गई बजट घोषणा के अनुरूप प्राथमिकता पर लाभान्वित किया जायेगा।

सीकर की सांवलपुरा-खाटू क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

375. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर की एम.डी.आर. रोड नं. 100 का 6 किलोमीटर हिस्सा सांवलपुरा से खाटू ग्रेवल सड़क है? क्या सरकार उक्त सड़क को डामर सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि खाटू मेले में लाखों श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए इस सड़क का निर्माण आवश्यक है?

(3) क्या मेले के वक्त खाटू के आस-पास की जनता को भारी परेशानी को देखते हुए सरकार खाटू में रिंग रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सीकर की सांवलपुरा से खाटू 5.50 कि.मी. ग्रेवल सड़क एम.डी.आर. 100 का भाग है।

जी हां। उक्त लम्बाई में डामर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। इस सड़क निर्माण से खाटू मेले में आने वाले श्रृद्धालुओं को सुविधा मिलेगी।

(3) जी नहीं। वर्तमान में खाटू के आस-पास रिंग रोड बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। रिंग रोड का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

राजसमन्द जिले में सहायक निदेशक उद्यानिकी कार्यालय की स्थापना

376. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला राजसमन्द में मगरा क्षेत्र होने के कारण कृषि छोटे-छोटे टुकड़ों में की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले में होर्टीकलचर प्लान्ट्स से कृषि को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(2) क्या सरकार छोटी जोत के किसानों अथवा लघु कृषकों को खेती में प्रोत्साहन देने हेतु जिला राजसमंद में सहायक निदेशक, उद्यान विभाग का कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तर्ज पर उद्यानिकी कार्यक्रम क्रियान्वित करवाये जा रहे हैं। इस हेतु छोटी जोत वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत फल बगीचों की स्थापना हेतु अन्य क्षेत्रों से भिन्न न्यूनतम 0.2 हैक्टर जोत सीमा रखी गयी है।

(2) राजसमन्द जिले में छोटी जोत के किसानों अथवा लघु कृषकों को खेती में प्रोत्साहन देने हेतु उपनिदेशक कृषि विस्तार का कार्यालय स्थापित है, जिसके द्वारा उद्यान विभाग के कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

पचपदरा में "मनरेगा" योजनान्तर्गत वृक्षारोपण पर व्यय राशि

377. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मनरेगा व हरित राजस्थान योजनान्तर्गत वृक्षारोपण किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में अब तक उक्त योजनान्तर्गत कुल कितने वृक्ष लगाए गए और उनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक उक्त योजनान्तर्गत वृक्षारोपण पर कुल कितना व्यय हुआ व वृक्षारोपण से कितने वृक्ष 4 फीट ऊंचाई के हो गए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा एवं हरित राजस्थान योजनान्तर्गत पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में 64382 वृक्ष लगाए गए, इसमें से 38031 वृक्ष जीवित हैं। इसके तहत कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

51350, वन विभाग द्वारा 11832 तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1200 वृक्ष लगाए गए। लगाए गए इन वृक्षों में से क्रमश: 28634, 8282, 1115 कुल 38031 वृक्ष जीवित हैं।

(2) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में हुए वृक्षारोपण पर 139.91 लाख रुपए व्यय हुए। उक्त योजनान्तर्गत हुए वृक्षारोपण में से 8017 वृक्ष 4 फीट ऊंचाई के हो गए हैं।

डीग में नियुक्त राशन डीलर्स

378. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर में राशन डीलर के रूप में राशन डीलर, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां एवं महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में कहां-कहां कार्यरत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक जिला भरतपुर में कितने राशन डीलरों को अनियमितता के आधार पर निलम्बित/बर्खास्त किया गया तथा उनमें से कितनों को वापिस बहाल कर कार्यभार सौंपा गया? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डीग में राशन डीलरों की चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र नगर में कितनी राशन की दुकानें नई खोली गयीं तथा कितनी राशन की दुकानें डीलर के न होने से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त नवसृजित व रिक्त दुकानों पर डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उचित मूल्य दुकानदारों के क्षेत्रों का निर्धारण तहसील क्षेत्रवार किया हुआ है। जिला भरतपुर में राशन डीलर के रूप में प्राइवेट राशन डीलर, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। उचित मूल्य दुकान की चयन प्रक्रिया में आबंटन सलाहकार समिति द्वारा की जा रही कार्यवाही में अनियमितता बरती जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने के कारण डीग तहसील के राशन डीलरों की चयन प्रक्रिया की क्रियान्विति को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.07.2011 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था, जो वर्तमान में भी यथावत है।

(4) तहसील नगर में छह नवीन उचित मूल्य की दुकानों की विज्ञप्ति द्वारा ग्राम पंचायत मानौताकलां, जलालपुर, झंझार, पेंडका, सिंहांवली व जालूकी में सृजित की जाकर उन पर उचित मूल्य दुकानदारों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी। ग्राम पंचायत सिंहावली एवं जालूकी में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रूक गयी है। शेष चार ग्राम पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकानदारों की नियुक्ति की जा चुकी है। तहसील नगर में वर्तमान में किसी भी ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकान रिक्त नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 मार्च, 2012)

कोटा जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र

146. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक किस-किस जिले में किस-किस तिथि को विश्वास पालनहार, गरीब विधवाओं की पुत्री विवाह, बीपीएल पुत्री विवाह, विकलांग विवाह, अन्तर्जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत आवेदन प्राप्त हुए तथा प्राप्ति आवेदनों के अनुसार किस योजना के लिए कितने बजट की आवश्यरकता थी और सरकार द्वारा कब-कब कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कोटा जिले में कितने-कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर कब-कब सहायता प्रदान की गई और कितने

(श्री ओम बिरला)

आवेदक सहायता प्राप्त करने से वंचित रहे? आवेदकों के नाम व पता सहित योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक विश्वास, पालनहार, गरीब विधवाओं की पुत्री विवाह, बीपीएल पुत्री विवाह, विकलांग विवाह, अन्तर्जातीय विवाह व विधवा पुनर्विवाह योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

उक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा विभाग को उपलब्ध करवाये गए बजट प्रावधान का योजनावार विवरण परिशिष्ठ-'ब' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कोटा जिले में प्राप्त आवेदन पत्रों, स्वीकृत आवेदन पत्रों तथा सहायता से वंचित रहे आवेदकों के नाम व पता सहित योजनावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट 1, 1(अ), 2, 3, 4, 5, 6 व 7 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले के छात्रावास में रिक्त पद

379. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हनुमानगढ़ जिले में कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं तथा उक्त छात्रावासों से कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों के लिये क्या-क्या सुविधाऐं प्रदान करने का प्रावधान है तथा सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त छात्रावासों में लम्बे समय से छात्रावास अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले में विभाग द्वारा 10 राजकीय एवं 1 अनुदानित कुल 11 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनमें इस शैक्षणिक सत्र 2011-12

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

में स्वीकृत क्षमता 470 के विरुद्ध 462 छात्र/छात्राओं को प्रवेश देकर लाभान्वित किया जा रहा है जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त छात्रावासों की सुविधाओं हेतु भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन आदि के लिए 1,000/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह एवं स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते-मौजे, तौलिये, गर्म जर्सी, सिर पर लगाने का तेल, नहाने व कपड़े धोने का सामान, बाल कटिंग, चद्दर, तकिया, खोली, खेस आदि की धुलाई, बिजली-पानी, समाचार पत्र-पत्रिकाएं आदि के लिए 250/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। इसके लिए व्यय की छात्रावासवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) छात्रावास अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार है।

परिशिष्ट-अ

विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले में संचालित विद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों का विवरण एवं छात्रावासवार व्यय विवरण वर्ष 2011-12

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत संख्या	लाभान्वितों की संख्या	प्रथम किश्त जुलाई से सितम्बर 2011		द्वितीय किश्त अक्टूबर से दिसम्बर, 2011		तृतीय किश्त जनवरी से मार्च 2012		योग
				भोजन	अन्य व्यय	भोजन	अन्य व्यय	भोजन	अन्य व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जिला हनुमानगढ़										
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हनुमानगढ़	50	47	150000	78125	66390	5322	135000	16875	451702
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पक्कासारण	35	30	105000	54688	53384	2638	90000	11250	316960
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, टिब्बी	35	35	105000	54688	58000	6125	99000	12375	335188
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीलीबंगा	65	65	195000	101563	112800	16875	195000	24375	645613
5	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, रावतसर (टिब्बी)	25	25	75000	39063	42732	7437	72000	9000	245232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पण्डितावाली	35	35	105000	54688	77968	11125	105000	13125	366906
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रावतसर	70	70	210000	109375	147232	21625	207000	25875	721107
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पल्लू	25	25	75000	39063	46677	7125	75000	9375	252240
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नोहर	35	35	105000	54688	63452	4875	93000	11625	332640
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भादरा	35	35	105000	54688	75871	10500	102000	12750	360809
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांगरिया	60	60	180000	93750	106522	14000	180000	22500	596772
	11 छात्रावास	**470**	**462**	**1410000**	**734379**	**851028**	**107687**	**1353000**	**169125**	**4625169**

सहायक निदेशक (छात्रावास)

अलवर शहर में पेयजल हेतु निर्मित जलाशयों से पेयजल आपूर्ति

380. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर-शहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक उच्च जलाशयों व भूतल जलाशयों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कितने जलाशयों का निर्माण कार्य कहां-कहां पर, कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि से तथा कितनी-कितनी भूमि पर कराया गया? दिनांकवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त उच्च व भूतल जलाशयों के निर्माण हेतु कब व कौनसी बैठक में निर्णय लिया गया एवं इनकी स्वीकृति कब हुई और इनका निर्माण कार्य किस-किस दिवस को पूर्ण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्मित जलाशयों में से अनेक जलाशयों में आज तक पानी नहीं भरा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि जिन उच्च जलाशयों में आज तक पानी नहीं भरा गया, की निर्माण गुणवत्ता संदेहास्पद है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु आर.यू.आई.डी.पी. एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा डिपोजिट मद (नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा वित्त पोषित) के अन्तर्गत 12 उच्च जलाशयों एवं 5 स्वच्छ जलाशयों का निर्माण किया गया। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) उक्तानुसार निर्मित 12 उच्च जलाशयों एवं 5 स्वच्छ जलाशयों में से 9 उच्च जलाशयों एवं 2 स्वच्छ जलाशयों में पानी भरा जाकर पेयजल वितरण प्रणाली से जोड़ने के उपरान्त इनसे पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है। शेष 3 उच्च एवं 3 स्वच्छ जलाशयों से पेयजल आपूर्ति अभी तक प्रारम्भ नहीं होने का कारण एवं इन्हें चालू करने सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी नहीं ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-सीकर सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ओवर-ब्रिज/अण्डरपास सुविधा

381. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाते समय गहन आबादी क्षेत्र के गांव/कस्बों के निवासियों के लिये सड़क पार करने के लिये रोड ओवर-ब्रिज या अण्डरपास नहीं बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली से मिलकर इस हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर जयपुर-सीकर सड़क को चार लेन की चौड़ाई बढ़ाते हुये भी जयपुर-दिल्ली राजमार्ग की भूल दोहरायी गई है और ग्रामीणों को सड़क पार करने की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गई है? यदि हां, तो अब किस प्रकार सुविधा उपलब्ध करवायी जावेगी?

(3) क्या उक्त कार्य में बड़ी संख्या में योजनाकार, प्रारूपकार एवं अभियंता के होते हुये भी जान-बूझकर ऐसी गलतियां कर, अरबों रुपयों की हानि पहुंचाई जा रही हैं? क्या सरकार द्वारा किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध उक्त गलती के लिये कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा किया जा रहा है, उनके अनुसार रियायतग्राही के अनुबन्ध के अनुसार फ्लाई ओवर या अण्डरपास बनाये जा रहे हैं। साथ ही वीआईपी की मांग के अनुसार भी अनुबन्ध के अलावा फ्लाई ओवर या अण्डरपास भी शामिल किये गये हैं। जिसमें सभी महत्वपूर्ण जगह पर सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। दिसम्बर, 2012 तक परियोजना का कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। जयपुर-दिल्ली खण्ड में 50 फ्लाई ओवर, 30 पैदल पार पथ एवं 8 वाहन पार पथ बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर जयपुर-सीकर सड़क को चार लेन चौड़ाई करने का कार्य भारत सरकार के भा.रा.रा.प्रा. द्वारा किया जा रहा है, उनके अनुसार जयपुर-रींगस खण्ड में 1 फ्लाई ओवर, 4 वाहन अण्डरपास, 3 पशु अण्डरपास एवं 1 पेडेस्ट्रीयन अण्डरपास का निर्माण निर्माणाधीन है एवं रींगस-सीकर खण्ड में 1 फ्लाई ओवर, 3 वाहन अण्डरपास व 4 पेडेस्ट्रीयन अण्डरपास बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार परियोजना बनाते समय कोई गलती नहीं हुई है एवं सभी मुख्य सुविधाओं को देखते हुए परियोजना की योजना बनाई गयी है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

क्षेत्र विशेष के मौसम/मिट्टी की उर्वरा शक्ति अनुसार फसल उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना

382. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार प्रदेश की परिस्थितियों एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को देखते हुये अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग फसल उत्पादन करने हेतु विशेष फसलों को उगाने हेतु प्रोत्साहन देने व गैर आवश्यक फसलों को हतोत्साहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में कौन-कौनसी फसलों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रदेश की कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों एवं मिटटी के गुणधर्मों के आधार पर राज्य को 10 खण्डों में विभक्त किया गया है। जिसके अनुसार फसलोत्पादन लिया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

कृषकों को प्रत्येक खण्ड के लिये विकसित उन्नत कृषि विधियों एवं विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार उनके क्षेत्र में ली जाने वाली फसलों हेतु तकनिकी जानकारी दी जाती है, जैसे

कम पानी की स्थिति में- गेहूं, धान, कपास आदि की अपेक्षा ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा, चना, सरसों, तारामीरा आदि की सलाह दी जाती है।

(कृषि मंत्री)

शुष्क दशाओं में- ग्वार, बाजरा, मोठ, सरसों, चना, तारामीरा आदि की सलाह दी जाती है।

लवणीय दशाओं में- दलहनी वर्ग की अपेक्षा बाजरा, मक्का, ग्वार, जौ, कपास, गेहूं, सरसों, अरण्डी आदि की सलाह दी जाती है।

क्षारीय दशाओं में- कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गेहूं, सरसों आदि की सलाह दी जाती है।

विभाग द्वारा तकनिकी जानकारी का समुचित प्रचार-प्रसार हेतु इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रिन्ट मिडिया तथा प्रशिक्षण आदि माध्यमों का उपयोग किया जाता है।

परिशिष्ट-1

कृषि जलवायुवीय क्षेत्रवार उगाई जाने वाली मुख्य फसलें

क्र. सं.	**कृषि जलवायुवीय क्षेत्र**	**क्षेत्र का ब्यौरा**	**उगाई जाने वाली मुख्य फसलें**
1	**2**	**3**	**4**
1.	शुष्क मैदानी पश्चिम क्षेत्र (IA)	जिला बाड़मेर एवं जोधपुर जिले की जोधपुर मण्डोर, फलौदी, बाप, शेरगढ़ एवं औशियां तहसील	खरीफ-बाजरा, ग्वार, मोठ, मूंगफली, ज्वार, तिल रबी-सरसों, गेहूं, जीरा, ईसबगोल
2.	सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिम क्षेत्र (IB)	जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़	खरीफ-ग्वार, कपास, बाजरा, मोठ रबी-गेहूं, सरसों, चना, तारामीरा, जौ
3.	शुष्क मैदानी पश्चिम क्षेत्र (IC)	जिला बीकानेर, जैसलमेर एवं चूरू जिले की सुजानगढ़, रतनगढ़, डूंगरगढ़ एवं सरदारशहर तहसील	खरीफ-ग्वार, बाजरा, मोठ, मूंगफली रबी-चना, सरसों, गेहूं

1	2	3	4
4.	अन्त: स्थानीय जलोत्सरण के अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (IIA)	जिला नागौर, सीकर, झुंझुनूं एवं चूरू जिले की चूरू तारानगर एवं राजगढ़ तहसील	खरीफ-ग्वार, चवलां, मूंग, मूंगफली, रबी-सरसों, गेहूं, चना, जौ
5.	लूनी नदी का अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (IIB)	जिला जालोर, पाली, सिरोही जिले की रेवदर, शिवगंज व सिरोही तथा जोधपुर जिले की बिलाड़ा भोपालगढ़ तहसील	खरीफ-बाजरा, मूंग, तिल, ग्वार, अरंडी रबी-सरसों, गेहूं, जीरा
6.	अर्द्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (IIIA)	जिला जयपुर, अजमेर, दौसा व टोंक	खरीफ-बाजरा, ज्वार, मूंग, ग्वार, मूंगफली रबी-सरसों, गेहूं, जौ, चना
7.	बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी मैदान (IIIB)	जिला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व स. माधोपुर जिले की बामनवास, गंगापुर, बौंली तहसील	खरीफ-बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल रबी-सरसों, गेहूं, चना, जौ
8.	अर्द्ध आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र (IVA)	जिला भीलवाड़ा, राजसमन्द एवं जिला उदयपुर की गिर्वा, मावली, वल्लभनगर, गोगून्दा, झाडोल, कोटड़ा व खैरवाडा तथ चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन, राशमी, चित्तौड़, गंगरार, निम्बाहेड़ा, भदेसर, डूंगला, बेगूं, रावतभाटा व सिरोही जिले की आबूरोड एवं पिण्डवाड़ा तहसीलें	खरीफ-सोयाबीन, ज्वार, उड़द, तिल, मूंगफली रबी-गेहूं, सरसों, चना, जौ

1	2	3	4
9.	आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IVB)	जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तथा उदयपुर जिले की सलूम्बर व सराडा तहसीलें	खरीफ-मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन रबी-गेहूं, चना, सरसों
10.	आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (V)	जिला कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां एवं स. माधोपुर जिले की खण्डार व स. माधोपुर तहसील	खरीफ-सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, ज्वार, तिल, मूंग रबी-सरसों, गेहूं, धनिया, चना

निजी/जनसहभागिता योजना में संचालित विद्यालयों के मध्याह्न भोजन हेतु आबंटित राशि/सामग्री

383. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों से प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कितने संस्थान विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थानों द्वारा कितने बच्चों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य था तथा इससे कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त संस्थानों को विगत चार वर्षों में कितनी-कितनी राशि तथा अनाज उपलब्ध करवाया गया? माहवार, जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के 12 जिलों में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत 20 संस्थान विधालयों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) संस्थाओं द्वारा वर्षवार लाभान्वित किये जाने वाले विद्यार्थियों का

(पंचायती राज मंत्री)

लक्ष्य तथा उसके विरुद्ध वास्तव में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त संस्थाओं को विगत चार वर्षों में जिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि तथा उपलब्ध कराये गये अनाज का माहवार, जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजाखेड़ा के उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

384. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला धौलपुर की पंचायत समितियों एवं नगरपालिका क्षेत्रों में राशन डीलर कब से नियुक्त हैं? नाम पते व क्षेत्र सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दिसम्बर 2008 से 2011 तक विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में कार्यरत एफपीएस डीलरों की कितनी और कौन-कौनसी शिकायतें प्राप्त हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों की जांच कराई गई है? यदि हां, तो बिन्दुवार निष्कर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर की पंचायत समितियों एवं नगरपालिका क्षेत्रों में राशन डीलरों की नियुक्ति विभागीय दिशा-निर्देशानुसार की गयी है। इस क्रम में वर्तमान में 401 कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दिसम्बर, 2008 से 2011 तक विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में कार्यरत एफपीएस डीलरों की 69 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त प्रकरणों पर नियमानुसार जांच करायी गयी तथा

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

सभी 69 प्रकरणों में सुनवाई कर निस्तारण किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर शहर में स्थापित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह को देय सहायता

385. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के बजट में अजमेर सहित अन्य सम्भागीय मुख्यालयों पर 50 व्यक्तियों की क्षमता के मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह स्थापित करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो अजमेर में ये केन्द्र किस दिवस से आरम्भ हुआ? केन्द्र पर रहने वाले मानसिक विमन्दित के नाम तथा उन्हें दी जाने वाली सहायता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। अजमेर में मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का संचालन संस्था मां माधुरी ब्रज वारिस सेवा सदन "अपना घर" अछनेर रोड, भरतपुर द्वारा दिनांक 05.01.2012 एवं मां सेवा संस्थान, खेतड़ी नगर, झुन्झुनूं द्वारा 14.12.2011 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

उक्त दोनों संस्थाओं में लाभान्वित 25-25 आवासियों की सूची परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है। संस्था में आवासित मानसिक विमंदितों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं :-

1. भोजन
2. वस्त्र
3. चिकित्सा
4. आवास एवं पुनर्वास

परिशिष्ट-अ

मां सेवा संस्थान खेतड़ी नगर, झुन्झुनूं द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह के लाभान्वितों की सूची

जिला-अजमेर

क्र. सं.	नाम मानसिक विमंदित मय पिता	आयु	पता
1	2	3	4
1.	ओमप्रकाश/श्री किशनलाल	10 वर्ष	गार्ड राटा खेतड़ी झुन्झुनूं
2.	दशरथ/श्री राजेन्द्र	11 वर्ष	गार्ड राटा खेतड़ी झुन्झुनूं
3.	आशीष/दाताराम	10 वर्ष	अजीतपुरा खेतड़ी झुन्झुनूं
4.	जाफर/अज्ञात	25 वर्ष	खेतड़ीनगर झुन्झुनूं
5.	किसन/भाताराम	23 वर्ष	बनदाभीतर नानुवाली खेतड़ी झुन्झुनूं
6.	अशोक/रामजीलाल	30 वर्ष	बडाउ खेतड़ी झुन्झुनूं
7.	श्रीकान्त/रामजीलाल	27 वर्ष	बडाउ खेतड़ी झुन्झुनूं
8.	सज्जन/रामजीलाल	22 वर्ष	बडाउ खेतड़ी झुन्झुनूं
9.	टीनू/हेमसिंह	20 वर्ष	पोलू नानूवाली खेतड़ी
10.	मुकेश/हजारी	20 वर्ष	नानूवाली खेतड़ी
11.	भोला/भक्ता	20 वर्ष	गोठड़ा खेतड़ी
12.	अनिष/ओमप्रकाश	10 वर्ष	ढाणी कंचनियां की बनवास मोहाना खेतड़ी
13.	बद्री/सांवलराम	35 वर्ष	खेतड़ी
14.	पिन्टु		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
15.	मुकेश		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
16.	वीरू		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
17.	राजीव		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित

1	2	3	4
18.	चिराग		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
19.	राघव		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
20.	विनोद		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
21.	कमल		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
22.	सुखदेव		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
23.	सुरज		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
24.	रवि		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
25.	राजूमिर्गी		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित

परिशिष्ट-ब

मां माधुरी ब्रजवारिस सेवा सदन द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह के लाभान्वितों की सूची

जिला-अजमेर

क्र. सं.	नाम मानसिक विमंदित मय पिता	आयु	पता
1	2	3	4
1.	श्रीमती लक्ष्मी		मदारगेट, अजमेर
2.	श्रीमती हेमलता		पंचशीलनगर, अजमेर
3.	श्रीमती सीता देवी		लावारिस
4.	दिनेश		भरतपुर
5.	श्रीमती गुमफामा		बीकानेर
6.	श्रीमती विमला देवी		भांवता, सराधना, अजमेर
7.	श्री राकेश		लावारिस
8.	श्रीमती सत्यादेवी		कुन्दन नगर, अजमेर
9.	श्रीमती सीता देवी द्वितीय		बीकानेर

1	2	3	4
10.	श्रीमती जनकदेवी		फाईसागर रोड काजीपुरा, अजमेर
11.	प्रहलाद		नाकामदार पावर हाउस अजमेर
12.	शिवा		चाईल्डलाइन, अजमेर
13.	सुदामा		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
14.	बानो बेगम		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
15.	सावित्री		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
16.	तारा-2		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
17.	सुल्ताना		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
18.	सरिता		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
19.	नीता		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
20.	सलमा		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
21.	बसन्ता		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
22.	निना		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
23.	अक्षरा		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
24.	पिंकी उर्फ मन्जूदेवी		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित
25.	नजीरन		मानसिक विमंदित गृह जयपुर से स्थानान्तरित

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

रायथल (जालौर) ग्राम में पेयजल आपूर्ति हेतु भू-तल जलाशय

386. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम रायथल (तहसील आहोर) में मीणों के वास, हरिजन बस्ती एवं भीलों की ढाणी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और उन्हें पानी लेने के लिए करीबन एक किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार करीब 20 के.एल. का जी.एल.आर. मय पाइप लाइन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं।

भीलवाड़ा जिले के राजमार्ग संख्या 26 का नवीनीकरण

387. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य राज मार्ग सं. 26 भीलवाड़ा जिले में कहां से कहां तक निकलता है तथा भीलवाड़ा जिले में आ रही उक्त सड़क का निर्माण एवं अन्तिम बार नवीनीकरण कब-कब करवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य राजमार्ग सं. 26 के उक्त किलोमीटर 90.0 से 99.0 तक की सड़क के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य राजमार्ग संख्या 26 भीलवाड़ा जिले में बनास नदी पर स्थित नापाखेड़ा पुलिया से शुरू होकर मोरला चौराहा होती हुई जयपुर-जबलपुर सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-12) के कि.मी. 163 पर मिलती है। इसकी लम्बाई 9.00 कि.मी. है। उक्त सड़क का निर्माण वर्ष 1996 में हुआ था एवं अन्तिम बार कि.मी. 90/0 से 96/250 तक का नवीनीकरण वर्ष 2003 में तथा 96/250 से 99/0 का वर्ष 2002 में करवाया गया था।

(2) जी हां। राज्य राजमार्ग संख्या 26 के कि.मी. 90/0 से 99/0 तक नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

अलवर जिले के कृषकों को फव्वारा सिंचाई हेतु अनुदान

388. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को बूंद-बूंद/फव्वारा पद्धति से खेती हेतु उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है व कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाओं में उक्त उपकरणों को खरीद कर अनुदान हेतु कृषक द्वारा कृषि/उद्यान विभाग को आवेदन दिया जाता है? यदि हां, तो अलवर जिले में गत तीन वर्षों में कितने कृषकों द्वारा अनुदान हेतु आवेदन किया गया व सरकार द्वारा कितने कृषकों को अनुदान में कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज जिला हार्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (कृषि/उद्यान विभाग) को प्रेषित किया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात स्थापित संयंत्र का विभाग के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। इसके उपरान्त पात्र कृषक के पक्ष में अनुदान स्वीकृत कर डी डी/चैक/आर टी जी एस के माध्यम से अनुदान जारी किया जाता है। एक कृषक परिवार को अधिकतम 5 हैक्टेयर तक अनुदान दिया जाता है।

फव्वारा संयंत्र स्थापित करने पर बिल या निर्धारित इकाई लागत (जो भी कम हो) का लघु/सीमान्त कृषक को 60 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत या अधिकतम तय सीमा तक माडलवार अनुदान देय है।

ड्रिप (बूंद-बूंद सिंचाई) व मिनी स्प्रींकलर संयंत्र स्थापित करने पर पात्र कृषक को बिल या निर्धारित इकाई लागत (जो भी कम हो) का क्रमशः 90 प्रतिशत व 70 प्रतिशत तय सीमा तक माडलवार अनुदान देय है।

(2) जी हां। अलवर जिले में गत तीन वर्षों में प्राप्त आवेदन एवं अनुदान का विवरण निम्नानुसार है-

(कृषि मंत्री)

क्र. सं.	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		फव्वारा	ड्रिप	फव्वारा	ड्रिप	फव्वारा	ड्रिप
1	प्राप्त आवेदन संख्या	1160	88	2224	111	7170	229
2	आवेदन निस्तारण संख्या	1160	88	1166	101	2954	217
3	अनुदान राशि (लाख)	95.26	26.35	96.44	43.87	284.34	192.35

वर्ष 2009-10 मे बजट अभाव के कारण 1058 फव्वारा पत्रावलियां व 10 ड्रिप पत्रावलियां पेडिंग थीं, जिनका निस्तारण वर्ष 2010-11 में किया गया। वर्ष 2010-11 में लक्ष्य से अधिक पत्रावलियां प्राप्त होने के कारण बजट अभाव में 4216 फव्वारा पत्रावलियां एवं 12 ड्रिप पत्रावलियां पेंडिंग रही थीं, जिनका निस्तारण वर्ष 2011-12 में कर अनुदान चैक भिजवाये जा रहे हैं। कार्यालय में आदिनांक फव्वारा की कोई पत्रावली अनुदान हेतु कार्यालय में बकाया नहीं है।

वैर में विधायक अनुशंसित अपूर्ण कार्य

389. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में विधायक कोष से स्वीकृत ऐसे कितने कार्य हैं, जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हुये एक साल से अधिक अवधि हो गई व कार्य नहीं कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एक साल पूर्व जारी की गई और वे आज तक पूरे नहीं कराये गये उनकी लागत राशि अब अधिक आ रही है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है?

(3) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत कार्यों को अब कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में विधायक कोष से स्वीकृत एक साल से अधिक अवधि के 11 कार्य पूर्ण नहीं हुये हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत कार्यों में से विगत वर्ष के प्रगतिरत कार्यों को जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जावेगा।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र वैर में विधायक कोष से जिनकी वित्तीय स्वीकृति एक वर्ष से अधिक है ऐसे कार्यों की सूची विवरण रिपोर्ट

क्र. सं.	कार्य का नाम/ग्रा. पं.	पं. स.	कार्यकारी संस्था	अभिशंसित राशि	वित्तीय स्वीकृति		विशेष विवरण
					क्रमांक	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीसी सड़क निर्माण, तेजसिंह के घर से स्कूल की ओर, हिसामड़ा, ग्रा.पं. गांगरौली	वैर	ग्राम पंचायत	100,000	9791-95	29-Oct-09	विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्य अप्रारम्भ है ग्रा. पं. द्वारा राशि वापिस की गई।
2	हैण्डपम्प, पूंछरी कुंआ के पास, करावली गोविन्दपुरा, हाथौड़ी	वैर	ग्राम पंचायत	50,000	962-65	29-Jun-10	विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्य अप्रारम्भ है ग्रा. पं. द्वारा राशि वापिस की गई।
3	सामुदायिक भवन निर्माण, कोली बस्ती (एस.सी. कार्य), नगला धरसोनी, अजीत नगर	वैर	ग्राम पंचायत	150,000	10068-71	30-Mar-11	विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्य अप्रारम्भ है ग्रा. पं. द्वारा राशि वापिस की गई।
4	हैण्डपम्प मुनीम गुर्जर के घर के पास, कारवान	वैर	ग्राम पंचायत	50,000	962-65	29-Jun-10	विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्य अप्रारम्भ है ग्रा. पं. द्वारा राशि वापिस की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
5	हैण्डपम्प, उदयसिंह के घर के पास, चकबीछी, वीरमपुरा	बयाना	ग्राम पंचायत	50,000	1003-06	05-Jul-10	विवादित प्रारम्भ नहीं।
6	डीपबोर निर्माण, तुलसी मास्टर के घर के पास, सलैमपुर कलां	वैर	ग्राम पंचायत	132,000	3147-50	27-Jan-11	संशोधित स्वीकृति जारी करने हेतु मा. विधायक की अभिशंषा प्राप्त।
7	डीपबोर मय सिंगल फेस सबमर्सिबल मोटर व टंकी के, बझेराकलां	वैर	पीएचईडी	237,000	3091-93	18-Jan-11	प्रगतिरत।
8	एक हैण्डपम्प निर्माण, भुसावर शहर हैमसिंह पाण्डे के घर के पास	वैर	पीएचईडी	60,000	3091-93	18-Jan-11	विवादित प्रारम्भ नहीं।
9	सीसी सड़क निर्माण, आम रास्ते से मोहन मास्टर के घर तक, न. हरसुख, जहानपुर	वैर	ग्राम पंचायत	50,000	3448-51	03-Mar-11	विवादित प्रारम्भ नहीं।
10	सामुदायिक भवन निर्माण, तमोली बस्ती, सोनपुरा, खानखेडा	बयाना	ग्राम पंचायत	200,000	3382-85	22-Feb-11	प्रगतिरत।
11	बोरिंग मय समर्सिबल मोटर व टंकी, तरगवां, घाटरी	वैर	पीएचईडी	250,000	10049-53	30-Mar-11	प्रगतिरत।

सहायक अभियंता
जिला परिषद, भरतपुर

भरतपुर में नव-सृजित उचित मूल्य की दुकानें

390. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर में राशन डीलर के रूप में प्राइवेट राशन डीलर ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां एवं महिला स्वयं सहायता समूह डीलर के रूप में कहां-कहां कार्यरत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में भरतपुर जिले में कितने राशन डीलरों को अनियमितता के आधार पर निलम्बित/बर्खास्त किया गया तथा उनमें से कितनों को वापिस बहाल कर कार्यभार सौंपा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में कितनी राशन दुकानें नवसृजित की गईं तथा कितनी राशन की दुकानें रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में नवसृजित एवं रिक्त दुकानों पर राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में राशन डीलर के रूप में प्राइवेट राशन डीलर, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में राशन डीलर की 4 दुकानें (तुहिया, खैमरा, इकरन व बछामदी) नवसृजित की गयी हैं तथा 5 उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा इस्तीफा देने अथवा प्राधिकार पत्र निरस्त हो जाने के कारण रिक्त चल रही हैं। (भरतपुर शहर में वार्ड नं. 2, 3 व 44 तथा ग्राम पंचायत धुस्यारी, वासीखुर्द)

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में 4 नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों पर डीलर की नियुक्ति की जा चुकी है तथा उक्त रिक्त उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 2, 3 व 44 तथा ग्राम पंचायत धुस्यारी, वासीखुर्द की दुकानें हाल ही में निरस्त हुई हैं। इन दुकानों पर उचित मूल्य दुकानदार की नियुक्ति यथाशीघ्र कर दी जावेगी।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के बी.पी.एल. परिवारों को आर्थिक सहायता

391. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में बी.पी.एल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु संचालित सहयोग योजना में कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत कितने परिवारों द्वारा सरकार को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं प्रकरणों में कितनों को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है और कितने दावे शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत शेष रहे दावों/आवेदकों को अब तक भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं? अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा सहयोग योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार बजट आबंटित किये जाने का प्रावधान नहीं है।

गत तीन वर्षों में विभाग द्वारा अलवर जिले हेतु निम्नानुसार बजट राशि आबंटित की गई है :-

वित्तीय वर्ष	आबंटित बजट (लाखों में)
2008-09	22.00
2009-10	51.00
2010-11	55.00

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के आवेदकों को निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है :-

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)
2008-09	0.95
2009-10	10.30
2010-11	8.30

(सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मंत्री)

(2) गत तीन वर्षों में सहयोग योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ -लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट 'अ', लाभान्वित आवेदकों की सूची परिशिष्ट 'ब' एवं निरस्त आवेदन पत्रों की नामवार सूची परिशिष्ट 'स' उपलब्ध है।

उक्त वित्तीय वर्षों में से वर्ष 2009-10 में प्राप्त 116 आवेदन पत्रों में से 98 स्वीकृत, 7 निरस्त व 11 आवेदन पत्र कमियों की वजह से लम्बित हैं, जिनकी कमी पूर्ति उपरान्त पात्र आवेदकों को सहायता राशि स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्राप्त 11 आवेदन पत्र आक्षेप होने की वजह से लम्बित हैं, जिनकी आक्षेप पूर्ति उपरान्त स्वीकृति शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिवाना के जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी कार्यालयों में रिक्त पद

670. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत आने वाले जलदाय विभाग के कार्यालयों में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, उनके विरुद्ध कितने पद भरे हुए व कितने पद रिक्त हैं? कार्यालयवार एवं पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वर्तमान में कार्य की अधिकता को देखते हुए नये पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के कार्यरत दो कार्यालयों क्रमश: उप खण्ड सिवाना व उप खण्ड सिणधरी के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को भरने हेतु की गई/ प्रस्तावित कार्यवाही सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) विभाग में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत नये पदों के सृजन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। इन पदों पर मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों के संदर्भ में अनुकम्पात्मक नियुक्तियां दिये जाने के साथ-साथ वर्तमान में संविदा श्रमिक एवं संधारण संविदा की सहायता से विभाग में आवश्यकतानुसार कार्य सम्पादित करवाया जा रहा है, ताकि राज्य में पेयजल व्यवस्था सुचारु रहे।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

राज्य सरकार ने कार्य समय पर पूरा करने के लिए सभी जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन एकल बिन्दु दायित्व (सिंगल पाइंट रेस्पोन्सिबिलिटी) के आधार पर करवाये जाने के लिये गये निर्णय अनुसार योजनाओं का संधारण एवं रख-रखाव का कार्य भी किया जा रहा है ।

परिशिष्ट- "अ"

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के उप खण्ड सिवाना एवं सिणधरी में विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	पद रिक्त होने का विवरण एवं की गई/प्रस्तावित कार्यवाही
1	2	3	4
सहायक अभियंता			
उप खण्ड सिवाना	1	0	पदोन्नति के पद वर्ष 2001-02 के पश्चात् से माननीय न्यायालय के स्टे के कारण रिक्त रहे हैं एवं सीधी भर्ती के पद वर्ष 1999-2000 से रिक्त हैं। सहायक अभियन्ता के 50 रिक्त पदों के विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग से 43 अभियन्ताओं की चयन सूची प्राप्त हो चुकी है जिनकी नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2010-11 में सहायक अभियन्ता के 90 पदों को भरे जाने हेतु अर्थना कार्मिक विभाग को भिजवाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त डी.पी.सी. द्वारा भी पद भरे जावेंगे।
उप खण्ड सिणधरी	1	1	

1	2	3	4
कनिष्ठ अभियन्ता			
उप खण्ड सिवाना	3	1	वर्ष 2009-10 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा कुल 248 कनिष्ठ अभियन्ताओं का चयन किया जाकर इस पद पर नियुक्ति दी गई। विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के वर्तमान में 70 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किये जाने हेतु अर्थना आयोग कार्यालय में भिजवाई जा चुकी है।
उप खण्ड सिणधरी	3	1	
वरिष्ठ लिपिक			
उप खण्ड सिवाना	1	1	वर्ष 2007-08 तक डी.पी.सी. सम्पन्न हो चुकी है। वर्ष 2008-09 एवं पश्चात् के रिक्त पद डी.पी.सी. द्वारा भरे जावेंगे।
उप खण्ड सिणधरी	1	1	
कनिष्ठ लिपिक			
उप खण्ड सिवाना	3	0	रिक्त पदों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति द्वारा भरा जा रहा है।
उप खण्ड सिणधरी	2	1	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी			
उप खण्ड सिवाना	2	0	रिक्त पदों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति द्वारा भरा जा रहा है।
उप खण्ड सिणधरी	2	0	

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td colspan="4">तकनीकी संवर्ग</td></tr>
<tr><td colspan="4">उप खण्ड सिवाना (नगरीय जल योजनाएं)</td></tr>
<tr><td>मीटर रीडर</td><td>2</td><td>1</td><td rowspan="5">वर्तमान में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही पर प्रतिबन्ध किया हुआ है। प्रतिबन्ध के हटने के उपरान्त रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही अविलम्ब कर ली जावेगी।</td></tr>
<tr><td>फिटर-द्वितीय</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>पम्प चालक-द्वितीय</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td>सहायक</td><td>15</td><td>2</td></tr>
<tr><td>बेलदार</td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">तकनीकी संवर्ग</td></tr>
<tr><td colspan="4">उप खण्ड सिवाना एवं सिणधरी (ग्रामीण जल योजनाएं)</td></tr>
<tr><td colspan="4">ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रभारित संवर्ग के तकनीकी कर्मचारी कार्यरत होते हैं। राज्यादेश दिनांक 28.02.94 से कार्य प्रभारित संवर्ग मृत संवर्ग घोषित होने के कारण इस संवर्ग में पदोन्नति, पद सृजन एवं नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण कार्य प्रभारित संवर्ग का कोई पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।
वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।
राज्य सरकार द्वारा मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को पूर्व से ही अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। वर्तमान में संविदा श्रमिक एवं संधारण संविदा की सहायता से क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का आवश्यकतानुसार संधारण कार्य करवाया जा रहा है ताकि पेयजल व्यवस्था सुचारु रहे।</td></tr>
</table>

''गुन्दा की खेती" को उद्यानिकी फसलों का दर्जा

671. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में "उन्नत ग्रामीण" एवं "चारा बैंक" जैसी प्रगतिशील व कृषकोपयोगी योजनाओं को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट व कठिन मारवाड़ में गुन्दा की खेती की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये इसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि विभाग के माध्यम से "उन्नत ग्रामीण" एवं "चारा बैंक" के नाम से कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं की जा रही है। राज्य में चारा उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत "त्वरित चारा विकास कार्यक्रम" की क्रियान्विति वर्तमान में की जा रही है।

(2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फसलों का चयन सघन क्लस्टर विकास की सम्भावनाओं के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य में गुन्दा को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है। ऐसे फलदार पौधे जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में चयनित नहीं है, उनके फल बगीचों की स्थापना हेतु राज्य योजना में 7,500/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान प्रावधान उपलब्ध है।

राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी

672. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन में अन्य विभागों के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है? यदि हां, तो कितने वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर लगाने का नियमों में प्रावधान है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) वर्तमान में राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन में किस-किस पद पर कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कब से कार्यरत हैं? प्रतिनियुक्त कार्मिकों का नामवार, पदवार एवं विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चार वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर, उन्हें उनके मूल विभाग में भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किसको कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन लिमिटेड में अधिकारी/कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम के नियम 141 से 144 में अंकित शर्तों व वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 12.8.2011 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी चार वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है परन्तु विशेष परिस्थितियों में प्रतिनियुक्ति अवधि बढाया जाना नितान्त आवश्यक हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष के लिए बिना प्रतिनियुक्ति भत्ते बढ़ाई जा सकती है। राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए पांच वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति अवधि वित्त विभाग की सहमति से बढ़ाई जा सकती है। नियमों व परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में राजस्थान स्टेट सीड कार्पो. लि. में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का नामवार, पदवार, विभागवार व प्रतिनियुक्ति दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिन-जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गई है उन्हें मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पाली जिले में मेहंदी की खेती हेतु अनुदान/सहायता अनुदान राशि

673. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा कृषकों को किस-किस फल एवं फूलदार पौधों की बुवाई हेतु कितनी-कितनी राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) पाली जिले में गत तीन वर्षों में किस-किस कृषक को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया?

(3) क्या मेहंदी का पौधा भी पत्ती देने वाला पौधा है एवं इसकी भी पौध तैयार करके रोपा जाता है? यदि हां, तो सरकार इसको भी फूल-पत्तीदार पौधा मानते हुए कृषकों को इसकी रोपाई पर अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) के.प्र.यो. राष्ट्रीय बागवानी मिशन व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आंवला, संतरा, किन्नों, नींबू, मौसम्बी, अनार, आम, अमरूद, बेर, बेलपत्र, पपीता, आदि फलदार पौधों के नये फल बगीचे स्थापना की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रुपये 30000.00 प्रति हैक्टेयर तक अनुदान/सहायता देय है। फसलवार अनुमानित लागत का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अनुदान/सहायता राशि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में क्रमश: 60:20:20 के अनुपात में तीन किश्तों में विभक्त करके उन्नत पौध रोपण सामग्री व समन्वित पोषक तत्व/कीट व्याधि प्रबंधन इत्यादि के लिये उपलब्ध करायी जाती है।

फल बगीचों की सघन बागवानी (आम, अमरूद व अनार) पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 40000.00 प्रति हैक्टेयर तीन किश्तों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में कृषक को उपलब्ध करायी जाती है।

फूलों में देशी गुलाब के नये बगीचों की स्थापना पर लघु व सीमांत कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपयें 12000.00 प्रति हैक्टेयर व अन्य किसानों को लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रुपये 7920.00 प्रति हैक्टेयर अनुदान स्वरुप उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत फलों व फूलों के बगीचों की स्थापना हेतु प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिए अनुदान/सहायता देय है।

(2) पाली जिले में गत तीन वर्षों में कृषकों को उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी (जयपुर) तहसील क्षेत्र के कृषकों को कृषि कार्यों हेतु अनुदान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

674. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्मी-कम्पोस्ट, ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, बग़ीचा तैयार करने तथा डेयरी हेतु अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना-कितना? पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में जिला जयपुर की तहसील बस्सी में उक्त योजनाओं में किस-किस व्यक्ति को, कितना-कितना ऋण एवं अनुदान दिया गया तथा कितना प्रतिशत देना शेष है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को फर्जी ऋण एवं अनुदान उठाने की शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो किस-किसकी तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। उद्यान विभाग द्वारा बागवानी विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत वर्मी-कम्पोस्ट, ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापना, फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापना एवं नये फल बगीचों की स्थापना पर व राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड द्वारा डेयरी परियोजनाओं पर निम्नानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाता है :-

क्र. सं.	कार्यक्रम	देय अनुदान/सहायता
1	2	3
1.	वर्मी-कम्पोस्ट	
	अ. स्थायी संरचना	वर्मी-कम्पोस्ट इकाई स्थापना की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30000 रुपये प्रति इकाई
	ब.एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड	एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5000 रुपये प्रति इकाई
2.	ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापना	बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र स्थापना हेतु माडलवार निर्धारित अधिकतम सीमा तक पात्र कृषक को वास्तविक कीमत या निर्धारित इकाई लागत का 90 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान दिया जा रहा है।

(कृषि मंत्री)

1	2	3
3.	फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापना	फव्वारा संयंत्र स्थापित करने पर पात्र लघु एवं सीमान्त कृषकों को बिल या निर्धारित इकाई लागत (जो कम हो) का 60 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम तय सीमा तक माडलवार अनुदान देय है।
4.	नये फल बगीचों की स्थापना	फल बगीचे स्थापना की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 30000 रुपये प्रति हैक्टेयर, प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में क्रमश: 60:20:20 के अनुपात में तीन किस्तों में उन्नत पौध रोपण सामग्री, समन्वित पोषक तत्व/कीट व्याधी प्रबंधन इत्यादि पर देय है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हैक्टेयर तक लाभ देय है।
5.	डेयरी	
	अ. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	इस योजना के अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, अवशीतन श्रृंखला की स्थापना इत्यादि पर 100 प्रतिशत अनुदान देय है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना नेशनल मिशन फोर प्रोटीन सप्लीमेण्ट के अन्तर्गत पशु क्रय करने एवं पशुओं के ठाण हेतु 25 प्रतिशत अनुदान एवं विधायन एवं प्रसंस्करण के ढांचागत विस्तार हेतु 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
	ब. देवनारायण योजना	गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों की चिन्हित तहसीलों में ई.एम.टी., बल्क मिल्क कूलर्स, प्राकृतिक गर्भाधान हेतु साण्ड, समिति स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण इत्यादि 100 प्रतिशत अनुदान देय है।
	स. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम	राज्य के 9 जिलों में यथा झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, बारां, चूरू, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं धोलपुर जिलों में दुग्ध संयंत्र व समिति स्थापना हेतु 100 प्रतिशत अनुदान देय है।

(कृषि मंत्री)

(2) गत तीन वर्षों में जयपुर जिले की तहसील बस्सी में उक्त योजनाओं (वर्मी-कम्पोस्ट, ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापना, फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापना व नये फल बगीचों की स्थापना) में लाभान्वित व्यक्तियों की सूचना परिशिष्ट-1 के पृष्ठ संख्या 1 से 112 तक संलग्न है। किसी प्रकार का ऋण उद्यान विभाग द्वारा कृषकों को नहीं दिया जाता है। अनुदान राशि का भुगतान उक्त योजनाओं में एक मुस्त अकाउन्ट पे चैक द्वारा किया गया है। वर्तमान में पात्र प्रकरण में कोई अनुदान दिया जाना शेष नहीं है। तहसीलवार लाभार्थियों की संख्या एवं अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट 1 के पृष्ठ संख्या 113 से 124 पर संलग्न है।

(3) सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय जयपुर में कार्यरत कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध (1) श्री देवकरण मीणा, जमवारामगढ़, जयपुर एवं (2) जयपुर ड्रिप डीलर एसोसिएशन, जयपुर, पंचायत समिति, फुलेरा, कृषक समूह, पंचायत समिति, रामगढ़, कृषक समूह, पंचायत समिति, दूदू, कृषक समूह, पंचायत समिति, फागी, कृषक समूह द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो विभाग द्वारा जांच करवाने पर सत्य नहीं पाई गई । जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत सहायक निदेशक उद्यान, दुर्गापुरा, जयपुर के माध्यम से दिनांक 13.01.12 को मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी के सामने, बस्सी के विरुद्ध मिलीभगत कर अनुचित तरीके से अनुदान राशि उठाने की शिकायत प्राप्त हुई । शिकायत के क्रम में सहायक निदेशक उद्यान, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध दिनांक 18.01.12 को पुलिस थाना शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर में प्राथमिकी करने हेतु लिखा गया। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना शिप्रापथ में प्राथमिकी नं. 31/20.01.2012 दर्ज हो चुकी है। सम्बन्धित फर्म के कार्य करने पर रोक सम्बन्धी आदेश निदेशालय स्तर से दिनांक 25.01.12 को जारी किया गया।

प्राथमिकी प्रतिवेदन एवं दिनांक 25.01.12 के आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटा सम्भाग में खाद व बीज के जारी अनुज्ञा पत्र

675. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (अन्ता-बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(1) कोटा संभाग के किस-किस जिले में खाद एवं बीज के कितने-कितने अनुज्ञा पत्र किस-किस संस्था या फर्म को किस-किस दिनांक को किस-किस अधिकारी द्वारा जारी किये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) खाद एवं बीज के अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु क्या मानदण्ड, पात्रता एवं शर्तें निर्धारित हैं? जारी आदेश, नियम व शर्तों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) खाद एवं बीज के अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु किस-किस स्तर के अधिकारी को अधिकार दिये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) खाद एवं बीज के अनुज्ञापत्र के आवेदन के लिए किस फार्म में आवेदन एवं क्या-क्या पूर्तियां करनी होती हैं? आवेदन पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) वर्ष 2011 में कोटा सम्भाग में किस-किस संस्था या फर्म को खाद बीज के अनुज्ञा पत्र किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस दिनांक को जारी किये गये? आवेदन फार्म, अनुज्ञा पत्र आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में जारी किये गये उर्वरक प्राधिकार पत्र एवं बीज अनुज्ञा पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

नाम जिला	वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12	
	उर्वरक	बीज	उर्वरक	बीज
1 कोटा नोन सी.ए.डी.	11	18	15	18
2 बारां नोन सी.ए.डी.	29	38	35	46
3 बूंदी नोन सी.ए.डी.	18	32	27	59
4 झालावाड़	69	49	104	83
5 सीएडी कोटा	29	30	50	50
6 सीएडी बूंदी	56	39	43	50
महायोग	212	206	274	306

जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 (पृष्ठ-1 से 62) पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(2) उर्वरक विक्रय के लिए प्राधिकार पत्र उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 8 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो एवं मानदण्डों के अधीन जारी किये जाते हैं। इसी प्रकार बीज अनुज्ञा पत्र बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 4 के तहत निर्धारित शर्तो एवं मानदण्डों के आधार पर दिये जाते हैं। नियम एवं आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उर्वरक प्राधिकार पत्र एवं बीज के अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकार दिये गये हैं।

नाम जिला	नाम तहसील	नाम अधिसूचित प्राधिकारी/अनुज्ञापन अधिकारी
1 कोटा खण्ड	कृषि खण्ड के सम्बन्धित जिले (स्वयं का अधिकारिता क्षेत्र)	संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कोटा
2 कोटा नोन सी.ए.डी.	सांगोद, रामगंजमंडी	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) कोटा
3 बारां नोन सी.ए.डी.	अन्ता मांगरोल तहसील को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्व जिला	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) बारां
4 बूंदी नोन सी.ए.डी.	नैनवा हिण्डोली	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) बूंदी
5 झालावाड	सम्पूर्ण राजस्व जिला	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) झालावाड

(4) उर्वरक के आवेदन पपत्र ए-1 में एवं बीज के आवेदन प्रपत्र-क में किये जाते हैं एवं साथ में दुकान के स्वामित्व सम्बन्धित सहायक निदेशक/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित दुकान व गोदाम के ब्ल्यूप्रिंट नक्शे, निर्माताओं/थोक विक्रेताओं द्वारा जारी 0 फार्म, आवेदक के फोटो निर्धारित शर्तों का शपथ पत्र एवं आवेदक के पहचान सम्बन्धित दस्तावेज आदि संलग्न कर पूर्तियां करनी होती है । तत्पश्चात नियमानुसार शुल्क जमा करवाया जाता है। आवेदन प्रपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-3 (पृष्ठ-1 से 3) पर संलग्न है ।

(कृषि मंत्री)

(5) कोटा सम्भाग में नियुक्त उर्वरक अधिसूचित प्राधिकारियों एवं बीज अनुज्ञापन अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्राधिकार-पत्रों/अनुज्ञा पत्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर अंकित है ।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीकर जिले में फव्वारा/हरा चारा मशीनों पर स्वीकृत अनुदान

676. श्री पेमाराम (धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में फव्वारा अनुदान हेतु गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने आवेदन आये व कितनों को अनुदान जारी कर दिया गया तथा अब किस-किस वर्ष के कितने आवेदन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों को वर्षवार अनुदान स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार शेष आवेदकों को शीघ्र अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सीकर जिले में किसानों के लिये हरा चारा काटने की कितनी बिजली चलित मशीनों तथा कितनी हाथ चलित मशीनों का अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया व अब तक किस-किस काश्तकार को उक्त मशीनें वितरित की गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले मे फव्वारा अनुदान हेतु गत तीन वर्षों मे प्राप्त आवेदन, निस्तारण एवं शेष रही पत्रावलियों का विवरण इस प्रकार है-

2008-09			2009-10			2010-11		
प्राप्त	निष्पादन	लम्बित	प्राप्त	निष्पादन	लम्बित	प्राप्त	निष्पादन	लम्बित
3114	3114	00	6327	1201	5126	6971	2622	4349

(2) बजट अभाव में उक्त आवेदकों को अनुदान का भुगतान वर्षवार नहीं किया जा सका। वर्ष 2009-10 के शेष आवेदकों को भुगतान 2010-11 में किया गया एवं 2010-11 के शेष 4349 आवेदनों का निष्पादन वर्ष 2011-12 में किया जा चुका है। वर्तमान में कोई अनुदान बकाया नहीं है।

(3) सीकर जिले में किसानों के लिये त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011-12 में हरा चारा काटने की बिजली चलित (शक्ति चलित)

(कृषि मंत्री)

मशीनों तथा हाथ चलित मशीनों के क्रमश: 552 व 2300 भौतिक तथा रुपये 55.20 लाख व 46.00 लाख कुल 101.20 लाख रुपये के वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुये थे। वर्ष 2011-12 में जिले के 1629 कृषकों को उक्त मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं जिनमें से 1240 कृषकों को शक्ति चलित व 389 कृषकों को हस्त चलित मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। जिन-जिन काश्तकारों को उक्त मशीनें वितरित की गई, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

दूनी (टोंक) बीज विधायन केन्द्र द्वारा बीज आपूर्ति

677. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीज निगम द्वारा जिला टोंक में बीज विधायन केन्द्र दूनी (टोंक) में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं अगस्त, 2011 तक वर्षवार बीज विधायन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिन्स के बीज विधायन कर कृषकों को आपूर्ति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त अवधि तक किस-किस जिन्स के बीज उत्पादकों को उपलब्ध कराये गये? कृषकों (बीज उत्पादकों) की संख्या, बीज मात्रा, जिन्सवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बीज उत्पादकों द्वारा कितना-कितना बीज उत्पादन कर बीज विधायन केन्द्र दूनी पर लाया गया?

(4) बीज उत्पादकों को दिये गये बीज से प्रति हैक्टर उत्पादन के क्या मानदण्ड हैं? उत्पादन मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) बीज उत्पादक किसानों से किस-किस दर पर जिन्सवार बीज निगम द्वारा क्रय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दूनी विधायन केन्द्र पर वर्ष वार विधायन का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जिन्सवार वितरण किये गये बीज की मात्रा व बीज उत्पादकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) बीज उत्पादकों द्वारा जमा कराये गये बीज की मात्रा का जिन्सवार विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(कृषि मंत्री)

(4) राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षण के दौरान अनुमानित उपज का आंकलन किया जाता है। उसके आधार पर बीज उत्पादकों से रा बीज प्राप्त किया जाता है। उत्पादित मात्रा का विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(5) जिन्सवार बीज निगम द्वारा क्रय की गई बीज की दरों का विवरण परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले के किसानों को फव्वारा सैट अनुदान हेतु विलम्ब में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

678. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालौर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में किसानों को फव्वारा सैट खरीदने पर कितनी अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान रखा गया था? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जालौर में 31 मार्च, 2011 तक कितने किसानों द्वारा फव्वारा सैट क्रय किये गये एवं कितने किसानों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों का सत्यापन किया गया एवं कितने किसानों को वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रावधानानुसार अनुदान राशि स्वीकृत एवं वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनेक काश्तकारों को अनुदान राशि मार्च, 2012 तक प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों एवं क्या सरकार उक्त काश्तकारों को उनकी अनुदान राशि वर्ष 2010-11 के प्रावधानानुसार प्रदत्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से जारी होने के कारण काश्तकारों को वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रावधानानुसार अनुदान राशि नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्बन्ध में काश्तकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जालौर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत किसानों को फव्वारा संयंत्र पर अनुदान हेतु रु. 1200 लाख राशि का प्रावधान रखा गया था। इससे सम्बन्धित आदेश दिनांक 11.05.10 की प्रति संलग्नक-1 पर स्थित है।

(2) 31 मार्च, 2011 तक 7881 किसानों के फव्वारा संयंत्र अनुदान आवेदन प्राप्त हुये। इनमे से 5904 प्रकरणों का भौतिक सत्यापन कृषि विभाग द्वारा किया गया। इन 5904 कृषकों को 2010-11 के प्रावधानानुसार अनुदान जारी किया गया है।

(3) जी नहीं। समस्त पात्र कृषकों की पत्रावलियों का निस्तारण प्रचलित दिशा-निर्देशानुसार कर कृषकों को अनुदान भुगतान कर दिया गया है।

(4) जी हां। 1955 कृषक पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन/प्रशासनिक स्वीकृति 01.04.11 के बाद किया गया जिनका अनुदान भुगतान 2011-12 के प्रावधान अनुसार किया गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 की अन्तिम तिमाही में सहायक निदेशक कृषि, भीनमाल कार्यालय में 6773 (जनवरी-1234, फरवरी-2049 व मार्च-3490) पत्रावलियां प्राप्त हुई। इनमें से भी 884 पत्रावलियां मार्च के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई, जिससे 31 मार्च, 2011 से पूर्व समस्त पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं था। अत: इस हेतु कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(5) जी हां। कुछ काश्तकारों व जनप्रतिनिधियों द्वारा लम्बित पत्रावलियों के भुगतान की मांग की गई थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक समस्त पात्र प्रकरणों का निस्तारण प्रचलित दिशा-निर्देशानुसार कर कृषकों को अनुदान भुगतान कर दिया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही जिले में घरेलू गैस आपूर्ति में अनियमितताएं

679. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सिरोही में कितनी गैस एजेन्सियां किस-किस कम्पनी की कार्यरत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किस एजेन्सी के पास कितने घरेलू व व्यावसायिक गैस कनेक्शन हैं?

(3) उक्त गैस उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग कराने के कितने दिनों

(श्री ओटाराम देवासी)

बाद गैस सिलेण्डर की डिलीवरी दी जाने का प्रावधान है एवं गैस एजेन्सियां द्वारा कितने दिनों में आपूर्ति की जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि सिरोही के आदित्य गैस एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर बुक कराने के 30 दिनों तक सिलेण्डर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि सिरोही की आदित्य गैस एजेन्सी की सप्लाई व्यवस्था की मानिटरिंग में कालाबाजारी होने की शिकायतें मिल रही हैं?क्या सरकार कालाबाजारी को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे और नहीं, तो क्यों?

(6) सिरोही स्थित गैस एजेंसियों से सम्बन्धित पैट्रोलियम कम्पनी के नियन्त्रण अधिकारियों के नाम, कार्यालय, पते, मोबाइल एवं दूरभाष नम्बर की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सिरोही में विधान सभा क्षेत्रवार गैस एजेंसियों एवं सम्बन्धित कम्पनी की सूचना निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	**नाम एजेंसी**	**नाम कम्पनी**	**विधान सभा क्षेत्र का नाम**
1	मै. सिरोही गैस सर्विस, सिरोही	एचपीसीएल	सिरोही
2	मै. आदित्य एच.पी. गैस, सिरोही	एचपीसीएल	
3	मै. साई एच.पी. गैस, जावाल (राजीव गांधी)	एचपीसीएल	
4	मै. आशापूर्णा गैस एजेन्सी, शिवगंज	एचपीसीएल	
5	मै. गणपति भारत ग्रामीण गैस वितरक, पोसालिया (राजीव गांधी)	बीपीसीएल	
6	मै. बसन्त एचपी गैस, पिण्डवाड़ा	एचपीसीएल	पिण्डवाड़ा-आबू
7	मै. भगवती भारत ग्रामीण गैस वितरक, भांवरी (राजीव गांधी)	बीपीसीएल	
8	मै. अर्बुदा गैस एजेन्सी, आबूरोड	आईओसीएल	
9	मै. आसोपालव एचपी गैस, आबूरोड	एचपीसीएल	
10	मै. माउन्ट गैस एन्टरप्राईजेज, आबू पर्वत	आईओसीएल	

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) वर्तमान में सिरोही जिले में गैस एजेंसियों के घरेलू एवं व्यावसायिक गैस कनेक्शन निम्न प्रकार हैं:-

क्र. सं.	नाम एजेंसी	घरेलू गैस कनेक्शनों की संख्या	व्यावसायिक गैस कनेक्शनों की संख्या	योग
1	मै. सिरोही गैस सर्विस, सिरोही	18400	227	18627
2	मै. आदित्य एच.पी. गैस, सिरोही	7691	47	7738
3	मै. साई एच.पी. गैस, जावाल (राजीव गांधी)	1715	0	1715
4	मै. आशापूर्णा गैस एजेंसी, शिवगंज	13811	255	14066
5	मै. गणपति भारत ग्रामीण गैस वितरक, पोसालिया (राजीव गांधी)	0	0	0
6	मै. बसन्त एचपी गैस, पिण्डवाड़ा	14871	195	15066
7	मै. भगवती भारत ग्रामीण गैस वितरक, भांवरी (राजीव गांधी)	1000	52	1052
8	मै. अर्बुदा गैस एजेंसी, आबूरोड	14754	233	14987
9	मै. आसोपालव एचपी गैस, आबूरोड	5640	151	5791
10	मै. माउन्ट गैस एन्टरप्राईजेज, आबू पर्वत	9440	476	9916

(3) उक्त गैस उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग कराने के बाद डिलीवरी दिये जाने की समय सीमा का प्रावधान नहीं है। यह उपलब्ध स्टाक व बुकिंग की प्रतीक्षा सूची पर निर्भर करती है। वर्तमान में गैस एजेन्सियों द्वारा सप्ताह भर में सप्लाई दी जा रही है।

(4) सिरोही के आदित्य गैस एजेन्सी द्वारा उभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर रिफिलिंग बुकिंग करने के 30 दिनों तक सिलेण्डर उपलब्ध नहीं कराने बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(5) सिरोही की आदित्य गैस एजेन्सी की सप्लाई व्यवस्था की मानिटरिंग में कालाबाजारी होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। समय-समय पर उक्त एजेन्सी का निरीक्षण किया जा रहा है।

(6) सिरोही स्थित गैस एजेंसियों के नियन्त्रण अधिकारियों के नाम, कार्यालय पते, मोबाइल एवं दूरभाष नम्बर की सूची निम्न प्रकार है:-

आईओसी	बीपीसी	एचपीसी
श्री रामनिवास चौधरी, सहा. प्रबन्धक (एलपीजी), उदयपुर, ब्लाक ए-1, फ्लैट नम्बर-202, वैशाली अपार्टमेन्ट, उदयपुर फोन- 0294-2462601 मो.नं.- 09414040226	श्री चेतन गोस्वामी, सेल्स आफीसर, टैरिटोरी आफिस एण्ड एलपीजी फिलिंग प्लान्ट, मै. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि., ग्राम साकोदरा, तहसील गिरवा, उदयपुर, मोबाइल नं. 09414161962	श्री शरद कुमार गढ़वाल, एक्जीक्यूटिव सेल्स आफीसर, उदयपुर, सी-203, उदय टावर, न्यू फ्लोरा काम्पलेक्स, उदयपुर, मोबाइल नं.- 09414050535

फतेहनगर (उदयपुर) में अन्त्योदय योजना में गेहूं वितरण में अनियमितताएं

680. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संजीवन क्रय-विक्रय सहकारी समिति फतेहनगर द्वारा अन्त्योदय योजना में जनवरी 2009 से अगस्त 2010 (20 माह) तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कुल कितना गेहूं उठाया गया और उसमें से कितना गेहूं राशन डीलरों को वितरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों को 28 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार को बांटा जाना था? यदि हां, तो सरकार द्वारा कुल कितने राशन टिकट मावली क्षेत्र एवं फतेहनगर पालिका में बांटे गये तथा उन टिकटों के आधार पर कुल कितना टन गेहूं प्रतिमाह बंटना चाहिए और 20 माह में कुल कितना गेहूं इन टिकटों के आधार पर बांटा गया?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या यह भी सही है कि जितना गेहूं भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से संजीवन क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने इन 20 माहों में उठाया उसकी तुलना में राशन टिकटों के आधार पर कम गेहूं वितरण किया गया

(4) क्या यह सही है कि 146 ट्रक गेहूं कालाबाजारी में राशन डीलरों, संजीवन क्रय-विक्रय सहकारी समिति, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा चयनित परिवारों को वितरित न कर अन्य को बेचा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) संजीवन क्रय-विक्रय सहकारी समिति फतेहनगर द्वारा अन्त्योदय योजना में जनवरी, 2009 से अगस्त, 2010 (20 माह) तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 38370 क्विंटल गेहूं का उठाव किया जाकर राशन डीलरों को 38318.85 क्विंटल गेहूं वितरण किया गया। आबंटन, उठाव एवं वितरण सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो गेहूं प्रति परिवार दिया जाता था। उसी अनुसार मावली पंचायत समिति क्षेत्र में चयनित 4920 एवं नगरपालिका फतेहनगर क्षेत्र में चयनित 702 कुल 5622 परिवारों को राशन टिकटों का वितरण किया गया था।

संजीवन क्रय-विक्रय सहकारी समिति फतेहनगर द्वारा राशन टिकिटों के आधार पर वितरण का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

कुल चयनित परिवारों की संख्या	**टिकटों के आधार पर कुल कितना टन गेहूं प्रति माह बंटना चाहिए**	**20 माह में कितना गेहूं इन टिकटों के आधार पर बांटा गया**
5622	5622×35×20 = 39354 क्विंटल	38318.85 क्विंटल

(3) जी नहीं। जितना गेहूं भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से संजीवन क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने इन 20 माहों में उठाया, उसकी तुलना में राशन टिकटों के आधार पर ही गेहूं वितरण किया गया है।

(4) जी नहीं। उक्त अवधि में अन्त्योदय योजना के गेहूं की कोई कालाबाजारी नहीं हुई है।

परिशिष्ट-1

संजीवन क्रय-विक्रय सहकारी समिति फतेहनगर द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के आबंटन उठाव की स्थिति

(मात्रा M.T.)

Month	Allotment	Lifting	Distribution
Jan. 09	196.000	196.000	237.075
Feb. 09	196.000	100.000	186.300
Mar. 09	196.000	196.000	189.535
Apr. 09	196.000	196.000	193.385
May. 09	196.000	196.000	187.845
June. 09	196.000	196.000	190.175
Jul. 09	196.000	196.000	187.675
Aug. 09	196.000	196.000	187.615
Sept. 09	196.000	196.000	188.275
Oct. 09	196.000	196.000	187.545
Nov. 09	196.000	196.000	190.735
Dec. 09	197.000	196.000	193.605
Jan. 10	198.000	198.000	194.400
Feb. 10	197.000	197.000	188.550
Mar.10	197.000	197.000	206.800
Apr. 10	199.000	199.000	192.700
May. 10	199.000	199.000	190.200
June. 10	199.000	199.000	176.670
Jul. 10	196.000	196.000	181.500
Aug. 10	196.000	196.000	181.300
Total	**3934.000**	**3837.000**	**3831.885**

District Supply Officer,
Udaipur

खाद्य निगम द्वारा जिला प्रबन्धकों के पद पर नियुक्ति

681. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में नव स्थापित फूड कार्पोरेशन में कुछ समय पूर्व 34 जिला प्रबन्धकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गये थे? यदि हां, तो किस तिथि को?

(2) उक्त पदों में से कितने पदों पर भर्ती कर ली गई है एवं कितने पद क्यों शेष हैं?

(3) क्या यह सही है कि जिला प्रबन्धकों के शेष पदों हेतु प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शेष रहे जिला प्रबन्धकों को रिक्त पदों पर उक्त प्रतीक्षा सूची में से नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) अब उक्त रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. द्वारा 34 जिला प्रबन्धकों की भर्ती के लिए दिनांक 29.09.2011 को आवेदन पत्र मांगे गये थे।

(2) उक्त पदों में से 28 पदों को भर लिया गया है। शेष 6 पदों में से 5 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक जाइन नहीं करने व 1 पद पर अभ्यर्थी द्वारा जाइन करने के बाद त्याग पत्र देने से रिक्त हैं।

(3) जी हां। प्रतीक्षा सूची में सभी श्रेणियों के कुल 21 अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। प्रतीक्षा सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जाइन करने से शेष रहे चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन करने हेतु रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 03.04.2012 द्वारा लिखा जाकर अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है। इस कार्यवाही के उपरान्त भी जाइन नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची में से नियुक्ति देने की कार्यवाही की जावेगी।

(5) उत्तर बिन्दु संख्या 4 के अनुसार है।

परिशिष्ट-1

Waiting List

ROLL	TOTAL	Form No.	Candidate Full Name	Father Name	Gender	Category	Other reservation	ORTHO	MARE NUM-BER
100396	132	900005341	ANIL KUMAR	KAMLESH KUMAR	MALE	GENERAL	-	N	17
102296	128	110711005	BHAGWATI SWAROOP RATTAN	RAM SWAROOP RATTAN	MALE	GENERAL	-	N	19
101196	128	900006439	SANDEEP MODI	SHYAM LAL MODI	MALE	GENERAL	-	N	21
101156	128	900006098	ANJANI KUMAR NAGORIYA	GHANSHYAM NAGORIYA	MALE	GENERAL	-	N	22
102404	127.3333333	111561015	MOHIT KUMAR GOYAL	RAMDAYAL GOYAL	MALE	GENERAL	-	N	23
100088	127.3333333	900002586	RONAK SHARMA	SHIR RAM BABU SHARMA	MALE	GENERAL	-	N	24
100012	126	900003145	SURENDRA SINGH PANWAR	RAM SWAROOP PANWAR	MALE	GENERAL	-	N	26
101647	125.3333333	900000286	TANU GUPTA	RAJIV GUPTA	FEMALE	GENERAL	-	N	31
101177	128.3333333	900006230	AMITA BAJPAI	SHRI SURESH CHANDRA BAJPAI	FEMALE	GENERAL	-	N	41
102422	122	111901014	PAYAL CHOUDHARY	GAJENDRA CHOUDHARY	FEMALE	GENERAL	-	N	51
100939	124.6666667	900005196	VASANT KUMAR CHOUDHARY	ROOPA RAM CHOUDHARY	MALE	OBC	-	N	34

ROLL	TOTAL	Form No.	Candidate Full Name	Father Name	Gender	Category	Other reservation	ORTHO	MARE NUM-BER
101604	122.6666667	900006378	PREM PRAKASH GUJJAR	MALI RAM GUJJAR	MALE	SBC	-	N	44
100551	122.6666667	900003368	RAHUL MAAN	VED PRAKASH MAAN	MALE	OBC	-	N	49
100797	116	900001744	MANJU PRAJAPATI	THAKURMAL PRAJAPATI	FEMALE	OBC	-	N	88
102430	104	111901022	SURESH RAM	DHANNA RAM	MALE	SC	-	N	222
10182	102	900002284	LALIT SANWARIYA	ASHOK KUMAR SANWARIYA	MALE	SC	-	N	253
101053	114	900004318	LOVJEET LAL	LAXMAN LAL	FEMALE	SC	-	N	105
102214	100.6666667	900001181	ASHOK KUMAR MEENA	CHANDRA-PRAKASH MEENA	MALE	ST	-	N	284
101679	97.3333333	900004029	MURLI MANOHAR MEENA	HARSH NARAYAN MEENA	MALE	ST	-	N	337
100345	64.6666667	900002287	KHUSHBOO NIYARTA	HEMRAJ NIYARTA	FEMALE	ST	-	N	1194
101799	56	900007235	GANJDENRA SINGH	MAHESHDAN SINGH	MALE	GENERAL	Physically Handi-capped	Y	1410

GENERAL MANAGER (Adm.)
RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD. JAIPUR

कोथ्या ग्राम (बून्दी) में सड़क निर्माण हेतु मिट्टी उठाव में अनियमितताएं

682. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्राम कोथ्या पटवार हल्का ठीकरिया चारणान में फोर लेन बनाने वाली कम्पनी द्वारा 5 बीघा जमीन से मिट्टी निकालने की अनुमति प्राप्त कर 200 बीघा सिवाय चक जमीन से मिट्टी निकाली जा रही है? यदि हां, तो किसकी अनुमति से?

(2) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन बून्दी को लिखित एवं मौखिक रूप से उक्त अवैध रूप से मिट्टी दोहन रोकने बाबत निवेदन किये जाने के पश्चात् भी उक्त फोर लेन कम्पनी एवं असामाजिक तत्वों द्वारा बिना अनुमति के मिट्टी दोहन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ग्राम कोथ्या में अवैध मिट्टी दोहन करने वाले असामाजिक तत्वों व फोर लेन बनाने वाली कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्राम कोथ्या पटवार हल्का ठीकरिया चारणान में फोर लेन का कार्य भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा किया जा रहा है, उनके अनुसार जिला कलक्टर बून्दी से अनुमति प्राप्त पांच बीघा भूमि पर से ही फोर लेन निर्माण हेतु मिट्टी निकाली जा रही है।

(2) जी नहीं। भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार फोर लेन कम्पनी एवं उनके संवेदक द्वारा मिट्टी का दोहन वैध रूप से ही किया जा रहा है।

(3) भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार यह स्पष्ट है कि फोर लेन कम्पनी एवं उनके संवेदक द्वारा मिट्टी का अवैध दोहन नहीं किया जा रहा है, अत: उनके खिलाफ कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

राजसमन्द की प्रस्तावित सड़कें

683. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवीन सड़क मार्ग निर्माण की क्या प्राथमिकताएं हैं?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जनवरी, 2009 के बाद कितने नये सड़क निर्माण कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार के पास वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में कितनी नवीन सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर सभी मरुस्थलीय एवं जनजाति क्षेत्रों में 250 व इससे अधिक आबादी की एवं सामान्य क्षेत्रों में 500 व इससे अधिक आबादी की पात्र बसावटों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। इस योजना के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर राजस्व गांवों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए जोड़ा गया है। वर्तमान में बसावटों को जोड़ा जा रहा है।

इसके अलावा राज्य की विभिन्न योजनाओं में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों एवं मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण को राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जनवरी, 2009 के पश्चात् कराये गये नवीन सड़क निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(3) सरकार के पास वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में नवीन सड़कों के विचाराधीन प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जनवरी 2009 के पश्चात् करवाये गये नवीन सड़क निर्माण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	जनवरी 2012 तक व्यय (रु. लाख)	वर्तमान स्थिति
1.	राज्यावास से शनिमहाराज	RIDF XVI धार्मिक सड़कें	2.50	60.00	25.76	प्रगति पर
2.	गिलूण्ड से मातृकुण्डिया	RIDF XVI धार्मिक सड़कें	2.50	65.00	23.13	प्रगति पर
3.	नमाना से नौगामा	RIDF XVII Missing Link-III	1.00	18.00	0.00	प्रगति पर
4.	कुंवारिया छापरवाले हनुमान जी से प्रेमपुरा	RIDF XVII Missing Link-III	2.50	68.50	0.00	प्रगति पर
5.	सथाना से शनि महाराज	RIDF XVII Missing Link-III	3.10	84.00	0.00	प्रगति पर
6.	कोटडी गांव के बाहर से भोपाल सागर मैन रोड	RIDF XVII Missing Link-III	1.50	29.50	0.00	प्रगति पर
7.	दरीवा खण्डेल कि.मी. 19/500 से 37/500	SM&R एवं सहभागिता	18.00	1562.00	1027.82	प्रगति पर
8.	केलवा उमटी झांझर सापोल रोड	माइनिंग एवं सहभागिता	14.00	661.00	535.62	प्रगति पर
9.	मोखमपुरा से निझरना	माइनिंग एवं सहभागिता	4.00	125.00	103.26	प्रगति पर
	योग		**49.10**	**2673.00**	**1715.59**	

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में 500 से अधिक की आबादी के ढाणी/मझरों/कलस्टर को डामर सड़क से जोड़ने हेतु भेजे गये प्रस्तावों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	योजना का नाम	ढाणी का नाम	ढाणी की जनसंख्या	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (रु. लाख)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	लक्ष्मीपुरा	258	4.75	100.46
			छतरीखेडा	457		
				715		
2.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	टीलाखेडा नया	200	3.00	85.59
			टीलाखेडा जुणा	150		
			खुमाखेडा	160		
				510		
3.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	खेडिया	300	1.60	51.32
			भीलबस्ती	213		
				513		

1	2	3	4	5	6	7
4.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	काना खेड़ा	546	0.75	32.75
5.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	करेड़ा	886	3.00	75.23
6.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	देवपुरिया बी	621	1.60	46.14
7.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	गणेशपुरा	360	3.40	79.54
			सांवलिया खेड़ी	176		
				536		
8.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	मालीखेड़ा	303	0.80	24.36
			गाडरीयावास	300		
				603		
9.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	दौलतपुरिया	374	3.00	71.13
			रामपुरिया	315		
				689		

1	2	3	4	5	6	7
10.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	नारायणगंज	400	2.50	63.76
			हजारिया	150		
				550		
11.	राजसमन्द	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-दशम, पार्ट-तृतीय	गणेशपुरा	399	3.30	96.10
			गुजारिया खेड़ा	120		
	योग :—			**519**		

बिलाड़ा की नवनिर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

684. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2011 तक कौन-कौनसी सड़कें कहां-कहां स्वीकृत की गई एवं उक्त सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है तथा सड़क निर्माण में कुल कितनी राशि व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड (डीएलपी) के तहत मरम्मत कार्य सड़क बनाने वाले ठेकेदार द्वारा ही किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा नहीं करने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सड़कवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2011 तक स्वीकृत सड़कों की लम्बाई, व्यय राशि आदि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, सम्बन्धित संवेदकों द्वारा की जा रही है, अत: पृथक से संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही वांछित नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर की क्षतिग्रस्त सड़कें

685. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में कुल कितनी कृषि सड़कें कहां से कहां तक कितनी लागत से कब किन संवेदकों द्वारा किन अधिकारियों की देखरेख में बनाई गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी सड़कें जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौनसी सड़क कहां-कहां से कब से क्षतिग्रस्त है? चैनेजवार क्षतिग्रस्त सड़क की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगसीराम)

(3) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पुन: डामरीकरण व पेचवर्क कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर की कुल 15 सड़कें रा.रा. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित कर विभाग को हस्तान्तरित की गयी हैं। उनकी लागत संवेदक तथा देखरेख करने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। उक्त सड़कों में से कुछ सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं, क्षतिग्रस्तता का चैनेजवाइज विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। रेवदर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर मरम्मत कार्य शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र रेवदर की रा.रा. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हस्तान्तरित सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (रु. लाख)	एजेन्सी/संवेदक का नाम	राज. रा. कृषि विपणन बोर्ड के अधीन देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम		क्षतिग्रस्त का विवरण			वर्तमान स्थिति
					सहा. अभि.	अधि. अभि.	चैनेज	लम्बाई (कि.मी.)	कब से क्षतिग्रस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	गिरवर से चनार	3.75	4.48	मैसर्स रिषभ कन्स. कम्पनी	श्री के.जी. गुप्ता श्री जी.के. पुरोहित श्री बी.आर. जोया	अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	—	संतोषजनक
2.	बडापूल से बाइपास	2.25	2.74	मैसर्स रिषभ कन्स. कम्पनी	श्री के.जी. गुप्ता श्री जी.के. पुरोहित श्री बी.आर. जोया	अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	—	संतोषजनक
3.	सम्पर्क सड़क मावल	1.00	1.32	मैसर्स रिषभ कन्स. कम्पनी	श्री के.जी. गुप्ता श्री जी.के. पुरोहित श्री बी.आर. जोया	अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	—	संतोषजनक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	सम्पर्क सड़क उमरनी	0.76	1.31	मैसर्स भगवान कन्स	श्री आर.के मल्होत्रा श्री एस.पी. जैन श्री आकाशचन्द मेहता श्री आर.एस. चौहान	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	0/0 से 0/800	0.800	जुलाई 2010	मरम्मत योग्य
5.	सम्पर्क सड़क सांतपुर	0.50	0.53	मैसर्स गिरधर गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	श्री आर.के मल्होत्रा श्री एस.पी. जैन श्री आकाशचन्द मेहता श्री आर.एस. चौहान	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	0/0 से 0/500	0.500	जुलाई 2010	मरम्मत योग्य
6.	मूंगथला से चनार	2.25	3.12	मैसर्स रिषभ कन्स. कम्पनी	श्री आर.के मल्होत्रा श्री एस.पी. जैन श्री आकाशचन्द मेहता श्री आर.एस. चौहान	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	0/0 से 2/250	2.250	जुलाई 2010	मरम्मत योग्य
7.	सम्पर्क सड़क तलवारों का नाका	1.50	3.00	मैसर्स भगवान कन्स	श्री आर.के मल्होत्रा श्री एस.पी. जैन श्री आकाशचन्द मेहता श्री आर.एस. चौहान	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	0/0 से 1/500	1.500	जुलाई 2010	मरम्मत योग्य
8.	सम्पर्क सड़क उडवारिया	5.00	2.85	मैसर्स सूरज कन्स. कम्पनी	श्री के.जी. गुप्ता श्री जी.के. पुरोहित श्री बी.आर. जोया	अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	—	संतोषजनक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	सम्पर्क सड़क वास से दताणी	1.50	1.76	मैसर्स रिषभ कन्स. कम्पनी	श्री के.जी. गुप्ता श्री जी.के. पुरोहित श्री बी.आर. जोया	अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	—	संतोषजनक
10.	सम्पर्क सड़क रेवदर से मीठन	2.00	3.21	मैसर्स भगवान कन्स	श्री आर.के मल्होत्रा श्री एस.पी. जैन श्री आकाशचन्द मेहता श्री आर.एस. चौहान	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	0/0 से 2/00	2.00	जुलाई 2010	मरम्मत योग्य
11.	सम्पर्क सड़क पोसीतरा	2.75	3.55	मैसर्स भगवान कन्स	श्री के.जी. गुप्ता श्री जी.के पुरोहित श्री बी.आर. जोया	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	—	संतोषजनक
12.	सम्पर्क सड़क करोटी से मारोल	5.00	7.54	मैसर्स रिषभ कन्स. कम्पनी	श्री आर.के मल्होत्रा श्री एस.पी. जैन श्री आकाशचन्द मेहता श्री आर.एस. चौहान	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	0/0 से 5/00	5.00	जुलाई 2010	मरम्मत योग्य
13.	सम्पर्क सड़क करेली से खान	2.00	3.80	मैसर्स रिषभ कन्स. कम्पनी	श्री आर.के मल्होत्रा श्री एस.पी. जैन श्री आकाशचन्द मेहता श्री आर.एस. चौहान	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	—	संतोषजनक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	सम्पर्क सड़क रायपुर	4.50	47.90	मैसर्स हनुमान सिंह एण्ड कम्पनी	श्री बी.एस. टांक श्री जी.के. पुरोहित श्री शिवराम चौधरी श्री गोपाल मीणा श्री सुरेशराय श्री पी.डी. चारण श्री पी.सी. लौहार	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	—	संतोषजनक
15.	सम्पर्क सड़क रोहुआ	10.67	73.53	मैसर्स हनुमान सिंह एण्ड कम्पनी	श्री बी.एस. टांक श्री जी.के. पुरोहित श्री शिवराम चौधरी श्री गोपाल मीणा श्री सुरेशराय श्री पी.डी. चारण श्री पी.सी. लौहार	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	0/0 से 11/00	11.00	जुलाई 2010	मरम्मत योग्य

जमवारामगढ़ की प्रस्तावित सम्पर्क सड़कें

686. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा मिसिंग लिंक सड़क बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्धारित प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की किन-किन पंचायतों के कौन-कौन से गांवों की मिसिंग लिंक सड़क को जोड़ने की योजना है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक सड़क से किन-किन गांवों को जोड़ा जा चुका है तथा वर्तमान में कितने गांव इससे जुड़ना शेष हैं और शेष रहे गांवों को मिसिंग लिंक रोड से कब तक जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनानुसार मिसिंग लिंक योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। बजट घोषणा वर्ष 2011-12 की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की पंचायतों एवं गावों से जोड़ने हेतु स्वीकृत एवं प्रस्तावित मिसिंग लिंक सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मिसिंग लिंक सड़कों से जोड़े जाने वाले गांवों का विवरण परिशिष्ट-2 के कालम संख्या 3 में प्रस्तुत है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने हेतु मिसिंग लिंक सड़कों का आंकलन सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-1

बजट घोषणाएं 2011-12

10. माननीय सदस्यों की भावनाओं एवं उनकी मांगों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दो वर्षों में कुल 1 हजार 400 करोड़ रुपये, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक्स के निर्माण, सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं रिकार्पेटिंग पर खर्च करने की मैं घोषणा करता हूं। इस महत्वाकांक्षी योजना का वित्त पोषण, नाबार्ड के ऋण एवं तेहरवें वित्त आयोग की अनुदान राशि से किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, राज्य की ग्रामीण सड़कों पर 7 करोड़ रुपये खर्च होंगे एवं 16 किलोमीटर लम्बाई के मिसिंग लिंक तथा 30 से 40 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं रिकार्पेटिंग के कार्य होंगे।

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मिसिंग लिंक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रस्तावित सड़क कार्यों का विवरण

क्र. सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम	सड़क का नाम	योजना का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (रु. लाख)	स्वीकृत/ प्रस्तावित	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चावण्डिया	दीपपुरा, लूनीयावाला	मोहनपुरा एन.एच-11 से दीपपुरा वाया भौनियावाला	आर.आई.डी.एफ.-17 (मिसिंग लिंक)	1.10	27.50	स्वीकृत	कार्य प्रगतिरत एवं जून, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।
2.	बोबाड़ी	गोल	गोल से बादशाहपुर (विराट नगर) ब्लॉक जमवारामगढ़ की सीमा तक	आर.आई.डी.एफ.-17 (मिसिंग लिंक)	1.40	35.00	स्वीकृत	कार्य प्रगतिरत एवं जून, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।
3.	जयचन्दपुरा	धलेर	धलेर से कंवरपुरा	आर.आई.डी.एफ.-17 (मिसिंग लिंक)	1.10	27.50	स्वीकृत	कार्य प्रगतिरत एवं जून, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	माथासुला	भट्ट का बास	एन.एच.-11ए से रामगढ़ रायसर रोड तक वाया भट्ट का बास	आर.आई.डी.एफ.-17 (मिसिंग लिंक)	1.40	35.00	स्वीकृत	कार्य प्रगतिरत एवं जून, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।
5.	टोडामीणा	भावगढ़	भावगढ़ से टोडा मीणा	आर.आई.डी.एफ.-17 (मिसिंग लिंक)	3.00	75.00	स्वीकृत	कार्य प्रगतिरत एवं जून, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।
6.	महंगी	ढाणी जोगियों की	महंगी से लोटवास (जिला अलवर की सीमा तक)	आर.आई.डी.एफ.-18 (मिसिंग लिंक)	4.00	100.00	प्रस्तावित	कार्य प्रगतिरत एवं जून, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।
7.	भावनी व राजपुर	खरड़, रायपुर गोरेट	एच.एच-55 से खरड़ वाया रायपुर गोरेट	आर.आई.डी.एफ.-18 (मिसिंग लिंक)	1.75	43.75	प्रस्तावित	राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित।
8.	आंधी व फुटेला	आंधी भौड़ाखेड़ा	आंधी से भौण्डाखेड़ा वाया पाल की ढाणी	आर.आई.डी.एफ.-18 (मिसिंग लिंक)	2.75	68.75	प्रस्तावित	राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित।

मारवाड़ जंक्शन की क्षतिग्रस्त सड़कें

687. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में पुरानी बनी हुई सड़कों के नवीनीकरण हेतु योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना में कौन-कौनसी सड़कों का नवीनीकरण कब तक किया जावेगा? सड़कों की नाप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2011-12 में पुरानी सड़कों पर नवीनीकरण हेतु 13वें वित्त आयोग में 21 कि.मी. लम्बाई के लिये राशि रुपये 216 लाख व स्टेट प्लान में 29 कि.मी. लम्बाई के लिये राशि रुपये 435 लाख स्वीकृत किये गये तथा वर्ष 2012-13 में राज्य की विभिन्न योजनाओं में आवश्यकतानुसार, राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकतानुसार स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृत कार्यों में से वर्ष 2012-13 में पूर्ण किये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2011-12 में स्वीकृत

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	लम्बाई (कि.मी.)	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	तेरहवें वित्त आयोग (पीएमजीएसवाई)	नवीनीकरण कार्य सम्पर्क सड़क गुड़ा जैतसिंह	9.00	1.50	30.06.2012
2.	तेरहवें वित्त आयोग (एमडीआर)	नवीनीकरण कार्य चाणोद केनपुरा रानी मुण्डारा सड़क किमी. 24/0 से 29/0	57.00	5.00	30.06.2012
3.	तेरहवें वित्त आयोग (वीआर)	नवीनीकरण कार्य सम्पर्क सड़क सारण 0/0 से 3/0	30.00	3.00	30.06.2012
4.	तेरहवें वित्त आयोग (वीआर)	नवीनीकरण कार्य आउवा से गदाणा सड़क 0/0 से 6/0	60.00	5.50	30.06.2012
5.	तेरहवें वित्त आयोग (वीआर)	नवीनीकरण कार्य खैरवा से गुड़ा चतरा सड़क किमी. 14/500 से 6/0	60.00	6.00	30.06.2012
		योग :- तेरहवें वित्त आयोग	**216.00**	**21.00**	

1	2	3	4	5	6
1	स्टेट प्लान	नवीनीकरण कार्य फलौदी ओसिया जोधपुर सरदार समंद जाडन मारवाड़ जंक्शन जोजावर माण्डल सड़क किमी. 234/0 से 246/0	180.00	12.00	30.04.2012
2	स्टेट प्लान	नवीनीकरण कार्य बिलाड़ा सोजत सिरियारी जोजावर देसुरी पिण्डवाड़ा किमी. 79/0 से 85/0	90.00	6.00	16.08.2012
3	स्टेट प्लान	नवीनीकरण कार्य बिलाड़ा सोजत सिरियारी जोजावर देसुरी पिण्डवाड़ा किमी. 68/0 से 79/0	165.00	11.00	16.08.2012
		योग :— स्टेट प्लान	**435.00**	**29.00**	
		कुल योग :—	**651.00**	**50.00**	

नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

688. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर के बामणा से हबचर, पुन्दलोता से मेहरासी, रावलियावास से मिदियान एवं कुतियासनी से नोसरिया रोड कृषि मण्डी डेगाना द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो कब तथा इस पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई तथा किस संस्था द्वारा निर्माण किया गया और निर्माण की शर्तें क्या थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि घटियां निर्माण किये जाने से उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जिला नागौर की मिसिंग लिंक सड़कें 1. बामणा से हबचर 2. पुन्दलोता से मेहरासी 3. रावलियावास से मिदियान 4. कुतियासनी से नोसरिया सड़क कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित की गई थी। उक्त सड़कों के निर्माण का वर्ष, व्यय राशि एवं कार्यकारी संस्था का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। अनुबन्धानुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पांच वर्ष की गारण्टी अवधि में इनका संधारण सम्बन्धित संवेदक द्वारा करने की शर्त है।

(2) जी नहीं। उक्त सड़कों में से 2 सड़कें 1. पुन्दलोता से महरासी 2. रावलियावास से मिदियान के कुछ स्थानों पर पैच उत्पन्न हो गये हैं, अनुबन्धानुसार गारण्टी अवधि में मरम्मत हेतु सम्बन्धित संवेदक जिम्मेदार है। उक्त दोनों सड़कों पर पैच मरम्मत का कार्य सम्बन्धित संवेदक द्वारा प्रगति पर है।

(3) जी हां। उक्त सड़कों की गारण्टी अवधि में मरम्मत कार्य अनुबन्धानुसार सम्बन्धित संवेदक से शीघ्र ही करा लिया जायेगा।

परिशिष्ट-1

कृषि विपणन बोर्ड समिति डेगाना द्वारा निर्मित सड़कों का विवरण

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	कार्यकारी संस्था	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (रु. लाख)	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	कार्य दोष निवारण अवधि समाप्ति दिनांक	क्षतिग्रस्त सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	नागौर	मिसिंग लिंक बामणा से हबचर	कृषि विपणन बोर्ड	2.70	31.92	28.02.2009	27.02.2014	—
2.	नागौर	मिसिंग लिंक पुन्दलोता से महरासी	कृषि विपणन बोर्ड	2.30	27.00	28.02.2009	27.02.2014	2.30
3.	नागौर	मिसिंग लिंक रावलियावास से मिदियान	कृषि विपणन बोर्ड	2.90	34.22	28.02.2009	27.02.2014	2.90
4.	नागौर	मिसिंग लिंक कुतियासनी से नोसरिया	कृषि विपणन बोर्ड	2.70	30.00	28.02.2009	27.02.2014	—
			योग	**10.60**	**123.14**			**5.20**

कोटा-झालावाड़ फोरलेन निर्माण हेतु प्रस्तावित एलिवेटेड रोड

689. श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा से झालावाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर फोरलेन सड़क निर्माण कब स्वीकृत हुआ व इसकी लम्बाई एवं इसकी लागत क्या है तथा निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा और क्या निर्माण कार्य हेतु निविदाएं जारी कर दी गई हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फोरलेन निर्माण के बीच में आ रहे दरा अभयारण्य को बचाने के लिए बाइपास बनाया जायेगा? यदि हां, तो इस बाइपास को कहां से कहां तक बनाया जायेगा व इसकी लम्बाई कितनी होगी एवं इसके निर्माण पर कितनी लागत आयेगी और इसके निर्माण हेतु कितनी वन भूमि अवाप्त की जायेगी।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बाइपास के निर्माण पर वन विभाग ने आपत्ति दर्ज करवाई है तथा बाइपास के स्थान पर दरा अभयारण्य के बीच से ही एलीवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेजा गया है? यदि हां, तो यह एलीवेटेड रोड कहां से कहां तक बनाया जाना प्रस्तावित है व इसकी लम्बाई कितनी होगी तथा निर्माण पर कितनी लागत आयेगी और इससे राजमार्ग की लम्बाई में कितनी कमी आयेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उक्त एलीवेटेड रोड का प्रस्ताव कब भेजा गया? क्या इस मसले पर कोई सर्वमान्य निर्णय ले लिया गया है व प्रस्ताव भेजे जाने से अब तक फोरलेन के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) कोटा से झालावाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर फोरलेन सड़क निर्माण भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा किया जा रहा है, उनके अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.06.2006 द्वारा टोंक-कोटा-झालावाड़ (रा.रा. मार्ग 12) सड़क को विकास हेतु एनएचडीपी फेज-III में शामिल किया गया। कोटा से दरा तक 2 लेन से 4 लेन डिवाइडेड कैरिजवे सड़क व दरा से तीनधार वाया राजपुरा-हींचर-बाघेर-मण्डावर तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर का कार्य बीओटी (टोल) आधार पर स्वीकृत है। कोटा से तीनधार वाया हींचर-बाघेर-मण्डावर होते हुए सड़क की कुल लम्बाई 88.09 कि.मी. है एवं

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रोजेक्ट की कुल लागत 510 करोड़ रुपये है। उक्त सड़क के निर्माण हेतु निविदायें प्राप्त की जाकर कन्सेशन अनुबन्ध कन्सेशनर मैसर्स कोटा झालावाड़ कोरिडोर प्रा.लि. इन्दौर के साथ माह जुलाई, 2011 में सम्पादित किया जा चुका है। निर्माण कार्य अपोइन्टेड दिनांक जारी होने के बाद आरम्भ किया जा सकेगा।

(2) भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार यह सही है कि दरा वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्र छोड़ते हुये नया संरेखन दरा से राजपुरा-हींचर-बाघेर-मण्डावर होते हुये तीनधार तक अनुमोदित किया गया है। कोटा से तीनधार तक अनुमोदित संरेखन की लम्बाई 88.09 कि.मी. है एवं प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु कुल लागत 510 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु कोटा से तीनधार तक कुल 169.68 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है।

(3) जी हां। भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार यह सही है कि वन विभाग के अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर, जयपुर ने भा.रा.रा.प्रा. द्वारा प्रस्तुत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण को लौटाते हुए निर्देशित किया है कि दरा वन्य जीव अभयारण्य के मध्य एलीवेटेड रोड निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करें तत्पश्चात् तदनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उनके कार्यालय को प्रेषित करें। चूंकि भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अनुमोदित संरेखन पर कन्सेशनर के साथ बीओटी (टोल) आधार पर कन्सेशन अनुबन्ध माह जुलाई, 2011 में किया जा चुका है व प्रोजेक्ट की निर्माण पूर्व की गतिविधियां अग्रिम अवस्था में होने से भारत सरकार के सचिव महोदय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संरेखन पर ही वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है।

(4) भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल आफीसर, जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 5979 दिनांक 30.11.2011 से प्रस्तुत भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण को लौटाया गया है एवं दरा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान रखते हुए एलीवेटेड रोड निर्माण को वांछित बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् तद्नुसार आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

कोटा बाइपास पर हैंगिग ब्रिज के निर्माण कार्य की प्रगति

690. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर के अन्तर्गत निर्माणाधीन कोटा बाइपास में चम्बल नदी पर बनाये जाने वाले हैंगिग ब्रिज का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था तथा इसे कब तक पूरा किया जाने का लक्ष्य था? निर्माण में होने वाली लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्माणाधीन ब्रिज पर दुर्घटना के बाद किन-किन एजेंसियों से जांच कराई गई? जांच रिपोर्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच रिपोर्टों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) दुर्घटना पश्चात् निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा कब तक पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा एवं वर्तमान में कार्य की क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर के अन्तर्गत निर्माणाधीन कोटा बाइपास में चम्बल नदी पर बनाये जाने वाले हैंगिंग ब्रिज का निर्माण भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा किया जा रहा है, उनके अनुसार निर्माण दिनांक 05.12.2007 को प्रारम्भ हुआ था जिसे दिनांक 06.03.2010 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य था तथा अनुबन्ध की राशि रुपये 231,58,76,000.00 है।

(2) भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार उक्त निर्माणाधीन ब्रिज पर दुर्घटना के बाद भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति से जांच करायी गई, जिसके द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक जांच समिति से भी जांच करायी गई, जिसके द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार विशेषज्ञों की समिति की अन्तिम रिपोर्ट

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के आधार पर भा.रा.रा.प्रा. मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा कार्य के संवेदक मै. हुण्डई इंजीनियरिंग-गैमन इण्डिया लि. (संयुक्त उद्यम) एवं सलाहाकार फर्म मै. एल.बी.जी.-कोवी (संयुक्त उद्यम) को अन्तिम रिपोर्ट में वर्णित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण हेतु माह दिसम्बर, 2010 में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे। उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब सम्बन्धित फर्म द्वारा माह जनवरी-फरवरी, 2011 में प्रस्तुत कर दिया गया था तथा जवाब भा.रा.रा.प्रा. मुख्यालय नई दिल्ली में विचाराधीन है।

राज्य सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक जांच समिति से प्राप्त जांच रिपोर्ट विचाराधीन है।

(4) भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार दुर्घटना के पश्चात् निर्माण कार्य माह जून, 2011 में पुन: प्रारम्भ हुआ तथा माह दिसम्बर, 2013 तक कार्य पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार वर्तमान में चित्तौड़गढ़ की तरफ कार्य की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(i) पीअर पी-4 की वैल शाफ्ट के उपर के 2.70 मीटर भाग तथा उक्त भाग के चारों ओर कंकरीटिंग का कार्य पूर्ण।

(ii) पीअर पी-4 की वैल कैप का निर्माण कार्य पूर्ण।

(iii) पीअर पी-4 के सब स्ट्रक्चर की पहली लिफ्ट (4.0 मीटर) की कंकरीटिंग का कार्य पूर्ण तथा दूसरी लिफ्ट का कार्य प्रगति पर।

(iv) पीअर पी-3 के सब स्ट्रक्चर की चार लिफ्ट (16.0 मीटर) की कंकरीटिंग का कार्य पूर्ण तथा पांचवीं लिफ्ट का कार्य प्रगति पर।

(v) पीअर पी-2 के सब स्ट्रक्चर की तीन लिफ्ट (12.0 मीटर) की कंकरीटिंग का कार्य पूर्ण तथा चौथी लिफ्ट का कार्य प्रगति पर।

(vi) पीअर पी-1 का निर्माण कार्य पहले से ही पूर्ण है।

(vii) अप्रोच ब्रिज के कुल 15 स्पान में से 11 का निर्माण कार्य पूर्ण।

दुर्घटना के बाद शिवपुरी की तरफ वाले भाग में निर्माण कार्य अभी पुन: शुरू नहीं किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर-हरियाणा राजमार्ग संख्या 14 के पेचवर्क कार्य में अनियमितताएं

691. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या स्टेट हाइवे नं. 14 अलवर से हरियाणा बार्डर तक पेचवर्क कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त पेचवर्क कार्य किस एजेंसी द्वारा करवाया गया एवं उक्त पेचवर्क कार्य पर कुल कितनी लागत आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पेचवर्क कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो अब तक इसके अधूरे रहने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पेचवर्क कार्य में घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग में ली जाने से सड़क पुन: क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं तथा सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत किया गया है। इस कार्य के लिए मुख्य अभियन्ता (पथ) र्सावजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1/पी एण्डएम:II एस.आर./2011-12/डी-282 दिनांक 30.09.2011 के द्वारा राशि रुपये 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त पेचवर्क राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम द्वारा संवेदक मैसर्स बी.पी. मोदी को कार्यादेश संख्या डीपी/गुड़गांव/2011-12/03 दिनांक 05.10.2011 के अधीन दिया गया है।

उक्त पेचवर्क पर राशि रुपये 50.00 लाख की लागत का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त सड़क की बी.ओ.टी. परियोजना की स्वीकृति के विरुद्ध रुपये 32.00 लाख की लागत आना सम्भावित है। अत: इस सड़क पर कुल व्यय रुपये 82.00 लाख आना सम्भावित है।

(3) आर.एस.आर.डी.सी.सी. द्वारा नवम्बर, 2011 में कुछ छोटे पेचेज को छोड़कर पेच मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया था, परन्तु इसके उपरान्त भी कुछ पेचेज इस अवधि में हो गये हैं जिनकी मरम्मत शीघ्र करना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। पेचवर्क में उपयोग की गई सामग्री गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप थी लेकिन जो छोटे पेच पहले छोड़ दिये गये थे तथा कुछ अन्य पेच उत्पन्न हुए हैं उनकी मरम्मत शीघ्र करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सानिवि खण्ड द्वितीय अलवर
आर.एस.आर.डी.सी.सी. लिमिटेड को किये गये भुगतान का विवरण

S. No.	Ref. No. of A&F & Budget	Budget Head	Name of work	Cheque No. & Dt.	Cheque Amount	Voucher No. & Date	Whom Paid
1	C.E. (Roads) PWD Raj. Jaipur Vide Letter No. F.1/P&M -II/SR/2011-12/D-282 Dt. 30.09.2011 Rs. 50.00 Lacs.	3054-Roads & Bridiges 03-STATE Highway 337-Roads Works (01) Maintenance & Restoration [01] Maintenance of Roads 54-Maintenance (Matrial) (ORDINARY REPAIR)	Repair of Alwar Behror (NH-8) Narnaul (Hariyana) Under Or-dianry Repair for the year 2011-12	23783/ 07.10.2011	5000000/-	6 Dt. 07.10.2011	Managing Director, RSRDC Ltd. Setu Bhawan, Opp. Jhalana Doongari, Jaipur

(R.G. MEENA)
EXECUTIVE ENGINEER
PWD DN. II ALWAR

नीमकाथाना में क्षतिग्रस्त सड़कों की संविदा अवधि

692. श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के पाटन से डाबला, बलेश्वर मोड़ से टोडा, गावडीभोंड से चीपलाता सड़क का निर्माण कब किस ठेकेदार से व किन संविदा की शर्तों पर कराया है? संविदा की शर्तों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कें निर्धारित गारन्टी अवधि से पूर्व ही पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर सड़क पुन: निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के पाटन से डाबला, बलेश्वर मोड़ से टोडा, गावड़ी मोड़ से चीपलाटा सड़क के उन्नयन का कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराया गया था। सड़कों के निर्माण का वर्ष, संवेदक का नाम एवं संविदा की शर्तों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त तीनों सड़कों में से बालेश्वर मोड़ से टोडा सड़क कुल लम्बाई 19.15 कि.मी. में से 300 मीटर में (एनीकट के पास) एवं गांवड़ी से चिपलाटा सड़क कुल लम्बाई 19.70 कि.मी. में से 800 मीटर आबादी क्षेत्र का भाग क्षतिग्रस्त हो गया था अनुबन्धानुसार गारण्टी अवधि में मरम्मत कार्य सम्बन्धित संवेदक द्वारा प्रगतिरत है तथा शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगा।

पाटन डाबला क्षतिग्रस्त सड़क की सम्बन्धित संवेदक द्वारा मरम्मत न करने पर अनुबन्धानुसार बैंक गारण्टी जब्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैंक गारण्टी जब्त कर संवेदक के हर्जे-खर्चे पर मरम्मत शीघ्र ही करा दी जावेगी।

परिशिष्ट-1

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का निर्माण वर्ष, संवेदक एवं संविदा की शर्तों का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	सड़क का नाम	योजना का नाम	पैकेज संख्या	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	संवेदक का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	कार्य पूर्ण करने की तिथि	गारन्टी समाप्ति की दिनांक	सड़क की वर्तमान स्थिति		मरम्मत हेतु संविदा की शर्तें
													संतोषजनक	क्षतिग्रस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1.	नीमका थाना	पाटन से डाबला	पीएमजीएस वाई फेज-सप्तम अपग्रेडेशन	आरजे-28 -बीएन-यूजी-15	2007-08	13.23	508.62	मैसर्स बी.पी. मोदी	401.11	12.25	15.05.09	14.05.14		क्षतिग्रस्त	अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संवेदक 5 वर्ष तक मरम्मत के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। संवदेक द्वारा मरम्मत नहीं करने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर विभाग कार्य कराने के लिये सक्षम है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
2.	नीमका थाना	बालेश्वर मोड़ से टोड़ा	पीएमजीएस वाई फेज-अष्ठम विश्व बैंक पोषित अपग्रेडेशन	आरजे-27-डब्ल्यूबी-बीएन-यूजी-09	2008-09	20.00	498.77	मैसर्स बी.पी. मोदी	360.06	19.15	31.03.10	30.03.16	18.85 कि.मी. संतोषजनक	300 मीटर लम्बाई में	अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संवेदक 5 वर्ष तक मरम्मत के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। संवदेक द्वारा मरम्मत नहीं करने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर विभाग कार्य कराने के लिये सक्षम है।
3.	नीमका थाना	गांवड़ी मोड़ से चिपलाटा	पीएमजीएस वाई फेज-सप्तम अपग्रेडेशन	आरजे-28-बीएन-यूजी-17	2007-08	11.25	338.12	मैसर्स बी.पी. मोदी	299.81	10.70	12.06.09	11.06.14	9.90 कि.मी. संतोषजनक	800 मीटर लम्बाई में	अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संवेदक 5 वर्ष तक मरम्मत के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। संवदेक द्वारा मरम्मत नहीं करने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर विभाग कार्य कराने के लिये सक्षम है।
4.				आरजे-28-बीएन-यूजी-18	2007-08	9	309.94	मैसर्स राजेन्द्र सिंह भामू	255.65	9.00	28.02.09	27.02.14	संतोषजनक		

विराट नगर के लम्बित घरेलू/कृषि विद्युत कनेक्शन

693. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में कितने घरेलू एवं कृषि कनेक्शन तीन माह से अधिक समय से मांग राशि जमा करवाने के बाद भी लम्बित हैं? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निपटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कैसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में कितने बीपीएल कनेक्शन जारी होने के बाद विभिन्न कारणों से बन्द हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन गाड़ने न देने तथा ट्रांसफार्मर के स्थान के स्वामित्व के कारण कनेक्शन जारी होने के बाद भी बन्द हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों का निपटारा कब तक एवं कैसे किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के क्षेत्र शाहपुरा पावटा एवं विराट नगर उप खण्डों में माह मार्च, 2012 तक घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु 545 आवेदकों एवं कृषि कनेक्शन हेतु 205 आवेदकों की मांग पत्र की राशि जमा है। तीन माह से अधिक समय मांग पत्र की राशि जमा कराने के बाद सामान की अनुपलब्धता से जाब कार्य पूर्ण नहीं होने व खेतों में फसल खड़ी होने से एवं आपसी विवाद के कारण लम्बित कनेक्शनों का उप खण्डवार विवरण निम्नानुसार है:-

उप खण्ड का नाम	लम्बित कृषि कनेक्शनों की संख्या	लम्बित घरेलू कनेक्शनों की संख्या
शाहपुरा	10	52
पावटा	29	245
विराट नगर	166	248

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। खण्ड शाहपुरा एवं कोटपूतली के क्षेत्राधीन उप खण्ड शाहपुरा, पावटा एवं विराट नगर में लम्बित प्रकरणों के निष्पादन हेतु हर सम्भव प्रयास निरन्तर जारी हैं एवं आपसी समझाइश, फसल की कटाई, सामान की उपलब्धतानुसार व जाब कार्य पूर्ण कर कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में बीपीएल कनेक्शन जारी करने के बाद 157 बीपीएल कनेक्शन विद्युत उपभोग बिलों की बकाया राशि होने के कारण विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किये गये हैं।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन खींचने में विवाद एवं ट्रांसफार्मर के स्वामित्व के विवाद के कारण कुल 34 प्रकरण हैं, जो कि कनेक्शन जारी होने के बाद भी बन्द पडे हैं। उक्त प्रकरणों में आपसी समझाइश, पुलिस, प्रशासन के सहयोग से निस्तारण का हर सम्भव प्रयास जारी है।

रतनगढ़ के खराब विद्युत मीटर

694. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में हजारों की तादाद में विद्युत मीटर खराब हैं? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कुल कितने मीटर खराब हैं जो बदले जाने हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में मीटरों के अभाव में विद्युत सम्बन्ध नहीं हो रहे हैं? यदि हां, तो नये विद्युत सम्बन्ध हेतु विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कितने मीटरों की आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में मीटर उपलब्ध करवाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और आवश्यकतानुसार मीटर कब तक उपलब्ध करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जनवरी 2012 तक खराब मीटरों की संख्या निम्नानुसार है:-

1. सिंगल फेज	6232
2. थ्री फेज	257
कुल	6489

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) निगम मुख्यालय द्वारा जारी आदेशानुसार चूरू वृत को 5000 मीटर प्रतिमाह उपलब्ध करवाये जा रहे हैं जिनको आवश्यकतानुसार वृत के अधीनस्थ सभी उप खण्डों में निरन्तर रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

695. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सहायक अभियंता कुशलगढ़ कार्यालय में कितने ब्लाक आते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ में विद्युत विभाग का एक ही कार्यालय होने से अधिक कार्यभार रहता है?

(3) क्या सरकार अधिक कार्यभार (लोड) को कम करने के लिए पंचायत समिति सज्जनगढ में सहायक अभियन्ता विद्युत का नया कार्यालय खोलकर क्षेत्र की जनता को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सहायक अभियन्ता, कुशलगढ़ कार्यालय में दो ब्लाक पडते हैं, कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़।

(2) जी नहीं।

(3) कुशलगढ़ में वर्तमान में नियमित उपभोक्ताओं की संख्या 17,919 है। विभागीय मानदण्डों के अनुसार औसतन 17,500 उपभोक्ताओं पर नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाता है। अत: वर्तमान में सज्जनगढ़ में अतिरिक्त सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

जैसलमेर जिले में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों हेतु निर्धारित मानदण्ड

696. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जैसलमेर जिले में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापना के नियम व मानदण्ड क्या हैं? जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक जारी सभी आदेश/परिपत्र/पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(2) उक्त जिले के धार्मिक स्थलों यथा मंदिरों, पुरातत्व स्थलों, पर्यटक स्थलों के आसपास के क्षेत्र में लगाये जाने वाले पवन ऊर्जा के पंखों के सम्बन्ध में (दूरी भू आबंटन सुरक्षा पर्यावरण प्रभाव तथा अन्य सभी) अब तक बनाये गये नियम तथा जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा अब तक जारी सभी आदेश/परिपत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले के प्रतिबन्धित थाना क्षेत्रों में उक्त पंखें लगाने के सम्बन्ध में कौन-कौन से नियम मानदण्ड व परिपत्र जारी किये गये हैं? अब तक जारी सभी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) पूर्व जिला कलक्टर गिरराज सिंह कुशवाहा द्वारा जारी सभी आदेशों तथा सरकार से हुये पत्र व्यवहार की समस्त पत्रावली का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, सरकार द्वारा जारी विभिन्न 4 नीतियों में निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों के तहत की जाती है। नीतियों की प्रतिलिपि प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' पर उपलब्ध है। जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा जारी पत्र, परिपत्र प्रपत्र 'य' पर उपलबध है।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश एवं उनके सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा जारी किये आदेश/निर्देशों की प्रतियां प्रपत्र 'य' पर उपलब्ध है।

(3) जिले में विण्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिये राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम, 2007 के तहत भूमि आबंटन करने का प्रावधान है। उक्त नियमों में जिले के प्रतिबन्धित थाना क्षेत्रों में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा पृथक से किसी प्रकार के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं एवं न ही परिपत्र जारी किये गये हैं।

(4) पूर्व जिला कलक्टर श्री गिरिराजसिंह द्वारा विण्ड परियोजना की स्थापना के लिये जारी किये गये 14 भूमि आबंटन आदेशों की प्रतियां प्रपत्र 'र' पर उपलब्ध है। श्री कुशवाहा द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार से किये गये पत्र व्यवहार की प्रतियां प्रपत्र 'य' पर उपलब्ध हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सहाड़ा के अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को जारी विद्युत कनेक्शन

697. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 2003 से दिसम्बर, 2011 तक वर्षवार अनुसूचित जाति के किन-किन व्यक्तियों ने विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन किया एवं दिसम्बर, 2011 तक वर्षवार कितने व्यक्तियों को सरकार द्वारा कनेक्शन जारी किये गये? क्या सरकार शेष व्यक्तियों को कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 2003 से माह फरवरी, 2012 तक 858 अनुसूचित जाति के आवेदकों द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन किया गया था। उक्त आवेदकों में से 540 आवेदकों को माह दिसम्बर, 2011 तक तथा 52 आवेदकों को माह फरवरी, 2012 तक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। 119 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि नहीं जमा करवाने के कारण उनके आवेदन निरस्त हो गये। 58 मांग पत्र जमा आवेदकों को कनेक्शन सामान की उपलब्धतानुसार जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान कृषि नीति के अनुसार 89 आवेदकों के मांग पत्र जो कि वर्ष 2011-12 में आवेदित हैं, जारी नहीं किये गये हैं। वर्षवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

प्रपत्र "अ"

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

वर्ष	आवेदकों की संख्या	जारी कनेक्शनों की संख्या
1	**2**	**3**
2003-04	8	4
2004-05	27	8
2005-06	32	15
2006-07	139	34
2007-08	196	117
2008-09	113	151

1	2	3
2009-10	143	71
2010-11	111	133
2011-12	89 (फरवरी 2012 तक)	7 (दिसम्बर 2011 तक)
कुल	**858**	**540**

फरवरी 2012 तक 540+52=592 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

रावतसर (जोधपुर) में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

698. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उप खण्ड कार्यालय जोधपुर .विद्युत वितरण निगम रावतसर द्वारा 8-10 माह पूर्व ग्राम पंचायत मोधुनगर, रामपुरा मटोरिया, कनवाणी व 99 RD में 33 K.V. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति हेतु पत्रावली एम.डी. जोधपुर को प्रेषित की गई है? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त 33 K.V. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना हेतु स्वीकृति अब तक जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुटीर ज्योति/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत उप खण्ड रावतसर की ग्राम पंचायत 4cym की चक ढाणियों व हरिजन बस्ती की ढाणियों व बी.पी.एल. परिवारों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन दिये गये थे? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे दिये गये? यदि नहीं, तो शेष कितने विद्युत कनेक्शन जारी किये जाना विचाराधीन हैं तथा उन्हें कब तक विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चकों व ढाणियों के 500 मीटर तक की दूरी पर एक ट्रांसफार्मर लगाकर 5 ढाणियों को कनेक्शन दिये जा रहे हैं तथा 500 मीटर की दूरी में ही अतिरिक्त ढाणी होने पर कनेक्शन नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उप खण्ड कार्यालय रावतसर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोधुनगर, रामपुरा, मटोरिया, कनवाणी व 99 RD में 33 K.V. सब-स्टेशन प्रस्ताव तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य नहीं पाये गये। भविष्य में मांग बढ़ने पर प्रस्तावों की समीक्षा कर तकनीकी व आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने पर संसाधनों की उपलब्धतानुसार व योजनाओं की प्राथमिकतानुसार उक्त स्थानों पर सब-स्टेशन निर्माण हेतु निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत 4cym की चक ढाणियों व हरिजन बस्ती की ढाणियों में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन निगम के सम्बन्धित कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत उक्त क्षेत्र के संयुक्त सर्वे के दौरान 20 बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु चिन्हित किया गया, जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(4) उपरोक्त चिन्हित परिवारों में से 11 परिवारों को विद्युत कनेक्शन जो कि मौजूद विद्युत तंत्र/सर्विस लाइन से सम्भावित थे, उन्हें जारी किया जा चुका है। जबकि शेष 9 कनेक्शन जारी करने हेतु विद्युत तंत्र का विस्तार किया जाना आवश्यक है। वांछित कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कर कनेक्शन इसी वित्तीय वर्ष 2012-13 में जारी कर दिये जायेंगे।

(5) गांवों में छितराये हुये क्षेत्र में प्रथम आवेदक के घरेलू परिसर के बाहर एक 5 केवीए क्षमता के पूर्व स्थापित ट्रांसफार्मर के 500 मीटर त्रिज्या में आने वाले अधिकतम 5 घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुसार 500 मीटर की दूरी में ही आने वाले 5 कनेक्शनों के अतिरिक्त आने वाले अन्य घरेलू परिसरों को विद्युत कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत कम्पनियों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय परिलाभ

699. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की विद्युत कम्पनियों में वर्तमान में कितने अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं?

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(2) उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को सेवा में रहते हुये एवं सेवानिवृत्ति पश्चात् क्या-क्या सुविधायें प्राप्त होती हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनियों के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिये हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य की विद्युत कम्पनियों (निगमों) में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निगमवार विवरण निम्न प्रकार है:-

निगम का नाम	संख्या
रारावि प्रसारण निगम	9231
रारावि उत्पादन निगम	3651
जयपुर विद्युत वितरण निगम	15391
अजमेर विद्युत वितरण निगम	13244
जोधपुर विद्युत वितरण निगम	11998

(2) उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) यह सही है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या 5940/2003 हरि किशोर शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में आदेश पारित किये हैं। आदेश एवं निर्णय की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। परन्तु इस आदेश के विरूद्ध राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील दायर की गई है जिसका निर्णय अभी तक लम्बित है।

(4) विद्युत कम्पनियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो पेंशन स्कीम के अन्तर्गत हकदार है, उनको सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन देय है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बगरू (जयपुर) के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतें

700. श्रीमती गंगा देवी (बगरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बगरू विधान सभा क्षेत्र के जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के पुरानाघाट डी-4 कार्यालय में जनवरी, 2009 से अब तक उपभोक्ताओं को अत्यधिक राशि के बिल वितरित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने घरेलू एवं व्यावसायिक, व्यापारिक एवं कृषि उपभोक्ताओं को उनके एवरेज मासिक उपभोग से भी अधिक कई गुना राशि के बिल जारी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अवधि में अप्रत्याशित रूप से बढ़ाकर दिये गये प्रत्येक बिल के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपभोक्ता से जानकारी कर निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उपभोक्ता वर्ग को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। बगरू विधान सभा क्षेत्र के जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय डी-4, पुरानाघाट में वर्तमान में घरेलू 14602, व्यवसायिक 1664, औद्योगिक 219, कृषि 224 व अन्य 98, कुल 16807 उपभोक्ता हैं। इनमें से स्पाट बिलिंग एवं खराब मीटर के कारण माह जनवरी, 2009 से अब तक श्रेणीवार निम्नानुसार उपभोक्ताओं को गलत राशि के बिल जारी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। घरेलू-88, व्यावसायिक-83, औद्योगिक-10 एवं कृषि के 25 कुल 206 बिल, जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) स्पाट बिलिंग एवं खराब मीटर के कारण जारी हुए गलत बिलों को जांच करवाकर ठीक कर दिया गया है तथा जमा राशि यदि ज्यादा है तो उनका समायोजन अगले बिलों में किया जा रहा है। त्रुटि वाले बिलों की बिलिंग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ जिले में स्वीकृत सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के रिक्त पद

701. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पंचायत समिति स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का पद सृजित किया गया है? यदि हां, तो प्रतापगढ़ जिले की पंचायत समिति अरनोद, प्रतापगढ़, पीपलखूंट, धरियावद एवं छोटी सादडी में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित अधिकारियों का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को माह जनवरी एवं फरवरी, 2012 में कितने सामाजिक न्याय एवं अधिकार के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये एवं प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कितने प्रार्थियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) राज्य में पंचायत समिति स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जिला प्रतापगढ़ में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है। अत: सम्बन्धित बिन्दु की सूचना शून्य है।

नसीराबाद में देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित छात्रावास

702. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवनारायण योजनान्तर्गत वर्तमान में कहां-कहां छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं तथा कहां-कहां खोलना प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र पीसांगन में उक्त योजनान्तर्गत छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में 12 छात्रावास स्वीकृत किये गये थे जो सभी संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2011-12 के अन्तर्गत विशेष पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु घोषित 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं में 41 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं। इन 41 छात्रावास भवनों के निर्माण कार्य हेतु राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित की जा चुकी है। छात्रावास भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने तक उपयुक्त किराए के भवनों में छात्रावास संचालित किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त स्वीकृत 41 छात्रावासों में से 4 छात्रावास क्रमश: झालावाड़ एवं आसीन्द जिला भीलवाड़ा व नगर एवं भरतपुर में संचालित किये जा चुके हैं। वर्तमान में विशेष पैकेज में कोई भी नया छात्रावास खोलना प्रस्तावित नहीं है। देवनारायण योजनान्तर्गत स्वीकृत छात्रावसों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2011-12 के अन्तर्गत विशेष पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु घोषित 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सभी 41 छात्रावास स्वीकृत किये जा चुके हैं। वर्तमान में योजनान्तर्गत विशेष पैकेज में कोई भी छात्रावास खोलना शेष नहीं है। अत: विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में अब कोई छात्रावास खोलना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में स्वीकृत 12 छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत छात्रावास का स्थान, क्षमता एवं स्तर	जिले में छात्रावास संख्या
1	2	3	4
1.	सवाई माधोपुर	1. खण्डार (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. सवाई माधोपुर (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2

1	2	3	4
2.	झालावाड़	1. अकलेरा (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. खानपुर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2
3.	अलवर	1. थानागाजी (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. बानसूर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 3. राजगढ़ (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 4. अलवर (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	4
4.	करौली	1. सपोटरा (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. नादौती (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2
5.	धौलपुर	1. सैपउ (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. बाड़ी (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2
		कुल छात्र/छात्रा क्षमता=600	**12**

परिशिष्ट "ब"

देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के विशेष पैकेज में स्वीकृत छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत छात्रावास का स्थान, क्षमता एवं स्तर	जिले में छात्रावास संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1.	धौलपुर	1. धौलपुर (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1

1	2	3	4
2.	भरतपुर	1. नगर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. भरतपुर (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2
3	बून्दी	1. बून्दी (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. हिण्डोली (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 3. नैनवा (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	3
4	दौसा	1. दौसा (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. बांदीकुई (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2
5	अलवर	1. अलवर (75 छात्राओं हेतु कालेज स्तर) स्वीकृत क्षमता-75	1
6	जयपुर	1. विराट नगर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. जयपुर (75 छात्राओं हेतु कालेज स्तर) स्वीकृत क्षमता-75	2
7	अजमेर	1. भिनाय (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. अजमेर (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 3. मसूदा (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	3
8	चित्तौड़गढ़	1. चित्तौड़गढ़ (गाड़िया लौहारों के 150 छात्र हेतु) स्वीकृत क्षमता-150 विद्यालय स्तरीय	1
9	करौली	1. करौली (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. हिण्डौन (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 3. चान्दन ग्राम श्री महावीर जी (75 छात्राओं हेतु करलेज स्तर) स्वीकृत क्षमता-75	3

1	2	3	4
10	पाली	1. जैतारण (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. पाली (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 3. सुमेरपुर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	3
11	राजसमन्द	1. राजसमन्द (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1
12	सवाई माधोपुर	1. सवाई माधोपुर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. बौंली (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2
13	सीकर	1. नीमकाथाना (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1
14	टोंक	1. निवाई (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. उनियारा (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2
15	उदयपुर	1. उदयपुर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1
16	जोधपुर	1. जोधपुर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1
17	भीलवाड़ा	1. भीलवाड़ा (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. आसीन्द (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2
18	जालौर	1. सांचोर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. जालौर (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2

1	2	3	4
19	सिरोही	1. सिरोही (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय 2. आबूरोड (छात्रा) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	2
20	बीकानेर	1. बीकानेर (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1
21	नागौर	1. मेड़ता (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1
22	झालावाड़	1. झालावाड़ (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1
23	बारां	1. बारां (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1
24	कोटा	1. कोटा (75 छात्राओं हेतु कालेज स्तर) स्वीकृत क्षमता-75	1
25	बाड़मेर	1. चौहटन (छात्र) स्वीकृत क्षमता-50 विद्यालय स्तरीय	1
	योग	**कुल स्वीकृत क्षमता 2250**	41

कोटा जिले में संचालित छात्रावासों में उपलब्ध आवश्यक सुविधाएं

703. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं हेतु की गई पेयजल व्यवस्था ट्यूबवैल/नल/हैण्डपम्प किन-किन छात्रावासों में कब-कब से बंद है? क्या सरकार उक्त व्यवस्था पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कोटा जिले में संचालित 17 राजकीय छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं हेतु की गई पेयजल व्यवस्था ट्यूबवैल/नल/हैण्डपम्प सभी छात्रावासों में सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं किसी भी छात्रावास में ट्यूबवैल/नल/हैण्डपम्प आदि बन्द नहीं हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

कोटा जिले में वर्तमान (वर्ष 2011-12) में संचालित राजकीय छात्रावासों में पेयजल व्यवस्थाओं का विवरण

जिला	क्र. सं.	छात्रावास का नाम	वर्ग	कुल छात्रावास बालक/ कन्या	भवन राजकीय/ किराया	स्वीकृत क्षमता	पेय जल व्यवस्था हेतु उपलब्ध संसाधनों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
KOTA	1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कमोलर	अनु. जाति	बालक	राजकीय	25	हैण्डपम्प, नल
	2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कैथून	अनु. जाति	बालक	किराये का	25	ट्यूबवैल
	3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खतौली (इटावा)	अनु. जाति	बालक	राजकीय	35	हैण्डपम्प
	4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मालारोड, कोटा	अनु. जाति	बालक	राजकीय	80	नल
	5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खैराबाद	अनु. जाति	बालक	राजकीय	50	ट्यूबवैल
	6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांगोद	अनु. जाति	बालक	राजकीय	50	ट्यूबवैल
	7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मण्डावरा	अनु. जाति	बालक	किराये का	25	नल
	8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, महावीर नगर, कोटा	अनु. जाति	बालक	राजकीय	25	ट्यूबवैल, नल

1	2	3	4	5	6	7	8
	9	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, छावनी कोटा	अनु. जाति	कन्या	राजकीय	75	ट्यूबवैल, नल, हैण्डपम्प
	10	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, पीपल्दा	अनु. जाति	कन्या	राजकीय	35	ट्यूबवैल
	11	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नान्ता, कोटा	अनु. जाति	कन्या	राजकीय	50	नल, ट्यूबवैल
	12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बपावर	अनु. जनजाति	बालक	राजकीय	50	ट्यूबवैल
	13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छावनी, कोटा	अनु. जनजाति	बालक	राजकीय	75	नल, हैण्डपम्प
	14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, इटावा	अनु. जनजाति	बालक	राजकीय	50	ट्यूबवैल
	15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुल्तानपुर	अनु. जनजाति	बालक	राजकीय	50	हैण्डपम्प
	16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कन्सुआ, कोटा	स्वच्छकार	बालक	राजकीय	25	नल, ट्यूबवैल
	17	राजकीय महिला महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, कोटा	अनु. जनजाति	कन्या	राजकीय	75	नल, ट्यूबवैल
		17 छात्रावास	**योग**			**800**	

कुम्भलगढ़ पंचायत समिति में वृद्धावस्था पेंशन हेतु लम्बित आवेदन

704. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक पंचायत समिति कुम्भलगढ़, जिला-राजसमन्द में कितने वृद्वावस्था (विधवा) विकलांगों ने पेंशन हेतु आवेदन किया? श्रेणीवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से सरकार द्वारा किन-किन को पेंशन स्वीकृत की गई और शेष को पेंशन नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? व्यक्तियों के नाम एवं पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक पंचायत समिति-कुम्भलगढ़, जिला-राजसमन्द में वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन हेतु 953 आवेदकों ने आवेदन किया। श्रेणीवार संख्या सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	श्रेणी	प्राप्त आवेदन
1	वृद्धावस्था	667
2	विधवा	193
3	विकलांग	93

(2) उक्त 953 आवेदकों में से 919 आवेदकों को पेंशन स्वीकृत की गई है। व्यक्तियों के नाम व पते की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। 34 आवेदन पत्र पात्रता पूर्ण नहीं करने एवं आवेदन अपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत/लौटाये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

फतेहपुर में आरक्षित वर्गों हेतु आबंटित राशि

705. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में एस.सी., एस.टी. एवं अल्पसंख्यकों के लिए बजट में की गई घोषणाओं में जयपुर सम्भाग के विभिन्न जिलों में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरू खान)

(2) उक्त आबंटित राशि में सीकर जिले के विधान सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आबंटित राशि में से फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आबंटित की गई एवं क्या-क्या कार्य पूर्ण कराये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) सूचना परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) सूचना परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(सूचनाएं पुस्तकालय में रखी गयीं)

रायसिंहनगर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

706. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के पशु चिकित्सालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद किस-किस श्रेणी के रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति अब कब तक कर दी जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि रिक्त पदों के कारण विभाग का कार्य प्रभावित होता है? यदि हां, तो उसके लिये कौन उत्तरदायी है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कुल स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

(पशुपालन मंत्री)

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत	रिक्त
1	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	2	0
2	पशु चिकित्सा अधिकारी	6	2
3	पशु चिकित्सा सहायक	4	2
4	पशुधन सहायक	22	8
5	सईस	18	9
6	गडरिया	2	1
7	जलधारी	2	0
8	सफाईकर्ता	3	0

(2) माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के तहत पशुधन सहायक की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर से पशु चिकित्सकों के साक्षात्कार होना लम्बित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होना शेष है । रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विभागीय स्तर से लम्बित नहीं है।

ग्राम डोडावली (उदयपुर) के स्वीकृत पशु चिकित्सा केन्द्र

707. **श्रीमती सज्जन कटारा** (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के गांव डोडावली ग्राम पंचायत डोडावली पंचायत समिति, गिर्वा के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत किया था एवं ग्राम पंचायत बारापाल में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया था? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्रमोन्नत पशु चिकित्सालय एवं पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त दोनों पशु उप केन्द्र एवं क्रमोन्नत पशु चिकित्सालय को तत्काल प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उप केन्द्र डोडावली को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत तथा नवीन उप केन्द्र बारापाल को दिनांक 11.10.10 को स्वीकृत किया गया। आदेश की प्रति संलग्न है ।

(2) वर्तमान में नवीन सृजित पदों पर पदस्थापन नहीं हो पाने के कारण केन्द्र संचालित नहीं हो पाए हैं। अत: पशु चिकित्सालय डोडावली में निकटतम उप केन्द्र धार के पशुधन सहायक को सप्ताह में दो दिवस आंतरिक व्यवस्था के लिए आदेशित किया गया है।

(3) जी हां। पशुधन सहायक एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सीकर एवं झुंझुनूं जिले के डेयरी प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही

708. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सीकर-झुन्झुनूं डेयरी पलसाना के प्रबन्धक संचालक द्वारा नियम विरुद्ध उधार देकर डेयरी को 16 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त प्रबन्ध संचालक से बकाया वसूली कर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सीकर एवं झुन्झुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. पलसाना, सीकर द्वारा अपने व्यावसायिक संचालन के दौरान दुग्ध उत्पादों के विक्रय एजेण्टों, संस्थाओं व परिवहन अनुबन्धकों को दिये गये उधार की दिनांक 25-04-08 को कुल राशि रुपये 16,60,617-84 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-55(5) व (6) के अन्तर्गत जारी जांच परिणाम एवं जांच निर्देश क्रमांक-23666-70 दिनांक 14-09-2009 के अनुसार बकाया थी जिसके लिए जांच परिणाम में उल्लेखित तत्कालीन अधिकारीगण यथा प्रबन्ध संचालक/प्रभारी, विपणन/लेखापाल को उत्तरदायी ठहराया गया है। उक्त जांच परिणाम एवं जांच निर्देश की प्रति अधिनियमान्तर्गत स्क्रीनिंग कर प्रकरण अधिनियम की धारा-57 के अन्तर्गत दर्ज किये जाने हेतु खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार, जयपुर को भिजवाई गई। जांच परिणाम एवं जांच निर्देश क्रमांक-23666-70 दिनांक 14-09-2009 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि.,

'सरस संकुल' जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर—17

क्रमांक : आरसीडीएफ/आईडीओ/एफ.14(503)/08 23666-70   दिनांक : 14-9-2009

जांच परिणाम एवं जांच निर्देश

(राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 की धारा 55(5), (6) के अन्तर्गत)

संस्थागत विकास अधिकारी, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि., जयपुर के आदेश क्रमांक आरसीडीएफ/आईडीओ/एफ.14(503)/08/35519-20 दिनांक : 11-3-08 द्वारा सीकर एवं झुन्झुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पलसाना सीकर के मार्केटिंग एजेन्ट्स पर बकाया चल रही राशि रुपये 17.50 लाख के सम्बन्ध में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-55 के अन्तर्गत जांच करने हेतु श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, उप रजिस्ट्रार, आरसीडीएफ लि., जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 26.4.08 को विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। इसके अलावा सीकर एवं झुन्झुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. पलसाना सीकर के प्रबन्ध संचालक द्वारा भी इस सम्बन्ध में अपना जवाब अन्य शिकायतों के संदर्भ में इसी बिन्दु पर प्रस्तुत किया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन के साथ ही एवं प्रबन्ध संचालक, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., सीकर का जवाब जिला संघ की सहकारी उपविधियां तथा इस सम्बन्ध में प्रभावी अधिनियम-नियम राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-55 के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण करने पर व इन समस्त दस्तावेजों के आधार पर मै ताराचंद, (संयुक्त रजिस्ट्रार), संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ, जयपुर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-55(5), (6) के अन्तर्गत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों एवं निष्कर्ष के आधार पर निम्न जांच परिणाम एवं जांच निर्देश जारी करता हूं।

जांच बिन्दु

दि. 14.12.06 को मार्केटिंग एजेण्टस् की ओर 17,51,968.75/- रुपये बकाया थे जो संघ प्रबन्धक द्वारा उधार में दिये जाने से बकाया रहे। इस बाबत दोषी अधिकारी/प्रबन्धन के वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व के निर्धारण बाबत।

जांच निष्कर्ष

जांच अधिकारी ने अंकित किया है कि मार्केटिंग एजेन्ट्स को उधार देने की

प्रवृत्ति काफी समय से अपनायी जा रही है जबकि इस बाबत हुए अनुबन्ध के अनुसार अग्रिम राशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट से प्राप्त करके ही उत्पाद देने का नियम है। मार्केटिंग एजेन्ट्स को माल देते समय यह नहीं देखा गया कि माल का पूर्ण भुगतान प्राप्त करके ही दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद दिये जावें। दिनांक 25.4.08 को मार्केटिंग एजेन्ट्स के नाम कुल 16,60,617.84/- की बकाया होना जांच अधिकारी ने लिखा है। जांच अधिकारी ने यह भी लिखा है कि बकाया राशि पर वर्ष 2006-07 में रुपये 1,92,425/- का ब्याज उनके खातों में लगाया गया है लेकिन वर्ष 2007-08 का ब्याज अभी तक नहीं लगाया गया है। यह भी लिखा है कि प्रबन्ध संचालक, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एवं विपणन प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार है। इस अवधि के दौरान संघ के प्रबन्ध संचालक एवं प्रभारी विपणन निम्नानुसार रहे :—

क्र. सं.	नाम	पद	अवधि
1.	श्री आर.एस. तोमर	प्रबन्ध संचालक	16-9-04 से 21-4-06
2.	श्री जी.एस. चौहान	प्रबन्ध संचालक	21-4-06 से 28-2-08
3.	श्री एम.एस. नाथावत	प्रबन्ध संचालक	28-2-08 से वर्तमान तक
4.	श्री आर.के. व्यास	प्रभारी, विपणन	मार्च, 2006 से जून, 2006
5.	श्री आर.के.टी. चौधरी	प्रभारी, विपणन	जुलाई, 2006 से सितम्बर, 06
6.	श्री डी.पी. पारीक	प्रभारी, विपणन	अक्टूबर, 06 से वर्तमान तक
7.	श्री एन. के. सोढ़ानी	लेखापाल	गत 10 वर्षों से वर्तमान तक

आगे यह भी कहा गया कि संचालक मंडल द्वारा अपनी बैठक दिनांक 18.12.06 में अधिनियमान्तर्गत जांच करवाने का निर्णय लेने के बावजूद मार्केटिंग एजेन्ट्स से बकाया राशि वसूल करने के प्रयास नहीं किये गये तथा उधार देने की प्रवृत्ति निरन्तर जारी रखी गयी। इसके लिऐ भी तत्कालीन प्रबन्ध संचालक एवं प्रभारी विपणन जिम्मेदार है।

जांच रिपोर्ट के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में संघ की उपविधियों का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि संघ द्वारा किसी भी प्रकार की उधार संचालक मंडल के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जा सकती है एवं इसके लिए भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक है। स्पष्ट है कि बिना संचालक मंडल की अनुमति के, जांच होने के पश्चात् भी एवं संचालक मण्डल के निर्णय के पश्चात भी

उत्तरदायित्वों की समुचित पालना न करते हुए एवं इसके विरूद्ध जाकर उधार देने की परम्परा जारी रखी गयी तथा वसूली के लिऐ ठोस कदम नहीं उठाये गये। यह भी स्पष्ट है कि उधार देने से जहां एक तरफ संस्था को तरल वित्तीय संसाधनों का नुकसान होता है वही पूंजी के अभाव को पूरा करने के लिए संघ को बाहर से उधार लेना पड़ता है एवं जिसका ब्याज भी देना पड़ता है। जब इन मार्केटिंग एजेन्ट्स से एग्रीमेंट में समस्त माल नकद या ड्राफ्ट से राशि प्राप्त करके ही दिये जाने का प्रावधान था तो कोई ऐसा कारण या तर्क का आधार नहीं हो सकता कि इन मार्केटिंग एजेन्ट्स को उधार दिया जाकर संघ को वित्तीय नुकसान पहुंचाया जाता। इस प्रकार संघ को हुए वित्तीय नुकसान राशि रुपये 16,60,617.84/- रुपये तथा इस पर जो तारीख ब्याज फलित हुआ तथा जो प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए सम्बन्धित इस अवधि में रहे बैंक प्रबन्ध संचालक एवं जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है वे सभी जिम्मेदार हैं। यदि कोई राशि वसूली गई है तो उसे कम किया जा सकता है। उक्तानुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारीगण द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 के अन्तर्गत वित्तीय उत्तरदायित्व एवं तदानुसार उसकी वसूली के लिए अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही सम्बन्धित अधिकारीगण के विरुद्ध उनके सक्षम अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्तानुसार जांच निष्कर्ष एवं निर्देश राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 (5), (6) के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं। जांच निर्देश की पालना दो माह में किये जाने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

यह जांच परिणाम एवं निर्देश आज दिनांक 11.9.2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किये गये।

ताराचन्द
संयुक्त रजिस्ट्रार, आरसीडीएफ एवं
संस्थागत विकास अधिकारी

अलवर जिले के सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

709. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में दवाई होलसेल भण्डार की कितनी दुकानें हैं और ये दुकानें कहां-कहां पर संचालित हैं? उक्त दुकानों पर कौन-कौन से कर्मचारी कहां-कहां पर कब से कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि होलसेल भण्डारों में भारी अनियमिततायें पाई गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि होलसेल भण्डारों पर पेंशनरों की दवाइयां वितरण में अनियमिततायें पाई गई हैं? जिसमें जिला कोषाधिकारी कार्यालय के कार्मिकों की संलिप्तता भी पायी गई है? यदि हां, तो क्या-क्या? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अनियमितताओं की जांच करने हेतु जिला कलक्टर अलवर के स्तर पर समितियों का गठन कर जांच करवायी गयी थी? यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि. के माध्यम से शहरी क्षेत्र में 12 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 13 कुल 25 दवाई की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। जिनका विवरण निम्न प्रकार अंकित है-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी (फार्मासिस्ट)	दुकान संख्या/स्थान	कार्यरत दिनांक
1	2	3	4
1	श्री केशवचन्द गुप्ता	शॉप नं. 1 अलवर शहर	21.12.10
2	श्री रिछपालसिंह कोली	शॉप नं. 2 अलवर शहर	22.7.11
3	श्री विनय कुमार शर्मा	शॉप नं. 3 अलवर शहर	20.3.02
4	श्री रविगोयल	शॉप नं. 4 अलवर शहर	6.5.11
5	श्री अमित अरोड़ा	शॉप नं. 5 अलवर शहर	4.5.07
6	श्री भूप सिंह वर्मा	शॉप नं. 6 अलवर शहर	28.4.08
7	श्रीमति सीमा अरोड़ा	शॉप नं. 7 अलवर शहर	24.7.08
8	श्री राजेश शर्मा	शॉप नं. 8 अलवर शहर	26.5.04

(सहकारिता मंत्री)

1	2	3	4
9	श्री गिर्राज गुप्ता	ड्रगस्टोर नं. 1 अलवर शहर	26.5.04
10	श्री पंकज बंसल	ड्रगस्टोर नं. 2 अलवर शहर	24.7.08
11	श्री सुधीर कुमार यादव	ड्रगस्टोर नं. 3 अलवर शहर	29.11.10
12	श्री रविकुमार मित्तल	ड्रगस्टोर नं. 4 अलवर शहर	1.4.10
13	श्री मुकेश कुमार बैरवा	मैडिकल शॉप राजगढ़	17.4.10
14	श्री सावन कुमार	मैडिकल शॉप रामगढ़	3.11.08
15	श्री अजीत सिंह यादव	मैडिकल शॉप तिजारा	1.4.10
16	श्री हेमन्त कुमार बैरवा	मैडिकल शॉप भालाखेड़ा	29.12.08
17	श्री अनिल यादव	मैडिकल शॉप कोटकासिम	11.9.09
18	श्री हेतराम यादव	मैडिकल शॉप थानागाजी	14.9.09
19	श्री पंकज कुमार शर्मा	मैडिकल शॉप रैणी	12.2.10
20	श्री संदीप शर्मा	मैडिकल शॉप किशनगढ़ बास	24.4.10
21	श्री ऋतुराज भारद्वाज	मैडिकल शॉप बड़ौद	27.10.10
22	श्री बाबूलाल कसाना	मैडिकल शॉप बानसूर	26.5.10
23	श्री अक्षय दीक्षित	मैडिकल शॉप लक्ष्मणगढ़	13.5.11
24	श्री सतीश शर्मा	मैडिकल शॉप खेडली	4.9.06
25	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	मैडिकल शॉप गोविन्दगढ़	13.9.06

(2) अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि. अलवर के राजगढ़ में संचालित मेडिकल दुकान के पेंशनर बिलों में 339396 रु. की अनियमितिता पाई गई थी। उक्त राशि सम्बन्धित फार्मासिस्ट से वसूल की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आडिट/जांच में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

(3) अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि. अलवर द्वारा संचालित राजगढ़ मेडिकल दुकान पर कार्यरत फार्मासिस्ट द्वारा 339396 रु. की राशि के डाक्टर्स द्वारा सुझाई गई दवाइयों के अतिरिक्त दवाइयां वितरण दर्शाकर बिल प्रस्तुत कर अनियमितता की गई। जिसकी वसूली सम्बन्धित फार्मासिस्ट से कर ली गई है। जिला कोषाधिकारी अलवर के पत्र क्रमांक 358 दिनांक 19.3.12 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कोष कार्यालय के किसी भी कार्मिक की संलिप्तता नही पाई गई है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) जिला कलक्टर अलवर द्वारा अलवर भण्डार की नमूना जांच कराई गई जिसकी नमूना जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में संविदा फार्मासिस्टों को देय परिलाभ

710. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में संविदा फार्मासिस्टों का वेतन कितना है तथा वेतन के अलावा अन्य परिलाभ यथा प्रोत्साहन राशि व हैल्पर अलाउन्स कितना-कितना दिया जाता है और यह लाभ कब से दिया जा रहा है? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संविदा फार्मासिस्टों को प्रत्येक माह भुगतान किया जाता है?यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मार्केटिंग एवं उपभोक्ता सेक्टर के अन्तर्गत विक्रेता मेडिकल (फार्मासिस्ट) के लिए आदेश दिनांक 7.4.11 द्वारा पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वेतन के अलावा अन्य परिलाभ जैसे प्रोत्साहन राशि व हैल्पर अलाउन्स सहकारी संस्थायें अपने स्तर से संचालक मण्डल/प्रशासकीय निर्णय लेकर निर्धारित करती है।

(2) सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा बिल भण्डार को प्रस्तुत करने पर संविदा फार्मासिस्टों को दिये जाने वाले मानदेय का भुगतान सेवा प्रदाता एजेन्सी को किया जाता है। सेवा प्रदाता एजेन्सी फार्मासिस्टों को अपने स्तर से भुगतान करती है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा. 11(685) सविरा/उप/2/99-2000/711　　　　दिनांक 7.4.2011

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक फा (32) सविरा/बैंक-2/आ सो पारि/कमेटी/2009 दिनांक 22.12.10 को संशोधित करते हुए मार्केटिंग एवं उपभोक्ता सेक्टर के अन्तर्गत विक्रेता मेडिकल (फार्मासिस्ट) के लिए 5500 रुपये प्रतिमाह परिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। इस राशि में सेवाप्रदाता संस्था को देय कमीशन एवं अन्य वैधानिक कटौतियां भी सम्मिलित हैं। संस्था स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिक से जो भी वैधानिक कटौती की गई है वह सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा करा दी गई है या नहीं। इसके अतिरिक्त सहकारी संस्थाऐं अपने स्तर से बिक्री वृद्धि के अनुरूप नियम बनाकर फार्मासिस्ट को प्रोत्साहन राशि भी दे सकेगी।

रजिस्ट्रार

विधान सभा नगर धौलाई, जयपुर के मूल मानचित्र में परिवर्तन

711. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा विधान सभा नगर धौलाई योजना कितने बीघा भूमि में काटी गई थी?

(2) विधान सभा नगर की मूल योजना में भू-खण्डों की संख्या कितनी थी? समिति द्वारा प्रस्तुत मूल प्रथम मानचित्र व भू-खण्डों के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या अवसायक संयुक्त गृह निर्माण समिति लिमिटेड द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 से 10 अक्टूबर, 2009 तक भूखण्डधारियों से स्वामित्व सम्बन्धी रिकार्ड लिये गये थे? यदि हां, तो दस्तावेजों के इन्द्राज रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या अवसायक द्वारा भूखण्डधारियों से संशोधित मानचित्र पर सहमति ली गई थी? यदि हां, तो प्राप्त सहमति पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा विधान सभा नगर धौलाई योजना 32.41 हैक्टेयर भूमि में काटी गई थी।

(2) प्रशासक, संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को मूल योजना भिजवाई गई है, भू-खण्ड आवंटन सूची में इस योजना के ए, बी, सी, डी, ई व ओ ब्लाक में भू-खण्डों की संख्या 1217 थी। मानचित्र व भू-खण्डों की सदस्य की सूची परिशिष्ट- "एक" व "दो" पर संलग्न है।

(3) जी हां। दस्तावेजों के इन्द्राज रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट "तीन" पर संलग्न है।

(4) जी हां। समिति की दिनांक 10.10.2009 को आयोजित आम सभा में सदस्यों की सहमति ली गई थी। आम सभा की कार्यवाही की प्रति परिशिष्ट "चार" पर संलग्न है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

शांतिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की शिक्षक विहार योजना प्रकरण

712. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 1981 से पूर्व केवल अनुबंध के आधार पर बिना पंजीकृत विक्रय पत्र खातेदारों से भूमि प्राप्त कर आवासीय योजनाएं तैयार कर अपने सदस्यों को भू-खण्ड आबंटित कर दिये जाते थे? क्या सरकार द्वारा उनको मान्यता दी जाती थी? यदि हां, तो किस आधार पर? उक्त समझौता पत्र की वैधता को कानूनी मान्यता थी या नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खातेदारों से अनुबंध के आधार पर प्राप्त भूमि/अवाप्त भूमि या सरकारी भूमि पर काटी गई योजनाओं का सरकार द्वारा नियमन किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम गैटोर जगतपुरा में शांतिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा खातेदारों से अनुबंध के आधार पर भूमि प्राप्त कर काटी गई शिक्षक विहार आवासीय योजना के भूखण्डधारियों द्वारा सरकार को की गई शिकायत के आधार पर खातेदारों एवं समिति पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संजना आगरी)

(4) क्या उपरोक्त आवासीय योजना की भूमि से सम्बन्धित जिन खातेदारों एवं समिति पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र का केस सरकार ने न्यायालय में पेश किया हुआ है, क्या उन्हीं खातेदारों द्वारा उसी भूमि की रजिस्ट्री किसी अन्य के नाम कराई गई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या वर्ष 1981 से पूर्व उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा अनुबंध के आधार पर प्राप्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर तथा उस पर योजना तैयार कर प्लाटवार पत्थरगढ़ी की जाकर काटे गये भू-खण्डों की उसी भूमि को लगभग 25 वर्ष बाद प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए भी उन्हीं खातेदारों द्वारा क्या किसी अन्य को रजिस्ट्री कराई जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी निष्प्रभावी रजिस्ट्री को निरस्त कराने की कार्यवाही कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरीय विकास विभाग से प्राप्त विवरण के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय, व्यवसायिक व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आबंटन, संपरिवर्तन और नियमन) नियम, 1981 के अन्तर्गत बेचान इकरारनामे के अन्तर्गत हस्तान्तरित भूमि तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 17.06.99 के पूर्व इकरारनामे से हस्तांतरित भूमि को मान्यता प्रदान की गई है।

(2) जी हां। नगरीय विकास विभाग द्वारा उपरोक्त प्रावधानों एवं उनके द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.07.99 परिशिष्ट 'अ' व परिपत्र दिनांक 26.05.2000 परिशिष्ट 'ब' के अनुसार नियमन किया गया है।

(3) जी नहीं। बल्कि वर्ष 1990 में आयोजित विशेष सहकारी अभियान के दौरान शिक्षक विहार आवासीय योजना के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर समिति के निम्न वर्तमान एवं भूतपूर्व प्रबन्धकारिणी के विरुद्ध दिनांक 28.04.1990 को शिविर प्रभारी द्वारा एफ.आई.आर. नं. 70/90 थाना मालवीय नगर में दर्ज करवाई गई-

1. श्री कैलाश चन्द अग्रवाल-अध्यक्ष
2. श्री मोहनलाल अग्रवाल-मंत्री

(सहकारिता मंत्री)

3. श्री मक्खनलाल गर्ग-उपाध्यक्ष
4. श्रीमती उषा अग्रवाल-कोषाध्यक्ष
5. श्री दाउदयाल अग्रवाल-सदस्य प्रबन्ध समिति
6. श्रीमती बबीतादेवी-सदस्य
7. श्री नन्द सिंह शेखावत-सदस्य
8. श्री सांवरमल गर्ग-पूर्व प्रबन्धकारिणी
9. श्री रमेश पुत्र श्री मोहनलाल-अध्यक्ष
10. श्री विनोद कुमार पुत्र उमाशंकर-उपाध्यक्ष
11. श्री मोहनलाल पुत्र प्रहलाद राय-मंत्री
12. श्री विनय कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द-कोषाध्यक्ष
13. श्री मोहन पुत्र श्री सीताराम
14. श्री नन्द सिंह पुत्र श्री नेग सिंह
15. श्री नृसिंह पुत्र श्री चौथमल
16. श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री गुलाब चन्द
17. श्री मोहनलाल अग्रवाल-कोषाध्यक्ष

निम्न व्यक्तियों को मुलजिम बनाया जाकर गिरफ्तार किया गया:-

1. श्री महेश अग्रवाल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, उम्र 35 साल, प्लाट नं. डी-1, द्वारकापुरी संजय कालोनी, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 07.08.1991
2. श्री मदन लाल पुत्र छगन लाल, जाति ब्राह्मण, उम्र 51 साल, ए-1, करतारपुरा, रावजी का बाग, सोडाला, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 09.08.1991
3. श्री विनय कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, उम्र 40 साल, डी-9, संजय कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर । अग्रिम जमानत दिनांक 26.06.1991
4. श्री रामनाथ पुत्र श्री नन्दाराम, जाति मीणा, उम्र 35 साल, जगतपुरा, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991
5. श्री रामजीलाल पुत्र श्री फूलचन्द, उम्र 30 वर्ष, जगतपुरा, पुलिस थाना, मालवीय नगर, जयपुर । गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991

(सहकारिता मंत्री)

6. श्री जगदीश पुत्र फूलचन्द, जाति मीणा, उम्र 34 साल, पुलिस थाना मालवीय नगर, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991

7. श्री रामगोपाल पुत्र श्री कल्याण, जाति ब्राह्मण, उम्र 35 साल, रूपारामपुरा, जे.पी. कालोनी, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991

8. श्री नेतीराम पुत्र श्री श्योराम, जाति मीणा, उम्र 38 साल, जे.पी. कालोनी, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991

9. श्री रूपनारायण पुत्र श्री बक्शा मीणा, उम्र 40 साल, जगतपुरा, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991

10. श्री मोहनलाल पुत्र श्री प्रहलाद राम, जाति ब्राह्मण, उम्र 23 साल, डी-8, द्वारकापुरी, संजय कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991

(4) विभाग में इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(5) ऐसे मामले में रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए सम्बन्धित पक्षकार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्मिक द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

713. श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री रायसिंह मोजावत ने अपने कार्यकाल में स्वयं के नाम व श्रीमती अस्मिता पुत्री श्री सूर्य कुमार योगी के नाम से झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक से लघु और सीमान्त कृषकों को ऋण देने की योजना के अन्तर्गत नवीन कृषि भूमि क्रय करने हेतु ऋण संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 27 अप्रैल, 2011 में स्वीकृत करवाया है? यदि हां, तो कितना-कितना? क्या उक्त ऋण प्राप्तकर्ता उक्त ऋण के पात्र थे? क्या सरकार उक्त व्यक्ति के विरुद्ध पद का दुरुपयोग कर उक्त ऋण लेने पर कोई कार्यवाही करने व ऋण वापस जमा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से एक पेट्रोल कार RJ 06-CA-1575 बैंक में 400/- प्रतिदिन के हिसाब से दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 से किराये पर ली थी?

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

(3) उक्त कार में बैंक द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 से 16 जून, 2011 तक कितने लीटर पेट्रोल डलवाया व लाग बुक किस दिनांक तक भरी गई? क्या पेट्रोल गाड़ी किराये पर लेकर उक्त व्यक्ति ने बैंक को हानि पहुंचाई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि की वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार श्री रायसिंह मोजावत के सहकारी विभाग की सेवा में आने के बाद की गई अनियमितता की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। लघु/सीमान्त जोतों को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के उद्देश्य से स्वयं की पूर्व भूमि के समीप कृषि भूमि क्रय करने हेतु ऋण दिये जाने का प्रावधान है । उक्त दोनों केस में ग्राम गुढा चक नं. 1 तहसील खानपुर में पृथक-पृथक 13.17, 13.17 बीघा भूमि क्रय करने हेतु 7.40, 7.40 लाख रु. का ऋण दिया गया है। दोनों आवेदकों के नाम 2-2 बीघा पूर्व की भूमि होने से योजनान्तर्गत पात्र मानते हुए ऋण स्वीकृत किया गया है।

(2) जी हां।

(3) उक्त कार में दिनांक 01.11.2009 से 16.06.2011 तक 2205.46 लीटर पेट्रोल डलवाया गया। उक्त गाड़ी की लाग बुक दिनांक 31.03.2010 तक भरी हुई है एवं दिनांक 01.11.2009 से दिनांक 31.03.2010 तक का किराया रु. 41600/- का भुगतान बैंक द्वारा किया गया है। बाकी अवधि की लाग बुक अनुपलब्ध है। पैट्रोल गाड़ी किराये पर लेने सम्बन्धी मामले में विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-55 में जांच करवाई जा रही है।

(4) जी हां। श्री रायसिंह मोजावत की अनियमितता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जांच करवाई गई एवं भविष्य में भी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच भी नियमानुसार करवाई जायेगी।

फलौदी की पंचायत समितियों में रिक्त पद

714. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के पंचायत समिति कार्यालय फलौदी एवं बाप में कितने पद कब से रिक्त हैं? पदनामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम जोशी)

(2) उक्त रिक्त पदों पर यथासमय पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के पंचायत समिति कार्यालय फलौदी एवं बाप में निम्न रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है -

पदनाम	पंचायत समिति फलौदी		पंचायत समिति बाप	
	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
पंचायत प्रसार अधिकारी	2	2009 से	2	1-2008 2-2011
लेखाकार	0	-	2	1-2008 2-2010
कनिष्ठ अभियन्ता	0	-	1	2008 से
वरिष्ठ लिपिक	1	2000 से	1	1998 से
कनिष्ठ लिपिक	1	2011 से	0	-
ग्राम सेवक	3	2011 से	1	2011 से
वाहन चालक	0	-	1	2008 से
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	2011 से	0	-

(2)

पंचायत प्रसार अधिकारी/वरिष्ठ लिपिक के पद पदौन्नति के पद हैं। पदौन्नति पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध होने के कारण उक्त पद रिक्त हैं।

लेखाकार के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त है।

कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण रिक्त है।

(पंचायती राज मंत्री)

ग्राम सेवक के रिक्त पदों पर दिनांक 13.02.2011 को परीक्षा आयोजित कर भर्ती की जा चुकी है। पं.स. फलौदी व बाप के उक्त पद परीक्षा उपरान्त खाली होने के कारण रिक्त है।

कनिष्ठ लिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर पंचायती राज संस्थाओं के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है परन्तु आवेदित संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त पद रिक्त हैं।

(3) जी हां। पदौन्नति से राज्य सरकार का प्रतिबन्ध हट जाने, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने, भर्ती की कार्यवाही पूर्ण हो जाने, आवेदित संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

अक्षय पात्र और नान्दी फाउण्डेशन द्वारा वितरित भोजन की गुणवत्ता

715. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षो में अक्षय पात्र और नान्दी फाउण्डेशन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में गुणवत्ता की शिकायतें बडे स्तर पर अखबारों में प्रकाशित हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि अक्षय पात्र और नान्दी फाउण्डेशन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में गत पांच वर्षो में गुणवत्ता की शिकायतें अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में माडा योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य

716. श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नवलकिशोर मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजनान्तर्गत पिछले तीन वर्षों में किन-किन कार्यों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

(2) सरकार द्वारा उक्त कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? तहसीलवार, ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजनान्तर्गत पिछले तीन वर्षों में निर्माण कार्य- सी.सी. रोड, एनिकट, हैण्डपम्प, टंकी निर्माण, सामुदायिक भवन इत्यादि प्राप्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूची (प्राथमिक एवं वित्तीय स्वीकृति) परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आसीन्द में जनजाति क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत देय सुविधाएं

717. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में दिसम्बर, 2004 से फरवरी, 2012 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में दिसम्बर, 2004 से फरवरी, 2012 तक संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार सुविधाऐं जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु जारी की गई।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नाथद्वारा (उदयपुर) में पुरा योजना से लाभान्वित ग्राम

718. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में पुरा योजना के तहत पूर्व में हुए सर्वे में गुंजोल पंचायत को शामिल करने के पश्चात् भी पुरा योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची में शामिल नहीं करने के क्या कारण रहे? सर्वे रिपोर्ट,

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

प्रस्तावित व व्यय होने वाली राशि तथा चयनित गांवों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पुरा परियोजना में चयन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। पुरा परियोजना में निजी भागीदार आई.एल. एण्ड एफ.एस. जिनके द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जानी है, उनसे प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत गुंजोल का भौगोलिक रूप से चयनित पुरा क्षेत्र से संस्पर्शी नहीं होना एवं वित्तीय विश्लेषण के आधार पर व्यवहार्यता नहीं पाये जाने के कारण पुरा के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण शामिल नहीं किया गया।

सर्वे रिपोर्ट में प्रस्तावित व व्यय होने वाली राशि राजसमंद में परियोजना की अनुमानित लागत के अनुसार पूंजीगत लागत 7964.48 लाख रु., ग्रंहणीय पुरा अनुदान 4200.00 लाख रु. है और कुल परियोजना लागत 12164.48 लाख रु. आयेगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट अभी तकनीकी स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर लम्बित है। इसकी निश्चित लागत तकनीकी स्वीकृतियों के पश्चात् निर्धारित हो सकेगी। भारत सरकार के अनुमोदन उपरान्त एक कन्सशेनल एग्रीमेन्ट होना शेष है, यह कन्सशेनल एग्रीमेन्ट सम्बन्धित ग्राम पंचायत आई.एल. एण्ड एफ.एस. (कन्शेशनरी) एवं जिला परिषद के मध्य होगा। इस एग्रीमेन्ट का एक भाग जो अनुसूची-आई है, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट के रूप में होगा। स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट, आई.एल. एण्ड एफ.एस. (कन्शेशनरी), सम्बन्धित जिला परिषद, राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के मध्य होगा।

चयनित गावों की सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

पुरा परियोजना अन्तर्गत आने वाले गांवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम
1.	खमनोर	खमनोर
2.	खमनोर	गुर्जरगढ़
3.	खमनोर	सोई की भागल
4.	खमनोर	वारणी की भागल
5.	मोलेला	मोलेला
6.	मोलेला	उदावतों की भागल
7.	टांटोल	टांटोल
8.	टांटोल	भिंयाज
9.	टांटोल	सरसुनिया
10.	टांटोल	चांदनिया
11.	टांटोल	रूपजी का गुडा
12.	टांटोल	पासुनिया
13.	टांटोल	माल का गुडा
14.	उनवास	बलिचा
15.	उनवास	खरबडों की भागल
16.	उनवास	रेबारियों की ढाणी
17.	उनवास	उनवास
18.	उनवास	कुरियावास
19.	उपली ओड़न	डिंगेला
20.	उपली ओड़न	उपली ओड़न
21.	उपली ओड़न	निचली ओड़न

प्रदेश में नरेगा योजना में स्वीकृत पद

719. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नरेगा के तहत कौन-कौन से पद स्थाई एवं संविदा के तहत स्वीकृत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नरेगा के तहत स्वीकृत स्थाई एवं संविदा के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितने व कौन-कौन से पद किस-किस जिले में रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कोई भी स्थायी पद स्वीकृत नहीं है। योजनान्तर्गत 836 पद प्रतिनियुक्ति के एवं 23938 पद संविदा प्रकृति के सृजित किये गये हैं। प्रत्येक जिले में सृजित पदों की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजनान्तर्गत प्रतिनियुक्ति के 294 पद एवं संविदा के 9883 पद कुल 10177 पद रिक्त चल रहे हैं। जिलेवार रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूचनाएं पुस्तकालय में रखी गयीं)

नदबई (भरतपुर) मनरेगा में स्वीकृत ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य

720. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की पंचायत समिति सेवर एवं रूपवास और नदबई के किन-किन गांवों में मनरेगा में वर्ष 2008 से ग्रेवल सड़कों का निर्माण कराया गया? गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नदबई की पंचायत समिति सेवर, रूपवास एवं नदबई के गांवों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्ष 2008 से दिनांक 23.03.2012 तक कराए गए ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

निवाई विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

721. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नटवाड़ा, पंचायत समिति निवाई के कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 04 नवम्बर, 2011 एवं 09 नवम्बर, 2011 को नरेगा योजना में रोजगार हेतु श्रमिकों ने प्रपत्र 6 में आवेदन किया था? यदि हां, तो कितने श्रमिकों ने उक्त दिनांक को आवेदन किया एवं कितने दिनों का रोजगार मांगा गया था और प्राप्त आवेदनों में से कितने श्रमिकों को कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया? श्रमिकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्तानुसार तिथियों को प्रपत्र 6 में मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया? यदि हां, तो इसके लिये कौन कार्मिक दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्रमिकों द्वारा कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति निवाई से बेरोजगारी भत्ते की मांग करने पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत नटवाड़ा, पंचायत समिति निवाई के कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 04.11.2011 एवं 9.11.2011 को नरेगा योजना में रोजगार हेतु श्रमिकों ने प्रपत्र 6 में आवेदन किया था। दिनांक 04.11.2011 को 147 आवेदन प्रपत्र 6 में 228 श्रमिकों द्वारा एवं 09.11.2011 को 11 आवेदन प्रपत्र 6 में 48 श्रमिकों द्वारा आवेदन किया गया। प्राप्त आवेदनों के आधार पर मांग किये गये रोजगार एवं उपलब्ध कराये गये रोजगार का श्रमिकवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सभी योग्य आवेदकों को नियमानुसार रोजगार उपलब्ध करवाया गया। जिन आवेदन प्रपत्रों में जाबकार्ड नम्बर एवं खाता संख्या नहीं थे एवं ना ही उनके जाबकार्ड नम्बर एवं खाता संख्या उपलब्ध हो पाये उनको रोजगार नही दिया जा सका क्योंकि बिना जाबकार्ड नम्बर एवं खाता संख्या के मस्टररोल जारी नहीं की जा सकती है। कमी पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत द्वारा

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

आम नोटिस भी चस्पा किया गया परन्तु आवेदकों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(3) जी हां। यह सही है कि बेरोजगारी भत्ते की मांग श्रमिकों द्वारा कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति निवाई से की गई एवं इस पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गयी। प्रकरण की जांच एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होने के कारण बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एकल महिला प्रोत्साहन हेतु अमृता देवी विश्नोई योजना की स्थापना

722. **श्री पानाचन्द** (बारां-अटरू) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मनरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाली एकल महिला के प्रोत्साहन हेतु अमृता देवी विश्नोई योजना बनाई गई है? क्या उक्त महिला प्रोत्साहन योजना में जिला स्तर से ही पोशाक क्रय करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2008-09 से 2011-12 में क्रय की गई पोशाकों की लागत कितनी-कितनी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मनरेगा योजना में अमृता देवी विश्नोई योजनान्तर्गत लाभान्वित महिला को नकद राशि दी जा सकती है, जिससे वह अपनी इच्छानुसार पोशाक का चयन कर सके? यदि नहीं, तो क्यों? क्या नकद राशि दी गई है? यदि हां, तो दी गई राशि का विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(4) मनरेगा में जिला स्तर पर कितनी राशि से अधिक की क्रय के लिये सरकार से स्वीकृति आवश्यक है? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जिला स्तर पर उक्त आदेशों की अवहेलना की गई है? क्या मनरेगा में एक ही वित्त वर्ष में अलग-अलग निविदाओं से एक ही मद की सामग्री क्रय की गई है, जिससे कि राज्य सरकार की स्वीकृति न लेनी पड़े।

(6) जिला सिरोही में मनरेगा योजना के प्रारम्भ से लेकर फरवरी, 2012 तक उक्त मद में सामग्री क्रय करने हेतु जारी निविदा सूचनाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मनरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाली एक महिला के प्रोत्साहन हेतु अमृता देवी विश्नोई योजना वर्ष 2008-09 में बनाई गई थी, जिसे दिनांक 06.07.2010 से बन्द कर दी गई है। उक्त महिला प्रोत्साहन योजना में जिला स्तर से ही पोशाक क्रय करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये गये थे, सम्बन्धित आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में क्रय की गई पोशाकों की कुल लागत क्रमश: रु. 629.84 लाख, 160 लाख एवं 700 लाख थी। योजना बन्द हो जाने के कारण वर्ष 2011-12 में कोई व्यय नहीं हुआ।

(3) जी नही। अमृता देवी विश्नोई योजनान्तर्गत लाभान्वित महिला को नकद राशि नहीं दी जा सकती है। राज्य में किसी भी जिले में नकद राशि का भुगतान नहीं किया गया है अपितु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.02.2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप राशि महिला श्रमिकों के पोस्ट आफिस के खाते/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की गई है।

(4) मनरेगा में जिला स्तर पर 10 लाख की राशि से अधिक की क्रय के लिये राज्य सरकार से स्वीकृति आवश्यक है। सम्बन्धित आदेशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) जी नही।

(6) जिला सिरोही में मनरेगा योजना में उक्त कार्य हेतु अन्तिम निविदा दिनांक 03.03.2010 को जारी की गई थी एवं इस निविदा के लिए संशोधित निविदा सूचना दिनांक 06.09.2010 को जारी की गई। योजना के प्रारम्भ से लेकर अन्तिम निविदा तक उक्त मद में सामग्री क्रय करने हेतु जारी निविदा सूचनाओं की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नागौर जिले में नरेगा योजना का फर्जी भुगतान प्रकरण

723. **श्री मानसिंह** (परबतसर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में नरेगा योजना के चैक चोरी कर भुगतान उठाने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कौन-कौन से प्रकरण सामने आये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री मानसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) जी हां। जिला नागौर में नरेगा योजना के चैक चोरी कर भुगतान उठाने के प्रकरण सामने आये हैं। गत तीन वर्षों में ऐसे प्रकरण में तीन चैक चोरी कर राशि का आहरण किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	चैक सं.	भुगतान तिथि	राशि
1	850996	08.09.11	14,28,735
2	004105	04.10.11	29,34,600
3	056177	03.12.11	65,40,200
		योग	**1,09,03,535**

(2) जी हां। सरकार के ध्यान में आते ही उक्त प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है:-

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना के जिला स्तरीय बचत बैंक खाते से रुपये 1.09 करोड़ का कूट रचित हस्ताक्षरों द्वारा चैकों के माध्यम से आहरण किये जाने का प्रकरण ध्यान में आते ही, एफ.आई.आर. संख्या 528 दिनांक 08.12.2011 को दर्ज करवाई जा चुकी है। इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक चार अभियुक्त श्री दिवेश कृष्णकान्त उदेशी उर्फ नितेश के शाह, श्री विनय दिनेश चन्द्र जैन, श्री मितेश के शाह उर्फ मनोज कांतिलाल नायक एवं श्री भरत जीवराज परमार (दर्जी) को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।
2. पुलिस अनुसन्धान में अब तक नकद राशि रुपये 9,58,000/- एवं फ्रीज किये गये बैंक खातों में राशि रुपये 20,41,425.57 एवं सोने के आभूषण 44.90 ग्राम व चांदी के आभूषण 451 ग्राम जब्त किये गये हैं।
3. विभागीय कार्यवाही में सम्बन्धित कार्यालय के रोकड़पाल को निलम्बित किया जाकर सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है एवं पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी/कार्मिकों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये जाकर विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

"मनरेगा" कार्यों हेतु ठेका पद्धति

724. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षो में ठेका पद्धति के कारण महानरेगा के कार्यों की गति धीमी हुई है? यदि नहीं, तो वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक में नरेगा में व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ठेका पद्धति को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ठेका पद्धति से कोई कार्य नहीं कराया जाता है। केवल सामग्री क्रय किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से सामग्री आपूर्तिकर्ता का निर्धारण किया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है, जिसके तहत रोजगार की मांग किये जाने पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है एवं रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देय होता है। राज्य में रोजगार की मांग करने वाले सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में ठेका पद्धति पर कोई कार्य नहीं कराया जाता है। जहां तक सामग्री क्रय निविदा के माध्यम से कराये जाने का प्रश्न है, यह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा पंचायती राज नियमों के तहत कराये जाते हैं।

परिशिष्ट-1

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक व्यय राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	व्यय राशि (राशि रु. करोड़ में)
1	2008-09	6175.55
2	2009-10	5669.05
3	2010-11	3300.33
4	2011-12	3007.13

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 मार्च, 2012)

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृति हेतु समय सीमा

232. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत डेढ़ वर्ष में राज्य में विधवा पुत्री एवं बी.पी.एल. परिवार पुत्री के विवाह हेतु किस-किस जिले में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने-कितने आवेदकों को अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई और शेष कितने-कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष आवेदकों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा आवेदकों को अनुदान देने हेतु समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत डेढ़ वर्ष में राज्य में विधवा पुत्री विवाह एवं बीपीएल पुत्री विवाह हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जिलेवार व माहवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) इस अवधि में योजनान्तर्गत स्वीकृत व लम्बित रहे आवेदन पत्रों की संख्या का जिलेवार व माहवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) गत डेढ़ वर्ष (अप्रैल 2010 से सितम्बर 2011) की अवधि में लम्बित रहे पात्र आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में नियमानुसार सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(4) विधवा पुत्री विवाह व बीपीएल परिवार पुत्री विवाह योजनान्तर्गत आवेदन पत्र पूर्ण स्थिति में प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिवस की अवधि में स्वीकृति जारी किये जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-362 का विवरण)

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 व इससे अधिक आबादी की ढाणियां जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पायी हैं का विवरण

क्र. सं.	ढाणी का नाम	आबादी	सड़क का नाम	प्रस्तावित/स्वीकृत राशि (रु. लाख)	लम्बाई (कि.मी.)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	चुरलाई धोरा	941	कुकरिया से चुरलाई धोरा	102.65	6.00	कार्य प्रगति पर
2	हथाना जोड़ा	520	इन्द्रपालसर बड़ा से हथाना जोड़ा	111.11	6.00	कार्य प्रगति पर
3	बनिया जोडा	250	मोमासर से ढाणी बनिया जोडा	147.29	8.50	भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
4	ढाणी सांखलाई	250	मोमासर से ढाणी सांखलाई	105.21	6.00	
5	ढाणी बृजलाना जोडा	390	धनेरू से ढाणी बृजलाना जोडा	67.71	3.80	
6	ढाणी केसरासर बावरी	260	इन्दपालसर सांखलान से ढाणी केसरासर बावरी	56.58	3.50	

1	2	3	4	5	6	7
7	ढाणी कालरा जोडा	260	इन्दपालसर बडा से ढाणी कालरा जोडा	36.83	2.00	भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
8	मेखलाव तालाब की ढाणी	392	मोरखाना आथुना से मेखलाव तालाब की ढाणी	63.25	3.50	
9	कीतासर फांटा की ढाणी	417	मोरखाना आथुना से कीतासर फांटा की ढाणी	57.35	3.00	

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

1. विधान सभा क्षेत्र भीम के सभी सी.एच.सी., भीम एवं देवगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लम्बे समय से कनिष्ठ विशेषज्ञ, चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

2. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के रैफरल हास्पिटल बहरोड़, बर्डोद, भाढाण के हास्पिटलों मे दुर्गन्ध, गंदगी तथा कचरों के ढेर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।
3. अलवर व बहरोड़ क्षेत्र के सी.एच.सी., पी.एच.सी. में नि:शुल्क दवा योजना में दवाइयों की कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।
4. बहरोड़ रैफरल हास्पिटल में मशीनें ठीक कराने तथा लेबोरेटरी में समान उपलब्ध कराने की कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अधिकतर पी.एच.सी., सी.एच.सी. हास्पिटलों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सी.एच.सी. व पी.एच.सी. हास्पिटलों में महिला डाक्टर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):

7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय पर सेटेलाइट अस्पताल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
8. पंचायत समिति बालेसर एवं शेरगढ़ के ग्रामों में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
9. तहसील शेरगढ़ में प्रत्येक चार ग्राम पंचायतों पर प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

10. तहसील शेरगढ़ में प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र नाथड़ाऊ व सेतरावा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र व एड पोस्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

11. तहसील शेरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एड पोस्ट एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, स्वास्थ्य निरीक्षक, मलेरिया निरीक्षक, बी.एच.एस. फिमेल, वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन, लेब टेक्नीशियन, ए.एन.एम., मेल नर्स, नेत्र सहायक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका व एम.पी.डब्ल्यू आदि के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी):

12. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के नादनपुर बसेड़ी में राजकीय चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली):

14. दौसा जिले में निजी चिकित्सालयों द्वारा कम आयु की महिलाओं के आपरेशन द्वारा गर्भाशय (बच्चेदानी) निकालने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये|

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

15. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाडखा एवं चवा को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. राजकीय चिकित्सा बाड़मेर को 200 से 300 बैड करने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत नौद, दूद्दाबेरी, सौजटा एवं बेरीवाला तला में नये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

18. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 25 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला):

19. रींगस में ट्रोमा हास्पीटल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री पदमाराम (चौहटन):

20. विधान सभा क्षेत्र चौहटन की उप तहसील सेड़वा मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेड़वा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं):

21. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित पी.एच.सी. कालाडेरा व सामोद को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

22. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम ढोढसर, किशनमानपुरा, आलीसर, उदयपुरिया में नई पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

23. मातृ एवं शिशु कल्याण सेन्टर चौमूं में चार पद स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक पद वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं कालाडेरा, सामोद, हस्तेड़ा, ईटावाभोपजी, खेजरोली के पी.एच.सी. में महिला चिकित्सकों के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं में दन्त चिकित्सक व हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का पद सृजित कर पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

25. चौमूं में 200 बेड का महिला एवं जनरल हास्पिटल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली):

26. बागड़ अस्पताल पाली में निश्चेतना विभाग में चिकित्सक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

27. बागड अस्पताल पाली में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

28. विधान सभा क्षेत्र पाली के वायद गांव में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. पाली जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहट में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता कर चर्चा के लिये ।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर):

30. जैसलमेर शहर के चिकित्सालयों में स्टाफ व सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. जैसलमेर के चिकित्सालयों में चिकित्सक, ए.एन.एम. टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. जैसलमेर के बड़े कस्बों के गांवों में चिकित्सालयों में डाक्टर, ए.एन.एम., मेल नर्स एवं कम्पाउण्डर की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

33. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के गांवों एवं ढाणियों में मलेरिया के प्रकोप से राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. जैसलेमर के सीमावर्ती क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद):

35. राज्य भर में डाक्टरों के खाली पदों को अविलम्ब भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

36. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में रैफरल चिकित्सालय बिलाड़ा, सी.एच.सी. पीपाड़ शहर/बोरूंदा, ग्रामीण क्षेत्र की पी.एच.सी. में चिकित्सकों एवं विशषज्ञों के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में उप खण्ड तहसील मुख्यालय पर होम्योपैथी चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर):

38. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सब सेन्टर जावली को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

39. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की नगरपालिका के गंदे पानी की निकासी नहीं होने से फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

40. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में जामोद, लालासी, कछावा, राजास, खूडी बड़ी में पी.एच.सी. खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

41. सीकर जिले में अधिक ओ.पी.डी. एवं कम ओ.पी.डी. के चिकित्सालयों में ओ.पी.डी संख्यानुसार दवा वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

42. सीकर जिले में बर्न यूनिट (एस.के. हास्पिटल में) का उद्‍घाटन होने के बावजूद शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. सीकर के एस.के. हास्पिटल में ट्रोमा यूनिट में स्ट्राफ, डाक्टरों की कमी एवं ओ.टी. शुरू नहीं होने के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली):

44. विधान सभा क्षेत्र करौली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

45. जिला चिकित्सालय करौली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मासलपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. जिला चिकित्सालय करौली एवं मासलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 108 एम्बूलेंस वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण):

47. स्व. खेमराज कटारा राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय, हीरण मगरी सेक्टर-6, उदयपुर में सीटी स्केन मशीन लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

48. स्व. खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, हीरण मगरी सेक्टर-6, उदयपुर में बढ़ते हुये मरीजों की संख्या को मध्यनजर रखते हुये भवन निर्माण एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में भोईयों की पचोली, भुवाणा, चावसदा एवं चरवदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

50. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गांव बारापाल एवं टोडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

51. उदयपुर शहर के सामान्य चिकित्सालय, पन्नाधाय महिला चिकित्सालय में बढ़ते रोगियों की संख्या को मध्यनजर रखते हुये रिक्त पड़े पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

52. राजसमन्द जिला चिकित्सालय में निजी सहभागिता के आधार पर रोग निदान की जांच प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

53. राजसमन्द जिले के एन.एच. 8 पर स्थित कलेवा कस्बे में दो वर्ष से स्वीकृत ट्रोमा अस्पताल प्रारम्भ नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

54. उदयपुर सम्भाग मुख्यालय पर स्थित महाराणा भोपाल चिकित्सालय की कैन्सर इकाई में चिकित्सकों की कमी एवं भौतिक सुविधाओं की कमी के कारण जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. नि:शुल्क दवा वितरण योजना में चिकित्सकों द्वारा लिखी गयी दवाइयों में से आधी से भी कम दवाइयां उपलब्ध होने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क दवाइयां वितरण योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

56. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की 10 ग्राम पंचायतों के मैंड क्षेत्रों में जिसकी आबादी 80,000 से भी ज्यादा होते हुए सी.एच.सी. नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में ए.एन.एम., नर्स एवं डाक्टरों के पद न भरने तथा ग्रामीण सेवा में नियुक्त डाक्टरों को शहर में प्रतिनियुक्ति पर भेजकर जनता के साथ हो रहे अन्याय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में 2011 की जनसंख्या के आधार पर चिकित्सा सुविधा न बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विराट नगर तहसील की ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर चिकित्सा सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द):

60. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के सरेड़ी स्टेशन में ट्रोमा हास्पिटल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के बदनोर कस्बे (तहसील) के हास्पीटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ का नया पद सृजित करने एवं हास्पिटल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायासिंहनगर):

62. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में समेजा एवं डाबला पी.एच.सी. को क्रमोन्नत कर सी.एच.सी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मेघवाल (जालोर):

64. विधान सभा क्षेत्र जालोर में सब डिविजन मुख्यालय सामला सी.एच.सी. में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. प्रदेश में चिकित्सा विभाग में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़):

66. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में तमाम सी.एच.सी. चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला):

67. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पूगल, छत्तरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह (परबतसर):

68. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के चिकित्सालय में स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट):

69. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं स्टाक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना):

70. राजकीय बागड़ चिकित्सालय डीडवाना को 200 बेडेड नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. मौलासर सी.एच.सी. को रैफरल अस्पताल नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के पी.एच.सी. एवं सब सेन्टरों के भवन एवं सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. बागड़ चिकित्सालय डीडवाना में सोनोग्राफी मशीन, इको कार्डीयोग्राफी मशीन, कम्पलीट ब्लड एनालाइजर मशीन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. बागड़ चिकित्सालय डीडवाना में आई.सी.यू. वार्ड, ट्रोमा यूनिट, जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत वार्ड, कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए (एम.एन.टी.सी.) माल न्यूट्रेसन ट्रटींग सेन्टर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

75. सोजत राजकीय चिकित्सालय में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा):

76. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के रामपुरिया धाभाई व बुटादीत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़):

77. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सी.एच.सी. व पी.एच.सी. में डाक्टर व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के सी.एच.सी. कुशलगढ व सज्जनगढ़, डुगंरा छोटा में लेडीज डाक्टरों का पदस्थापन नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के मेडिकल हास्पिटलों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवाई योजना सफल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर):

81. विधान सभा क्षेत्र नगर के चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी, चिकित्सालयों से मिलने वाली नि:शुल्क दवाओं के न मिलने तथा चिकित्सालयों में सफाई की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

82. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त करोड़ों रुपयों का समय पर उपयोग नहीं होने व उसमें भारी अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

83. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लाक में हुई अनियमितताओं की जांच एवं उसमें दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

84. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में पर्याप्त विषय अध्यापकों का समय पर चयन नहीं होने तथा रिक्त पड़े पदों के कारण मान्यता का संकट पैदा हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

85. 2 अक्टूबर, 2011 से विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में चालू की गई नि:शुल्क दवाइयों के वितरण की योजना का सफल संचालन एवं गुणवत्ता बनाए रखने हेतु सरकारी फार्मेसी में निर्मित दवाइयां खरीदने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर):

86. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में ट्रोमा आडिटोरियम को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना):

87. विधान सभा क्षेत्र बयाना में बयाना, रूदावल, रूपवास की पी.एच.सी., सी.एच.सी. में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

88. विधान सभा क्षेत्र बयाना में बयाना एवं रूपवास के चिकित्सालयों में डाक्टरों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

89. बयाना सी.एच.सी. में सोनोग्राफी की मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

90. बयाना सी.एच.सी. को 100 बेड का अस्पताल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

91. विधान सभा क्षेत्र बयाना के ग्राम रूदावल को पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर):

92. सेठ छोटु लाल सेठिया राजकीय चिकित्सालय सरदारशहर को 100 बेड का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. ग्राम पूलासर, तहसील सरदारशहर में पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

94. अलवर जिले में चिकित्सा विभाग के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

95. अलवर जिले में एन.आर.एच.एम. में हुए भारी घोटाले की जांच, दोषी अधिकारियों एवं सी.एम.एच.ओ. के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. आयुर्वेद विभाग में जिला आयुर्वेद अधिकारी सहित अन्य पदों पर स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

97. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में प्राथमिक चिकित्सालय एवं 15 उप चिकित्सा केन्द्र खोलने एवं खाली पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

98. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा बड़ोदा मेव, नौगांवा एवं मुबारिकपुर में सी.एच.सी. सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा):

99. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में राजाखेड़ा सी.एस.सी. पर डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

100 विधान सभा क्षेत्र सोजत में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

101. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम पण्डावल एवं बगड़ी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने एवं विलाबास में एलोपैथिक अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री अनिल जैन (खानपुर):

102. झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. झालावाड़ जिले में रोगियों की संख्या के अनुपात में चिकित्सा कर्मियों एवं चिकित्सकों के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. राज्य में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों के जर्जर पड़े भवनों की मरम्मत एवं भवन विहीन चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. झालावाड़ जिले के विभिन्न चिकित्सालकों में डाक्टरों व नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों व चिकित्सकों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू):

107. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पाटोदी एवं गीडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं परेऊ एवं नौसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र बायतू के वंचित राजस्व ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र बायतू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सवाऊ पदम सिंह में 108 एम्बुलेंस स्वीकृति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र बायतू में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बायतू में रिक्त चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल एवं तकनीकि स्टाफ के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र बायतू के चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाई वितरण केन्द्रों पर योग्य केमिस्टों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर):

112. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के जामडोली (आगरा रोड) में नया चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में सेठी कालोनी स्थित सेटेलाइट हास्पिटल में हृदय रोग, हड्डी रोग एवं सर्जन विशेषज्ञ के पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर):

114. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पंचायत समिति पीपल्दा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के जिन पंचायतों में पी.एच.सी./सी.एच.सी. नहीं है, उनमें नये पी.एच.सी./सी.एस.सी. खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. भरतपुर में स्थित राजबहादुर मेमोरियल चिकित्सालय में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

117. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ग्राम गुरला, मौखुन्दा, महेन्द्रगढ़ पी.एच.सी. पर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

118. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर रैफरल में डाक्टर्स क्वार्टर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

119. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर रैफरल चिकित्सालय सेटेलाइट को 100 बेड करने एवं रायपुर चिकित्सालय को 50 बेड में अपग्रेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

120. श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, नर्सों व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

121. श्रीगंगानगर जिले के लाधुवाला उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

122. श्रीगंगानगर जिले में महिला-जच्चा बच्चा वार्ड में प्रसव के बाद

प्रसूताओं के परिजनों से रुपये मांगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

123. श्रीगंगानगर जिले में प्रसूताओं का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ इलाज नहीं करने तथा एम्बुलेंस से घर पर न छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

124. श्रीगंगानगर जिले व राज्य में नि:शुल्क दवाई वितरण केन्द्रों पर पूर्ण मात्रा में दवाई उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना):

125. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में दूषित पेयजल व फ्लोराइडयुक्त पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन):

126. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम रानी के गुडा मेहराम व देसूरी के गुडा देवड़ा मेडतीयान में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

127. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत ढारीया में सात नसबन्दी आपरेशन फेल होने पर पीड़ितों को मुआवजा देने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

128. प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा राज्य सरकार की शर्तों की पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मेघवाल (जालोर):

129. विधान सभा क्षेत्र जालोर में जिला मुख्यालय जनरल स्वास्थ्य केन्द्र में तीन-तीन सर्जन डाक्टर होने पर भी निश्चेतन डाक्टर का पद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

130. जवाहर लाल नेहरू हास्पिटल अजमेर का नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

131. मेडिकल कालेज अजमेर में नर्स ग्रेड-2 के 100 पद, टेक्नीशियनों के 10 पद तथा वार्ड ब्वाय के 30 पद स्वीकृत कर पदस्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

132. जननी शिशु सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला चिकित्सालय अजमेर मे महिला एवं शिशु शय्याओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

133. मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत सूचीबद्ध समस्त दवाओं को अजमेर शहर के सभी चिकित्सा केन्द्रों एवं अस्पतालों पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी):

134. प्रदेश में मुफ्त दवा वितरण योजना में औषधियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

135. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की पंचायत समिति सूरजगढ़ के घण्डावा आयुर्वेद औषधालय के जर्जर भवन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

136. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ए.एन.एम. एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा कर्तव्य परायणता में शिथिलता बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

137. पिलानी शहर में राजकीय चिकित्सालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन):

138. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

139. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की पंचायत समिति नैनवां की ग्राम पंचायत मुख्यालय समीधी व पीपल्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना):

140. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादरू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

141. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उप स्वास्थ्य केन्द्र नई कोटड़ी, कुण्डल एवं करमावास को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

142. विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना, समदड़ी, सिणधरी में स्त्री रोग, शल्य एवं विभिन्न रोग विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

143. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी, पाड़रू एवं होड़ू में 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

144. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उप स्वास्थ्य केन्द्र विहिन राजस्व ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई):

145. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई में कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी एवं स्त्री रोग एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के काफी समय से रिक्त चले आ रहे पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

146. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव केलूरी, गोबरा एवं गाजीपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

147. विधान सभा क्षेत्र नदबई के उप स्वास्थ्य केन्द्र कवई, करही, बछामदी नाम, झारकई, रायसीस एवं रौनीजा के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र नदबई के उप स्वास्थ्य केन्द्र भदीरा और उप स्वास्थ्य केन्द्र कबई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर):

149. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर, पण्डेर एवं कोटड़ी में कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

150. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में 75 शय्याओं में वृद्धि कर 100 शय्याओं का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में ग्राम ईटून्दा, बनकाखेड़ा, दांतडाबड़ा एवं

छापरेल में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़):

152. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ के ग्राम नाहरगढ़ ग्राम पंचायत सुराज-माण्डलगढ़, केकड़िया ग्राम पंचायत सराणा-माण्डलगढ़, नाहरगढ़ ग्राम पंचायत थलकला-माण्डलगढ़, अखेपुर ग्राम पंचायत जावल-कोटड़ी हाजीवास ग्राम पंचायत गेहूंली-कोटड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में राजकीय पी.एच.सी. बिगोद को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय कास्मा माडा के सब सेन्टर को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्राम गेंदलिया पंचायत समिति कोटड़ी, खटवाड़ा पंचायत समिति आमा, मंशा पंचायत समिति कोटड़ी एवं श्यामगढ़ (फूलजी की खेड़ी) पंचायत समिति माण्डलगढ़ पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना):

155. मकराना क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों में रिक्त पड़े डाक्टर्स के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

156. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के चिकित्सालयों में डाक्टर, नर्स, कम्पाउण्डर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के सभी पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. कोटा जिले के सभी चिकित्सालयों में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना की सम्पूर्ण दवाइयां समय पर उपचार हेतु जनता को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के राजकीय चिकित्सालय, रामगंजमण्डी में दो तथा सुकेत, सातलखेड़ी, जुल्मी, मोडक, चेचर अलोद में एक-एक

महिला चिकित्सक की 24 घण्टे नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास):

160. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के चिकित्सालयों में पेयजल, बिजली, भवन, चारदीवारी एवं चिकित्सा उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):

163. प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को जेनेरिक औषधियों के साथ ब्राण्डेड दवाइयां भी लिखने की चिकित्सकों को छूट प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर):

164. जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्रों हेतु दो छोटी 108 एम्बुलेंस आबंटित कर उनका स्थान घण्टाघर एवं सिवांची गेट रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के बाद जोधपुर में मेडिकल कालेज से सम्बन्ध अस्पतालों के आउटडोर्स में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से अतिरिक्त संसाधन व चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. जोधपुर के तीनों बड़े अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी एवं ट्रोली मैन के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):

167. जिला हनुमानगढ़ की तहसील नोहर-भादरा के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही):

168. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने एवं ट्रोमा सेन्टर को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

169. विधान सभा क्षेत्र सोजत में ग्राम पंचायत पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम):

170. पी.बी.एम. हास्पिटल बीकानेर की दो लिफ्ट नहीं चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

171. पी.बी.एम. हास्पिटल बीकानेर में मशीन चोरी एवं दवाइयों की खरींद में हुये घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

172. पी.बी.एम. हास्पिटल बीकानेर में सफाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. पी.बी.एम. हास्पिटल बीकानेर में रिक्त पदों के भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अजयसिंह (डेगाना):

174. विधान सभा क्षेत्र पंचायत मुख्यालय गोनरडा एवं चौसली में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

175. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम हरसौर एवं खांवला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

176. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम सांजू एवं बुटाटी में स्थापित उच्चीकृत केन्द्रों एवं भौरूदा में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़):

178. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में आसोप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने, ओ.टी. का निर्माण कराने एवं एम्बुलेंस की सुविधा मय ड्राइवर के करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. भोपालगढ़ अस्पताल सी.एच.सी. को क्रमोन्नत करने एवं भोपालगढ़ अस्पताल में निश्चेतन चिकित्सक का पद स्वीकृत करने तथा शय्याओं की संख्या में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. भोपालगढ़ व आसोप अस्पताल में प्रसूति गृह का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में सोयला व बावड़ी में सी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़):

182. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सामुदायिक केन्द्र जमवारामगढ़ एवं आंधी को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ एवं आंधी में शिुश रोग विशेषज्ञ का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल):

187. विधान सभा क्षेत्र झाडोल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के उप स्वास्थ्य केन्द्र बधपुरा झाडोल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के उप स्वास्थ्य केन्द्र थोबावाडा झाडोल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़):

190. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ व लक्ष्मणगढ के चिकित्सालयों में डाक्टरों व स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा):

191. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के देवीपुरा (शाहपुरा) में उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं बिलान्दरपुर (शाहपुरा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेजरोली को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर):

193. प्रदेश के पेन्शन भोगियों के लिए चिकित्सकों को ब्रांडेड कम्पनियों की दवाइयां लिखने की छुट देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बंद पड़े ब्लड बैंक को पुन: आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के वाजूवाला, गोमावाली में नवीन पी.एच.सी. खोलने एवं जेहसर पी.एच.सी. को क्रमोन्नत कर सी.एच.सी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

196. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के बामनहेडा पंचायत के ग्राम सरूपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

198. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्राम कोटड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

199. ब्यावर तहसील के ग्राम पंचायत मालातो की बेर के गांव दुधालेश्वर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

200. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति जवाजा के ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

201. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के स्वास्थ्य केन्द्र डाबी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

202. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकद को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण):

203. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की सी.एच.सी. मालाखेड़ा में शय्याओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

204. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम पंचायत मुख्यालय, दूंदवा, कारेणा, काकराला आदि में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

205. राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में आवासीय भवन निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

206. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में दस नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

207. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

208. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के मण्डली में 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

209. मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना में होम्योपैथिक औषधियों को सम्मिलित करने एवं मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में नवीन होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

210. गणगौरी हास्पिटल, जयपुर में चर्म रोग के चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने एवं पैथेलोजिकल एवं अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

211. राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, मालवीय नगर जयपुर को जिला स्तर का दर्जा दिये जाने के बावजूद भी जिला अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

212. राज्य के मेडिकल कालेज के शिक्षक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा साठ वर्ष से पैंसठ वर्ष कराए जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

213. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में एक और राजकीय चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास):

214. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरथल को नये भवन में स्थानान्तरित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

215. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ बास में कनिष्ठ विशेषज्ञ व स्त्री रोग विशेषज्ञ, कोटकासिम व खैरथल में स्त्री रोग के रिक्त पद नहीं भरने होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में जननी शिशु सुरक्षा योजना व मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजनाओं में दवाइयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

217. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ बास में सोनोग्राफी मशीन, खैरथल में एक्स–रे, सोनोग्राफी, ई.सी.जी. मशीनें व कोटकासिम में सोनोग्राफी व ई.सी.जी. मशीनें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर):

218. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में सादुलशहर सी.एच.सी. में स्त्री रोग विशेषज्ञ व जनरल सर्जन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

219. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नई बनी पी.एच.सी. की चारदीवारी व गेट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

220. श्रीगंगानगर में मेडिकल कालेज की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

221. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में आयूष चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

222. प्रदेश में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की दवाइयों के दुष्प्रभावों की सूचना आम जनता तक पहुंचाने और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों यथा आयुर्वेद, हौम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, योग, संगीत आदि चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार-प्रसार एवं चलन बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

223. प्रदेश में राज्य चिकित्सा सेवा का गठन करने, चिकित्सकों को प्रशासनिक प्रशिक्षण देने तथा तत्कालिक निदान हेतु प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

224. प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों एवं मेडीकल कालेजों में जांच उपकरणों एवं अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों के विशेषज्ञों, चिकित्सकों तकनीकी कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने एवं नये पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

225. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय प्रभुतानन्द चिकित्सालय, प्रताप नगर एवं राजकीय जगदम्बा आयुर्वेद चिकित्सालय, मसुरिया को सेटेलाइट स्तर का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

226. प्रदेश के सभी रक्त जांच केन्द्रों पर एड्स संक्रमण की पुख्ता जांच हेतु एलिजा पद्धति के स्थान पर नेट जांच पद्धति अपनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व):

227. राजकीय चिकित्सालय, गंगाशहर, बीकानेर को सेटेलाइट हास्पीटल में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

228. प्रिंस विजयसिंह मेमोरियल हास्पिटल बीकानेर में रिक्त डाक्टरों के पद, नर्सिंग लेब टेक्निशियन तथा सफाई कर्मियों के पदों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. बीकानेर के पी.बी.एम. हास्पिटल में अधीक्षक मेडिकल कालेज में प्राचार्य तथा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर की स्थाई नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

230. प्रिंस विजयसिंह मेमोरियल हास्पिटल, बीकानेर के हास्पिटल परिसर में नये निर्मित भवनों से पी.बी.एम. हास्पिटल नाम नहीं हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

231. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के आवासीय क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

232. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में 108 एम्बुलेंस सेवा शीघ्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

233. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के जोबनेर स्थित भीवाराम कुमावत राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

234. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

235. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांभर एवं फुलेरा के आपरेशन थियेटर शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

236. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरायना स्थित चिकित्सालय का नया भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल):

237. विद्युत नगर एवं चित्रकूट नगर जयपुर के क्षेत्र में राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर):

238. अलवर शहर के चिकित्सालयों में व्याप्त असुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू):

239. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अस्पताल में मुर्दा घर न होने एवं पूरी दवाइयां न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

240. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के राजकीय चिकित्सालय में ग्रामीण जनता का समय पर इलाज न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

241. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर के न रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):

242. राज्य में निजी चिकित्सालयों द्वारा आम जनता के साथ लूट करने की घटनाओं को रोकने के लिए निजी चिकित्सालय रेगुलेशन एक्ट बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के चिकित्सालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

244. मगनपुरा ग्राम तहसील दांतारामगढ़ में उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र पुनः शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दाता में नर्सिंग स्टाफ की मापदण्डानुसार पदों को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल):

246. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

247. जयपुर शहर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं मोबाइल यूनिट की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

248. राज्य कर्मचारियों/पेन्शनर्स को सभी प्रकार की औषधियां लिखने की चिकित्सकों को छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

249. राज्य के चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांचें मुफ्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर):

250. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कंदलियास (बनकाखेड़ा) पीथास, जालमपुरा, भरूणीकलां, मनोहरपुरा, धनवाड़ा आदि ग्रामों में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

251. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्करगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर):

252. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर को रेफरल हास्पिटल राजगढ़ सी.एच.सी. साखू व सिधमुख में डाक्टर व अधीनस्थ कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़):

253. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्राम आरोली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

254. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में माण्डलगढ़ व बिजोलिया में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण):

255. राज्य में नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली दवाइयों की सूची में और अन्य दवाइयां जोड़े जाने तथा वितरण की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

256. कोटा सम्भाग के विभिन्न चिकित्सालयों में 24 घंटे सीजेरियन प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति व ठहराव सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

257. कोटा मेडिकल कालेज में कार्डियोलाजी, सी.टी. सर्जरी, गेस्ट्रोलोजी, नेफ्रोलोजी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

258. न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय कोटा को उसकी पूर्ण बेड श्रमता से संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

259. राज्य के कोटा-जयपुर सहित विभिन्न जिलों में स्वाइन फ्लू के पाजिटिव रोगी पाये जाने एवं स्वाइन फ्लू के पुन: फैलने की सम्भावनाओं की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा):

260. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में सभी पी.एच.सी. में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

261. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुरा में अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी मशीन लगाने व ट्रोमा यूनिट में 24 घंटे इमरजेंसी व्यवस्था व डाक्टर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

262. ग्राम पंचायत खेजरोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने व ग्राम पंचायत बिलन्दरपुर में पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़):

263. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में डूगरगढ़, रिड़ी में राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी):

264. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में (दौरोड़, खुडामियों) में नये होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मानसिंह (परबतसर):

265. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में किनसरीया, भखरी में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डॉ. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर):

266. पंचायत समिति कुम्हेर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटावली में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

267. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पपरेरा, पंचायत समिति कुम्हेर में चिकित्साकर्मियों एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

268. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीग में चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

269. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर की पंचायत समिति कुम्हेर के ग्राम नगला बछेरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

270. विधान सभा क्षेत्र बगरू में होम्योपैथिक मोबाइल यूनिट खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

271. विधान सभा क्षेत्र बगरू में बगरू, जगतपुरा में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर):

272. विधान सभा क्षेत्र आहोर में एक 'अ' श्रेणी का राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, एक राजकीय होम्योपैथिक कालेज व मोबाइल यूनिट खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर):

273. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में होम्योपैथिक मोबाइल यूनिट चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

274. राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय चौमूं व जाटावाली हेतु दवाइयां अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की पंचायत समिति मुख्यालय के ग्राम गोविन्दगढ़ में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

276. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम सामोद व कालाडेरा में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

277. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में होम्योपैथिक रेफरल चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

परिशिष्ट-3

{श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) का पढ़ा हुआ माना गया शेष उत्तर}

एम.डी.एम. हास्पिटल में 64 स्लाइस सी टी स्कैन मशीन की स्थापना की गयी है तथा पी.पी.पी. मोड पर 1.5 टेसला एम.आर.आई. मशीन भी स्थापित की गयी है।

एम.जी. हास्पिटल, जोधपुर में नवीन ओ.पी.डी. एवं इमरजेंसी ब्लाक की स्थापना की जा रही है जिसके लिए 12 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उम्मेद हास्पिटल, जोधपुर में ओ.पी.डी. ब्लाक की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। जोधपुर के उम्मेद हास्पिटल में 2011-12 में रु. 2.20 करोड़ की लागत से ओब्स्टेट्रिक ब्लाक का रिनोवेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही उम्मेद हास्पिटल और एम.डी.एम. हास्पिटल में डिजिटल एक्स-रे मशीन की सुविधा भी प्रारम्भ कराई गई।

जोधपुर में मेडिकल कालेज से एसोशिएटेड हास्पिटल में गैस्ट्रो-एन्टेरोलाजी एवं न्यूरोलोजी में सुपर-स्पेशलिटी कोर्स आरम्भ किये गये हैं।

जोधपुर में इन्फेक्शियस डिजीजेज इंस्टिट्यूट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है जिसकी कुल लागत 8 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त, न्यू रिसर्च लैबोरेटरी का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

जोधपुर मेडिकल कालेज में नेशनल प्रोग्राम फार हैल्थ केयर आफ एल्डरली के तहत रीजनल जेरिएट्रिक सेंटर की स्थापना की जा रही है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा 2.13 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है।

जोधपुर मेडिकल कालेज में कार्डियोलोजी से सम्बन्धित एडवांस्ड इक्विपमेंट, एनेस्थेशिया वर्क स्टेशन फोर डिफरेन्ट स्पेशलिटीज एण्ड कोचलीयर इम्प्लांट्स फार ई एन टी क्रय किये गये हैं।

कोटा

न्यू टीचिंग हास्पिटल हेतु 170 बेड की वृद्धि की स्वीकृति एवं बजट उपलब्ध करवाया गया। शय्याओं की वृद्धि कर दी गयी है।

कोटा के न्यू टीचिंग हास्पिटल में विभिन्न स्पेशलिटीज की 5 न्यू यूनिट्स (मेडिसिन, गायनाकोलोजी, ओर्थोपेडिक, सर्जरी, पीडिएट्रिक्स) स्थापित की जा रही हैं।

न्यू मेडिकल कालेज हास्पिटल, कोटा में सी टी स्कैन मशीन एण्ड 2 डिजिटल एक्स-रे डोपलर की स्थापना की गयी हैं।

कोटा में वित्तीय वर्ष 2011-12 में ओर्थोपेडिक्स से सम्बन्धित रिविजन ओर्थोप्लास्टी इन्स्ट्रूमेंट्स, जनरल फ्रैक्चर फिक्सेशन सेट, सी-आर्म एडवांस्ड इक्विपमेंट्स क्रय किये गये हैं।

अजमेर

अजमेर मेडिकल कालेज में 150 जनरल बेड्स और 30 आई.सी.यू. बेड्स (कुल 180) की वृद्धि की जायेगी जिसका निर्माण कार्य 4.20 करोड़ की लागत से सितम्बर, 2012 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त, अजमेर में latest technology equipments, 3-D Echo-Cardiography, Phaco-emulsification machine, Automated bacterial identification system and sensitivity, Automated system for blood culture and TB एवं Digital Radiography System की स्थापना भी की जा रही है।

अजमेर मेडिकल कालेज में जन-सहभागिता के तहत 1.15 करोड़ की लागत से न्यूरो सर्जरी वार्ड का निर्माण कराया गया जो कि क्रियाशील है।

अजमेर मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के माध्यम से उचित दरों पर एम.आर.आई. की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा केन्द्रीय बजट से प्राप्त सी टी स्कैन की स्थापना कर चालू कर दी गई है।

अजमेर मेडिकल कालेज में न्यू पीडियाट्रिक सर्जरी आई.सी.यू. यूनिट की स्थापना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

अजमेर मेडिकल कालेज में इन्फेक्शस डिजीजेज वार्ड की स्थापना हेतु निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं आवश्यक उपकरण स्थापित कर वार्ड प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

उदयपुर

उदयपुर में कैंसर रोग के उपचार हेतु ब्रैची-थेरेपी मशीन की स्थापना की गयी है।

उदयपुर मेडिकल कालेज में डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम मशीन स्थापित की गई है।

उदयपुर मेडिकल कालेज में 2.59 करोड़ राशि से विभिन्न विभागों हेतु अत्याधुनिक उपकरण क्रय किये गये हैं।

उदयपुर मेडिकल कालेज के महिला एवं शिशु चिकित्सा सेवाओं को स्ट्रेन्थन करने के लिए लेबर रूम के रिनोवेशन एण्ड अपग्रेडेशन एवं महिला चिकित्सालय में 50 शैय्याओं हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके जून, 2012 में पूर्ण होने की सम्भावना है, जिस पर लगभग 2.50 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

उदयपुर मेडिकल कालेज के कार्डियोलोजी विभाग में डोनर एजेंसी से दस करोड़ की लागत से कार्डियोलोजी एण्ड कार्डियोथोरासिक डिपार्टमेंट का रिनोवेशन एण्ड अपग्रेडेशन किया जा रहा है।

उदयपुर मेडिकल कालेज में 2.12 करोड़ की लागत से इन्फेक्शस डिजीजेज वार्ड, एक्सटेन्शन आफ स्किन डिपार्टमेंट एण्ड अरबन हैल्थ ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके जून, 2012 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

उदयपुर में मानसिक रोग विभाग के अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

बजट अनाउंसमेंट्स 2012-13

प्रत्येक मेडिकल कालेज में मेडिसिन विभागों के अन्तर्गत जेरियाट्रिक मेडिसिन यूनिट की स्थापना की जायेगी; आपातकालीन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु इमरजेंसी मेडिसिन की यूनिट्स शुरू की जायेंगी और फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की जायेगी।

सभी मेडिकल कालेज के एसोशिएटेड हास्पिटल्स में पोस्ट-आपरेटिव इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवायी जायेगी।

वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के कारण मेडिकल कालेज से एसोशिएटेड हास्पिटल्स में बढ़ते हुए रोगी भार को देखते हुए सरकार द्वारा 700 शय्याओं की और बढ़ोतरी किये जाने की योजना है (400 महिला, 300 शिशु)।

राज्य सरकार द्वारा आगामी दो सालों में राज्य के मेडिकल कालेज में एम बी बी एस की 250 सीटें और बढ़ाई जाने की योजना है।

उम्मेद हास्पिटल, जोधपुर में ओ.पी.डी. ब्लाक की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करायी जायेगी।

मैं मुख्य मंत्री महोदय का उक्त घोषणाओं के लिए आभार प्रकट करता हूं और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने को कटिबद्ध है।